[2017] 10 एस. सी. आर. *569*

जस्टिस के एस पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*),*

AND ANDR।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2012 की लिखित याचिका *(*सिविल*)* संख्या *494)*

24 अगस्त, *2017*

[जगदीश सिंह खेहर, सीजेआई, जे. चेलमेश्वर,

एस. ए. बोबडे, आर. के. अग्रवाल, आर. एफ. नरीमन,

अभय मनोहर सप्रे, डॉ। डी. वाई. चंद्रचूड़,

संजय किशन कौल और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.*]*

भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार-निजता है

भारत में संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार-एम. पी. शर्मा में निर्णय जिसमें कहा गया है कि निजता का अधिकार भारत सरकार द्वारा संरक्षित नहीं है।

संविधान खत्म-शासित है-खरक सिंह में निर्णय

इस हद तक कि यह मानता है कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है-शासित है-निजता का अधिकार संरक्षित है

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक भाग के रूप में

Art.21 और संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में-आधार *(*वित्तीय और अन्य की लक्षित डिलीवरी*)*

अनुदान, लाभ और सेवा*)* अधिनियम, *2016*। *(* प्रति न्यायालय*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार-एम. पी. शर्मा

निर्णय-की शुद्धता-आयोजितः एम. पी. शर्मा मामले में फैसला

अनिवार्य रूप से यह मानता है कि अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन के समान प्रावधान के अभाव में, गोपनीयता का अधिकार नहीं हो सकता है।

भारतीय संविधान के *Art.20 (3)* के प्रावधानों में पढ़ा जाए

निर्णय विशेष रूप से इस बात पर निर्णय नहीं देता है कि क्या कोई अधिकार है।

निजता अधिकारों के किसी भी अन्य प्रावधान से उत्पन्न होगी।

Art.21 और *Art.19* सहित भाग *III* द्वारा गारंटीकृत-अवलोकन

कि निजता भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार नहीं है

जिस हद तक यह इसके विपरीत इंगित करता है। *(*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार-खरक

सिंह निर्णय-की शुद्धता-आयोजितः निर्णय के पहले भाग में

खरक सिंह में, यह सही माना गया था कि अभिव्यक्ति की सामग्री

एन

ए.

'*Art.21* के तहत 'जीवन' का अर्थ केवल किसी व्यक्ति के 'पशु अस्तित्व' का अधिकार नहीं है और यह कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति एक गारंटी है।

किसी व्यक्ति के घर की पवित्रता में आक्रमण या व्यक्तिगत सुरक्षा में घुसपैठ के खिलाफ-खरक सिंह ने यह भी सही ढंग से निर्धारित किया कि व्यक्ति की गरिमा को 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के अर्थ के अनुरूप होना चाहिए।

सिंह, जिन्होंने इस आधार पर रात में अधिवास यात्राओं को अमान्य कर दिया कि उन्होंने आदेशित स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, गोपनीयता के अधिकार की एक अंतर्निहित मान्यता है-निर्णय का दूसरा भाग, हालांकि, जो यह मानता है कि गोपनीयता का अधिकार हमारे तहत एक गारंटीकृत अधिकार नहीं है

संविधान, सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है-खरक सिंह इस हद तक मानते हैं कि निजता का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित नहीं है। *(*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-गरिमा-न्यायशास्त्र

गरिमा-एक संवैधानिक मूल्य के रूप में गरिमा की अभिव्यक्ति प्रस्तावना में होती है-संवैधानिक दृष्टिकोण न्याय की प्राप्ति चाहता है।

*(*सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक*);* स्वतंत्रता *(*विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की*);* समानता *(*इसके खिलाफ एक गारंटी के रूप में*)*

एक मानवीय और दयालु समाज की सुविधा के लिए एकता में मौजूद - व्यक्ति संविधान का एक केंद्र बिंदु है क्योंकि यह

व्यक्तिगत अधिकारों की प्राप्ति जिसका सामूहिक कल्याण समुदाय दृढ़ संकल्पित है-जीना सम्मान के साथ जीना है-गोपनीयता

अपने परिचर मूल्यों के साथ व्यक्ति को गरिमा का आश्वासन देता है और यह है

जीवन का आनंद गरिमा के साथ तभी लिया जा सकता है जब स्वतंत्रता सच्ची हो।

सार-गोपनीयता गरिमा की पूर्ति सुनिश्चित करती है और एक मूल मूल्य है जिसे जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्राप्त करने का इरादा है-न्यायशास्त्र। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* भारत का संविधान-*Art.21*-स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए आंतरिक रूप से गोपनीयता-गोपनीयता के अधिकार को मान्यता देने वाली प्रस्तुति है

एक अभ्यास जिसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी और न्यायिक व्याख्या का मामला नहीं हो सकता है, स्वीकार्य नहीं है।

सैद्धांतिक स्थिति-तर्क यह मानता है कि गोपनीयता का अधिकार भाग *III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं से स्वतंत्र है

संविधान-इसमें त्रुटि है-निजता का अधिकार एक तत्व है मानव गरिमा की-गोपनीयता की पवित्रता गरिमा के साथ इसके कार्यात्मक संबंध में निहित है-गोपनीयता यह सुनिश्चित करती है कि एक मनुष्य न्याय कर सकता है।

भारत का संघ

मनुष्य के आंतरिक अवकाश को सुरक्षित करके गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करें।

अवांछित घुसपैठ से व्यक्तित्व-गोपनीयता व्यक्ति की स्वायत्तता और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को मान्यता देती है

आवश्यक विकल्प जो जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं-ऐसा करने में, गोपनीयता

यह स्वीकार करता है कि स्वतंत्रता और स्वतंत्रताओं को पूरा करने के लिए एक इंसान के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीना आवश्यक है जो स्वतंत्रता की आधारशिला हैं।

संविधान। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21-Art.21* के अभाव में भी राज्य को किसी व्यक्ति को वंचित करने की अनुमति नहीं होती।

कानून के अधिकार के बिना उसका जीवन और स्वतंत्रता।

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार, चाहे वह एक पूर्ण अधिकार हो-अन्य अधिकारों की तरह जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं

भाग *III* द्वारा संरक्षित स्वतंत्रताएँ, जिसमें *Art.21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, गोपनीयता एक पूर्ण अधिकार नहीं है-एक कानून जो गोपनीयता का अतिक्रमण करता है, उसे गोपनीयता की कसौटी का सामना करना होगा।

मौलिक अधिकारों पर अनुमेय प्रतिबंध-के संदर्भ में

Art.21, निजता पर आक्रमण को एक ऐसे कानून के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए जो एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता है जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो।

– कानून को *Art.21*-जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के संदर्भ में भी वैध होना चाहिए।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तीन गुना आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए *(i)* वैधता, जो कानून के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करती है*; (ii)* आवश्यकता, जिसे एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित किया गया है*;* और *(iii)* आनुपातिकता जो उद्देश्यों और प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है।

उन्हें। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-सूचनात्मक गोपनीयता एक है

निजता के अधिकार का पहलू-सूचना के युग में निजता के लिए खतरे न केवल राज्य से उत्पन्न हो सकते हैं बल्कि गैर-राज्य से भी उत्पन्न हो सकते हैं।

राज्य कारक भी-केंद्र सरकार को डेटा संरक्षण के लिए एक मजबूत व्यवस्था स्थापित करने का काम सौंपा गया है-इस तरह की व्यवस्था के निर्माण के लिए व्यक्ति के बीच सावधानीपूर्वक और संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता है।

राज्य के हित और वैध चिंताएं-उदाहरण के लिए राज्य के वैध उद्देश्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, अपराध को रोकना और जांच करना, नवाचार और ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित करना और सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय को रोकना शामिल होगा-ये नीतिगत मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने एक सावधानीपूर्वक संरचित शासन *[2017] 10* एस. सी. आर. तैयार करते हुए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डेटा की सुरक्षा के लिए। *(* डा. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-जीवन या व्यक्तिगत जीवन से वंचित होना

स्वतंत्रता-किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है-*Art.14* मनमानेपन के खिलाफ गारंटी के रूप में *Art.21*-अंतर

मनमानी के खिलाफ गारंटी और के बीच संबंध

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा एक बहुआयामी स्तर पर काम करती है सबसे पहले, यह सुनिश्चित करता है कि वंचित करने की प्रक्रिया होनी चाहिए

निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित-दूसरा, कला। *14* प्रक्रिया और अभिव्यक्ति कानून दोनों को प्रभावित करता है '-के अर्थ के भीतर एक कानून

Art.21 निष्पक्षता के मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए जो उत्पन्न होते हैं

Art.14 में। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार-अविभाज्य अधिकार-अंतर्राष्ट्रीय करार और घोषणाएँ जिनके लिए भारत

एक पक्ष था, अर्थात्, *1948* की घोषणा और *1966* की वाचा

दोनों ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को "अपरिहार्य" बताया।

इस तथ्य को देखते हुए कि इसे *Art.21* के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना है, यह है

मानवाधिकार लेकिन केवल इस तथ्य को दर्शाते हैं कि वे "अविभाज्य" थे; कि वे व्यक्ति के होने के कारण प्रत्येक मनुष्य में निहित हैं। एक इंसान - मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993* की धारा *2 (1) (*डी*)* यह मान्यता देती है कि जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए संदर्भित है और न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।

भारत "मानवाधिकार" है-और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये अधिकार अविभाज्य हैं क्योंकि वे व्यक्तियों में निहित हैं। क्योंकि वे मनुष्य हैं-मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम,

1993 – धारा *2 (1) (*डी*), (*आर. एफ. नरीमन, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार-निजता का मौलिक अधिकार, जिसके कई विकासशील पहलू हैं, केवल मामले-दर-मामले के आधार पर विकसित किया जा सकता है-उस विशेष पहलू के आधार पर जिस पर भरोसा किया जाता है, या तो *Art.21* स्वयं या अन्य मौलिक अधिकारों के संयोजन से आकर्षित होगा।

इस अधिकार पर प्रतिबंधों के लिए, विभिन्न अनुच्छेदों की कवायद जिसका अधिकार संबंधित है, का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए-संतुलन अधिनियम यह व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* के बीच किया जाना है।

भारत का संघ

हितों को न्यायिक के प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। दिमाग। *(* आर. एफ. नरीमन, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार-"स्वतंत्रता"

संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा-यह मुख्य मूल्य हो सकता है

मौलिक अधिकारों के पूरे अध्याय में फैला हुआ पाया गया-लेकिन अधिकांश

बंधुत्व का मूल मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है जो आश्वस्त करता है

व्यक्ति की गरिमा-व्यक्ति की गरिमा में शामिल है

व्यक्ति को अपनी क्षमता की पूरी सीमा तक विकास करने का अधिकार-और यह विकास तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति को मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर स्वायत्तता हो और प्रसार पर नियंत्रण हो।

व्यक्तिगत जानकारी का जो ऐसी जानकारी के अनधिकृत उपयोग के माध्यम से उल्लंघन किया जा सकता है-*Art.21* किसी भी जानकारी से अधिक

मौलिक अधिकार अध्याय में अन्य लेख, प्रत्येक को दर्शाते हैं

इन मूल्यों के साथ और अंतर्राष्ट्रीय के साथ वाचाएँ। *(* आर. एफ. नरीमन, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार

निजता का अपरिहार्य मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग *III* में निहित *Art.21* और अन्य मौलिक स्वतंत्रताओं में निहित है-एम. पी. शर्मा मामला और खरक सिंह मामले में बहुमत,

जिस हद तक वे इसके विपरीत संकेत देते हैं, वे खारिज हो जाते हैं-सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों में गोपनीयता को मान्यता दी गई है

मौलिक अधिकार पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है-इसलिए, इन मामलों को योग्यता के आधार पर मूल पीठ को निर्णय के लिए वापस भेजा जाता है।

निर्णय के आलोक में इस न्यायालय के *3* माननीय न्यायाधीशों से। *(* आर. एफ. नरीमन, जे.*)*

भारत का संविधान-कला। *21* , *14* , *19* या *25*-निजता का अधिकार

- एम. पी. शर्मा मामला-इसका प्रभाव-यह सवाल कि क्या निजता का अधिकार किसी अन्य मौलिक अधिकार में निहित है जिसकी गारंटी इसके तहत दी गई है।

इस प्रकार,

कलाएँ। *21* , *14* , *19* या एम. पी. शर्मा मामले में *25* की जांच नहीं की गई थी एम. पी. शर्मा इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण नहीं हैं कि हमारे संविधान के तहत निजता का कोई अधिकार नहीं है। *(* जे. चेलमेश्वर, जे.*)*

भारत का संविधान-अनुच्छेद *21*-खरक सिंह मामला-का प्रभाव

- खरक सिंह ने बहुमत से यह विचार रखा कि जहां तक 'रात में अधिवास यात्राओं' के लिए विनियमन का प्रावधान है, वह असंवैधानिक है, जबकि अल्पसंख्यकों का मानना है कि

विनियमन पूरी तरह से असंवैधानिक है-खरक सिंह ने बहुमत के अनुसार कहा कि "निजता का अधिकार हमारे संविधान के तहत एक गारंटीकृत अधिकार नहीं है", और इसलिए इसे *Art.21* में नहीं पढ़ा जा सकता है-बहुमत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अतार्किक है और यहां तक कि एक सामान्य व्यक्ति की व्याख्या के तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ है। संविधि और संवैधानिक व्याख्या के संदर्भ में पूरी तरह से अनुचित। *(* जे. चेलमेश्वर, जे.*)*

भारत का संविधान-कला *21,19 (1)*-अभिव्यक्ति 'स्वतंत्रता' -

का अर्थ-अभिव्यक्ति 'स्वतंत्रता' अपने भीतर लेने में सक्षम है।

इसके दायरे में न केवल स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, जिसकी गारंटी *Art.19 (1) (d)* के तहत दी गई है, बल्कि *Art.19 (1)* के तहत उल्लिखित अन्य स्वतंत्रताओं में से प्रत्येक भी-व्यक्तिगत स्वतंत्रता न केवल अपने दायरे में लेती है

शारीरिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं होने का अधिकार, बल्कि विचार, विश्वास, भावना और संवेदना की स्वतंत्रता और विभिन्न प्रकार की अन्य स्वतंत्रताएँ-अभिव्यक्ति की सबसे बुनियादी समझ

' ' 'स्वतंत्रता' एक व्यक्ति की वह करने की स्वतंत्रता है जो वह चाहता है।

(जे. चेलमेश्वर, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-का दायरा-आयोजितः द.

Art.21 में अभिव्यक्ति 'स्वतंत्रता' न केवल *Art.19 (1)* में उल्लिखित विभिन्न स्वतंत्रताओं को लेने के लिए पर्याप्त है, बल्कि कई अन्य भी हैं। जिनकी गणना नहीं की गई है। *(* जे. चेलमेश्वर, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार-आयोजितः द.

निजता के अधिकार में तीन पहलू शामिल हैं अर्थात विश्राम, अभयारण्य और

अंतरंग निर्णय-इनमें से प्रत्येक पहलू स्वतंत्रता के लिए बहुत आवश्यक है।

मनुष्यों का कि संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि अधिकार

निजता हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का हिस्सा है इसे रोकने के लिए मौलिक अधिकार ही एकमात्र संवैधानिक सुरक्षा कवच हैं स्वतंत्रता का गठन करने वाली उन मूल स्वतंत्रताओं में राज्य का हस्तक्षेप

एक इंसान-निजता का अधिकार निश्चित रूप से मूल में से एक है

स्वतंत्रताएँ जिनकी रक्षा की जानी है-यह *Art.21* में उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर स्वतंत्रता का हिस्सा है। *(* जे. चेलमेश्वर। जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का अधिकार, सीमाएँ

मामलों के आधार पर सीमाओं की पहचान की जानी चाहिए दावा किए गए गोपनीयता हित की प्रकृति पर

इसके लिए विकल्प

निजता के अधिकार को सीमित करना *(i)* न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित आधार न्याय के. एस. पुटस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* है।

भारत का संघ

(यह प्रति *Art.21* की सीमा के लिए मूल देय प्रक्रिया है और *(ii)* एक न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित आधार *(*जो कि मूल देय प्रक्रिया है*)* के लिए

प्रति *Art.21* की सीमा और 'सम्मोहक' का अनाकार मानक

राज्य हित '। *(* जे. चेलमेश्वर, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-निजता का एक अविभाज्य संवैधानिक अधिकार संविधान के भाग *III* में निहित है-एम. पी. शर्मा

और खरक सिंह में बहुमत की राय ने इस हद तक खारिज कर दिया

कि वे इसके विपरीत संकेत देते हैं-निजता का अधिकार मानव स्वतंत्रता के सभी अभ्यासों के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, दोनों जैसा कि इसे विशेष रूप से भाग *III* में गिना गया है, और जैसा कि *Art.21* के तहत अवशेष में गारंटी दी गई है-यह भाग में विभिन्न अनुच्छेदों में वितरित किया गया है। *III* और, उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन, उनमें से जो भी हो उसका रूप लेता है।

इसके उल्लंघन को कम करने का आनंद लेना-'राज्य' के *Art.12* के विवरण द्वारा कवर की गई किसी भी संस्था द्वारा गोपनीयता के साथ किसी भी हस्तक्षेप को भाग *III* की स्वतंत्रता में से जो भी एक या अधिक हस्तक्षेप को प्रभावित करता है, उस पर लागू परीक्षणों को पूरा करना चाहिए। *(* एस. ए. बोबडे, जे.*)*

भारत का संविधान-*Art.21*-गोपनीयता का संबंध

गरिमा और स्वतंत्रता-गोपनीयता के अधिकार के लिए पहला और स्वाभाविक घर 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और स्वयं जीवन के केंद्र में है-स्वतंत्रता और गोपनीयता इस तरह से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं कि गोपनीयता अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक बुनियादी शर्त है-ऐसी असंख्य गतिविधियाँ हैं जो वस्तुतः किसी भी तरह से और गरिमा के साथ किए जाने में असमर्थ हैं जब तक कि किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ दिया जाता है या अन्यथा नहीं छोड़ दिया जाता है।

उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सशक्त-गोपनीयता में आवश्यक है

गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के प्रवर्तक के रूप में इसके मानसिक और शारीरिक दोनों पहलू-यह देखना मुश्किल है कि गरिमा, जिसके संवैधानिक महत्व को प्रस्तावना और सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा अन्य अधिकारों के साथ-साथ *Art.21* की व्याख्या में स्वीकार किया गया है, को गोपनीयता के बिना व्यक्ति को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है-गरिमा और गोपनीयता दोनों

व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु के लिए और इन घटनाओं के बीच जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए घनिष्ठ रूप से अंतर्निहित और प्राकृतिक स्थितियां हैं-आवश्यक रूप से, गोपनीयता का अधिकार *Art.21* के तहत 'जीवन' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' दोनों का एक अभिन्न अंग है, और इसका उद्देश्य है

अधिकार धारक को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ही पूरी तरह से क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाना।

प्रस्तावना के साथ-साथ भाग *III* में भी व्यक्त किया गया है। *(* एस. ए. बोबडे, जे.*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

भारत का संविधान-जीवन का अधिकार-न जीवन और न ही स्वतंत्रता

राज्य द्वारा प्रदान किए गए उपहार हैं और न ही संविधान बनाते हैं

ये अधिकार-जीवन का अधिकार अस्तित्व में आने से पहले भी रहा है संविधान-अधिकार को मान्यता देने में, संविधान करता है

अधिकार का एकमात्र भंडार नहीं बनना। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*)*

भारत का संविधान-पर्याप्त नियत प्रक्रिया-इतिहास

Art.21 के मसौदे और *Art.21* के मूल मसौदे में किए गए परिवर्तनों के बारे में चर्चा की गई-की वैधता के लिए पर्याप्त चुनौती जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण करने वाले कानून-मामले के कानूनों पर चर्चा की गई। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*)*

भारत का संविधान-विश्व और भारत का संविधान किसी भी देश का संविधान आकांक्षाओं और लक्ष्यों को दर्शाता है।

उस देश के लोगों ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों की भाषा के माध्यम से आवाज उठाई जिन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी

इसका संविधान-ऐसी आकांक्षाएं और लक्ष्य इतिहास पर निर्भर करते हैं।

उस समाज का-इतिहास हमेशा धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न होने वाली विभिन्न शक्तियों का एक उत्पाद है -

किसी भी देश का संविधान एक दस्तावेज होता है जिसमें प्रावधान होते हैं।

शासन के नियमों को इसके विभिन्न पहलुओं में निर्दिष्ट करना-यह विधायिका की शक्तियों और कानून बनाने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।

राज्य का प्रशासन करने के लिए कार्यपालिका की शक्तियाँ

उस देश के लोगों के कुछ मूल राजनीतिक मूल्यों और मान्यताओं के साथ आम तौर पर क्षणिक जनता द्वारा हल्के में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। राय दें। *(* जे. चेलमेश्वर, जे*)*

भारत का संविधान-गोपनीयता अधिकारों के रूप-सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकार-के बीच अंतर-आयोजितः आम

कानून के अधिकार उनके संचालन में क्षैतिज होते हैं जब उनका उल्लंघन किसी के साथी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उनका नाम लिया जा सकता है और कानून की एक सामान्य अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है-दूसरी ओर, संवैधानिक और मौलिक अधिकार, एक मूल्यवान कानून के उल्लंघन के खिलाफ उपाय प्रदान करते हैं।

एक अमूर्त इकाई के रूप में 'राज्य' द्वारा ब्याज, चाहे वह कानून के माध्यम से हो या अन्यथा, साथ ही साथ पहचान योग्य सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा, राज्य की शक्तियों से लैस व्यक्ति होना-जहां किसी मान्यता प्राप्त हित में हस्तक्षेप राज्य या कला द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है।

12 , जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* के उल्लंघन के लिए दावा। भारत का संघ

मौलिक अधिकार निहित होगा-जहाँ एक समान के लेखक

हस्तक्षेप एक गैर-राज्य कर्ता है, सामान्य कानून में एक कार्रवाई एक सामान्य अदालत में होगी। *(* एस. ए. बोबडे, जे.*)*

भारत का संविधान-गोपनीयता-क्या एकांत आवश्यक है

गोपनीयता के लिए-आयोजितः गोपनीयता का एकांत *(*हमारे भौतिक व्यक्तियों और चीजों के*)* के साथ-साथ विश्राम जैसे विचारों के साथ गहरा संबंध है।

एकांत, गोपनीयता और गोपनीयता *(*हमारे संचार में*)*, और अंतरंगता-लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एकांत हमेशा गोपनीयता के लिए आवश्यक है-यह किसी व्यक्ति की निजी तौर पर काम करने की स्वतंत्रता के इस अर्थ में है कि व्यक्तियों का एक समूह, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, इसके हकदार हैं।

दूसरों से खुद को अलग रखें और निजी रहें। *(* एस. ए. बोबडे, जे.*)*

भारत का संविधान-भाग *III*-गोपनीयता भाग *III* में किसी भी गारंटी के आनंद के लिए आवश्यक शर्त है-परिणामस्वरूप, जब अधिकार धारकों द्वारा पहले इसका दावा किया जाता है।

संवैधानिक न्यायालय, निजता का अधिकार न केवल *Art.21* में स्थित हो सकता है, बल्कि साथ ही किसी अन्य गारंटी में भी हो सकता है।

भाग *III*। *(* एस. ए. बोबडे, जे.*)*

भारत का संविधान-किसी भी व्यक्ति की निजता का अधिकार है

अनिवार्य रूप से एक प्राकृतिक अधिकार, जो जन्म से प्रत्येक मनुष्य में निहित है और जब तक वह अंतिम सांस नहीं लेता, तब तक मनुष्य के साथ रहता है-यह वास्तव में मनुष्य से अविभाज्य और अविभाज्य है-एक

कुछ उचित प्रतिबंधों के लिए, जिन्हें राज्य सामाजिक, नैतिक और बाध्यकारी सार्वजनिक हित के आधार पर लागू करने का हकदार है। कानून के अनुसार। *(* अभय मनोहर सप्रे, जे.*)*

भारत का संविधान-एक व्यक्ति की गरिमा-संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा पर जोर दिया गया है -

अभिव्यक्ति "गरिमा" अपने साथ नैतिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है-यह

प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का सम्मान करने और ऐसी स्थितियों का निर्माण करने के लिए संघ की ओर से एक दायित्व भी निहित है जिसमें प्रत्येक नागरिक को खुद को खोजने और आत्म पूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा-इसलिए, व्यक्ति की गरिमा पर हमेशा विचार किया जाता है।

बंधुत्व का प्रमुख घटक, जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा का आश्वासन देता है। *(* अभय मनोहर सप्रे, जे.*)*

भारत का संविधान-राष्ट्र की एकता और अखंडता तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की गारंटी नहीं दी जाती।

प्रस्तावना में शामिल अभिव्यक्ति "स्वतंत्रता", "समानता" और "बंधुत्व" अलग-अलग संस्थाएं नहीं हैं-नागरिकों के अधिकारों से निपटने के दौरान उन्हें एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। *(* अभय मनोहर सप्रे, जे.*)*

भारत का संविधान-निजता का अधिकार केवल गोपनीयता का अधिकार नहीं है

एक सामान्य कानून अधिकार, लेकिन भारत के संविधान के भाग *III* में आने वाला एक मौलिक अधिकार-हालांकि गोपनीयता जैसा मुद्दा हो सकता है

जब संविधान पर विचार किया जा रहा था, तब कभी भी इस तरह के महत्व को प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की गई थी, फिर भी आज का समय

हम इस स्थिति में रहते हैं कि इसे न केवल एक मूल्यवान अधिकार के रूप में मान्यता दी जाए, बल्कि संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाए।

कभी उम्र नहीं बढ़ती। *(* संजय किशन कौल, जे.*)*

भारत का संविधान डेटा विनियमन-राज्य का कर्तव्य -

आयोजित किया गया: राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना का उपयोग उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना नहीं किया जाता है और इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए और उस सीमा तक किया जाता है

इसका खुलासा किया गया था। *(* संजय किशन कौल, जे.*)*

भारत का संविधान-निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है

– यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के आंतरिक क्षेत्र की रक्षा करता है।

राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं से हस्तक्षेप और अनुमति देता है

स्वायत्त जीवन विकल्प बनाने के लिए व्यक्ति-प्रौद्योगिकी है

किसी नागरिक के घर में उसके दरवाजे पर दस्तक दिए बिना प्रवेश करना संभव बनाया और यह राज्य और गैर-राज्य दोनों द्वारा समान रूप से संभव है। राज्य अभिनेता-यह एक व्यक्ति की पसंद है कि उसके घर में कौन प्रवेश करता है, वह कैसे रहता है और किस रिश्ते में रहता है-घर की गोपनीयता को परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास की रक्षा करनी चाहिए।

जो गरिमा के सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं-यदि व्यक्ति किसी को घर में प्रवेश करने की अनुमति देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग प्रवेश कर सकते हैं।

घर-एकमात्र नियंत्रण और संतुलन यह है कि यह दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए-यह भौतिक रूप और प्रौद्योगिकी दोनों पर लागू होता है-एक ऐसे युग में जहां व्यापक, विविध, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड हैं और इससे भी अधिक हमारे जैसे देश में जो अपनी विविधता पर गर्व करता है, गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जिसे राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं से संरक्षित किया जाना चाहिए और एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए-यह कैसे हो सकता है?

इसके बाद अन्य मौलिक अधिकारों के साथ अपने अंतर-खेल में काम करता है और इस तरह के प्रतिबंध कब आवश्यक होंगे, यह निर्भर करेगा प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर-कि यह अधिक न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* को जन्म दे सकता है।

भारत का संघ

मुकदमेबाजी शायद ही इस महत्वपूर्ण, प्राकृतिक, आदिम अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता न देने का कारण हो।

(संजय किशन कौल, जे.*)*

भारत का संविधान-लोगों की स्वीकृति की कसौटी संवैधानिक अधिकारों की गारंटी इन पर निर्भर नहीं करती है कि अभ्यास को बहुसंख्यकवादी राय द्वारा अनुकूल माना जा रहा है-लोकप्रिय स्वीकृति का परीक्षण उपेक्षा के लिए एक वैध आधार प्रदान नहीं करता है

अधिकार जो संविधान की पवित्रता के साथ प्रदान किए जाते हैं

संरक्षण-असतत और द्वीपीय अल्पसंख्यकों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है

इस साधारण कारण से भेदभाव कि उनके विचार, विश्वास या जीवन शैली 'मुख्यधारा' के अनुरूप नहीं है-फिर भी कानून के शासन पर स्थापित लोकतांत्रिक संविधान में, उनके अधिकार उतने ही पवित्र हैं जैसा कि अन्य नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

भारत का संविधान-निजता का अधिकार-बहुसंख्यकवादी

अवधारणा-आयोजितः निजता के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही

और न्यायालयों को अक्सर भारत के संविधान के तहत परिकल्पित शक्ति के नियंत्रण और संतुलन में गैर-बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। *(* संजय किशन कौल, जे.*)*

भारत का संविधान-एक जीवित दस्तावेज-संविधान का मसौदा एक विशिष्ट समय अवधि के लिए या एक निश्चित पीढ़ी के लिए नहीं बनाया गया था-इसका मसौदा दृढ़ रहने के लिए, अनंत काल के लिए तैयार किया गया था-इसने एक मोंटेस्कियन ढांचा बनाने की मांग की जो युद्ध के समय और शांति के समय दोनों में प्रिय होगा-संविधान के संस्थापक इस बात से अवगत थे कि

तथ्य यह है कि संविधान को बनाए रखने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होगी

युग की प्रवृत्तियाँ-ठीक यही कारण था कि एक अप्रतिबंधित संशोधन शक्ति को पाठ में शामिल करने की मांग की गई थी

Art.368 के भाग *XX* में संविधान। *(* संजय किशन कौल, जे*)*

भारत का संविधान-*Art.145 (3)*-जब संविधान की व्याख्या के बारे में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, तो यह है

अकेले सर्वोच्च न्यायालय ने कला को रद्द कर दिया। *145 (3)* यह तय करने के लिए कि क्या संविधान की व्याख्या होगी और इस उद्देश्य के लिए संविधान इस कार्य को उच्चतम न्यायालय के कम से कम *5* न्यायाधीशों को सौंपता है।

न्यायालय-संविधान की व्याख्या। *(* आर. एफ. नरीमन, जे.*)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय कानून-भारत की प्रतिबद्धता जहां एक है

अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक घरेलू क़ानून के बीच विरोधाभास, न्यायालय बाद वाले को प्रभावी बनाएगा-वर्तमान मामले में, वहाँ है

भारत और संविधान द्वारा मान लिए गए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच कोई विरोधाभास नहीं-न्यायालय आसानी से किसी भी विसंगति का अनुमान नहीं लगाएगा। इसके विपरीत, संवैधानिक

प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए जो

वैश्विक मानवाधिकार व्यवस्था के साथ उनकी अनुरूपता को बढ़ाना

भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य है और

न्यायालय को एक ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो इसका पालन करे देश द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ, विशेष रूप से जहाँ

इसके संवैधानिक और वैधानिक आदेश कोई विचलन नहीं दर्शाते हैं। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

अंतर्राष्ट्रीय कानून-बाध्यकारी प्रभाव-आयोजितः की अनुपस्थिति में

नगरपालिका कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई विशिष्ट निषेध भारतीय कानून का हिस्सा है और इसके परिणामस्वरूप इसे या इसके हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

हमारे मौलिक अधिकार। *(* आर. एफ. नरीमन, जे.*)*

संविधान की व्याख्या-संविधान सभा और

निजता-मौलिकवादी व्याख्या की सीमाएँ-संविधान की व्याख्या को इसकी मूल समझ से रोका नहीं जा सकता है -

संविधान विकसित हुआ है और इसे पूरा करने के लिए लगातार विकसित होना चाहिए।

वर्तमान और भविष्य की आकांक्षाओं और चुनौतियों -

फ्रेमर्स मानवाधिकारों के व्यापक दुरुपयोग के प्रति सचेत थे

दो दशकों की अवधि में अलग हुए दो विश्व युद्धों में सत्तावादी शासनों द्वारा-निर्माता एक औपनिवेशिक शासन के तहत हुए अन्याय के बारे में समान रूप से जागरूक थे और हाल ही में

स्वतंत्रता और गरिमा के साथ, इतिहास के पाठ्यक्रम के संक्षिप्त संदर्भ के बिना अधूरा होगा क्योंकि यह पूर्ववर्ती में उजागर होता है - में सन्निहित स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं की गारंटी देना

मौलिक अधिकारों, संविधान ने प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित किया है और उन्हें उनके अस्तित्व को कम करने के प्रयासों से सुरक्षित किया है।

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

संविधान की व्याख्या-संविधान एक पवित्र जीवित दस्तावेज है और इसलिए समाज की बदलती जरूरतों के आधार पर इसके प्रावधानों की उचित व्याख्या के लिए अतिसंवेदनशील है-जबकि संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते हुए,

जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक प्रावधान के सही अर्थ का पता लगाने के लिए संविधान पर शरारत या भूमि के उपचार के रूप में भरोसा किया जा सकता है। *(* अभय मनोहर सप्रे, जे.*)*

संविधान की व्याख्या-संविधान के सिद्धांत की आवश्यकता

संविधान से निपटने के दौरान लचीलापन-मामले के कानूनों पर चर्चा की गई। *(* संजय किशन कौल, जे.*)*

निजता-निजता, अभिजात वर्ग का निर्माण नहीं, गोपनीयता कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार नहीं है + समाज में हर व्यक्ति चाहे जो भी हो।

सामाजिक वर्ग या आर्थिक स्थिति अंतरंगता और स्वायत्तता का हकदार है जिसकी गोपनीयता रक्षा करती है। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

गोपनीयता गोपनीयता, न केवल एक सामान्य कानून अधिकार -

संविधान इस अधिकार को केवल इसलिए मान्यता देता है क्योंकि यह एक मौलिक स्वतंत्रता या स्वतंत्रता की घटना है जिसे प्रारूपक ने माना है।

संवैधानिक सुरक्षा की आवश्यकता के रूप में इतना महत्वपूर्ण होना-एक बार गोपनीयता को जीवन की सुरक्षा की घटना माना जाता है, व्यक्तिगत

स्वतंत्रता और संविधान के भाग *III* के प्रावधानों द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता, यह प्रस्तुत करना कि गोपनीयता केवल एक अधिकार है

सामान्य कानून गलत है-केंद्रीय विषय यह है कि गोपनीयता जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गारंटीकृत स्वतंत्रताओं का एक आंतरिक हिस्सा है।

भाग *III* द्वारा जो इसे संवैधानिक सिद्धांत के मूल के रूप में संरक्षण का अधिकार देता है-संविधान द्वारा गोपनीयता का संरक्षण इसे वैधानिक कानून की अनिश्चितताओं से मुक्त करता है, जो एक बहुसंख्यकवादी के लिए खुली विधायी रद्दियों की सीमा के अधीन है।

सरकार। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

गोपनीयता अन्य क्षेत्राधिकारों में गोपनीयता की अवधारणा-- प्रत्येक

देश अपने स्वयं के संवैधानिक और कानूनी ढांचे द्वारा शासित होता है-संवैधानिक संरचनाओं का इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक सिद्धांत और मूल्यों के साथ एक स्थायी संबंध होता है जिन्हें एक समाज अपने संस्थापक सिद्धांतों के रूप में मानता है-इसलिए विदेशी निर्णयों को सावधानी के साथ पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ को उसके संदर्भ से अलग नहीं पढ़ा जाए। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

गोपनीयता-गोपनीयता पर तुलनात्मक कानून *(*इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा से, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स*)*-बोर्क, पॉसनर और नारीवादी आलोचकों द्वारा गोपनीयता सिद्धांत की विभिन्न आलोचनाओं पर चर्चा की गई। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* गोपनीयता-गोपनीयता

के प्रकार-नौ प्राथमिक प्रकार की गोपनीयता को *2017* में "ए टाइपोलॉजी" शीर्षक से प्रकाशित एक मौलिक लेख में दर्शाया गया है।

गोपनीयता की "पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जर्नल में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय कानून पर चर्चा की गई। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

गोपनीयता-गोपनीयता-जानकारी को नियंत्रित करने का अधिकार-गोपनीयता अजीब सामाजिक स्थितियों को रोकने और सामाजिक स्थितियों को कम करने में सहायता करती है।

घर्षण-- एक व्यक्ति को विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं के लिए व्यक्तिगत डेटा जमा करते समय अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार है -

निजता का उल्लंघन करने वाली सच्ची जानकारी की भी आवश्यकता हो सकती है।

संरक्षण। *(* संजय किशन कौल, जे.*)*

गोपनीयता सूचनात्मक गोपनीयता अस्तित्व को नियंत्रित करने का अधिकार

इंटरनेट पर-इस आधुनिक युग में निजता का अधिकार कुछ अन्य अधिकारों को जन्म देता है जैसे कि व्यक्तियों का विशेष रूप से अधिकार व्यावसायिक रूप से उनकी पहचान और व्यक्तिगत जानकारी का दोहन करना,

वर्ल्ड वाइड वेब पर उनके बारे में उपलब्ध जानकारी को नियंत्रित करना और केवल सीमित उद्देश्यों के लिए कुछ व्यक्तिगत जानकारी का प्रसार करना। *(* संजय किशन कौल, जे.*)*

अधिकार-प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकार-प्राकृतिक अधिकार हैं

राज्य द्वारा प्रदत्त नहीं-वे मनुष्यों में इसलिए हैं क्योंकि वे मानव हैं-वे वर्ग, स्तर, लिंग या अभिविन्यास की परवाह किए बिना व्यक्ति में समान रूप से मौजूद हैं। *(* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

अधिकार-प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकार-कितने प्राकृतिक और

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)* अधिकार-प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार-जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपरिहार्य अधिकार हैं-ये ऐसे अधिकार हैं जो हैं -

एक गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व से अविभाज्य-की गरिमा

व्यक्तिगत रूप से, मनुष्यों के बीच समानता और स्वतंत्रता की खोज भारतीय संविधान के मूलभूत स्तंभ हैं।

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*)*

संदर्भ क्षेत्र-आयोजितः संदर्भ न्यायालय यात्रा नहीं कर सकता है

दिए गए संदर्भ से परे और केवल उन प्रश्नों के उत्तर देने तक सीमित है जिन्हें संदर्भित किया जाता है। *(* अभय मनोहर सप्रे, जे.*)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

इस देश के निवासियों के बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाएगा उद्देश्य। तत्काल संदर्भ में, उक्त योजना पर हमले का आधार

यह है कि इस तरह के डेटा का संग्रह "गोपनीयता के अधिकार" का उल्लंघन है। यह मुद्दा मानवाधिकारों के संरक्षण पर आधारित एक संवैधानिक संस्कृति की नींव तक पहुंचता है और संवैधानिक व्याख्या के लिए चुनौतियों को प्रस्तुत करता है।

पकड़नाः प्रति न्यायालयः

(i) एम. पी. शर्मा में निर्णय जिसमें कहा गया है कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है, खारिज कर दिया गया है*;*

((ii) खड़क सिंह में इस हद तक निर्णय लिया गया है कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है।

(iii) निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के एक आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। संविधान*; (iv)* खड़क सिंह के बाद के निर्णय जिन्होंने उपरोक्त *(iii)* में स्थिति का प्रतिपादन किया है, कानून में सही स्थिति निर्धारित करते हैं। *[* पैरा *2] [998-*जी-एच*; 999-*ए-बी*]*

पी. ई. आर. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. *:*

1. प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकारः निजता एक संगत है

व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखने का अधिकार। यह इस धारणा में एक मूल पाता है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक या अंतर्निहित हैं। प्राकृतिक

अधिकार अपरिहार्य हैं क्योंकि वे मानव व्यक्तित्व से अविभाज्य हैं। प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व के बिना जीवन में मानव तत्व की कल्पना करना असंभव है। प्राकृतिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। वे मनुष्यों में इसलिए हैं क्योंकि वे मनुष्य हैं। वे व्यक्ति में समान रूप से मौजूद हैं। चाहे वर्ग या स्तर, लिंग या अभिविन्यास कुछ भी हो। सभी मनुष्य अपने अपरिहार्य अधिकारों को बनाए रखते हैं *(*चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो,

चाहे उनका कार्य कुछ भी हो, चाहे उनका अपराध या निर्दोषता कुछ भी हो*)*। प्राकृतिक अविभाज्य अधिकारों की अवधारणा मानव सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट को स्वायत्तता प्रदान करती है।

प्राणियों। लेकिन स्वायत्तता निरपेक्ष नहीं है, सरल कारण से।

कि, अविच्छेद्य अधिकारों की अवधारणा यह मानती है कि

कुछ अधिकार जिन्हें कोई भी इंसान अलग नहीं कर सकता है। जबकि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के स्वतंत्रता को चुनने और संरक्षित करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, फिर भी व्यक्ति की स्वायत्तता पूर्ण या पूर्ण नहीं है। एक सैद्धांतिक निर्माण के रूप में, यह अन्यथा सख्ती से संभव होगा।

स्वयं को मारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को काम पर रखना या खुद को गुलामी या दासता में बेचना। हालाँकि ये अधिनियम स्वायत्त हैं, लेकिन ये अपरिहार्य अधिकारों का उल्लंघन होंगे। *[* पारस *40,44-45] [667-E; 669-F*

जी*; 670-*ए-बी*]*

जॉन द्वारा सरकार का दूसरा ग्रंथ *(1690)*
लॉक, इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियां *(1765)*

विलियम ब्लैकस्टोन द्वारा अमेरिकी घोषणा

स्वतंत्रता *(1776);* मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा *(1789);* रोस्को पाउंड, द स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ, मार्शल जोन्स कंपनी *(1921);*

रोस्को पाउंड, "द रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ", नोट्रे डेमने लॉयर *(1942),* वॉल्यूम। *27* , नंबर *4;* एक व्यवहारवादी प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों को देखता है *(1955)* एडविन डब्ल्यू पैटरसन द्वारा; अधिकारों को गंभीरता से लेना *(1977)*

रोनाल्ड ड्वोर्किन द्वारा-संदर्भित।

2. भारत में गोपनीयता सिद्धांत का विकासः निजता के अधिकार का पता उन निर्णयों में लगाया गया है जो चार दशकों से अधिक समय से अनुच्छेद *21* में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी और अनुच्छेद *21* में निर्धारित स्वतंत्रताएँ।

इस न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार पर अलग-अलग संदर्भों में विचार किया गया है जो व्यक्ति के विकल्पों और स्वायत्तता को दोहराते हैं। नागरिक। हालाँकि, यह कमी उस आधार के सैद्धांतिक सूत्रीकरण के संबंध में है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि निजता का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है या नहीं। एम पी

शर्मा को इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी; खरक सिंह ने इसे कुछ असंगत सूत्रीकरण में निपटाया जबकि गोबिंद ने अनुमान पर आराम किया। *[* पारस *91,92] [711-*एच*; 712-*डी-एफ*]*

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. *1950* एस. सी. *27:*

[1950] एससीआर *88;* रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ *(1970) 1* एससीसी *248: [1970] 3* एस. सी. आर. *530;* गोविंद बनाम। मध्य प्रदेश राज्य *(1975) 2* एससीसी *148:*

[1975] एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

: .

3 एस. सी. आर. *946;* मेनका गांधी बनाम। भारत संघ *(1978) 1* एस. सी. सी. *248 [1978] 2* एस. सी. आर. *621;* आर. राजगोपाल बनाम। तमिलनाडु राज्य *(1994) 6* एससीसी *632: [1994] 4.*पूरक। एस. सी. आर. *353;* पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। संघ

भारत सरकार *(1997) 1* एससीसी *301: [1996] 10* पूरक। एससीआर *321 ;* सतवंत सिंह साहनी बनाम। डी. रामुरत्नम *[1967] 3* एससीआर *525;* आर. एम. मलकानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य *(1973) 1* एस. सी. सी. *471;* मलक सिंह बनाम। पंजाब राज्य और

हरियाणा *(1981) 1* एस. सी. सी *420 [1981] 2* एस. सी. आर. *311;* राज्य

महाराष्ट्र का बनाम। मधुर नारायण मर्डीकर *(1991) 1* एस. सी. सी. *57;* भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम। प्रो. मनुभाई डी शाह *(1992) 3* एससीसी *637: [1992] 3* एस. सी. आर. *595;* इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स *(*बॉम्बे*)* प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ *(1985) 1* एससीसी *641: [1985] 2* एस. सी. आर. *287;* श्री एक्स वी. अस्पताल जेड *(1998) 8* एससीसी *296*। *: [1998]*

1 पूरक। एससीआर *723;* पी. यू. सी. एल. बनाम। भारत संघ *(1997) 1*

एस. सी. सी. *301 [1996]-10* पूरक। एस. सी. आर. *321;* राज्य

कर्नाटक बनाम. कृष्णप्पा *(2000) 4* एससीसी *75: [2000] 2* एससीआर *761;* सुधांशु शेखर साहू बनाम। उड़ीसा राज्य *(2002) 10* एससीसी *743: [2002] 5* पूरक। एससीआर *536;* शारदा बनाम धर्मपाल *(2003) 4* एससीसी *493: [2003] 3* एस. सी. आर. *106;* जिला पंजीयक और कलेक्टर, हैदराबाद बनाम। केनरा

बैंक *(2005) 1* एस. सी. सी. *496: [2004] 5* पूरक। एस. सी. आर. *833;* पी. आर. मेत्रानी बनाम आयकर आयुक्त *(2007) 1* एस. सी. सी. *789: [2006] 9* पूरक। एस. सी. आर. *1;* राजस्व निदेशालय बनाम। मोहम्मद निसार होलिया *(2008) 2* एससीसी *370: [2007] 12* एससीआर *906;* अनुज गर्ग बनाम। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया

(2008) 3 एससीसी *1: [2007] 12* एस. सी. आर. *991;* हिंसा विरोधी संघ बनाम। मिर्जापुर मोती सुरेश जमात *(2008) 5* एससीसी

33 : [2008] 4 एस. सी. आर. *1020;* महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत शांति लाल शाह *(2008) 13* एस. सी. सी. *5: [2008] 12* एससीआर *1083;* सुचिता श्रीवास्तव बनाम। चंडीगढ़

प्रशासन *(2009) 9* एस. सी. सी. *1;* भावेश जयंती लखानी बनाम। महाराष्ट्र राज्य *(2009) 9* एससीसी *551: [2009] 12* एस. सी. आर. *861;* सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य *(2010) 7* एससीसी *263: [2010] 5* एस. सी. आर. *381;* भबानी प्रसाद जेना

वी. उड़ीसा राज्य महिला आयोग *(2010) 8* एस. सी. सी. *633: [2010] 9* एस. सी. आर. *457;* अमर सिंह बनाम भारत संघ *(2011) 7* एससीसी *69: [2011] 6* एस. सी. आर. *403;* राम जेठमलानी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

वी. भारत संघ *(2011) 8* एससीसी *1: [2011] 8* एससीआर *725;* संजय नारायण बनाम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय *(2011) 13*

एससीसी *155 [2011] 10* एससीआर *781;* रामलीला मैदान

एससीसी *1: [2012] 4* एस. सी. आर. *971;* बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी *(2012) 13* एस. सी. सी. *61: [2012] 11* एस. सी. आर. *1032;* लिल्लू *@Rajesh* वी. राज्य हरियाणा *(2013) 14* एस. सी. सी. *643;* थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम। केरल राज्य *(2013) 16*

एससीसी *82: [2013] 14* एससीआर *475;* मनोज नरूला बनाम। संघ

भारत *(2014) 9* एस. सी. सी. *1: [2014] 9* एस. सी. आर. *965;* राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ *(2014) 5* एस. सी. सी. *438;* ए. बी. सी. बनाम। राज्य *(*दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र*) (2015) 10* एस. सी. सी. *1: [2015] 8* एस. सी. आर. *422;* उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता

रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम। भारत संघ *(2016) 5* एससीसी *1:*

[2016] 11 एस. सी. आर. *419*-संदर्भित।

बॉयड वी. संयुक्त राज्य अमेरिका *116* यूएस *616 (1886);* वुल्फ बनाम।

कोलोराडो *338* यूएस *25 (1949);* ग्रिसवोल्ड बनाम। कनेक्टिकट

381 यूएस *479 (1965);* जेन रो बनाम। हेनरी वेड *410* यूएस

113 (1973) - संदर्भित किया गया।

3.1 मानव गरिमा संविधान का एक अभिन्न अंग है। के खिलाफ गारंटी में गरिमा के प्रतिबिंब पाए जाते हैं

मनमानी *(*अनुच्छेद *14),* स्वतंत्रता के दीपक *(*अनुच्छेद *19)* और

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में *(*अनुच्छेद *21)*। जीवन अपने आप में अनमोल है। लेकिन जीवन उन स्वतंत्रताओं के कारण जीने लायक है जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं जैसा उसे जीना चाहिए। सबसे अच्छा।

जीवन को कैसे जीना चाहिए, इस बारे में निर्णय व्यक्ति को सौंपे जाते हैं। वे लगातार सामाजिक परिवेश द्वारा आकार ले रहे हैं।

कौन से व्यक्ति मौजूद हैं। राज्य का कर्तव्य निर्णय लेने की क्षमता की रक्षा करना है-व्यक्ति की स्वायत्तता-और उन निर्णयों को निर्देशित करना नहीं। अनुच्छेद *21* के अर्थ के भीतर 'जीवन' भौतिक शरीर की अखंडता तक सीमित नहीं है। अधिकार किसी के अस्तित्व को उसके पूर्ण अर्थों में समझता है। जीना ही जीना है।

गरिमा के साथ। संविधान के मसौदा तैयार करने वालों ने समाज के बारे में अपनी दृष्टि को परिभाषित किया जिसमें अन्य स्वतंत्रताओं के साथ-साथ स्वतंत्रता और गरिमा पर जोर देकर संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त किया जाएगा। तो। मौलिक गरिमा है कि यह भाग *III* द्वारा व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकारों के मूल में व्याप्त है। गरिमा वह मूल है जो

मौलिक अधिकारों को एकजुट करता है क्योंकि मौलिक अधिकार जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.*

भारत का संघ

प्रत्येक व्यक्ति के लिए अस्तित्व की गरिमा प्राप्त करने का प्रयास करें। निजता अपने परिचर मूल्यों के साथ व्यक्ति को गरिमा का आश्वासन देती है और यह तभी हो सकता है जब जीवन का आनंद गरिमा के साथ लिया जा सके।

वास्तविक पदार्थ। *[* पारस *96,106* और *107] [714-*बी*; 718-*बी-ई*]*

855 ; फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली *(1981) 1* एस. सी. सी. *608 [1981] 2* एस. सी. आर. *516;* बंधुआ मुक्ति
मोर्चा वी. भारत संघ *(1984) 3* एससीसी *161: [1984] 2* एस. सी. आर. *67;* खेड़त मजदूर चेतना संगठन बनाम। राज्य

एम पी *(1994) 6* एस. सी. सी. *260;* एम नागराज बनाम। भारत संघ *(2006) 8* एससीसी *212: [2006] 7* पूरक। एससीआर *336;*

महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाम
सच्चिकित्सा प्रसार मंडल *(2010) 3* एस. सी. सी. *786:*

[2010] 3 एस. सी. आर. *91;* डॉ. मेहनूद नय्यर आज़म बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य *(2012) 8* एससीसी *1: [2012] 8* एससीआर *651;*

शबनम वी. भारत संघ *(2015) 6* एससीसी *702;* जीजा
घोष बनाम। भारत संघ *(2016) 7* एससीसी *761: [2016] 4* एस. सी. आर. *638-*संदर्भित।

3.2 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। उस चरित्र में ये अधिकार मानव अस्तित्व से अविभाज्य हैं। उन्हें संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है, यह एक मान्यता है

संवैधानिक दस्तावेज से पहले भी उनका अस्तित्व था। *[* पैरा *108] [719-*एफ*]*

गोलक नाथ बनाम। पंजाब राज्य *[1967] 2* एससीआर *762;* इंदिरा नेहरू गांधी बनाम। राज नारायण *(1975) 1* पूरक। एस. सी. सी. *1;* मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ *(1980) 3* एससीसी *625:*

[1981] 1 एस. सी. आर. *206-*निर्भर।
बेहराम खुर्शीद पेसिकाका बनाम। बम्बई राज्य

[1955] 1 एस. सी. आर. *613-*संदर्भित।

4.1 निजता स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए आंतरिक है: यह निवेदन कि निजता के अधिकार को मान्यता देना एक अभ्यास है

जिसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी और न्यायिक व्याख्या का मामला नहीं हो सकता है, एक स्वीकार्य सैद्धांतिक *[2017] 10* एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थिति. तर्क यह मानता है कि निजता का अधिकार है के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं से स्वतंत्र

यह स्वीकार करता है कि एक इंसान के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीना आवश्यक है उन स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं को पूरा करना जो संविधान की आधारशिला हैं। गोपनीयता के मूल्य को पहचानने के लिए

संवैधानिक हकदारी और ब्याज एक नया गठन नहीं है।

न्यायिक माध्यम से संशोधन की प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकार

फिएट। न तो न्यायाधीश हैं और न ही न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को संविधान में संशोधन करने की संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

संविधान। *[* पैरा *113] [726-*डी-एफ*]*

उन्नीकृष्णन बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य *(1993) 1* एससीसी

645 : [1993] 1 एस. सी. आर. *594-*पर निर्भर।

4.2 संविधान का मसौदा तैयार किया गया और इसे ऐतिहासिक संदर्भ में अपनाया गया। संस्थापक पिताओं की दृष्टि समृद्ध हुई उन लोगों की पीड़ा का इतिहास जिन्होंने उत्पीड़न का सामना किया और

यहाँ और कहीं और गरिमा का उल्लंघन। फिर भी, इस बात पर विवाद करना मुश्किल होगा कि कई समस्याएं जो समकालीन हैं

· समाज के चेहरे लोगों के दिमाग में मौजूद नहीं होते

सबसे विशिष्ट ड्राफ्ट्समैन। कोई पीढ़ी नहीं, सहित वर्तमान में, समाधान या विश्वास पर एकाधिकार हो सकता है

भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की अपनी क्षमता में। जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, वैसे-वैसे संवैधानिक सिद्धांत भी विकसित होना चाहिए। वे संस्थान जिनका संविधान तेजी से चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीले ढंग से अनुकूलन करना चाहिए

ज्ञान अर्थव्यवस्था में वृद्धि। सबसे बढ़कर, संवैधानिक

व्याख्या न्याय, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। • प्रत्येक नागरिक की गरिमा। *[* पैरा *116] [728-*बी-डी*]*

4.3 निस्संदेह, विचलन हुए हैं। में

भारत में उस सिद्धांत का विकास, जो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को सबसे आगे रखता है, कुछ असंगत टिप्पणियाँ हुई हैं। उनमें से दो ए. डी. एम. जबलपुर और सुरेश कौशल हैं। ए. डी. एम. जबलपुर में बहुमत वाले सभी चार न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं।

ये अधिकार मौलिक अधिकार हैं। वे प्राकृतिक कानून के तहत अधिकारों का गठन करते हैं। गरिमा स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है।

न्याय नहीं के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

सभ्य राज्य जीवन पर अतिक्रमण करने पर विचार कर सकता है और कानून के अधिकार के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता। न तो जीवन और न ही स्वतंत्रता राज्य द्वारा प्रदत्त उपहार हैं और न ही संविधान इन अधिकारों का निर्माण करता है। संविधान के आने से पहले भी जीवन का अधिकार मौजूद रहा है। अधिकार को मान्यता देते हुए,

संविधान अधिकार का एकमात्र भंडार नहीं है। यह.

यह सुझाव देना बेतुका होगा कि अधिकारों के विधेयक के बिना एक लोकतांत्रिक संविधान राज्य द्वारा शासित व्यक्तियों को जीने के अधिकार या अधिकार के प्रवर्तन के साधनों के अस्तित्व के बिना छोड़ देगा। जीवन का अधिकार अपरिहार्य है

प्रत्येक व्यक्ति, यह संविधान से पहले मौजूद था और जारी रहा

मानव व्यक्तित्व, अर्थात् राज्य को जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता जिनकी दया पर ये अधिकार निर्भर करेंगे। इस तरह का निर्माण कानून के शासन की मूल नींव के विपरीत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होने पर आधुनिक राज्य में निहित शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। ए. डी. एम. जबलपुर होना चाहिए

और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। *[* पारस *117,119* और *121] [728-*ई*; 734-*ए*-*ई*; 735-*बी*]*

ए. डी. एम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला *(1976) 2* एस. सी. सी. *521: [1976]* पूरक। एस. सी. आर. *172;* भारत संघ बनाम। भानुदास

कृष्ण गावडे *(1977) 1* एस. सी. सी. *834: [1977] 2* एससीआर

719 - खारिज कर दिया।

आई आर कोएल्हो बनाम। तमिलनाडु राज्य *(2007) 2* एससीसी *1: [2007] 1* एस. सी. आर. *706-*संदर्भित।

कोरेमात्सु बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका *23* यूएस *214 (1944)-*संदर्भित को।

4.4 सुरेश कौशल में कहा गया है कि "देश की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा समलैंगिकों, समलैंगिकों का है।

उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर "निजता के अधिकार से इनकार करने का एक स्थायी आधार नहीं है। यौन अभिविन्यास गोपनीयता की एक अनिवार्य विशेषता है। यौन अभिविन्यास के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की गरिमा और आत्म-मूल्य के लिए गहरा अपमानजनक है।

व्यक्ति को। समानता की मांग है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास को एक समान मंच पर संरक्षित किया जाना चाहिए।

जिस तरह से कौशल ने निजता से निपटा है-गरिमा एल. जी. बी. टी. व्यक्तियों के आधारित दावे अस्थिर हैं। *[* पारस *126,*

128] [737 - ई, जी*; 738-*ए, जी*]*

सुरेश कुमार कौशल बनाम। एनएजेड फाउंडेशन *(2014) 1*

एससीसी *1: [2013] 17* एससीआर *116-*अस्वीकृत।

एक दूसरे के साथ लोग। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद *12* निजता के अधिकार को मान्यता देता है। इसी तरह, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा *(*आईसीसीपीआर*)*

आई. सी. सी. पी. आर. को मानवाधिकार साधन के रूप में संदर्भित करता है। आई. सी. सी. पी. आर राज्यों पर अपने मानदंडों का सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने का दायित्व डालता है। किसी राज्य का कर्तव्य है कि वह इस आदेश का सम्मान करे कि उसे इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए

दाहिनी ओर। जनादेश की रक्षा करने का कर्तव्य जो सरकार को करना चाहिए

इसे निजी दलों के हस्तक्षेप से बचाएँ। *[* पारस *129,130] [739-*बी*; 740-*सी*]*

बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य *(1980) 2* एस. सी. सी. *684;* विशाखा बनाम। राजस्थान राज्य *(1997) 6* एससीसी *241 -*

संदर्भित किया गया।

5.2 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून और घरेलू क़ानून के बीच विरोधाभास है, वहां न्यायालय बाद वाले को प्रभावी बनाएगा। वर्तमान मामले में, कोई नहीं है

भारत और संविधान द्वारा ग्रहण किए गए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच विरोधाभास। न्यायालय आसानी से किसी भी विसंगति का अनुमान नहीं लगाएगा। इसके विपरीत, संवैधानिक

प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए जिससे वैश्विक मानवाधिकार शासन के साथ उनकी अनुरूपता बढ़े। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* का एक जिम्मेदार सदस्य है।

भारत का संघ

और न्यायालय को एक ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो देश द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं, विशेष रूप से जहां इसके संवैधानिक और वैधानिक जनादेश कोई विचलन नहीं दर्शाते हैं। *[* पैरा *133] [741-*जी*; 742-*ए-बी*]*

तुलनात्मक कानून

6. प्रत्येक देश अपनी संवैधानिक और कानूनी संरचना द्वारा शासित होता है। संवैधानिक संरचनाओं का पालन होता है

इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक सिद्धांत और मूल्यों के साथ संबंध जिसे एक समाज अपने संस्थापक सिद्धांतों के रूप में मानता है। विदेशी

इतिहास के आधार पर विभिन्न क्षेत्राधिकारों में निजता के अधिकार का अर्थ किस तरह से लगाया गया है, वे इसका संकेत हैं। समाज जिनका वे शासन करते हैं और उनके सामने क्या-क्या चुनौतीएँ हैं। अमेरिकी संविधान में निजता का स्पष्ट अधिकार नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका में निजता का अधिकार *1996* के संविधान में विधेयक अधिकारों की धारा *14* में निहित किया गया है। हालाँकि *1982* का कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स स्पष्ट रूप से गोपनीयता के अधिकार के लिए प्रदान नहीं करता है, लेकिन कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चार्टर के कुछ वर्गों पर भरोसा किया गया है। निजता के अधिकार को मान्यता दें। *[* पैरा *134] [742-*सी-जी*; 750-*एफ*; 770-*सी*; 776-*एच*; 777-*ए*]*

पीटर सेमायने बनाम। रिचंड ग्रेशम *77* ईआर *194;* प्रिंस। अल्बर्ट वी। अजीब *(1849) 41* ई. आर. *1171;* काये बनाम। रॉबर्टसन *[1991]* एफएसआर *62;* आर वी। गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय के निदेशक,

एक्स पार्टी स्मिथ *[1993]* एसी *1;* वेनराइट बनाम। गृह कार्यालय *[2004] 2* एसी *406;* डगलस बनाम। हैलो लिमिटेड *[2001]* क्यू. बी. *967;* कैम्पबेल बनाम। एम. जी. एन. *[2004] 2* ए. सी. *457;* ए वी. बी इंक *[2003]* क्यू. बी. *195;* डगलस बनाम हैलो लिमिटेड *[2006]* क्यू. बी. *125;*

एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम हिज रॉयल हाइनेस

द प्रिंस ऑफ वेल्स *[2006]* ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल *1776;* मर्रे

वी. बिग पिक्चर्स *(*यूके*)* लिमिटेड *[2008] 3* डब्ल्यूएलआर *1360;* आर वी। महानगर के पुलिस आयुक्त *[2011]* यूकेएससी *21 ;* जेएस वी. न्यूज ग्रुप न्यूजपेपर्स लिमिटेड *[2016]* यूकेएससी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

26 ; बॉयड वी. संयुक्त राज्य अमेरिका *116* यूएस *616 (1886);* मेयर बनाम। नेब्रास्का *262* यू. एस. *390 (1923);* पियर्स बनाम। सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स

वी. जॉर्जिया *394* यू. एस. *557 (1969);* आइजेनस्टैड बनाम। बेयर्ड *405* यूएस *438 (1972);* पेरिस एडल्ट थिएटर *I* बनाम। स्लैटन *413* यूएस

मैरीलैंड *442* यू. एस. *735 (1979);* नियोजित पितृत्व बनाम। केसी *505* यूएस *833 (1992);* मिनेसोटा बनाम। कार्टर *525* यूएस *83 (1998);* मिनेसोटा बनाम। ओल्सन *495* यूएस *91 (1990);*

काइलो वी। संयुक्त राज्य अमेरिका *533* यूएस *27 (2001);* लॉरेंस बनाम। टेक्सास *539* यूएस *558 (2003);* बोवर्स बनाम। हार्डविक *478* यूएस *186 (1986);* नासा बनाम। नेल्सन *562* यूएस *134 (2011);*

व्हालेन वी। रो *429* यूएस *589 (1977);* निक्सन बनाम। सामान्य सेवाओं के प्रशासक *433* यू. एस. *425 (1977);* संयुक्त राज्य अमेरिका वी. जोन्स *565* यूएस *400 (2012);* फ्लोरिडा बनाम। जार्डिन्स *569* यूएस *1 (2013);* रिले बनाम। कैलिफोर्निया *573* यू. एस. *(2014);* ओबर्गेफेल बनाम। हॉजेस *576* यू. एस. *(2015);* राष्ट्रीय मीडिया

लिमिटेड वी। जूस्टे *1996 (3)* एसए *262 (ए);* बर्नस्टीन बनाम। बेस्टर और अन्य *1996 (2)* एसए *751 (*सीसी*);* राष्ट्रीय गठबंधन

समलैंगिक और समलैंगिक समानता के लिए *v.* न्याय मंत्री *1999 (1)* एसए *6 (*सीसी*);* जाँच निदेशालयः गंभीर अपराध *v.* हुंडई मोटर डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड *2001 (1)*

एस. ए. *545 (*सी. सी.*);* गृह मंत्री और एक अन्य *v.* फ़ौरी और एक अन्य *2006 (1)* एसए *524 (*सीसी*);* एनएम और अन्य बनाम। स्मिथ और अन्य *2007 (5)* एसए *250 (*सीसी*);* संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। मिलर *425* यूएस *435 (1976);* एस और मार्पर

वी. यूनाइटेड किंगडम *[2008]* ईसीएचआर *1581;* एस्चर एट अल वी। ब्राज़ील इंटर-एम। सीटी। एच. आर *(*सर। *(*ग*)* संख्या *200;* हंटर वी। साउथम इंक *[1984] 2* एससीआर *145;* आरवी। संयंत्र *[1993] 3* एस. सी. आर. *281;* महामहिम, द क्वीन *v.* वाल्टर टेसलिंग *(2004)* एससीसी *67;* आर वी। स्पेंसर *(2014)* एससीसी *43-* संदर्भित

को।

7. निजता की मूलभूत धारणाओं को हटा दिया गया है।

2017 में "ए टाइपोलॉग जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम" शीर्षक से प्रकाशित मौलिक लेख।

भारत का संघ

गोपनीयता "पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जर्नल में प्रकाशित

अंतर्राष्ट्रीय कानून। लेख में दो प्राथमिक अक्षों को प्रस्तुत करने वाला आरेखात्मक प्रतिनिधित्व था जिसमें स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर जोर दिया गया थाः अकेले रहने की स्वतंत्रता और

आत्म-विकास के लिए स्वतंत्रता। आरेख के अनुसार, गोपनीयता के नौ प्राथमिक प्रकार हैं *(i)* शारीरिक गोपनीयता जो दर्शाती है भौतिक शरीर की गोपनीयता। इसमें निहित नकारात्मक स्वतंत्रता है।

दूसरों को अपने शरीर का उल्लंघन करने या शारीरिक आंदोलन की स्वतंत्रता को रोकने में सक्षम होना*; (ii)* स्थानिक गोपनीयता जो एक निजी स्थान की गोपनीयता में परिलक्षित होता है जिसके माध्यम से दूसरों की पहुंच को स्थान तक सीमित किया जा सकता है*;* अंतरंग संबंध और पारिवारिक जीवन स्थानिक गोपनीयता का एक उपयुक्त उदाहरण हैं*; (iii)*

संचार संबंधी गोपनीयता जो किसी व्यक्ति को संचार तक पहुंच को प्रतिबंधित करने या संचार को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने में परिलक्षित होती है।

जानकारी का उपयोग जो तीसरे पक्ष को संप्रेषित किया जाता है*; (iv)* स्वामित्व गोपनीयता जो तथ्यों, चीजों या जानकारी को दूसरों से बचाने के साधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने में किसी व्यक्ति के हित से परिलक्षित होती है*; (v)* बौद्धिक गोपनीयता जो परिलक्षित होती है।

विचार और मन की गोपनीयता और राय और विश्वासों के विकास में व्यक्तिगत रुचि के रूप में*; (vi)* निर्णयात्मक गोपनीयता मुख्य रूप से अंतरंग निर्णय लेने की क्षमता से परिलक्षित होती है।

इसमें किसी की यौन या प्रजननशील प्रकृति और अंतरंग संबंधों के संबंध में निर्णय शामिल हैं*; (vii)* सहयोगी गोपनीयता जो व्यक्ति की यह चुनने की क्षमता में परिलक्षित होती है कि वह किसके साथ बातचीत करना चाहती है*; (viii)* व्यवहार संबंधी गोपनीयता जो सार्वजनिक रूप से संचालन करते समय भी किसी व्यक्ति के गोपनीयता हितों को पहचानती है।

दृश्यमान गतिविधियाँ। व्यवहार संबंधी गोपनीयता यह मानती है कि जब दूसरों को पहुंच प्रदान की जाती है, तब भी व्यक्ति को नियंत्रण का अधिकार होता है।

जानकारी दी। *[* पैरा *142] [799-*जी*; 800-*ए*,* ई-जी*; 801-*ए-सी*]* *8.1* संविधान सभा और निजताः मौलिकवादी व्याख्या की सीमाएँः इस दौरान हुई थी बहस

प्रत्येक को गारंटी देने के प्रस्ताव पर संविधान का मसौदा तैयार करना

नागरिक को खंड *9 (*घ*)* में पत्राचार की गोपनीयता का अधिकार और अनुचित खोजों और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के खिलाफ सुरक्षित होने का संरक्षण

पत्राचार और खोज और बरामदगी। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि संविधान सभा ने स्पष्ट रूप से निजता के अधिकार की धारणा को एक अभिन्न अंग के रूप में अस्वीकार करने का संकल्प लिया

द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता और स्वतंत्रताओं का तत्व

मौलिक अधिकार। *[* पैरा *148] [801-*सी; *804-*डी, जी*]*

8.2 संविधान की व्याख्या को इसकी मूल समझ से रोका नहीं जा सकता है। संविधान विकसित हुआ है और

वर्तमान और भविष्य की आकांक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर विकसित होना चाहिए। न ही न्यायाधीश भविष्य में उत्पन्न होने वाली हर चुनौती और आकस्मिकता का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यह है।

विशेष रूप से एक ऐसे युग में प्रासंगिकता जहां प्रौद्योगिकी सूचना, ज्ञान और ज्ञान की हमारी मौलिक समझ को फिर से आकार देती है। मानव संबंध जो हाल के दिनों में भी अज्ञात थे। इसलिए आज संविधान की व्याख्या करने वाले न्यायाधीशों के रूप में, न्यायालय

आने वाली पीढ़ियों के लिए मिलने का रास्ता खुला छोड़ देना चाहिए

गोपनीयता के लिए चुनौती जो आज अज्ञात हो सकती हैं। *[* पैरा

149] [805 - डी-ई*]*

8.3 . संविधान के जन्म के समय भी, स्थापना

पिताओं ने संविधान सभा में माना कि, उदाहरण के लिए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता को समझेगी। इसलिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी की व्याख्या लोगों की स्वतंत्रता तक विस्तार करने के लिए की गई है।

प्रेस करें। प्रेस की स्वतंत्रता की मान्यता पैदा नहीं करती है न्यायिक आदेश द्वारा, एक नया मौलिक अधिकार है, लेकिन यह उस अधिकार की स्वीकृति है, जो अंतर्निहित है और जिसके बिना बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी पूरी नहीं होगी। इसी तरह, अनुच्छेद *21* की व्याख्या एक स्पेक्ट्रम को शामिल करने के लिए की गई है

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिकार, जानने का अधिकार, साधनों का अधिकार जैसे अधिकार हथकड़ी लगाने और त्वरित सुनवाई जैसे मामलों में आपराधिक कानून और प्रक्रिया के संदर्भ में अधिकारों के एक समूह के अलावा संचार और शिक्षा का अधिकार। *[* पैरा *150] [806-*डी-एफ*]*

सतवंत सिंह साहनी बनाम। डी. रामारत्नम एपीओ नया

· दिल्ली *[1967] 3* एससीआर *525;* सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली

प्रशासन *(1978) 4* एससीसी *494:*

[1979] 1 एससीआर *392;* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

चार्ल्स सोबराज बनाम। सुपदी। केंद्रीय जेल *(1978) 4* एस. सी. सी. *104 : [1979] 1* एससीआर *512;* एम. एच. होसकोट बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र *(1978) 3* एससीसी *544: [1979] 1* एस. सी. आर. *192;* हुसैनारा खातून बनाम। गृह सचिव, बिहार राज्य *(1980) 1* एस. सी. सी. *81: [1979] 3* एस. सी. आर. *169;* प्रेम शंकर शुक्ला बनाम। दिल्ली प्रशासन *(1980) 3* एससीसी *526:*

[1980] 3 एससीआर *855;* शीला बारसे बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र *(1983) 2* एससीसी *96: [1983] 2* एस. सी. आर. *337;* भारत का ए. जी. बनाम। लच्मा देवी *(1989)* पूरक। *1* एस. सी. सी. *264;* परमानंद कटारा बनाम। भारत संघ *(1989) 4* एससीसी *286: [1989] 3* एससीआर *997;* शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम। एन के

टोटामे *(1990) 1* एस. सी. सी. *520;* विरेन्द्र गौर बनाम। की स्थिति

हरियाणा *(1995) 2* एससीसी *577: [1994] 6* पूरक। एस. सी. आर. *78;* रुदल साह बनाम। बिहार राज्य *(1983) 4* एससीसी *141: [1983] 3* एससीआर *508;* उमेश कुमार बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य *(2013) 10* एससीसी *591: [2013] 14* एस. सी. आर. *212;* ओल्गा टेलिस बनाम। बॉम्बे नगर निगम *(1985) 3* एस. सी. सी. *545: [1985] 2* पूरक। एससीआर *51;* सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली

प्रशासन *(1978) 4* एससीसी *494: [1979] 1* एससीआर *392*

पुष्टि की।

-

अप्रचलित। इसलिए, यह संविधान के मसौदा तैयार करने वालों के साथ-साथ उस दस्तावेज के लिए भी अन्याय होगा, जिसे उन्होंने तैयार किया था। इसकी व्याख्या को एक मौलिकवादी तक सीमित करने के लिए पवित्र किया गया

व्याख्या। *[* पैरा *151] [808-*एफ*]*

9. क्या निजता के लिए वैधानिक संरक्षण एक संवैधानिक अधिकार से इनकार करने का कारण है*?*

एक संवैधानिक तत्व के साथ एक अधिकार को लागू करने का उद्देश्य

वैधानिक संरक्षण संवैधानिक सिद्धांत को उलटना है। वास्तव में, विधायी संरक्षण कई मामलों में एक संवैधानिक अधिकार की स्वीकृति और मान्यता है जिसकी आवश्यकता है - सुरक्षात्मक कानूनों के माध्यम से प्रभावी और लागू किया गया। लेकिन जब किसी अधिकार को आंशिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में एक मजबूत संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाती है

[2017] 10 एस सी आर।

III, यह एक कसौटी प्रदान करता है जिस पर कार्यकारी निर्णय लेने की वैधता का आकलन किया जा सकता है और न्यायिक समीक्षा द्वारा कानून की वैधता निर्धारित की जा सकती है। *{* पैरा *153] [809-*ई-एफ*]*

10. अभिजात वर्ग की रचना नहीं

10.1 यह निवेदन कि निजता का अधिकार एक अभिजात्य है

निर्माण जो आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से अलग है

शेष समाज का गठन करने वाला बड़ा बहुमत अस्थिर है।

यह प्रस्तुतिकरण संविधान की गलतफहमी को दर्शाता है।

प्रश्न, जांच करने का अधिकार और असहमति का अधिकार जो एक जानकार नागरिक को सरकार के कार्यों की जांच करने में सक्षम बनाता है। *[*पैरा *154] [810*-सी-ई*]*

10.2 सामाजिक-आर्थिक अधिकारों से वास्तविक लाभ मिलना चाहिए

जिनके लिए वे अभिप्रेत हैं। स्वतंत्रता की स्थितियाँ और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का एक जीवंत दावा निरंतर विकास को बढ़ावा देता है।

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों और उनके औचित्य की समीक्षा

अभाव और अभाव को दूर करने में प्रभावशीलता। जनता की जांच मामले स्वतंत्रता के अस्तित्व पर आधारित हैं। इसलिए सिविल

अंतरंगता और स्वायत्तता जो गोपनीयता की रक्षा करती है। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक आंतरिक और मूल विशेषता के रूप में गोपनीयता है जो एक व्यक्ति को जबरन वसूली के कार्यक्रम के खिलाफ खड़े होने में सक्षम बनाती है। नसबंदी। फिर से, यह गोपनीयता है जो एक शक्तिशाली गारंटी है

यदि राज्य को सहमति न देने वाले पुरुषों या महिलाओं के लिए अनिवार्य दवा परीक्षण शुरू करना था। विवाह की पवित्रता, प्रजनन की स्वतंत्रता, पारिवारिक जीवन का चुनाव और होने की गरिमा

ऐसे मामले हैं जो सामाजिक स्तर या आर्थिक कल्याण की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित हैं।

खुशी की खोज की नींव जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

स्वायत्तता और गरिमा पर। दोनों ही आवश्यक विशेषताएँ हैं -

गोपनीयता जो व्यक्तियों के जन्म चिन्हों के बीच कोई अंतर नहीं करती है। *[*पैरा *157] [814*-बी-सी*]*

11. न केवल एक सामान्य कानून अधिकार

एक बार गोपनीयता को जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की सुरक्षा की घटना माना जाता है।

पेड़। केंद्रीय विषय यह है कि गोपनीयता जीवन का एक आंतरिक हिस्सा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भाग *III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताएँ जो इसे संवैधानिक सिद्धांत के मूल के रूप में संरक्षण का हकदार बनाती हैं। संविधान द्वारा निजता का संरक्षण इसे मुक्त करता है, जैसा कि था,

सांविधिक कानून की अनिश्चितताओं से जो एक बहुसंख्यकवादी के लिए खुली विधायी रद्दियों की सीमा के अधीन है

सरकार। किसी भी संक्षिप्तता को आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अनुच्छेद *21*, अनुच्छेद *19* या प्रासंगिक स्वतंत्रता द्वारा निर्धारित। द.

संवैधानिक अधिकार को एक ऐसे आधार पर रखा गया है जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्वतंत्रता का प्रतीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को अवांछित घुसपैठ से बचाती है। सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में, यह

राज्य को व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय अपनाने के लिए बाध्य करता है। *[* पैरा *158] [814-*डी-जी*]*

मैक्स प्लैंक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्पेरेटिव

संवैधानिक कानून *(2015)*-संदर्भित।

12.1 पर्याप्त देय प्रक्रियाः अनुच्छेद *21* के मसौदे के आसपास के संवैधानिक इतिहास में बहुत कुछ है।

संविधान सभा द्वारा संविधान के मसौदे से 'कानून की उचित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति को हटाने के लिए जानबूझकर और अध्ययन किए गए निर्णय का प्रतिबिंब जब संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा में डॉ. बी.

आर अम्बेडकर ने इस वाक्यांश को शामिल किया था, लेकिन अमेरिका में निर्णय लेने की प्रक्रिया की अनिश्चितताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद इसे हटा दिया गया, जिसमें उचित प्रक्रिया खंड की व्याख्या शामिल थी। महत्वपूर्ण रूप से, हमारे निर्माताओं के दिमाग में प्रस्तुत करें

संविधान इस आधार पर उचित प्रक्रिया खंड के आधार पर अमेरिका में सामाजिक कल्याण कानून का अमान्यकरण था कि

इसने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की श्रम के लिए एक मुक्त बाजार में काम करने के लिए खुद को पेश करने की अनुबंध की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया।

यह मॉडल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

स्पष्ट रूप से उन लोगों से अपील नहीं की जिन्होंने भारतीय संविधान में इसी तरह के वाक्यांश को शामिल करने का विरोध किया था। स्पष्ट रूप से 'देय'

प्रक्रिया 'को अभिव्यक्ति प्रक्रिया के साथ प्रतिस्थापित किया गया था कानून द्वारा स्थापित '। 'लिबर्टी' को 'व्यक्तिगत' द्वारा योग्य बनाया गया था। *[* पैरा

163] [815 - सी*; 826-*एफ-जी*; 827-*ए-बी*]*

12.2 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद *14*, मनमानेपन के खिलाफ एक गारंटी के रूप में,

अनुच्छेद *21* की संपूर्णता। मनमानेपन के खिलाफ गारंटी और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच अंतर-संबंध एक बहुआयामी स्तर पर काम करता है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करता है

कि वंचित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। उचित है। दूसरा, अनुच्छेद *14* प्रक्रिया और दोनों को प्रभावित करता है।

अभिव्यक्ति "कानून"। अनुच्छेद *21* के अर्थ के भीतर एक कानून होना चाहिए।

अनुच्छेद में उत्पन्न निष्पक्षता के मानदंडों के अनुरूप होना

14. सिद्धांत के रूप में, एक बार अनुच्छेद *14* का इससे संबंध है

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विधायी अतिक्रमण के खिलाफ एक शक्तिशाली गारंटी है। इस अधिकार को सौंपने से संविधान द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दिए गए संरक्षण के महत्व को कम कर दिया जाएगा। इसलिए,

जबकि वैधता के लिए संवैधानिक चुनौतियों में न्यायिक समीक्षा

कानून का प्रयोग एक सचेत सम्मान के साथ किया जाता है

संवैधानिकता का अनुमान और शक्तियों के पृथक्करण के लिए

न्यायालय में निहित संवैधानिक शक्ति को लोगों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के एक जीवंत साधन के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। व्यक्तियों। *[* पारस *163,165* और *166] [829-*डी-एच*; 830-*ए*]*

मिथु वी. पंजाब राज्य *(1983) 2* एससीसी *277: [1983] 2* एस. सी. आर. *690;* मद्रास राज्य बनाम वी. जी. रो *[1952]* एस. सी. आर. *597;* ए. के. रॉय बनाम भारत संघ *(1982) 1* एससीसी *271: [1982] 2* एस. सी. आर. *272;* सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार

(1984) 4 एससीसी *90: [1985] 1* एस. सी. आर. *303;* मो. आरिफ वी.

उच्चतम न्यायालय *(2014) 9* एस. सी. सी. *737: [2014]*

11 एस. सी. आर. *1009;* राजबाला बनाम। हरियाणा राज्य *(2016) 2* एससीसी *445: [2015] 12* एस. सी. आर. *1106*-संदर्भित।

12.3 इसे न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* के अभ्यास के रूप में समझने का खतरा।

भारत का संघ

' मूल देय प्रक्रिया 'यह है कि इसके परिणामस्वरूप निगमन होता है

अमेरिकी संविधान की एक अवधारणा जो सचेत रूप से थी

जब संविधान बनाया गया था तब इसे स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अलावा, यहां तक कि इसके मूल देश में भी, ठोस उचित प्रक्रिया ने न्यायिक व्याख्या की अनिश्चितताओं को जन्म दिया है। *[* पैरा *167] [830-*बी*]*

13.1 निजता की अनिवार्य प्रकृति
गोपनीयता के लिए एक निजी स्थान के आरक्षण को अभिनिर्धारित करता है

निजता की धारणा व्यक्ति को मानव तत्व पर जोर देने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से अविभाज्य है। व्यक्ति को। चुनाव करने की क्षमता के बिना, अनुल्लंघनीयता

व्यक्तित्व पर संदेह होगा। निजता के क्षेत्र को पहचानना यह केवल एक स्वीकृति है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के क्रम को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए।

इसलिए निजता अपने आप में मानवीय गरिमा का एक अभिधारणा है। निजता व्यक्ति को प्रचार की खोज की चमक से बचाता है

वे मामले जो उसके जीवन के लिए व्यक्तिगत हैं। निजता उस व्यक्ति से जुड़ी होती है न कि उस स्थान से जहां वह जुड़ी हुई है। निजता सभी स्वतंत्रता की नींव है क्योंकि यह निजता में है।

कि व्यक्ति यह तय कर सके कि स्वतंत्रता का सबसे अच्छा प्रयोग कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत गरिमा और गोपनीयता एक पैटर्न में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। एक बहुवचन संस्कृति के ताने-बाने में विविधता के धागे से बुना गया। *[* पैरा *168] [830-*डी-जी*; 831-*बी-सी*]*

13.2 संविधान में कोई अलग अनुच्छेद नहीं है

हमें बताते हुए कि निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। न ही हमने भाग *III* के प्रावधानों को गोपनीयता के अल्फा प्रत्यय अधिकार के साथ टैग किया हैः यह न्यायिक पुनर्लेखन का कार्य नहीं है। गोपनीयता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। दोनों के भीतर रहते हैं

जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अपरिहार्य मूल्य जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है। यह एक संवैधानिक मूल्य है जो

यह मौलिक अधिकारों के दायरे में फैला हुआ है और व्यक्ति के लिए पसंद और आत्मनिर्णय के क्षेत्र की रक्षा करता है। *[* पैरा

169] [832 - ई-एफ}

14 सूचनात्मक गोपनीयता सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

14.1 सूचना के युग ने जटिल मुद्दों को जन्म दिया है

सूचनात्मक गोपनीयता के लिए। ये मुद्दे सूचना की प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। जानकारी के तीन पहलू हैंः यह गैर प्रतिद्वंद्वी है,

अदृश्य और पुनः संयोजक। जानकारी में गैर-प्रतिद्वंद्वी है

एहसास है कि अच्छे के एक साथ उपयोगकर्ता हो सकते हैं

का उपयोग

एक व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी दूसरे व्यक्ति को कम उपलब्ध नहीं कराती है। दूसरा, डेटा गोपनीयता के आक्रमण हैं

पता लगाना मुश्किल है क्योंकि वे अदृश्य हो सकते हैं। जानकारी मिल सकती है

बिना किसी सूचना के पहुँचा, संग्रहीत और प्रसारित किया जाए। प्रकाश की गति से यात्रा करने की इसकी क्षमता पहुंच की अदृश्यता को बढ़ाती है।

आंकड़ों के अनुसार, "सूचना संग्रह सभी की सबसे तेज चोरी हो सकती है"।

तीसरा, जानकारी इस अर्थ में पुनः संयोजक है कि डेटा आउटपुट

अधिक डेटा आउटपुट उत्पन्न करने के लिए एक इनपुट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। *[* पैरा *173] [835-*सी-ई*]*

14.2 डेटा सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था का निर्माण एक जटिल कार्य है।

जो डेटा उप-संरक्षण राज्य की वैध चिंताओं के साथ मिलकर कार्य करता है। जबकि यह राज्य के वैध हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है, फिर भी राज्य को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एक मजबूत व्यवस्था बनाएँ जो तीन गुना की पूर्ति सुनिश्चित करे

आवश्यकता है कि एक न्यायसंगत ठहराने के लिए अस्तित्व में एक कानून होना चाहिए निजता पर अतिक्रमण अनुच्छेद की एक स्पष्ट आवश्यकता है

21. क्योंकि, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। कानून का अस्तित्व एक अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरा,

एक आवश्यकता की आवश्यकता, एक वैध राज्य उद्देश्य के संदर्भ में, यह सुनिश्चित करती है कि कानून की प्रकृति और सामग्री जो लागू करती है प्रतिबंध अनुच्छेद *14* द्वारा अनिवार्य तर्कसंगतता के क्षेत्र के भीतर आता है, जो मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। एक वैध राज्य उद्देश्य की खोज यह सुनिश्चित करती है कि कानून स्पष्ट मनमानेपन से पीड़ित न हो। वैधता, एक अभिधारणा के रूप में,

इसमें एक मूल्य निर्णय शामिल है। न्यायिक समीक्षा की फिर से सराहना नहीं की जाती है या दूसरा, विधायिका के मूल्य निर्णय का अनुमान लगाएं, लेकिन यह तय करने के लिए है कि क्या जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वह न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

स्पष्ट या प्रकट मनमानेपन से। तीसरी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा अपनाए गए साधन हैं -

कानून द्वारा उद्देश्य और जरूरतों को पूरा करने के लिए आनुपातिक। आनुपातिकता प्रतिभूति का एक अनिवार्य पहलू है।

मनमानी राज्य कार्रवाई क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता कानून के उद्देश्य के लिए असमान नहीं है। *[* पारस *177,180] [838-*ए, जी*; 839-*ए-ई*]*

14.3 राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा, राज्य हो सकता है

डेटा के संग्रह और भंडारण के लिए उचित कारण। समाज कल्याण राज्य में सरकार कार्यक्रमों की शुरुआत करती है।

जो समाज के गरीब और वंचित वर्गों को लाभ प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करने में राज्य का महत्वपूर्ण हित है कि इसकी कमी हो

सार्वजनिक संसाधन उन व्यक्तियों को संसाधनों के हस्तांतरण से नष्ट नहीं होते हैं जो प्राप्तकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। मानव विकास के लिए संसाधनों का आवंटन एक वैध प्रावधान के साथ किया जाता है।

यह चिंता है कि संसाधनों का उपयोग बाहरी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डेटा माइनिंग कि संसाधनों को वैध रूप से तैनात किया गया है

लाभार्थी राज्य के लिए प्रामाणिक डेटा के संग्रह पर जोर देने का एक वैध आधार है। लेकिन, राज्य ने जो डेटा एकत्र किया है, उसका उपयोग राज्य के वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए

और बाहरी के लिए अनधिकृत रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए उद्देश्य। यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायसंगत चिंताएँ

गोपनीयता संबंधी चिंताओं की रक्षा करते हुए राज्य विधिवत रूप से सुरक्षित हैं। अपराध की रोकथाम और जांच और राजस्व की सुरक्षा इसके वैध उद्देश्यों में से हैं।

राज्य। समाज कल्याण राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण साधन हैं। सूचना प्रौद्योगिकी-वैध रूप से तैनात नवाचार और ज्ञान के प्रसार में एक शक्तिशाली प्रवर्तक है। *[* पैरा *181] [839-*एफ-एच*; 840-*ए-बी*]*

सांसद शर्मा बनाम. सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली *[1954]* एस. सी. आर. *1077;* खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *[1964] 1* एस. सी. आर. *332-*आंशिक रूप से खारिज।

स्वास्थ्य मंत्री वी. उपचार कार्रवाई अभियान *(2002)*
5 एस. ए. *721 (*सी. सी.*)-*संदर्भित।

बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन *(1967),* वॉल्यूम।

2 , पृष्ठ *75* पर; अमर्त्य सेन, स्वतंत्रता के रूप में विकास,

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2000)*, पृष्ठ *180* पर; अमर्त्य

सेन, "द कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉयज़", ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

प्रेस, *Pg.80-81;* एडविन कैमरून और मैक्स टेलर,

" मण्डेलाक अप्रयुक्त क्षमता

संविधान ", सार्वजनिक कानून *(2017);* अन्ना जॉनसन

कॉर्नेल, "निजता का अधिकार", थॉमस कूली, ट्रीटीज

ऑन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स *(1888)*, दूसरा संस्करण-संदर्भित।

पेर आर. एफ. नरीमन, जे.

1. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी विशिष्ट के अभाव में

नगरपालिका कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून में निषेध भारतीय कानून का हिस्सा है और इसके परिणामस्वरूप इसे हमारे कानून में या उसके हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मौलिक अधिकार। *[* पैरा *29] [866-डी-ई]*

बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य *(1980) 2* एससीसी *684;*

फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और ओआरएस। *(1981) 1* एससीसी *608: [1981] 2* एस. सी. आर. *516;*

विशाखा और ओआरएस। वी. राजस्थान राज्य और अन्य। *(1997) 6*

एससीसी *241: [1997] 3* पूरक। एस. सी. आर. *404;* राष्ट्रीय कानूनी

सेवा प्राधिकरण बनाम। भारत संघ *(2014) 5* एससीसी *438*

- पर भरोसा किया।

सेमायने का मामला *77* ईआर *194;* हकल बनाम। पैसा *95* ई. आर.

768 (1763) ; एंटिक वी. कैरिंगटन *95* ईआर *807 (1765);*

दा कोस्टा बनाम। जोन्स *98* ईआर *1331 (1778);* बर्नेट बनाम।

कोरोनाडो ऑयल एंड गैस कं. *285* यू. एस. *393 406* पर *(1932)* - संदर्भित किया गया है

2. इस तथ्य को देखते हुए कि एम. पी. शर्मा के फैसले में केवल

अनुच्छेद *20 (3)* के साथ और अन्य मौलिक अधिकारों के साथ नहीं;

तथ्य यह है कि निजता के अधिकार वाली *1948* की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को न्यायालय को इंगित नहीं किया गया था; इस तथ्य को देखते हुए कि यह एक ऐसे युग में दिया गया था जब मौलिक अधिकार थे।

अधिकारों को जलरोधी डिब्बों में अलग-अलग पढ़ा जाना था; और इस तथ्य को देखते हुए कि अनुच्छेद *21* जैसा कि हम आज जानते हैं, केवल मेनका गांधी के बाद के युग में जीवन में आया, यह निर्णय है

जहाँ तक मौलिक अधिकारों के अध्याय में निजता के अधिकार के आधार का संबंध है, यह पूरी तरह से नुकसान के रास्ते से बाहर है। खड़क सिंह मामले में *4* न्यायाधीशों के बहुमत के फैसले को खारिज कर दिया गया।

अधिवास से संबंधित विनियमन *236* का उपखंड *(*बी*)*

आई जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

रात में दौरा करें। इस अदालत ने कहा कि अनुच्छेद *21* में उपयोग किए गए "जीवन" का अर्थ केवल पशु अस्तित्व और "स्वतंत्रता" से कुछ अधिक होना चाहिए जो केवल शारीरिक संयम से मुक्ति से कुछ अधिक है। द.

बहुमत के फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद *19 (1)* और अनुच्छेद *21*

अलग से पढ़ें, और इसलिए पढ़ें कि अनुच्छेद *19 (1)* व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विशेष प्रजातियों या विशेषताओं से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद *21* अवशेषों को लेता है और इसमें शामिल करता है। अगर रास्ते में

रात में अधिवास यात्राओं से संबंधित निर्णय और इसे निरस्त करना बाद के मार्ग के विपरीत है जिसमें दूसरे को बरकरार रखा गया है।

अध्याय या अन्यथा। चूंकि बहुमत का निर्णय इस महत्वपूर्ण पहलू पर विरोधाभासी है, इसलिए यह कहना सही होगा कि इसे एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है। किसी भी मामले में, बहुमत निर्णय एक अच्छा कानून है जब यह अनुच्छेद *21* की बात करता है जो एक सबसे प्रिय व्यक्ति के रूप में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

पूर्ण विकास और विकास के साधनों को सुनिश्चित करने वाला मूल्य

एक इंसान का। बहुमत का निर्णय यह इंगित करने में भी सही है कि अनुच्छेद *21* अवैध घुसपैठ को रोकता है। एक व्यक्ति का घर। जहाँ बहुमत का निर्णय गलत हो जाता है, वह यह ठहराने में है कि मौलिक अधिकार जलरोधक डिब्बों में हैं और यह ठहराने में कि निजता का अधिकार एक गारंटीकृत अधिकार नहीं है।

संविधान के तहत। *[*पारस *36,37* और *42] [872*-ए-ई*; 875*-बी ई*]*

ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य *[1950]* एससीआर *88;* मोहम्मद। आरिफ वी. पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य। *(2014)*

9 एससीसी *737: [2014] 11* एससीआर *1009;* आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ *(1970) 1* एस. सी. सी. *248 [1970] 3* एस. सी. आर. *530*

मेनका गांधी बनाम। भारत संघ *(1978) 1* एससीसी *248: [1978] 2* एस. सी. आर. *621;* गोविंद बनाम. मध्य प्रदेश राज्य, *(1975) 2* एस. सी. सी. *148 [1975] 3* एस. सी. आर. *946;* अतिरिक्त न्यायाधीश। निष्पादित करें। पीड़ित परिवार संघ और ए. एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। *(2017) 8* एस. सी. सी. *417;* जिला पंजीयक और कलेक्टर, हैदराबाद और अन्र। वी. केनरा बैंक आदि।

(2005) 1 एससीसी *496: [2004] 5* पूरक। एस. सी. आर. *833*-आश्रित -

पर।

जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम। बैंक ऑफ कोचीन *(1980), 2* एस. सी. सी. सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2017] 10 एसजीआर।

360 [1980] 2 एस. सी. आर. *913;* चार्ल्स सोबराज बनाम। दिल्ली प्रशासन *(1978) 4* एससीसी *494: [1979] 1* एससीआर *392;*

प्रेम शंकर शुक्ला बनाम। दिल्ली प्रशासन *(1980) 3*

एससीसी *526: [1980] 3* एस. सी. आर. *855*-संदर्भित।

3.1 एक साधारण संसदीय बहुमत द्वारा सांविधिक कानून बनाया जा सकता है और बनाया नहीं जा सकता है। संक्षेप में, सत्तारूढ़ दल अपनी इच्छानुसार ऐसा कर सकता है।

किसी कानून में निहित किसी भी या सभी संरक्षणों को समाप्त करना।

दूसरी ओर, मौलिक अधिकार इसमें निहित हैं -

संविधान ताकि ऐसे अधिकार हों जो इस देश के नागरिकों को सरकारों के चुनाव के बावजूद प्राप्त हो सकें। यह तब और भी अधिक होता है जब व्यक्ति की निजता जैसा कोई विशेष मौलिक अधिकार एक "अपरिहार्य" अधिकार होता है जो व्यक्ति में निहित होता है क्योंकि वह एक इंसान है। की मान्यता

मौजूदा क़ानून या भविष्य में बनाया जाने वाला कोई भी क़ानून निजता के अपरिहार्य अधिकार का उल्लंघन है, यह न्यायालय तब ऐसे मौलिक अधिकार के खिलाफ ऐसे क़ानून का परीक्षण करने की आवश्यकता होगी और यदि यह पाया जाता है कि ऐसे अधिकार का उल्लंघन हुआ है,

बिना किसी प्रतिकूल सामाजिक या सार्वजनिक हित के, यह होगा

इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे विधान को निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में शून्य घोषित करे। *[* पैरा *56] [883*-जी-एच; *884*-ए-सी*]*

खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य *(1995) 1*

एससीसी *574: [1994] 4* पूरक। एससीआर *477;* कृष्ण कुमार नरूला बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य *[1967] 3* एससीआर *50;* हर शंकर बनाम। दि. उत्पाद शुल्क और कराधान समुदाय

(1975) 1 एससीसी *737: [1975] 3* एस. सी. आर. *254*-संदर्भित।

मिलर बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका *425* यू. एस. *435 (1976);* स्टेनली

वी. जॉर्जिया *22* एल. एड. *2* डी *542;* काट्ज़ बनाम। संयुक्त राज्य *389* यू. एस. *347 (1967);* मिनेसोटा बनाम। कार्ट *525* यू. एस. *83,119* एस. सी. टी. *469 477* पर; काइलो बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका *533* यू. एस. *27,121* एस. सी. टी. *2038 2043 (2001)* में-संदर्भित।
3.2 "निजता की उचित अपेक्षा" का परीक्षण किया गया था

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नीचे।

हालांकि यह परीक्षण न्याय के एस पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

कई बाद के निर्णयों द्वारा भी लागू किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, इस परीक्षण के अनुप्रयोग की आलोचना की गई है। यह है।

इसलिए स्पष्ट करें कि इसके मूल देश में, यह परीक्षण हालांकि बाद के कुछ निर्णयों में अनुसरण किया गया है, विषय रहा है।

आलोचना का विषय। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के परीक्षण में कोई हमारे संविधान के अनुच्छेद *14,19,20* या *21* के पाठ में प्रशंसनीय आधार

संविधान। इसके अलावा परीक्षण इस अर्थ में वृत्ताकार है कि गोपनीयता का कोई आक्रमण नहीं है जब तक कि वह व्यक्ति जिसकी गोपनीयता है

आक्रमण करने वालों को निजता की उचित अपेक्षा थी। ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा रखता है या नहीं, यह निर्भर करना चाहिए।

कानून में क्या स्थिति है। इसके अलावा, यह परीक्षण आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है।

सूचना के साथ स्वेच्छा से भाग लेने के परीक्षण के साथ, जैसे कि जानकारी स्वेच्छा से विभाजित की जाती है, संबंधित व्यक्ति

उचित रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी गोपनीयता की कोई अपेक्षा नहीं है

ब्याज। *[* पारस *57,59] [884*-सी-डी; *886*-ए-बी*]*

4. हमारे संविधान में यह तीनों अंगों पर नहीं छोड़ा गया है

संविधान की व्याख्या करने के लिए राज्य का। जब संविधान की व्याख्या के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, तो अनुच्छेद *145 (3)* के तहत यह न्यायालय और केवल यही न्यायालय है जो

तय करें कि संविधान की व्याख्या क्या होगी, और

इस उद्देश्य के लिए संविधान इस न्यायालय के कम से कम *5* न्यायाधीशों को यह कार्य सौंपता है। *[* पैरा *66] [892-*बी-सी*]*

अशोक तंवर और अन्र। वी. एच. पी. और अन्य का राज्य। *(2005) 2* एससीसी *104: [2004] 6* पूरक। एससीआर *1065;* आई. आर. कोएल्हो *(*मृत*)* एल. आर. वी. तमिलनाडु राज्य और अन्य। *(2007) 2*

एससीसी *1: [2007] 1* एससीआर *706;* एम. नागराज और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। *(2006) 8* एससीसी *212: [2006] 7* पूरक। एस. सी. आर. *336-*पर निर्भर।

बेहराम खुर्शीद पेसिकाका बनाम। बॉम्बे राज्य *(1955)*

1 एस. सी. आर. *613;* बशेशर नाथ बनाम। सी. आई. टी. *[1959]* पूरक। *1* एससीआर *528;* ओल्गा टेलिस बनाम। बॉम्बे नगर निगम *(1985) 3* एस. सी. सी. *545: [1985] 2* पूरक। एससीआर *51-*संदर्भित

को। .

5. "संविधान की प्रस्तावना में "स्वतंत्रता" को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा का कहा गया है। यह कार्डिनल

मूल्य मौलिक अधिकारों के पूरे अध्याय में फैला हुआ पाया जा सकता है। यह अनुच्छेद *19 (1) (*ए*), 20,21,25* और *26* में पाया जा सकता है।

जैसा कि अच्छी तरह से है *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ज्ञात है, इस मुख्य संवैधानिक मूल्य से उधार लिया गया है

1789 के मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बंधुत्व का मूल मूल्य है जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति की गरिमा में व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास करने का अधिकार शामिल है।

उसकी क्षमता का विस्तार। और यह विकास तभी हो सकता है जब

व्यक्ति को मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर स्वायत्तता है और

व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार पर नियंत्रण जो ऐसी जानकारी के अनधिकृत उपयोग के माध्यम से उल्लंघन किया जा सकता है। यह है।

और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ। निजता का मौलिक अधिकार, जिसके कई विकासशील पहलू हैं, केवल हो सकता है एक मामले के आधार पर विकसित किया गया। उस विशेष पहलू के आधार पर जिस पर भरोसा किया जाता है, या तो अनुच्छेद *21* स्वयं या संयोजन में

अन्य मौलिक अधिकारों के साथ आकर्षित होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है।

यह कहना कि ऐसा अधिकार निरपेक्ष है। यह अधिकार वैध सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा बनाए गए उचित नियमों के अधीन है। राज्य हित या लोक हित। लेकिन जब बात आती है

इस अधिकार पर प्रतिबंध, विभिन्न अनुच्छेदों की कवायद जिसका अधिकार संबंधित है, का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि

निजता पर प्रतिबंध मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर है जो एक

व्यक्ति को करना है, राज्य की कार्रवाई को अनुच्छेद के तहत रोका जा सकता है

अनुच्छेद *19 (2)* में उल्लिखित विषय और इस न्यायालय द्वारा ऐसे विधान या अधीनस्थ विधान को पारित करने के लिए निर्धारित परीक्षण उक्त अनुच्छेद के तहत एकत्रित करें। इस न्यायालय द्वारा विकसित प्रत्येक परीक्षण, अनुच्छेद *21* के तहत कानून या कार्यकारी कार्रवाई के तहत पढ़ा जाता है।

अनुच्छेद *14* के साथ; या उपरोक्त उदाहरणों में अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के साथ पठित अनुच्छेद *21* को पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य कार्रवाई पारित कर सके।

मस्टर। अंतिम विश्लेषण में, व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य के हितों के बीच संतुलन बनाने का कार्य न्यायिक मस्तिष्क के प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। *[* पैरा *84,85* और *86] [907*-एच; *908*-ए-बी, ई-एफ; *909*-ए-ई*]*

आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य *(1994) 6* एससीसी *632: [1994] 4* पूरक। एस. सी. आर. *353;* पी. यू. सी. एल. बनाम

भारत संघ न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

(1997) 1 एस. सी. सी. *301 [1996] 10* पूरक। एससीआर *321;*

शारदा बनाम. धर्मपाल *(2003) 4* एससीसी *493: [2003] 3* एससीआर

106 - पर भरोसा किया।

मुन्न वी. इलिनोइस *94* यू. एस. *113 (1876);* वुल्फ बनाम। कोलोराडो *338* यू. एस. *25 (1949);* ओल्मस्टेड बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका *277*

438 474 पर; ग्रिसवोल्ड बनाम। कनेक्टिकट *381* यू. एस *479*

(1965) ; रो वी. वेड *410* यू. एस. *113 (1973);* लविंग बनाम। वर्जीनिया *388* अमेरिका *1,12,87* एस. सी. टी. *1817, 1823, 18*

L.Ed.2d 1010 (1967); स्किनर बनाम। ओक्लाहोमा *316* यू. एस.

535 , 541-542 , 62 एस. सी. *1110, 1113-1114,86 L. Ed. 1655 (1942);* आइजेनस्टैड बनाम। बेयर्ड *405* यू. एस. *438,453-454,92* एस. सी. टी. *1029, 1038-1039,31 L.Ed.2d 349 (1972);* प्रिंस

वी. मैसाचुसेट्स *321* यू. एस. *158,166,64* एस. *438, 442, 88* एल. एड. *645 (1944);* पियर्स बनाम। सोसायटी ऑफ सिस्टर्स *268* यू. एस. *510,535,45* एस. सी. टी. *571, 573, 69* एल. एड. *1070 (1925);*

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। जोन्स *565* यू. एस. *400 (2012);* व्हालेन बनाम। रो *429* यू. एस. *589 598* और *599* पर; एनएम और ओआरएस। वी. स्मिथ

& ओआरएस। *2007 (5)* एस. ए. *250 (*सी. सी.*)*-संदर्भित।

6. निजता के अधिकार की अपरिहार्य प्रकृति।

यह स्पष्ट है कि जिन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और घोषणाओं में भारत एक पक्ष था, अर्थात् *1948* की घोषणा और *1966* की घोषणा दोनों में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई थी।

इन मानवाधिकारों का एकमात्र भंडार होना लेकिन केवल प्रतिबिंबित करता है तथ्य यह है कि वे "अविभाज्य" थे; कि वे व्यक्ति के मनुष्य होने के कारण प्रत्येक मनुष्य में निहित हैं। दूसरा, इस फैसले के बाद के घटनाक्रमों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि

बहुमत निर्णय अब अच्छा कानून नहीं हैं और खन्ना, जे. की असहमति कानून का सही संस्करण है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993* की धारा *2 (1) (*डी*)* यह मान्यता देती है कि

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदर्भित जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का अधिकार

भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जाने वाले समझौते "मानवाधिकार" हैं: और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये अधिकार 'अविभाज्य' हैं क्योंकि वे व्यक्तियों में हैं क्योंकि वे मनुष्य हैं। *[* पैरा *90,92] [916-*जी-एच*; 917-*ए-डी*]:*

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम।

एस. एस. शुक्ला *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1976) 2 एससीसी *521: [1976]* पूरक। एससीआर *172*

थलाप्पलम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और
ओआरएस। , वी. केरल राज्य और अन्य। *(2013) 16* एससीसी *82:*

[2013] 14 एससीआर *475-*पुष्टि की गई।

7. निजता का अपरिहार्य मौलिक अधिकार

निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है पुनरीक्षित किया। इसलिए इन मामलों को निर्णय के लिए वापस भेज दिया जाता है।

इसके *3* माननीय न्यायाधीशों की मूल पीठ के गुण-दोष पर

फैसले के आलोक में अदालत। *[* पैरा *94] [920-*डी-एफ*]*

एम. पी. शर्मा और अन्य बनाम सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली और अन्य *1954* एससीआर *1077;* खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(1964) 1* एससीआर *332-*आंशिक रूप से

खारिज कर दिया।

पेर चेलामेश्वर, जे।

1.1 एम. पी. शर्मा में इस न्यायालय के विचार के लिए जो मुद्दा आया वह बी. ए. एम. था कि क्या उनसे दस्तावेजों की जब्ती की गई थी।

अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की अभिरक्षा के बराबर होगी -

"संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के तहत प्रशंसात्मक बाध्यता निषिद्ध है।

संविधान। "गवाही की मजबूरी" अभिव्यक्ति संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* में नहीं पाई जाती है। जनादेश अनुच्छेद *20 (3)* में निहित के खिलाफ नियम के रूप में वर्णित किया गया

"हमारे संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में निहित प्रशंसात्मक मजबूरी गोपनीयता का अधिकार पैदा करती है या क्या गोपनीयता का अधिकार किसी अन्य मौलिक अधिकार में निहित है। एम. पी. शर्मा में अनुच्छेद *21,14,19* या *25* आदि के तहत गारंटी की जांच नहीं की गई थी। सवाल यह है कि क्या यह मौलिक अधिकार है

गोपनीयता इन अनुच्छेदों से निहित है, इसलिए, एकीकृत है और एम. पी. शर्मा उस पहलू पर कोई अधिकार नहीं है। *[* पारस *4-7] [921*

डी-ई*; 922-*ए*; 923-*एफ*]*

एम. पी. शर्मा और अन्य बनाम

सतीश चंद्र और जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

अन्य *[1954]* एससीआर *1077:* ए. आई. आर *1954* एस. सी. *300 -* प्रतिष्ठित।

1.2 खरक सिंह में मुद्दा संवैधानिकता का था

यूपी के पुलिस नियम जो अन्य बातों के साथ-साथ 'निगरानी' के लिए प्रदान किए गए थे विभिन्न तरीकों से लोगों की कुछ श्रेणियों का निर्धारण, जैसे कि रात में अधिवास दौरा, आवाजाही का सत्यापन और

अनुपस्थिति आदि। दो निर्णय *(4:2)* दिए गए। बहुमत ने यह विचार रखा कि विवादित विनियमन जहां तक प्रदान किया गया है 'रात में अधिवास यात्राओं' के लिए असंवैधानिक है जबकि

अल्पसंख्यकों का मानना है कि विवादित विनियमन पूरी तरह से असंवैधानिक है। खरक सिंह बहुमत ने राय दी कि

जहाँ तक 'अधिवास यात्राओं' के लिए प्रावधान किया गया है, विवादित विनियमन स्पष्ट रूप से "अनुच्छेद *21* का उल्लंघन" है। उनके प्रभुत्त्वों पर भरोसा था अंग्रेजी सामान्य कानून में कहा गया है कि "हर आदमी का घर उसका महल है"। वास्तव में अधिवास यात्राएं अनुच्छेद *21* के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं। निर्णय में तार्किक असंगति है

कि एक ओर उनके प्रभुओं ने राय दी कि उक्ति

"प्रत्येक व्यक्ति का घर उसका महल है "अनुच्छेद *21* के तहत स्वतंत्रता का एक हिस्सा है, दूसरी ओर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक प्रावधान का अभाव है।

अमेरिका के चौथे संशोधन के समान गोपनीयता के अधिकार के दावे को नकार देगा। दोनों कथन तार्किक रूप से असंगत हैं। जब खरक सिंह में आक्षेपित अन्य प्रावधानों की संवैधानिकता की बात आई, तो उनके अध्यक्षों ने कहा कि ऐसे प्रावधान अनुच्छेद *21* का उल्लंघन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे संविधान के तहत निजता का कोई अधिकार नहीं है। सार में खरक सिंह

कि अल्पसंख्यक ने राय दी कि बंडल में अधिकारों में से एक गोपनीयता का अधिकार है। अल्पसंख्यकों की राय में निजता का अधिकार "व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य घटक" है। जबकि बहुमत ने कहा कि "निजता का अधिकार हमारे संविधान के तहत एक गारंटीकृत अधिकार नहीं है", और इसलिए इसे अनुच्छेद *21* में नहीं पढ़ा जा सकता है। बहुमत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है

अतार्किक और एक साधारण क़ानून की व्याख्या के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ; और के संदर्भ में पूरी तरह से अनुचित

संवैधानिक व्याख्या। *[* पारस *8-12] [924*-ए-बी, ई-जी; *925*-बी डी; *926*-बी-डी*]* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य *(1964)* एससीआर

बॉयड वी. संयुक्त राज्य अमेरिका *116* यू. एस. *616;* ग्रिसवोल्ड बनाम। कनेक्टिकट, *381* यू. एस. *479;* रो बनाम। वेड, *410* यू. एस.

(1973) – संदर्भित किया गया।

1.3 संविधान एक मौलिक कानून है जो

राज्य के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ और कर्तव्य और राज्य के अधिकार

राज्य के विषय और उस पर सीमाएँ। राज्य को कथित रूप से शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान वास्तव में हैं

राज्य की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की शक्ति पर सीमाएँ

विषय। संविधान की व्याख्या के संदर्भ में उद्देश्य का पता लगाने के लिए विश्लेषण की तीव्रता की आवश्यकता होती है -

अधिक गहरा होना। *[* पैरा *12] [926-*एफ*; 927-*ए-बी*]*

ए के गोपालन बनाम। मद्रास राज्य *[1950]* आकाशवाणी *27: [1950]*

एससीआर *88;* आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ *[1970] 3*

एससीआर *530: (1970) 1* एस. सी. सी. *248;* मेनका गांधी बनाम। भारत संघ *[1978] 2* एस. सी. आर. *621: (1978) 1* एस. सी. सी. *248;* केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य *[1973]* पूरक।

एस. सी. आर *1: (1973) 4* एस. सी. सी. *225-*संदर्भित।

वुल्फ वी। कोलोराडो, *338* यू. एस. *25;* सेमायने का मामला *(1604):*
कोक *91;* द मेलबर्न कॉर्पोरेशन बनाम। द.

राष्ट्रमंडल *(1947) 74* सी. एल. आर. *31-*संदर्भित।

2.1 एक नियम को अपनाना कि उद्देश्य को समझने के लिए संविधान का पाठ ही एकमात्र सामग्री है और

संविधान की योजना न केवल हानिकारक होगी

विषयों की स्वतंत्रता लेकिन प्रशासन को भी प्रदान कर सकती है

राज्य का अनावश्यक रूप से बोझिल। सौभाग्य से, इस न्यायालय ने इस तरह के अपवादों को छोड़कर व्याख्या का ऐसा नियम नहीं अपनाया

गोपालन और ए. डी. एम. जबलपुर। अन्यथा, यह न्यायालय अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* और अन्य अधिकारों के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं पा सकता था, जिन्हें अनुच्छेद के तहत गारंटी से प्रवाहित माना जाता था।
21. यह न्यायालय एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा आजीविका अर्जित करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, त्वरित त्रयी का अधिकार, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अधिकार और आजीविका प्राप्त करने का अधिकार पढ़ता है।

अनुच्छेद के तहत 'जीवन' अभिव्यक्ति में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण *21* भारतीय संविधान। इसी तरह, विदेश जाने का अधिकार और आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के अधिकार को न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* में पढ़ा गया।

भारत का संघ

अनुच्छेद *21* के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस अदालत ने पाया मृत्युदंड के विलंबित निष्पादन ने अनुच्छेद *21* के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकारों और 'स्वतंत्रता' दोनों का उल्लंघन किया और प्रजनन अधिकारों और व्यक्ति की स्वायत्तता का भी उल्लंघन किया।

आर्ट के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों में निहित होने के लिए नसबंदी। *21.* उपर्युक्त अधिकारों में से कोई भी नहीं मिला है।

संविधान के पाठ में कहीं भी। *[* पारस *13,15* और *16] [928]*

सी-डी; *929*-डी-ई; *930*-ए-बी*]*

सकल पेपर्स *(*पी*)* लिमिटेड और अन्य आदि। भारत संघ, *[1962]* एस. सी. आर. *842:* ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *305;* रोमेश थापर

वी. मद्रास राज्य *[1950]* एससीआर *594:* ए. आई. आर. *1950* एससी *124;* मिट्ठू आदि। पंजाब राज्य आदि। आदि। *[1983] 2* एस. सी. आर. *690:* ए. आई. आर. *1983* एस. सी. *473;* ओल्गा टेलिस बनाम। बॉम्बे

नगर निगम *[1985] 2* पूरक। एससीआर *51: (1985)*
3 एस. सी. सी. *545;* मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य *[1992] 3* एससीआर *658: (1992) 3* एस. सी. सी. *666;* उन्नी कृष्णन, जे. पी.

वी. ए. पी. राज्य *[1993] 1* एस. सी. आर. *594: (1993) 1* एससीसी *645;*

मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम। गुजरात राज्य
[1997] 3 पूरक। एससीआर *705: (1997) 7* एस. सी. सी. *622;* बिहार राज्य बनाम लाल कृष्ण आडवाणी *[2003] 3* पूरक। एससीआर *844: (2003) 8* एस. सी. सी. *361;* शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम। नारायण खिमलाल टोटामे *(1990) 1* एस. सी. सी. *520;* एम. सी मेहता बनाम

कमल नाथ *(2000) 6* एस. सी. सी. *2013;* सतवंत सिंह
साहनी वी। आसिस्टेंट। पासपोर्ट अधिकारी *[1967] 3* एससीआर *525;* हुसैनारा खातून बनाम। गृह सचिव, बिहार राज्य, *[1979]*

3 एससीआर *169: (1980) 1* एस. सी. सी. *81;* वथीस्वरन, टी. वी. वी. टी. एन. राज्य *[1983] 2* एस. सी. आर. *328: (1983) 2* एस. सी. सी. *68;* देविका विश्वास बनाम। भारत संघ *(2016) 10* एससीसी *726 ·*

पर भरोसा किया।

ए. डी. एम जबलपुर बनाम एस. एस. शुक्ला *[1976]* पूरक। एससीआर *172:*

ए. आई. आर. *1976* एस. सी. *1207*-संदर्भित।

2.2 संविधान केवल संविधान सभा के *284* सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज नहीं है। यह राजनीतिक रूप से पवित्र है।

एक कानूनी व्यवस्था को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए स्याही में लिखे गए दस्तावेज़ के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह प्रस्तावना में बताए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनाया गया एक वसीयतनामा है। भाग-*III*

उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए संविधान को शामिल किया गया है।

प्रस्तावना में निहित। *[* पैरा *18] [931*-ए-सी*] [2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केरल शिक्षा विधेयक, *1957 [1959]* एस. सी. आर. *995*

: ए. आई. आर. *1958* एस. सी. *956;* बिडी सप्लाई कं. *v.* भारत संघ

& अन्य, *[1956]* एससीआर *267:* ए. आई. आर. *1956* एस. सी. *479*-आश्रित

पर।

2.3 भारत का संविधान ऐसा ही एक विधान है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के संविधान तुलनात्मक हैं। और ऑस्ट्रेलिया केवल कुछ का उल्लेख करने के लिए। ऐसे सभी संविधान अलग हैं।

व्यक्तियों को सामूहिक रूप से विषय के रूप में संदर्भित किया जा सकता है)। इस तरह अधिकारों को "बुनियादी", "आदिम", "अविभाज्य" या "मौलिक" अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया। ऐसे अधिकार हैं -

राज्य की स्वतंत्रता को नष्ट करने की शक्ति के खिलाफ सुरक्षात्मक दीवार विषय। विभिन्न देशों में अपनाए गए नामकरण के बावजूद, ऐसे अधिकारों को सभी लोकतांत्रिक देशों में माना जाता है -

ऐसे अधिकार हों जिन्हें सामान्य विधान द्वारा संक्षिप्त या पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता है और जब तक कि यह स्थापित नहीं किया जाता है कि यह इतना आवश्यक है

समाज के व्यापक हित में उन अधिकारों को कम करें या उनमें कटौती करें। कई संविधानों में विभिन्न प्रावधान हैं।

परिचर शर्तें जो कोई भी कानून कम करने का इरादा रखता है ऐसे *(*मौलिक*)* अधिकारों का पालन करना आवश्यक है। *[* पैरा

20] [932 - सी-एफ*]*

2.4 हमारे संविधान की योजना यह है कि

राज्य संघ और संघ के बीच एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ विभाजित है राज्यों और शासन की तीन महान शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्षैतिज अक्ष के साथ। शक्ति के इस तरह के विभाजन को अनुकूल माना जाता है

भारत के लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना। उसी का उद्देश्य

एक लिखित संविधान का निर्माण भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि संविधान का लाभ उठाने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं आवश्यक हैं।

स्वतंत्रता और यह कि राज्य को उन स्वतंत्रताओं को रौंदने की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय कुछ महत्वपूर्ण और

समाज के व्यापक हितों में निर्दिष्ट उद्देश्य। इसलिए, इसके साथ असंगत कानून बनाने के लिए राज्य का अधिकार

मौलिक अधिकार, संवैधानिक रूप से घोषित सीमाओं के भीतर निहित हैं।

[पैरा *22] [933-*डी-ई*]* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

!

3.1 अभिव्यक्ति 'स्वतंत्रता' अपने भीतर लेने में सक्षम है

अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत, न केवल स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार *19 (1) (* घ*);* लेकिन अनुच्छेद *19 (1)* के तहत उल्लिखित अन्य स्वतंत्रताओं में से प्रत्येक भी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता न केवल अपने दायरे में आती है

शारीरिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं होने का अधिकार, बल्कि विचार, विश्वास, भावना और संवेदना और विविधता की स्वतंत्रता भी

अन्य स्वतंत्रताएँ। आई की सबसे बुनियादी समझ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति की वह करने की स्वतंत्रता है जो वह करता है।

प्रसन्न होता है। लेकिन स्वतंत्रता का विचार इससे अधिक जटिल है। *[* पैरा *27] [935-*डी-ई*]*

3.2 अब सवाल यह उठता है कि इसका उद्देश्य क्या है*?*

अभिव्यक्ति 'स्वतंत्रता' का हिस्सा। संविधान सभा सोचा कि यह उचित है कि स्वतंत्रता के कुछ पहलुओं को अधिक जोरदार बनाने की आवश्यकता है

घोषणा ताकि राज्य के अधिकार को सीमित किया जा सके

या उन्हें कम करें। इस तरह की जोरदार घोषणा की आवश्यकता इस राष्ट्र के इतिहास से उत्पन्न हुई। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, वह दो गुना है। सबसे पहले, अभिव्यक्ति 'स्वतंत्रता' को अर्थ का पता लगाने की तर्कपूर्ण प्रक्रिया से परे रखना।

अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, और दूसरी बात, उन गणना की गई स्वतंत्रताओं को कम करने के लिए राज्य के अधिकार को प्रतिबंधित करना, केवल संविधान के संबंधित खंड *(2)* से *(6)* में इंगित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए।

अनुच्छेद *19.* किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करने का राज्य का अधिकार पाठ्य रूप से असीमित है क्योंकि राज्य को उस परिणाम को प्राप्त करने में सक्षम बनाने की एकमात्र आवश्यकता है

अनुच्छेद *19 (1),* आवश्यकता हैः *((a)* केवल होना ही नहीं चाहिए एक कानून लेकिन ऐसी कानून को संबंधित उप-अनुच्छेद में इंगित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए*;* और *(*बी*)* घोषणा करने के लिए

कि अनुच्छेद *19 (1)* में उल्लिखित स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू केवल देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सभी विषयों के लिए नहीं।

अनुच्छेद *14* और *21* के तहत गारंटीकृत अधिकार सीमित नहीं हैं।

केवल नागरिकों के लिए लेकिन गैर-नागरिकों के लिए भी उपलब्ध विदेशी या

निगमित निकाय भले ही वे भारत आदि में निगमित हों।

[पैरा 28] [936-बी-डी; 937-ए-सी]

न्यूरेनबर्ग बनाम के हंस मुलर। अधीक्षक,
प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता और अन्य *[1955]* एस. सी. आर. *1284* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

: ए. आई. आर. *1955* एस. सी. *367;* भारतीय राज्य व्यापार निगम

लिमिटेड वी. वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य, *[1964]*
एस. सी. आर. *9* ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1811;* भारत-चीन भाप

3 एस. सी. सी. *554*-निर्भर
गोबिंद वी. एम. पी. राज्य *[1975] 3* एस. सी. आर. *946: (1975) 2*

एस. सी. सी. *148*-संदर्भित।

अब्राहम लिंकन का कथन 'गेटिसबर्ग स्पीच' -

संदर्भित किया गया।

3.3 सवाल यह है कि क्या इस देश के कानूनों के प्रति उत्तरदायी विषयों को निजता का मौलिक अधिकार है।

राज्य के खिलाफ। इस संबंध में संविधान का पाठ मौन है। इसलिए, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या ऐसा अधिकार किसी एक या अधिक मौलिक अधिकारों में निहित है।

संविधान का पाठ। निजता के अधिकार में तीन पहलू शामिल हैं अर्थात विश्राम, अभयारण्य और अंतरंग निर्णय। इनमें से प्रत्येक

मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए पहलू इतने आवश्यक हैं कि इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि निजता का अधिकार स्वतंत्रता का हिस्सा है। हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत। निजता की चिंता तब उत्पन्न होती है जब राज्य विषयों के निकाय में घुसपैठ करना चाहता है। शारीरिक

दंड भारत के लिए अज्ञात नहीं थे, उनका उन्मूलन हाल ही में हुआ है। राज्य द्वारा कुछ व्यक्तियों को जबरन खिलाया जाना गोपनीयता की चिंता पैदा करता है। आयु बढ़ाने वाले चिकित्सा उपचार से इनकार करने या अपने जीवन को समाप्त करने का किसी व्यक्ति का अधिकार एक और स्वतंत्रता है जो निजता के अधिकार के क्षेत्र में आती है। द.

यह मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। लेकिन विभिन्न अन्य क्षेत्राधिकारों में, उन मुद्दों पर एक बड़ी बहस है, हालांकि यह अभी भी एक धूसर क्षेत्र है। एक महिला की पसंद की स्वतंत्रता कि उसे सहन करना है या नहीं

बच्चा या उसकी गर्भावस्था का गर्भपात ऐसे क्षेत्र हैं जो इस दायरे में आते हैं - गोपनीयता। *[* पैरा *32,33,36* और *38] [938*-जी; *939*-ए-बी; *940*-डी; *941* सी-डी*]*

बिजोए इमैनुएल और ओआरएस वी। केरल राज्य और अन्य *[1986] 3* एससीआर *518: (1986) 3* एस. सी. सी. *615*-पर निर्भर था।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

ग्रिसवोल्ड वी. कनेक्टिकट *381* यूएस *479 (1965) 487;* स्टेनली

वी. जॉर्जिया, *394* यू. एस. *557 (1969);* स्किनर बनाम। ओकलाहोमा,

316 यू. एस. *535 (1942);* विलियम्स बनाम भय, *177* यू. एस. *270*

(1900) - संदर्भित किया गया।

गैरी बोस्टविक, 'गोपनीयता का वर्गीकरणः आराम करें, अभयारण्य, और अंतरंग निर्णय *'(1976) 64* कैलिफोर्निया कानून समीक्षा *1447*-संदर्भित।

3.4 इसी तरह, काम करने या न करने के लिए चुनने की स्वतंत्रता और काम की प्रकृति चुनने की स्वतंत्रता निम्नलिखित क्षेत्र हैं -

निजी निर्णय लेने की प्रक्रिया। स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार

विदेश यात्रा करने का अधिकार। व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता उनके निवास का स्थान एक बार फिर अनुच्छेद *19 (1) (*ई*)* के तहत भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त गोपनीयता के उनके अधिकार का एक हिस्सा है।

यद्यपि अनुच्छेद *19 (1)* में उपर्युक्त दो स्वतंत्रताओं की गणना करने का पूर्व-प्रमुख उद्देश्य संघीय और राज्य दोनों सरकारों को बाधा उत्पन्न करने से अक्षम करना है जो हैंः

हमारे देश की संघीय प्रकृति और उसके संविधान के साथ असंगत। रूप और परिधान का चयन भी है

निजता के अधिकार के पहलू। विषयों के कुछ समूहों की अपनी उपस्थिति और परिधान निर्धारित करने की स्वतंत्रता *(*जैसे -

लंबे बाल रखना और पगड़ी पहनना*)* गोपनीयता के अधिकार के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि उनके धार्मिक विश्वास के हिस्से के रूप में संरक्षित हैं। जरूरी नहीं कि ऐसी स्वतंत्रता अनुच्छेद *25* के तहत आने वाली धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हो। सूचनात्मक निशान भी एक ऐसा क्षेत्र है जो गोपनीयता के अधिकार के दायरे में आने वाले विभिन्न क्षेत्राधिकारों में भारी बहस का विषय है, जैसे कि डेटा व्यक्तिगत है।

राज्य द्वारा व्यक्तिगत डेटा की टैपिंग और इंटरनेट हैकिंग एक अन्य क्षेत्र है जो गोपनीयता के दायरे में आता है। तत्काल संदर्भ यह भारत संघ द्वारा इस देश के सभी निवासियों के संबंध में जैव मीट्रिक डेटा एकत्र करने के इस तरह के प्रयास से उत्पन्न होता है। उपर्युक्त कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गोपनीयता के कुछ हित

मौजूद हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण कुछ हद तक निजता के अधिकार की प्रकृति और दायरे को इंगित करते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता और *[2017] 10* एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यात्रा और निवास पूरी तरह से निजी हैं और गोपनीयता के अधिकार के दायरे में आते हैं। यह सबसे अंतरंग निर्णयों में से एक है। *[* पारस *38,39* और *40] [941-ई; 942-ए-जी; 943-ए]*

3.5 सभी उदार लोकतंत्रों का मानना है कि राज्य के पास कुछ पहलुओं में घुसपैठ करने का अयोग्य अधिकार नहीं होना चाहिए।

मानव जीवन और यह कि अधिकार संवैधानिक रूप से निर्धारित मापदंडों द्वारा सीमित होना चाहिए। मौलिक अधिकार ही एकमात्र हैं

मानव की स्वतंत्रता का गठन करने वाली उन मूल स्वतंत्रताओं में राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए संवैधानिक फ़ायरवॉल। निजता का अधिकार निश्चित रूप से मुख्य स्वतंत्रताओं में से एक है जो

अनुच्छेद *21* में अभिव्यक्ति। *[* पैरा *40] [943-*बी-सी*]* *4.1* यह बिना कहे चला जाता है कि कोई भी कानूनी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता है। हर अधिकार की सीमाएँ होती हैं। इसलिए, एक

निजता के मौलिक अधिकार की सीमाएँ हैं। सीमाएँ हैं -

दावा किए गए गोपनीयता हित की प्रकृति के आधार पर मामले-दर-मामले के आधार पर पहचान की जानी चाहिए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण करने के लिए समीक्षा के विभिन्न मानक हैं। जबकि अवधारणा

तर्कसंगतता भाग *III* पर हावी है, यह अलग तरह से काम करता है

लेखों में *(*भले ही कुछ में थोड़ा अलग हो*)* उन्हें*)*। *[* पैरा *42] [943-*डी-ई*]*

4.2 गोपनीयता के अधिकार को सीमित करने के लिए प्रचार किए गए विकल्प

इसमें शामिल हैं: *(i)* अनुच्छेद *14* प्रकार की तर्कसंगतता जांच*; (ii)* अनुच्छेद *19* के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार सीमा*; (iii)* एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और न्यायसंगत जांच।

अनुच्छेद *21* के अनुसार सीमा के लिए उचित आधार *(*यानी मूल नियत प्रक्रिया*);* और *(iv)* अनुच्छेद *21* के अनुसार एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित मानक और 'बाध्यकारी राज्य' के अनाकार मानक। ब्याज '। इन चार विकल्पों में से अंतिम उच्चतम मानक है

जांच जिसे एक अदालत अपना सकती है। यह इस सूची से है कि गोपनीयता के अधिकार को सीमित करने के लिए समीक्षा का एक मानक चुना जाना चाहिए। शुरुआत में, यदि कोई गोपनीयता दावा विशेष रूप से केवल एक से प्रवाहित होता है अनुच्छेद *19* के तहत स्पष्ट रूप से गणना किए गए प्रावधानों में से, तब समीक्षा का मानक स्पष्ट रूप से निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:

अनुच्छेद *19.* हालाँकि, गोपनीयता के दावे की संभावना है

कला के अलावा अन्य अधिकारों के लिए पूरी तरह से पता लगाने योग्य। *21* धुंधला होता है।

न्याय के बिना के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

उस संभावना को दरकिनार करते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कला। *21* है।

गोपनीयता गारंटी का आधार। अगर स्वतंत्रता की भावना निजता के हर दावे में व्याप्त है, तो यह असंभव नहीं तो मुश्किल है

यह कल्पना करने के लिए कि सीमा का कोई भी मानक, इसके तहत एक के अलावा

अनुच्छेद *21* लागू होता है। इस कारण से, इस निर्णय में उपलब्ध विकल्प उपरोक्त में से बाद के दो तक ही सीमित हैं।

चार का वर्णन किया। *[* पैरा *43,44] [[943-*एफ-जी*; 944-*ए-सी*]*

4.3 अनुच्छेद *21* के तहत समीक्षा के न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक को विस्तार की आवश्यकता नहीं है। यह भी सबसे आम है

अब तक गोपनीयता दावे से निपटने वाले मामलों में उपयोग किया जाता था। गोबिंद

राज्य हित 'और' संकीर्ण सिलाई 'की आवश्यकता *(*संकीर्ण सिलाई का अर्थ है कि कानून को प्राप्त करने के लिए संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए। उद्देश्य*)*। एक शब्द के रूप में, अमेरिका में बाध्यकारी राज्य हित की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस मानक को कुछ स्पष्टता के साथ अपनाया जाए कि कब और किस प्रकार की गोपनीयता का दावा है कि इसका उपयोग किया जाना है। केवल गोपनीयता के दावों में जो सबसे सख्त जांच के योग्य हैं, राज्य के हित को मजबूर करने का मानक है

उपयोग किया जाता है। अन्य के लिए, अनुच्छेद *21* के तहत न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक लागू होंगे। जब बाध्यकारी राज्य ब्याज मानक का उपयोग किया जाना है, तो यह ठोस के संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए।

मामले। *[* पैरा *45] [944-*डी-एफ*]*

तमिलनाडु, *[1974] 2* एस. सी. आर. *348:* ए. आई. आर. *1974* एस. सी. *555;* जिला पंजीयक और कलेक्टर, हैदराबाद बनाम। केनरा बैंक *[2004] 5* पूरक। एससीआर *833:* ए. आई. आर *2005* एस. सी *186;* महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत शांति, लाल शाह *(2008)*

12 एससीआर *1083: (2008) 13* एस. सी. सी. *5* संदर्भित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। कैरोलीन उत्पाद, *304* यू. एस. *144 (1938)*

डब्ल्यू. डब्ल्यू. संदर्भित किया गया।

अमेरिकी संवैधानिक कानून का अध्याय *15.11*

लॉरेंस एच. जनजाति-दूसरा संस्करण-संदर्भित।

:

[2017] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. ई. आर. एस. ए. बोबडे, जे.

1. एम. पी. शर्मा और खरक सिंह का प्रभावः सवाल यह है

क्या अनुच्छेद *21* में निजता का मौलिक अधिकार शामिल है, यह एम. पी. शर्मा न्यायालय के *8* न्यायाधीशों के समक्ष विचार के लिए नहीं आता है। बल्कि सवाल यह था कि क्या किसी कंपनी के खिलाफ अनुचित तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया और

इसके निदेशक इसके खिलाफ संवैधानिक प्रतिबंध का उल्लंघन करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* में निहित प्रशंसात्मक बाध्यता। न ही बहुमत वाले खड़क सिंह इस प्रस्ताव के लिए कोई आधार प्रस्तुत करते हैं कि निजता का कोई संवैधानिक अधिकार मौजूद नहीं है। इसलिए, एम. पी. शर्मा और खरक सिंह में कुछ भी इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है कि देश में निजता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

हमारा संविधान। *[* पैरा *4,5,6* और *9] [946*-डी-ई*; 947*-ए*; 948*-सी डी*]*

एम पी शर्मा बनाम सतीश चंद्र *1954* एस. सी. आर. *1077;* खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295:*

[1964] एस. सी. आर. *332*-आंशिक रूप से खारिज।
मेनका गांधी बनाम। भारत संघ *[1978] 2* एस. सी. आर. *621:*

मद्रास *1950* ए. आई. आर *27: [1950]* एस. सी. आर. *88*-संदर्भित।
सेमायने का मामला *(1604) 5* कोक *91*-संदर्भित।

बोझ की घटना और प्रत्येक रूप के लिए प्रवर्तन के लिए मंच। ब्याज का एक साथ होना पूरी तरह से संभव है। एक सामान्य कानून अधिकार और एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त। जहां किसी मान्यता प्राप्त हित में हस्तक्षेप राज्य या अनुच्छेद *12* द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है, तो उल्लंघन का दावा।

एक मौलिक अधिकार झूठ होगा। जहाँ एक समान हस्तक्षेप का लेखक एक गैर-राज्य कर्ता है, वहाँ सामान्य कानून में एक कार्रवाई एक सामान्य अदालत में होगी। *[* पारस *11,17,18] [948*-एफ*] [952*-सी-ई*]*

केशवानंद भारती बनाम. केरल राज्य *[1973]* पूरक।
एस. सी. आर *1: (1973) 4* एस. सी. सी. *225*-पर निर्भर।

मार्टिन लॉफलिन, सार्वजनिक कानून की नींव *344*

46 (2010) - संदर्भित किया गया।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

3. निजता के अधिकार की सामग्रीः

3.1 प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों को करने का अधिकार है।

निजी। दूसरे शब्दों में, वह आराम की स्थिति में रहने और बिना परेशान किए, या अन्यथा देखे गए या जासूसी किए बिना काम करने की हकदार है। ऐसी शर्त की पात्रता सीमित नहीं है।

केवल शयनकक्ष या शौचालय जैसे अंतरंग स्थानों के लिए

लेकिन एक व्यक्ति के साथ जाता है जहाँ भी वह है, यहाँ तक कि एक सार्वजनिक स्थान पर भी। गोपनीयता का एकांत *(*हमारे शारीरिक व्यक्तियों के*)* के साथ गहरा संबंध है।

और चीजें*)* के साथ-साथ आराम, एकांत, गोपनीयता और गोपनीयता *(*हमारे संचार में*)*, और अंतरंगता जैसे विचार। लेकिन यह

यह कहने के लिए नहीं कि एकांत हमेशा गोपनीयता के लिए आवश्यक है। यह किसी व्यक्ति की निजी तौर पर काम करने की स्वतंत्रता के इस अर्थ में है कि व्यक्तियों का एक समूह, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, खुद को अलग करने का हकदार है।

दूसरों से और निजी रहें। वास्तव में, व्यक्तियों का एक समूह

जहाँ संदेह है। निजता का अर्थ आंतरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र की प्रभावी गारंटी भी होना चाहिए जिसमें सोचना है। पढ़ने या लिखने के दौरान अपने कंधे पर एक और सहकर्मी होने का परेशान करने वाला प्रभाव बताता है कि व्यक्ति क्यों चुनेंगे। सार्वजनिक रूप से भी अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए। अपने काम को प्रकाशित किए बिना ऐसी स्थिति में रखने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है जो हो सकता है

निजी के रूप में वर्णित किया जाए। संविधान द्वारा गारंटीकृत विभिन्न अभिव्यंजक स्वतंत्रताओं की शक्ति और जीवंतता निर्भर करती है

संज्ञानात्मक स्वतंत्रता की एक संबंधित गारंटी के अस्तित्व पर। *[* पारस *19,22] [952-*ई*; 954-*ए*-*ई*]*

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज *v.* संघ का

भारत *[2005] 1* एससीआर *494: (2005) 2* एस. सी. सी. *436;* सोसाइटी फॉर अनएडिड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम। संघ का

भारत *[2012] 2* एससीआर *715: (2012) 6* एस. सी. सी. *1;* जिला

पंजीयक और कलेक्टर बनाम। केनरा बैंक *[2004] 5* पूरक।

एससीआर *833: (2005) 1* एस. सी. सी. *496-*पुष्टि की।

3.2 किसी गतिविधि को करने की स्वतंत्रता से अलगाव में किसी गतिविधि को करने की बुनियादी स्वतंत्रता को काटना या अलग करना संभव नहीं है। स्वयं। गोपनीयता जैसी बुनियादी शर्त का दावा करने का अधिकार जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट होती है

गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है, इसे स्वयं एक मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। गोपनीयता, इस प्रकार, गठित करती है

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए आवश्यक बुनियादी, अपरिवर्तनीय शर्त। यह वह है

संविधान के भाग *III* में प्रमुख आधार को स्पष्ट करें। *[* पैरा *25]*

जेम्स *5: 16* बाइबिल; ब्लैक का कानून शब्दकोश *(*ब्रायन गर्नर, संस्करण*) 3783 (2004);* सैमुअल डी. वारेन और लुई

डी. ब्रांडेस, गोपनीयता का अधिकार, *4* हार्व। एल. रेव.

शमासस्त्री, ट्रांस। *, 1915) ,* ए. ए. मौदुदी, इस्लाम में मानवाधिकार *27 (1982);* थिस्सलोनिकी *4: 11* द. बाइबिल का उल्लेख किया गया है।

4. गरिमा और स्वतंत्रता के साथ गोपनीयता का संबंधः
4.1 निजता के अधिकार के लिए पहला और प्राकृतिक घर है

अनुच्छेद *21* 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और स्वयं जीवन के केंद्र में है। स्वतंत्रता और गोपनीयता इस तरह से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं कि गोपनीयता अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक बुनियादी शर्त होती है। ऐसी अनगिनत गतिविधियाँ हैं जो

लगभग बिल्कुल भी और कई मामलों में प्रदर्शन करने में असमर्थ गरिमा के साथ जब तक कि किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ दिया जाता है या अन्यथा उसे अपनी गोपनीयता सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं है। जन्म और मृत्यु

घटनाएँ जब सभी के बीच गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता की आवश्यकता होती है सभ्य लोग। इस प्रकार गोपनीयता उन अधिकारों में से एक है "

यदि किसी को निर्दिष्ट और सूचीबद्ध अधिकारों का आनंद लेना है तो इसकी आवश्यकता है।

संवैधानिक पाठ। *[* पैरा *26,28] [955-*ई; *957-*बी-सी*]*

1989) (1859) ; लॉरेंस एच. ट्राइब और माइकल सी. डॉर्फ, अधिकारों की परिभाषा में सामान्यता के स्तर, *57* यू. ची. *1068* में एल. रेव. *1057 (1990)*-संदर्भित।

4.2 गारंटीकृत स्वतंत्रता के प्रवर्तक के रूप में गोपनीयता अपने मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं में आवश्यक है। यह देखना मुश्किल है कि गरिमा का संवैधानिक महत्व कितना है।

प्रस्तावना और इस न्यायालय द्वारा दोनों में स्वीकार किया गया अन्य अधिकारों के साथ-साथ अनुच्छेद *21* की व्याख्या का आश्वासन दिया जा सकता है -

गोपनीयता के बिना व्यक्ति।

गरिमा और गोपनीयता दोनों न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* हैं। भारत का संघ

घनिष्ठ रूप से आपस में जुड़े हुए हैं और जन्म के लिए प्राकृतिक स्थितियां हैं और

व्यक्तियों की मृत्यु, और इन घटनाओं के बीच जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए। अनिवार्य रूप से, तब, निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* के तहत 'जीवन' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' दोनों का एक अभिन्न अंग है, और

अधिकार धारक को अपनी क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाने का इरादा

पूर्ण सीमा केवल के साथ सामंजस्य में संभव बनाया

प्रस्तावना के साथ-साथ सभी जगह व्यक्त किए गए संवैधानिक मूल्य

भाग *III*। *[* पैरा *29,30] [958-*एफ-एच*; 959-*ए*]*

सुनील बत्रा *(1)* बनाम। दिल्ली प्रशासन *[1979] 1* एस. सी. आर. *392 (1978) 4* एस. सी. सी. *494;* फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम।

प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली *[1981] 2*

एससीआर *516: (1981) 1* एस. सी. सी. *608-*संदर्भित।
मुन्न वी. इलिनोइस, *(1877) 94* यू. एस. *113 (*पर फील्ड, जे.*) -*

संदर्भित किया गया।

5. यात्रा के अधिकार के रूप में गोपनीयता

5.1 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा निर्भर करती है।

निजी तौर पर सोचने, पढ़ने और लिखने की क्षमता पर और अक्सर

गोपनीयता की स्थिति में प्रयोग किया जाता है, उन लोगों के बहिष्कार के लिए जो नहीं हैं

सभा के लिए उन तत्वों के बहिष्कार की आवश्यकता होती है जो शांतिपूर्ण नहीं हो सकते हैं या जिनका एक अलग एजेंडा हो सकता है। स्वतंत्रता को सहयोगी को अनिवार्य रूप से उन लोगों के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए

अपनी पसंद और समान उद्देश्यों वाले। द. निवास से संबंधित मामलों में गोपनीयता की आवश्यकता और

निपटान विस्तार की आवश्यकता के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। अंत में, किसी व्यक्ति के अभ्यास करने में सक्षम होने की कल्पना करना संभव नहीं है।

व्यवसाय या व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय को व्यावहारिक रूप से गोपनीयता के अधिकार के बिना और दूसरों को अपने काम से दूर रखने के अधिकार और शक्ति के बिना जारी रखें। प्रत्यक्षतः, निजता विवेक की स्वतंत्रता और स्वीकार करने के अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक है, अनुच्छेद *25* के अनुसार धर्म का पालन और प्रचार करें। आगे दाहिनी ओर

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के लिए संस्थानों को बनाए रखने के लिए

धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए, अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना और ऐसे उद्देश्यों के लिए अर्जित संपत्ति का स्वामित्व और प्रशासन करना। अनुच्छेद *26* में राज्य के गैर-हस्तक्षेप के अर्थ में गोपनीयता की भी आवश्यकता है। अनुच्छेद *28 (3)* द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने के छात्र के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है।

राज्य, अकेला छोड़ दिया जाना। ऐसे छात्र को मजबूर नहीं किया जा सकता है

ऐसे किसी भी धर्म में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लें

संस्था जब तक कि उसके अभिभावक ने इसके लिए सहमति नहीं दी है। *[* पैरा *31,*

32] [959 - बी-एफ*]*

5.2 निजता का अधिकार सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार का भी अभिन्न अंग है।

शैक्षणिक अधिकार जिनके तहत एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति वाले समूह को उनके संरक्षण का अधिकार होगा। इसमें है। यह भी हमेशा संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार का एक अभिन्न अंग रहा है और

कानून द्वारा ज्ञात अतिक्रमण के सभी अपराधों और अत्याचारों के अनुसार नागरिक कानून के साथ-साथ आपराधिक कानून में भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है। गोपनीयता भाग *III* में किसी भी गारंटी के आनंद के लिए आवश्यक शर्त है। नतीजतन, जब संवैधानिक अदालतों के समक्ष अधिकार धारकों द्वारा इसका दावा किया जाता है, तो निजता का अधिकार हो सकता है

न केवल अनुच्छेद *21* में, बल्कि साथ-साथ किसी भी अनुच्छेद में स्थित है।

अनुच्छेद *19 (1), 20 (3), 25,28* और *29* सभी अधिकारों की सहायता करते हैं और निजता के अभ्यास द्वारा सार्थक बनाया गया। यह एक विस्तृत सूची नहीं है। *[* पारस *33,34] [959-*जी-एच*; 960-*ए-बी*]*

6. निजता के मौलिक अधिकार की न्यायिक गणना

6.1 गणना की प्रक्रिया से, संवैधानिक न्यायालय

केवल एक नाम दें और पहले से ही गारंटी के मूल को निर्दिष्ट करें

संवैधानिक स्वतंत्रता के अवशेष में मौजूद। समय के साथ, सर्वोच्च न्यायालय अपनी व्याख्यात्मक प्रक्रिया से यह संकेत देने में सक्षम रहा है कि निजता के अधिकार सहित कई मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से बताए गए मौलिक अधिकारों से उभरते हैं।

संवैधानिक अधिकार। यह आवश्यक और अपरिहार्य तार्किक है। संविधान के पाठ में गारंटीकृत अधिकारों का समावेश। *[* पैरा *35] [960-*सी*; 961-*ई*]*

6.2 धारणा के लिए या के लिए कोई वारंट नहीं है

यह निष्कर्ष निकालना कि निजता का मौलिक अधिकार एक पूर्ण अधिकार है

अधिकार जिसे पर्याप्त रूप से बाध्यकारी राज्य हित को देखते हुए यथोचित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। *[* पैरा *38] [962-*डी*]*

उन्नी कृष्णन, जे. पी. बनाम. ए. पी. राज्य *[1993] 1* एस. सी. आर. *594:*

(1993) 1 एस. सी. सी. *645-*पर निर्भर।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

सतवंत सिंह बनाम। डी. रामरत्नम ए. पी. ओ., नई दिल्ली
[1967] 3 एस. सी. आर. *525;* गोविंद बनाम एम. पी. राज्य *(1975) 2* एस. सी. सी. *148;* ग्रिसवोल्ड बनाम। कनेक्टिकट *381* यू. एस. *479;* चार्ल्स शोभराज बनाम। सुपदी। *(* केंद्रीय जेल*) [1978] 4* एस. सी. आर. *104;* एम. एच. होसकोट बनाम। महाराष्ट्र राज्य *[1979] 1* एससीआर *192: (1978) 3* एस. सी. सी. *544;* हुसैनारा खातून बनाम। गृह सचिव, बिहार राज्य *(1979) 3* एससीआर *169: (1980) 1* एससीसी *81;*

1

प्रेम शंकर बनाम। दिल्ली प्रशासन *[1980] 3* एससीआर

2 एससीआर *337: (1983) 2* एस. सी. सी. *96;* ए. जी. ऑफ इंडिया बनाम। लच्मादेवी *(1989)* पूरक। *1* एससीसी *264;* परमानंद

कटरा बनाम। भारत संघ *[1989] 3* एस. सी. आर. *997: (1989) 4* एस. सी. सी. *286;* सैंटिस्टार बिल्डर बनाम। एन. के. आई. टोटम *(1990) 1*

एस. सी. सी. *520-*पुष्टि की।

" प्रारंभिक अधिकार *"*सैल्मंड, पी। *228 -* संदर्भित किया गया।

7. गोपनीयता के लिए परीक्षणः

7.1 निजता के अपने अधिकार का प्रयोग करना दो स्तरों पर चुनना और निर्दिष्ट करना है। यह चुनना है कि विभिन्न गतिविधियों में से कौन सी

उसे उपलब्ध स्वतंत्रता के सामान्य अवशेष द्वारा लिया जाता है

प्रदर्शन करना चाहते हैं, और यह निर्दिष्ट करना चाहते हैं कि उन्हें करते समय अपने घेरे में किसे शामिल करना है। यह नकारात्मक में भी स्वायत्तता है, और यह चुनाव और विनिर्देशन में लेता है कि किन गतिविधियों को नहीं करना है और किन व्यक्तियों को अपने दायरे से बाहर करना है। निजता का अभ्यास करना इन निर्दिष्ट दूसरों के लिए अपने इरादे का संकेत है-चाहे वे किसी के सह-प्रतिभागी हों या बस

अपने दर्शकों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर समाज के लिए, अधिकार का दावा करने और प्रयोग करने के लिए। निजता के लिए एक कार्रवाई योग्य दावे के अस्तित्व की जांच करने के लिए, केवल इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या चुनने और निर्दिष्ट करने का ऐसा इरादा मौजूद है, चाहे वह सीधे इसके संदर्भ में हो।

अधिकार वाहक के कार्यों में अभिव्यक्ति, या अन्यथा। *[* पैरा *43] [963-*एफ-एच*; 964-*ए*]*

आई.

देउकी नंदन बनाम। मुरलीधर *[1956]* एससीआर *756-*संदर्भित को।

7.2 इस तरह के सूत्रीकरण में उत्तरदाताओं के तर्कों में तीन बार-बार आने वाली लाल हेरिंग को शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे पहले, यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा।

तर्कों का कि गोपनीयता संपत्ति या स्थानों तक सीमित है। अतः इसके लिए

उदाहरण के लिए, एक या अधिक व्यक्तियों को एक तरफ रखते हुए, एक पर बातचीत करने के लिए: सार्वजनिक स्थान पर भी फुसफुसाया जाना स्पष्ट रूप से एक दावे का संकेत देगा

निजता, जिस तरह लाउडस्पीकर द्वारा किसी के शब्दों का प्रसारण विपरीत इरादे का संकेत देगा। दूसरा, यह सूत्रीकरण नहीं होगा

एकांत में गोपनीयता को कम करें। में प्रवेश के अधिकारों को आरक्षित करना

एक बड़ा सभा स्थल, जैसे कि सिनेमा हॉल या क्लब, गोपनीयता के दावे का संकेत देगा। अंत में, न तो इस तरह के सूत्रीकरण का मतलब यह होगा कि निजी जानकारी ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो अन्य सभी के लिए दुर्गम हो। *[* पैरा *44] [964-*बी-सी*]*

8. गोपनीयता उल्लंघनों की समीक्षा के मानकः वहाँ कोई नहीं है

इस बात पर संदेह है कि निजता संविधान के भाग *III* द्वारा मान्यता प्राप्त कई मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग है और इस पर विचार किया जाना चाहिए

एक मौलिक अधिकार के रूप में। अधिकार के बीच संबंध निजता और इसमें शामिल विशेष मौलिक अधिकार *(*या अधिकार*)* किसी विशेष कानून द्वारा बाधित कार्रवाई पर निर्भर करेगा। ए में

उस कानून की संवैधानिकता, जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि उसने किसी अधिकार वाहक की निजता पर हमला किया है, का परीक्षण उन्हीं मानकों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके तहत कोई कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला करता है। अनुच्छेद *21* का परीक्षण किया जा सकता है। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि गोपनीयता

गोपनीयता उल्लंघन के लिए आमतौर पर अतिरिक्त परीक्षणों का जवाब देना होगा। अनुच्छेद *21* पर लागू होने वाले के लिए। *[* पारस *45,46] [964-*डी-जी*]*

आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ *[1970] 3* 'एससीआर *530:*

(1970) 1 एस. सी. सी. *248-*पर निर्भर।

ओल्गा टेलिस बनाम। बॉम्बे नगर निगम *[1985] 2* पूरक। एससीआर *51: (1985) 3* एस. सी. सी. *545;* परमानंद कटारा। वी. भारत संघ *[1989] 3* एससीआर *997;* गोबिंद

वी. एम. पी. राज्य *[1975] 3* एस. सी. आर. *946: (1975) 2* एससीसी *148*

संदर्भित किया गया।

पी. जे. फिट्जगेराल्ड, सालमंड ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस *217 (*बारहवाँ संस्करण, *1966);* रोस्को पाउंड, द स्पिरिट ऑफ द

सामान्य कानून *88 (1921)-*निर्दिष्ट।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

पर अभय मनोहर सप्रे, जे।

आपस में बंधा हुआ। इस प्रकार, राष्ट्र की एकता और अखंडता तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा की गारंटी नहीं दी जाती। अभिव्यक्तियाँ "। प्रस्तावना में शामिल "स्वतंत्रता", "समानता" और "बंधुत्व" अलग-अलग संस्थाएं नहीं हैं। नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात करते समय उन्हें एक साथ पढ़ना होगा। वे, वास्तव में, एक संघ बनाते हैं। यदि इन अभिव्यक्तियों को एक-दूसरे से अलग कर दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही समानता को स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता है और न ही संकीर्णता और समानता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। संविधान के भाग *III* के अनुच्छेदों की व्याख्या करते समय इन डी अभिव्यक्तियों को दिए गए अर्थ को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इसलिए, यह न्यायालयों और विशेष रूप से इस न्यायालय का कर्तव्य है कि जब भी नागरिक के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दा विचार के लिए आता है, तो समाज की बदलती जरूरतों और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखें। इस तरह का संतुलन केवल कानून के शासन के तहत सभी नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सुरक्षा और सुरक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। *[* पैरा *8 13] [966-*जी-एच*; 967-*ए-ई*]*

एस. एस. बोला और अन्य। वी. बी. डी. सरदाना और अन्य। *[1997] 2* पूरक। एससीआर *507: (1997) 8* एस. सी. सी. *522*-पुष्टि की।

2. हमारे संविधान ने किसी भी व्यक्ति के कुछ मौजूदा पोषित अधिकारों को मान्यता दी है। इन अधिकारों को संविधान के भाग *III* के विभिन्न अनुच्छेदों में शीर्षक-मौलिक अधिकारों के तहत शामिल किया गया है। ऐसा करने में, कुछ अधिकारों को शामिल किया गया और जिन्हें शामिल नहीं किया गया था, उन्हें मामले-दर-मामले के आधार पर नागरिकों द्वारा प्रतिपादित अधिकार की प्रकृति के आधार पर न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा भाग *III* में पढ़ा गया। संविधान निर्माताओं के लिए यह संभव नहीं था कि

प्रत्येक अधिकार को शामिल करें जो एक प्राकृतिक या सामान्य कानून एच सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट हो

[2017] 10 एस सी आर।

संविधान के भाग *III* में किसी व्यक्ति का अधिकार। *[* पैरा *14, 15] [967 -* एफ-एच*]*

3. न्यायालय को हमेशा विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए

मौलिक अधिकारों की पहुंच और दायरे को कम करने के बजाय

न्यायिक निर्माण की प्रक्रिया द्वारा उनका अर्थ और विषय-वस्तु। *[* पैरा *20] [968-*एच*]*

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ *(1970) 1*

एस. सी. सी. *248 [1970] 3* एस. सी. आर. *530;* परम पावन
केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य

& एन. आर. *[1973]* पूरक। एस. सी. आर *1: (1973) 4* एससीसी *225 -*

पुष्टि की।

4. यह सच है कि हमारे कानूनों की व्याख्या करते हुए, अंग्रेज

विचार के लिए। हालाँकि, पिछले सात दशकों में, यह न्यायालय सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान की व्याख्या की है,

भारतीय समाज की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों ने आवश्यकता महसूस की

अन्य देशों में प्रचलित स्थितियों की तुलना में, हम, इस देश और सामान्य रूप से देश के लोग।

[पारस *22,23] [969-*डी-एफ*]*

हिंद ओवरसीज *(*पी*)* लिमिटेड बनाम रघुनाथ प्रसाद

झुनझुनवाला और अन्र। *[1976] 2* एससीआर *226: (1976) 3*

एस. सी. सी. *259*-पुष्टि।

5. "किसी भी व्यक्ति की निजता का अधिकार अनिवार्य रूप से एक

वास्तव में मनुष्य से अविभाज्य और अविभाज्य। गरिमा के साथ सार्थक जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस अधिकार के बिना। वास्तव में, यह उन पोषित अधिकारों में से एक है, जिसे कानून के शासन द्वारा शासित प्रत्येक सभ्य समाज हमेशा प्रत्येक मनुष्य में मान्यता देता है और इसके लिए बाध्य है

लिंग, नस्ल, धर्म, जाति और पंथ की परवाह किए बिना किसी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए ऐसे अधिकारों को मान्यता दें। यह निश्चित रूप से कुछ तर्कसंगत लागू करने के अधीन है। सामाजिक, नैतिक और बाध्यकारी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध, जिसे राज्य कानून द्वारा लागू करने का हकदार है। *[* पारस

25 , 26] [969 - एच*; 970-*ए-सी*]* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

6. "निजता के अधिकार को शब्दकोशों को छोड़कर कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालय, तथापि, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा

व्याख्या ने मामले-दर-मामले के आधार पर शामिल विशिष्ट मुद्दों के संदर्भ में इस अधिकार को अर्थ दिया है। सबसे ज़्यादा "निजता का अधिकार" का लोकप्रिय अर्थ है-"अकेले रहने का अधिकार"। निजता का अधिकार "संविधान के भाग *III* के तहत गारंटीकृत नागरिक के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। हालांकि ऐसा नहीं है।

एक पूर्ण अधिकार लेकिन कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जिसे राज्य सामाजिक, नैतिक आधार पर लागू करने का हकदार है। और कानून के अनुसार सार्वजनिक हित को बाध्य करना। *[* पारस *27,28,35] [970-*सी-डी*]*

गोबिंद वी. मध्य प्रदेश राज्य और अन्र। *[1975] 3*

एससीआर *946: (1975) 2* एस. सी. सी. *148;* मेनका गांधी बनाम। संघ

भारत और एएनआर। *[1978] 2* एससीआर *621: (1978) 1* एस. सी. सी. *248;* पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*) v.* संघ का

भारत और एन. आर. *[1996] 10* पूरक। एससीआर *321: (1997) 1* एस. सी. सी. *301;* श्री "एक्स" वी. अस्पताल 'जेड' *[1998] 1* पूरक। एससीआर *723: (1998) 8* एस. सी. सी. *296;* जिला पंजीयक और कलेक्टर,

हैदराबाद और अन्र। वी. केनरा बैंक और अन्य। *[2004] 5* पूरक। एससीआर *833: (2005) 1* एस. सी. सी. *496;* थालप्पलम

सर्विस कॉप। बैंक लिमिटेड और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। *[2013] 14* एससीआर *475: (2013) 16* एस. सी. सी. *82*-पुष्टि।

7. यह निवेदन कि इस न्यायालय द्वारा कुछ पहले तय किए गए मामलों में निर्धारित कानून, हालांकि विचार के लिए संदर्भित नहीं किया गया था इस पीठ को भेजे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय भी खारिज कर दिया जाए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संदर्भ न्यायालय दिए गए संदर्भ से आगे नहीं बढ़ सकता है और केवल उन प्रश्नों का उत्तर देने तक सीमित है जिन्हें संदर्भित किया जाता है। कब और कैसे

इनमें से कोई भी प्रश्न किसी भी मामले में उत्पन्न होता है, उपयुक्त पीठ

कानून के अनुसार इसके गुण-दोष पर ऐसे प्रश्नों की जांच की जाएगी। *[* पारस *39,40,41] [972-*ई, जी-एच*]*

महाराष्ट्र और अन्र. *[1966] 3* एससीआर *744-*पुष्टि की गई।
एम. पी. शर्मा और अन्य बनाम सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली और अन्य। *[1954]* एससीआर *1077:* ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *300;* खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। *[1964]* एससीआर *332:* ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295;* ए. *K.Gopalan [2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी.

मोहम्मद आरिफ @अशफाक बनाम। पंजीयक, सर्वोच्च न्यायालय
भारत *[2014] 11* एससीआर *1009: (2014) 9* एससीसी *737 -*

संदर्भित किया गया।

पर संजय किशन कौल, जे।

1.1 निजता केवल एक सामान्य कानून अधिकार नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है।

निजता के रूप में भारत के संविधान के भाग *III* में आने वाला अधिकार एक प्राथमिक, प्राकृतिक अधिकार है जो एक व्यक्ति के लिए अंतर्निहित है। द.

निजता का महत्व समाज के प्रति उसके दृष्टिकोण और अकेले रहने की उसकी चिंता पर निर्भर व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न हो सकता है।

या नहीं। यह कि कुछ लोग अपनी निजता को महत्व नहीं देते हैं, एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में निजता के अधिकार को मान्यता देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। *[* पैरा *1,4] [973-*सी, जी*]*

1.2 यह अकेले भारत नहीं है, बल्कि दुनिया है जो इसे पहचानती है

बुनियादी मानव अधिकार के रूप में निजता का अधिकार। सार्वभौमिक घोषणा

व्यक्ति और ऐसा करने के लिए एक बाध्यकारी कारण के बिना किसी व्यक्ति की इच्छाओं को अनदेखा करना अवांछनीय है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है पहुँच को सीमित करने वाले व्यक्ति और उनसे बचाव करने की उनकी क्षमता

अवांछित पहुँच। निजता के अधिकार के इस पहलू ने इस सूचना युग में विशेष महत्व ग्रहण किया है और तकनीकी सुधार। एक व्यक्ति-हुड एक होगा

व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्तित्व और गरिमा की रक्षा करना। हालांकि,

कोई भी अधिकार बेलगाम नहीं है और ऐसा ही निजता के मामले में भी है। हम एक समाज/समुदाय में रहते हैं। इसलिए, हितों से प्रतिबंध उत्पन्न होते हैं समुदाय, राज्य और अन्य लोगों से। *[* पैरा *5,10,11] [973]*

एच*; 974-*ए, एफ-जी*; 975-*ए*]*

स्वतंत्रता और अन्य निबंधों का इतिहास *(1907),* पी।

587 ; गोपनीयता का अधिकार *4* एचएलआर *193;* डैनियल सोलोव,

10 गोपनीयता क्यों मायने रखती है 'पर प्रकाशित कारण

20 जनवरी, *2014-*संदर्भित।

2. गोपनीयता और प्रौद्योगिकी

2.1 जानकारी तक पहुँच, जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है

देना चाहते हैं, गोपनीयता की सुरक्षा की आवश्यकता है।

निजता का अधिकार न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

राज्य और गैर-राज्य कर्ताओं के लिए दावा किया जाता है। गैर-राज्य कर्ताओं के दावों की मान्यता और प्रवर्तन के लिए राज्य द्वारा विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। *[* पैरा *12] [975-*बी-सी*]*

2.1. 1 राज्य के खिलाफ गोपनीयता की चिंता प्रौद्योगिकी के विकास और विकास ने राज्य के लिए नए साधन तैयार किए हैं।

राज्य द्वारा निजता पर संभावित आक्रमण, जिसके माध्यम से

निगरानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रौद्योगिकी ने निगरानी की अनुमति दी है उन तरीकों से जो अकल्पनीय हैं। राज्यों द्वारा अपनाई जा रही एक तकनीक 'प्रोफाइलिंग' है। *2016* का यूरोपीय संघ विनियमन

डेटा गोपनीयता 'प्रोफाइलिंग' को व्यक्तिगत डेटा के स्वचालित प्रसंस्करण के किसी भी रूप के रूप में परिभाषित करती है जिसमें एक प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित कुछ व्यक्तिगत पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग होता है। विशेष रूप से काम पर उस प्राकृतिक व्यक्ति के प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण या भविष्यवाणी करना,

व्यक्तिगत वरीयताएँ, रुचियाँ, विश्वसनीयता, व्यवहार, स्थान या आंदोलन। इस तरह के विवरण के परिणामस्वरूप धर्म, जातीयता और जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है। हालाँकि, 'प्रोफाइलिंग' भी हो सकती है

लोक हित को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय लाभ के लिए उपयोग किया जाता है सुरक्षा। सुरक्षा वातावरण, न केवल हमारे देश में, बल्कि दुनिया भर में व्यक्तियों और राज्य की सुरक्षा को निजता के इस अधिकार के खिलाफ संतुलित करने का मामला बनाता है। *[* पैरा *13] [975* डी-एफ; *976*-ए-बी*]*

यूरोपीय संसद और *27* अप्रैल *2016* की परिषद का विनियमन *(*ई. यू.*) 2016/679*

प्राकृतिक व्यक्तियों के प्रसंस्करण के संबंध में

व्यक्तिगत डेटा और इस तरह के डेटा की मुक्त आवाजाही पर, और निर्देश *95/46/*ईसी *(*सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन*)* को निरस्त करना-संदर्भित।

2.1. 2 गैर-राज्य अभिनेताओं के खिलाफ गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: गैर-राज्य अभिनेताओं की घर और गोपनीयता पर आक्रमण करने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। तकनीकी विकास ने पत्रकारिता को सुगम बनाया है जो पहले से कहीं अधिक घुसपैठ करने वाली है। इस डिजिटल युग में, व्यक्ति लगातार मूल्यवान डेटा उत्पन्न कर रहे हैं जो

गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा उनकी चालों, विकल्पों और प्राथमिकताओं पर नज़र रखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। डेटा केवल सक्रिय साझाकरण से उत्पन्न नहीं होता है

जानकारी, लेकिन निष्क्रिय भी, 'वर्ल्ड वाइड वेब' पर हर क्लिक के साथ। जैसे-जैसे हम एक डिजिटल अर्थव्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं

[2017] 10 एस सी आर।

गहरे और गहरे डिजिटल पदचिह्न-निष्क्रिय और सक्रिय रूप से। एक व्यक्ति के बारे में ज्ञान उस व्यक्ति पर एक शक्ति देता है। द.

एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने और व्यवहार को आकार देने में सक्षम है। इसका उपयोग हम पर नियंत्रण रखने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है जैसे 'बड़ा भाई राज्य ने अभ्यास किया। यह एक उत्तेजक प्रभाव डाल सकता है

असहमति और मतभेद की अभिव्यक्ति, जिसे कोई भी लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस प्रकार, एक अभूतपूर्व आवश्यकता है ऐसी जानकारी किस हद तक हो सकती है, इस बारे में विनियमन

गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा संग्रहीत, संसाधित और उपयोग किया जाता है। वहाँ भी एक है राज्य से ऐसी जानकारी की सुरक्षा की आवश्यकता है। *[* पारस

16 , 17 , 19 और *20] [976*-बी-डी, जी; *977*-सी-ई*]*

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार *1952* आकाशवाणी *75: [1952]* एस. सी. आर. *284;* केशवानंद भारती बनाम। की स्थिति

केरल *[1973]* पूरक। एस. सी. आर *1: (1973) 4* एससीसी *225 -*

पर भरोसा किया।
माइकल एल. रुस्ताद, सन्ना कुलेव्स्का, पुनर्कल्पना

ट्रान्साटलांटिक डेटा को सक्षम करने के लिए भूल जाने का अधिकार

प्रवाह, *28* हार्व। जे. एल. एंड टेक। *349 ; HTTPS: //*
टेकक्रंच। *com/2015/03/03* इन-द-एज-ऑफ

मध्यस्थता-द-बैटल-इज-ऑल-फॉर-द-ग्राहक

इंटरफेस/टॉम गुडविन 'द बैटल इज फॉर कस्टमर इंटरफेस'; धनंजय कीर, *Dr.Ambedkar:* जीवन और

मिशन, बॉम्बेः लोकप्रिय प्रकाशन, *1971 [1954],*
पी। *410 .) ;* कादिन शुबर, ब्लैकबेरी भारत सरकार को प्रकाशित संदेशों को रोकने की क्षमता देता है

11 जुलाई, *2013* को वायर्ड द्वारा //डब्ल्यू. डब्ल्यू. तार। को. यूके /

लेख/ब्लैकबेरी-भारत-संदर्भित।

2.2 संविधान का मसौदा एक विशिष्ट समय अवधि या एक निश्चित पीढ़ी के लिए तैयार नहीं किया गया था। इसे हमेशा के लिए दृढ़ रहने के लिए तैयार किया गया था। इसने एक मोंटेस्कियन ढांचे को बनाने की मांग की जो

युद्ध के समय और शांति के समय दोनों में प्रिय होगा। संविधान के संस्थापक इस तथ्य से अवगत थे कि संविधान

उम्र के रुझानों के साथ बने रहने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है। ठीक यही कारण था कि संविधान के पाठ में एक अप्रतिबंधित संशोधन शक्ति को आंशिक रूप से शामिल करने की मांग की गई थी।

20 अनुच्छेद *368* के तहत। इसलिए, मूल आशय का सिद्धांत स्वयं न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)*
v.

भारत का संघ

इस रुख का समर्थन करता है कि संविधान निर्माताओं का मूल इरादा यह सुनिश्चित करना था कि यह कम न हो।

मौलिकवादी व्याख्या द्वारा लेकिन समय की महसूस की गई आवश्यकता के अनुरूप बदलती और विकसित होती है। *[* पैरा *29,32* और *33] [978-*जी; *979-*डी-एफ*]*

3. निजता स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक हैः गोपनीयता है

विचार की स्वतंत्रता की कुंजी भी। व्यक्ति को सोचने का अधिकार है।

विचारों को कभी-कभी भाषण में अनुवादित किया जाता है लेकिन यह उस व्यक्ति तक सीमित होता है जिसे यह बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई चाह सकता है कि

किसी की आलोचना करें लेकिन आलोचना को दुनिया के साथ साझा न करें। *[* पैरा *52] [985-*सी*; 986-*जी*]*

जेफ्री रॉबर्टसन, क्यूसी और एंड्रयू निकोल, क्यूसी, मीडिया

कानून पाँचवाँ संस्करण पी। *265 ;* कैम्पबेल बनाम। एम. जी. एन. लिमिटेड *2004*

यूकेएचएल *22-*संदर्भित।

4. गोपनीयता-सूचना को नियंत्रित करने का अधिकारः एक व्यक्ति

उसे अपनी प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से नुकसान पहुँचाने से बचाने का अधिकार है और प्रतिष्ठा की ऐसी सुरक्षा न केवल झूठ के खिलाफ बल्कि कुछ सत्यों के खिलाफ भी होनी चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों के बारे में अधिक सटीक निर्णय उनके जीवन के बारे में निजी विवरण जानने से सुगम हो सकता है-लोग हमें बुरी तरह से आंकते हैं, वे जल्दबाजी में हमारा न्याय करते हैं, वे संदर्भ से बाहर न्याय करते हैं, वे पूरी कहानी सुने बिना न्याय करते हैं और वे पाखंड के साथ न्याय करते हैं। निजता लोगों को इन परेशानियों से खुद को बचाने में मदद करती है

निर्णय। सभी को सच्चा बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनता के लिए उपलब्ध जानकारी। जनता के पास नहीं है उन सभी सूचनाओं को जानने में रुचि जो सत्य हैं। *[* पारस *56,57] [986]*

एच*; 988-*बी-डी*]*

हेलन लैबोरेटरीज बनाम में द्वितीय सर्किट का निर्णय। टॉप्स च्युइंग गम। *202* एफ. *2* डी *866 (2* डी सिर। *1953)* न्यायाधीश जेरोम फ्रैंक द्वारा लिखित प्रचार के अधिकार को "अपनी तस्वीर प्रकाशित करने का विशेष विशेषाधिकार देने का अधिकार" के रूप में परिभाषित किया गया है; मार्क पी. मैककेना, द राइट ऑफ पब्लिसिटी एंड ऑटोनॉमस सेल्फ-डेफिनिशन, *67*

· यू. पीआईटीटी। एल. आरईवी। *225 , 282 (2005) ;* विलियम एल. प्रोसर, गोपनीयता, *48* सी. ए. एल.। एल. आरईवी। *383 (1960) ;* आर्थर आर. मिलर,

मिशिगन विश्वविद्यालय प्रेस-संदर्भित।

5. सूचनात्मक गोपनीयताः *2016* के यूरोपीय संघ विनियमन ने 'सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट' को मान्यता दी है।

भूल जाने का अधिकार। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले के अस्तित्व के सभी पहलुओं को मिटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ में एक सामाजिक स्थिति हो सकती है। परिष्करण। अगर हम एक समान अधिकार को मान्यता देते हैं, तो इसका मतलब केवल यह होगा कि एक व्यक्ति जो अब अपने व्यक्तिगत अधिकार की इच्छा नहीं रखता है।

संसाधित या संग्रहीत किए जाने वाले डेटा से इसे हटाने में सक्षम होना चाहिए

वह प्रणाली जहाँ व्यक्तिगत डेटा/जानकारी अब नहीं है

आवश्यक, प्रासंगिक, या गलत है और कोई वैध हित नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने के लिए जहां सूचना/डेटा आवश्यक है, ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और जानकारी, कानूनी दायित्वों के अनुपालन के लिए,

सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक हित के लिए, सार्वजनिक हित में संग्रह उद्देश्यों के लिए, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान उद्देश्यों या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, या स्थापना के लिए, अभ्यास

या कानूनी दावों का बचाव। इस तरह के औचित्य सभी में मान्य होंगे।

गोपनीयता के उल्लंघन के मामले, जिसमें डेटा गोपनीयता का उल्लंघन भी शामिल है।

[पैरा *62,69] [991-*डी-एफ*]*

पेट्रीसिया सांचेज़ एब्रिल, ब्लर बाउंड्रीज़: सामाजिक

मीडिया गोपनीयता और *21* वीं सदी

कर्मचारी, *49* बजे। बस। एल. जे. *63,69 (2012)* रवि

अंतानी, स्मृति का प्रतिरोध; माइकल

एल. रुस्ताद, सन्ना कुलेव्स्का, ट्रान्साटलांटिक डेटा प्रवाह को सक्षम करने के लिए भूल जाने के अधिकार की पुनः अवधारणा, *28* हार्व। जे. एल. एंड टेक। *349 -* संदर्भित किया गया।

6. डेटा विनियमन: राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना

इसका उपयोग उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना नहीं किया जाता है और इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है और जिस हद तक इसका खुलासा किया गया था। अतः, उदाहरण के लिए, यदि सोशल मीडिया वेबसाइटों पर पोस्ट करना केवल एक निश्चित उद्देश्य के लिए है।

दर्शक, जो उपलब्ध साधनों के अनुसार संभव है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को किसी भी तरह से उस जानकारी तक पहुंचने और उसका उपयोग करने का अधिकार है। *[* पैरा *70] [992-*बी*]*

7. परीक्षण: आनुपातिकता और वैधता का सिद्धांत: द.

निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। संविधान के भाग *III* में आने वाला निजता का अधिकार, इसके परिवर्तनीय तथ्यों के आधार पर,

एक या दूसरे भाग में निहित, और इस प्रकार उस विशेष मौलिक अधिकार के प्रयोग के प्रतिबंधों के अधीन होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा इस प्रकार एक स्पष्ट प्रतिबंध होगा, इसलिए विभिन्न मौलिक अधिकारों के लिए प्रावधान, इस बात पर निर्भर करता है कि न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

निजता का अधिकार पैदा होगा। जनहित तत्व एक अन्य पहलू होगा। *[पैरा 72] [992-एफ-जी]*

8. निजता पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्टः चिंताएं

गोपनीयता के बारे में काफी समय से अनदेखा कर दिया गया है और

इस प्रकार निजता के अधिकार के उल्लंघन को विधायिका द्वारा तैयार करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। यह एक प्राथमिक प्राकृतिक अधिकार है जिसे केवल भारत के संविधान के भाग *III* में आने वाले मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जा रही है। *[पैरा 76] [995-जी-एच]*

ए. डी. एम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला *[1976]* पूरक। एससीआर

172 : (1976) 2 एस. सी. सी. *521-*खारिज।

आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य *[2007] 1* एससीआर *706*।

: (2007) 2 एस. सी. सी. *1-*निर्भर।

भारत संघ बनाम। नवीन जिंदल *[2004] 1* एस. सी. आर. *1038:*

(2004) 2 एस. सी. सी. *510;* राष्ट्रीय वस्त्र श्रमिक संघ बनाम।

पी. आर. रामकृष्णन *[1983] 1* एस. सी. आर *922: (1983) 1*

एससीसी *228;* सुरेश कुमार कौशल बनाम। नाज़, फाउंडेशन

[2013] 17 एससीआर *116: (2014) 1* एस. सी. सी. *1-*संदर्भित।

मोस्ले वी। न्यूज ग्रुप पेपर्स लिमिटेड *(2008)* ईडब्ल्यूएचएस *1777*
(क्यू. बी.*)-*संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

.

पी. ई. आर. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

[1954] एससीआर *1077*

आंशिक रूप से अस्वीकृत

पैरा *3*

[1964] 1 एससीआर *332*

आंशिक रूप से अस्वीकृत

पैरा *3*

[1950] एससीआर *88*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1970] 3 एससीआर *530*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1975] 3 एससीआर *946*

पैरा *3*

संदर्भित किया गया है

[1978] 2 एससीआर *621*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[1994] 4 पूरक। एससीआर *353*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[1973] 2 एस. सी. आर. *417*।

पैरा *47*

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर *311*

संदर्भित किया गया है

पैरा *51*

(1991) 1 एससीसी *57*

संदर्भित किया गया है

पैरा *52*

[1992] 3 एससीआर *595* ·

संदर्भित किया गया है

पैरा *53*

[1985] 2 एससीआर *287*

संदर्भित किया गया है

पैरा *53*

संदर्भित

[1998] 1 पूरक। एससीआर *723*

पैरा *56*

को

:

:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10

[1996] 10 पूरक। एससीआर *321*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2000] 2 एससीआर *761*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2002] 5 पूरक। एससीआर *536*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2003] 3 एससीआर *106*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2004] 5 पूरक। एससीआर *833*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2006] 9 पूरक। एससीआर *1*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2007] 12 एससीआर *906*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2007] 12 एससीआर *991*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2008] 4 एससीआर *1020*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2008] 12 एससीआर *1083*

संदर्भित किया गया है

पैरा

पैरा

(2009) 9 एससीसी *1*

संदर्भित किया गया है

[2009] 12 एससीआर *861*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2010] 5 एससीआर *381*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2010] 9 एससीआर *457*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2011] 6 एससीआर *403*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2011] 8 एससीआर *725*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2011] 10 एससीआर *781*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2012] 4 एससीआर *971*

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2012] 11 एससीआर *1032*

पैरा

(2013) 14 एस. सी. सी. *643*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2013] 14 एससीआर *475*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2014] 9 एससीआर *965*

पैरा

संदर्भित किया गया है

(2014) 5 एस. सी. सी. *438*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2015] 8 एससीआर *422*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2016] 11 एससीआर *419*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1965] 1 एससीआर *933*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1973] पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1980] 3 एससीआर *855*

संदर्भित किया गया है

पारा*!*

[1981] 2 एससीआर *516*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1984] 2 एससीआर *67*

संदर्भित किया गया है

पैराः

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

(1994) 6 एससीसी *260*

संदर्भित किया गया है

पैरा *100*

[2006] 7 पूरक। एससीआर *336*

संदर्भित किया गया है

पैरा *101*

[2010] 3 एससीआर *91*

संदर्भित किया गया है

पैरा *102*

[2012] 8 एससीआर *651*

संदर्भित किया गया है

पैरा *103*

(2015) 6 एस. सी. सी. *702*

संदर्भित किया गया है

पैरा *104*

[2016] 4 एससीआर *638*

संदर्भित किया गया है

पैरा *105*

[1967] 2 एससीआर *762*

उस पर भरोसा करें

पैरा *108*

(1975) 1 पूरक। एससीसी *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *110*

[1981] 1 एससीआर *206*

उस पर भरोसा करें

पैरा *111*

[1955] 1 एससीआर *613*

संदर्भित किया गया है

पैरा *112*

[1985] 2 पूरक। *SCR.51*

संदर्भित किया गया है

पैरा *114*

[1993] 1 एससीआर *594*

उस पर भरोसा करें

पैरा *115*

[1976] पूरक। एससीआर *172*

खारिज कर दिया गया

पैरा *118*

[1977] 2 एससीआर *719*

खारिज कर दिया गया

पैरा *122*

[2007] 1 एससीआर *706*

संदर्भित किया गया है

पैरा *122*

[2013] 17 एससीआर *116*

अस्वीकृत

पैरा *124*

(1980) 2 एस. सी. सी. *684*

संदर्भित किया गया है

पैरा *131*

(1997) 6 एस. सी. सी. *241*

संदर्भित किया गया है

पैरा *132*

[1967] 3 एससीआर *525*

पुष्टि की

पैरा *150*

[1979] 1 एससीआर *392*

पुष्टि की

पैरा *150*

[1979] 1 एससीआर *512*

पुष्टि की

पैरा *150*।

[1979] 1 एससीआर *192*

पुष्टि की

पैरा *150*

[1979] 3 एससीआर *169*

पुष्टि की

पैरा *150*

[1980] 3 एससीआर *855*

पुष्टि की

पैरा *150*

[1983] 2 एससीआर *337*

पुष्टि की

पैरा *150*

(1989) 1 पूरक। एससीसी *264*

पुष्टि की

पैरा *150*

[1989] 3 एससीआर *997*

पुष्टि की

पैरा *150*

(1990) 1 एस. सी. सी. *520*

पुष्टि की

पैरा *150*

[1994] 6 पूरक। एससीआर *78*

· पुष्टि की

पैरा *150*

[1983] 3 एससीआर *508*

पुष्टि की

पैरा *150 [2017] 10* एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैरा *150*

[2013] 14 एस. सी. आर. *212*

पुष्टि की

पुष्टि की

पैरा *150*

[1985] 2 पूरक। एससीआर *51*

पैरा *163*

[1979] 1 एससीआर *392*

पुष्टि की

पैरा *164*

संदर्भित किया गया है

[1983] 2 एससीआर *690*

पैरा *164*

[1982] 2 एससीआर *272*

संदर्भित किया गया है

पैरा *164*

[1985] 1 एससीआर *303*

संदर्भित किया गया है

पैरा *164*

[2014] 11 एससीआर *1009*

संदर्भित किया गया है

[2015] 12 एससीआर *1106*

पैरा *165*

संदर्भित किया गया है

पैरा *165*

संदर्भित किया गया है

[1952] एससीआर *597* पेर आर. एफ. नरीमन, जे.

आंशिक रूप से अस्वीकृत

[1954] एससीआर *1077*

पैरा *2*

आंशिक रूप से अस्वीकृत

पैरा *3*

[1964] 1 एससीआर *332*

पैरा *3*

उस पर भरोसा करें

[1970] 3 एससीआर *530*

पैरा *3*

[1978] 2 एससीआर *621*

उस पर भरोसा करें

पैरा *8*

उस पर भरोसा करें

[1975] 3 एससीआर *946*

पैरा *21*

उस पर भरोसा करें

· *[1950]* एससीआर *88*

पैरा *22*

[2014] 11 एससीआर *1009*

उस पर भरोसा करें

(1980) 2 एस. सी. सी. *684*

उस पर भरोसा करें

पैरा *29*

उस पर भरोसा करें

पैरा *29*

[1981] 2 एससीआर *516*

उस पर भरोसा करें

पैरा *29*

[1997] 3 पूरक। एससीआर *404*

पैरा *29*

उस पर भरोसा करें

(2014) 5 एस. सी. सी. *438*

पैरा *31*

उस पर भरोसा करें

(2017) 8 एस. सी. सी. *417*

पैरा *34*

उस पर भरोसा करें

[2003] 3 एससीआर *106*

पैरा *34*

उस पर भरोसा करें

[2004] 5 पूरक। एससीआर *833*

पैरा *48*

[1980] 2 एससीआर *913*

संदर्भित किया गया है

पैरा *48*

संदर्भित किया गया है

[1979] 1 एससीआर *392*

पैरा *48*

[1980] 3 एससीआर *855*

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

[1994] 4 पूरक। एससीआर *477*

पैरा *54*

पैरा *54*

[1967] 3 एससीआर *50*

संदर्भित किया गया है

पैरा *54*

[1975] 3 एससीआर *254*

न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[1955] 1 एससीआर *613*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

[1959] पूरक। *1* एससीआर *528*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

[1985] 2 पूरक। एससीआर *51*

संदर्भित किया गया है

पैरा *60*

[2004] 6 पूरक। एससीआर *1065*

उस पर भरोसा करें

पैरा *62*

[2007] 1 एससीआर *706*

उस पर भरोसा करें

पैरा *63*

[2006] 7 पूरक। एससीआर *336*

उस पर भरोसा करें

पैरा *64*

उस पर भरोसा करें

[1994] 4 पूरक। एससीआर *353*

पैरा *74*

[1996] 10 पूरक। एससीआर *321*

उस पर भरोसा करें

पैरा *75*

[2013] 14 एससीआर *475*

पुष्टि की

पैरा *88*

[1976] पूरक। एससीआर *172*

खारिज कर दिया गया

पैरा *91*

पेर जे. चेलामेश्वर,

जे.

प्रतिष्ठित

[1954] एससीआर *1077*।

पैरा *4*

[1964] एससीआर *332*

संदर्भित किया गया है

आई.

पैरा *4*

(1950) आकाशवाणी *27*

संदर्भित किया गया है

पैरा *9*

[1970] 3 एससीआर *530*

संदर्भित किया गया है

पैरा *9*

[1978] 2 एससीआर *621*

संदर्भित किया गया है

पैरा *9*

[1973] पूरक। एससीआर *1*

संदर्भित किया गया है

पैरा *12*

[1976] पूरक। एससीआर *172*

संदर्भित किया गया है

पैरा *13*

[1962] एससीआर *842*

उस पर भरोसा करें

पैरा *13*

[1950] एससीआर *594*

उस पर भरोसा करें

· पैरा *13*

[1983] 2 एससीआर *690*

उस पर भरोसा करें

पैरा *14*

[1985] 2 पूरक। एससीआर *51*

उस पर भरोसा करें

पैरा *15*

[1992] 3 एससीआर *658*

उस पर भरोसा करें

पैरा *15*

[1993] 1 एससीआर *594*

उस पर भरोसा करें

पैरा *15*

[1997] 3 पूरक। एससीआर *705*

उस पर भरोसा करें

पैरा *15*

[2003] 3 पूरक। एससीआर *844*

उस पर भरोसा करें

पैरा *15*

(1990) 1 एस. सी. सी. *520*

उस पर भरोसा करें

पैरा *15*

(2000) 6 एससीसी *2013*

उस पर भरोसा करें

पैरा *15*

[1967] 3 एससीआर *525*

उस पर भरोसा करें

पैरा *15*

[1979] 3 एससीआर *169*

उस पर भरोसा करें

पैरा *15*

[1983] 2 एससीआर *348*

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2016) 10 एस. सी. सी. *726*

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1959] एससीआर *995*

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1956] एससीआर *267*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

उस पर भरोसा करें

[1955] एससीआर *1284*

पैरा

उस पर भरोसा करें

[1964] एस. सी. आर *9*

पैरा *2*

[1964] एससीआर *594*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

ए. आई. आर *1978* एस. सी *104*

[1991] 3 एससीआर *149*

उस पर भरोसा करें

पैरा *2*

[1975] 3 एससीआर *946*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1986] 3 एससीआर *518*

उस पर भरोसा करें

पैरा *3*

पैरा *4*

ए. आई. आर. *1983* ए. पी. *356*

संदर्भित किया गया है

[1985] 1 एससीआर *303*

पैरा

संदर्भित किया गया है

[1974] 2 एससीआर *348*

पैरा *2*

संदर्भित किया गया है

[2004] 5 पूरक। एससीआर *833*

संदर्भित किया गया है

पैरा *4*

[2008] 12 एससीआर *1083*

पैरा

संदर्भित किया गया है

पेर एस. ए. बोबडे, जे.

आंशिक रूप से अस्वीकृत

[1954] एससीआर *1077*

पैरा *1*

[1964] एससीआर *332*

आंशिक रूप से अस्वीकृत

पैरा *1*

[1970] 3 एससीआर *530*

उस पर भरोसा करें

पैरा *7*

[1978] 2 एससीआर *621*

संदर्भित किया गया है

पैरा *7*

[1950] एससीआर *88*

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1985] 2 पूरक। एससीआर *51*

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

[1989] 3 एससीआर *997*।

संदर्भित किया गया है

पैरा *8*

[1975] 3 एससीआर *946*

पैरा

संदर्भित किया गया है

उस पर भरोसा करें

[1973] पूरक। एससीआर *1*

पैरा

पैरा *3*

पुष्टि की

[2005] 1 एससीआर *494* *[2012] 2* एससीआर *715*

पैरा

पुष्टि की

[2004] 5 पूरक। एससीआर *833*

पुष्टि की

पैरा

[1979] 1 एससीआर *392*

पैरा *2*

न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[1981] 2 एससीआर *516*

संदर्भित किया गया है

पैरा *29*

उस पर भरोसा करें

[1993] 1 एससीआर *594*

पैरा *35*

[1967] 3 एससीआर *525*

पुष्टि की

पैरा *35*

(1975) 2 एससीसी *148*

पुष्टि की

पैरा *35*

[1978] 4 एससीआर *104*

पुष्टि की

पैरा *35*

[1979] 1 एससीआर *192*

पुष्टि की

पैरा *35*

[1979] 3 एससीआर *169*

पुष्टि की

पैरा *35*

[1980] 3 एससीआर *855*

पुष्टि की

पैरा *35*

[1983] 2 एससीआर *348*

पुष्टि की

पैरा *35*

[1983] 2 एससीआर *337*

पैरा *35*

पुष्टि की

(1989) सप. *1* एससीसी *264*

पुष्टि की

पैरा *35*

[1989] 3 एससीआर *997*

पुष्टि की

पैरा *35*

(1990) 1 एस. सी. सी. *520*

पुष्टि की

पैरा *35*

[1956] एससीआर *756*

संदर्भित किया गया है

पैरा *41*

पर अभय मनोहर सप्रे, जे।*[1954]* एससीआर *1077*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1964] एससीआर *332*

संदर्भित किया गया है

पैरा *3*

[1997] 2 पूरक। एससीआर *507*

पैरा *13*

पुष्टि की

[1950] एससीआर *88*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[2014] 11 एससीआर *1009*

संदर्भित किया गया है

पैरा *17*

[1970] 3 एससीआर *530*

पैरा *20*

पुष्टि की

[1973] पूरक। एससीआर *1*

पुष्टि की

पैरा *20*

[1976] 2 एससीआर *226*

पुष्टि की

पैरा *24*

[1975] 3 एससीआर *946*

पुष्टि की

पैरा *28*

[1978] 2 एससीआर *621*

पुष्टि की

पैरा *29*

[1996] 10 पूरक। एससीआर *321*।

पुष्टि की

पैरा *29*

[1998] 1 पूरक। एससीआर *723*

पुष्टि की

पैरा *29* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

[2004] 5 पूरक। एससीआर *833*

पुष्टि की

पैरा *29*

[2013] 14 एससीआर *475*

पुष्टि की

पैरा *29*

[1966] 3 एससीआर *744*

पुष्टि की

पैरा *40*

पर संजय किशन कौल, जे। *[1952]* एससीआर *284*

उस पर भरोसा करें

पैरा *34*

[1973] पूरक। एससीआर *1*

उस पर भरोसा करें

पैरा *35*

[2004] 1 एससीआर *1038*

संदर्भित किया गया है

पैरा *37*

[1983] 1 एससीआर *922*

संदर्भित किया गया है

पैरा *44*

[2013] 17 एससीआर *116*

संदर्भित किया गया है

पैरा *80*

[1976] पूरक। एससीआर *172*

पैरा *82*

खारिज कर दिया गया

उस पर भरोसा करें

[2007] 1 एससीआर *706*

पैरा *82*

नागरिक मूल और आपराधिक

अपील करें

न्यायनिर्णयः *2012* की लिखित याचिका *(*सिविल*)* संख्या *494*।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *32* के तहत।

के साथ

टी. सी. *(*ग*)* संख्या। *151* और *2013* का *152,* डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* संख्या। *833 , 829* और

932 2013 की अवमानना याचिका *(*सी*)* डब्ल्यू. पी. में *2014* की सं. *144 (*ग*)* सं. *494* *2012* में टी. पी. *(*ग*)* संख्या। *313* और *2014* का *312,* एस. एल. पी. *(*सीआरएल।*)* सं. *2524* का

2014 , डब्ल्यू. पी. *(*ग*)* संख्या। *37* और *2015* का *220,* अवमानना याचिका *(*सी*)* संख्या *674*

2015 में डब्ल्यू. पी. *(*ग*) 2013* का *No.829,* टी. पी. *(*ग*) 2015* की सं. *921*। अवमानना डब्ल्यू. पी. में *2015* की याचिका *(*सी*)* संख्या *470 (C) 2012* का *No.494,* अवमानना

डब्ल्यू. पी. में *2016* की याचिका *(*सी*)* संख्या *444*। *(*ग*) 2012* की सं. *494,* अवमानना

डब्ल्यू. पी. में *2016* की याचिका *(*सी*)* संख्या *608 (*ग*) 2012* का *No.494,* डब्ल्यू. पी. *(*ग*) 2016* की *No.797,2017* की अवमानना याचिका *(*ग*)* डब्ल्यू. पी. में संख्या *844*। *(*ग*) 2012* का सं. *494,* डब्ल्यू. पी. *(*ग*) 2017* की सं. *342* और डब्ल्यू. पी. *(*ग*) 2017* की सं. *372*।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, तुषार मेहता, एएसजी, जुगल किशोर गिल्डा,

जे. एस. अत्री, कपिल सिब्बल, पी. वी. सुरेंद्र नाथ, वरिष्ठ अधिवक्ता। अनीश कुमार गुप्ता, अवधेश के. सिंह, आर. के. राजवंशी, चंद्र शेखर सुमन, सुश्री दीप शिखा भारती, सुश्री गीता कोविलन, राहुल नारायण, अपार गुप्ता, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

सुश्री अनन्या, शाश्वत गोयल, सुश्री भावना, गौतम भाटिया, सुश्री कृतिका,

सुश्री समीक्षा जी., सुश्री कृतिका भारद्वाज, अपार गुप्ता *(*मेसर्स के. जे. के लिए*)* *)*, विपिन नायर, पी. बी. सुरेश, एस. प्रसन्ना, सुश्री समीक्षा गोदियाल, अभय प्रताप सिंह, गोविंद मनोहरन, वी. के. बीजू, सुश्री निधि खन्ना, डॉ. अभिषेक अत्रे, रवींद्र लोखंडे, सुश्री ऐश्वर्या भाटी,

सुश्री नेहा मीना, जयदीप सिंह, अनिर्बान सेन, सुश्री तानिया, मेसर्स मेहरिया

& कंपनी, जयदीप सिंह, सुश्री अर्चना पाठक दवे, तल्हा अब्दुल रहमान,

प्रतीक चड्ढा, अंकुर कश्यप, पवन भूषण, जुलनूर अहमद, जयवर्धन सिंह, एकलव्य वासुदेव, सुश्री अंकिता चौधरी, सुश्री राधिका शर्मा, प्रशांत भूषण, चित्तरंजन मिश्रा, भानु प्रताप

सिंह, सार्थक चौधरी, प्रणय कुमार महापात्रा, जोहेब हुसैन, रजत नायर, कानू अग्रवाल, मनन पोपली, सुश्री श्रद्धा देशमुख, अंकुर

तलवार, पीयूष गोयल, सुश्री देविका जैन, अनिल के. गुलाटी *(*श्रीमती अनिल के लिए*)*

कटियार*)*, रजत नायर, मनन पोपली, कानू अग्रवाल, अंकित लाल, मिश्रा सौरभ, निशांत आर. कटनेश्वरकर, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता,

जफर इनायत, अपूर्व त्रिपाठी, अर्पित राय, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री. जेसल वाही, सुश्री शोधिका शर्मा, अपूर्वा गर्ग, सुश्री संसृति पाठक, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री अयियाला इमती, सारांश कुमार, प्रियदर्शी बनर्जी, प्रतिभा एस खरोला, सारांश जैन *(*ई. सी. अग्रवाल के लिए*)*,

सुश्री रीजा वर्गीज, केतन पॉल, कुलदिप एस. परिहार, एच. एस. परिहार, आदर्श उपाध्याय, सुश्री कोमल मुंद्रा, सौरभ अग्रवाल, वरिंदर कुमार शर्मा, चंद्र नंद झा, परमानंद गौर, जे. एम. कालिया, डी. एस. माहरा,

ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता, मुदित शर्मा, सौमित्र जी. चौधरी, चंचल के. गांगुली, सुश्री विमला सिन्हा *(श्री* गोपाल सिंह के लिए*)*, एस. उदय कुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, रंजन मुखर्जी, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, गोपाल शंकरनारायणन, जीशान दीवान, सुश्री सविता सिंह, सुश्री वीरा महुली, श्रुतंजय भारद्वाज, जयंत

मोहन, डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता, संजय कपूर, टी. जी. नारायणन नायर, सुश्री नित्या मधुसूदनन, पुडुचेरी वी. जी. प्रगसम, प्रभु रामसुब्रमण्यन, करण भरीहोक, जगजीत सिंह छाबड़ा, जतिंदर

कुमार भाटिया, आशुतोष कुमार शर्मा, संजय कुमार विसेन,

ए. पी. मयी, *A.Selvin* राजा, अवनीश एम. ओझा, चिराग जैन, श्रेय कपूर, टी. ए. रहमान *(*सुश्री रुचि कोहली के लिए*)*, तपेश के. सिंह, सुकांत विक्रम, मोहम्मद। वकास, आदित्य प्रताप सिंह, निशे राजन शोंकर, मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

के. वी. जगदीशवरन, श्रीमती जी. इंदिरा, सपम विश्वजीत मेइतेई, नरेश के. गौर, अशोक के. सिंह, गोपाल सिंह, ऋतुराज विश्वास, मनीष कुमार,

प्रणब प्रकाश, शिवम सिंह, आदित्य रैना, श्रेयस जैन, कुमार मिलिंद,

सुश्री अंबिका गौतम, चंदन कुमार, जे. के. भाटिया, आशुतोष के. शर्मा, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, एडवर्ड बेल्हो, अमित कुमार सिंह,

के. लुइकांग माइकल, सुश्री एलिक्स गैंगमेई, जेड. एच. इसाक हैडिंग, एस. मुखर्जी,

मनोज के. मिश्रा, उमेश दुबे, सुश्री मेघना कालरा, सुश्री नीला

गोखले, एलियम पी, सुश्री के. एस. महलवाल, आर. सुधींदर, अशोक माथुर, सुश्री अमृता सरकार, निखिल नय्यर, सुश्री जूलियन जॉर्ज, अर्जुन रंगनाथन,

जतिंदर गर्ग, यशवंत प्रसाद, प्रदीप गुप्ता, प्रवीण गुप्ता,

श्रीमती मानसी गुप्ता, मोअज्जम अली *(*डॉ. *(*श्रीमती*)* विपिन गुप्ता के लिए*)*, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय और आदेश दिए गए थे

द्वारा

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं:

ए संदर्भ

बी. एम. पी. शर्मा में निर्णय
सी. खरक सिंह में निर्णय

डी गोपालन सिद्धांतः पृथक पृथक स्थानों के रूप में मौलिक अधिकार

ई. कूपर और मनेकाः अधिकारों के बीच परस्पर संबंध
एफ गोपनीयता की उत्पत्ति

जी प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकार

एच. भारत में गोपनीयता सिद्धांत का विकास
I भारतीय संविधान

- प्रस्तावना
- गरिमा पर न्यायशास्त्र

मौलिक अधिकार मामले एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

- मौलिक अधिकारों की कोई छूट नहीं

निजता स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए आंतरिक है

विसंगत टिप्पणियाँः *(i)* ए. डी. एम. जबलपुर

((ii) सुरेश कौशल

जे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ

के गोपनीयता पर तुलनात्मक कानून

(i) ब्रिटेन के निर्णय *((ii)* अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले

(iv) कनाडा में निजता का संवैधानिक अधिकार *(v)*
मानवाधिकार पर यूरोपीय समझौते के तहत गोपनीयता

और यूरोपीय चार्टर

(vi) अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार न्यायालय के निर्णय

एल गोपनीयता सिद्धांत की आलोचनाएँ

थॉमसन का रिडक्शनवाद

बी पॉसनर की आर्थिक आलोचना सी बोर्क की आलोचना

डी नारीवादी आलोचना

एम संविधान सभा और निजताः मौलिक की सीमाएँ

प्रेट्रेशन

एन गोपनीयता के लिए वैधानिक संरक्षण से इनकार करने का कारण है

शीर्षक सही?

ओ एक अभिजात्य रचना नहीं है पी केवल एक सामान्य कानून अधिकार नहीं है

प्र. पर्याप्त देय प्रक्रिया आर निजता की अनिवार्य प्रकृति

एस सूचनात्मक गोपनीयता

टी निष्कर्ष *[2017] 10* एस. सी. आर.

1

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए संदर्भ

1. इस न्यायालय के नौ न्यायाधीश यह निर्धारित करने के लिए एकत्र हुए कि क्या गोपनीयता एक संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल्य है। यह मुद्दा आता है कि

मानवाधिकारों के संरक्षण पर आधारित एक संवैधानिक संस्कृति की नींव और इस न्यायालय को उन बुनियादी सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने में सक्षम बनाता है जिन पर हमारा संविधान स्थापित किया गया है और जीवन शैली के लिए उनके परिणाम

वह रक्षा करना चाहता है। यह मामला संवैधानिक रूप से चुनौती पेश करता है

व्याख्या। यदि निजता को एक संरक्षित संवैधानिक मूल्य के रूप में माना जाना है, तो यह स्वतंत्रता और गोपनीयता की हमारी अवधारणाओं को महत्वपूर्ण तरीकों से पुनर्परिभाषित करेगा।

2. निजता, अपने सरलतम अर्थों में, प्रत्येक मनुष्य को एक ऐसे मूल में अकेला छोड़ने की अनुमति देती है जो अलंघनीय है। फिर भी व्यक्ति की स्वायत्तता शेष समाज के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करती है। वे। रिश्ते अक्सर स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए सवाल खड़े कर सकते हैं और कर सकते हैं

चयनः राज्य और गैर-राज्य संस्थाओं की व्यापक उपस्थिति सामाजिक अस्तित्व के उन पहलुओं को नियंत्रित करती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्भर करते हैं।

संवैधानिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कहने के लिए, प्रगति पर है।

मौजूदा समस्याओं के लिए चुनौतियों का समाधान करना होगा। समान रूप से, नया सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को कहाँ रखती है, इसकी संवैधानिक समझ के संदर्भ में चुनौतियों से निपटा जाना चाहिए। नई चुनौतियों के उद्भव का उदाहरण इस मामले से मिलता है, जहां

निजता पर बहस का विश्लेषण वैश्विक सूचना आधारित समाज के संदर्भ में किया जा रहा है। एक ऐसे युग में जहां सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुतः शासन करती है हमारे जीवन का हर पहलू, न्यायालय के समक्ष कार्य प्रदान करना है

एक मौलिक सिद्धांत के रूप में, न्यायालय को डिजिटल दुनिया में स्वतंत्रता की जरूरतों और अवसरों और खतरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। *3.* इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने संघ की आधार कार्ड योजना को संवैधानिक चुनौती पर विचार करते हुए

सरकार ने *11* अगस्त *2015* के अपने आदेश में उल्लेख किया कि सरकार द्वारा जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक डेटा के लिए मानदंड और संकलन था

इस आधार पर पूछताछ की गई कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। भारत के महान्यायवादी ने आग्रह किया कि एक मौलिक अधिकार का अस्तित्व दो निर्णयों को देखते हुए गोपनीयता पर संदेह हैः पहला-एम पी शर्मा बनाम

सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली *1 ("*एम. पी. शर्मा*")*

आठ न्यायाधीशों की पीठ और दूसरे, खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *2 ("*खरक सिंह*")* मामले में न्यायमूर्ति के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम.

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

छह न्यायाधीश। इन निर्णयों में से प्रत्येक, वकील के प्रस्तुत करने में

जनरल ने टिप्पणी की कि भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है विशेष रूप से गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करें। दूसरी ओर, प्रस्तुतिकरण

याचिकाकर्ताओं में से यह था कि एम. पी. शर्मा और खरक सिंह की स्थापना ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य *3* में बताए गए सिद्धांतों पर की गई थी। *(* "गोपालन *")*। गोपालन, जिसमें निहित प्रत्येक प्रावधान का अर्थ लगाया गया

मौलिक अधिकारों पर एक विशिष्ट संरक्षण के रूप में अध्याय,

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ ** ("*कूपर*")* मामले में ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ ने इसे अच्छा कानून नहीं माना था। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पहले के दो फैसलों का आधार वैध नहीं है। इसके अलावा,

4. इन चुनौतियों का समाधान करते हुए, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस न्यायालय के कई फैसलों पर ध्यान दिया, जिनमें - निजता के अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार माना गया है।

सही है। इन फैसलों में शामिल हैं: गोबिंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य *(* "गोविंद*)*, आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य *(*राजगोपाल*)* और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया *(*पी. यू. सी. एल.*)*।

ये बाद के निर्णय जो निजता के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, की पीठों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे

इस दुर्दशा के साथ और संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण दूरगामी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि संस्थागत अखंडता और न्यायिक अनुशासन के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होगी -

एक बड़ी बेंच। अतः तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि

11 अगस्त *2015* का इसका आदेशः

"12. हमारा मानना है कि सामने आए मामले संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण दूरगामी सवाल उठाते हैं। जो दांव पर है
वह मौलिक अधिकारों का विस्तार है जिसमें शामिल हैं

1 (1954) एससीआर *1077*

2 (1964) 1 एससीआर *332* *3* आकाशवाणी *1950* एससी *27*

4 (1970) 1 एस. सी. सी. *248*

$ (1978) 1 एस. सी. सी. *248*

6 (1975) 2 एससीसी *148*

7 (1994) 6 एस. सी. सी. *632*

अनुच्छेद *21* के तहत वह बहुमूल्य और अविभाज्य अधिकार। अगर

एम. पी. शर्मा *(*ऊपर*)* और खरक सिंह में की गई टिप्पणियाँ

(उपर्युक्त*)* को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इस देश के कानून के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और विशेष रूप से अनुच्छेद *21* के तहत स्वतंत्रता के अधिकार को शक्ति और जीवन शक्ति से वंचित किया जाएगा। साथ ही हम

यह भी राय है कि संस्थागत अखंडता और न्यायिक

अनुशासन के लिए बड़ी पीठों द्वारा की गई घोषणा की आवश्यकता होती है

इस न्यायालय को छोटी पीठों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है

पालन न करने के कारणों को उचित रूप से समझाते हुए

इतनी बड़ी पीठों द्वारा की गई घोषणाएँ। उन सभी विद्वान न्यायाधीशों के प्रति उचित सम्मान के साथ जिन्होंने बाद के निर्णय दिए - जहाँ निजता के अधिकार का दावा किया जाता है या उनके प्रभुत्त्व को संदर्भित किया जाता है

मनुष्यों की स्वतंत्रता के लिए चिंतित, हमारी विनम्र राय है कि कुछ निश्चित मात्रा में स्पष्ट प्रतीत होता है इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून में अनसुलझा विरोधाभास।

13. इसलिए, हमारी राय में मामलों के इस समूह में जिस तरह का विवाद उठाया गया है, उसे हमेशा के लिए शांत करना बेहतर है। कि एम. पी. शर्मा *(*ऊपर*)* और खड़क सिंह *(*ऊपर*)* के अनुपात निर्णय की जांच की जाती है और न्यायशास्त्र की शुद्धता

इस न्यायालय के बाद के निर्णय जहां गोपनीयता के अधिकार पर या तो जोर दिया जाता है या संदर्भित किया जाता है, उनकी जांच की जानी चाहिए और आधिकारिक रूप से

उचित शक्ति की एक पीठ द्वारा निर्णय लिया गया।

5. 18 जुलाई *2017* को एक संविधान पीठ की अध्यक्षता में

प्रधान न्यायाधीश ने यह उचित समझा कि इस मुद्दे को नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हल किया जाए। संविधान पीठ का आदेश पढ़ता है।

"आज की सुनवाई के दौरान, ऐसा लगता है कि हमारे लिए यह निर्धारित करना आवश्यक हो गया है कि क्या कोई मौलिक है भारतीय संविधान के तहत निजता का अधिकार। इस प्रश्न के निर्धारण में अनिवार्य रूप से यह निहित होगा कि क्या इस न्यायालय द्वारा एम. पी. शर्मा और अन्य मामलों में दर्ज किया गया निर्णय। बनाम सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली और अन्य। *- 1950* एस. सी. आर. *1077* एक आठ-न्यायाधीश संविधान पीठ द्वारा, और खड़क सिंह में भी

बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। *1962 (1)* एस. सी. आर. *332* बाइ ए सिक्स

न्यायाधीश संविधान पीठ ने कहा कि ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है,

संवैधानिक स्थिति की सही अभिव्यक्ति है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इस मामले पर आगे विचार करने से पहले, हमारा विचार है कि यहां ऊपर देखे गए मुद्दे को नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। इन मामलों को पहले सूचीबद्ध करें

नौ-*19.07.2017* पर न्यायाधीश संविधान पीठ।

6. सुनवाई के दौरान, हमें कुशलता से सहायता दी गई है

अरविंद दातार, श्री श्याम दीवान, श्री आनंद ग्रोवर, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, श्री साजन पूवय्या और श्री जयंत भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील थे। श्री जे. एस. अत्री, विद्वान वरिष्ठ वकील ने उनकी ओर से उनका समर्थन किया हिमाचल प्रदेश राज्य। भारत संघ की ओर से न्यायालय को श्री के. के. वेणुगोपाल की विद्वतापूर्ण दलीलों का लाभ मिला है।

भारत के लिए महान्यायवादी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता, गुजरात राज्य के वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी, गुजरात राज्य के वरिष्ठ वकील श्री आर्यमा सुंदरम ने उनका पूरा समर्थन किया है। महाराष्ट्र, श्री गोपाल शंकरनारायणन और डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता

क्रमशः। जबकि कुछ राज्य सरकारों ने इस रुख का समर्थन किया है

केंद्र सरकार के अन्य लोगों ने याचिकाकर्ताओं का समर्थन किया है। *7.* संदर्भ के दौरान एम. पी. शर्मा और खरक सिंह के निर्णयों की शुद्धता का मूल्यांकन किया जाना है। इसके अलावा, निजता के अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार मानने वाले बाद के निर्णयों की न्यायिक शुद्धता का निर्धारण किया जाना है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या गोपनीयता हमारे तहत संरक्षित अधिकार है।

संविधान में यह समझने की आवश्यकता है कि निजता का क्या अर्थ है। क्योंकि यह तब होता है जब हम समझते हैं कि गोपनीयता सुरक्षा उपायों में क्या रुचि या अधिकार हैं,

ताकि हम यह निर्धारित कर सकें कि संविधान गोपनीयता की रक्षा करता है या नहीं। गोपनीयता की सामग्री का विश्लेषण करने की आवश्यकता है, न कि एक विस्तृत जानकारी प्रदान करके।

इसमें क्या शामिल है, लेकिन इसकी व्यापक रूपरेखा को इंगित करके इसका विवरण या सूची। न्यायालय को गोपनीयता के विभिन्न पहलुओं पर संबोधित किया गया है

जिसमें शामिल हैंः *((i)* क्या निजता का संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है*; (ii)* यदि कोई संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है, चाहे वह स्वतंत्र मौलिक अधिकार का चरित्र है या क्या यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे संरक्षित अधिकारों की मौजूदा गारंटी के भीतर से उत्पन्न होता है*; (iii)* निजता के दावे की सैद्धांतिक नींव*; (iv)* निजता की सामग्री*;* और *(v)* राज्य की नियामक शक्ति की प्रकृति।

राज्य।

बी. एम. पी. शर्मा में निर्णय

8. केंद्र सरकार द्वारा *[2017] 10* एस. सी. आर. के तहत जाँच का आदेश दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम एक कंपनी के मामलों में जो परिसमापन में थी इस आधार पर कि उसने अपने धन का दुरुपयोग करने और शेयरधारकों से अपने मामलों की वास्तविक स्थिति को छिपाने का एक संगठित प्रयास किया था

और इस आरोप पर कि कंपनी धोखाधड़ी वाले लेनदेन में लिप्त थी और अपने रिकॉर्ड को गलत साबित किया था। अपराध दर्ज किए गए थे, और तलाशी वारंट जारी किए गए, जिसके दौरान अभिलेख जब्त किए गए। चुनौती यह थी कि खोजों ने मौलिक का उल्लंघन किया

अनुच्छेद *19 (1) (च)* और अनुच्छेद *20 (3)* के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकार

संविधान। पूर्व चुनौती को अस्वीकार कर दिया गया था। इस न्यायालय ने जिस प्रश्न को संबोधित किया वह यह था कि क्या अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ था *20 (3)* . अनुच्छेद *20 (3)* आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं है।

और अमेरिकी संविधान का पाँचवाँ संशोधन। पीछा करते हुए भारतीय विधान का इतिहास, इस न्यायालय ने कहा कि खोज के लिए प्रावधान

आपराधिक प्रक्रिया संहिता के क्रमिक अधिनियमों में निहित थे। पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति जगन्नाथदास ने कहा कि एक खोज

या जब्ती संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* द्वारा गारंटीकृत संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती हैः

"..... भारतीय कानून में इस धारणा का कोई आधार नहीं है कि

किसी वस्तु या दस्तावेज़ की खोज या जब्ती को अपने आप में उसे जबरन पेश करने के रूप में माना जाता है। वास्तव में एक छोटा सा विचार

यह दिखाएगा कि वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक उद्देश्य के लिए दोनों अनिवार्य रूप से अलग-अलग मामले हैं। प्रस्तुत करने के लिए एक सूचना है

संबंधित पक्ष को संबोधित करना और उसके अनुपालन में उसे पेश करना, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुच्छेद *20 (3)* के अर्थ के भीतर उसके द्वारा एक प्रशंसात्मक कार्य है। लेकिन एक तलाशी वारंट सरकार के एक अधिकारी, आम तौर पर एक पुलिस को संबोधित किया जाता है।

अधिकारी। न तो तलाशी और न ही जब्ती तलाशी परिसर पर कब्जा करने वाले की कार्रवाई है। वे दूसरे के कार्य हैं जिनके प्रति वह समर्पण करने के लिए बाध्य है और इसलिए, किसी भी मामले में उनके प्रमाणिक कार्य नहीं हैं।

भावना। " *10*

9. यह मानते हुए कि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ गारंटी नहीं है

तलाशी और जब्ती से नाराज न्यायालय ने कहा किः

9 बॉयड वी. संयुक्त राज्य अमेरिका, *116* यू. एस. *616 (1886) 10* एम. पी. शर्मा *(*सुप्रा नोट *1),* पृष्ठ *1096* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"न्यायशास्त्र की किसी भी प्रणाली में खोज और जब्ती की शक्ति होती है। सामाजिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए राज्य की एक प्रमुख शक्ति

और वह शक्ति अनिवार्य रूप से कानून द्वारा विनियमित होती है। जब

संविधान निर्माताओं ने इस तरह के विषय को उचित नहीं माना है

एक की मान्यता द्वारा संवैधानिक सीमाओं के लिए विनियमन

गोपनीयता का मौलिक अधिकार, चौथे के अनुरूप

संशोधन, हमारे पास इसे आयात करने का कोई औचित्य नहीं है,

पूरी तरह से अलग मौलिक अधिकार, तनाव की कुछ प्रक्रिया द्वारा

निर्माण। न ही यह मान लेना वैध है कि

अनुच्छेद *20 (3)* के तहत संवैधानिक संरक्षण को तलाशी के लिए वैधानिक प्रावधानों द्वारा पराजित किया जाएगा। *(*जोर दिया गया*)*

10. ये अवलोकन एक वाक्य में अधिक सटीक होने के लिए -

यह दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन के समान, खोज और जब्ती की शक्ति के कानून द्वारा विनियमन को गोपनीयता के मौलिक अधिकार के अधीन नहीं किया है। हमारे संविधान के तहत निजता के संरक्षित अधिकार के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए सहायता के लिए दबाव डाला गया।

सी. खरक सिंह में निर्णय

11. 1941 में डकैती के एक मामले में चालान किए जाने के बाद, खरक सिंह को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया था। लेकिन पुलिस ने एक संकलन किया

" "उसके खिलाफ" इतिहास पत्र। हिस्ट्री शीट को यूपी पुलिस विनियमों के अध्याय *XX* के विनियम *228* में "निगरानी के तहत अपराधियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड" के रूप में परिभाषित किया गया था। खड़क सिंह, जिन्हें नियमित निगरानी के अधीन किया गया था, जिसमें आधी रात की दस्तक भी शामिल थी, ने इस अदालत का रुख किया।

घोषणा की कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। इनमें से

विनियमन *236* द्वारा परिकल्पित निगरानी के उपाय निम्नलिखित थेः

*"(*क*)* घर या घरों तक पहुँचने के लिए गुप्त पिकिंग
संदिग्धों का*;*

*(*बी*)* रात में अधिवास दौरा*;*

*(*ग*)* रैंक से नीचे के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से आवधिक पूछताछ

उप-निरीक्षक को प्रतिष्ठा, आदतों, संघों, आय, व्यय और व्यवसाय में*;*

*(*घ*)* सिपाहियों और चौकिदारों द्वारा आंदोलनों की रिपोर्टिंग
और घर से अनुपस्थिति*;*

1 1 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *1096-97* सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पर

आई.

[2017] 10 एस सी आर।

*(*ई*)* के माध्यम से आंदोलनों और अनुपस्थिति का सत्यापन
जाँच पर्ची*;*

*(*च*)* सभी सूचनाओं के इतिहास-पत्रक पर संग्रह और अभिलेख

आचरण पर असर डालना "।

12. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* द्वारा गारंटीकृत भारत के क्षेत्र का याचिकाकर्ता के दरवाजे पर आधी रात को दस्तक देने से उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि "उसका चलन है

किसी भी तरह से बाधित या पूर्वाग्रहित नहीं "।

13. जब खड़क सिंह में निर्णय सौंपा गया था, तो अधिकारों के बीच अंतर-संबंध को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की रक्षा की गई थी। अनुच्छेद *19* और अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

गोपालन में निर्णय द्वारा शासित थे। गोपालन ने प्रत्येक पर विचार किया

मौलिक अधिकारों पर अध्याय के अनुच्छेदों के रूप में विशिष्ट

*(*अति-लैपिंग*)* स्वतंत्रताओं के विपरीत। अतः खरक सिंह में,

न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"हमारे सामने प्रश्न की बहुत सीमित प्रकृति को देखते हुए यह है

एक ओर अनुच्छेद *19 (1) (ए)* और *(*डी*)* में "स्वतंत्रताओं" और दूसरी ओर अनुच्छेद *21* में "स्वतंत्रताओं" के बीच सटीक संबंध या सामग्री और महत्व पर विचार करने के लिए रुकना अनावश्यक है।

बाद के अनुच्छेद में "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" शब्दों में से,
ए. के. गोपालन बनाम में दोनों इस न्यायालय द्वारा विस्तृत विचार का विषय थे। मद्रास राज्य "। *1 2*

14. खरक सिंह के निर्णय में कहा गया है कि खंड *(*बी*)*

विनियमन *236*, जिसमें रात में अधिवास यात्राओं का प्रावधान किया गया था, अनुच्छेद *21* का उल्लंघन था। न्यायालय ने टिप्पणी की:

"तब क्या "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" शब्द का यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इसके दायरे से किसी व्यक्ति के घर की पवित्रता पर पुलिस का आक्रमण और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा में घुसपैठ को हटा दिया गया है और सोने का उसका अधिकार
जो सामान्य आराम और एक गंभीर आवश्यकता है।

एक जानवर के रूप में भी मानव अस्तित्व के लिए? यह नहीं हो सकता है
यहाँ प्रस्तावना के शब्दों का उल्लेख करना अनुचित है

संविधान कि यह "की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है
व्यक्तिगत "और इसलिए उन पोषित मानवीय मूल्यों के रूप में

उसके पूर्ण विकास और विकास को सुनिश्चित करने का साधन। हम हैं।

फ्रेमर्स के इन उद्देश्यों को केवल आकर्षित करने के लिए संदर्भित करना

12 खड़क सिंह *(*सुप्रा नोट *2)*, पृष्ठ *345* पर जस्टिस के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

संविधान में अंतर्निहित अवधारणाओं पर ध्यान देना जो

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता" जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की ओर इशारा करते हैं जिनका अर्थ लगाया जाना चाहिए।

एक उचित तरीके से और उस अर्थ में जिम्मेदार ठहराया जाना जो

उन उद्देश्यों को बढ़ावा देगा और प्राप्त करेगा और किसी भी तरह से नहीं
वाक्यांश के अर्थ को किसी भी पूर्व-परिकल्पित के साथ वर्ग में फैलाएं

अवधारणाएँ या सैद्धांतिक संवैधानिक सिद्धांत "। ** 13*

15. इस दृष्टिकोण को लेते हुए, न्यायमूर्ति राजागोपाला अयंगर, के लिए बोलते हुए

पाँच न्यायाधीशों के बहुमत ने न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर के फैसले पर भरोसा किया,वुल्फ बनाम कोलोराडो *1 4* में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के लिए शिखर पर, जिसने अभिनिर्धारित किया;

"द्वारा मनमाने ढंग से घुसपैठ के खिलाफ किसी की गोपनीयता की सुरक्षा
पुलिस एक स्वतंत्र समाज की नींव है।

गोपनीयता में इस तरह की पुलिस की घुसपैठ को मंजूरी देना इसके विपरीत होगा
चौदहवें संशोधन की गारंटी के लिए। *15*

(जोर दिया गया*)*

जबकि न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान ऐसा नहीं करता है

अमेरिका के चौथे संशोधन के समान गारंटी प्राप्त करें संविधान, यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा किः

"फिर भी, इन उद्धरणों से पता चलेगा कि एक अनधिकृत
किसी व्यक्ति के घर में घुसपैठ और उसके कारण होने वाली गड़बड़ी

इस प्रकार यह एक सामान्य कानून के अधिकार का उल्लंघन है।

एक आदमी का आदेशित स्वतंत्रता का एक परम आवश्यक, यदि नहीं
सभ्यता की बहुत अवधारणा। एक अंग्रेजी सामान्य कानून उक्ति

लागू किया गया था, यह कहा गया था कि "सभी का घर है
उसे अपने महल और किले के साथ-साथ उसके खिलाफ अपनी रक्षा के लिए

चोट और हिंसा उसके आराम के लिए "। हम बेपरवाह नहीं हैं

तथ्य यह है कि सेमायने मामला *[(1604) 5* कोक *91: 1* श्रीमती एल. सी. *(13* वीं*)*

एडन*)* पी पर *104*। *105]* संबंधित कानून से संबंधित था
इंग्लैंड में निष्पादन, लेकिन निकाले गए मार्ग की वैधता है

विशेष निर्णय के संदर्भ से बिल्कुल अलग। यह मूर्त रूप देता है।
एक स्थायी सिद्धांत जो केवल संरक्षण से परे है

संपत्ति अधिकार और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की अवधारणा की व्याख्या करता है।

3 3 आई. बी. आई. डी, पृष्ठों पर *347-348*

** 338* यूएस *25 (1949)*

5 खड़क सिंह में उद्धृत *(*सुप्रा नोट *2)*, पृष्ठ *340* शीर्ष अदालत की रिपोर्ट

जो सामंतवाद के किसी तत्व या किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है।
स्वतंत्रता जिसका मूल्य समाप्त हो गया है। *16*

(जोर दिया गया*)*

16. खरक सिंह घर की पवित्रता का सम्मान करते हैं और

अनधिकृत घुसपैठ के खिलाफ सुरक्षा "आदेशित" का एक अभिन्न तत्व स्वतंत्रता "। यह
अनुच्छेद *21* द्वारा गारंटीकृत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' में शामिल है।

निर्णय ने विनियमन द्वारा अधिकृत रात में अधिवास यात्राओं को अमान्य कर दिया *236 (* बी*),*
उन्हें एक के घर में अनधिकृत घुसपैठ के रूप में पाते हुए

व्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। तथापि, खंड *(*ग*), (*घ*)* और *(*ङ*)* की वैधता
पर विचार करते हुए जो आवधिक पूछताछ, कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए प्रदान
किया गया

और आंदोलनों का सत्यापन, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"..... अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया गया है

संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। न ही करते हैं।

हमारे संविधान के तहत अधिकार और इसलिए करने का प्रयास
एक व्यक्ति की गतिविधियों का पता लगाएं जो केवल एक है

जिस तरह से गोपनीयता पर हमला किया जाता है वह उल्लंघन नहीं है।

भाग *III* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार। *1 7*

(जोर दिया गया*)*

खंड *(*ग*), (*घ*)* और *(*ङ*)* के संदर्भ में उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है।

बहुमत का विचार है कि गोपनीयता के अधिकार की गारंटी नहीं है

संविधान।

17. न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने असहमति जताई। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा कि

भाग *III* द्वारा प्रदत्त अधिकारों में अतिव्यापी क्षेत्र हैं। जहाँ किसी कानून को अनुच्छेद के तहत आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी जाती है

19 (1) (घ*)* और अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे अनुच्छेद *19 (2)* में निर्धारित परीक्षणों के साथ-साथ अनुच्छेद की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

21. न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा किः

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" एक व्यापक अभिव्यक्ति है।
एक और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक विशेषता है,

ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत रूप से बनाई गई है।

स्वतंत्रता और इसलिए, अनुच्छेद में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की अभिव्यक्ति

21 उस विशेषता को बाहर करता है। हमारे विचार से यह सही नहीं है।

16 इबिद, पृष्ठ *349* पर

17 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *351* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

दृष्टिकोण। दोनों स्वतंत्र मौलिक अधिकार हैं, हालांकि

ओवरलैप हो रहा है। एक को दूसरे से तराशने का कोई सवाल ही नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है कई विशेषताएँ और उनमें से कुछ अनुच्छेद *19* में पाए जाते हैं। यदि ए.

अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, राज्य कार्रवाई को बनाए रखने के लिए एक कानून पर भरोसा कर सकता है; लेकिन यह एक पूर्ण उत्तर नहीं हो सकता है जब तक कि उक्त कानून निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है।

अनुच्छेद *19 (2)* में जहां तक अनुच्छेद *19 (1)* के अंतर्गत आने वाले गुण हैं।

वे चिंतित हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य को यह संतुष्ट करना चाहिए कि दोनों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

कानून और यह कि यह संविधान के अनुच्छेद *19 (2)* के अर्थ के भीतर एक उचित प्रतिबंध के बराबर है। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई बचाव उपलब्ध नहीं है, क्योंकि स्वीकार है कि ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता वैध रूप से यह दलील दे सकता है कि अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* और अनुच्छेद *21* दोनों के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।

राज्य "। *18*

18. न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *21* अधिकार का प्रतीक है -

व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधों या अतिक्रमणों से मुक्त होना। इसमें

यद्यपि संविधान स्पष्ट रूप से अधिकार की घोषणा नहीं करता है

एक मौलिक अधिकार के रूप में, ऐसा अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। असहमत राय सिद्धांत के मामले को इस प्रकार रखती हैः

"एक ऐसे असभ्य समाज में जहां कोई बाधा नहीं है, केवल

शारीरिक प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता आगे बढ़ती है, मनोवैज्ञानिक प्रतिबंध शारीरिक प्रतिबंधों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। एक शर्त के लिए उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियाँ

मनुष्य का मन वास्तविक अर्थों में शारीरिक प्रतिबंध हैं, क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं।

शारीरिक भय जो किसी के कार्यों को प्रत्याशित और प्रत्याशित तरीकों से निर्देशित करता है

अपेक्षित खांचे। तो भी स्थितियों का निर्माण जो

अनिवार्य रूप से अवरोध और भय संकुल उत्पन्न हो सकते हैं

शारीरिक संयम के रूप में वर्णित। इसके अलावा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार न केवल उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त होने का अधिकार लेता है।

आंदोलन, लेकिन अपने निजी जीवन पर अतिक्रमण से भी मुक्त। यह सच है कि हमारा संविधान स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं करता है कि

निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में है, लेकिन उक्त अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य घटक है। हर लोकतांत्रिक

देश घरेलू जीवन को पवित्र बनाता है; इससे उसे आराम, शारीरिक सुख, मन की शांति और सुरक्षा मिलने की उम्मीद की जाती है। अंतिम उपाय में,

आई. डी., पृष्ठों पर *356-357* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

एक व्यक्ति का घर, जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहता है, उसका "महल" है।

अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के खिलाफ उनकी प्राचीर है। द.
उस प्रसिद्ध न्यायाधीश, फ्रैंकफर्टर जे. के गर्भवती शब्द,

वुल्फ वी। कोलोराडो *[[1949] 238* यू. एस. *25]* ने इंगित किया
मनमानी के खिलाफ किसी की गोपनीयता की सुरक्षा का महत्व

पुलिस द्वारा घुसपैठ, एक के लिए कोई कम आवेदन हो सकता है

एक अमेरिकी के रूप में भारतीय घर। यदि ए पर शारीरिक प्रतिबंध

व्यक्ति की हरकतें उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक क्षमता को प्रभावित करती हैं।

उनके निजी जीवन पर अतिक्रमण इसे बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा।

वास्तव में, मनुष्य की शारीरिक खुशी के लिए इससे अधिक हानिकारक कुछ भी नहीं है।

इसलिए, अनुच्छेद *21* में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करेगा। किसी व्यक्ति के प्रतिबंधों से मुक्त होने के अधिकार के रूप में या

उसके व्यक्ति पर अतिक्रमण, चाहे वे प्रतिबंध हों या अतिक्रमण प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से थोपा जाता है

गणना किए गए उपायों द्वारा। यदि ऐसा समझा जाए, तो सभी कृत्य

विनियमन *236* के तहत निगरानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत याचिकाकर्ता का। *1* "

(जोर दिया गया*)*

महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुमत के लिए दोनों न्यायमूर्ति राजगोपाला अयंगर

राव ने निजता के संरक्षित अधिकार को संवैधानिक रूप से मान्यता दी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक घटक के रूप में।

डी गोपालन सिद्धांतः पृथक पृथक स्थानों के रूप में मौलिक अधिकार

19. जब इस अदालत के आठ न्यायाधीशों ने एमपी में फैसला सुनाया

शर्मा ने *1954* में और बाद में, छह न्यायाधीशों ने खरक में विवाद का फैसला किया।

सिंह *1962* में, भाग *III* में निहित मौलिक अधिकारों को नियंत्रित करने वाले आरोही और यहां तक कि अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत की स्थापना गोपालन सिद्धांत पर की गई थी। गोपालन में, मुख्य न्यायाधीश कनिया ने छह न्यायाधीशों की पीठ में से पांच के बहुमत के लिए बोलते हुए, दोनों के बीच संबंधों का अर्थ निकाला।

अनुच्छेद *19* और *21* आपसी बहिष्करण में से एक होगा। जाँच के इस क्रम में, अनुच्छेद *19* द्वारा जो समझा गया था, उसे अनुच्छेद *21* से बाहर रखा गया था।

आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *358-359* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अनुच्छेद *19* की सात स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद *21* में जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ताने-बाने में शामिल नहीं किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक कानून जो अनुच्छेद *19* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं में से एक को कम करता है, उसे अनुच्छेद *19* के खंड *2* से *6* द्वारा निर्धारित तर्कसंगतता के परीक्षणों और केवल उन्हीं का जवाब देना होगा। गोपालन दृष्टिकोण से, मुक्त

इसलिए अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद *21* था लेकिन एक अवशेष। मुख्य न्यायाधीश कनिया ने कहाः

"अनुच्छेद *19* को इस तरह से पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि अवधारणा
भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार की अवधारणा अनुच्छेद *21* द्वारा परिकल्पित "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के अधिकार से पूरी तरह से अलग है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कई और शामिल हैं।

एक अर्थ में अधिकार और दूसरे अर्थ में इसका सीमित अर्थ है।

उदाहरण के लिए, जबकि स्थानांतरित करने या रहने का अधिकार इसके अंतर्गत आ सकता है - अभिव्यक्ति, "व्यक्तिगत स्वतंत्रता"। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता *(*अनुच्छेद *19 (1) (ए)* में उल्लिखित*)* या संपत्ति के अधिग्रहण, धारण या निपटान के अधिकार *(19 (1) (*एफ*)* में उल्लिखित*)* पर विचार नहीं किया जा सकता है।

एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हिस्सा। वे एक नागरिक की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं, लेकिन "व्यक्तिगत" शब्द द्वारा लगाई गई सीमा मुझे यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है कि वे अधिकार इसके अंतर्गत नहीं आते हैं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति करें। तो पढ़ें कि दोनों के बीच कोई टकराव नहीं है

अनुच्छेद *19* और *21*। लेखों की विषय-वस्तु और विषय-वस्तु
19 और *21* इस प्रकार समान नहीं हैं और वे पूरी तरह से अलग से अपने संबंधित शब्दों द्वारा कवर किए गए अधिकारों से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं।

कोण। जैसा कि अनुच्छेद *19 (1)* के उपखंडों में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकार के संबंध में पहले ही उल्लेख किया गया है, प्रत्येक के संबंध में विशिष्ट सीमाएं प्रदान की गई हैं, जबकि अनुच्छेद *21* में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति आम तौर पर सामान्य अभिव्यक्ति द्वारा नियंत्रित होती है।

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया "। *20*

*** अनुच्छेद *21* के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस विचार में, 'कानून की उचित प्रक्रिया' को शामिल करने के लिए विस्तारित करने में सक्षम नहीं थी। न्यायमूर्ति फजल अली ने असहमति जताई। असहमति ने यह विचार अपनाया कि मौलिक

अधिकार अलग-थलग और अलग नहीं हैं, लेकिन एक आम धागे की रक्षा करते हैं

स्वतंत्रता और स्वतंत्रताः

"मेरे विचार से, मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय की योजना इस बात पर विचार नहीं करती है कि इसके लिए क्या जिम्मेदार ठहराया गया है, अर्थात्, प्रत्येक लेख अपने आप में एक संहिता है और इससे स्वतंत्र है।

20 20 गोपालन *(*सुप्रा नोट *3)*, पृष्ठों पर *36-37 [2017] 10* एस. सी. आर.

अन्य लोग। मेरी राय में यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद *19,20,21*

और *22* कुछ हद तक एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति का मामला अनुच्छेदों के तहत आएगा।
20 और *21* और अनुच्छेद *22* के तहत भी जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी और नजरबंदी है

मुकदमे से पहले हिरासत में रखने का संबंध है। निवारक निरोध, जो एक अनुच्छेद *22* से संबंधित है, भी व्यक्तिगत अधिकार से वंचित करने के बराबर है।

स्वतंत्रता जो अनुच्छेद *21* में संदर्भित है, और इसका उल्लंघन है

आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में वर्णित है।

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इससे पहले *"*व्यक्तिगत*"* शब्द जोड़ा गया था।

" अनुच्छेद *21* में *"*स्वतंत्रता*"* अनुच्छेद *19* में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ को नहीं बदल सकती है, और न ही यह किसी ऐसे मामले को रख सकती है जो अविभाज्य है।

अपनी जगह से परे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ बंधी हुई। *"*

20. सतवंत सिंह साहनी बनाम डी. रामारत्नम *2 2 (*"सतवंत"*)*

सिंह साहनी*)*, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने अपनी ओर से बोलते हुए और न्यायमूर्ति आर. एस. बचावत ने असहमति के विचार में अंतर की स्पष्ट रेखाओं को देखा। न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमति और बहुमत के दृष्टिकोण के बीच

खरक सिंह में। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि यदि चलने-फिरने का अधिकार अनुच्छेद *21* द्वारा सन्निहित है, जिसका एक पहलू अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* द्वारा कवर किया गया है, तो यह वास्तव में खरक सिंह में अल्पसंख्यक दृष्टिकोणः

*"*जे. सुब्बा राव *(*जैसा कि वे तब थे*)* ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शारीरिक संयम या जबरदस्ती के विरोधी के रूप में पढ़ा और पाया कि अनुच्छेद
19 (1) और *21* ओवरलैप किए गए और अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* को अलग नहीं किया गया था।

अनुच्छेद *21* में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उनके अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता
कानून द्वारा कम किया जा सकता है, लेकिन उस कानून को परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए

जहाँ तक अनुच्छेद *19 (1) (3)* में विशिष्ट अधिकारों का संबंध है। दूसरे शब्दों में, राज्य को संतुष्ट करना चाहिए कि दोनों

यह दिखाकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है कि

कानून और यह कि यह एक अनुचित प्रतिबंध नहीं है

संविधान के अनुच्छेद *19 (2)* के अर्थ के भीतर। जैसा कि उस मामले में कोई कानून नहीं था, अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* और अनुच्छेद *21* दोनों के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय के फैसले में एक अर्थ पढ़ा है

जिसे वह व्यक्त नहीं करना चाहता है। वह अनुच्छेद *21* से भारत के क्षेत्रों के भीतर स्वतंत्र गति और आवाजाही के अधिकार को बाहर करता है और अनुच्छेद *21* में विदेश यात्रा करने का अधिकार रखता है। वह चाहता है कि

21 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *52-53*

22 (1967) 3 एस. सी. आर. *525* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

एक कानून देखें और यदि उसके पहले के तर्क को प्रबल होना था, तो कानून अनुच्छेद *19 (2)* की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन चूंकि खंड *(2)* अनुच्छेद *19 (1)* के मामलों से संबंधित है जिन्हें पहले ही बाहर रखा गया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह लागू नहीं होगा। जो कानून बनाया गया है उसका परीक्षण केवल उस पर किया जा सकता है

अनुच्छेद *19* के अलावा अन्य अनुच्छेदों का आधार जैसे कि अनुच्छेद *14,20* और *22* जो केवल इस मामले पर आधारित हैं। दूसरे शब्दों में,

इस मामले में अदालत के बहुमत के फैसले ने न्यायमूर्ति अयंगर के विचार को खारिज कर दिया है और खरक सिंह में अल्पसंख्यक के विचार को स्वीकार किया है।

मामला।

यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *21* के पढ़ने के साथ टकराव करता है।

खरक सिंह मामले में, क्योंकि वहाँ प्रस्ताव का अधिकार है और

चलन को अनुच्छेद *21* से बाहर रखा गया था। अन्य में

शब्दों में, वर्तमान निर्णय खारक में अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है

सिंह का मामला उस मामले में बताए गए बहुमत के दृष्टिकोण से ऊपर है। *23*

ई. कूपर और मनेकाः अधिकारों के बीच परस्पर संबंध

21. यह सिद्धांत कि मौलिक अधिकार जल हैं

कूपर में इस न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों के फैसले में डिब्बों को खारिज कर दिया गया था। गोपालन ने यह विचार अपनाया था कि एक निवारक कानून

निरोध की वैधता का परीक्षण केवल अनुच्छेद *22* के संदर्भ में किया जाएगा, जो विषय से संबंधित एक पूर्ण संहिता थी। निवारक निरोध पर कानून, इस विचार में, की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है

अनुच्छेद *19 (1) (*घ)। गोपालन में न्यायमूर्ति फजल अली के असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण को न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने कूपर में इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए देखा। गोपालन सिद्धांत का परिणाम यह था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा का निर्णय गोपालन द्वारा किया जाएगा।

व्यक्ति के अधिकार के संबंध में राज्य की कार्रवाई का उद्देश्य और गारंटी पर इसके प्रभाव पर नहीं। इस दृष्टिकोण से असहमत,

कूपर में न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"..... मौलिक अधिकारों की गारंटी के उच्चारण को ध्यान में रखना आवश्यक है जो विभिन्न रूप ले चुका है। कुछ मामलों में यह एक गारंटीकृत अधिकार की स्पष्ट घोषणा हैः लेख

29 (1) , 30 (1) , 26 , 25 और *32* अन्य में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे राज्य पर प्रतिबंधों के विशिष्ट रूप लेते हैं।

कार्रवाई-विधायी या कार्यकारी-अनुच्छेद *14,15,16,20,21,22 (1), 27* और *28;* कुछ अन्य में, यह एक सकारात्मक घोषणा का रूप लेता है और साथ ही साथ उस पर प्रतिबंध का प्रतिपादन करता हैः

23 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *554* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर

अनुच्छेद *19 (1)* और *19 (2)* से *(6);* कुछ मामलों में, यह एक

राज्य के प्राधिकरण के परिसीमन से निहितार्थ, जैसे।

अनुच्छेद *31 (1)* और *31 (2);* अभी भी अन्य में, यह एक का रूप लेता है

राज्य और अन्य के खिलाफ सामान्य निषेधः अनुच्छेद *17,*

23 और *24.* अधिकारों की घोषणा या तो व्यक्त या द्वारा

निहितार्थ एक समान पैटर्न का पालन नहीं करता है। लेकिन एक

धागा उनके माध्यम से चलता हैः वे अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं
व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के खिलाफ

विशिष्ट सीमाओं के भीतर उन अधिकारों का उल्लंघन। भाग *III*

संविधान की गारंटी का एक पैटर्न बुनता है

बुनियादी मानवाधिकारों की बनावट। गारंटी परिसीमा

उन अधिकारों का उनके आवंटित क्षेत्रों में संरक्षणः वे

विशिष्ट अधिकारों का प्रतिपादन करने का प्रयास न करें। *24*

(जोर दिया गया*)*

22. कूपर में गोपालन सिद्धांत का निरसन था

मेनका में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर पुनर्विचार किया गया। न्यायमूर्ति पी. एन.

तीन न्यायाधीशों की प्रमुख राय देने वाली भगवती ने कहा कि कूपर में निर्णय न्यायमूर्ति सुब्बा की असहमतिपूर्ण राय की पुष्टि करता है।

राव *(*खड़क सिंह में*)* वैध संवैधानिक स्थिति को व्यक्त करते हुए। अतः मेनका में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"यह खरक सिंह बनाम में था। यू. पी. राज्य *[*ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1295:*

(1964) 1 एससीआर *332: (1963) 2 Cri LJ 329]* कि सवाल के रूप में

इससे पहले पहली बार स्पष्ट रूप से विचार के लिए आया था अदालत। अधिकांश न्यायाधीशों ने यह विचार "कि" व्यक्तिगत रूप से लिया

"स्वतंत्रता" का उपयोग लेख में शामिल करने के लिए एक समग्र शब्द के रूप में किया गया है अपने भीतर सभी प्रकार के अधिकार जो बनाने के लिए जाते हैं

"मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ, जिन पर कई मामलों में विचार किया गया है,

अनुच्छेद *19 (1)* के खंड। दूसरे शब्दों में, जबकि अनुच्छेद *19 (1)* संबंधित है उस स्वतंत्रता की विशेष प्रजातियों या विशेषताओं के साथ, 'व्यक्तिगत

अनुच्छेद *21* में 'स्वतंत्रता' अवशेषों को शामिल करती है। द. हालांकि, अल्पसंख्यक न्यायाधीशों ने इस दृष्टिकोण से असहमति जताई

बहुमत और निम्नलिखित शब्दों में अपनी स्थिति समझायाः नहीं।

और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक विशेषता है। यह है। कहा कि स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत रूप से बनाई गई है

स्वतंत्रता और इसलिए, अनुच्छेद में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति

24 कूपर *(*सुप्रा नोट *4)*, पृष्ठ *289* पर *(*पैरा *52)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* यूनियन ऑफ इंडिया।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

21 उस विशेषता को बाहर करता है। हमारे विचार से यह सही नहीं है।

ओवरलैप हो रहा है। एक को तराशने का कोई सवाल ही नहीं है।
एक और। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है

कई विशेषताएँ और उनमें से कुछ अनुच्छेद *19* में पाए जाते हैं। यदि ए.

अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, राज्य

कार्रवाई को बनाए रखने के लिए एक कानून पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन यह एक नहीं हो सकता है

पूर्ण उत्तर जब तक कि उक्त कानून निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है
अनुच्छेद *19 (2)* में जहां तक अनुच्छेद *19 (1)* के अंतर्गत आने वाले गुण हैं।

आर. सी. कूपर बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। संघ का
भारत *[(1970) 2* एससीसी *298: (1971) 1* एस. सी. आर. *512]* अल्पसंख्यक

दृष्टिकोण को सही और बहुमत का दृष्टिकोण माना जाना चाहिए।

यह माना जाना चाहिए कि इसे खारिज कर दिया गया है। " *25*

(जोर दिया गया*)*

23. मेनका में निर्णय के बाद, स्थापित संवैधानिक

सिद्धांत यह है कि अनुच्छेद *21* में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति में विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं, जिनमें से कुछ को विशिष्ट मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया है और अनुच्छेद *19* के तहत अतिरिक्त संरक्षण दिया गया है।

नतीजतन, सतवंत सिंह साहनी में, विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद *21* के तहत शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप

उस अधिकार का कोई भी अभाव केवल एक स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही हो सकता है।

कानून द्वारा '। पासपोर्ट अधिनियम, *1967* के अधिनियमन से पहले, विदेश यात्रा के अधिकार को विनियमित करने वाला कोई कानून नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप पासपोर्ट अधिकारी द्वारा पासपोर्ट से इनकार करने के आदेश को अमान्य माना गया था। मानेका में लिए गए फैसले में ओवर-लैपिंग का संवैधानिक सिद्धांत था।

अपने तार्किक निष्कर्ष के लिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति। तर्कसंगतता जो मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी की नींव है

अनुच्छेद *21* के तहत जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान होना चाहिए, न कि केवल कोई प्रक्रिया लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित हो।

24. एम. पी. शर्मा और खरक सिंह के निर्णयों ने एक

अनुच्छेद *19* और *21* के बीच संबंधों पर सैद्धांतिक स्थिति

गोपालन में बहुमत के विचार पर। यह दृष्टिकोण निरस्त कर दिया गया है।

विशेष रूप से कूपर में निर्णय और उसके बाद के बयान द्वारा

मेनका में सिद्धांत। मेनका में निर्णय, वास्तव में, स्पष्ट रूप से

यह माना गया कि यह न्यायमूर्ति सुब्बा राव का असहमतिपूर्ण निर्णय है

25 मेनका *(*सुप्रा नोट *5)*, पृष्ठ *278* पर *(*पैरा *5)*

0

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

खरक सिंह जो सही की व्याख्या का प्रतिनिधित्व करता है

संवैधानिक सिद्धांत। न्यायशास्त्र की नींव जिसने *63* साल पहले एम. पी. शर्मा में और *55* साल पहले इस क्षेत्र को संभाला था।

खड़क सिंह ने उस स्थिति को रास्ता दिया है जो अब एक स्थिर स्थिति है।

संवैधानिक कानून। सबसे पहले, मौलिक अधिकार मूल रूप से उत्पन्न होते हैं।

स्वतंत्रता और गरिमा की धारणाएँ और अनुच्छेद *19* के तहत स्वतंत्रता के कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से संरक्षित अधिकारों के रूप में गिना जाना अस्वीकार नहीं करता है। इसके विस्तृत दायरे का अनुच्छेद *21*। दूसरा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून की वैधता का परीक्षण किया जाना चाहिए, न कि इसके संदर्भ में -

राज्य कार्रवाई का उद्देश्य लेकिन स्वतंत्रता की गारंटी पर इसके प्रभाव के आधार पर। तीसरा, अनुच्छेद *14* की आवश्यकता है कि राज्य को कार्रवाई करनी चाहिए

मनमाना नहीं होना चाहिए और तर्कसंगतता की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए,

इसका अर्थ भाग *III* में संवैधानिक प्रत्याभूतियों से है।

25. अंतर्निहित मूल आधार का सैद्धांतिक अमान्यकरण

एम. पी. शर्मा और खड़क सिंह में निर्णय अभी भी इस मुद्दे को छोड़ देते हैं

क्या निजता संविधान के भाग *III* द्वारा संरक्षित अधिकार है जो विचार के लिए खुला है। दोनों निर्णयों में टिप्पणियां हैं कि संविधान में निजता के अधिकार का कोई विशिष्ट संरक्षण नहीं है।

वर्तमान में, इस मामले को किस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है

वास्तव में दोनों मामलों में विवाद था। एम. पी. शर्मा एक ऐसा मामला था जिसमें अपराधों की जांच के लिए दस्तावेज प्राप्त करने के लिए तलाशी निर्धारित करने वाले कानून को चुनौती दी गई थी क्योंकि यह उनके खिलाफ गारंटी के विपरीत था।

अनुच्छेद *20 (3)* में आत्म-दोषारोपण। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि

दस्तावेजों की खोज ने अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर कर दिया। दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए एक नोटिस के विपरीत, जो एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है और जिसका अनुपालन एक

प्रशंसापत्र अधिनियम, एक तलाशी वारंट और एक जब्ती जो इसके बाद होती है, उस व्यक्ति के प्रशंसापत्र कार्य नहीं हैं जिसे वारंट संबोधित किया जाता है। अनुच्छेद *20 (3)* का अर्थ। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है, विवाद

एम. पी. में शर्मा वहीं आराम करेंगे। एम. पी. शर्मा में इस आशय की टिप्पणियां कि संविधान निर्माताओं ने निजता के मौलिक अधिकार *(*अमेरिका के चौथे संशोधन की तरह*)* को मान्यता देकर खोज और जब्ती की नियामक शक्ति को संवैधानिक सीमाओं के अधीन करना उचित नहीं समझा था, और इसे 'पूरी तरह से अलग मौलिक अधिकार' में प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं था, उच्चतम, आवारा टिप्पणियों पर हैं।

26. एम. पी. शर्मा के मामले में निर्णय में कहा गया कि एक की अनुपस्थिति में

अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन जैसे प्रावधान, निजता के अधिकार को भारतीय संविधान में नहीं पढ़ा जा सकता है।

एम. पी. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम में निर्णय। भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

शर्मा ने यह तय नहीं किया कि निजता का संवैधानिक अधिकार है या नहीं।

मौलिक अधिकारों में निहित अन्य प्रावधानों द्वारा संरक्षित, जिनमें अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। इसलिए निर्णय को विशेष रूप से संरक्षण को बाहर करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

अनुच्छेद *19* या *21* सहित संरक्षित गारंटी के ढांचे के तहत गोपनीयता। एक स्पष्ट संवैधानिक गारंटी का अभाव निजता का मुद्दा अभी भी यह सवाल उठाता है कि क्या निजता स्वतंत्रता का एक तत्व है और मानव गरिमा के एक अभिन्न अंग के रूप में, जीवन की सुरक्षा के भीतर भी समझा जाता है।

27. खरक सिंह में निर्णय उल्लेखनीय है क्योंकि जबकि

पुलिस विनियमों के विनियम *236 (*बी*)* को अमान्य करना जो प्रदान करता है रात में अधिवास यात्राओं के लिए; बहुमत ने इसे एक माना

किसी व्यक्ति के घर में अनधिकृत घुसपैठ और आदेश का उल्लंघन

स्वतंत्रता। इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय, बहुमत ने न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर द्वारा प्रतिपादित गोपनीयता सिद्धांत पर भरोसा रखा,

वुल्फ बनाम कोलोराडो में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट *(*बहुमत के फैसले में उद्धृत वुल्फ का उद्धरण विशेष रूप से दो बार 'गोपनीयता' का विज्ञापन करता है*)*। अधिवास यात्राओं को अमान्य करने के लिए इस सिद्धांत पर भरोसा करने के बाद, अधिकांश में

खड़क सिंह के मामले में फैसले का हिस्सा पहले के फैसले से असंगत है। निर्णय का हिस्सा। खरक सिंह में बहुमत के फैसले को नुकसान

बीए

एक आंतरिक असंगति से।

एफ गोपनीयता की उत्पत्ति,

28. निजता की उत्पत्ति का मूल्यांकन आवश्यक है ताकि

समझें कि क्या *(*जैसा कि भारत संघ अभिधारणा करता है*)*, अवधारणा ऐसी है वर्णन की अवहेलना करने के लिए अनाकार। सरकार का निवेदन है कि

कि न्यायालय एक ऐसी न्यायिक अवधारणा को मान्यता नहीं दे सकता जो इतनी अस्पष्ट है और

यह अनिश्चित है कि यह संवैधानिक जांच का सामना करने में विफल रहता है। इससे ऐसा होता है उत्पत्ति का विश्लेषण करना आवश्यक है। गोपनीयता और इसके विकास का पता लगाने के लिए।

29. यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने दोनों के बीच विभाजन की बात की थी।

राजनीतिक मामलों का सार्वजनिक क्षेत्र *(*जिसे उन्होंने पुलिस कहा*)* और मानव जीवन का व्यक्तिगत क्षेत्र *(*जिसे ओइकोस कहा जाता है*)*। यह द्विभाजन हो सकता है

"की ओर से एक गोपनीय क्षेत्र" की प्रारंभिक मान्यता प्रदान करें

नागरिक *"26.* सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच अरस्तू का अंतर

सरकारी प्राधिकरण *662* सुपर *COURT.REPORTS* को प्रतिबंधित करने के लिए एक आधार प्रदान करने के रूप में माना जा सकता है

[2017] 10 एस सी आर।

ए सार्वजनिक दायरे में आने वाली गतिविधियों के लिए। दूसरी ओर, गतिविधियाँ

निजी क्षेत्र में अधिक उचित रूप से "निजी" के लिए आरक्षित हैं

चिंतन, पारिवारिक संबंध और आत्मनिर्णय *"27.*

*** 30 .* एक निश्चित स्तर पर, गोपनीयता के सिद्धांत का विकास हुआ है

सार्वजनिक-निजी भेद का पालन किया। विलियम ब्लैकस्टोन ने अपने

बी. इंग्लैंड के कानूनों पर टिप्पणियाँ *(1765)* इस बारे में बात करती हैं।

गलतियों को निजी गलतियों और सार्वजनिक गलतियों में विभाजित करते समय अंतर।

निजी गलतियाँ केवल व्यक्तियों से संबंधित विशेष अधिकारों का उल्लंघन हैं और नागरिक चोटों की प्रकृति में हैं। सार्वजनिक गलतियाँ होती हैं

:

पूरे समुदाय को प्रभावित करने वाले सामान्य और सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन और उनके अनुसार, अपराध और दुराचार कहा जाता है।

एस.

31. जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध 'ऑन लिबर्टी' *(1859)* में एक ऐसे क्षेत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता को व्यक्त किया जिसके भीतर नागरिक की स्वतंत्रता राज्य के अधिकार से मुक्त होगी। मिल के अनुसारः

किसी भी व्यक्ति के आचरण का एकमात्र हिस्सा, जिसके लिए वह समाज के लिए उत्तरदायी है, वह है जो दूसरों की चिंता करता है। जिस भाग में केवल

डी.

स्वयं से संबंधित है, उसकी स्वतंत्रता, सही, निरपेक्ष है। ऊपर।

स्वयं, अपने शरीर और मन पर, व्यक्ति संप्रभु है। *28*

"स्वतंत्रता और अधिकार के बीच संघर्ष" की बात करते हुए*?*,

मिल ने माना कि बहुमत के अत्याचार को नियंत्रित किया जा सकता है

ई गोपनीयता के व्यक्तिगत अधिकार जैसे नागरिक अधिकारों की मान्यता, स्वतंत्र

भाषण, सभा और अभिव्यक्ति।

32. ऑस्टिन ने न्यायशास्त्र पर अपने व्याख्यान *(1869)* में कहा कि

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच अंतरः जस पब्लिकम

और जस प्राइवेटम।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच अंतर है

एफ.

सीमाएँ। यदि गोपनीयता की रक्षा करने का कारण गरिमा है

व्यक्तिगत रूप से, इसके अस्तित्व का तर्क केवल इसलिए समाप्त नहीं होता है क्योंकि

व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में दूसरों के साथ बातचीत करनी होती है। इसकी सीमा जिनसे एक व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर गोपनीयता की उम्मीद करता है, वे अलग हो सकते हैं।

जिससे वह घर की पवित्रता में उम्मीद करती है। फिर भी अगर गरिमा है

जी.

26 माइकल सी. जेम्स, "संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप में गोपनीयता के अधिकार का एक तुलनात्मक विश्लेषण", कनेक्टिकट जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ *(स्प्रिंग 2014),*

· खण्ड. *29* , अंक *2*, पृष्ठ *261* पर

27 इबिद, पृष्ठ *262* पर।

28 जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑन लिबर्टी, बाटोचे बुक्स *(1859),* पृष्ठ *13* पर

* उदाहरण के लिए, पृष्ठ *6* पर

एच*!*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अंतर्निहित विशेषता, गोपनीयता के अधिकार को मान्यता देने का आधार नहीं है

सार्वजनिक स्थानों पर निषिद्ध। हालाँकि, अनुमेय राज्य विनियमन की सीमा सरकार की वैध चिंताओं के आधार पर भिन्न हो सकती है।

प्राधिकरण।

33. जेम्स मैडिसन, जो अमेरिकी के वास्तुकार थे

संविधान ने मानव संपत्ति के अपरिहार्य अधिकारों की एक घटना के रूप में नागरिक क्षमताओं के संरक्षण पर विचार किया। उनमे शब्दः

" पूर्व अर्थ में, एक आदमी की भूमि, या व्यापार, या पैसा है
उसे अपनी संपत्ति कहते थे। बाद के अर्थ में, एक व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति होती है।

राय और उनका स्वतंत्र संचार।

उसके पास अपने संकायों के स्वतंत्र उपयोग और उन्हें नियोजित करने के उद्देश्यों के स्वतंत्र चयन में समान संपत्ति हित है। ए में

जैसा कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर अधिकार है, वह हो सकता है

समान रूप से कहा जाता है कि उसके अधिकारों में संपत्ति है। जहाँ शक्ति की अधिकता प्रबल होती है, वहाँ किसी भी प्रकार की संपत्ति का विधिवत सम्मान नहीं किया जाता है। कोई आदमी नहीं है

अपनी राय, अपने व्यक्ति, अपनी क्षमताओं या अपनी संपत्ति में सुरक्षित।

विवेक सभी संपत्तियों में सबसे पवित्र है; अन्य संपत्ति।

आंशिक रूप से सकारात्मक कानून के आधार पर, इसका प्रयोग, एक प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकार है। एक आदमी के घर को उसके महल के रूप में संरक्षित करना, सार्वजनिक भुगतान करना और निजी ऋणों को सबसे सटीक विश्वास के साथ लागू करना,

एक आदमी के विवेक पर आक्रमण करने के लिए कोई उपाधि नहीं दे सकता है जो अधिक है

अपने महल की तुलना में पवित्र, या उससे उस सुरक्षा के ऋण को रोकना, जिसके लिए सार्वजनिक विश्वास का वचन दिया गया है, बहुत ही प्रकृति और मूल द्वारा

सामाजिक समझौते की शर्तें "। *30*
मैडिसन ने एक अलंघनीय क्षेत्र की मान्यता का पता लगाया

संपत्ति का अविच्छेद्य अधिकार। संपत्ति की व्याख्या व्यापक अर्थों में की जाती है।

मूर्त और अमूर्त को शामिल करना और अंततः अपने विवेक पर नियंत्रण रखना।

34. 15 दिसंबर *1890* को हार्वर्ड में प्रकाशित एक लेख में

लॉ रिव्यू, सैमुअल डी वारेन और लुई ब्रांडेस ने कानून के विकास को इसके भीतर शामिल करने के लिए, जीवन के अधिकार को "ए

मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति, उसकी भावनाओं और उसकी बुद्धि की मान्यता ", जैसे-जैसे कानूनी अधिकारों का विस्तार हुआ, जीवन के अधिकार का अर्थ "

30 जेम्स मैडिसन, "एसे ऑन प्रॉपर्टी", गेलार्ड हंट संस्करण में। , जेम्स के लेखन

मैडिसन *(1906)*, वॉल्यूम। *6* , पृष्ठों पर *101-103*।

ना.

जीवन का आनंद लेने का अधिकार-अकेले रहने का अधिकार। यह स्वीकार करते हुए कि "केवल

जीवन के दर्द, आनंद और लाभ का एक हिस्सा भौतिक चीजों में निहित है "और

कि "विचार, भावनाएँ और संवेदनाएँ कानूनी मान्यता की माँग करती हैं",

वारेन और ब्रैंडेस ने स्पष्टता की भावना के साथ प्रभाव का खुलासा किया

अकेले रहने के अधिकार पर प्रौद्योगिकीः

ऐसा कदम जो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उठाया जाना चाहिए, और
व्यक्ति को वह अधिकार प्रदान करना जिसे न्यायाधीश कूली "होने का अधिकार" कहते हैं

छोड़ दो "। तत्काल तस्वीरें और समाचार पत्र उद्यम

निजी और घरेलू जीवन के पवित्र परिसरों पर आक्रमण किया है;

और कई यांत्रिक उपकरणों को अच्छा बनाने के लिए खतरा है

भविष्यवाणी की कि "अलमारी में जो फुसफुसाया जाएगा वह घोषित किया जाएगा
घर से-शीर्ष "। वर्षों से ऐसी भावना रही है कि

कानून को अनधिकृत प्रसार के लिए कुछ उपाय करना चाहिए

निजी व्यक्तियों के चित्र।
जीवन की तीव्रता और जटिलता, आगे बढ़ने पर परिचर

सभ्यता ने दुनिया से कुछ पीछे हटना आवश्यक बना दिया है,

और मनुष्य, संस्कृति के परिष्करण प्रभाव के तहत, अधिक हो गया है

प्रचार के प्रति संवेदनशील, ताकि एकांत और गोपनीयता बन जाए

व्यक्ति के लिए अधिक आवश्यक; लेकिन आधुनिक उद्यम और आविष्कार

उसकी निजता पर आक्रमणों के माध्यम से, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है

दर्द और पीड़ा, केवल शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक हो सकती है

चोट लगी है। " *32*

वारेन और ब्रैंडेस ने अपने मौलिक लेख में कहा है:

"वह सिद्धांत जो व्यक्तिगत लेखन और अन्य सभी की रक्षा करता है

व्यक्तिगत उत्पादन, चोरी और भौतिक विनियोग के खिलाफ नहीं,
लेकिन किसी भी रूप में प्रकाशन के खिलाफ, वास्तव में सिद्धांत नहीं है

निजी संपत्ति, लेकिन एक अनुल्लंघनीय व्यक्तित्व की। *23*

(जोर दिया गया*)*

इस प्रकार "अकेले रहने का अधिकार" एक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है

"एक अनुल्लंघनीय व्यक्तित्व ", स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का एक मूल जिससे मनुष्य को घुसपैठ से मुक्त होना था। तकनीक जिसने व्यक्ति की गोपनीयता को संरक्षित करने की आवश्यकता के लिए एक औचित्य प्रदान किया था

फोटोग्राफी का विकास। अकेला रहने का अधिकार ऐसा नहीं था

31 वारेन और ब्रैंडेस, "गोपनीयता का अधिकार", हार्वर्ड लॉ रिव्यू *(1890), Vol.4,*

नं. *5*, पृष्ठ *193* पर

32 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *195-196*

33 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *205* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मानव व्यक्तित्व की अलंघनीय प्रकृति के प्रतिबिंब के रूप में संपत्ति की एक घटना।

35. प्रभाव पर वारेन और ब्रांडेस की बजती टिप्पणियाँ

एक वैश्वीकृत दुनिया में आज भी प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता बनी हुई है।

इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व। जैसे-जैसे समाज विकसित हुए हैं, वैसे-वैसे गोपनीयता के अर्थ और दायरे भी विकसित हुए हैं।

36. हालाँकि कई समकालीन विवरण आधुनिक का श्रेय देते हैं।

वारेन और ब्रांडेस लेख के 'निजता के अधिकार' की अवधारणा,

ऐतिहासिक सामग्री से संकेत मिलता है कि थॉमस कूली ने गोद लिया था टार्ट्स *34* के कानून पर अपने ग्रंथ में वाक्यांश "अकेले रहने का अधिकार"। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा पर चर्चा करते हुए, कूली ने कहाः

प्रतिरक्षा; अकेले रहने का अधिकार। *35*

रोस्को पाउंड ने वारेन और ब्रांडेस के लेख का वर्णन इस प्रकार किया

"हमारे कानून में एक अध्याय जोड़ने से कम कुछ नहीं" किया है। हालांकि, इस विषय पर एक अन्य लेखक का कहना है किः

" निजता का यह अधिकार नया नहीं था। वारेन और ब्रैंडेस ने नहीं किया

यहाँ तक कि वाक्यांश, "निजता का अधिकार", और न ही इसका सामान्य उपनाम,

" अकेला रहने का अधिकार "। *3 7*

अकेले रहने का अधिकार जीवन का आनंद लेने के अधिकार का एक हिस्सा है। द.

जीवन का आनंद लेने का अधिकार, बदले में, जीवन के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।

व्यक्ति को।

37. निजता का अधिकार वारेन और ब्रैंडेस द्वारा विकसित किया गया था।

सघन शहरीकरण की पृष्ठभूमि में जो विशेष रूप से हुआ

संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तट। *1790* और *1890* के बीच, अमेरिका

नागरिक शासन के अंत के बाद से शहरी क्षेत्रों की संख्या सौ गुना से अधिक बढ़ गई थी।
युद्ध। *1890* में, *80* लाख से अधिक लोग अमेरिका चले गए थे।

तकनीकी प्रगति और तेजी से नवाचारों ने निजी क्षेत्र को जन्म दिया था।

तनाव में रहनाः

34 थॉमस कूली, ट्रीटीज ऑन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स *(1888)*, दूसरा संस्करण

35 इबिद, पृष्ठ *29* पर

36 डोरोथी जे ग्लैंसी, "द इन्वेंशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी", एरिजोना लॉ रिव्यू *(1979)* खंड। *21* , नं. *1*, पृष्ठ *1* पर। लेख में रोस्को पाउंड उद्धरण का श्रेय "लेटर फ्रॉम रोस्को पाउंड टू विलियम चिल्टन *(1916)*" को दिया गया है, जैसा कि अल्फियस मेसन में उद्धृत किया गया है।

ब्रांडिसः ए फ्री मैन्स लाइफ *70 (1956)*।

37 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *2-3* पर।

"..... गृहयुद्ध के बाद के दशकों के दौरान तकनीकी प्रगति हुई थी

बोस्टन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों में विभिन्न आविष्कारों के रूप में "अनगिनत, कम देखी गई क्रांतियाँ" लाई गईं।

जिसने व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तित्व को बनाया
परिचित, सामाजिक या आर्थिक वर्ग, या प्रथा की परवाह किए बिना, बड़ी संख्या में अन्य लोगों के लिए तेजी से सुलभ

औचित्य की सीमाएँ। बेल ने बोस्टन में टेलीफोन का आविष्कार किया।

पहला वाणिज्यिक टेलीफोन एक्सचेंज *1877* में खोला गया, जबकि वारेन और ब्रैंडेस हार्वर्ड लॉ स्कूल के छात्र थे। *1890* तक टेलीग्राफ, काफी सस्ते पोर्टेबल कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण और बेहतर और सस्ते भी थे।

रा.

खिड़की का शीशा बनाने की विधियाँ। वारेन और ब्रैंडेस

यह माना गया कि प्रौद्योगिकी में इन प्रगति के साथ-साथ
समाचार पत्र उद्यम में वृद्धि, व्यक्तियों की अपने कार्यों, शब्दों, छवियों और व्यक्तित्वों के प्रति भेद्यता में वृद्धि हुई

परिवार और चुने हुए दोस्तों के संरक्षित दायरे से परे उनकी सहमति के बिना संचारित किया गया। *38*

इसके साथ-साथ अमेरिकी समाज में प्रिंट मीडिया की बढ़ती उपस्थिति, समाचार पत्र *39* की ओर रुझान था। छह महीने

वारेन और ब्रैंडेस के लेख के प्रकाशन से पहले; ई एल गॉडकिन,

एक समाचार पत्र ने इसी विषय पर एक लेख प्रकाशित किया था

जुलाई *1890* में स्क्रिबनर की पत्रिका। हालांकि, गॉडकिन ने घुसपैठ के खिलाफ गोपनीयता की रक्षा के लिए कोई यथार्थवादी उपाय नहीं सुझाया, सिवाय "डंडे या घुड़सवार द्वारा" के। वारेन और ब्रैंडेस ने वकालत की थी।

निजता के अधिकार को सही ठहराने के लिए सामान्य कानून का उपयोग।

1801 में समाप्त हो गया। सच सामने आने से पहले। में एक बचाव के रूप में स्वीकार किया जाए
राज्य में मानहानि की कार्रवाई, आपराधिक मानहानि के मुकदमे बढ़े

अदालतें। *43* इसी तरह, सत्य को एक नागरिक के लिए एक वैध बचाव के रूप में नहीं माना जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी के अधिकांश समय में मानहानि की कार्रवाई। जब तक वारेन और ब्रांडेस ने *1890* में अपना लेख लिखा, तब तक शायद सच्चाई का प्रकाशन हो चुका था।

38 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *7-8* पर

39 *34* इबिद, पृष्ठ *8* पर

42 इबिद, पृष्ठ *12* पर

43 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *14* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ -

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मानहानि के कानून के तहत अब कार्रवाई योग्य नहीं है। यह उल्लंघन या कमी थी जिसे उन्होंने निजता के अधिकार की बात करके भरने की कोशिश की।

जो व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व पर नियंत्रण की रक्षा करेगा। निजता का अधिकार "अमेरिकी व्यक्तिवाद की लंबी परंपरा" का प्रतिनिधित्व करने वाले "लेटमोटिफ" के रूप में विकसित हुआ।

39. जैसा कि हम उन सीमाओं के प्रति सचेत हैं जिनके साथ तुलनात्मक

कानून और इतिहास के ढांचे *46* का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, उपरोक्त विवरण महत्वपूर्ण है। यह प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के साथ जीने की बुनियादी आवश्यकता को दर्शाता है। शहरीकरण और आर्थिक विकास पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के प्रतिस्थापन की ओर ले जाता है। शहरी घेटो की जगह लेते हैं

आत्मनिर्भर ग्रामीण आजीविका की शांति। रक्षा करने की आवश्यकता

अस्तित्व की गोपनीयता तब कम नहीं होती है जब विकास और तकनीकी परिवर्तन लगातार व्यक्ति को सार्वजनिक दृष्टि में रखने और व्यक्ति को परस्पर जुड़े जीवन के निर्बाध जाल में डुबोने का खतरा पैदा करते हैं।

जी प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकार

40. निजता व्यक्ति के प्रयोग करने के अधिकार का एक सहवर्ती है,

अपने व्यक्तित्व पर नियंत्रण रखें। यह इस धारणा में एक मूल पाता है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य के लिए स्वाभाविक या अंतर्निहित हैं। प्राकृतिक अधिकार अविभाज्य हैं क्योंकि वे अविभाज्य हैं।

उनके विचार में, पूर्ण अधिकार थे जो व्यक्ति में निहित थे। प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा। इन पूर्ण अधिकारों को व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों में विभाजित किया गया था। अधिकार।

व्यक्तिगत सुरक्षा में जीवन का कानूनी और निर्बाध आनंद शामिल है,

41 44 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *15-16*

45 पृष्ठों पर आईडी *21-22 46* सचित्र रूप से, सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के दो दिलचस्प लेख हैं जिनका पता लगाया जा सकता है।

शास्त्रीय हिंदू कानून और इस्लामी कानून के भीतर गोपनीयता की उत्पत्ति। देखें अश्रा आशेश और भैरव आचार्य, "शास्त्रीय हिंदू कानून के भीतर गोपनीयता की संरचनाओं का पता लगाना",

सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, यहां उपलब्ध हैः //सिस-इंडिया। ओआरजी/इंटरनेट शासन/ब्लॉग/लोडिंग-गोपनीयता का निर्माण-शास्त्रीय-हिंदू-कानून के भीतर।

यह भी देखें

विदुशी मर्दा और भैरव आचार्य, "इस्लामी में गोपनीयता के पहलुओं की पहचान करना

लॉ ", द सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी, यहां उपलब्ध हैः //सिस-इंडिया। ओआरजी/इंटरनेट

शासन/ब्लॉग/पहचान-पहलुओं की-गोपनीयता-इस्लामी-कानून सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट

एक व्यक्ति द्वारा अंग, शरीर, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा।

41. यह धारणा कि कुछ अधिकार अविभाज्य हैं, में सन्निहित था

अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा *(1776)* निम्नलिखित में

शर्तें: .

"हम इन सत्यों को स्वयंसिद्ध मानते हैं, कि सभी मनुष्य बनाए गए हैं।

समान, कि वे अपने निर्माता द्वारा कुछ के साथ संपन्न हैं

अपरिहार्य अधिकार, कि इनमें से जीवन, स्वतंत्रता और

+

(जोर दिया गया*)*

सुख की खोज "।

इस घोषणा में अविच्छेद्य अधिकार शब्द को शामिल किया गया था

फ्रांसीसी द्वारा अपनाए गए मानव और नागरिक के अधिकार *(1789)* निम्नलिखित शर्तों में राष्ट्रीय सभा:

"इसके मसौदा तैयार करने वालों के लिए, के अधिकारों को नजरअंदाज करना, भूलना या कम करना

मनुष्य ही सार्वजनिक दुर्भाग्य और सरकार का एकमात्र कारण है

भ्रष्टाचार। ये अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, जो अपरिहार्य हैं और
पवित्र, राष्ट्रीय सभा उन्हें मान्यता देती है और घोषित करती है-यह

उन्हें प्रदान, स्वीकार या स्थापित नहीं करता है-और उनका संरक्षण

सभी राजनीतिक समुदायों के लिए कारण है; इन अधिकारों के आंकड़ों के भीतर

उत्पीड़न का प्रतिरोध "।

(जोर दिया गया*)*

42. 1921 में, रोस्को पाउंड ने "द स्पिरिट ऑफ

सामान्य कानून ने प्राकृतिक अधिकारों के अर्थ को समझाया:

*** प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ केवल वे हित हैं जो हम समझते हैं कि होने चाहिए।

सुरक्षित; मांगें जो मनुष्य कर सकते हैं जो हम सोचते हैं

संतुष्ट होना चाहिए। यह बिल्कुल सच है कि न तो कानून और न ही

राज्य उन्हें बनाता है। लेकिन उनका इलाज करना सभी अच्छी सोच के लिए घातक है
कानूनी अवधारणाओं के रूप में। कानूनी अधिकारों के लिए, उपकरण जो कानून बनाते हैं

इन हितों को सुरक्षित करने के लिए नियोजित करता है क्योंकि यह समीचीन है

पहचानें, कानून का काम है और उस अर्थ में काम

राज्य। " *47*

दो दशक बाद *1942* में, "द रिवाइवल ऑफ नेचुरल" में पाउंड

"लॉ" ने प्रस्तावित किया किः

"सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में शास्त्रीय प्राकृतिक कानून

परिपूर्णता की स्थिति में आदर्श या परिपूर्ण व्यक्ति जिसके आधार पर वह
कुछ चीज़ें होनी चाहिए या कुछ चीज़ें करने में सक्षम होना चाहिए। ये

रोस्को पाउंड, द स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ, मार्शल जोन्स कंपनी *(1921)*

47

पृष्ठ *92* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

स्थिरता की गारंटी थी क्योंकि प्राकृतिक अधिकार थे

परिवर्तन करें। *(3)* एक आदर्श कानून जिसके केवल सकारात्मक कानून थे
घोषणात्मक; मानव को नियंत्रित करने वाले पूर्ण उपदेशों का एक आदर्श निकाय

संबंध और मानव आचरण का आदेश, प्राकृतिक की गारंटी

अधिकार और सामाजिक समझौते को व्यक्त करना। *48*

(जोर दिया गया*)*

43. 1955 में, एडविन डब्ल्यू पैटरसन ने "ए प्रैग्मेटिस्ट लुक्स एट" में लिखा था।

प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों ने पाया कि कौन से अधिकार व्यक्तियों के हैं। सरकार बनाने के लिए एक सामाजिक समझौता करते समय, अपने लिए आरक्षित, प्राकृतिक अधिकार हैं क्योंकि वे इस स्थिति में उत्पन्न होते हैं -

प्रकृति और सामाजिक कॉम्पैक्ट जीवित रहें। उनके शब्दों मेंः

"हमारे राजनीतिक समाज में नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का सम्मान किया जाता है।

सकारात्मक संविधानों, कानूनों और न्यायिक से स्वतंत्र रूप से
निर्णय, जो केवल अधिकारों को "सुरक्षित" या "सुरक्षित" करना चाहते हैं

पहले से ही आरक्षित। ये अधिकार किसी परोपकारी द्वारा नहीं दिए जाते हैं।

अपनी कृतज्ञ प्रजा के प्रति निष्ठावान। इस प्रकार "प्राकृतिक अधिकार" सिद्धांत

इस तरह के संरक्षण के लिए एक सुविधाजनक विचारधारा प्रदान की

महत्वपूर्ण अधिकार जैसे बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और

आम तौर पर हमारी संस्कृति में मौजूद हैं और कानूनी अधिकारों में ट्यून किए जाते हैं
कानूनी रूप से संरक्षित किया जा रहा है। *49*

44. प्राकृतिक अधिकार राज्य द्वारा नहीं दिए जाते हैं। वे यहाँ हैं

इंसान हैं क्योंकि वे इंसान हैं। वे वर्ग या स्तर, लिंग या अभिविन्यास की परवाह किए बिना व्यक्ति में समान रूप से मौजूद हैं।

45. किसी वस्तु के अभेद्य अधिकार को वस्तु से अलग करना

स्वयं अभेद्यता की धारणा पर जोर देता है। सभी मनुष्यों को बनाए रखें उनके अपरिहार्य अधिकार *(*उनकी स्थिति जो भी हो, उनके कार्य जो भी हों,

चाहे उनका अपराध या मासूमियत कुछ भी हो*)*। प्राकृतिक अविभाज्य अधिकारों की अवधारणा मनुष्यों को स्वायत्तता प्रदान करती है। लेकिन स्वायत्तता नहीं है निरपेक्ष, सरल कारण के लिए कि, अविभाज्य अधिकारों की अवधारणा

48 रोस्को पाउंड, "द रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ", नोट्रे डेमने लॉयर *(1942)*, वॉल्यूम। *27* ,

नंबर *4*, पृष्ठ *330* पर

49 एडविन डब्ल्यू. पैटरसन, "एक व्यवहारवादी प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों को देखता है", में

› आर्थर एल. हार्डिंग एड। , प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार *(1955)*, पृष्ठों पर *62-63* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

यह मानता है कि कुछ अधिकार हैं जिन्हें कोई भी इंसान अलग नहीं कर सकता है। जबकि प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के चुनने के अधिकार की रक्षा करते हैं और

स्वतंत्रता को बनाए रखें, फिर भी व्यक्ति की स्वायत्तता निरपेक्ष या पूर्ण नहीं है। एक सैद्धांतिक निर्माण के रूप में, यह अन्यथा कड़ाई से संभव होगा

किसी अन्य व्यक्ति को खुद को मारने या खुद को गुलामी में बेचने के लिए काम पर रखें या

दासता। हालाँकि ये अधिनियम स्वायत्त हैं, लेकिन ये अपरिहार्य अधिकारों का उल्लंघन होंगे। इसका कारण यह है कि:

"..... ये अधिनियम, भले ही स्वायत्त हों, अविभाज्य अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, जैसा कि सिद्धांतों में है। वे होंगे।

नैतिक रूप से अमान्य, और वास्तव में अप्रभावी अधिकारों को अलग करने के लिए अप्रभावी।

हालाँकि वे आत्म-संबंधी हैं, वे एक ऐसी स्वायत्तता का नाटक करते हैं जो मौजूद नहीं है। अपरिहार्य अधिकार ठीक ऐसे अधिकारों के खिलाफ निर्देशित हैं।
झूठी स्वायत्तता।

प्राकृतिक अपरिहार्य अधिकार, अन्य प्राकृतिक अधिकारों की तरह, लंबे समय से आराम कर रहे हैं।

जिस पर प्राकृतिक कानून का प्रकृति का नियम कहा गया है। शायद ऊपर चर्चा किए गए सभी सिद्धांतों को प्रकृति का नियम या प्राकृतिक नियम सिद्धांत कहा जा सकता है। अमेरिकी परंपरा, इतनी जल्दी भी

1641 , थॉमस हॉब्स द्वारा लेवियाथन को प्रकाशित करने से दस साल पहले,

प्राकृतिक अधिकारों के दावे शामिल थे, और इन दावों ने अपील की

प्रकृति की तरह, प्राकृतिक अविभाज्य अधिकारों को प्रस्तुत करना मुश्किल है। " 'यह प्राकृतिक कानून से है, और केवल इसी से मनुष्य उन अधिकारों को प्राप्त करता है
हम अपरिहार्य और अलंघनीय के रूप में संदर्भित करते हैं। मानवाधिकार हो सकते हैं

प्राकृतिक कानून के अलावा कोई आधार नहीं ", *50*

46. यह विचार कि व्यक्तियों को राज्य के खिलाफ अधिकार हो सकते हैं कि

स्पष्ट विधान द्वारा बनाए गए अधिकारों से पहले के रूप में विकसित किया गया है

रोनाल्ड ड्वोर्किन द्वारा प्रस्तावित कानून के एक उदार सिद्धांत का हिस्सा। "टेकिंग राइट्स सीरियसली" *(1977)* नामक अपने मौलिक कार्य में, वे कहते हैं कि:

"व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों द्वारा दिए गए राजनीतिक अधिकार हैं।

व्यक्तियों के पास तब अधिकार होते हैं जब किसी कारण से, एक सामूहिक लक्ष्य उन्हें व्यक्तिगत रूप से, जो वे चाहते हैं, उसे करने या करने से इनकार करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं होता है, या उन पर कुछ नुकसान या चोट लगाने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं होता है। *52 (* जोर दिया गया*)*

ड्वोर्किन सरकार के खिलाफ एक अधिकार के अस्तित्व पर जोर देता है

50 क्रेग ए. स्टर और ग्रेगरी एम. जोन्स, "प्राकृतिक अविभाज्य अधिकारों की सुसंगतता",

यू. एम. के. सी. विधि समीक्षा *(2007-08)*, खंड *76 (4)*, पृष्ठों पर *971-972*

सेंट रोनाल्ड ड्वोर्किन, टेकिंग राइट्स सीरियसली, डकवर्थ *(1977) 5 2* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *xi* पर

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यकः

"यह कहना समझदारी की बात है कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।

सरकार के खिलाफ, मजबूत अर्थों में, जैसे मुक्त
भाषण, यदि वह अधिकार उसकी गरिमा की रक्षा के लिए आवश्यक है, या

टी.

चिन्ता और सम्मान के लिए समान रूप से हकदार के रूप में उसकी स्थिति, या

समान परिणाम का कुछ अन्य व्यक्तिगत मूल्यः *" 53*

(जोर दिया गया*)*

इस सवाल से निपटना कि क्या सरकार इसमें ढील दे सकती है

ड्वोर्किन का कहना है कि दूसरों के कार्य करने के अधिकार तब होते हैं जब उनके कार्य केवल जोखिम को बढ़ा सकते हैं, भले ही मामूली या अटकलबाजी से, कि किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा।

"लेकिन कोई भी समाज जो विभिन्न अधिकारों को मान्यता देने का इरादा रखता है,

इस आधार पर कि किसी व्यक्ति की गरिमा या समानता पर आक्रमण किया जा सकता है

"इस तरह के सिद्धांतों को विभिन्न तरीकों से स्वीकार किया जा सकता है।

यदि अधिकार समझ में आते हैं, तो उनके महत्व की डिग्री समझ में नहीं आती है।

इतना अलग हो कि कुछ की गिनती तब बिल्कुल नहीं होती जब अन्य होते हैं

55 उल्लेख किया गया है।

यदि सरकार अधिकारों को गंभीरता से नहीं लेती है, तो वह नहीं लेती है
कानून को गंभीरता से लें या तो *56*

ड्वोर्किन का कहना है कि न्यायाधीशों को यह तय करना चाहिए कि किसी व्यक्ति का अधिकार कितना व्यापक है।

अधिकारों का विस्तार होता है। वह कहता हैः

"वास्तव में, यह सुझाव कि अधिकारों का प्रदर्शन किया जा सकता है
सिद्धांत प्रदर्शनों के लिए एक अपील के बजाय इतिहास की प्रक्रिया
या तो एक भ्रम या कोई वास्तविक चिंता नहीं कि अधिकार क्या हैं।
है।
यह एक जटिल तर्क रहा है, और मैं इसे संक्षेप में बताना चाहता हूं।

3. हमारी संवैधानिक प्रणाली एक विशेष नैतिक सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात् -
कि पुरुषों को राज्य के खिलाफ नैतिक अधिकार हैं। अलग-अलग खंड
"

* "उचित प्रक्रिया और समान संरक्षण की तरह अधिकारों के विधेयक का
खंडों को नैतिक अवधारणाओं के लिए आकर्षक के रूप में समझा जाना चाहिए
विशेष अवधारणाओं को निर्धारित करने की तुलना में; इसलिए, एक अदालत जो
इन खंडों को पूरी तरह से लागू करने का भार वहन करता है क्योंकि कानून होना चाहिए
एक सक्रिय अदालत, इस अर्थ में कि इसे तैयार करने के लिए तैयार होना चाहिए

53 इबिद, पृष्ठ *199* पर

54 इबिद, पृष्ठ *203* पर

55 इबिद, पृष्ठ *204* पर

56 इबिद, पृष्ठ *205* पर

i

..

और राजनीतिक नैतिकता के प्रश्नों का उत्तर दें।
इस निर्णय का एक बाद का खंड इस बात से संबंधित है कि कितना प्राकृतिक और
भारतीय उदाहरण में अविभाज्य अधिकारों का विकास किया गया है।

एच. भारत में गोपनीयता सिद्धांत का विकास

47. खरक के बाद इस न्यायालय के शुरुआती फैसलों में से

सिंह आर. एम. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य *58* थे। उस मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885* की धारा *25* नहीं थी

उल्लंघन किया गया क्योंकिः

:

"जहाँ टेलीफोन पर बात करने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इसे रिकॉर्ड करने या सुनने की अनुमति देता है, वहाँ यह नहीं कहा जा सकता है कि दूसरा व्यक्ति जिसे ऐसा करने की अनुमति है वह हानिकारक, हटाने, छेड़छाड़, छूने वाला है।

अवरोधन या अधिग्रहण के लिए मशीनरी बैटरी लाइन या पोस्ट

स्वयं किसी भी संदेश की सामग्री के साथ। टेप रिकॉर्डर को जोड़ने में जबरदस्ती या मजबूरी का कोई तत्व नहीं था

फ़ोन "। *59*

इस न्यायालय ने उसी तर्क का पालन किया जैसा कि खारक में किया गया था

सिंह ने अनुच्छेद *21* के तहत गोपनीयता आधारित चुनौती को खारिज करते हुए कहा। उल्लेखनीय रूप से, न्यायालय ने कहा किः

"अनुच्छेद *21* को यह प्रस्तुत करके लागू किया गया था कि

अपीलार्थी की बातचीत पर हमला किया गया था। अनुच्छेद *21* जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के संबंध में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर विचार करता है। एक निर्दोष नागरिक की टेलीफोन पर बातचीत

अदालतों द्वारा गलत या उच्च अधिकार के खिलाफ संरक्षित किया जाएगा
बातचीत को टैप करके हस्तक्षेप करना। सुरक्षा नहीं है

कानून को सही साबित करने और लोक सेवकों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुलिस के प्रयासों के खिलाफ दोषी नागरिक के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।

यह समझ में आया कि न्यायालय पुलिस को आगे बढ़ने की अनुमति देकर नागरिक की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को बर्दाश्त करेगा
गैरकानूनी या अनियमित तरीकों से। *60*

दूसरे शब्दों में, यह अवरोधन की लक्षित और विशिष्ट प्रकृति थी जो अदालत के साथ भारी थी, टेलीफोन टैपिंग की जा रही थी

एक दोषी व्यक्ति पर निर्देशित। इसलिए अदालत ने फैसला सुनाया कि एक निर्दोष नागरिक की टेलीफोन पर बातचीत को गलत एस *7* आई. बी. आई. डी. से पृष्ठ *147* पर संरक्षित किया जाएगा।

59 इबिद, पृष्ठ *476* पर *(*पैरा *20)* *60* इबिद, पृष्ठ *479* पर *(*पैरा *31)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

वायरटैपिंग द्वारा हस्तक्षेप।

48. गोबिंद *6 1* में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने राज्य पुलिस के विनियम *855* और *856* की वैधता को चुनौती दी।

विनियम जिनके तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ एक इतिहास पत्रक खोला गया था

जिन्हें निगरानी में रखा गया था। तीन न्यायाधीशों की पीठ

खरक सिंह में निर्णय और पुलिस विनियमों *(*रात में अधिवास यात्राओं के अलावा*)* के सत्यापन के लिए। जब तक गोबिंद में निर्णय दिया गया, तब तक अमेरिका में कानून विकसित हो गया था और इस न्यायालय ने ग्रिसवोल्ड वाई कनेक्टिकट *62 ("*ग्रिसवोल्ड*")* में निर्णय पर ध्यान दिया जिसमें गर्भनिरोधक पर विवाहित व्यक्तियों को जानकारी और सलाह देने के आरोप में एक क़ानून के तहत दोषसिद्धि दी गई थी।

विधियों को अमान्य माना गया। इस न्यायालय ने इस उक्ति को स्वीकार किया कि अधिकारों के विधेयक की विशिष्ट गारंटी में पेनम्ब्रा हैं जो गोपनीयता के क्षेत्र बनाते हैं। अदालत ने जेन रो बनाम हेनरी वेड *63* में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया जिसमें अदालत ने एक विवाहित महिला के गर्भपात के अधिकार को बरकरार रखा। व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार। न्यायमूर्ति मैथ्यू, जिन्होंने न्यायालय का निर्णय दिया, की निम्नलिखित टिप्पणियाँ अकेले रहने के अधिकार की संवैधानिक मान्यता का संकेत देती हैं;

"इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि हमारे संविधान के निर्माता सुख की खोज के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना चाहते थे। वे.

जे. ने ओल्मस्टेड बनाम में अपनी असहमति में कहा कि निश्चित रूप से ब्रांडेस के रूप में महसूस किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति का महत्व, उसका

भावनाएँ और उसकी बुद्धि और वह केवल दर्द, सुख का एक हिस्सा है,
जीवन की संतुष्टि भौतिक चीजों में पाई जा सकती है और इसलिए,

यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने व्यक्ति को सरकार के खिलाफ एक ऐसा क्षेत्र प्रदान किया है जहां उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। *65*

ये टिप्पणियां वारेन के संदर्भ का अनुसरण करती हैं और

ब्रैंडेस लेख; अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों का उल्लेख पहले किया गया था; लॉक और कांट के लेखन; और गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए।

49. फिर भी गोबिंद में निर्णय को बारीकी से पढ़ने से संकेत मिलता है कि न्यायालय ने अंततः संविधान के तहत निजता के अधिकार के अस्तित्व पर कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला। न्यायालय ने संकेत दिया कि यदि

6 (1975) 2 एससीसी *148*

62 381 यूएस *479 (1965)*

64277 यूएस *438 (1928)* *65* शीर्ष टिप्पणी *6,* पृष्ठ *155* पर *(*पैरा *20)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

न्यायालय ने पाया कि किसी विशेष अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए

मौलिक निजता का अधिकार, इसे केवल राज्य के सम्मोहक हित के अधीन ओवरराइड किया जा सकता है:

सावधानी से जाँच की जाती है और केवल तभी अस्वीकार किया जाता है जब एक महत्वपूर्ण प्रतिवर्ती ब्याज बेहतर दिखाया जाता है। अगर अदालत ऐसा करती है
पता लगाएँ कि एक दावा किया गया अधिकार संरक्षण का हकदार है

मौलिक गोपनीयता अधिकार, एक कानून जो इसका उल्लंघन करता है, उसे मजबूर करने वाले राज्य हित परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए। फिर सवाल यह होगा कि क्या राज्य का हित इतना सर्वोपरि है जो अधिकार के उल्लंघन को उचित ठहराए। " *66 (*जोर दिया गया*)*

व्यक्तिगत स्वायत्तता और खतरों पर जोर देते हुए

व्यक्तिगत गोपनीयता को नए विकास से नष्ट किया जा रहा है जो "इसे बना देगा" सड़क पर सुना जा सकता है कि अलमारी में क्या फुसफुसाया जाता है ", अदालत को गोपनीयता की एक व्यापक परिभाषा को अपनाने के बारे में स्पष्ट चिंता थी

क्योंकि निजता का अधिकार "संविधान में स्पष्ट नहीं है"। देख रहे हैं।

कि निजता की अवधारणा स्वतंत्रता के साथ ओवरलैप करती है, इस न्यायालय ने इस प्रकार नोट किया:

"व्यक्तिगत स्वायत्तता, शायद किसी भी प्रणाली की केंद्रीय चिंता

सीमित सरकार, हमारे संविधान के तहत स्पष्ट संवैधानिक गारंटी द्वारा आंशिक रूप से संरक्षित है। आवेदन में

संविधान के बारे में हमारा चिंतन केवल वही नहीं हो सकता जो किया गया है।

लेकिन क्या हो सकता है। समय काम करता है और इसमें लाता है

नई स्थितियों का अस्तित्व। सूक्ष्म और दूरगामी साधन
गोपनीयता पर आक्रमण करने से सड़क पर वह सुनना संभव हो जाएगा जो अलमारी में फुसफुसाया जाता है। फिर भी, बहुत व्यापक ए

निजता की परिभाषा के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं
ऐसे अधिकार पर न्यायिक निर्भरता का औचित्य जो संविधान में स्पष्ट नहीं है। बेशक, गोपनीयता मुख्य रूप से व्यक्ति से संबंधित है। इसलिए यह अवधारणा से संबंधित है और इसके साथ ओवरलैप होता है।

स्वतंत्रता की। निजता के सबसे गंभीर समर्थक को यह स्वीकार करना चाहिए कि सार और दायरे को परिभाषित करने में गंभीर समस्याएं हैं।

दाहिनी ओर से। स्वायत्तता में गोपनीयता के हित को अन्य अधिकारों और मूल्यों के संदर्भ में भी रखा जाना चाहिए। *67 (* जोर दिया गया*)* न्यायमूर्ति मैथ्यू यह
समझाने के लिए आगे बढ़े कि निजता का कोई अधिकार क्या है।

इसे शामिल और संरक्षित करना चाहिए और इसे अवधारणा में निहित पाया जाना चाहिए

6 इबिद, पृष्ठ *155 (*पैरा *22) 67* इबिद, पृष्ठ *156 (*पैरा *23)* पर

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

स्वतंत्रता का आदेश दिया:

घर, परिवार, विवाह, मातृत्व की अंतरंगताएँ,
प्रजनन और बाल पालन। के लिए यह सूची दृष्टिकोण

सवाल स्पष्ट रूप से उतना शिक्षाप्रद नहीं है जितना कि यह नहीं देता है
अधिकार की विशिष्ट विशेषताओं की विश्लेषणात्मक तस्वीर

गोपनीयता। शायद, एकमात्र सुझाव जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है

अवधारणा में अंतर्निहित एकीकरण सिद्धांत का दावा किया गया है

कि दावा किया गया अधिकार एक मौलिक अधिकार होना चाहिए जिसमें निहित है

आदेशित स्वतंत्रता की अवधारणा "। *68*

आदेशित स्वतंत्रता के लिए विज्ञापन में, निर्णय के समान है

खारक में न्यायमूर्ति राजागोपाला अय्यंगार के फैसले में वक्तव्य सिंह ने पाया कि रात में अधिवास द्वारा घर में घुसपैठ आदेशित स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी भी स्थिति में गोपनीयता का अधिकार

यह मानने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है कि इस "धारणा" पर भी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उत्पन्न गोपनीयता का एक स्वतंत्र अधिकार है, आंदोलन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार निरपेक्ष नहीं हैः

"किसी भी स्थिति में निजता का अधिकार अनिवार्य रूप से जाना होगा

मामला-दर-मामला विकास की एक प्रक्रिया के माध्यम से। इसलिए यहां तक कि

यह मानते हुए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, स्थानांतरित करने का अधिकार

भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्रता

भाषण एक अभिव्यक्ति के रूप में निजता का एक स्वतंत्र अधिकार बनाता है

जिनसे किसी को मौलिक अधिकार के रूप में चिह्नित किया जा सकता है,
हम यह नहीं सोचते कि अधिकार निरपेक्ष है। *69*

(जोर दिया गया*)*

फिर से न्यायालय द्वारा इसी तरह की "धारणा" की गई थी

निम्नलिखित टिप्पणियाँ:

"... यह मानते हुए कि मौलिक अधिकारों की स्पष्ट रूप से गारंटी दी गई है

ला सिटिजन के पास प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं और गोपनीयता का अधिकार है

अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, वह मौलिक अधिकार विषय होना चाहिए

बाध्यकारी जनहित के आधार पर प्रतिबंध लगाना। के रूप में

विनियमन *856* में कानून की शक्ति है, यह नहीं कहा जा सकता है कि
अनुच्छेद *21* के तहत याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार है

68 58 इबिद, पृष्ठ *156* पर *(*पैरा *24)*

इबिद, पृष्ठ *157* पर *(*पैरा *28)*

इसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघनः क्योंकि, उस अनुच्छेद के तहत जो गारंटी दी गई है वह यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या उससे वंचित नहीं किया जाएगा।

न्यायालय ने नियमों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
50. गोबिंद के फैसले में कोई स्पष्ट कथन नहीं है।

निजता या ऐसा अधिकार स्पष्ट संवैधानिक गारंटी से उत्पन्न होता है। पीठ, जिसमें तीन न्यायाधीश शामिल थे,
हो सकता है खरक सिंह के उत्तरार्द्ध में उक्ति द्वारा विवश किया गया था।

कारण जो भी हो, यह स्पष्ट है कि कई स्थानों पर न्यायमूर्ति मैथ्यू इस "धारणा" पर आगे बढ़े कि यदि निजता का अधिकार संविधान के तहत संरक्षित है, तो यह आदेशित स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और निरपेक्ष नहीं है, बल्कि एक बाध्यकारी राज्य हित को पूरा करने के लिए बनाए गए प्रतिबंधों के अधीन है।

गोबिंद में निर्णय का यह विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि

छोटी पीठों के बाद के निर्णय इस आधार पर आगे बढ़े हैं कि गोबिंद वास्तव में निजता के अधिकार को मान्यता देते हैं। क्या रूपरेखाएँ हैं?

अगला पहलू जिस पर हम अब मुड़ते हैं। *51.* मलक सिंह बनाम पंजाब और हरियाणा राज्य *"(*" मलक सिंह *")* ने पंजाब पुलिस नियमों की धारा *23* के प्रावधानों पर चर्चा की, जिसके तहत दोनों पक्षों के बीच एक निगरानी रजिस्टर रखा जाना था।

अन्य व्यक्ति, एक विशेष विवरण के सभी दोषियों और ऐसे व्यक्ति जो

उचित रूप से माना जाता था कि वे आदतन अपराधी थे, चाहे उन्हें दोषी ठहराया गया हो या नहीं। नियमों की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया था

खरक सिंह और गोबिंद में निर्णय। इन नियमों के लिए प्रावधान किया गया है

निगरानी के तरीके। न्यायमूर्ति ओ चिन्नाप्पा रेड्डी एक पक्ष की ओर से बोल रहे हैं।

इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने निगरानी की आवश्यकता को स्वीकार किया

आदतन और संभावित अपराधियों पर। उनके विचार सेः

पुलिस बल का गठन। पुलिस अधिनियम, *1861* की प्रस्तावना में कहा गया हैः जबकि पुलिस को पुनर्गठित करना और इसे रोकथाम के लिए एक अधिक कुशल साधन बनाना समीचीन है और अपराध का पता लगाना "। पुलिस अधिनियम की धारा *23* इसे इस प्रकार निर्धारित करती है -

पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य "खुफिया जानकारी एकत्र करना और संचार करना"

70 आई. बी. आई. डी. पृष्ठ *157-158* पर *(*पैरा *31)*

- 71 (1981) 1 एस. सी. सी. *420* एस. टी. आई. सी. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

सार्वजनिक शांति को प्रभावित करना; अपराधों को रोकने के लिए

और सार्वजनिक उपद्रव "। इन कर्तव्यों के संबंध में यह होगा

प्रतिष्ठित खराब पर विवेकपूर्ण निगरानी रखना आवश्यक है

संविधान का अनुच्छेद *21* और आवाजाही की स्वतंत्रता अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* द्वारा गारंटीकृत। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह पंजाब पुलिस रूल्स द्वारा ही मान्यता प्राप्त है। नियम *23.7,*

*

जो निगरानी के तरीके को निर्धारित करता है, निगरानी के तहत व्यक्ति की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की अनुमति देता है लेकिन बिना किसी अवैध हस्तक्षेप के। अनुमेय निगरानी केवल के लिए है
निगरानी में व्यक्ति की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की सीमा और इससे अधिक नहीं। जब तक निगरानी अपराध को रोकने के उद्देश्य से है और द्वारा निर्धारित सीमाओं तक सीमित है

नियम *23: 7* हमें नहीं लगता कि एक व्यक्ति जिसका नाम इसमें शामिल है

निगरानी रजिस्टर में शिकायत का वास्तविक कारण हो सकता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि कानून के अनुसार और के लिए हस्तक्षेप

अव्यवस्था और अपराध की रोकथाम एक मान्यता प्राप्त अपवाद है।

यहां तक कि किसी व्यक्ति के निजी और पारिवारिक जीवन के सम्मान के अधिकार के लिए मानवाधिकारों के यूरोपीय सम्मेलन द्वारा भी। अनुच्छेद *8*

कन्वेंशन इस प्रकार हैः

" (1) हर किसी को अपने निजी और पारिवारिक जीवन का सम्मान करने का अधिकार है।

(2) इस अधिकार के प्रयोग में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जो कानून के अनुसार है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, अव्यवस्था और अपराध की रोकथाम के लिए एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक है या स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा के लिए "। *2 (* जोर दिया गया*)*

अदालत ने पुलिस के लिए निगरानी करना गैरकानूनी नहीं माना जब तक कि यह अपराध को रोकने के उद्देश्य से था औरनियम *23.7* द्वारा निर्धारित सीमाओं तक सीमित, जो निगरानी में किसी व्यक्ति की आवाजाही पर नजर रखने के लिए अधिकृत करते हुए, निहित है।

यह बिना किसी अवैध हस्तक्षेप के होना चाहिए। अपराध को रोकने के लिए उद्देश्य जी, अदालत ने माना कि वह व्यक्ति जो इसके अधीन है घ, पृष्ठों पर *424-425 (*पैरा *6)*

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया, जनता के हित में आवश्यक था, जिसमें सूचना के स्रोतों पर विश्वास करें। अदालत ने फिर कहाः

"लेकिन इन सब का मतलब यह नहीं है कि पुलिस के पास उस व्यक्ति का नाम दर्ज करने का लाइसेंस है जिसे वे पसंद करते हैं *(*नापसंद*?)* निगरानी में

रजिस्टर करें; और न ही निगरानी ऐसी हो सकती है कि निचोड़ जाए
सभी नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी या बाधा डालने के लिए

उन स्वतंत्रताओं का मुक्त अभ्यास और आनंद; और न ही
निगरानी इतनी घुसपैठ करती है कि व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुँचती है।

उन व्यक्तियों की निगरानी जो श्रेणियों में नहीं आते हैं

नियम *23.4* में उल्लिखित या उससे असंबद्ध कारणों से

अपराध की रोकथाम, या अत्यधिक निगरानी

नियमों द्वारा निर्धारित सीमाएँ, एक नागरिक को अदालत के अधिकार का हकदार बनाएगी
संरक्षण जो अदालत देने में संकोच नहीं करेगी। निगरानी रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करने के लिए शर्तों को
निर्धारित करने वाले नियम और निगरानी के तरीके को पहचानते हुए प्रतीत होते हैं

सावधानी और देखभाल जिसके साथ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक है

आगे बढ़ें। नियम *23.4* का अनुसरण करने वाला टिप्पणी निर्देशात्मक है। यह पुलिस अधिकारी को
नियम का सख्ती से अर्थ लगाने और उसे सीमित करने का कर्तव्य देता है।

निगरानी रजिस्टर में प्रविष्टियाँ व्यक्तियों के वर्ग के लिए
नियम में उल्लिखित। इसी प्रकार नियम *23.7* माँग करता है कि

निगरानी की आड़ में कोई अवैध हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
इसलिए, निगरानी निर्बाध और सीमा के भीतर होनी चाहिए। *' " 73*

निजता के मुद्दे पर मलक सिंह की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि निजता पर अतिक्रमण अनुच्छेद के तहत
व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है

21 और अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत आवाजाही की स्वतंत्रता का अधिकार।

विशेष रूप से यह माने बिना कि निजता अनुच्छेद *19* या अनुच्छेद *21* के तहत एक संरक्षित संवैधानिक मूल्य
है, इस न्यायालय का निर्णय इंगित करता है कि निजता पर गंभीर अतिक्रमण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और
आवाजाही की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता है। न्यायालय ने इस तरह के अतिक्रमण को व्यक्ति की गरिमा के
साथ जोड़ा जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा से वंचित निगरानी से आहत होगा और इस तरह से किया जाएगा जो
मौलिक द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के स्वतंत्र अभ्यास में बाधा डालेगा।

अधिकार।

52. महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुर नारायण मर्डीकर *74*

सामग्री

73 इबिद, पृष्ठ *426* पर *(*पैरा *9)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

दो-न्यायाधीशों की पीठ का एक और निर्णय है जो एक मामले से निपटता है

सजा को अपील में हटाने के लिए संशोधित किया गया था ताकि वह पेंशन लाभों के लिए आवेदन कर सके। उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर सजा को रद्द कर दिया, और पीड़ित के चरित्र पर सवाल उठाकर। यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण गलत था, न्यायमूर्ति ए. एम. अहमदी *(*विद्वान के रूप में*)*

तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि हालांकि पीड़ित ने "अपने जीवन के काले पक्ष" को स्वीकार किया था, फिर भी वह अपनी गोपनीयता की हकदार थीः

"उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि बानोबी एक असभ्य महिला है

सरकारी अधिकारी को अप्रमाणित पर खतरे में डाला जाएगा
ऐसी महिला का संस्करण जो अपनी अवैध अंतरंगता का कोई रहस्य नहीं रखती है

2

किसी और के साथ। वह अंधेरे को स्वीकार करने के लिए काफी ईमानदार थी

उसके जीवन का एक पहलू। यहाँ तक कि सरल गुणों वाली महिला भी इसका हकदार है

गोपनीयता और कोई भी उसकी गोपनीयता पर आक्रमण नहीं कर सकता है जब भी वह

पसंद करते हैं। तो यह भी किसी और हर व्यक्ति के लिए खुला नहीं है

जब भी वह चाहे उसके व्यक्ति का उल्लंघन करें। वह हकदार है।

यदि इसका उल्लंघन करने का प्रयास किया जाता है तो अपने व्यक्ति की रक्षा करने के लिए

उसकी इच्छा के विरुद्ध। वह सुरक्षा की समान रूप से हकदार है।
कानून से। इसलिए, केवल इसलिए कि वह एक सहज महिला है

अधिकांश अधिकारी को उसके साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए बुलाया जाएगा
उसे स्वीकार करने से पहले खुद को सावधान करने की आवश्यकता है

सबूत "। *75*

(जोर दिया गया*)*

जैसा कि उपरोक्त उद्धरण इंगित करता है, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा था

अनिवार्य रूप से पीड़ित के साक्ष्य की सराहना के आधार पर

उच्च न्यायालय। हालाँकि, इस न्यायालय की टिप्पणियाँ एक मजबूत बनाती हैं एक महिला की शारीरिक अखंडता का बयान, उसकी गोपनीयता की एक घटना के रूप में।

53. भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम

प्रो. मनुभाई डी. शाह ", गलत तरीके से इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स *(*बॉम्बे*)* प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सिद्धांत कि अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल हैं

75 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *62-63* पर *(*पैरा *8)* *76 (1992) 3* एस. सी. सी. *637*

77 (1985) 1 एससीसी *641 [2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संचार की गोपनीयता। भारत में इस न्यायालय का निर्णय

एक्सप्रेस ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला दिया लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं किया।

54. वह निर्णय जिसने कुछ महत्व ग्रहण किया है

राजगोपाल "। उस मामले में, के अनुच्छेद *32* के तहत एक कार्यवाही में

संविधान, राज्य और जेल को रोकने के लिए एक रिट की मांग की गई थी

एक पत्रिका में एक दोषी कैदी की आत्मकथा के प्रकाशन में हस्तक्षेप करने से अधिकारी। जेल अधिकारियों ने एक

प्रकाशक को भेजे गए पत्र में इस दावे का खंडन किया गया कि आत्मकथा कैदी द्वारा जेल में रहने के दौरान लिखी गई थी और राय दी गई थी कि एक दोषी के नाम पर प्रकाशन जेल के खिलाफ था

नियम। विचाराधीन कैदी को छह हत्याओं का दोषी पाया गया था और

मौत की सजा सुनाई गई। इस न्यायालय द्वारा निर्णय के लिए पूछे गए प्रश्नों में यह था कि क्या कोई नागरिक दूसरे को पूर्व की जीवन कहानी के बारे में लिखने से रोक सकता है और क्या कोई अनधिकृत व्यक्ति

प्रकाशन नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए उन्होंने माना कि निजता के अधिकार के दो पहलू हैं: जिसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए यातना में कार्रवाई करने वाला पहला

निजता के गैरकानूनी आक्रमण से, जबकि दूसरा एक संवैधानिक है

सही है। यह फैसला खड़क सिंह और गोबिंद के फैसलों में निजता के संवैधानिक संरक्षण का पता लगाता है। यह निम्नलिखित से प्रकट होता है

टिप्पणियाँ:

"..... इस पहलू से संबंधित इस न्यायालय का पहला निर्णय

खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *[(1964) 1* एस. सी. आर. *332:* आकाशवाणी *1963*

एससी *1295: (1963) 2* सी. आर. आई. एल. जे. *329]* गोबिंद बनाम में बाद के निर्णय में इस अधिकार का अधिक विस्तृत मूल्यांकन किया गया। एम. पी. का राज्य *[(1975) 2* एससीसी *148: 1975* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 468]* जिसमें मैथ्यू, जे. बोल रहे हैं
अपने लिए, कृष्ण अय्यर और गोस्वामी, जेजे। इस अधिकार की उत्पत्ति का पता लगाया और यह भी बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दो प्रसिद्ध मामलों में उक्त अधिकार से कैसे निपटा है।

ग्रिसवोल्ड बनाम में निर्णय। कनेक्टिकट *[381* यूएस *479: 14* एल एड *2* डी *510 (1965)]* और रो बनाम। वेड *[410* यूएस *113: 35* एल एड *2* डी *147*

(1973)] ..... ” 79

राजगोपाल में निर्णय खारक में निर्णयों पर विचार करता है

सिंह और गोबिंद इस प्रकारः

..... खरक सिंह *[(1964) 1* एससीआर *332:* ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1295: (1963)*

78 (1994) 6 एस. सी. सी. *632* *79* आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *639-640 (*पैरा *9)*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* यूनियन ऑफ इंडिया। *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

2 सी. आर. आई. एल. जे. *329]* एक ऐसा मामला था जिसके तहत याचिकाकर्ता को रखा गया था।

नियम। हालाँकि निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया था, लेकिन निर्णय चालू हो गया

अनुच्छेद में *"*व्यक्तिगत स्वतंत्रता*"* और *"*जीवन*"* का अर्थ और विषय-वस्तु

21. गोविंद *[(1975) 2* एस. सी. सी. *148: 1975* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 468]* भी एम. पी. पुलिस विनियमों के तहत निगरानी का मामला था। खरक

सिंह *[(1964) 1* एससीआर *332:* ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1295: (1963) 2* क्रिस एलजे

329] एक ही समय में विस्तार करते हुए भी पालन किया गया था निजता का अधिकार।

*** 80*

न्यायालय ने कहा कि न तो राज्य और न ही उसके अधिकारी इसे लागू कर सकते हैं

एक दोषी की आत्मकथा के प्रकाशन पर प्रतिबंध। निर्णय के अपने सारांश में, न्यायालय ने कहाः

" (1) निजता का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है।

इस देश के नागरिकों को अनुच्छेद *21* द्वारा गारंटी दी गई। यह एक

" अकेला रहने का अधिकार *"*। एक नागरिक को निजता की रक्षा करने का अधिकार है।

उसका घर, उसका परिवार, विवाह, प्रजनन, मातृत्व, प्रसव और शिक्षा सहित अन्य मामले। कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता है उनकी सहमति के बिना उपरोक्त मामलों से संबंधित कुछ भी -

चाहे वह सच्चा हो या अन्यथा और चाहे प्रशंसनीय हो या आलोचनात्मक। अगर

वह ऐसा करता है, वह व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा। संबंधित है और नुकसान के लिए एक कार्रवाई में उत्तरदायी होगा। पोजीशन

हालाँकि, अलग हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खुद को जोर देता है

विवाद में या स्वेच्छा से किसी विवाद को आमंत्रित करता है या उठाता है। *(2)* उपरोक्त नियम इस अपवाद के अधीन है कि कोई भी...

उपरोक्त पहलुओं से संबंधित प्रकाशन बन जाता है

यदि ऐसा प्रकाशन सार्वजनिक अभिलेखों पर आधारित है तो यह आपत्तिजनक नहीं है।

अदालती अभिलेखों सहित। यही कारण है कि एक बार एक बात

सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला बन जाता है, गोपनीयता का अधिकार अब नहीं

यह बना रहता है और यह प्रेस द्वारा टिप्पणी के लिए एक वैध विषय बन जाता है

और अन्य लोगों के बीच मीडिया। लेकिन हमारा मानना है कि

शालीनता के हित *[*अनुच्छेद *19 (2)]* एक अपवाद होना चाहिए

उसके नाम के अपमान और घटना के अधीन प्रेस/मीडिया में प्रचारित।

1 , पृष्ठ *643* पर *(*पैरा *13)*

(3) उपरोक्त *(1)* में नियम का एक और अपवाद है -

वास्तव में, यह कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र नियम है। में

सार्वजनिक अधिकारियों के मामले में, यह स्पष्ट है, निजता का अधिकार, या उसके लिए

मामला, नुकसान के लिए कार्रवाई का उपाय बस उपलब्ध नहीं है

के निर्वहन के लिए प्रासंगिक उनके कार्यों और आचरण के संबंध में

उनके आधिकारिक कर्तव्य। यह वहाँ भी है जहाँ प्रकाशन आधारित है।

सत्य की लापरवाही से उपेक्षा करना। ऐसी स्थिति में, यह पर्याप्त होगा
प्रतिवादी *(*प्रेस या मीडिया के सदस्य*)* को यह साबित करने के लिए कि

उसने तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद कार्रवाई की; यह नहीं है
उसके लिए यह साबित करना आवश्यक है कि उसने जो लिखा है वह सच है। में से

पाठ्यक्रम, जहाँ प्रकाशन गलत साबित होता है और सक्रिय होता है

द्वेष या व्यक्तिगत शत्रुता से, प्रतिवादी के पास नहीं होगा

बचाव और नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। यह समान रूप से स्पष्ट है

कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक मामलों में,
सार्वजनिक अधिकारी को किसी भी अन्य नागरिक की तरह ही सुरक्षा प्राप्त है।

ऊपर *(1)* और *(2)* में समझाया गया है। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायपालिका,

जो न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति द्वारा संरक्षित है
और संसद और विधानमंडलों को उनके विशेषाधिकारों के रूप में संरक्षित किया जाता है

भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद *105* और *104* द्वारा,

इस नियम के अपवाद हैं। "

55. न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी का निर्णय गोपनीयता को इस प्रकार मानता है -

अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। आने वाले समय में

निष्कर्ष तक, राजगोपाल के फैसले में कहा गया है कि खरक सिंह ने निजता के अधिकार का उल्लेख किया था, लेकिन निर्णय ने

अनुच्छेद *21* में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सामग्री। यह निर्णय निजता को एक संरक्षित संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जबकि इसे अनुच्छेद *21* से जोड़ता है।

56. 'राज्य की निगरानी' पर एक दिलचस्प शोध लेख में

मामला अनिवार्य रूप से अमेरिका में सरकारी घुसपैठ के खिलाफ गोपनीयता से संबंधित मामलों से निपटता था जो पहले की तथ्यात्मक स्थिति में अप्रासंगिक था। यह न्यायालय। *82* लेखक के विचार में, राजगोपाल ने एक प्रकाशन शामिल किया

81 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *649-650 (*पैरा *26) 8 2* गौतम भाटिया, "राज्य निगरानी और भारत में निजता का अधिकारः ए कांस्टीट्यूशनल बायोग्राफी ", नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया रिव्यू *(2014)*, वॉल्यूम। *26 (2)* , पृष्ठ *138* पर

139 जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

एक पत्रिका में एक निजी प्रकाशक द्वारा एक लेख, एक निजी द्वारा लिखित

व्यक्ति, यद्यपि एक दोषी। इसलिए इस निर्णय की इस आधार पर आलोचना की गई है कि राजगोपाल निजी पक्षों के बीच एक कार्रवाई के बारे में था

और, इसलिए, अपकृत्य कानून के संदर्भ में गोपनीयता से निपटना चाहिए था। *83* जबकि यह सच है कि राजगोपाल में यह एक निजी प्रकाशक है जो था मृत्युदंड के दोषी के बारे में एक लेख प्रकाशित करने की मांग करते हुए, यह भी उतना ही सच है कि न्यायालय ने उनके द्वारा लगाए गए प्रकाशन पर पूर्व प्रतिबंध लगाया।

राज्य और उसके जेल अधिकारी। वास्तव में, इस तरह से प्रकाशक द्वारा अनुच्छेद *32* को लागू किया गया था।

57. गोपनीयता और चिकित्सा न्यायशास्त्र के बीच का प्रतिच्छेदन

इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला में निपटा गया है, उनमें से मिस्टर एक्स वी हॉस्पिटल जेड *84*। उस मामले में, अपीलार्थी एक राज्य की स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर था। वह सर्जरी के लिए एक मरीज के साथ थे।

नागालैंड से चेन्नई तक और जब उन्हें रक्तदान करना था तब उनका परीक्षण किया गया। रक्त का नमूना एच. आई. वी. + पाया गया। अस्पताल द्वारा अपनी एच. आई. वी. + स्थिति के प्रकटीकरण से सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने का दावा करने वाले अपीलार्थी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता के समक्ष हर्जाने का दावा दायर किया।

विवाद निवारण आयोग *(*एन. सी. डी. आर. सी.*)* ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने अनधिकृत रूप से उनकी एच. आई. वी. स्थिति का खुलासा किया था जिसके परिणामस्वरूप उनकी शादी रद्द कर दी गई थी और सामाजिक उत्पीड़न हुआ था। न्यायमूर्ति सागीर अहमद की ओर से बोलते हुए

इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने रोगी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने के लिए डॉक्टर के कर्तव्य को स्वीकार किया, लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि गोपनीयता के नियम में एक अपवाद है जहां सार्वजनिक हित उस कर्तव्य पर हावी होगा। इस न्यायालय के फैसले में मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद *21* और संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत निजता के अधिकार पर ध्यान दिया गया हैः

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के साथ पढ़े गए मौलिक अधिकार। यह इस संदर्भ में था कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था
खरक सिंह बनाम। यू. पी. राज्य *[*ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1295: (1964) 1* एस. सी. आर. *332]* कि अधिवास यात्राओं द्वारा किसी व्यक्ति की पुलिस निगरानी संविधान के अनुच्छेद *21* का उल्लंघन होगी। यह निर्णय

मैथ्यू, जे. द्वारा अपने उत्कृष्ट निर्णय में विचार किया गया था
गोबिंद वी. एम. पी. राज्य *[(1975) 2* एस. सी. सी. *148: 1975* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 468]* जिसमें "निजता के अधिकार" की उत्पत्ति का पता लगाया गया था और

83 इबिद

मुन बनाम सहित अमेरिकी निर्णयों की संख्या। इलिनोइस *[94* यूएस

113 : 24 एल एड *77 (1877)],* वुल्फ बनाम। कोलोराडो *[338* यूएस *25: 93 LEd*

1782 (1949)] और विभिन्न अनुच्छेदों पर विचार किया गया। "

अदालत ने मलक सिंह के फैसले को दोहराते हुए पढ़ा

खड़क सिंह और गोबिंद में गोपनीयता पर पहले लिया गया दृष्टिकोण। न्यायालय राजगोपाल के निर्णय पर भरोसा करने के लिए आगे बढ़ा। न्यायालय ने कहा कि

निजता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और कानूनी रूप से की गई कार्रवाई के अधीन है

अपराध या अव्यवस्था को रोकने या दूसरों के स्वास्थ्य, नैतिकता और अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सत्य तथ्यों का सार्वजनिक प्रकटीकरण भी निजता के अधिकार या छूट पाने के अधिकार पर आक्रमण हो सकता है

जब कोई डॉक्टर गोपनीयता का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने कहा किः

"यहां तक कि सच्चे निजी तथ्यों का खुलासा भी परेशान करने की प्रवृत्ति रखता है
एक व्यक्ति की शांति। यह उसमें कई जटिलताएँ पैदा कर सकता है।

और इससे मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी हो सकती हैं। उसके बाद, उसका जीवन परेशान हो सकता है। इन संभावनाओं के सामने, और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित अपने विभिन्न निर्णयों में पहले ही कहा जा चुका है, निजता का अधिकार इसका एक अनिवार्य घटक है -

अनुच्छेद *21* द्वारा परिकल्पित जीवन का अधिकार। हालाँकि, यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और अपराध की रोकथाम के लिए कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो सकता है।
स्वास्थ्य या नैतिकता का विकार या संरक्षण या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण। *86*

हालाँकि, यह खुलासा किया गया कि अपीलार्थी एच. आई. वी. + था

जमीन पर अपीलार्थी की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना

कि जिस महिला से उसकी शादी होनी थी, वह "इस तरह के प्रकटीकरण और संक्रमित होने के जोखिम से समय पर बच गई थी"। ए का इनकार एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा मुआवजे के दावे को बरकरार रखा गया।

58. श्री एक्स वी में निर्णय। अस्पताल जेड पर्याप्त रूप से विफल है

इस बात की सराहना करते हैं कि खरक सिंह में निर्णय के बाद के हिस्से को अस्वीकार कर दिया गया

निजता को एक संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार करना, जबकि पूर्व भाग

'आदेशित स्वतंत्रता' के आक्रमण के संदर्भ में अवैध अधिवास यात्राएँ। इसी तरह, गोबिंद में कई अवलोकन एक धारणा पर आगे बढ़ते हैंः यदि निजता का अधिकार है, तो यह कुछ मामलों को समझेगा और बाध्यकारी राज्य की रक्षा के लिए एक विनियमन के अधीन होगा। रुचियाँ।

59. पी. यू. सी. एल. *87* में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के एक निर्णय में,

आई. बी. आई. डी. पृष्ठ *305* पर *(*पैरा *21)*

8 इबिद, पृष्ठ *307* पर *(*पैरा *28)*

87 (1997) 1 एस. सी. सी. *301* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

न्यायालय ने टेलीफोन टैपिंग से निपटा। याचिकाकर्ता ने चुनौती दी

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885* की धारा *5 (2)* की संवैधानिक वैधता

और टेलीफोन टैपिंग के मनमाने कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए वैकल्पिक रूप से आग्रह किया। धारा, *5 (2)* संचरण में संदेशों के अवरोधन को निम्नलिखित शब्दों में अधिकृत करती हैः

"किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अनधिकृत कोई अधिकारी

सरकार या राज्य सरकार, यदि संतुष्ट हो कि संप्रभुता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो ऐसा कर सकती है। और
भारत की अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध

विदेशी राज्यों या सार्वजनिक व्यवस्था के साथ या किसी अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए,

आदेश द्वारा, निर्देश दें कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या उनसे, या किसी विशेष विषय से संबंधित कोई संदेश या संदेशों का वर्ग,

किसी तार द्वारा संचारण के लिए लाया गया या संचारित किया गया या प्राप्त किया गया, इसे संचारित नहीं किया जाएगा, या रोका जाएगा या बाधित किया जाएगा, या आदेश देने वाली सरकार को इसका खुलासा किया जाएगा।

या आदेश में उल्लिखित कोई अधिकारीः

बशर्ते कि केंद्र सरकार या किसी राज्य से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेश भारत में प्रकाशित किए जाने का इरादा रखते हों

(

सरकार को तब तक रोका या हिरासत में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उनकी

इस उप-धारा के तहत प्रसारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।

60. वैधानिक प्रावधान की अयोग्यता पर प्रस्तुतिकरण

टेलीफोन टैपिंग को अधिकृत करना संविधान के अनुच्छेद *19 (1)* और *21* के तहत निजता के अधिकार के मौलिक अधिकार पर आधारित था। न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने बहुमत में निहित टिप्पणियों को स्वीकार किया।

खरक सिंह में निर्णय जिसके कारण विनियमन *236 (*बी*)* के तहत रात में अधिवास यात्राओं के प्रावधान को अमान्य कर दिया गया। पी. यू. सी. एल. ने न्यायमूर्ति सुब्बा राव के अल्पमत के दृष्टिकोण का हवाला दिया। विनियमन *236* को पूरी तरह से अमान्य करके और भी आगे बढ़ गया। इसलिए निर्णय, बहुमत और अल्पसंख्यक दोनों निर्णयों को अनुच्छेद *21* के एक भाग के रूप में निजता के अधिकार की पुष्टि करने के रूप में समझता हैः

"इसलिए संविधान के अनुच्छेद *21* की व्याख्या इस प्रकार की गई है -

खरक सिंह मामले में सभी सात विद्वान न्यायाधीश *[(1964) 1* एस. सी. आर. *332:* ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295] (*बहुमत और अल्पसंख्यक राय*)*

"सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की सुरक्षा" के अधिकार के एक भाग के रूप में "निजता का अधिकार" शामिल करें।

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की "उक्त अनुच्छेद के तहत गारंटी"। *88*

गोबिंद को राज्य पुलिस की वैधता को बरकरार रखने के लिए माना गया था

इस आधार पर निगरानी प्रदान करने वाले विनियम कि प्रक्रिया

अनुच्छेद *21* के तहत कानून द्वारा स्थापित 'का उल्लंघन नहीं किया गया था। अपने उदाहरणों के सारांश को पूरा करने के बाद, न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

"इसलिए, हमें निजता के उस अधिकार को बनाए रखने में कोई संकोच नहीं है।
यह संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत निहित "जीवन" और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के अधिकार का एक हिस्सा है। एक बार तथ्यों को दिए जाने पर

मामला निजता का अधिकार बनाता है, अनुच्छेद *21* आकर्षित करता है। प्रक्रिया के अलावा उक्त अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

कानून द्वारा स्थापित "। ** 9*

टेलीफोन वार्तालापों को गोपनीयता का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता था और इस तरह की वार्तालापों की टैपिंग का आयोजन किया जाता था

अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करता है, जब तक कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' द्वारा अनुमति न दी जाए:

"निजता का अधिकार-अपने आप में-के तहत पहचाना नहीं गया है

संविधान। एक अवधारणा के रूप में यह बहुत व्यापक और नैतिक हो सकता है।

इसे न्यायिक रूप से परिभाषित करना। किसी मामले में निजता के अधिकार का दावा किया जा सकता है या उसका उल्लंघन किया गया है, यह इन तथ्यों पर निर्भर करेगा -

उक्त मामला। लेकिन में एक टेलीफोन बातचीत करने का अधिकार
बिना किसी हस्तक्षेप के किसी के घर या कार्यालय की गोपनीयता को निश्चित रूप से "गोपनीयता के अधिकार" के रूप में दावा किया जा सकता है। फोन पर हो रही बातचीत

वे अक्सर एक अंतरंग और गोपनीय चरित्र के होते हैं। टेलीफोन

वार्तालाप आधुनिक मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है

यह महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक लोग अपनी जेब में मोबाइल टेलीफोन उपकरण ले जा रहे हैं। टेलीफोन पर बातचीत एक व्यक्ति के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निजता का अधिकार निश्चित रूप से होगा

कानून द्वारा स्थापित "। *9 0* अदालत ने यह भी माना कि टेलीफोन टैपिंग गारंटी का उल्लंघन करती है

अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब तक कि अनुच्छेद *19 (2)* द्वारा अधिकृत न हो। फैसला गोपनीयता की सुरक्षा पर निर्भर था

88 इबिद, पृष्ठ *310 (*पैरा *14) 89* इबिद, पृष्ठ *311 (*पैरा *17) 9 0 90* इबिद, पृष्ठ *311 (*पैरा *18)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का अनुच्छेद *17*

(और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद *12* के तहत एक समान गारंटी*)* जो, इसके विचार में, संविधान के प्रावधानों को समझने के लिए एक व्याख्यात्मक उपकरण होना चाहिए। न्यायालय के विचार में

अनुच्छेद *21* की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप की जानी चाहिए। अपनाए जाने वाले सावधानियों के लिए नियमों के अभाव में

अनुचित अवरोधन और/या संदेशों के प्रकटीकरण को रोकने के लिए, अनुच्छेद *19 (1) (ए)* और *21* के तहत मौलिक अधिकार

सुरक्षित किया गया। लेकिन न्यायालय पूर्व न्यायिक आवश्यकता के लिए इच्छुक नहीं था टेलीफोन पर बातचीत रोकने से पहले जांच करें। अदालत ने फैसला सुनाया

कि इसके लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्धारित करना आवश्यक होगा किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का संरक्षण तब तक जब तक संसद टेलीग्राफ अधिनियम की धारा *7* के तहत नियम बनाकर हस्तक्षेप नहीं करती। अदालत ने

तदनुसार बनाए गए दिशा-निर्देशों को सभी मामलों में अपनाया जाना चाहिए

टेलीफोन टैपिंग।

अधिवास दौरा*)*, गोविंद और राजगोपाल ने यह मानते हुए कि निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार के रूप में सन्निहित है। न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि निजता के अधिकार की पहचान संविधान के तहत "अपने आप" नहीं की गई है। अभिव्यक्ति "द्वारा" स्वयं "दो अर्थों में से एक को इंगित कर सकता है। पहला यह है कि संविधान

निजता के एकल अधिकार को मान्यता नहीं देता है। दूसरा पहचानता है। कि इस तरह के अधिकार का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। स्पष्ट रूप से, न्यायालय ने मामले दर मामले अधिकार की रूपरेखा के विकास को छोड़ दिया

दृढ़ संकल्प। घर या कार्यालय से टेलीफोन पर बातचीत को किसी व्यक्ति की गोपनीयता का एक अभिन्न अंग माना जाता था। पी. यू. सी. एल. में, न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करने वाले विभिन्न अनुच्छेदों के बीच संबंधों को सचेत रूप से स्थापित किया जब उसने नोट किया कि तार-दोहन गोपनीयता का उल्लंघन करता है और इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के तहत अभिव्यक्ति। भारत द्वारा प्रकाशित उद्देश्य के साथ मौलिक संवैधानिक गारंटी को पढ़ने की आवश्यकता

मानवाधिकारों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय शासन के प्रति प्रतिबद्धता ने भी निर्णय में वजन डाला। टेलीग्राफ अधिनियम की धारा *5 (2)* को अनुच्छेद *21* के तहत टेलीफोन टैपिंग के तौर-तरीकों को निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित बनाने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाना था। द.

न्यायालय गोपनीयता को जो महत्व देता है, वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि यह संसद द्वारा नियमों के अंतिम निर्माण की प्रतीक्षा नहीं करता था और यह निर्धारित किया गया कि इस बीच, कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए जिनकी उसने परिकल्पना की थी।

62. आठ साल के बलात्कार से जुड़े मामले से निपटने के दौरान

कर्नाटक राज्य बनाम कृष्णप्पा *"1* में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया किः

" यौन हिंसा. अमानवीय होने के अलावा.

निजता और पवित्रता के अधिकार का गैरकानूनी अतिक्रमण। यह अपमानजनक है। उसकी. गरिमा। *" 92*

सुधांशु शेखर साहू बनाम में भी इसी तरह के अवलोकन किए गए थे।

उड़ीसा राज्य "।

63. शारदा बनाम धर्मपाल में, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी थे

पति-पत्नी। प्रतिवादी ने तलाक के लिए मुकदमा दायर किया और एक आवेदन दायर किया

अपीलार्थी की चिकित्सीय जांच करना जिसका विरोध किया गया था। निचली अदालत ने आवेदन को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने खारिज किया कि

एक सिविल संशोधन में चुनौती जिसने अपीलार्थी को इस न्यायालय का रुख करने के लिए प्रेरित किया। अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि उसे चिकित्सा जांच से गुजरने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद *21* के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और

कि एक सशक्तीकरण प्रावधान के अभाव में, वैवाहिक न्यायालय के पास किसी पक्ष को चिकित्सा जांच से गुजरने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने कहा कि मामले का पहला पहलू *(*क्या वैवाहिक न्यायालय के पास चिकित्सा जांच का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र है*)* निम्नलिखित शब्दों में हैः

"

" अन्यथा भी न्यायालय एक उचित निर्देश जारी कर सकता है

अपनी असमर्थता के कारण किसी अन्यायपूर्ण आदेश के अधीन नहीं होना चाहिए। रखते रहें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मानसिक बीमारी के मामले में अदालत ने

पक्ष की जाँच करने या उसके द्वारा जाँच कराने के लिए पर्याप्त शक्ति

योग्य चिकित्सक, हमारी राय है कि एक उपयुक्त मामले में न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का सहारा ले सकता है यहां तक कि

लिस के लिए पार्टी का उदाहरण "।

9 91 (2000) 4 एस. सी. सी. *75 92* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *82* पर *(*पैरा *15) 93 (2002) 10* एस. सी. सी. *743 9 4 (2003) 4* एस. सी. सी. *493 95* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *513* पर *(*पैरा *52)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डी आरः डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इसके अलावा, न्यायालय के पास अपेक्षित शक्ति होनी चाहिए।

यहां तक कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा *151* के तहत भी ऐसा निर्देश जारी करने के लिए या तो स्वतः या अन्यथा जो

उसे, सच्चाई की ओर ले जाएगा। *950*

64. न्यायालय द्वारा विचार किया गया दूसरा प्रश्न यह था कि क्या किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से चिकित्सा परीक्षण के अधीन करना अनुच्छेद का उल्लंघन करता है।

21. एम. पी. शर्मा और खरक सिंह में टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद जहां यह माना गया था कि संविधान ने अधिकार की गारंटी नहीं दी है निजता, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बाद के निर्णयों में, इस तरह के अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विस्तृत व्याख्या पर अनुच्छेद *21* में पढ़ा गया है।

इस न्यायालय के विचार में, वैवाहिक मामलों में जहां तलाक की डिक्री चिकित्सा आधार पर माँगा जाता है, एक चिकित्सा परीक्षा एकमात्र तरीका है जिसमें एक आरोप साबित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में:

"यदि प्रतिवादी इस आधार पर ऐसी चिकित्सा जांच से बचता है कि यह उसके निजता के अधिकार या उस मामले के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत निहित है।

भारत में, तो ऐसे अधिकांश मामलों में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव हो सकता है। यह उन आधारों को प्रस्तुत कर सकता है जिन पर तलाक स्वीकार्य है। इसलिए, जब भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त गोपनीयता का कोई अधिकार नहीं है और वाक्यांश की व्यापक व्याख्या के साथ

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता "इस अधिकार को अनुच्छेद *21* में पढ़ा गया है, इसे पूर्ण अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।"

निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया था।

भारतीय डाक टिकट अधिनियम, *1899 (*आंध्र प्रदेश में एक विशेष कानून द्वारा संशोधित*)* के प्रावधानों पर विचार किया गया। धारा *73,* जिसे अमान्य कर दिया गया था उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को किसी भी जनता की हिरासत में रजिस्टरों, पुस्तकों और अभिलेखों, कागजातों, दस्तावेजों और कार्यवाही का निरीक्षण करने का अधिकार दिया

अधिकारी 'किसी भी कर्तव्य को सुरक्षित करने के लिए या साबित करने के लिए या धोखाधड़ी या चूक की खोज की ओर ले जाएगा'। धारा *73* निम्नलिखित शब्दों में थीः

आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *513* पर *(*पैरा *53)*

97 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *523* पर *(*पैरा *76)* *98 (2005)* एस. सी. सी. *496* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

" 73. प्रत्येक लोक अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, किताबें हों,

अभिलेख, कागजात, दस्तावेज या कार्यवाही, जिसका निरीक्षण किया जाता है।

दस्तावेज़ और कार्यवाही, और ऐसे नोट्स और उद्धरण लेने के लिए
जैसा कि वह बिना किसी शुल्क या शुल्क के आवश्यक समझे।

में गोपनीयता के सिद्धांत के विकास के लिए विज्ञापन के बाद

अमेरिका में संपत्ति से जुड़े अधिकार से लेकर व्यक्ति से जुड़े अधिकार तक, मुख्य न्यायाधीश लाहोटी ने उनके द्वारा बनाए गए उपखंडों का उल्लेख किया

अधिकारों के विधेयक के परिणामस्वरूप गोपनीयता का एक क्षेत्र *101* अंततः आगे बढ़ता है

"निजता की उचित अपेक्षा" के लिए। मुख्य न्यायाधीश लाहोटी ने एम. पी. शर्मा के फैसले को निजता पर चर्चा के लिए "सीमित सहायता" माना। हालाँकि, यह खरक सिंह ही थे जिन्होंने इस मुद्दे पर मार्गदर्शन प्रदान करने वाली रात की-अधिवास यात्राओं को अमान्य कर दिया। खड़क सिंह का मूल्यांकन निम्नलिखित शब्दों में था:

" खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *(1964) 1* एस. सी. आर. *332: (1963)*
2 सी. आर. आई. एल. जे. *329]* अधिवास यात्राओं के संबंध में यू. पी. विनियम

प्रश्न और संदर्भित बहुमत

अंदर थे मुन्न वी।
इलिनोइस *[94* यू. एस. *113: 24* एल एड *77 (1877)]* और आयोजित

कि हालांकि हमारे संविधान ने अधिकार का उल्लेख नहीं किया
गोपनीयता स्पष्ट रूप से, फिर भी इसका पता अधिकार से लगाया जा सकता है

" अनुच्छेद *21* में "जीवन"। बहुमत के अनुसार, यू. पी. में प्रासंगिक विनियमों का खंड *236* कानून की दृष्टि से खराब था। इसने लेख को आहत किया

21 क्योंकि इस तरह की यात्राओं में हस्तक्षेप की अनुमति देने वाला कोई कानून नहीं था। बहुमत इस सवाल में नहीं गया कि क्या ये
यात्राओं ने "निजता के अधिकार" का उल्लंघन किया। लेकिन, सुब्बा राव, जे. जबकि

इस बात से सहमति जताते हुए कि निजता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद *21* में स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा था, अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा था, और अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में आवाजाही के अधिकार का भी हिस्सा था, यह माना गया कि निगरानी की अनुमति देने वाले विनियमों ने निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है। में

विद्वान न्यायाधीश ने चर्चा में वुल्फ बनाम का उल्लेख किया। कोलोराडो *[338* यूएस *25: 93* एल एड *1782 (1949)]*। वास्तव में, सभी सातों ने सीखा

"बॉयड बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, *116* यू. एस. *616 (1886) 100* ओल्मस्टेड बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, *277* यू. एस. *438 (1928) 101* ग्रिसवोल्ड बनाम कनेक्टिकट राज्य, *381* यू. एस. *479 (1965) 102* काट्ज़ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, *389* यू. एस. *347 (1967)* · जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

न्यायाधीशों ने माना कि "निजता का अधिकार" अधिकार का हिस्सा था

अनुच्छेद *21* में "जीवन" के लिए। *1 103*

(जोर दिया गया*)*

गोबिंद में निर्णय का अर्थ है कि इसका अधिकार निहित है

संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* और *21* में प्रावधानः

"हमने मैथ्यू द्वारा दिए गए कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है,

जे. गोबिंद में यह दिखाने के लिए कि निजता का अधिकार दिया गया है
अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* और *(*डी*)* और अनुच्छेद *21* में निहित है कि,

अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह कि कोई भी राज्य की घुसपैठ उचित हो सकती है।

प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब इसके पास उचित आधार या उचित सामग्री हो।
इसका समर्थन करें "। *104*

(जोर दिया गया*)*

न्यायालय ने भारतीय संविधान की धारा *73* के आवेदन पर विचार किया।

अधिनियम *(*संशोधित के रूप में*)*, कब्जे में एक ग्राहक के दस्तावेजों के लिए

एक बैंक। न्यायालय ने कहाः

एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 468]* और बाद के मामलों में गोपनीयता का अधिकार संबंधित है। "व्यक्तियों के साथ और स्थानों के साथ नहीं", दस्तावेज़ या प्रतियाँ

ग्राहक के दस्तावेज़ जो बैंक में हैं, उन्हें जारी रखना चाहिए

व्यक्ति के बारे में गोपनीय रहें, भले ही वे अब नहीं हैं ग्राहक के घर पर और स्वेच्छा से एक बैंक में भेजा गया है।

यदि यह कानून का सही दृष्टिकोण है, तो हम इस रेखा को स्वीकार नहीं कर सकते। मिलर *[425* यू. एस. *435 (1976)]* जिसमें न्यायालय आगे बढ़ा

इस आधार पर कि निजता का अधिकार के अधिकार के लिए संदर्भित है

"संपत्ति "सिद्धांत। एक बार ऐसा होने के बाद, जब तक कि कुछ न हो संभावित या उचित कारण या उचित आधार या सामग्री

कलेक्टर को इस राय तक पहुँचने के लिए कि दस्तावेजों में

बैंक का कब्जा किसी भी कर्तव्य को सुरक्षित करने या साबित करने या करने की प्रवृत्ति रखता है किसी भी संबंध में किसी भी धोखाधड़ी या चूक की खोज की ओर ले जाता है

कर्तव्य, खोज या नोट्स या उद्धरण लेना इसलिए, नहीं हो सकता है वैध है। उपरोक्त सुरक्षा उपायों को अनिवार्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए

तलाशी और निरीक्षण और जब्ती से संबंधित प्रावधान ताकि -

इसे किसी भी असंवैधानिकता से बचाएँ। *105* इसलिए न्यायालय ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि एक व्यक्ति जो स्थान देता है

एक बैंक के साथ अनुबंध, परिणामस्वरूप, गोपनीयता की उम्मीद को छोड़ देगा। न्यायालय की दृष्टि में, भले ही दस्तावेज़ बंद हो जाएँ

पृष्ठ *516* पर सुप्रा नोट *95 (*पैरा *36)* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *518* पर *(*पैरा *39)*

5 इबिद, पृष्ठ *523* पर *(*पैरा *53)*

ग्राहक की अभिरक्षा और नियंत्रण के अलावा किसी अन्य स्थान पर होना,

गोपनीयता व्यक्तियों से जुड़ी होती है न कि स्थानों से और इसलिए इसकी सुरक्षा गोपनीयता कमजोर नहीं होती है। इसके अलावा, न्यायालय के विचार में, कलेक्टर के लिए एक राय बनाने के लिए एक उचित आधार या सामग्री होनी चाहिए।

कि बैंक के कब्जे में दस्तावेज उद्देश्य को सुरक्षित करेंगे कर्तव्य के संबंध में धोखाधड़ी या चूक के कार्य की जाँच करना। न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए गए सुरक्षा उपायों को माना जाता था।

इस प्रकृति की खोज को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता निहित है। द.

न्यायालय के निर्णय का दूसरा भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाता है कि

प्रावधान, अदालत के नियम, ग्राहकों की गोपनीयता की अनुमति देंगे गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन किया गया। अतः कानून, जहाँ तक यह कलेक्टर को किसी भी व्यक्ति को निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है,

अप्रभावी होना। न्यायालय के दृष्टिकोण सेः

"दूसरा, धारा *73* में विवादित प्रावधान कलेक्टर को "किसी भी व्यक्ति" को निरीक्षण करने, लेने के लिए अधिकृत करने में सक्षम बनाता है।

सार्वजनिक कार्यालय में कागजों से नोट या उद्धरण अत्यधिक प्रत्यायोजन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं क्योंकि इसमें कोई दिशानिर्देश नहीं हैं।

अधिनियम और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धारा ग्राहक की गोपनीयता से संबंधित तथ्यों को गैर-सरकारी व्यक्तियों तक पहुंचने की अनुमति देती है और

उस आधार पर, ग्राहक के अधिकारों में अनुचित अतिक्रमण होगा। "किसी भी व्यक्ति" को प्रत्यायोजन की अनुमति देने वाली धारा *73* का यह भाग उपरोक्त गंभीर दोषों से ग्रस्त है और उसके लिए

हमारे विचार में, कारण अप्रवर्तनीय है। राज्य को पदनाम द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए या यह बताना चाहिए कि शक्ति प्रत्यायोजित की जा सकती है।

आधिकारिक पदानुक्रम में किसी विशेष पद से नीचे के अधिकारियों के लिए, जैसे -

राज्य द्वारा नामित किया जा सकता है। *106*
66. केनरा बैंक में फैसले का महत्व सबसे पहले निहित है

अनुच्छेद *19* द्वारा और अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी। दोसर, न्यायालय एकर आधार खोजैत अछि इस अधिकार की पुष्टि न केवल खरक सिंह और गोबिंद के निर्णयों और उसके बाद के मामलों में, बल्कि भारत के निर्णयों के संदर्भ में भी की गई।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा *(*यू. डी. एच. आर.*)* और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा *(*आई. सी. सी. पी. आर.*)* के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ। तीसरा, निजता के अधिकार को एक अधिकार के रूप में माना जाता है जो

106 इबिद, पृष्ठ *524* पर *(*पैरा *54)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

व्यक्ति से जुड़ता है। इसका महत्व यह है कि गोपनीय दस्तावेजों या जानकारी के होने के परिणामस्वरूप गोपनीयता का अधिकार नहीं खोता है।

ग्राहक द्वारा बैंक की अभिरक्षा में दिया गया। चौथा, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को पढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया कि धारा *73* द्वारा विचार की गई प्रकृति की खोज और जब्ती की शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता है, पांचवां, बैंक रिकॉर्ड तक पहुंच।

कलेक्टर उन शक्तियों को कलेक्टर द्वारा किसी निजी व्यक्ति को सौंपने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए जब निरीक्षण और खोज की शक्ति राज्य के किसी अंग द्वारा वैध रूप से प्रयोग की जा सकती है, तब भी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाते हैं।

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि जानकारी अनधिकृत निजी हाथों में न जाए। छठा, किसी व्यक्ति द्वारा किसी तीसरे पक्ष *(*उस मामले में एक बैंक*)* को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित जानकारी होती है।

उम्मीद है कि इसका उपयोग केवल उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है। जानकारी *(*बैंक को*)* के साथ भाग लेने से वंचित नहीं होता है

गोपनीयता हित का व्यक्ति। उचित अपेक्षा से संबद्ध है वह उद्देश्य जिसके लिए जानकारी प्रदान की जाती है। सातवां, जबकि राज्य के वैध उद्देश्य, जैसे कि राजस्व की सुरक्षा, हस्तक्षेप कर सकते हैं

राज्य को एक प्रकटीकरण की अनुमति देते हुए, राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी किसी निजी संस्था द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। केनरा बैंक में निर्णय के इस प्रकार सूचनात्मक पहचान के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हैं।

गोपनीयता।

67. केनरा बैंक में निर्णय के बाद, तलाशी के प्रावधान

और आयकर अधिनियम, *1961* की धारा *132 (5)* के तहत जब्ती की गई।

इस न्यायालय द्वारा पी. आर. मेत्रानी बनाम आयकर आयुक्त *1 07* में इस आधार पर सख्ती से व्याख्या की गई कि वे एक "गंभीर घुसपैठ" का गठन करते हैं।

एक नागरिक की निजता में "। इसी तरह, एन. डी. पी. एस. *108* अधिनियम की धारा *42* और *43* के तलाशी और जब्ती प्रावधानों का इस न्यायालय द्वारा अर्थ लगाया गया था। राजस्व निदेशालय बनाम मोहम्मद निसार होलिया *1 09* में। में परिवर्तित किया जा रहा है

केनरा बैंक, अन्य फैसलों के अलावा, अदालत ने माना कि निजता का अधिकार महत्वपूर्ण है और तलाशी और जब्ती किए जाने से पहले कारणों की लिखित रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है।

68. पंजाब आबकारी अधिनियम, *1914* की धारा *30* ने *"25* वर्ष से कम आयु के किसी भी पुरुष" या "किसी भी महिला" को परिसर के किसी भी हिस्से में काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें शराब या नशीली दवा का सेवन किया जाता है।

जनता द्वारा। अनुज गर्ग बनाम होटल में भी इस प्रावधान को चुनौती दी गई थी।

107 (2007) 1 एस. सी. सी. *789* *108* नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, *1985*

एसोसिएशन ऑफ इंडिया *110* इस आधार पर कि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रावधान अधिकार से बाहर है, दो-न्यायाधीशों की पीठ देखा गयाः

"गोपनीयता अधिकार पेशा चुनने के लिए स्वायत्तता निर्धारित करते हैं।

जबकि सुरक्षा वितरण की बनावट पद्धति से संबंधित है
यह आश्वासन। लेकिन यह एक उचित प्रस्ताव है कि

संरक्षण को सेंसरशिप में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।
सलाखों में महिलाओं के रोजगार को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के बजाय

राज्य को उन तरीकों से फैक्टरिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनके माध्यम से असमान है

लिंग भेद के परिणामों को समाप्त किया जा सकता है। यह राज्य का है
सुरक्षा की परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का कर्तव्य जो विश्वास को प्रेरित करती हैं

महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए

जिस पेशे का वे पालन करने के लिए चुनते हैं, उसकी आवश्यकताएँ। कोई और।
नीतिगत अनुमान *(*जैसे कि धारा के तहत सन्निहित*)*

30) सामाजिक परिस्थितियों से दमनकारी होगा
महिलाएँ और गोपनीयता अधिकारों के विरुद्ध *1 2.*

न्यायालय का कार्य यह निर्धारित करना है कि क्या उपाय किए गए हैं

राज्य द्वारा विधायी जनादेश के रूप में आगे बढ़ाया गया,

महिलाएं अच्छी तरह से बसे हुए लोगों के अन्य समूह के अनुपात में हैं।
लैंगिक मानदंड जैसे कि स्वायत्तता, अवसर की समानता,

निजता आदि का अधिकार, *113* "

(जोर दिया गया*)*

69. इन्सा विरोधी संघ बनाम मिर्जापुर मोती कुरेश

जमात *1 1 (*"हिनसा विरोधी संघ"*)*, इस न्यायालय ने बंद करने पर विचार किया पर्युषण के जैन पालन के दौरान प्रत्येक वर्ष नौ दिनों की अवधि के लिए अहमदाबाद शहर में नगरपालिका बूचड़खानों की,

नगर निगम के संकल्प के लिए। उच्च न्यायालय ने इन फैसलों को रद्द कर दिया था। अपील में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"क्या विवादित प्रस्तावों ने नगरपालिका को बंद करने का आदेश दिया था

काफी समय के लिए बूचड़खाने हमारे पास हो सकते हैं

अत्यधिक होने के कारण विवादित प्रस्तावों को अमान्य माना गया

110 (2008) 3 एससीसी *1*

* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *15* पर *(*पैरा *35)*

113 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *19* पर *(*पैरा *51)* *14 (2008) 5* एस. सी. सी. *33!*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अहमदाबाद के कसाई जो अभ्यास करते हैं, उनके अधिकारों पर प्रतिबंध

उनका मांस बेचने का पेशा। आखिरकार, कसाई अभ्यास कर रहे हैं

एक व्यापार और यह अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* के तहत उनका मौलिक अधिकार है

संविधान जिसकी भारत के सभी नागरिकों को गारंटी है।

इसके अलावा, यह कसाई की दुकान के मालिक की बात नहीं है

अकेले। इसमें कई कर्मचारी भी हो सकते हैं जो

अगर बूचड़खानों को बंद कर दिया जाता है तो वे बेरोजगार हो जाते हैं

समय की काफी अवधि, क्योंकि की शर्तों में से एक

दुकान मालिकों को दिया गया लाइसेंस नियमित रूप से मांस की आपूर्ति करने के लिए है

अहमदाबाद शहर और यह आपूर्ति नगरपालिका से आती है
अहमदाबाद के बूचड़खाने। साथ ही बड़ी संख्या में लोग

शाकाहारी नहीं हैं और उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है

लंबे समय तक शाकाहारी। कोई क्या खाता है, यह उसका व्यक्तिगत है।

मामला और यह उसकी निजता के अधिकार का एक हिस्सा है जिसमें शामिल है

हमारे संविधान के अनुच्छेद *21* में कई निर्णय लिए गए हैं।

इस न्यायालय से। आर. राजगोपाल बनाम। टी. एन. राज्य *[(1994) 6* एस. सी. सी.

632 : ए. आई. आर. *1995* एस. सी. *264] (*एस. सी. सी. पैरा *26:* ए. आई. आर. पैरा *28* के अनुसार*)* अदालत ने माना कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार में निहित है और

अनुच्छेद *21* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता। यह "अकेले रहने का अधिकार" है। *$*

(जोर दिया गया*)*

हालाँकि, चूंकि बूचड़खानों को बंद करना एक पेरिओड के लिए था

नौ दिनों के भीतर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं किया है। प्रतिबंध को अत्यधिक नहीं माना गया था।

70. महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत शांति में निर्णय

लाल शाह *1 6* संविधान की धारा *13* से *16* की संवैधानिक वैधता से संबंधित है।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम *(*मकोका*)* जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टेलीफोन और वायरलेस संचार को रोकने के प्रावधान शामिल हैं। इस प्रावधान को कायम रखते हुए न्यायालय ने कहाः

"मकोका का उद्देश्य संगठित अपराध को रोकना है और
चुनौती के तहत अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन इंगित करेगा

कि उक्त कानून तार, इलेक्ट्रॉनिक या के अवरोधन को अधिकृत करता है

मौखिक संचार केवल तभी किया जाता है जब इसका उद्देश्य आयोग को रोकना हो।

किसी संगठित अपराध का या यदि इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है

इस तरह के एक संगठित अपराध का आयोग। प्रक्रियाएं

इस तरह के अवरोधन को अधिकृत करने के लिए भी इसमें पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

115 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *46-47* पर *(*पैरा *27)*

116 (2008) 13 एस. सी. सी. *5* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, जिनमें से कुछ का संकेत और चर्चा की गई है

इससे पहले "। *117*

न्यायालय उपरोक्त उद्धरण में जिन सुरक्षा उपायों का विज्ञापन करता है, उनमें धारा *14* शामिल है, जिसमें संगठित अपराध के विवरण की आवश्यकता होती है जो है - निगरानी से पहले किया जा रहा है या किया जाने वाला है

अधिकृत किया जाए। आवश्यकताएँ उन सुविधाओं की प्रकृति और स्थान का वर्णन करना भी अनिवार्य करती हैं जहाँ से संचार को रोका जाना है।

संचार की प्रकृति और व्यक्ति की पहचान, यदि यह है

जाना जाता है। एक बयान भी आवश्यक है कि क्या जांच के अन्य तरीके हैं।

या खुफिया जानकारी एकत्र करने की कोशिश की गई या विफल रही या क्यों वे उचित रूप से सफल होने की संभावना नहीं दिखते हैं या क्या ये भी होंगे

खतरनाक या संभवतः ऑपरेशन से जुड़े लोगों की पहचान में परिणाम होगा। निगरानी की अवधि समय में सीमित है और प्रावधान के लिए "न्यूनतम अवरोधन" की आवश्यकता है।

71. पिछले दशक के दौरान, इस न्यायालय को एक महिला की स्वायत्तता से निपटने का अवसर मिला है और एक अभिन्न अंग के रूप में,

चिकित्सा गर्भपात अधिनियम *(*एम. टी. पी.*)* अधिनियम, *1971*। एक महिला। जिस पर सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी संस्थान में रहने के दौरान बलात्कार का आरोप लगाया गया था, वह गर्भवती थी। जिला प्रशासन चला गया

गर्भपात की मांग करने के लिए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाए, हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञों ने

राय दी कि पीड़ित ने बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की थी। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश उनकी सहमति के बिना जारी किया था।

महिला जिसे कानून के तहत अनिवार्य किया गया था जहां महिला एक है

मेजर है और मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं है। इस मामले में महिला को हल्के से मध्यम मानसिक मंदता के मामले से पीड़ित पाया गया। तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने कहा कि

कि धारा *3* के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए महिला की प्रजनन पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। न्यायालय के दृष्टिकोण सेः

> "इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक महिला का प्रजनन करने का अधिकार है

चयन "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का एक आयाम भी है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत समझा जाता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि प्रजनन विकल्पों का उपयोग प्रजनन के लिए किया जा सकता है।

117 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *28* पर *(*पैरा *61)*

118 गौतम भाटिया *(*उपरोक्त टिप्पणी *82)*, पृष्ठ *148* पर

$ 19 (2009) 9 एस. सी. सी. *1* जस्ट जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

साथ ही प्रजनन से बचना। महत्वपूर्ण विचार
यह एक महिला का निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता का अधिकार है।

सम्मान किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई नहीं होना चाहिए

प्रजनन विकल्पों के अभ्यास पर जो भी प्रतिबंध हो

जैसे कि यौन गतिविधि में भाग लेने से इनकार करने का महिला का अधिकार

या वैकल्पिक रूप से गर्भनिरोधक विधियों के उपयोग पर जोर देना।

इसके अलावा, महिलाएं जन्म नियंत्रण विधियों को चुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

जैसे कि नसबंदी प्रक्रियाओं से गुजरना। उनके पास ले जाया गया

तार्किक निष्कर्ष, प्रजनन अधिकारों में एक महिला के अधिकार शामिल हैं।

गर्भावस्था को उसकी पूर्ण अवधि तक ले जाने का अधिकार, देने के लिए

जन्म लेना और बाद में बच्चों की परवरिश करना। हालांकि, इसमें

एस.

भावी बच्चे के जीवन की रक्षा करने में। इसलिए,
गर्भावस्था की समाप्ति की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब परिस्थितियाँ

लागू क़ानून में निर्दिष्ट कार्य पूरे हो गए हैं। इसलिए,

एम. टी. पी. अधिनियम, *1971* के प्रावधानों को भी उचित माना जा सकता है।
प्रजनन के अभ्यास पर लगाए गए प्रतिबंध

विकल्प "। *" 120*

(जोर दिया गया*)*

अदालत ने नोट किया कि क़ानून के लिए एक अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होती है

जहाँ महिला ने वयस्कता प्राप्त नहीं की है या मानसिक रूप से बीमार है। न्यायालय के विचार में, मानसिक बीमारी और मानसिक मंदता के बीच अंतर है और इसलिए जो राज्य कल्याणकारी संस्थान का प्रभारी था, वह महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने के लिए बाध्य था।

72. सुचिता श्रीवास्तव में निर्णय वैधानिक पर आधारित है।

एम. टी. पी. अधिनियम के तहत एक महिला को यह तय करने का अधिकार है कि वह गर्भपात के लिए सहमति देती है या नहीं और उस अधिकार का सम्मान करती है जहां वह गर्भपात के लिए सहमति नहीं देती है। अधिकार की वैधानिक मान्यता प्रजनन विकल्प बनाने के संवैधानिक अधिकार से संबंधित है जिसे अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक घटक माना गया है। न्यायालय ने एक महिला से इस तरह के अधिकार के अस्तित्व का अनुमान लगाया

निजता, गरिमा और शारीरिक अखंडता का अधिकार।

73. भावेश जयंती लखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य *1 2 1,*

इस न्यायालय ने अमेरिकी अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट और इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम हिरासत आदेश का उल्लंघन किया था।

बच्चे के साथ भारत लौट आए। अदालत ने याचिका स्वीकार नहीं की

12 ओ इबिद, पृष्ठ *15* पर *(*पैरा *22)*

121 (2009) 9 एस. सी. सी. *551*

([2017] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि सी. बी. आई. ने इंटरपोल के साथ समन्वय करके उल्लंघन किया था याचिकाकर्ता का निजता का अधिकार। हालाँकि, चर्चा के दौरान, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भी नहीं गिना जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* के संदर्भ में या अन्यथा। हालाँकि, यह खरक सिंह बनाम में इस न्यायालय द्वारा एक विस्तृत व्याख्या के कारण है। यू. पी. राज्य *[*ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1295: (1964) 1* एस. सी. आर. *332]* को "व्यक्तिगत" का एक आवश्यक घटक माना गया था।

"हालाँकि, यह न्यायालय गोबिंद बनाम. एम. पी. की स्थिति एक लेने पर
निजता के अधिकार के संबंध में मामले का विस्तृत दृष्टिकोण

कानून द्वारा स्थापित "। हालांकि, एक सीमित मौलिक अधिकार
अनुच्छेद *19 (1) (*ए*), (*डी*)* और *21* से उत्पन्न गोपनीयता थी

इसे बरकरार रखा गया, लेकिन इसे निरपेक्ष नहीं माना गया, इसलिए अनुच्छेद *19* के खंड *(5)* के संदर्भ में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। *123*

74. सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य *1 2 4 ("*सेल्वी*")* में, तीन लोगों की एक पीठ

इस न्यायालय के न्यायाधीशों ने तीन की वैधता को चुनौती दी

अनुसंधान तकनीकः नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट *(*लाई-डिटेक्टर टेस्ट*)* और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल *(*बी. ई. ए. पी.*)* इस आधार पर कि वे

संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* और *21* के तहत मौलिक अधिकारों को शामिल करना। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक के माध्यम से प्राप्त परिणाम

इन परीक्षणों का अनैच्छिक प्रशासन एक के दायरे में है साक्ष्य, अनुच्छेद *20 (3)* के सुरक्षात्मक कवच को आकर्षित करना

संविधान। मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने गोपनीयता के संदर्भ में दिए गए पहले के फैसलों की ओर इशारा किया और कहा कि अब तक, न्यायिक

समझ ने ज्यादातर शरीर की सुरक्षा और राज्य द्वारा प्रेरित शारीरिक कार्यों पर जोर दिया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जबकि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक घटक है, संविधान के तहत गोपनीयता का एक मिलन बिंदु है -

अनुच्छेद *20 (3)* भी। न्यायालय के दृष्टिकोण सेः

"अधिकारों के परस्पर संबंध का सिद्धांत यह आदेश देता है कि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार को भी एक घटक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए

1 22 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *584-585 (*पैरा *102) 123* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *585 (*पैरा *103) 124 (2010) 7* एस. सी. सी. *263* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

*[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसलिए, "निजता के अधिकार" के बारे में हमारी समझ अनुच्छेद के साथ इसके प्रतिच्छेदन के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए।

विश्वसनीयता के साथ-साथ दोनों उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है
अभिरक्षा में दी गई गवाही की स्वैच्छिकता। संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* और *21* का एक संयुक्त पठन

साक्ष्य कानून के सिद्धांत हमें एक स्पष्ट उत्तर की ओर ले जाते हैं। हमें चुप रहने और बोलने के बीच चयन जैसे पहलुओं में व्यक्तिगत स्वायत्तता के महत्व को पहचानना चाहिए। अ.

बयान देने का व्यक्ति का निर्णय एक निजी पसंद का उत्पाद है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ऐसी
स्वायत्तता में हस्तक्षेप करना, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां व्यक्ति को आपराधिक आरोपों या दंड का सामना करना पड़ता है।

इसलिए, यह हमारी सुविचारित राय है कि किसी व्यक्ति को

अनैच्छिक तरीके से विवादित तकनीकें गोपनीयता की निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करती हैं। ए के साथ बाध्यकारी हस्तक्षेप व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाएँ किसी भी कानून के तहत प्रदान नहीं की गई हैं।

और यह निश्चित रूप से "आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार" के साथ संघर्ष में आता है। *125*

अनुच्छेद *20 (3)* के साथ-साथ अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार का पता लगाने में

तर्कपूर्ण। जब किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जाना या खुद को दोषी नहीं ठहराना निजता के अधिकार का एक अवतार है। सेल्वी इंगित करता है कि कैसे निजता का अधिकार कई लोगों के दायरे को फैला सकता है। उस मामले में संवैधानिक अधिकार, अनुच्छेद *20 (3)* और *21*।

75. भवानी प्रसाद जेना बनाम उड़ीसा राज्य आयोग

महिला *1 26,* न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या उच्च न्यायालय एक बच्चे और अपीलार्थी के डीएनए परीक्षण के लिए निर्देश जारी करने में उचित था, जो बच्चे की माँ के अनुसार, पिता था। यह माना गया था किः

"ऐसे मामले में जहां अदालत के समक्ष बच्चे का पितृत्व मुद्दा है, डीएनए परीक्षण का उपयोग एक अत्यंत नाजुक और संवेदनशील पहलू है। एक दृष्टिकोण यह है कि जब आधुनिक विज्ञान साधन देता है

एक बच्चे के पितृत्व का पता लगाने के लिए, जब भी अवसर की आवश्यकता हो, उन साधनों का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

125 उदाहरण के लिए, पृष्ठों पर *369-370 (*पैरा *225-226) 126 (2010) 8 SCC 633 +*

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि न्यायालय को इसके उपयोग में अनिच्छुक होना चाहिए

ऐसी वैज्ञानिक प्रगति और उपकरण जिनके परिणामस्वरूप अधिकार पर आक्रमण होता है

किसी व्यक्ति की गोपनीयता के लिए और न केवल इसके लिए प्रतिकूल हो सकता है

पक्षकारों के अधिकार लेकिन बच्चे पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। कभी-कभी इस तरह के वैज्ञानिक परीक्षण का परिणाम एक कमी का कारण बन सकता है

मासूम बच्चा भले ही उसकी माँ और उसका जीवनसाथी जीवित थे

गर्भधारण के समय एक साथ "।

76. अमर सिंह बनाम भारत संघ *1 28* में, दो न्यायाधीशों की एक पीठ

इस न्यायालय ने अनुच्छेद *32* के तहत एक याचिका पर विचार किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा था

एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई टेलीफोन सेवाओं पर उसकी बातचीत को रोकना। न्यायालय ने कहाः

"अभिलेख पर सामग्री पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय है

कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेवा प्रदाता को एक पर कार्य करना होगा

तत्काल आधार पर और जनहित में कार्य करना होगा। लेकिन एक मामले में,

9-11-2005 घोर गलतियों से भरा है, सेवा प्रदाता जबकि
उसी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, एक साथ सत्यापित किया जाना चाहिए

दस्तावेज़ के लेखक से उसी की प्रामाणिकता।

इस न्यायालय की राय है कि सेवा प्रदाता को इस रूप में कार्य करना होगा

एक जिम्मेदार एजेंसी और किसी भी संचार पर कार्य नहीं कर सकती।

इस तरह के आधिकारिक संचार में पवित्रता और नियमितता

मामलों को बनाए रखा जाना चाहिए विशेष रूप से जब सेवा

एक व्यक्ति की टेलीफोन पर बातचीत और ऐसा करने से
संबंधित व्यक्ति के निजता के अधिकार पर आक्रमण करना और जो

संविधान के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है, जैसा कि

इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। "*129*

(जोर दिया गया*)*

((" " राम राम

77. राम जेठमलानी बनाम। भारत संघ *1 3 0*

जेठमलानी*)*, दो न्यायाधीशों की एक पीठ अघोषित धन से संबंधित एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी और मांग कर रही थी धन के लेन-देन का पता लगाने और जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल की नियुक्ति। इस अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आधार स्थापित किए बिना व्यक्तियों के बैंक खातों के विवरण का खुलासा

127 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *642* पर *(*पैरा *21)* *128 (2011) 7* एस. सी. सी *69*

129 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *84* पर *(*पैरा *39)*

130 (2011) 8 एस. सी. सी. *1* एसटी. आई. सी. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह न्यायालयवेद इस प्रकार है:

"निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यह एक संन्यासी संवैधानिक मूल्य, और यह महत्वपूर्ण है कि मनुष्य

स्वतंत्रता के ऐसे क्षेत्रों को अनुमति दी जाए जो सार्वजनिक जांच से मुक्त हों,

जब तक कि वे गैरकानूनी तरीके से कार्य न करें। हम समझते हैं और इस तथ्य की सराहना करें कि बेनामी के संबंध में स्थिति

पैसे के लिए बेहद गंभीर है। फिर भी, संवैधानिक रूप से

संवैधानिक मूल्यों को निरस्त करने के लिए एक और क्षेत्र का निर्माण। नागरिकों के अधिकार, प्रभावी रूप से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए

अनुच्छेद *32* के खंड *(1)* के तहत मौलिक अधिकारों को होना चाहिए

अनुच्छेद के तहत नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकारों के खिलाफ संतुलित

21. बाद वाले का त्याग तीव्र इच्छा के बल पर नहीं किया जा सकता है

प्रणालीगत समस्याओं के तत्काल समाधान खोजें जैसे कि

पैसे के लिए बेनामी, क्योंकि यह खतरनाक हो जाएगा

दिन से। कायम रखने के लिए इस न्यायालय में याचिका दायर करने का नागरिकों का अधिकार। मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं ताकि नागरिक, अन्य बातों के साथ-साथ,

राज्य के कामकाज के बारे में हमेशा सतर्क रहते हैं ताकि

संवैधानिक परियोजना की रक्षा करें। उस अधिकार को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

साथी नागरिकों के जांचकर्ता होने के लिए। एक जांच आदेश,

जहाँ नागरिकों के निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है

साथी नागरिक सामाजिक व्यवस्था के लिए विनाशकारी हैं। की धारणा

मौलिक अधिकार, जैसे निजता का अधिकार

राज्य में दूसरों के कार्यों के खिलाफ उन्हें बनाए रखने के लिए समाज, यहां तक कि मौलिक अभ्यास के संदर्भ में भी

उन अन्य लोगों द्वारा अधिकार। *131*

(जोर दिया गया*)*

d, पृष्ठों पर *35-36 (*पैरा *83-84)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जबकि राज्य विवरण प्राप्त कर सकता है

जांच करने की अपनी शक्ति की एक घटना के रूप में नागरिकों के बैंक खाते और अपराध पर मुकदमा चलाते हुए, यह एक निजी नागरिक को बड़े पैमाने पर जनता के सामने बैंक खातों को प्रकट करने के लिए मजबूर करने में सक्षम नहीं बनाएगा।

78. संजय नारायण बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय *1 32* में, दोनों

न्यायाधीश की पीठ ने एक समाचार पत्र में एक गलत रिपोर्ट के प्रकाशन के संबंध में एक अवमानना याचिका पर विचार किया, जिसने जनता की छवि को धूमिल किया।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

"जाँच करने पर मीडिया की बेलगाम शक्ति खतरनाक हो सकती है
और संतुलन इसमें अंतर्निहित नहीं है। मीडिया की भूमिका है कि

पाठकों और आम जनता को प्रदान करें

जानकारी और विचारों का परीक्षण किया गया और उन्हें सही पाया गया।

इस शक्ति को सावधानीपूर्वक विनियमित किया जाना चाहिए और सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के
निजता के मौलिक अधिकार के साथ "। *133*

(जोर दिया गया*)*

79. रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, संघ

भारत *1 34,* न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान ने एक सहमति वाले फैसले में कहा कि:

"निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है

संविधान के अनुच्छेद *21* का अभिन्न अंग होने के नाते नागरिक

इस न्यायालय द्वारा भारत। किसी व्यक्ति की निजता में अवैध घुसपैठ

अनुमति नहीं है क्योंकि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार में निहित है
और हमारे संविधान के तहत स्वतंत्रता की गारंटी। इस तरह का अधिकार है

पूर्ण और विशेष रूप से असाधारण परिस्थितियों में नहीं हो सकता है
वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निगरानी नहीं हो सकती है

इस तरह के अधिकार का उल्लंघन। > " *135*

न्यायालय के विचार में, मानव जीवन की गोपनीयता और गरिमा है

"हमेशा प्रत्येक मानव का एक मौलिक मानव अधिकार माना जाता है

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अन्य संवैधानिक मूल्यों की तरह होना। खरक सिंह में निर्णय पर निर्णय द्वारा दिए गए निर्माण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि "यह माना गया है कि निजता का अधिकार जीवन का एक हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत और जिसे पी. यू. सी. एल. में दोहराया गया था।

132 (2011) 13 एससीसी *155* *133* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *156* पर *(*पैरा *6)*

134 (2012) 5 एससीसी *1*

135 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *119-120* पर *(*पैरा *312)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

80. बिहार में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ का फैसला

लोक सेवा आयोग बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी *1 36* ने सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* की धारा *8 (1) (*जी*)* के प्रावधानों पर विचार किया। एक जन-उत्साही नागरिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति ने जानकारी मांगी

बिहार लोक सेवा आयोग के कानून के तहत उसके द्वारा दो दिनों में आयोजित साक्षात्कार से संबंधित कई मामलों पर। आयोग ने नामों को छोड़कर जानकारी का खुलासा किया साक्षात्कार बोर्ड। उच्च न्यायालय ने खुलासा करने का निर्देश दिया। धारा *8 (1) (*जी*)* निम्नलिखित की जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है।

प्रकृतिः

"जानकारी, जिसका प्रकटीकरण जीवन को खतरे में डाल देगा या

किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा या सूचना के स्रोत की पहचान करना।

या कानून प्रवर्तन और सुरक्षा के लिए विश्वास में दी गई सहायता

उद्देश्य "।

न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने इस प्रकार कहाः

बहुत गोपनीयता के साथ निपटा जाना आवश्यक है। इसकी जानकारी प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप प्राधिकरण के बारे में जानकारी मिल सकती है

अन्य लोगों द्वारा जो उस जानकारी को विश्वास में और पूर्ण रूप से देते हैं

विश्वास, सत्यनिष्ठा और निष्ठा। ऐसी जानकारी की गोपनीयता होगी -

किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंध या यह भी हो सकता है
व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण करना। सभी

इन सुरक्षाओं को उनका उचित कार्यान्वयन दिया जाना चाहिए
वे वैधानिक छूटों से उत्पन्न होते हैं। यह कोई निर्णय नहीं है

निजी हित और सार्वजनिक हित के बीच सरलीकरण। यह.
एक ऐसा मामला है जहाँ संवैधानिक संरक्षण उपलब्ध है

निजता के अधिकार के संबंध में एक व्यक्ति। इस प्रकार आम जनता

ब्याज का अर्थ संतुलन को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए।
निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच का कारक

उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई और उद्देश्य जो होगा

व्यापक लोक हित में कार्य किया, विशेष रूप से जब ये दोनों

संविधान के तहत संवैधानिक मूल्यों से अधिकार उभरते हैं

भारत का "। *137*

(जोर दिया गया*)*

136 (2012) 13 एस. सी. सी *61*

137 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *74* पर *(*पैरा *23)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

महत्वपूर्ण रूप से, हालांकि न्यायालय धारा *8* में निहित एक वैधानिक छूट के पाठ का अर्थ लगा रहा था, लेकिन इसमें शामिल गोपनीयता के मुद्दों पर ध्यान दिया गया था निजता के संवैधानिक अधिकार को स्वीकार करते हुए विश्वास में दी गई जानकारी के प्रकटीकरण में।

81. निर्णय लिल्लू *@Rajesh* बनाम हरियाणा राज्य *1 3 138*

बलात्कार पीड़ितों के निजता, शारीरिक और मानसिक अखंडता और गरिमा के अधिकार पर जोर दिया। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा को ध्यान में रखते हुए
सांस्कृतिक अधिकार *1966;* संयुक्त राष्ट्र की बुनियादी घोषणा

अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के सिद्धांत *1985,* बलात्कार पीड़ितों को कानूनी सहारा लेने का अधिकार है जो नहीं है

उन्हें फिर से प्रताड़ित करें या उनकी शारीरिक या मानसिक अखंडता और गरिमा का उल्लंघन करें। वे आयोजित चिकित्सा प्रक्रियाओं के भी हकदार हैं।

एक तरीका जो उनकी सहमति के अधिकार का सम्मान करता है। चिकित्सकीय प्रक्रियाएँ इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि

क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का गठन करता है और

लिंग आधारित हिंसा से निपटने के दौरान स्वास्थ्य को सर्वोपरि ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य एक के तहत है ऐसी सेवाओं को जीवित बचे लोगों को उपलब्ध कराने का दायित्व

यौन हिंसा। उचित कदम उठाए जाने चाहिए

उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और कोई मनमाना या मनमाना नहीं होना चाहिए

उसकी निजता में गैरकानूनी हस्तक्षेप "। *139 (* जोर दिया गया*)*
82. थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम

केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले की शुद्धता जिसने एक परिपत्र को बरकरार रखा सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा जारी किया गया। परिपत्र के अनुसार सभी

उनके प्रशासनिक नियंत्रण में सहकारी संस्थान घोषित किए गए थे।

अधिकार की धारा *2 (*एच*)* के अर्थ के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरण होना सूचना अधिनियम, *2005*। धारा *8 (*जे*)* में व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण से छूट है जिसका किसी भी सार्वजनिक से कोई संबंध नहीं है।

गतिविधि या हित, या जो "व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण" का कारण बनता है, जब तक कि प्राधिकरण संतुष्ट नहीं होता है कि व्यापक सार्वजनिक हित इसके प्रकटीकरण को उचित ठहराता है। इस अदालत ने कहा कि निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद *21* और आर. टी. आई. अधिनियम की धारा *8 (*जे*)* में निहित वैधानिक प्रावधानों के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है।

138 (2013) 14 एस. सी. सी. *643 139* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *648 (*पैरा *13) 140 (2013) 16* एस. सी. सी. *82:*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

निजता के संवैधानिक संरक्षण की मान्यता में विधायिका द्वारा अधिनियमित किए गए हैं। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"निजता के अधिकार की भी भारत के संविधान के तहत स्पष्ट रूप से गारंटी नहीं है। हालाँकि, गोपनीयता विधेयक, *2011* प्रदान करता है
भारत के नागरिकों के निजता के अधिकार और विनियमन के लिए

उनकी व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह, रखरखाव और प्रसार और ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड और उससे जुड़े मामले लंबित हैं। कई फैसलों में

खरक सिंह बनाम। यू. पी. का राज्य *[* ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1295:*

(1963) 2 क्रि एल. जे. *329],* आर. राजगोपाल बनाम। टी. एन. राज्य *[(1994) 6*

एस. सी. सी. *632],* पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। संघ का

भारत *[(1997) 1* एस. सी. सी. *301]* और महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत शांति लाल शाह *[(2008) 13* एस. सी. सी. *5]* इस न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद *21* से उत्पन्न मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है।

भारत के संविधान "। *141*

"इस तथ्य को स्वीकार करना कि निजता का अधिकार एक पवित्र अधिकार है
संविधान के अनुच्छेद *21* का पहलू, इस कानून ने बहुत कुछ रखा है

धारा *8 (*जे*)* के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का, जैसा कि पहले से ही है

इंगित किया "। *142*

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तथ्यों पर सहकारी समितियाँ नहीं थीं

सार्वजनिक प्राधिकरणों और चुनौती के तहत निर्णय को रद्द कर दिया गया था।

83. मनोज नरूला बनाम भारत संघ *43* में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण की शिकायत करते हुए जनहित में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रावधानों से निपटना

संविधान के अनुच्छेद *75 (1)* की व्याख्या करते हुए न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने कहा,

"संवैधानिक निहितार्थ" के सिद्धांत पर विचार किया गया कि क्या न्यायालय विधायिका द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अलावा संविधान द्वारा बनाए गए प्रावधानों में अयोग्यता को पढ़ सकता है। उस संदर्भ में, प्रमुख निर्णय में कहा गया है:

"इस संबंध में, अनुच्छेद *21* के दायरे में कई पहलुओं को शामिल करना अच्छी तरह से स्थापित है। आर. राजगोपाल बनाम। टी. एन. राज्य *[(1994) 6* एस. सी. सी. *632],* निजता के अधिकार का अनुमान अनुच्छेद से लगाया गया है।
21. इसी तरह, जोगिंदर कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *[(1994) 4* एस. सी. सी. *260: 1994* एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई*) 1172:* ए. आई. आर *1994* एस. सी. *1349],* अंतर्निहित अधिकार

141 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *112* पर *(*पैरा *57)*

142 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *114* पर *(*पैरा *64)*

143 (2014) 9 एस. सी. सी. *1.5*

अनुच्छेद *21* और *22* के तहत कहा गया है। इसी तरह, सौदा करते समय

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ
न्यायालय, रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य *[*ए. आई. आर. *1950* एस. सी. *124*

: (1950) 51 सी. आर. आई. एल. जे. *1514],* ने देखा है कि बोलने की स्वतंत्रता

और अभिव्यक्ति में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय ने इस सिद्धांत को लागू किया है

संवैधानिक अवधारणाओं का विस्तार करने के लिए निहितार्थ, लेकिन संदर्भ
जिसमें क्षितिज का विस्तार किया गया है, उसे ध्यान में रखना होगा।

इस मोड़ पर, यह कहना प्रतीत होता है कि निहितार्थ का सिद्धांत
मूल रूप से एक विचार के तर्कसंगत अनुमान पर आधारित है

पाठ में प्रयुक्त शब्द।

कुछ निश्चित आधार पर कुछ विश्राम स्तंभ या शक्ति खोजना होगा
पाठ में शब्द या पाठ की योजना। की अनुपस्थिति में

कि, किसी न्यायालय के लिए किसी भी प्रस्ताव का निष्कर्ष निकालना अनुज्ञेय नहीं हो सकता है

क्योंकि यह तर्क की वैधता को विफल कर देगा। एक प्रस्ताव

कई लेखों को एक साथ पढ़कर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि

यह मूल वैधता के क्षेत्र में होगा। "

144

(जोर दिया गया*)*

84. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ *1 45*

*("*एन. ए. एल. एस. ए.*)*, दो न्यायाधीशों की एक पीठ, के अधिकारों से निपटने के दौरान
ट्रांसजेंडर, भारत द्वारा स्वीकार किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए विज्ञापित

जिसमें यू. डी. एच. आर. और आई. सी. सी. पी. आर. शामिल हैं। इन सम्मेलनों में प्रावधान जो मनमाने और गैरकानूनी हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं

और *21* भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ। न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन मान लिया किः

"इसलिए, लिंग पहचान किसी की व्यक्तिगत पहचान के मूल में निहित है।
लिंग अभिव्यक्ति और प्रस्तुति और इसलिए, इसे करना होगा

भारत के संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत संरक्षित किया जाएगा। ए.

ट्रांसजेंडर के व्यक्तित्व को ट्रांसजेंडर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।
व्यवहार और प्रस्तुति। राज्य निषेध, प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं लगा सकता है।

एक ट्रांसजेंडर के ऐसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप करता है, जो

यह उस अंतर्निहित व्यक्तित्व को दर्शाता है। अक्सर राज्य और उसके प्राधिकरण

144 इबिद, पृष्ठों पर *47-48 (*पैरा *69-70)*

145 (2014) 5 एस. सी. सी. *438* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

ऐसे व्यक्तियों का चरित्र और पहचान। इसलिए हम मानते हैं कि
निजता, आत्म-पहचान, स्वायत्तता और व्यक्तिगत अखंडता के मूल्य

ट्रांसजेंडर के सदस्यों को मौलिक अधिकारों की गारंटी है

भारत के संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के तहत समुदाय और

राज्य उन अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें मान्यता देने के लिए बाध्य है।

146 **

अनुच्छेद *21* के दायरे को स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने कहाः

"अनुच्छेद *21* भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है, जो

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करता है। जीवन का अधिकार एक है।
बुनियादी मौलिक अधिकारों का और यहां तक कि राज्य के पास भी नहीं है

उस अधिकार का उल्लंघन करने या छीनने का अधिकार। अनुच्छेद *21* सब कुछ लेता है।

जीवन के वे पहलू जो किसी व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाते हैं।

जीवन और अर्जित करने के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है
मनुष्य होने के कारण सभी व्यक्तियों के लिए। फ्रांसिस कोरली में

गरिमा हमारी संवैधानिक संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है जो
व्यक्तियों का पूर्ण विकास और विकास सुनिश्चित करना चाहता है और

इसमें विभिन्न रूपों में खुद को व्यक्त करना, स्वतंत्र रूप से घूमना शामिल है।
और साथी मनुष्यों के साथ मिलना-जुलना। *147*

अनुच्छेद *21*, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, सुरक्षा की गारंटी देता है
"किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता। अनुज गर्ग बनाम। होटल एसोसिएशन।

भारत का *[(2008) 3* एससीसी *1] (*एससीसी पी। *15* , पैरा *34-35),* यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत स्वायत्तता में दोनों का नकारात्मक अधिकार शामिल है

दूसरों के हस्तक्षेप और सकारात्मक अधिकार के अधीन नहीं होना

और यह चुनने के लिए कि किन गतिविधियों में भाग लेना है। आत्म-संकल्प
लिंग व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वयं का एक अभिन्न अंग है।

अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी के दायरे में आती है

डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने एक स्पष्ट सहमति वाला फैसला लिखा।
एन. ए. एल. एस. ए. निजता के अधिकार के आधार के लिए तर्क का संकेत देता है।

अनुच्छेद *15* के अंतर्गत लैंगिक पहचान का संरक्षण। के प्रतिच्छेदन

3 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *490* पर *(*पैरा *72)*

इबिद, पृष्ठ *490* पर *(*पैरा *73)*

3 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *491* पर *(*पैरा *75)*

अनुच्छेद *21* के साथ अनुच्छेद *15* निजता के संवैधानिक अधिकार का उल्लेख करता है।
व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और पहचान की अभिव्यक्ति। एनएएलएसए इंगित करता है

कि निजता का अधिकार अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारों पर अध्याय के किसी एक प्रावधान के दायरे में नहीं आता है। अंतःविच्छेदन

अधिकार निजता के अधिकार को मान्यता देते हैं। हालांकि मुख्य रूप से, यह गारंटी में है

अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कि निजता का संवैधानिक अधिकार निहित है, यह अन्य अधिकारों में शामिल मूल्यों से समृद्ध है।

जिनका उल्लेख संविधान के भाग *III* में किया गया है।

85. ए. बी. सी. बनाम राज्य *(*एन. सी. टी. दिल्ली*) 149 1 4* में न्यायालय ने

यह प्रश्न कि क्या एक अविवाहित माँ के लिए यह अनिवार्य है कि वह नियुक्ति के लिए अपनी याचिका के बारे में बच्चे के अनुमानित पिता को विशेष रूप से सूचित करे उसके बच्चे का संरक्षक। बच्चे की माँ ने कहा कि वह नहीं चाहती कि उसके बच्चे का भविष्य उसके पितृत्व के संबंध में किसी भी विवाद से प्रभावित हो, जिसका परिणाम निश्चित रूप से पिता को भुगतना होगा।

बच्चे को अपना मानने से मना कर दें। यह उनका तर्क था कि अगर उन्हें मजबूर किया जाता है तो गोपनीयता के उनके अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा

उसके बच्चे के पिता के नाम और विवरण का खुलासा करना। बच्चे के हित को देखते हुए, पीठ ने निर्देश दिया कि "यदि एकल माता-पिता /

अविवाहित माँ ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया

उसके गर्भ से पैदा हुई बच्ची, संबंधित अधिकारी उससे केवल इस आशय का एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, और उस पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए, जब तक कि इसके विपरीत कोई अदालत का निर्देश न हो। *150*

86. संविधान *(*नब्बे-नौवां संशोधन*)* अधिनियम, *2014* की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए, जिसमें एक संस्थागत

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में मदन बी लोकुर ने गोपनीयता के मुद्दों से निपटा है यदि खुलासा होता है के रूप में नियुक्ति के लिए विचाराधीन उम्मीदवार के बारे में बनाया गया था

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अधिकार से निपटना

एक ओर आम जनता और दूसरी ओर निजता के अधिकार के बारे में जानते हुए, न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा कि बाद वाला एक अंतर्निहित अधिकार है।

मौलिक अधिकार जिसका सभी लोग आनंद लेते हैं। न्यायमूर्ति लोकुर ने इस प्रकार टिप्पणी की:

"पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बहुत अच्छा है।
किसी विशेष व्यक्ति के बारे में संवेदनशील और कुछ संवेदनशील जानकारी

149 (2015) 10 एस. सी. सी *I.*

150 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *18 (*पैरा *28) 151 (2016) 5* एस. सी. सी. *1* पर

> जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इसे सार्वजनिक किया जाता है, इसका उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। *99* वां संविधान संशोधन अधिनियम और

एन. जे. ए. सी. अधिनियम ने किसी व्यक्ति की गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एन. जे. ए. सी. की कार्यवाही पूरी तरह से पारदर्शी होगी और किसी की भी जानकारी तक पहुंच हो सकती है।

यह एन. जे. ए. सी. के पास उपलब्ध है। यह एक अपेक्षाकृत व्यापक है

सामान्यीकरण जो स्पष्ट रूप से ध्यान में नहीं रखता है

एक व्यक्ति की गोपनीयता जिसकी सिफारिश की गई है

नियुक्ति, विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में या

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पहली बार। जानने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा यह एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है और यह गोपनीयता के अंतर्निहित मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है जिसका सभी लोग आनंद लेते हैं। संतुलन

दो निहित मौलिक अधिकारों के बीच बनाए रखना मुश्किल है,

लेकिन *99* वां संविधान संशोधन अधिनियम और एन. जे. ए. सी. अधिनियम उस संतुलन को प्राप्त करने की तो बात ही छोड़िए, इस पर विचार करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। *152*

(जोर दिया गया*)*

87. मिसाल का एक व्यापक विश्लेषण आवश्यक रहा है क्योंकि यह उस तरीके को इंगित करता है जिसमें निजता के संवैधानिक अधिकार के अस्तित्व पर बहस आगे बढ़ी है। निजता के संवैधानिक अधिकार की सामग्री और इसकी सीमाएं मामले-दर-मामले के आधार पर आगे बढ़ी हैं, प्रत्येक उदाहरण पिछले सूत्रीकरणों को आगे बढ़ाने और उनका पालन करने की मांग करता है। सैद्धांतिक आधार अनिवार्य रूप से एम. पी. शर्मा-खरक सिंह-गोबिंद की त्रयी पर आधारित है। राजगोपाल, पी. यू. सी. एल., कनारा बैंक, सेल्वी और एन. ए. एल. एस. ए. सहित बाद के निर्णयों ने योगदान दिया है। के बारे में पुनर्विचार

मामलों की त्रयी ने क्या निर्णय लिया है, इसका मूल्यांकन किए बिना सैद्धांतिक आधार पूरा नहीं हो सकता है।

88. एम. पी. शर्मा ने जमीन पर खोज करने की चुनौती का सामना किया

कि वैधानिक प्रावधान जिसने इसे अधिकृत किया, अनुच्छेद *20 (3)* में आत्म-दोषारोपण के खिलाफ गारंटी का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन जैसे विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, न्यायालय ने अपने फैसले से चुनौती का जवाब दिया कि

व्यक्ति जो किस सामग्री के दौरान खोज के अधीन है

जब्त किया गया प्रकृति का स्वैच्छिक प्रशंसापत्र कथन नहीं करता है जो अनुच्छेद *20 (3)* को आकर्षित करेगा। न्यायालय ने एक अनिवार्य

152 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *676* पर *(*पैरा *953)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक सूचना के अनुसरण में प्रकटीकरण के स्वैच्छिक विवरण से खोज

दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए एक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। यह पूर्व श्रेणी थी जिसे एक बाध्यकारी खोज में शामिल माना गया था, जिसे न्यायालय ने आयोजित आत्म-दोषारोपण के खिलाफ गारंटी को आकर्षित नहीं करेगा। द.

हालाँकि, निर्णय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान में निजता के अधिकार के अभाव में, एक प्रावधान

जैसे अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन को हमारे अपने में नहीं पढ़ा जा सका। हमारे संविधान में निजता के अधिकार की अनुपस्थिति के संबंध में अवलोकन सख्ती से बोल रहा था, एम. पी. शर्मा में न्यायालय के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं था और अवलोकन स्वयं एक पारित अवलोकन से अधिक नहीं है। इसके अलावा, निर्णय इस बात पर निर्णय नहीं लेता है कि क्या गोपनीयता किसी भी कानून के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार हो सकता है।

अन्य प्रावधान जैसे अनुच्छेद *21* या अनुच्छेद *19* के तहत।

89. खरक सिंह में एम. पी. शर्मा का कोई संदर्भ नहीं है। खरक सिंह में बहुमत का निर्णय अनिवार्य रूप से विभाजित है

दो भाग; पहला रात के लिए एक विनियमन की वैधता से संबंधित है अधिवास दौरा *(*जिसे रद्द कर दिया गया था*)* और दूसरा

शेष विनियमन *(*जिसे बरकरार रखा गया था*)*। पहले भाग का निर्णय, जो विनियमन *236 (*बी*)* से संबंधित है, एक अपरिहार्य संकेत देता है।

यह धारणा कि विनियमन ने घर की पवित्रता पर आक्रमण किया और था आदेशित स्वतंत्रता का उल्लंघन। हालांकि अदालत का तर्क 'गोपनीयता' अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करता है, लेकिन यह अमेरिका के फैसले की ओर इशारा करता है

वुल्फ बनाम कोलोराडो में सर्वोच्च न्यायालय, जो गोपनीयता से संबंधित है। इसके अलावा, फैसले में निकाले गए हिस्से में विशेष रूप से गोपनीयता का संदर्भ है

दो स्थानों पर। रात में अधिवास यात्राओं को अमान्य बताते हुए, न्यायालय ने अनुच्छेद *21* के तहत जीवन के अधिकार से संरक्षण प्राप्त किया, जिसका अर्थ है केवल पशु अस्तित्व से कुछ अधिक। अनुच्छेद के तहत अधिकार

21 इसमें उन क्षमताओं का आनंद लेना शामिल है जो अधिकार को सार्थक बनाते हैं। इसलिए, खरक सिंह में निर्णय का पहला भाग जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। यह रक्षा करता है।

ऐसे हित जो स्वतंत्रता के दायरे में गोपनीयता पर आधारित हों। निर्णय को समझने में कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि इसके निर्णय के दूसरे भाग में, बहुमत ने शेष विनियमन को बरकरार रखा और अवलोकन किया

*(*ऐसा करते समय*)* कि संविधान के तहत निजता के संरक्षित अधिकार का अभाव है। दूसरे भाग में ये अवलोकन पहले वाले से भिन्न हैं। निजता के अधिकार की अनुपस्थिति के बारे में दृष्टिकोण एक अलग अवलोकन है जो इसके साथ सह-अस्तित्व में नहीं हो सकता है। विनियमन के पहले पहलू पर प्रदान किया गया आवश्यक निर्धारण।

जे. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

असहज सह-अस्तित्व से सुसंगत सिद्धांत बनाने का प्रयास किया है खरक सिंह में निर्णय के पहले और दूसरे भागों के बीच। उनमें से कई आदेशित स्वतंत्रता की वैचारिक नींव के तहत, पहले भाग में गोपनीयता में आधारित हितों की सुरक्षा पर भरोसा करते हैं।

90. गोबिंद एक धारणा के आधार पर आगे बढ़े और समझाते हैं

न्यायालय के अनुसार निजता के अधिकार की सामग्री क्या होगी यदि इसे संवैधानिक अधिकार माना जाता है। गोबिंद इस बात को रेखांकित करते हैं कि अधिकार आदेशित स्वतंत्रता के लिए आंतरिक होगा और अंतरंग मामलों को शामिल करेगा।

जैसे परिवार, विवाह और प्रजनन। गोबिंद, यह मानते हुए कि अधिकार निरपेक्ष नहीं होगा और नियामक के अधीन होगा राज्य की शक्ति, बाद वाले को एक सम्मोहक राज्य हित के अस्तित्व पर सशर्त करती है। निर्णय एक संकीर्ण आवश्यकता को भी लाता है

बाध्यकारी ब्याज की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनियमन की सिलाई। जिस पीठ ने गोबिंद का फैसला किया, उसने खरक सिंह के फैसले को स्वीकार कर लिया। *(*हालांकि एम. पी. शर्मा नहीं*)*। जो भी हो, गोबिंद आगे बढ़े हैं।

निजता के अधिकार का निर्माण जो खरक सिंह या गोबिंद *(*या दोनों*)* से निकलता है। जाहिर है, यह खरक सिंह के फैसले का पहला हिस्सा है जिसे संवैधानिक मान्यता के रूप में माना जाता है। संविधान में निजता के संरक्षित संवैधानिक अधिकार के अभाव पर एक विशिष्ट अवलोकन वाले दूसरे भाग का मिलान किए बिना निजता का अधिकार। कम ताकत वाली सफल पीठ स्पष्ट रूप से सांसद की शुद्धता निर्धारित करने की स्थिति में नहीं थीं।

शर्मा और खरक सिंह सूत्रीकरण। उन्हें एक बुनाई करनी थी

गोपनीयता का न्यायशास्त्र नई चुनौतियों के रूप में विभिन्न स्रोतों से उभरा है: वायर-टैपिंग, नार्को-एनालिसिस, लिंग आधारित पहचान, मेडिकल

सूचना, सूचना स्वायत्तता और गोपनीयता की अन्य अभिव्यक्तियाँ। जहाँ तक गोबिंद पर आने वाले निर्णयों का संबंध है, यह सामने आता है कि जो धारणाएँ कई भागों में विशिष्ट उल्लेख पाती हैं

निर्णय को शायद पर्याप्त रूप से परिप्रेक्ष्य में नहीं रखा गया था। गोबिंद को बाद की पीठों द्वारा पुष्टि के रूप में माना गया है

निजता का अधिकार।

91. निजता के अधिकार का पता उन निर्णयों में लगाया गया है जो

चार दशकों से अधिक समय से अनुच्छेद *21* में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी और अनुच्छेद में निर्धारित स्वतंत्रताओं को प्रदान किया गया है।

19. इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के सम्मान पर आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

[2017] 10 एस सी आर।

मानवाधिकारों के लिए यू. डी. एच. आर. और आई. सी. सी. पी. आर. के विशिष्ट लेखों के साथ देखा गया है जो गोपनीयता के अधिकार को मूर्त रूप देते हैं। *153* में इस न्यायालय के दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय कानून को इसके विपरीत कानून के अभाव में घरेलू कानून के एक हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए और, शायद

अधिक महत्वपूर्ण रूप से, संवैधानिक गारंटी का अर्थ होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सामग्री से प्रकाशित, जिसमें भारत एक पक्ष है। नतीजतन, जैसे-जैसे नए मामले नए मुद्दे और समस्याएं लेकर आए

(पी. यू. सी. एल.*)*, मौत की सजा पाए दोषी *(*राजगोपाल*)* पर सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व प्रतिबंध, गोपनीय दस्तावेजों का निरीक्षण और तलाशी। बैंकर-ग्राहक संबंध *(*केनरा बैंक*)*, एच. आई. वी. स्थिति का खुलासा *(*श्री एक्स वी अस्पताल जेड*)*, भोजन वरीयताएँ और पशु वध

(हिनसा विरोधी संघ*)*, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति

(सुचिता श्रीवास्तव*)*, आपराधिक जांच में वैज्ञानिक परीक्षण *(*सेल्वी*)*,

विदेशों में रखे गए बैंक खातों *(*राम जेठमलानी*)* और ट्रांसजेंडरों के अधिकार *(*एनएएलएसए*)* का खुलासा। प्रारंभिक मामले पुलिस नियमों से संबंधित थे जो स्वतंत्रता पर घुसपैठ को अधिकृत करते थे, जैसे कि निगरानी। भारतीय समाज के रूप में

गोपनीयता के अधिकार के दावे पर इस न्यायालय द्वारा अलग-अलग संदर्भों में विचार किया गया है जो विकल्पों और स्वायत्तता को दोहराते हैं व्यक्तिगत नागरिक। *92.* हालाँकि, कमी एक सिद्धांत के संबंध में है।

ऐसा आधार तैयार करना जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि निजता का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है या नहीं। एम. पी. शर्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। सवाल का जवाब दिया; खरक सिंह ने इसे कुछ हद तक सुलझा लिया।

असंगत सूत्रीकरण जबकि गोबिंद धारणा पर निर्भर थे। एम. पी. शर्मा आठ न्यायाधीशों का निर्णय होने के कारण, इस पीठ को भारत संघ की आपत्ति पर निर्णय लेने के लिए बुलाया गया है

सबसे पहले ऐसा अधिकार।

I भारतीय संविधान

प्रस्तावना

93. संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लोगों ने भारत को एक गणराज्य के रूप में गठित करने का संकल्प लिया है।

अन्य चीजें*)* संप्रभु और लोकतांत्रिक है और अपने सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित हैः

"न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता;

153 ऋषिका तनेजा और सिद्धांत कुमार, गोपनीयता कानून देखें। सिद्धांत, आदेश और क्षतिपूर्ति, ईस्टर्न बुक कंपनी *(2014),* पर एक व्यापक खाते के लिए

भारत में निजता का अधिकार और निजता कानून।

- जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

41

स्थिति और अवसर की समानता; और दोनों के बीच बढ़ावा देना।

वे सभी

व्यक्ति की गरिमा और एकता का आश्वासन देने वाली बंधुत्व
राष्ट्र की;

94. सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य *1 54* में, न्यायमूर्ति मुधोलकर

इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि हमारे संविधान की प्रस्तावना "की नहीं है जैसा कि एक विधायी अधिनियम में प्रस्तावना है लेकिन था

"गहन विचार-विमर्श की मुहर" और सटीकता दोनों द्वारा चिह्नित। न्यायालय के शब्दों में, यह विशेष महत्व का सूचक था।

संविधान निर्माताओं द्वारा प्रस्तावना के लिए।

95. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य *1 55*

*("*केशवानंद भारती *"),* मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने ध्यान दिया कि प्रस्तावना

यह संविधान का हिस्सा है। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। वे एक साथ संस्थापक विश्वास या संवैधानिक दस्तावेज में स्थायित्व की भावना के साथ सन्निहित मूल्यों का खाका बनाते हैं। प्रस्तावना

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात करता है। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। द.

व्यक्ति संवैधानिक ध्यान के मूल में निहित है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श व्यक्ति के लिए एक सम्मानजनक अस्तित्व हासिल करने के दृष्टिकोण को जीवंत करते हैं। प्रस्तावना में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की गई है जिसमें मौलिक संवैधानिक मूल्यों को अपरिहार्य माना जाता है सुख की खोज में। ऐसे मौलिक मूल्य भी पाए गए हैं।

दुनिया के अन्य हिस्सों में अधिनायकवादी शासनों के मूलभूत दस्तावेज में प्रतिबिंब। भारत को जो बात अलग करती है, वह है कानून के शासन पर आधारित लोकतांत्रिक जीवन शैली को अपनाना। लोकतंत्र धारणाओं के मतभेदों को स्वीकार करता है, जीवन के तरीकों में भिन्नताओं को स्वीकार करता है और सम्मान करता है

असहमति।

"

गरिमा पर न्यायशास्त्र

96. पिछले चार दशकों में हमारा संवैधानिक न्यायशास्त्र

सम्मान के साथ जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच अविभाज्य संबंध को मान्यता दी है। संवैधानिक मूल्य के रूप में गरिमा की अभिव्यक्ति प्रस्तावना में मिलती है। संवैधानिक दृष्टिकोण न्याय *(*सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक*)* की प्राप्ति चाहता है*;* स्वतंत्रता *(*विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की*);* समानता *(*मनमाने व्यवहार के खिलाफ गारंटी के रूप में*)*।

154 (1965) 1 एससीआर *933*

155 (1973) 4 एससीसी *225*

व्यक्तियों का*)* और बंधुत्व *(*जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का आश्वासन देता है। व्यक्तिगत*)*। ये संवैधानिक उपदेश एकता में मौजूद हैं ताकि

यह संविधान का अभिन्न अंग है। गरिमा के प्रतिबिंब पाए जाते हैं मनमानी के खिलाफ गारंटी *(*अनुच्छेद *14),* स्वतंत्रता के दीपक *(*अनुच्छेद *19)* और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार *(*अनुच्छेद *21)*।

97. प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन *1 56* में, जो

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा कि कैदियों को हथकड़ी लगाने से उत्पन्न हुआः

"..... मानव गरिमा की गारंटी, जो हमारा हिस्सा है
संवैधानिक संस्कृति और अनुच्छेद *14* के सकारात्मक प्रावधान,

19 और *21* कार्य में तब आता है जब हम महसूस करते हैं कि मनुष्य को पराजित करना उसे अपमानित करने से अधिक है; यह उसे अमानवीय बनाना है और इसलिए,

अपने व्यक्तित्व का उल्लंघन करने के लिए, बहुत बार मास्क का उपयोग करना

'खतरा और सुरक्षा। *157*

प्रस्तावना स्थापना के मानवीय स्वर और स्वभाव को निर्धारित करती है।

दस्तावेज़ और न्याय, समानता और देश की गरिमा पर प्रकाश डालता है।

व्यक्तिगत। *15811*

98. फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली *59 ("*फ्रांसिस कोरली*")* मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम *(*कोफेपोसा*)* अधिनियम, *1974* के तहत एक बंदी का अधिकार

एक वकील और उनके परिवार के सदस्यों के साथ एक साक्षात्कार में कहा गया था किः

"जीवन का मौलिक अधिकार जो सबसे मूल्यवान मानव है
इसलिए अधिकार और जो अन्य सभी अधिकारों का संदूक है, उसकी व्याख्या एक व्यापक और विस्तृत भावना से की जानी चाहिए ताकि इसे महत्व और जीवन शक्ति के साथ निवेश किया जा सके जो आने वाले वर्षों तक कायम रह सके और व्यक्ति की गरिमा और मानव के मूल्य को बढ़ा सके।

व्यक्ति. *160*

..... अनुच्छेद *21* में निहित जीवन के अधिकार को इन तक सीमित नहीं किया जा सकता हैः

156 (1980) 3 एस. सी. सी. *526 157* आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *529-530 (*पैरा *1) 158* इबिद, पृष्ठ *537 (*पैरा *21) 159 (1981) 1* एस. सी. सी. *608* पर

160 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *618* पर *(*पैरा *6)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

केवल पशु अस्तित्व। इसका मतलब सिर्फ कुछ और है

शारीरिक अस्तित्व। *161*

..... हम सोचते हैं कि जीवन के अधिकार में जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है।

मानव गरिमा और उसके साथ जो कुछ भी जाता है, जैसे कि पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय और पढ़ने, लिखने और विविध रूपों में अपने आप को व्यक्त करने की सुविधा, स्वतंत्र रूप से घूमना और साथी मनुष्यों के साथ मिलना-जुलना। हर वह कार्य जो मानव के खिलाफ अपराध करता है या उसे बाधित करता है।

गरिमा जीने के इस अधिकार से वंचित करेगी।

और यह कानून द्वारा स्थापित उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए जो अन्य लोगों की कसौटी पर खरा उतरता है।

मौलिक अधिकार. *162* "

99. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ *1 63* में, एक पीठ

इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने दासता में रह रहे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हुए कहा किः

"..... अनुच्छेद *21* में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने का यह अधिकार राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से प्राप्त होता है। और
विशेष रूप से अनुच्छेद *39* और कलाओं के खंड *(*ई*)* और *(*एफ*)*। *41* और

42 और कम से कम, इसलिए, इसमें सुरक्षा शामिल होनी चाहिए

दुर्व्यवहार, अवसरों और सुविधाओं के खिलाफ श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं और कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य और शक्ति

आवश्यकताएँ जो किसी व्यक्ति को जीने में सक्षम बनाने के लिए मौजूद होनी चाहिए
मानवीय गरिमा के साथ, और न ही राज्य को-न तो केंद्र सरकार को-ऐसी कोई कार्रवाई करने का अधिकार है जो किसी व्यक्ति को अधिकार से वंचित कर दे।

इन बुनियादी आवश्यकताओं का आनंद लेना। *164*

100. एक आरोप से निपटना कि एक संगठन के कार्यकर्ता

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए और पूरे शहर में परेड की गई और

पुलिस हिरासत में पीटा गया, खेड़त मजदूर चेतना में यह अदालत संगथ बनाम एम. पी. *65* राज्य ने अभिनिर्धारित किया किः

1 61 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ *618* पर *(*पैरा *7)*।

162 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *618-619 (*पैरा *8)*

163 (1984) 3 एससीसी *161*

164 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *183* पर *(*पैरा *10)* *165 (1994) 6* एस. सी. सी. *260* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

"इसलिए यह मानव न्याय के हित में बिल्कुल आवश्यक है।

गरिमा और लोकतंत्र कि इस न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए; एक जांच का आदेश देना चाहिए जो सही तथ्यों का निर्धारण करता है और सबसे मजबूत संभव कदम उठाता है

इनके लिए जिम्मेदार उत्तरदाताओं के खिलाफ कार्रवाई

अत्याचार. *165*

अगर गरिमा या सम्मान गायब हो जाता है तो जीवन में क्या बचा रहता है। *167 " 1*

101. एम नागराज बनाम संघ में मानवीय गरिमा का अर्थ लगाया गया था।

भारत *1 68* इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा आंतरिक होना और

मानव अस्तित्व से अविभाज्य। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गरिमा ऐसी चीज नहीं है जो प्रदान की जाती है और जिसे छीन लिया जा सकता है, क्योंकि यह अविच्छेद्य हैः

"व्यक्ति के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं को न केवल राज्य के खिलाफ संरक्षित किया जाना है, बल्कि उन्हें इसके द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। यह.
क्या राज्य का कर्तव्य केवल मानव गरिमा की रक्षा करना नहीं है

लेकिन उस दिशा में सकारात्मक कदम उठाकर इसे सुविधाजनक बनाना।

मानव गरिमा की कोई सटीक परिभाषा मौजूद नहीं है। यह संदर्भित करता है कि
प्रत्येक मनुष्य का आंतरिक मूल्य, जो होना है

सम्मान करते हैं। इसे हटाया नहीं जा सकता है। वह दे नहीं सकता। यह बस

है। प्रत्येक मनुष्य की गरिमा उसके गुणों के कारण होती है।

अस्तित्व. *169*

और राष्ट्र की एकता। संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य व्यक्तिगत नागरिक की बंधुत्व और गरिमा को बढ़ावा देने और नागरिकों को कुछ अधिकार सुरक्षित करने के लिए मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य के उद्देश्यों को केवल और उसके माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है

व्यक्तियों। इसलिए, नागरिकों और गैर-नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार ये केवल व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं। उनके पास एक बड़ा

सामाजिक और राजनीतिक सामग्री, क्योंकि के उद्देश्य संविधान को अन्यथा लागू नहीं किया जा सकता है। *170 " (* जोर दिया गया*)*

102. महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाम

सच्चिकित्सा प्रसारक मंडल *1 1,* इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

166 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *262-263 (*पैरा *10) 167* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *271 (*पैरा *37) 168 (2006) 8* एस. सी. सी. *212 159* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *243-244 (*पैरा *26) 170* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *247-248 (*पैरा *42) 171 (2010) 3 SCC.786* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

व्यक्ति एक मूल संवैधानिक अवधारणा है। सेल्वी में, इस न्यायालय ने मान्यता दी

कि -

"..... हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किसी व्यक्ति के शरीर में जबरन घुसपैठ

मानसिक प्रक्रियाएँ भी मानव गरिमा और स्वतंत्रता का अपमान हैं।

" जे.

अक्सर गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले परिणामों के साथ। "

103. डॉ. महमूद नय्यर आज़म बनाम छत्तीसगढ़ राज्य *73* में,

इस न्यायालय ने कहा कि जब गरिमा खो दी जाती है, तो जीवन गुमनामी में चला जाता है। गरिमा पर समान जोर एनएएलएसए में निर्णय में अभिव्यक्ति पाता है।

104. यही सिद्धांत हाल ही में शबनम में दोहराया गया था।

v भारत संघ *1 4* निम्नलिखित शर्तों में:

मानव गरिमा एक मानव के रूप में प्रत्येक मानव की गरिमा है। होना '। एक अन्य तत्व, जिसे उजागर करने की आवश्यकता है, में

वर्तमान मामले का संदर्भ यह है कि मानव गरिमा का उल्लंघन किया जाता है यदि

व्यक्ति का जीवन, शारीरिक या मानसिक कल्याण चिंतित है। इसमें यह

इन्द्रिय यातना, अपमान, जबरन श्रम आदि सभी मानव का उल्लंघन करते हैं।

गरिमा। यह इस संदर्भ में है कि अभियुक्त के कई अधिकार इससे प्राप्त होते हैं -

एक इंसान के रूप में उनकी गरिमा "। *175*

105. जीजा घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में हालिया निर्णय

भारत *1 76* ने मानव गरिमा को प्रदान किए गए संवैधानिक संरक्षण का अर्थ लगाया। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

ए.

..... मानव गरिमा एक संवैधानिक मूल्य और एक संवैधानिक लक्ष्य है।

मानव गरिमा के संवैधानिक मूल्य के क्या आयाम हैं*?*

इसे अहरोन बराक *1 77 (*पूर्व प्रमुख*)* द्वारा खूबसूरती से चित्रित किया गया है। इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय का न्याय*)* निम्नलिखित तरीके सेः

मानक भूमिका। संवैधानिक मूल्य के रूप में मानव गरिमा है
कारक जो मानवाधिकारों को एक पूरे में एकजुट करता है। यह सुनिश्चित करता है

मानवाधिकारों की मानक एकता। यह मानक एकता है

तीन तरीकों से व्यक्त किया गयाः सबसे पहले, मानव गरिमा का मूल्य
में निर्धारित संवैधानिक अधिकारों के लिए एक मानक आधार के रूप में कार्य करता है

172 इबिद, पृष्ठ *376* पर *(*पैरा *244)*

173 (2012) 8 एससीसी *I* *174 (2015) 6* एस. सी. सी. *702*

175 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *713* पर *(*पैरा *14)*

176 (2016) 7 एस. सी. सी. *761*

177 अहरोन बराक, मानव गरिमा-संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक

दाएँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस *(2015)*

)

.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट।

संविधान; दूसरा, यह एक व्याख्यात्मक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है।

संवैधानिक अधिकारों के दायरे को निर्धारित करने के लिए, जिसमें
मानव गरिमा का अधिकार; तीसरा, मानव गरिमा के मूल्य की क़ानून की आनुपातिकता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

एक संवैधानिक अधिकार को सीमित करना। *178*

106. जीवन अपने आप में अनमोल है। लेकिन जीवन जीने लायक है क्योंकि

स्वतंत्रताएँ जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं जैसा कि होना चाहिए रहते थे। जीवन को कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में सबसे अच्छे निर्णय उन्हें सौंपे जाते हैं।

व्यक्तिगत। वे लगातार सामाजिक परिवेश से आकार लेते हैं जिसमें व्यक्ति मौजूद होते हैं। लेने की क्षमता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है।

पूर्ण भावना। जो जीवन की पूर्ति को सुविधाजनक बनाता है, वह जीवन की गारंटी के संरक्षण के भीतर है।
107. जीना सम्मान के साथ जीना है। संविधान के मसौदा तैयार करने वालों ने समाज के बारे में अपने दृष्टिकोण को परिभाषित किया जिसमें संवैधानिक मूल्य

अन्य स्वतंत्रताओं के साथ-साथ स्वतंत्रता और गरिमा पर जोर देकर प्राप्त किया जा सकता है। गरिमा इतनी मौलिक है कि यह अधिकारों के मूल में व्याप्त है।

भाग *III* द्वारा व्यक्ति को गारंटी। गरिमा वह मूल है जो एकजुट करता है।

मौलिक अधिकार क्योंकि मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अस्तित्व की गरिमा प्राप्त करना चाहते हैं। निजता अपने परिचर मूल्यों के साथ व्यक्ति को गरिमा का आश्वासन देती है और यह केवल तभी हो सकता है जब जीवन का आनंद गरिमा के साथ लिया जा सके। गोपनीयता गरिमा की पूर्ति सुनिश्चित करती है और एक मूल मूल्य है जिसे जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है।

मौलिक अधिकारों के मामले

108. गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य *79* में एक चुनौती थी।

पंजाब प्रतिभूति भूमि कार्यकाल अधिनियम, *1953* और मैसूर भूमि सुधार अधिनियम *(*संशोधित*)* को नौवें में शामिल करने पर।

संविधान की अनुसूची।

मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने कानून के शासन और उसके उद्देश्य पर जोर दिया

यह सुनिश्चित करना कि संविधान द्वारा गठित प्रत्येक प्राधिकरण इसके अधीन है और इसके मापदंडों के भीतर कार्य करता है। सरकारी शक्ति को बाधित करने का एक उद्देश्य मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना था।

178 सुप्रा नोट *176,* पृष्ठ *792 (*पैरा *37) 179 (1967) 2* एस. सी. आर. *762* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

विधायी बहुमत के खिलाफ। यह विचार मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव के फैसले के निम्नलिखित उद्धरण में परिलक्षित होता हैः

"..... लेकिन, हमारे देश के पिछले इतिहास को देखते हुए, यह हो सकता है

निहित रूप से जनता के प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि

राज्य। इसलिए, यह प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित करता है
राज्य का अतिक्रमण और उच्च न्यायपालिका का गठन

उक्त अधिकारों और संतुलन के प्रहरी के रूप में राज्य
सामाजिक नियंत्रण के अधीन, अधिकारों के बीच चक्र। संक्षेप में,

सामाजिक नियंत्रण के अधीन मौलिक अधिकार हैं

कानून के शासन में शामिल। *"180 (*जोर दिया गया*)*
विद्वान न्यायाधीश ने मौलिक की स्थिति पर जोर दिया

अधिकार इस प्रकार हैंः

..... वे हमारे संविधान द्वारा संरक्षित लोगों के अधिकार हैं।

"मौलिक अधिकार "उन चीज़ों का आधुनिक नाम है जो उनके पास हैं

पारंपरिक रूप से "प्राकृतिक अधिकारों" के रूप में जाना जाता है। एक लेखक के रूप में
कहते हैंः "वे नैतिक अधिकार हैं जो हर इंसान को हर जगह मिलते हैं।

हर समय केवल इस तथ्य के कारण होना चाहिए कि
अन्य चीज़ों के साथ विरोधाभास तर्कसंगत और नैतिक है। वे.

मानव के विकास के लिए आवश्यक मौलिक अधिकार हैं

व्यक्तित्व। ये वे अधिकार हैं जो एक आदमी को तैयार करने में सक्षम बनाते हैं।
अपने जीवन में जिस तरह से वह सबसे अच्छा पसंद करता है *".." 181*

(जोर दिया गया*)*

मौलिक अधिकार, दूसरे शब्दों में, मौलिक अधिकार हैं जो

पारंपरिक रूप से प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। उस चरित्र में ये

अधिकार मानव अस्तित्व से अविभाज्य हैं। उन्हें संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है, यह संवैधानिक दस्तावेज से पहले भी उनके अस्तित्व की मान्यता है।

109. केशवानंद भारती में *13* न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया

अनुच्छेद *368* द्वारा प्रदत्त संशोधन शक्ति की प्रकृति और क्या संशोधन शक्ति का प्रयोग मौलिक स्वतंत्रताओं में कटौती में सीमाओं के अधीन था। मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने कहा कि मौलिक अधिकार अपरिहार्य हैं। उनके दृष्टिकोण में, सार्वभौमिक

मानवाधिकारों की घोषणा का उपयोग अनुच्छेद *51* के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए संविधान की व्याख्या करने के लिए किया जाना था। भारत ने स्वीकार किया कि

180 इबिद, पृष्ठ *788* पर *181* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *789* पर · सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

सार्वभौमिक घोषणा, सीकरी, सी. जे. ने अभिनिर्धारित किया कि अधिकारों का व्यवहार

अपरिहार्य को न्यायालय की व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश इन अधिकारों को प्राकृतिक मानने वाली मिसाल की एक रेखा पर भरोसा किया और

अभेद्य और अवलोकितः

"300. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं।

'प्राकृतिक अधिकार' या 'मानवाधिकार' के रूप में। इनमें से कुछ निर्णय इस प्रकार हैं -

नीचे निकाला गया हैः

"इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत के लोगों ने अपनी संप्रभु इच्छा का प्रयोग करते हुए, जैसा कि प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है,

लोकतांत्रिक आदर्श, जो नागरिक को व्यक्ति की गरिमा और उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और अभिव्यक्ति के साधन के रूप में अन्य पोषित मानवीय मूल्यों का आश्वासन देता है, और प्रत्यायोजित करता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को उनके संबंधित

संविधान में शक्तियाँ, जो स्वयं के लिए आरक्षित हैं

तथाकथित मौलिक अधिकार, मुझे आशंका है क्योंकि उन्हें लोगों द्वारा बनाए रखा गया है और प्रत्यायोजित लोगों के लिए सर्वोपरि बनाया गया है
अमेरिकी मॉडल की तरह शक्तियाँ। *(* प्रति पतंजलि शास्त्री, जे.,

गोपालन बनाम। मद्रास राज्य। *[* ए. आई. आर. *1950* एससी *27: 1950* एससीआर *88,*

198-199 : 1950 एस. सी. जे. *174] (*जोर दिया गया)।

*((ii) "*वह अनुच्छेद *(*अनुच्छेद *19)* कुछ स्वतंत्रताओं की गणना करता है।

शीर्षक 'स्वतंत्रता का अधिकार' और उन महान लोगों से संबंधित है और

बुनियादी अधिकार जो मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत हैं

एक स्वतंत्र देश के नागरिक की स्थिति में निहित प्राकृतिक अधिकार। *(* प्रति पतंजलि शास्त्री, सी. जे., पश्चिम राज्य में

बंगाल बनाम. सुबोध गोपाल बोस *[*ए. आई. आर *1954* एस. सी. *92: 1954* एससीआर *587,596: 1954* एस. सी. जे. *127]) (*जोर दिया गया*)*।

"मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने समान भेद किया और एक स्वतंत्र नागरिक की स्थिति में निहित अन्य प्राकृतिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के साथ 'संपत्ति प्राप्त करने, रखने और निपटाने' के लिए एक नागरिक के प्राकृतिक अधिकार या क्षमता को वर्गीकृत किया और उन्हें अनुच्छेद *19 (1)* में सन्निहित किया। *597) "(*जोर
प्रदान किया गया*)*।

"इन सभी कारणों से, मेरी राय है कि योजना के तहत

संविधान, वे सभी व्यापक और बुनियादी स्वतंत्रताएँ जो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में एक नागरिक की स्थिति में निहित हैं, मूर्त और संरक्षित हैं।

अनुच्छेद *19* के खंड *(1)* के तहत राज्य द्वारा आक्रमण से।

पी। *600) (* जोर दिया गया*)*।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

(iii) "हालाँकि, लोग कुछ अधिकारों को इस प्रकार मानते हैं -

सर्वोपरि, क्योंकि वे कार्रवाई की स्वतंत्रता को गले लगाते हैं निजी जीवन, सामाजिक संभोग के मामलों में व्यक्ति और

देश की सरकार और अन्य क्षेत्रों में हिस्सेदारी।

जिन लोगों ने सरकार के तीन अंगों को अपने साथ निहित किया शक्ति और अधिकार ने एक ही समय में नागरिकों और कुछ समय गैर-नागरिकों के इन अधिकारों को वापस रखा, और

कुछ शर्तों को छोड़कर वे अलंघनीय हैं। इस प्रकार जिन अधिकारों को वापस रखा गया है, उन्हें संविधान के भाग *III* में रखा गया है, जिसका शीर्षक 'मौलिक अधिकार' है, और जिन शर्तों के तहत इन अधिकारों को संक्षिप्त किया जा सकता है, उन्हें भी उस भाग में इंगित किया गया है। *(* हिदायतुल्ला के अनुसार, जे।

उज्जंबई बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *[(1963) 1* एससीआर *778,926-27:* एयर

1962 एससी *1621]) (*जोर दिया गया*)*।

301. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनका वर्णन इस प्रकार किया हैः

" ((iv) मनुष्य के कुछ प्राकृतिक या अविभाज्य अधिकार हैं और

यह राज्य का कार्य है, ताकि मानव स्वतंत्रता

संरक्षित किया जा सकता है और मानव व्यक्तित्व विकसित किया जा सकता है,

उन अधिकारों को मान्यता दें और खेलने की स्वतंत्रता दें। कहते हैं कि वे हमारे युग के लोकतांत्रिक विचार में एक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। *(* मोतीलाल वी. उत्तर प्रदेश की स्थिति*) "(*जोर दिया गया*)"*। *182*

यह मानने के लिए सैद्धांतिक आधार था कि मौलिक अधिकारों को "अस्तित्व से संशोधित" नहीं किया जाना चाहिए। सीजे सीकरी ने उन सभी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि संविधान जो मूल संरचना का एक हिस्सा था

कि -

" विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि प्रत्येक प्रावधान

संविधान आवश्यक है; अन्यथा इसे संविधान में नहीं रखा जाता। यह बात सच है। लेकिन यह हर प्रावधान नहीं रखता है।

उसी स्थिति में संविधान का। सही स्थिति यह है कि संविधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते कि परिणामस्वरूप संविधान की मूल नींव और संरचना समान रहे। कहा जा सकता है कि मूल संरचना में शामिल हैं -

निम्नलिखित विशेषताएँ:

(2) सरकार का रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक रूप; *(3)* संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र;

प्र नोट *155,* पृष्ठ *367-368* पर *(*पैरा *300)*

(4) विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण;

(5) संविधान का संघीय चरित्र "। *183*

न्यायमूर्ति शेलत और ग्रोवर ने अभिनिर्धारित किया कि "भाग *III* में विभिन्न स्वतंत्रताओं और बुनियादी अधिकारों द्वारा सुरक्षित व्यक्ति की गरिमा और

भाग *IV* में निहित एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए जनादेश

मूल संरचना का हिस्सा।

न्यायमूर्ति हेगड़े और न्यायमूर्ति मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिक उद्देश्य

संविधान सभा से पहले ये थेः *((i)* भारत का गठन करने के लिए संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य और *(ii)* अपने नागरिकों को इसमें उल्लिखित अधिकारों को सुरक्षित करना। इसलिए, विद्वान न्यायाधीशों ने इसे स्वीकार करना असंभव पाया

कि संविधान निर्माताओं ने एक प्रावधान किया होगा संविधान स्वयं उन आदर्शों के विनाश के लिए है जो उनके पास थे

मौलिक अधिकारों में सन्निहित। इसलिए, संसद के पास कोई शक्ति नहीं थी संविधान की मूलभूत विशेषताओं को निरस्त करना, जिनमें शामिल हैं -

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएँ नागरिक "।

"मामले के विभिन्न पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम आश्वस्त हैं कि संसद के पास इसे निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है

या मूल तत्वों या मूल विशेषताओं को कम करें

हमारी राजनीति का चरित्र, देश की एकता, नागरिकों को प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की आवश्यक विशेषताएं। न ही संसद के पास कल्याणकारी राज्य और समतावादी समाज के निर्माण के जनादेश को रद्द करने की शक्ति है। ये सीमाएँ केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। हालाँकि, इन सीमाओं के बावजूद, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संशोधन करने की शक्ति एक व्यापक शक्ति है।

और यह संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक भाग तक पहुँचता है। उस शक्ति का उपयोग संविधान को फिर से आकार देने के लिए किया जा सकता है

राज्य पर अधिरोपित दायित्व। इसका उपयोग पहले उल्लिखित सीमाओं के भीतर संविधान को नया रूप देने के लिए भी किया जा सकता है, ताकि इसे सामाजिक भलाई के लिए एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। हम सहमत नहीं हो सकते हैं।

इस तर्क के साथ कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए, कुछ मानव स्वतंत्रताओं को नष्ट करना आवश्यक है। कि,

किसी भी तरह से यह हमारे संविधान का दृष्टिकोण नहीं है। हमारा संविधान में परिकल्पना की गई है कि राज्य को बिना किसी देरी के ऐसा करना चाहिए

183 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *366 (*पैरा *292) 184* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *454 (*पैरा *582)*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इस देश के सभी नागरिकों को वास्तविक सुविधा उपलब्ध कराएँ।

लोकतांत्रिक तरीके से उन स्वतंत्रताओं का लाभ। मानव। स्वतंत्रताएँ धीरे-धीरे और अदृश्य रूप से खो जाती हैं और उनका विनाश आम तौर पर सत्तावादी शासन द्वारा किया जाता है। यही इतिहास है।

हमें सिखाया है। स्वतंत्रता और शक्ति के बीच संघर्ष शाश्वत है। सतर्कता वह कीमत है जो हम हर दूसरे लोकतांत्रिक समाज को पसंद करते हैं। हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भुगतान करना होगा। यहां तक कि सबसे अच्छी सरकारें भी अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक शक्ति रखने के खिलाफ नहीं हैं।

जिसे वे ईमानदारी से सार्वजनिक हित में मान सकते हैं। लेकिन एक बार खो जाने के बाद स्वतंत्रता शायद ही कभी क्रांति के अलावा पुनः प्राप्त होती है।

स्वतंत्रता पर प्रत्येक अतिक्रमण आगे बढ़ने के लिए एक पैटर्न निर्धारित करता है।

अतिक्रमण। हमारी संवैधानिक योजना व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को नष्ट किए बिना गरीबी को समाप्त करने की है। *185 (* जोर देना

आपूर्ति की गई*)*

सीई जगनमोहन रेड्डी ने कहा किः

"..... संसद अनुच्छेद *368* के तहत अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती है। संशोधन ताकि स्वयं को निरस्त करने, निरस्त करने की शक्ति प्रदान की जा सके

संविधान या क्षति, किसी को नष्ट या नष्ट करना

मौलिक अधिकार या मूल संरचना के आवश्यक तत्व

संविधान या पहचान को नष्ट करने का

संविधान। *"* 186*

न्यायमूर्ति खन्ना अपने निष्कर्षों के सारांश के दौरान

जहां तक संशोधन की शक्ति का संबंध है, कि -

" अनुच्छेद *368* के तहत संशोधन की शक्ति में शामिल नहीं है -

संविधान को निरस्त करने की शक्ति और न ही इसमें संविधान की मूल संरचना या ढांचे को बदलने की शक्ति शामिल है। संविधान की मूल संरचना या ढांचे को बनाए रखने के अधीन, संशोधन की शक्ति पूर्ण है और इसमें संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन करने की शक्ति शामिल है।

संविधान, जिसमें मौलिक अधिकारों के साथ-साथ वे भी शामिल हैं जो आवश्यक विशेषताओं से संबंधित हैं। नहीं। मौलिक अधिकार का एक हिस्सा उस अधिकार के सार या मूल के रूप में वर्णित करके संशोधनकारी प्रक्रिया से प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है।

संशोधन की शक्ति में अपने भीतर शक्ति भी शामिल होगी।

घ, पृष्ठों पर *486-487 (*पैरा *666)*

घ, पृष्ठ *666* पर *(*पैरा *1212)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विभिन्न अनुच्छेदों को जोड़ना, बदलना या निरस्त करना। *187*

महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही न्यायमूर्ति मैथ्यू अल्पमत में थे, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने अपने निर्णय के दौरान मानवीय गरिमा के महत्व को देखाः

सुख के लिए, उसकी मानवीय गरिमा की भावना, उसकी चेतना
मनुष्य का जीवन में स्थान और उद्देश्य, ये सभी कल्पना के उत्पाद नहीं हैं, बल्कि अस्तित्व के क्षेत्र में वस्तुनिष्ठ कारक हैं।

110. इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण *1 8*, न्यायमूर्ति खन्ना

स्पष्ट किया कि केशवानंद भारती में उनका विचार यह है कि संसद में संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान की मूल संरचना को नष्ट या निरस्त नहीं कर सकता है। कोई भेद नहीं किया गया।

मौलिक अधिकारों के प्रावधानों और मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित संशोधन शक्ति के दायरे के संबंध में:

"..... के अनुसार "संशोधन" शब्द में निहित सीमा

जिसकी संविधान के संशोधन द्वारा अनुमति नहीं है

संविधान की मूल संरचना को मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों पर समान रूप से काम करना था जैसा कि अन्य पर

लेख जो उन अधिकारों से संबंधित नहीं हैं।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि संपत्ति का अधिकार उनके पास है

मूल संरचना का हिस्सा नहीं होना। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि उनके लिए ऐसा करना अनावश्यक होता, अगर इनमें से कोई भी नहीं होता

मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा होने चाहिए।

111. चंद्रचूड़ सी. जे. ने अपने निर्णय के दौरान

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ *1* में संविधान पीठ ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अलंघनीय स्वतंत्रता में स्थापित अपरिहार्य अधिकारों के विकास के इतिहास का पता लगाया और कहा कि संविधान के दोनों भाग *III* और *IV* अविभाज्य रूप से उभरे हैं।

187 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *824 (*पैरा *1537 (vii)) 188* आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *866-867 (*पैरा *1676) 189 (1975) 1* पूरक। एससीसी *1*

190 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *115 (*पैरा *251) 191 (1980) 3* एस. सी. सी. *625* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

1

राज्य के नकारात्मक और सकारात्मक दायित्वों के बीच अंतर किए बिना।

इस दृष्टिकोण से संविधान "संविधान की आधारशिला" पर आधारित है।

भाग *III* और *IV* "के बीच संतुलन और एक को पूर्ण प्रधानता देना।

दूसरी ओर संविधान के सद्भाव को भंग करना होगा। मुख्य न्यायाधीश के विचार सेः

" हमारे संविधान की इमारत अवधारणाओं पर बनी है
प्रस्तावना में क्रिस्टलीकृत। हमने खुद को संगठित करने का संकल्प लिया

एक समाजवादी राज्य में जो अपने साथ सुरक्षित करने का दायित्व रखता था

हमारे लोगों को न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसलिए हम,
भाग *IV* को हमारे संविधान में शामिल करें जिसमें निर्देशात्मक सिद्धांत हैं -

राज्य नीति जो हासिल किए जाने वाले समाजवादी लक्ष्य को निर्दिष्ट करती है। हम.

हमारे लोगों से एक ऐसी लोकतांत्रिक राजनीति का वादा किया जो अपने साथ चलती है

लोगों को विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का दायित्व,
विश्वास, आस्था और पूजा; स्थिति और अवसर की समानता और

संरक्षित किया गया। इसलिए, हम अपने संविधान में भाग *III* रखते हैं जो प्रदान करता है
लोगों पर वे अधिकार। "

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *14* और *19*, के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करते हैं

यह कि यह अनुच्छेद *14* या *19 (*यदि कानून निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए है*)* का उल्लंघन करता है, मूल संरचना का उल्लंघन है। मौलिक अधिकारों की कोई छूट नहीं

112. बेहराम खुर्शीद पेसिकाका बनाम राज्य

बॉम्बे *93*, मुख्य न्यायाधीश महाजन, संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए,

प्रस्तावना में निहित संवैधानिक दृष्टि और इसकी पूर्ति को सुविधाजनक बनाने के साधन के रूप में मौलिक अधिकारों की स्थिति के बीच संबंध का उल्लेख किया गया। हालांकि भाग *III* मौलिक अधिकारों का प्रतीक है, यह था

संस्थापक पिताओं की न्याय की दृष्टि को सुरक्षित करने की व्यापक धारणा का हिस्सा माना जाता है और सिद्धांत के रूप में, गारंटीकृत अधिकारों को माफ करने में सक्षम नहीं माना जाता था। महाजन, सी. जे. ने कहाः

192 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *654 (*पैरा *57) (93 (1955) 1* एस. सी. आर. *613 [2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"हम समझते हैं कि मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित अधिकार प्रस्तावना में की गई घोषणा का एक आवश्यक परिणाम है -

भारत के लोगों ने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करने का गंभीरता से संकल्प लिया है।

इन मौलिक अधिकारों को संविधान में केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं रखा गया है, हालांकि अंततः वे मौलिक अधिकारों में आते हैं।
व्यक्तिगत अधिकारों पर विचार करने में संचालन। उन्हें वहाँ रखा गया है

सार्वजनिक नीति और छूट के सिद्धांत के मामले में कानून के उन प्रावधानों पर कोई लागू नहीं हो सकता है जिन्हें संवैधानिक नीति के मामले के रूप में अधिनियमित किया गया है। *194*

निजता स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए आंतरिक है

113. यह निवेदन कि निजता के अधिकार को मान्यता देना एक

निजता का अधिकार मानव गरिमा का एक तत्व है। निजता की पवित्रता गरिमा के साथ इसके कार्यात्मक संबंध में निहित है। गोपनीयता सुनिश्चित करता है कि एक मनुष्य मानव व्यक्तित्व के आंतरिक अंतराल को अवांछित घुसपैठ से सुरक्षित करके गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। निजता व्यक्ति की स्वायत्तता और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले आवश्यक विकल्प चुनने के अधिकार को मान्यता देती है। ऐसा करने में गोपनीयता

यह स्वीकार करता है कि एक इंसान के लिए गरिमापूर्ण जीवन जीना आवश्यक है

उन स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं को पूरा करना जो इसकी आधारशिला हैं

संविधान। निजता के मूल्य को संवैधानिक रूप से मान्यता देना।

हकदारी और ब्याज न्यायिक आदेश के माध्यम से संशोधन की प्रक्रिया द्वारा एक नया मौलिक अधिकार नहीं है। न तो न्यायाधीशों को और न ही न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से सौंपा गया है

उसके सामने उन संवैधानिक ताने-बाने के तहत प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध स्वतंत्रताओं की प्रकृति और विस्तार को निर्धारित करने का कार्य है गारंटी जो संरक्षित हैं। अदालतों ने पारंपरिक रूप से उस कार्य का निर्वहन किया है और अनुच्छेद *21* के संदर्भ में ही, जैसा कि हम पहले ही कर चुके हैं।

उल्लेख किया, एक गरिमापूर्ण के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाली सुरक्षाओं का एक समूह अस्तित्व को अनुच्छेद *21* के संरक्षण के दायरे में रखा गया है।

19 4 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *653-654* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

114. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम *195 1 9 9* में सी. जे. चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद *21* के दायरे को समझाते हुए जीवन के अधिकार की घटना के रूप में आजीविका के अधिकार की रक्षा के लिए एक तर्क पाया। के लिए,

जैसा कि न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया, आजीविका से वंचित होने के परिणामस्वरूप जीवन के अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगाः

"148. अनुच्छेद *21* द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का विस्तार है -

व्यापक और दूरगामी। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि जीवन को बुझा या छीन नहीं लिया जा सकता है, उदाहरण के लिए, प्रक्रिया के अनुसार छोड़कर, मौत की सजा के अधिरोपण और निष्पादन द्वारा।

कानून द्वारा स्थापित। यह जीवन के अधिकार का केवल एक पहलू है। उस अधिकार का एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार है क्योंकि,

कोई भी व्यक्ति जीवन जीने के साधनों, यानी आजीविका के साधनों के बिना नहीं रह सकता है। यदि आजीविका के अधिकार को जीवन के संवैधानिक अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका है।

उसके जीवन का अधिकार उसे उसकी आजीविका के साधनों से वंचित करना होगा। निरस्तीकरण के बिंदु तक। इस तरह के अभाव से न केवल अपमान होगा

इसकी प्रभावी सामग्री और अर्थपूर्णता का जीवन लेकिन यह होगा

जीवन को असंभव बनाना। और फिर भी, इस तरह के अभाव को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होना चाहिए, यदि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता है। केवल वही जीवन को संभव बनाता है, जो जीवन को जीने योग्य बनाता है, उसे जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए।

जीने का अधिकार। किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका के अधिकार से वंचित करें और आप

उसे अपने जीवन से वंचित कर दिया होगा। "

115. उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य *1 97* में, न्यायमूर्ति

जीवन रेड्डी ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि हालांकि शिक्षा के अधिकार *(*जैसा कि तब संविधान था*)* को भाग *III* में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में नहीं कहा गया था, लेकिन यह अनुच्छेद

21 के तहत जीवन के मानदंड के तहत संरक्षित होने के खिलाफ नहीं होगा। ये निर्णय अंततः एक संवैधानिक न्यायालय के उद्देश्य से निर्देशित किए गए हैं जो

एक संकुचित न्यायिक व्याख्या के माध्यम से उनकी सामग्री को कम करने के बजाय मौलिक मानव स्वतंत्रताओं की सीमाओं का विस्तार करना चाहिए। मेनका में यह कहा गया है कि:

"अदालत का प्रयास मौलिक अधिकारों के महत्व को कम करने के बजाय उनकी पहुंच और दायरे का विस्तार करना होना चाहिए।

195 (1985) 3 एस. सी. सी. *545* *1 ** उदाहरण के लिए, पृष्ठ *572* (पैरा *32) 197 (1993) 1* एस. सी. सी. *645 [2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और न्यायिक निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सामग्री।
"व्यक्तिगत स्वतंत्रता "अनुच्छेद *21* में सबसे व्यापक आयाम की है"। *198*

यहाँ और कहीं और गरिमा का उल्लंघन। फिर भी, इस बात पर विवाद करना मुश्किल होगा कि समकालीन समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से कई सबसे विशिष्ट मसौदा तैयार करने वालों के दिमाग में मौजूद नहीं थीं। वर्तमान सहित किसी भी पीढ़ी का एकाधिकार नहीं हो सकता है समाधानों पर या भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की अपनी क्षमता में विश्वास। जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, वैसे-वैसे संवैधानिक सिद्धांत भी विकसित होना चाहिए। संविधान ने जिन संस्थानों का निर्माण किया है, उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीले तरीके से अनुकूलन करना चाहिए

तेजी से बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था में। सबसे बढ़कर, संवैधानिक

व्याख्या न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है हर नागरिक।

117. निस्संदेह, विचलन हुए हैं। विकास में

भारत में व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को सबसे आगे रखने वाले सिद्धांत में कुछ विसंगतियां रही हैं

नोट्स। उनमें से दो पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विसंगत टिप्पणियाँ

(i) ए. डी. एम. जबलपुर

118. ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला *1 9 (*ए. डी. एम.*)*

जबलपुर *")*, इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या द्वारा जारी किया गया आदेश

संविधान के अनुच्छेद *359 (1)* के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर देता है।

निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले कानून के तहत हिरासत में लिए जाने पर अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस न्यायालय में बंदियों का प्रस्तुतिकरण

यह था कि अनुच्छेद *21* को लागू करने के लिए उपाय के निलंबन में स्वचालित रूप से अधिकार या कानून के शासन का निलंबन नहीं होता है और आपातकाल के दौरान भी कानून के शासन को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ए.

इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों में से अधिकांश *(*न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना असहमत*)*

मान लिया किः

198 मेनका *(*सुप्रा नोट *5)*, पृष्ठ *280* पर *(*पैरा *5)*

199 (1976) 2 एस. सी. सी. *521* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

या कानून। बर्क के शब्दों में यह एक विनियमित स्वतंत्रता है। यह है।
अमूर्त या पूर्ण स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता की रक्षा में है

लोगों की अच्छी समझ और प्रतिनिधि प्रणाली में

असाधारण शक्तियाँ दी जाती हैं, वे दी जाती हैं क्योंकि
आपातकाल असाधारण है, और इस अवधि तक सीमित है

आपातकाल "। *200*

.

इस मुद्दे से निपटना कि क्या अनुच्छेद *21* एकमात्र है

जीवन के अधिकार के भंडार, रे सी. जे. ने कहा कि जहां कोई अधिकार है

जो संविधान के प्रारंभ से पहले मौजूद था, भाग *III* में शामिल किया गया है, सामान्य कानून अधिकार के तहत मौजूद नहीं होगा

संविधान। एक सहमति वाले फैसले में न्यायमूर्ति बेग ने कहा कि संविधान को अपनाते समय, भारत के लोगों द्वारा एक संप्रभु गणराज्य को इन अधिकारों पर नियंत्रण का एक काल्पनिक समर्पण किया गया था और यह है -

केवल संविधान जो सर्वोच्च है और जो अधिकार और शक्तियाँ प्रदान कर सकता है। इस दृष्टिकोण से, व्यक्ति का एक काल्पनिक समर्पण था। स्वतंत्रता। न्यायमूर्ति बेग ने अभिनिर्धारित किया किः

"गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का पूरा उद्देश्य यह है कि

मानव स्वतंत्रता के वे बुनियादी पहलू, जो मौलिक रूप में सन्निहित हैं

अधिकार, दूसरों की तुलना में अधिक सुरक्षित जो इस तरह से नहीं चुने गए हैं। इस प्रकार पहचानने में

और अधिकारों के कुछ बुनियादी पहलुओं को मौलिक घोषित करना

देश का संविधान, उद्देश्य उनकी रक्षा करना था

विधायी द्वारा उन पर अनुचित अतिक्रमणों के विरुद्ध, या
कार्यपालिका, और, कभी-कभी न्यायिक *(*जैसे अनुच्छेद *20)* अंग

राज्य से। अतिक्रमण अनुमेय दायरे में रहना चाहिए।
सीमाएँ और केवल निर्धारित तरीकों से ही होनी चाहिए। इरादे.

कभी भी समवर्ती रूप से कुछ संरक्षित नहीं किया जा सकता है

प्राकृतिक कानून या सामान्य कानून का क्षेत्र। यह सभी को बाहर करने के लिए था

मानव स्वतंत्रता के उन पहलुओं पर अंतिम नियंत्रण
जिनकी वहाँ गारंटी दी गई थी। *20 (* जोर दिया गया*)*

:

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने भी इसी तरह का रुख अपनाया थाः

"व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की कोई विशिष्टता नहीं है और इसलिए

जब अधिकार को लागू किया जाता है तो उसकी पहचान करना असंभव होता है।
क्या अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है या है

200 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *571* पर *(*पैरा *33)* *201* इबिद, पृष्ठ *604* पर *(*पैरा *183)*

जो पूर्व-संविधान युग में मौजूद था। अगर तर्क उत्तरदाताओं का अधिकार सही है, अधिकार को
लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं

व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्रपति की शरारत के दायरे में आ सकती है

आदेश भले ही इसमें अनुच्छेद *19,20,21* और *22* का उल्लेख हो क्योंकि,

याचिका पर सरकार द्वारा प्रत्येक प्रारंभिक आपत्ति

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लागू करने का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सकता है

यह तर्क देते हुए कि जो लागू किया जा रहा है वह या तो प्राकृतिक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का
अधिकार या आम तौर पर, पूर्व-संविधान का अधिकार

व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उत्तरदाता के तर्क की त्रुटि झूठ है अपनी धारणा में, और कुछ के तर्क के संबंध में

वकील ने अपने प्रमुख स्पष्ट आधार में कहा कि

गैर-संवैधानिक या पूर्व की गुणात्मक सामग्री व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार इससे अलग है

भाग द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सामग्री संविधान का *III. "202*

(जोर दिया गया*)*

उनके विचार सेः "इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कोई अधिकार है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिनियम के लागू होने से पहले अस्तित्व में थी

संविधान, या तो प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार के माध्यम से, सामान्य कानून का अधिकार या अपकृत्य के कानून के तहत उपलब्ध अधिकार।

अधिकार का स्रोत जो भी हो और जो भी हो

अधिकार क्षेत्र, सार और सार में अधिकार व्यक्तिगत अधिकार है

स्वतंत्रता। उस अधिकार को भाग *III* में शामिल किया गया है, इसका प्रवर्तन

यदि राष्ट्रपति के आदेश में इसका उल्लेख किया गया है तो इसे निलंबित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद *359 (1)* के तहत जारी किया गया। *203*

न्यायमूर्ति भगवती ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

"अब, मेरे दिमाग में, यह स्पष्ट है कि जब कानून के शासन का यह सिद्धांत

कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकती सिवाय इसके कि

अधिकार और अनुच्छेद *21* में अधिनियमित, इसे समझना मुश्किल है कैसे इसका एक अलग और अलग अस्तित्व बना रह सकता है,

स्वतंत्र रूप से और इस लेख के अलावा जिसमें यह किया गया है

अनुच्छेद *372* के तहत बल जब इसे स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है और अनुच्छेद *21* में एक मौलिक अधिकार के रूप में सन्निहित है और इसमें एक स्थान पाता है

डीएल, पृष्ठ *664* पर *(*पैरा *379)* घ, पृष्ठ *666* पर *(*पैरा *383)*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

संविधान के स्पष्ट प्रावधान। एक बार यह सिद्धांत

संविधान में मान्यता प्राप्त और शामिल किया गया है और

इसका हिस्सा है, इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं हो सकता है

संविधान के अलावा, जब तक कि यह भी के रूप में अधिनियमित किया गया था

राज्य के किसी सकारात्मक कानून द्वारा एक वैधानिक सिद्धांत। "

(जोर दिया गया*)*

.....

उनके विचार में, यह संविधान है जो सर्वोच्च है और यदि यह आदेश देता है

एक व्यक्ति जिसे कानून के अनुसार अन्यथा हिरासत में लिया गया हैघ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को लागू करने का हकदार नहीं होगा, न्यायालय

इसे लागू करने के लिए बाध्य कर्तव्यः

**.....* यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि, अंतिम विश्लेषण में,

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सर्वोच्चता का संरक्षण जो

यह सुनिश्चित करता है कि यह संविधान द्वारा ही शासित होना चाहिए। द. संविधान देश का सर्वोपरि और सर्वोच्च कानून है और यदि

यह कहता है कि भले ही किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया हो

कानून के अनुसार, वह अपने अधिकार को लागू करने का हकदार नहीं होगा

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का आदेश *359*, खंड *(1)* अनुच्छेद *21* को निर्दिष्ट करना लागू है, मुझे देना होगा

इसका प्रभाव। संविधान के तहत एक न्यायाधीश के रूप में, जैसा मैं करता हूं वैसा ही बैठा हुआ, मैं

संविधान के स्पष्ट और जोरदार आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकते

जिनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मैं आवश्यक समझ सकता हूँ

न्याय। ऐसा कहा जाता है कि कानून में हर किसी को लुभाने की स्त्री क्षमता है

भक्त अपनी छाती में अपनी छवि खोजने के लिए। कोई नहीं बचता

पूर्णतया। कुछ नेत्रहीन रूप से उपज देते हैं, कुछ परिष्कार के साथ। केवल कुछ ही

कम या ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिरोध करें। मैं हमेशा के पक्ष में झुक गया हूँ

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखना, क्योंकि, मेरा मानना है, यह सबसे अधिक है

मानव जाति के मूल्यवान मूल्य। इसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं होगा।

जी रहे हैं। यह स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज के स्तंभों में से एक है। पुरुषों के पास आसानी से अपनी जान उसकी वेदी पर डाल दी, ताकि उसे सुरक्षित किया जा सके, उसकी रक्षा की जा सके।

इसे बनाए रखें और सुरक्षित रखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए सही होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति मेरे प्रेम को मेरी दृष्टि को प्रभावित करने या मनाने की अनुमति दें।

मैं संविधान के प्रासंगिक प्रावधान पर एक

ऐसी रचना जिसे इसकी भाषा उचित रूप से सहन नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकता।

अपने आप को क्रम में प्लेटो के "दार्शनिक राजा" की भूमिका मान लें

जिसे मैं नागरिक और नागरिक के बीच आदर्श न्याय मानता हूँ, उसे प्रदान करने के लिए

राज्य। आखिरकार, संविधान सभी कानूनों का कानून है और वहाँ

· केवल न्यायिक विवेक को ही अपना अंतिम समर्थन मिलना चाहिए और

घ, पृष्ठ *701* पर *(*पैरा *459)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निरोध के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यह दुर्भावनापूर्ण है या अधिनियम के तहत नहीं है या इसका पालन नहीं कर रहा है। ** 205* अपनी असहमत राय में, न्यायमूर्ति खन्ना ने दृढ़ता से कहा कि

के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार का निलंबन अनुच्छेद *21* के तहत अधिकार, आपातकाल की घोषणा पर, जीवन और स्वतंत्रता के मूल अधिकार के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा। द.

संविधान जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एकमात्र भंडार नहीं थाः

"मेरा मानना है कि अनुच्छेद *21* को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एकमात्र भंडार नहीं माना जा सकता है। का अधिकार

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे मूल्यवान अधिकार है।

कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाजों में। कई आधुनिक संविधानों में कुछ मौलिक अधिकार शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं -

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। ब्लैकस्टोन के अनुसार,

अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकार थे। अमेरिकी घोषणा

स्वतंत्रता *(1776)* में कहा गया है कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है, और उनके अपरिहार्य अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की खोज शामिल हैं।

खुशी। *"206*

अनुच्छेद *21* के अभाव में भी राज्य के लिए किसी व्यक्ति को उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित करने की अनुमति नहीं होती।

कानून का प्राधिकारः

" संविधान में अनुच्छेद *21* के अभाव में भी राज्य को किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने की कोई शक्ति नहीं है।

कानून का अधिकार। यह कानून के शासन की आवश्यक अभिधारणा और बुनियादी धारणा है न कि सभी सभ्य देशों में पुरुषों की।

जीवन और स्वतंत्रता की ऐसी पवित्रता के बिना, एक अराजक समाज और कानूनों द्वारा शासित समाज के बीच अंतर का कोई अर्थ नहीं होगा। यह सिद्धांत कि कोई भी उससे वंचित नहीं रहेगा कानून के अधिकार के बिना जीवन या स्वतंत्रता इस विचार में निहित है कि जीवन और स्वतंत्रता अमूल्य संपत्ति हैं जो

- इसे व्यक्तिगत सनक और सनक का खेल नहीं बनाया जा सकता है और यह कि कोई भी कार्य जो जीवन और स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ का प्रभाव डालता है

205 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *723-724 (*पैरा *487)* *206* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *747* पर *(*पैरा *525)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

के कानूनों से पोषण और मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए
भूमि। अनुच्छेद *21* में उस सिद्धांत का एक अनिवार्य पहलू शामिल है।

और इसे भाग *III* में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाता है।

संविधान से। हालाँकि, यह उपरोक्त का अनुसरण नहीं करता है।
कि यदि अनुच्छेद *21* का मसौदा तैयार नहीं किया गया था और भाग *III* में सम्मिलित नहीं किया गया था,

उस घटना से वंचित करना राज्य के लिए अनुज्ञेय होता

कानून के अधिकार के बिना अपने जीवन या स्वतंत्रता का व्यक्ति। कोई मामला नहीं

हमारे सामने यह दिखाने के लिए उद्धृत किया गया है कि आने से पहले

संविधान का बल या कानून के शासन के तहत देशों में जहां

अनुच्छेद *21* के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है, एक दावा था

कभी भी अदालतों द्वारा कहा गया है कि राज्य किसी व्यक्ति को वंचित कर सकता है

कानून के अधिकार के बिना उसका जीवन या स्वतंत्रता। "** 207*

जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार को लागू करने का उपाय

अनुच्छेद *21* को लागू करने का अधिकार निलंबित होने पर भी निलंबित नहीं किया जाएगाः

" पूर्व के एक पहलू के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता

संवैधानिक अधिकार चीजों को कम करने का प्रभाव नहीं डाल सकता है।

जहाँ तक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता है

संबंधित स्थिति की तुलना में यदि इस तरह के अधिकार का कोई पहलू था

अनुच्छेद *359,208* से उपार्जित मौलिक अधिकारों की दुर्बलता
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि निवारक आदेश देने के लिए व्यापक शक्तियां हैं

निरोध राज्य में निहित है, ऐसे निरोध की वैधता की जांच करने के लिए हिरासत की शक्ति और न्यायालय की शक्ति के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। नजरबंदीः

" विशाल और व्यापक व्यक्ति पर प्रभाव

निवारक निरोध की शक्तियाँ जिनके साथ प्रशासनिक

सशस्त्र अधिकारियों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ कुशन किया जाना चाहिए
व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित करना यदि नियम का परिसर

कानून का अर्थ अपनी सामग्री को खोना और अर्थहीन होना नहीं है। "

119. गठन करने वाले सभी चार न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय

ए. डी. एम. जबलपुर में बहुमत गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं। ये अधिकार, जैसा कि केशवानंद भारती में मान्यता प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार हैं। वे गठित करते हैं

}

207 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *749-750 (*पैरा *530)*

208 इबिद, पृष्ठ *751* पर *(*पैरा *531)*

209 इबिद, पृष्ठ *767 (*पैरा *574)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राकृतिक कानून के तहत अधिकार। व्यक्ति के जीवन में मानवीय तत्व समग्र रूप से जीवन की पवित्रता पर आधारित है। गरिमा से जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। कोई भी सभ्य राज्य कानून के अधिकार के बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने पर विचार नहीं कर सकता है। जीवन भी नहीं।

न स्वतंत्रता राज्य द्वारा प्रदत्त उपहार हैं और न ही संविधान

इन अधिकारों को बनाएँ। संविधान के आने से पहले से ही जीवन का अधिकार मौजूद रहा है। अधिकार को मान्यता देने में, संविधान अधिकार का एकमात्र भंडार नहीं बनता है। यह बेतुका होगा कि

सुझाव है कि अधिकारों के विधेयक के बिना एक लोकतांत्रिक संविधान होगा

जीने का अधिकार या अधिकार के प्रवर्तन के साधन। जीवन का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए अविभाज्य होने के कारण, यह संविधान से पहले मौजूद था और संविधान के अनुच्छेद *372* के तहत लागू रहा। न्यायमूर्ति खन्ना ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की मान्यता इसके अलावा उस अधिकार के अस्तित्व को नकारती नहीं है और न ही यह कोई भ्रामक धारणा हो सकती है कि संविधान को अपनाने में भारत के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

मानव व्यक्तित्व का सबसे मूल्यवान पहलू, अर्थात् राज्य के लिए जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, जिसकी दया पर ये अधिकार निर्भर करेंगे। इस तरह का निर्माण कानून के शासन की मूल नींव के विपरीत है जो

आधुनिक राज्य में निहित शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है जब यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होता है। अदालत की जारी करने की शक्ति

हेबियस कॉर्पस का लेखन इस नियम की एक बहुमूल्य और निर्विवाद विशेषता है।

कानून से। *120.* एक संवैधानिक लोकतंत्र तब जीवित रह सकता है जब नागरिकों को एक निर्विवाद आश्वासन हो कि कानून का शासन राज्य द्वारा किसी भी आक्रमण के खिलाफ उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा और यह कि न्यायिक उपचार उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे।

प्रश्न पूछने और उत्तरों की अपेक्षा करने के लिए उपलब्ध रहें जब

नागरिकों को इन सबसे मूल्यवान अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। न्यायमूर्ति खन्ना द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना चाहिए, और इसके विचारों की ताकत और इसके दृढ़ विश्वास के साहस के लिए सम्मान के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। *121.* जब राष्ट्रों के इतिहास लिखे जाते हैं और उनकी आलोचना की जाती है, तो स्वतंत्रता में न्यायिक निर्णय सबसे आगे होते हैं। फिर भी दूसरों को नियुक्त करना पड़ता है

अभिलेखागार के लिए, यह प्रतिबिंबित करता है कि क्या था, लेकिन कभी नहीं होना चाहिए था। बक बनाम बेल में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

बाद वाला। यह एक निर्णय था जिसमें न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर थे।

कैरी बक्स के ट्यूबलर बंधन द्वारा जबरन नसबंदी को स्वीकार किया

210 274 यूएस *200 (1927)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

राज्य प्रायोजित यूजेनिक नसबंदी के एक कार्यक्रम का हिस्सा। न्याय होम्स ने कार्यक्रम को बनाए रखते हुए कहा किः मूर्खों की तीन पीढ़ियाँ पर्याप्त हैं। अमेरिका का भी यही फैसला था

सर्वोच्च न्यायालय ने कोरेमात्सु बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका *2 1 2* में,

केवल अपने जापानी वंश के कारण एक नागरिक को यातना शिविर में कैद करना।

ए. डी. एम. जबलपुर को तदनुसार खारिज किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। हम भी

ए. डी. एम. जबलपुर के बाद भारत संघ बनाम भानुदास कृष्ण गावडे *2 1 3* में निर्णय को रद्द करें।

122. आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य *214* के मामले में, इस न्यायालय ने

यह विचार कि ए. डी. एम. जबलपुर को बाद के विभिन्न निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया हैः

" आपातकाल के दौरान, मौलिक अधिकारों को और भी अधिक पढ़ा गया था

ए. डी. एम., जबलपुर बनाम में बहुमत द्वारा सीमित रूप से व्याख्या की गई।
शिवकांत शुक्ला *[(1976) 2* एससीसी *521]*। ए. डी. एम. में निर्णय,

जीवन और स्वतंत्रता के लिए निहित रूप से बाद में विभिन्न द्वारा खारिज कर दिया गया था निर्णय "। *215*

: अब हम स्पष्ट रूप से ऐसा करते हैं।

123. संविधान के चालीसवें संशोधन के परिणामस्वरूप,

अनुच्छेद *359* में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि आपातकाल की घोषणा के संचालन के दौरान, राष्ट्रपति की शक्ति को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने की घोषणा करने की है। भाग *III* में निहित मौलिक अधिकार अनुच्छेद *20* तक विस्तारित नहीं होंगे।

और *21.*

((ii) सुरेश कौशल

124. एक और असंगत नोट जो सीधे तौर पर

निजता के अधिकार पर संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास का प्रतिबिंब सुरेश कुमार कौशल बनाम एन. ए. जेड. फाउंडेशन *216 ("कौशल")* मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में मिलता है। इससे पहले की कार्यवाही

211 उस समय और स्थिति का एक प्रेरक विवरण सिद्धार्थ मुखर्जी, द जीन में पाया जा सकता हैः एन इंटिमेट हिस्ट्री, पेंगुइन बुक्स लिमिटेड *(2016)*, पृष्ठ *78-85*।

212 323 यूएस *214 (1944)* *213 (1977) 1* एस. सी. सी. *834*

214 (2007) 2 एससीसी *1*

215 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *76* पर *(*पैरा *29)*

216 (2014) 1 एससीसी *1*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय से उत्पन्न हुआ है जिसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा *377*, जहां तक यह सहमति को अपराध मानती है। वयस्कों के निजी यौन कृत्य संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *21* का उल्लंघन करते हैं। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा *377* गैर-सहमति वाले लिंग, गैर-योनि लिंग और लिंग को नियंत्रित करती रहेगी।

गैर-योनि यौन संबंध जिसमें नाबालिग शामिल हैं। चुनौती के आधारों में से एक था कि वैधानिक प्रावधान गरिमा और गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा किः

"..... निजता का क्षेत्र व्यक्तियों को मानव विकास की अनुमति देता है।

बाहरी समुदाय के हस्तक्षेप के बिना या

राज्य। स्वायत्तता का प्रयोग एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है

पूर्णता प्राप्त करना, आत्मसम्मान में वृद्धि करना, उसके या उसके बीच संबंध बनाना।

उसकी पसंद और सभी वैध लक्ष्यों को पूरा करें जो वह निर्धारित कर सकता है। में। भारतीय संविधान, गरिमा और अधिकार के साथ जीने का अधिकार

निजता दोनों को अनुच्छेद *21* के आयामों के रूप में मान्यता दी गई है। धारा *377* को किसी व्यक्ति की गरिमा से इनकार माना गया था।

और केवल कामुकता के कारण उसकी मूल पहचान का अपराधीकरण करना।

यह अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करेगा। उच्च न्यायालय ने विस्तार से वैश्विक

निजता के संरक्षण में रुझान-समलैंगिकों के गरिमा के अधिकार,

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय, दक्षिण से निकलने वाले निर्णयों सहित

अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय और यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय। उच्च न्यायालय का विचार था कि एक वैधानिक प्रावधान

एक वर्ग के रूप में समलैंगिक अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करते हैं, और यौन अभिविन्यास *(*अनुच्छेद *15* द्वारा गैरकानूनी*)* के आधार पर शत्रुतापूर्ण भेदभाव के बराबर है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा *377* को इस तरीके से पढ़ा

जिसे ऊपर लिखा गया है।

125. जब मामला इस अदालत में गया, तो न्यायमूर्ति सिंघवी ने कहा,

पीठ की ओर से बोलते हुए एक सहित कई आधारों पर विचार किया गया

निजता-गरिमा पर आधारित। न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार जिसे सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद *12* और आई. सी. सी. पी. आर. के अनुच्छेद *17* द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसे विस्तृत अध्ययन के माध्यम से अनुच्छेद *21* में पढ़ा गया है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार "। हालाँकि, इस न्यायालय ने निम्नलिखित के लिए उच्च न्यायालय के फैसले के आधार में गलती पाई, अन्य बातों के अलावा

कारणः

"..... उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस बात की अनदेखी की कि ए

देश की जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा है

217 नाज़ फाउंडेशन बनाम एन. सी. टी. सरकार, *2010* सी. आर. आई. एल. जे. *94*

1

218 इबिद, पृष्ठ *110* पर *(*पैरा *48)*

.....

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

(डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर और अंत में अधिक

150 से कम वर्षों में *200* से कम लोगों पर मुकदमा चलाया गया है।

(रिपोर्ट किए गए आदेशों के अनुसार*)* धारा के तहत अपराध करने के लिए

377 आई. पी. सी. और इसे यह घोषणा करने के लिए ठोस आधार नहीं बनाया जा सकता है कि धारा के अनुच्छेद *14,15* और *21* के प्रावधानों को अधिकार से बाहर करता है

संविधान "। *219*

(जोर दिया गया*)*

गोपनीयता और गरिमा आधारित चुनौती को दूर कर दिया गया था

निम्नलिखित टिप्पणियाँः

"एल. जी. बी. टी. के तथाकथित अधिकारों की रक्षा करने की चिंता में

व्यक्तियों और यह घोषित करना कि आई. पी. सी. की धारा *377* का उल्लंघन करता है

निजता, स्वायत्तता और गरिमा का अधिकार, उच्च न्यायालय ने

व्यापक रूप से अन्य क्षेत्राधिकारों के निर्णयों पर निर्भर था। हालांकि

ये निर्णय इसके विभिन्न पहलुओं पर काफी प्रकाश डालते हैं।

अधिकार और यौन अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के संबंध में सूचनात्मक हैं,
हम महसूस करते हैं कि उन्हें निर्णय लेने के लिए आंखों पर पट्टी नहीं लगाई जा सकती है

*** 220*

भारतीय विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून की संवैधानिकता।

(जोर दिया गया*)*

126. उपरोक्त कारणों में से किसी को भी वैध नहीं माना जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत निजता के आधार पर दावे की अवहेलना के लिए संवैधानिक आधार। कि "देश की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा समलैंगिकों, समलैंगिकों, उभयलिंगी या ट्रांसजेंडरों का गठन करता है" *(*जैसा कि

इस न्यायालय के निर्णय में देखा गया*)* निजता के अधिकार से इनकार करने का एक स्थायी आधार नहीं है। कुछ अधिकारों को कद तक बढ़ाने का उद्देश्य

गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का अर्थ है उनकी कवायद को बहुमत के तिरस्कार से बचाना, चाहे वह विधायी हो या लोकप्रिय। की गारंटी

संवैधानिक अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि उनके प्रयोग को बहुसंख्यकवादी राय द्वारा अनुकूल रूप से माना जाता है। लोकप्रिय स्वीकृति की कसौटी उन अधिकारों की अवहेलना करने के लिए एक वैध आधार प्रदान नहीं करती है जिन्हें संवैधानिक संरक्षण की पवित्रता प्रदान की जाती है। विविक्त और द्वीपीय अल्पसंख्यकों का सामना करना पड़ता है भेदभाव के गंभीर खतरे इस साधारण कारण से हैं कि उनके विचार, विश्वास या जीवन शैली मुख्यधारा के अनुरूप नहीं हैं। फिर भी कानून के शासन पर स्थापित एक लोकतांत्रिक संविधान में, उनके अधिकार इस प्रकार हैं

अन्य नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए सम्मान के रूप में पवित्र। यौन अभिविन्यास गोपनीयता की एक अनिवार्य विशेषता है। यौन अभिविन्यास के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव व्यक्ति की गरिमा और आत्म-मूल्य के लिए गहरा अपमानजनक है। समानता

219 कौशल *(*सुप्रा नोट *216),* पृष्ठ *69-70* पर *(*पैरा *66)*

220 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *78* पर *(*पैरा *77)*

यह मांग करता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का यौन अभिविन्यास होना चाहिए

एक समान मंच पर संरक्षित। निजता का अधिकार और यौन अभिविन्यास की सुरक्षा द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के मूल में निहित है संविधान के अनुच्छेद *14,15* और *21*।

127. कौशल में यह विचार कि उच्च न्यायालय ने गलती की थी

इस तरह की रक्षा के लिए अपनी चिंता में अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों पर भरोसा किया

जिसे एल. जी. बी. टी. के अधिकार कहा जाता है। इसी तरह, हमारे विचार में, व्यक्ति अस्थिर हैं। समलैंगिक, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर आबादी के अधिकारों को "तथाकथित अधिकार" नहीं माना जा सकता है। "तथाकथित" अभिव्यक्ति प्रतीत होती है

एक अधिकार की आड़ में स्वतंत्रता के प्रयोग का सुझाव देना जो भ्रामक है। यह गोपनीयता आधारित दावों का अनुचित निर्माण है

एलजीबीटी आबादी। उनके अधिकार "तथाकथित" नहीं हैं बल्कि वास्तविक अधिकार हैं।

ठोस संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित। उन्हें जीवन का अधिकार प्राप्त है। वे गोपनीयता और गरिमा में रहते हैं। वे स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का सार हैं। यौन अभिविन्यास पहचान का एक अनिवार्य घटक है।

समान सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की सुरक्षा की मांग करती है

बिना किसी भेदभाव के।

128. कौशल में लिया गया निर्णय एक न्यूनतम तर्क प्रस्तुत करता है।

जब यह दावा करता है कि धारा *377* के उल्लंघन के लिए केवल दो सौ अभियोजन हुए हैं। डी मिनिमिस परिकल्पना गलत है क्योंकि एक मौलिक अधिकार के आक्रमण को सहनीय नहीं माना जाता है जब कुछ,

संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य ठंडक प्रभाव के कारण है जो वे सबसे पहले मौलिक अधिकार का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, पूर्व-प्रकाशन प्रतिबंध जैसे कि सेंसरशिप असुरक्षित हैं।

क्योंकि वे लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने से हतोत्साहित करते हैं

अधिकार के प्रयोग पर प्रभाव गोपनीयता और गरिमा के एक तत्व के रूप में किसी के यौन अभिविन्यास की निर्बाध पूर्ति के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। भयावह प्रभाव एक मनुष्य के सामाजिक उत्पीड़न या अस्वीकृति के अधीन होने के खतरे के कारण होता है, जैसा कि अपराध की सजा में परिलक्षित होता है। इसलिए कौशल का तर्क कि कुछ लोगों पर मुकदमा चलाना उल्लंघन का सूचकांक नहीं है, त्रुटिपूर्ण है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, हम उस तरीके से असहमत हैं जिसमें कौशल ने गोपनीयता-गरिमा के साथ व्यवहार किया है। इस पहलू पर एल. जी. बी. टी. व्यक्तियों के दावे।

चूंकि धारा *377* को चुनौती इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए हम संवैधानिक वैधता को छोड़ देंगे।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

एक उचित कार्यवाही में निर्णय लिया जाना।

जे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ

129. निजता को एक मौलिक संवैधानिक मूल्य के रूप में मान्यता देना वैश्विक मानवाधिकार शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

संविधान का अनुच्छेद *51,* जो निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है, राज्य से "संगठित लोगों के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयास करने की अपेक्षा करता है।

एक और *"22 1.* मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद *12,*

निजता के अधिकार को मान्यता देता है:

"अनुच्छेद *12:* किसी को भी मनमाने हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाएगा।

उसकी निजता, परिवार, घर या पत्राचार के साथ, न ही उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला करने के लिए। हर किसी को इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून की सुरक्षा का अधिकार है।

इसी तरह, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा

16 दिसंबर *1979* को अपनाया गया और *23* मार्च को लागू हुआ।

1976. भारत ने *11* दिसंबर *1977* को इसकी पुष्टि की। आई. सी. सी. पी. आर. का अनुच्छेद *17*

इस प्रकार प्रदान करता है:

"इस अनुच्छेद द्वारा लगाए गए दायित्वों के लिए राज्य को निषेध को प्रभावी बनाने के लिए विधायी और अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है।

इस तरह के हस्तक्षेप और हमलों के साथ-साथ अधिकार की सुरक्षा के लिए।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993*, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, आई. सी. सी. पी. आर. को मानवाधिकार साधन के रूप में संदर्भित करता है। अनुभाग *2 (1) ((घ)* मानवाधिकारों को परिभाषित करता हैः

"मानवाधिकार "का अर्थ है जीवन, स्वतंत्रता, समानता से संबंधित अधिकार।

धारा *2 (1) (च)* अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं को परिभाषित करती हैः
"अंतर्राष्ट्रीय वाचा का अर्थ है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और *16* दिसंबर, *1966* को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाई गई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा *[*और जनरल द्वारा अपनाई गई ऐसी अन्य वाचा या संधि*]*।

केंद्र सरकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र की सभा,

अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें "

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993* की धारा *12 (*च*)* के तहत,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगः

"मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के अध्ययन का कार्य सौंपा गया है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें।

130. आई. सी. सी. पी. आर. राज्यों पर सम्मान, सुरक्षा का दायित्व डालता है।

और अपने मानदंडों का पालन करें। किसी राज्य का कर्तव्य इस आदेश का सम्मान करना है कि उसे अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आदेश की रक्षा करने का कर्तव्य कि सरकार

यह अभिधारणा है कि सरकार को किसी अधिकार की प्राप्ति की दिशा में कदम उठाने चाहिए। अनुच्छेद *17* के तहत अधिकारों का विस्तार करते हुए, सामान्य टिप्पणी *16* विशेष रूप से निर्धारित करता है किः

और गोपनीयता के अधिकार और आवश्यकता की स्थायी प्रासंगिकता
यह सुनिश्चित करें कि यह कानून और व्यवहार में सुरक्षित है।

उल्लेखनीय है कि आई. सी. सी. पी. आर. को स्वीकार करते समय, भारत ने अनुच्छेद *17* के लिए कोई आरक्षण या घोषणा दायर नहीं की थी। जबकि भारत ने आरक्षण दायर किया

अनुच्छेद *1,9* और *13* के विपरीत, अनुच्छेद *17* में कुछ भी नहीं थाः

" अनुच्छेद *1* आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लेख करता है। आरक्षण

अनुच्छेद *1* में कहा गया है कि "भारत गणराज्य की सरकार घोषणा करती है कि *[*इस अनुच्छेद*]* में दिखाई देने वाले 'आत्मनिर्णय का अधिकार' शब्द केवल विदेशी प्रभुत्व वाले लोगों पर लागू होते हैं और ये शब्द संप्रभु स्वतंत्र राज्यों या लोगों या राष्ट्र के एक वर्ग पर लागू नहीं होते हैं-जो राष्ट्रीय संविधान का सार है।

ईमानदारी। *(* अनुच्छेद *9* में आरक्षण, जो अधिकार को संदर्भित करता है

व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा, निरोध और मुआवजे के लिए

गलत गिरफ्तारी या निरोध पर देय, कहता है कि "

भारत गणराज्य की सरकार यह स्थिति लेती है कि

अनुच्छेद के प्रावधान इस तरह से लागू होंगे कि वे अनुरूप हों।

भारत के संविधान के अनुच्छेद *22* के खंड *(3)* से *(7)* के प्रावधानों के साथ। इसके अलावा भारतीय कानूनी प्रणाली के तहत, मुआवजे का दावा करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई लागू करने योग्य अधिकार नहीं है

. राज्य के खिलाफ गैरकानूनी गिरफ्तारी या हिरासत के पीड़ित। अनुच्छेद *13* के लिए आरक्षण-जो विदेशियों के लिए सुरक्षा को संदर्भित करता है, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

कहा गया है कि "भारत गणराज्य की सरकार अपने अधिकार सुरक्षित रखती है।

विदेशियों से संबंधित अपने कानून को लागू करने का अधिकार।

30 जून *2014* को, के कार्यालय द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त। *222* यह रिपोर्ट यह रेखांकित करता है किः

और गोपनीयता के अधिकार और आवश्यकता की स्थायी प्रासंगिकता
यह सुनिश्चित करें कि यह कानून और व्यवहार में सुरक्षित है। *223*

131. बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य *2 24 ("*बचन सिंह*")* में,

इस न्यायालय ने मृत्युदंड के संबंध में विचार किया, दायित्व

के अनुसमर्थन के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून में भारत द्वारा ग्रहण किया गया

आईसीसीपीआर। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. सी. सी. पी. आर. के अनुच्छेद *6* की आवश्यकताएं काफी हद तक अनुच्छेद *20* में निहित गारंटी के समान हैं और *21* संविधान से। भारत के दंडात्मक कानून को सहमति में माना गया था

अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ। फ्रांसिस कोरली में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद *21* के दायरे को समझाते हुए कहा किः

> ..... अनुच्छेद *21* में संरक्षण का अधिकार निहित है।
>
> यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार जो है
>
> मानव की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद *5* में उल्लिखित
>
> अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद *7* द्वारा गारंटीकृत
>
> नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर। *"225*
>
> *132.* विशाखा बनाम राजस्थान राज्य *226* में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की

कि घरेलू कानून के अभाव में, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन पर कन्वेंशन *(*सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू.*)* लागू होता है। एन. ए. एल. एस. ए. में, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने पाया कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत नहीं थे और उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए और मान्यता दी जानी चाहिए। पीछा किया।

आई.

> *133.* कानून में स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। जहाँ एक

अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक अवैध क़ानून के बीच विरोधाभास, न्यायालय बाद वाले को प्रभावी बनाएगा। वर्तमान मामले में, कोई नहीं है

अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच विरोधाभास जो *222* "डिजिटल युग में गोपनीयता का अधिकार" रहा है, संयुक्त राज्य के कार्यालय की रिपोर्ट

मानवाधिकारों के लिए राष्ट्र उच्चायुक्त *(30* जून *2014)*

223 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *5* पर *(*पैरा *13)* *224 * (1980) 2* एस. सी. सी. *684*

225 फ्रांसिस कोरली *(*सुप्रा नोट *159),* पृष्ठ *619* पर *(*पैरा *8)* *225 (1997) 6* एस. सी. सी. *241*

भारत और संविधान द्वारा ग्रहण किया गया। न्यायालय आसानी से अनुमान नहीं लगाएगा कोई भी असंगति। इसके विपरीत, संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए

इस तरह से पढ़ें और व्याख्या करें जो वैश्विक मानवाधिकार शासन के साथ उनकी अनुरूपता को बढ़ाएगा। भारत एक जिम्मेदार सदस्य है

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और न्यायालय को एक ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो विशेष रूप से देश द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करे।

जहाँ इसके संवैधानिक और वैधानिक आदेश कोई विचलन नहीं दर्शाते हैं। वास्तव में, संसद द्वारा मानवाधिकार अधिनियम का अधिनियमन होगा

स्थापित मानवाधिकार व्यवस्था को लागू करने की विधायी इच्छा को इंगित करें

भारत द्वारा स्वीकार किए गए संवैधानिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर। के तुलनात्मक कानून

134. यह खंड गोपनीयता की अवधारणा के विकास का विश्लेषण करता है।

तुलनात्मक कानून के दृष्टिकोण से अन्य क्षेत्राधिकारों में। न्यायालय तुलनात्मक दृष्टिकोण की सीमाओं के प्रति सचेत है। प्रत्येक देश है

अपने स्वयं के संवैधानिक और कानूनी ढांचे द्वारा शासित। संवैधानिक संरचनाओं का इतिहास, संस्कृति, राजनीति से स्थायी संबंध है।

सिद्धांत और मूल्य जिन्हें एक समाज अपने संस्थापक सिद्धांतों के रूप में मानता है। इसलिए विदेशी निर्णयों को सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कि पाठ को उसके संदर्भ से अलग नहीं पढ़ा जाता है। वे देश जो

जिनसे निपटा गया हैः

((ग) दक्षिण अफ्रीका*;* और
((iv) कनाडा।

इसके बाद कथा यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय, यूरोपीय संघ के न्याय न्यायालय और अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार न्यायालय के फैसलों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगी। ये हैं फैसले

वे उन समाजों के इतिहास और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के आधार पर विभिन्न क्षेत्राधिकारों में निजता के अधिकार का किस तरह से अर्थ लगाया गया है, इसका संकेत हैं।

(i) ब्रिटेन के निर्णय

निजता की सुरक्षा के संबंध में पहला सामान्य कानून मामला कहा जाता है

सेमाइन केस *2 27 (1604)* होना। यह मामला एक वैध रिट को निष्पादित करने के लिए लंदन के शेरिफ द्वारा एक संपत्ति में प्रवेश से संबंधित है। द.

227 पीटर सेमायने बनाम रिचर्ड ग्रेशम, *77* ई. आर. *194* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मामला सर एडवर्ड कोक के शब्दों के लिए प्रसिद्ध हैः

"कि हर एक का घर उसके लिए उसके महल और किले के रूप में है, साथ ही चोट और हिंसा के खिलाफ उसकी रक्षा के लिए, और उसके लिए भी

आराम करें। '

फिर, एंटिक बनाम कैरिंगटन *228 (1765)* के मामले में, एंटिक का

राज्य/राजा के एजेंटों द्वारा घर में जबरन प्रवेश किया गया था। प्रभु।

कैमडेन सी. जे. ने कहा किः

"इंग्लैंड के कानूनों के अनुसार, निजी संपत्ति का हर आक्रमण, चाहे वह हो

कभी भी इतना सूक्ष्म, एक अतिचार है। कोई भी आदमी मुझ पर पैर नहीं रख सकता

मेरे लाइसेंस के बिना जमीन, लेकिन वह एक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है, हालांकि नुकसान कुछ भी नहीं है; जो हर घोषणा से साबित होता है

अतिचार, जहाँ प्रतिवादी को घास को चोट पहुँचाने और यहाँ तक कि मिट्टी पर चलने के लिए जवाब देने के लिए कहा जाता है।

19 वीं शताब्दी में गोपनीयता न्यायशास्त्र का और विकास हुआ। *1849* में, प्रिंस अल्बर्ट बनाम स्ट्रेंज *229 (1849)* में, प्रकाशन की मांग की गई थी

अन्यथा अप्रकाशित निजी नक़्क़ाशी और राजकुमार अल्बर्ट और रानी विक्टोरिया द्वारा किए गए कार्यों की सूचियों को प्रतिबंधित किया जाए। चांसरी के उच्च न्यायालय में,

लॉर्ड कोटनहैमन ने देखा किः

"..... जहाँ निजता अधिकार है, वहाँ निषेधाज्ञा को स्थगित करना इसे पूरी तरह से अस्वीकार करने के बराबर होगा। इन मामलों में इस न्यायालय का हस्तक्षेप किसी भी कानूनी अधिकार पर निर्भर नहीं करता है।

और प्रभावी होने के लिए, यह तत्काल होना चाहिए।

हालाँकि, प्रिंस अल्बर्ट मामले में अदालत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने काये बनाम रॉबर्टसन *230 (1991)* के मामले में एक अलग मोड़ ले लिया। इस मामले में, जब एक दुर्घटना के बाद अपीलकर्ता एक निजी अस्पताल के कमरे में मस्तिष्क की सर्जरी से ठीक हो रहा था, तो दो पत्रकारों ने खुद को डॉक्टर बताया। और उसकी तस्वीरें खींची। अपीलार्थी ने तस्वीरों के प्रकाशन को रोकने के लिए एक आदेश प्राप्त करने का प्रयास किया। अपील न्यायालय ने कहा

वहः

..... अंग्रेजी कानून में गोपनीयता का कोई अधिकार नहीं है, और तदनुसार किसी व्यक्ति की गोपनीयता के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है।
आर बनाम गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय के निदेशक, पूर्व पक्ष में निर्णय

स्मिथ *2,3 (1993)* ने मौन के अधिकार के सवाल पर चर्चा की। द.

228 (1765) 19 सेंट ट्र. *1029* *229 (1849) 41* ईआर *1171*

230 [1991] एफएसआर *62*

231 [1993] एसी *1 [2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदक *(*एक कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक*)* पर अपने लेनदारों को धोखा देने के इरादे से कार्य करने का आरोप लगाया गया था। लेने के बाद सावधान किया गया था, उन्हें निदेशक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा गया था

गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय। मुद्दा यह था कि क्या प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता मौन रहने के अधिकार का उल्लंघन करती है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि आपराधिक न्याय अधिनियम *1987* के तहत गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय के निदेशक की शक्तियां, उन्हें आवेदक को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मजबूर करने का अधिकार देती हैं। आपराधिक अपराध करने का दर्द। न्यायालय की प्रमुख राय देने वाले लॉर्ड मस्टिल ने कहा किः

"[यह] आम दृष्टिकोण का एक सरल प्रतिबिंब है कि एक व्यक्ति

जहाँ तक संभव हो, उसे किसी अन्य व्यक्ति को अपने व्यवसाय के बारे में बताने का अधिकार होना चाहिए। सभी सभ्य राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के इस दावे को मान्यता देते हैं। समान रूप से, हालांकि हो सकता है

राज्यों के बीच और व्यक्तियों के बीच स्पष्ट असहमति

राज्यों के भीतर नागरिक, इस बारे में कि रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, बहुत कम लोग इस बात पर विवाद करेंगे कि स्वतंत्रता में कुछ कटौती अपरिहार्य है

समाज की स्थिरता के लिए; और वास्तव में यूनाइटेड किंगडम में आज हमारा जीवन सूचना प्रदान करने के लिए लागू करने योग्य कर्तव्यों से व्याप्त है।

मांग पर, संसद द्वारा बनाई गई और बहुमत द्वारा सहन की गई, हालांकि कुछ मामलों में अनिच्छा के साथ।

लॉर्ड मस्टिल का बयान "गोपनीयता के लिए सामान्य कानून द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को रेखांकित करता है" कि "यह गोपनीयता को एक सिद्धांत के रूप में मान्यता देता है

सामान्य मूल्य "और यह कि" गोपनीयता को केवल सामान्य कानून में असतत और विशिष्ट सुरक्षा दी गई थी "। *232*

वेनराइट बनाम होम के मामले में इस दृष्टिकोण को कमजोर कर दिया गया था।

कार्यालय *233 (2004),* जहां मौजूदा जेल नियमों के अनुसार *1997* में एक जेल का दौरा करते समय एक माँ और बेटे की निर्वस्त्र तलाशी ली गई थी। बेटा, जो मानसिक रूप से विकलांग था और मस्तिष्क से पीड़ित था पक्षाघात, बाद में पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित हुआ। व्यक्ति के अतिक्रमण और अतिक्रमण से होने वाले नुकसान के दावे जारी किए गए थे। जिसमे

घटना के समय, मानवाधिकार अधिनियम, *1998 (*एच. आर. ए.*)* अभी तक लागू नहीं हुआ था। जब मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष पहुंचा, तो यह तर्क दिया गया कि "मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* द्वारा संरक्षित गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के संकट के लिए यातना के कानून को एक उपाय देना चाहिए"। यह.

आगे यह तर्क दिया गया कि *232* लॉर्ड न्यूबर्गर, *"21* वीं सदी में गोपनीयता", यूके एसोसिएशन ऑफ ज्यूइश लॉयर्स के फैसले पर निर्भरता रखी जानी चाहिए।

और न्यायविदों का व्याख्यान *(28* नवंबर *2012)*

2.33 [2004] 2 ए. सी. *406* एसटी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

डगलस बनाम हैलो में *y LJ!* लिमिटेड *21 (2001),* जहाँ यह कहा गया था किः

बस खुद को एक अवांछित घुसपैठ के अधीन पाते हैं अपने निजी जीवन में। कानून को अब निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है

घुसपैठिया और घुसपैठिया के बीच गोपनीयता का एक कृत्रिम संबंध

पीड़ित व्यक्तिः यह गोपनीयता को एक कानूनी सिद्धांत के रूप में मान्यता दे सकता है।

व्यक्तिगत स्वायत्तता के मौलिक मूल्य से "।

(जोर दिया गया*)*

हालांकि, वेनराइट में लॉर्ड हॉफमैन ने सभी विवादों को खारिज कर दिया।

और वहः

"मुझे समझ में नहीं आता कि सेडली एल. जे. सृजन की वकालत कर रहे थे।

निजता पर आक्रमण का एक उच्च-स्तरीय सिद्धांत। उनकी टिप्पणियाँ मेरी राय में एक याचिका से अधिक *(*हालांकि निश्चित रूप से कम नहीं*)* नहीं हैं

उल्लंघन के लिए पुरानी कार्रवाई के विस्तार और संभवतः नाम बदलने के लिए

आत्मविश्वास "।

हॉफमैन ने यह भी देखा किः

"अदालतों ने अब तक जो करने से इनकार कर दिया है, वह है एक सामान्य आदेश तैयार करना।

"गोपनीयता पर आक्रमण" का सिद्धांत। मुझे लगता है कि गोपनीयता की पहचान करने में बहुत अंतर है।

अपने आप में कानून के एक सिद्धांत के रूप में। अंग्रेजी सामान्य कानून परिचित है। अंतर्निहित मूल्यों की धारणा के साथ-केवल व्यापक रूप से सिद्धांत

इन्द्रिय-जो इसके विकास को निर्देशित करता है।

यूरोपीय न्यायालय के न्यायशास्त्र में भी कुछ नहीं है। मानवाधिकारों का जो सुझाव देता है कि कुछ उच्च को अपनाना

अनुच्छेद *8* का पालन करने के लिए गोपनीयता का स्तर सिद्धांत आवश्यक है।

कन्वेंशन। यूरोपीय न्यायालय केवल इससे संबंधित है

क्या अंग्रेजी कानून किसी विशिष्ट मामले में पर्याप्त उपाय प्रदान करता है

मामला जिसमें यह मानता है कि गोपनीयता पर आक्रमण हुआ है अनुच्छेद *8 (1)* के विपरीत और अनुच्छेद *8 (2)* के तहत न्यायोचित नहीं।

मानव के बाद इस दृष्टिकोण में बदलाव आया है।

001] क्यूबी *967*

1 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

अधिकार अधिनियम, *1998 (*एच. आर. ए.*)* लागू हुआ। पहली बार गोपनीयता थी ब्रिटिश कानून के तहत एक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। *235* कैम्पबेल बनाम एम. जी. एन. *236*

क्लिनिक, सार्वजनिक इनकार के बाद कि वह एक ठीक होने वाली नशीली दवाओं की आदी थी। ये तस्वीरें एम. जी. एन. द्वारा संचालित एक प्रकाशन में प्रकाशित की गई थीं। उसने चाहा

मानवाधिकार अधिनियम की धारा *6* को शामिल करते हुए विश्वासघात का दावा करने के लिए अपने वकीलों के माध्यम से अंग्रेजी कानून के तहत हर्जाना। द.

हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बहुमत से उनके पक्ष में फैसला किया। लॉर्ड होप लेखन

बहुमत के लिए आयोजितः

" [यदि ऐसी स्थिति में कोई घुसपैठ है जहाँ कोई व्यक्ति कर सकता है

उचित रूप से उम्मीद करें कि उसकी गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा, वह घुसपैठ होगी

दायित्व को जन्म देने में सक्षम हो जब तक कि घुसपैठ नहीं हो सकती है

न्यायोचित। [ए] विश्वास का कर्तव्य तब उत्पन्न होता है जब गोपनीय होता है

जानकारी उस व्यक्ति के ज्ञान में आती है जहाँ उसके पास है
ध्यान दें कि जानकारी गोपनीय है "।

ऐसा मानते हुए, लॉर्ड होप ने निम्नलिखित कथन पर भरोसा किया

ए वी बी इंक *2 37 (2003)* में लॉर्ड वूल्फः

" विश्वास का कर्तव्य तब उत्पन्न होगा जब कोई पक्ष इसके अधीन होगा

कर्तव्य ऐसी स्थिति में है जहाँ वह या तो जानता है या उसे पता होना चाहिए कि

दूसरा व्यक्ति यथोचित रूप से अपनी गोपनीयता की रक्षा की उम्मीद कर सकता है।

लॉर्ड होप ने यह भी माना कि अदालतें, किसी मामले का फैसला करने के लिए,

सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए एक संतुलनकारी कार्य करना चाहिए।

प्रतिकूल लोकहित के पक्ष में विश्वास बनाए रखना

प्रकटीकरण "।

बैरोनेस हेल ने एक सहमत निर्णय लिखा और कहा किः
" मानवाधिकार *1998* अधिनियम कोई नया कारण नहीं बनाता है

235 यू. के. मानवाधिकार अधिनियम मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन *(*ई. सी. एच. आर.*)* में निर्धारित अधिकारों को घरेलू ब्रिटिश कानून में शामिल करता है। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह ईसीएचआर के तहत "गारंटीकृत अधिकारों और स्वतंत्रताओं को और अधिक प्रभाव देता है"। अधिनियम *(*धारा *6)* के तहत, किसी भी स्तर पर अदालत या न्यायाधिकरण सहित किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए इस तरह से कार्य करना गैरकानूनी है जो किसी कन्वेंशन अधिकार के साथ असंगत है। कन्वेंशन अधिकार सामान्य कानून या समानता के नियमों और अधिकांश अधीनस्थ विधानों पर प्राथमिकता लेते हैं। इस प्रकार यह अधिनियम निजता के अधिकार की रक्षा करता है, जो ईसीएचआर के अनुच्छेद *8 (1)* के तहत प्रदान किया गया है। बेन इमर्सन और अन्य को देखें। *(* एड*)*, मानवाधिकार और आपराधिक न्याय, स्वीट एंड मैक्सवेल *(2000)*। यह भी देखें कि "गोपनीयता के विकासशील अंग्रेजी कानून के बारे में चिंताएं और विचार", वैश्विक कानून संस्थान, ऑनलाइन उपलब्ध है। / /डब्ल्यू. डब्ल्यू. यूसीएल। एसी। यूके/कानून/वैश्विक कानून/प्रकाशन/संस्थान/डॉक्स/गोपनीयता _ *100804*। पीडीएफ। *236 [2004] 2* एसी *457*।

237 [2003] क्यू. बी. *195* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

दोनों पक्षों के कन्वेंशन अधिकारों के साथ संगत। इस तरह के मामले में
यह, प्रासंगिक वाहन आमतौर पर विश्वासघात के लिए कार्रवाई होगी, जैसा कि लॉर्ड वूल्फ सीजे ने ए बनाम बी पीएलसी *[2002]* ईडब्ल्यूसीए में कहा था।

सी. आई. वी. *337, [2003]* क्यू. बी. *195,202,* पैरा *4:*

" [अनुच्छेद *8* और *10]* ने नए मापदंड प्रदान किए हैं जिनके भीतर अदालत विश्वासघात की कार्रवाई में यह तय करेगी कि क्या कोई व्यक्ति अदालत द्वारा अपनी निजता की रक्षा करने का हकदार है या क्या किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है।

ऐसी अभिव्यक्ति जो इस तरह के संरक्षण में शामिल है, उचित नहीं हो सकती है।
आवेदनों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अदालत का दृष्टिकोण

इसे संशोधित किया गया है क्योंकि *1998* के अधिनियम की धारा *6* के तहत,
एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में न्यायालय को 'इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए जो एक कन्वेंशन अधिकार के साथ असंगत हो'। न्यायालय उन अधिकारों को अवशोषित करके इसे प्राप्त करने में सक्षम है जो अनुच्छेद *8*

और *10* के उल्लंघन के लिए लंबे समय से स्थापित कार्रवाई में सुरक्षा

आत्मविश्वास। इसमें कार्रवाई को एक नई ताकत और विस्तार देना शामिल है ताकि यह इन आवश्यकताओं को समायोजित कर सके।

लेख "।

*" [*कैम्पबेल में*]* सदन जिस पर सहमत हुआ वह यह था कि
ज्ञान, वास्तविक या आरोपित, कि जानकारी निजी है, आम तौर पर उस जानकारी को प्रकाशित करने वाले किसी भी व्यक्ति पर यह कर्तव्य अधिरोपित करेगा

औचित्य के अभाव में क्या गलत होगा

निजता पर आक्रमण "।

बाद के मामले एच. आर. ए. द्वारा किए गए योगदान को स्थापित करते हैं।

यू. के. में गोपनीयता पर न्यायशास्त्र। एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड बनाम हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस ऑफ वेल्स *239 (2006)* में, प्रिंस के दावे के संबंध में फैसले के खिलाफ अपील की गई थी।

चार्ल्स पर विश्वासघात और प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन का आरोप है। द. मामला तब सामने आया जब 'द मेल ऑन संडे' ने प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा भेजे गए एक संदेश के उद्धरण प्रकाशित किए। न्यायालय ने कहा कि:

" इस मामले में जारी जानकारी निजी है, सार्वजनिक है।

जिसका खुलासा राजकुमार के साथ हस्तक्षेप था

238 [2006] क्यूबी *125*

239 [2006] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल *1776* सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

चार्ल्स के अनुच्छेद *8* अधिकार। सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में, राजकुमार चार्ल्स हैं

एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जनता उनके बारे में जानकारी में रुचि लेती है जो अपेक्षाकृत तुच्छ है। इस कारण से ऐसी जानकारी का सार्वजनिक प्रकटीकरण विशेष रूप से घुसपैठिया हो सकता है। प्रिंस चार्ल्स का विश्वासघात और उनके अनुच्छेद और अधिकारों में हस्तक्षेप के आधार पर एक वैध दावा है।

मर्रे बनाम बिग पिक्चर्स *(यूके)* लिमिटेड *240 (2008)* में, एक फोटोग्राफर

विज्ञापन ने एक लेखक के शिशु बेटे की तस्वीरों की एक श्रृंखला ली, जो थे

एक समाचार पत्र में प्रकाशित। मुद्दा यह था कि क्या इसका दुरुपयोग हुआ था।

फोटो खींचकर निजी जानकारी दें। यह माना गया था किः

" *[* यह सवाल कि क्या गोपनीयता की उचित अपेक्षा है, एक व्यापक सवाल है, जो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखता है।

जिस गतिविधि में दावेदार लगा हुआ था, वह स्थान
जो हो रहा था, घुसपैठ की प्रकृति और उद्देश्य,

सहमति की अनुपस्थिति और क्या यह ज्ञात था या अनुमान लगाया जा सकता था, दावेदार पर प्रभाव और वे परिस्थितियाँ और उद्देश्य जिनके लिए जानकारी हाथों में आई थी
प्रकाशक का। *[*मैं*]* कम से कम तर्क योग्य है कि डेविड के पास एक था

निजता की उचित अपेक्षा। तथ्य यह है कि वह एक बच्चा है

न्यायाधीश ने जितना सोचा था, उससे कहीं अधिक महत्व का हमारा दृष्टिकोण है।

आर बनाम महानगर के पुलिस आयुक्त *2 4 1 (2011)*

पुलिस की शक्ति की सीमा से संबंधित मामला था *(*मुख्य पुलिस अधिकारियों के संघ द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत -

ए. सी. पी. ओ. दिशानिर्देश*)* से जुड़े बायोमेट्रिक डेटा को अनिश्चित काल तक बनाए रखने के लिए

ऐसे व्यक्तियों के साथ जिन पर अब आपराधिक अपराध का संदेह नहीं है। ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से माना कि 'असाधारण परिस्थितियों' के अभाव में डीएनए साक्ष्य को बनाए रखने की पुलिस बल की नीति गैरकानूनी थी और संविधान के अनुच्छेद *8* का उल्लंघन था।

मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन। लॉर्ड डायसन, अपनी ओर से

बहुमत ने माना कि: "यह महत्वपूर्ण है कि पुलिस द्वारा बायोमेट्रिक डेटा के प्रतिधारण के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र में, अदालत अपने

यह घोषित करने के लिए एक औपचारिक आदेश देकर निर्णय कि वह क्या मानता है

वास्तविक कानूनी स्थिति बनें। लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है।

[2008] 3 डब्ल्यूएलआर *1360*

1 1 [2011] यू. के. एस. सी. *21* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

एच. आर. ए. की धारा *8 (1)* न्यायालय को अपनी शक्तियों के भीतर ऐसी राहत या उपचार देने का व्यापक विवेकाधिकार देती है जैसा वह समझता है। उचित और उचित। चूँकि संसद पहले से ही इस मामले को अपने हाथ में ले चुकी है, इसलिए यह
एक विशिष्ट अवधि के भीतर विधायी योजना में परिवर्तन की आवश्यकता वाला आदेश देना न तो उचित है और न ही उचित है।

..... ए. सी. पी. ओ. दिशानिर्देश गैरकानूनी हैं क्योंकि वे हैं
ई. सी. एच. आर. के अनुच्छेद *8* के साथ असंगत। मैं कोई और नहीं दूंगा

राहत "। न्यायिक
समीक्षा के लिए जे. आर. *38* द्वारा एक आवेदन के मामले में

(उत्तरी आयरलैंड*) 24 2 (2015),* अपीलार्थी दंगों में शामिल था

दंगाई व्यवहार और प्रयास में शामिल होने का संदेह रखने वाला व्यक्ति आपराधिक क्षति कभी भी एक आवश्यक और आनुपातिक हस्तक्षेप हो सकता है।

उस व्यक्ति के अनुच्छेद *8* अधिकारों के साथ*?* बहुमत ने माना कि अनुच्छेद *8* था व्यस्त नहीं है, क्योंकि गोपनीयता की कोई उचित अपेक्षा नहीं थी

मामला। लॉर्ड टौलसन *(*जिनके साथ लॉर्ड हॉज सहमत थे*)* ने यह कहते हुए कि पुलिस का आचरण, प्रथम दृष्टया, अपीलार्थी के अपने निजी जीवन के सम्मान के अधिकार में हस्तक्षेप के बराबर नहीं था, यह अभिनिर्धारित किया कि:

"उचित या वैध अपेक्षा परीक्षण एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण है।

इसे व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए *(*जैसा कि सर एंथनी क्लार्क ने मरे के मामले में कहा था*)* और अंतर्निहित मूल्य या संरक्षित किए जाने वाले मूल्यों को ध्यान में रखते हुए। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, एक युवा व्यक्ति की तस्वीर का प्रकाशन

पुलिस को सक्षम बनाने के उद्देश्य से आपराधिक तरीके से कार्य करना

अपनी पहचान का पता लगाने के लिए के दायरे में नहीं आ सकता है

व्यक्तिगत स्वायत्तता का संरक्षण जो अनुच्छेद *8* का उद्देश्य है, लेकिन उसी तस्वीर का किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकाशन हो सकता है "।

लॉर्ड क्लार्क ने लॉर्ड के साथ सहमति जताते हुए एक अलग निर्णय लिखा।

टौलसन और उनका मानना था किः

"..... अपीलार्थी जो कर रहा था उसकी आपराधिक प्रकृति नहीं थी

उनके निजी जीवन का एक पहलू जिसे वे निजी रखने के हकदार थे। उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से उचित उम्मीद नहीं थी कि

ऐसी तस्वीरें, जिनकी पहचान करने के सीमित उद्देश्य के लिए ली गई हैं

वह था और प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

पी. जे. एस. बनाम न्यूज ग्रुप न्यूजपेपर्स लिमिटेड *243 (2016)* में निर्णय

एक अनाम गोपनीयता निषेधाज्ञा *244* से निपटा गया। निषेधाज्ञा की मांग की गई थी

दावेदार द्वारा अपने यौन संबंध के विवरण के प्रकाशन को रोकने के लिए

दो अन्य लोगों के साथ, इस आधार पर कि प्रकाशन उल्लंघन करेगा ईसीएचआर के अनुच्छेद *8* द्वारा संरक्षित गोपनीयता और गोपनीयता के उनके अधिकार।

ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया। बहुमत की ओर से बोलते हुए, लॉर्ड मैन्स ने कहा किः

"..... प्रकाशित की जाने वाली सामग्री की प्रकृति और उसकी पहचान और वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

और अंग्रेजी मीडिया में प्रकाशन, और कि कोई भी पुरस्कार
नुकसान, हालांकि आकलन किया गया है, एक अपर्याप्त उपाय होगा।

एच. आर. ए. ने निजता के अधिकार के अस्तित्व पर स्पष्टता प्रदान की है

यू. के. न्यायशास्त्र में और तय किए गए मामलों में गोपनीयता के संबंध में परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों को काफी हद तक हल किया। एच. आर. ए. को शामिल करके

मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन *(*ईसीएचआर*)* के प्रावधानों ने ब्रिटेन के घरेलू कानून में गोपनीयता के अधिकार की गारंटी को अपनाया है। द.

कन्वेंशन, घरेलू कानून में इसे अपनाने के साथ, नेतृत्व किया है

अंग्रेजी कानून में मानव गोपनीयता के संरक्षण के विकास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन।

((ii) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले

अमेरिकी संविधान में निजता का स्पष्ट अधिकार नहीं है।

लेकिन अमेरिकी गोपनीयता न्यायशास्त्र दर्शाता है कि इसे अमेरिकी संविधान के कई संशोधनों *245* के तहत संरक्षित किया गया है।

243 [2016] यूकेएससी *26*

अंग्रेजी कानून में, एक अनाम निषेधाज्ञा "एक अंतरिम निषेधाज्ञा है जो एक व्यक्ति को ऐसी जानकारी प्रकाशित करने से रोकती है जो आवेदक से संबंधित है और जिसे कहा जाता है

244

गोपनीय या निजी जहाँ कार्यवाही में से किसी एक या दोनों पक्षों के नाम नहीं बताए गए हैं। सुपर-निषेधाज्ञा पर समिति की रिपोर्टः सुपर-इंजंक्शंस, एनोनिमाइज्ड इंजंक्शंस एंड ओपन जस्टिस *"(2011),* ऑनलाइन उपलब्ध है। // डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्यायपालिका। गव. यूके/डब्ल्यूपी-सामग्री/अपलोड/जेसीओ/दस्तावेज/रिपोर्ट/सुपर-इंजंक्शन रिपोर्ट*-20052011.* पीडीएफ

245 गोपनीयता की अवधारणा प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, पाँचवें और चौदहवें संशोधनों के न्यायशास्त्र में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। नौवें संशोधन की व्याख्या गोपनीयता की रक्षा के लिए अधिकारों के विधेयक को व्यापक रूप से पढ़ने को सही ठहराने के लिए भी की गई है, जो पहले आठ संशोधनों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

1886 की शुरुआत में, बॉयड बनाम संयुक्त राज्य *246* में, पहले का प्रश्न

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय यह था कि क्या किसी व्यक्ति के निजी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से पेश करना न्यायिक कार्यवाही में उसके खिलाफ सबूत के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए,

चौथे संशोधन के अर्थ के भीतर एक अनुचित खोज और जब्ती है। न्यायमूर्ति ब्रैडली ने न्यायालय की राय दी और निम्नानुसार निर्णय दिया:

"इस राय में निर्धारित सिद्धांत बहुत सार को प्रभावित करते हैं।

संवैधानिक स्वतंत्रता और सुरक्षा। वे सभी पर लागू होते हैं।

सरकार और उसके कर्मचारियों की ओर से आक्रमण

मनुष्य के घर की पवित्रता और जीवन की गोपनीयता। यह.

उसके दरवाजों को तोड़ना और उसकी गड़गड़ाहट नहीं है

दराज़ जो अपराध का सार है, लेकिन यह

व्यक्तिगत सुरक्षा के उसके अक्षम्य अधिकार पर आक्रमण है,

व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और निजी संपत्ति,-यह आक्रमण है
इस पवित्र अधिकार के लिए।

और पार्टी की शपथ को जबरन वसूल कर कोई अनिवार्य खोज, या

अपनी निजी किताबें और कागजात पेश करने के लिए मजबूर करना, दोषी ठहराने के लिए
उसका अपराध या उसकी संपत्ति को जब्त करना, सिद्धांतों के विपरीत है।

एक स्वतंत्र सरकार। यह निरंकुश शक्ति के उद्देश्यों के अनुरूप हो सकता है,

लेकिन यह राजनीतिक स्वतंत्रता के शुद्ध वातावरण का पालन नहीं कर सकता है और

व्यक्तिगत स्वतंत्रता "।

(जोर दिया गया*)*

1920 के दशक में दो फैसलों में, न्यायालय ने चौदहवें को पढ़ा।

राज्यों को अपने बच्चों की शिक्षा को आकार देने के लिए माता-पिता और शिक्षकों के निजी निर्णयों में हस्तक्षेप करने वाले कानून बनाने से रोकने के लिए संशोधन की स्वतंत्रता। मेयर बनाम नेब्रास्का *247 (1923)* में, न्यायालय ने खारिज कर दिया एक राज्य कानून जिसने उन छात्रों को विदेशी भाषाओं के शिक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था जिन्होंने अभी तक आठवीं कक्षा पूरी नहीं की थी। *7* में न्यायालयः *2* निर्णय,

न्यायमूर्ति मैकरेनोल्ड्स द्वारा लिखित, निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य युवा छात्रों के लिए शिक्षा के सर्वोत्तम पाठ्यक्रम पर निर्णय लेने के लिए माता-पिता और शिक्षकों के अधिकारों का उल्लंघन करने की अनिवार्य आवश्यकता दिखाने में विफल रहा। आज़ादी के बारे में,

न्यायमूर्ति मैकरेनोल्ड्स ने कहा:

"निस्संदेह, यह न केवल शारीरिक संयम से मुक्ति को दर्शाता है,

लेकिन व्यक्ति का अनुबंध करने, किसी भी कार्य में संलग्न होने का अधिकार भी
जीवन के सामान्य व्यवसाय, उपयोगी ज्ञान प्राप्त करने के लिए,

शादी करें, एक घर स्थापित करें और बच्चों की परवरिश करें, भगवान की पूजा करें

246 116 यू. एस. *616 (1886)* *247 262* यूएस *390 (1923)*

अपने विवेक के आदेशों के अनुसार, और आम तौर पर
उन विशेषाधिकारों का लाभ उठाएँ जो लंबे समय से सामान्य कानून में आवश्यक के रूप में मान्यता प्राप्त हैं

स्वतंत्र पुरुषों द्वारा खुशी की व्यवस्थित खोज के लिए। स्थापित किया गया

सिद्धांत यह है कि इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है

विधायी कार्रवाई द्वारा जनहित की रक्षा करने की आड़ में जो

मनमाना है या किसी उद्देश्य के लिए उचित संबंध के बिना है

प्रभाव में लाने के लिए राज्य की क्षमता।

दो साल बाद, पियर्स बनाम सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स *248 (1925)* में,

अभिभावक बच्चों के पालन-पोषण को निर्देशित करें, और उस संबंध में चौदहवें संशोधन का उल्लंघन करता है।

ओल्मस्टेड बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका *24 (1928)* में, से पहले का प्रश्न

अदालत यह थी कि क्या निजी टेलीफोन वार्तालापों के साक्ष्य का उपयोग, वायरटैपिंग के माध्यम से बाधित करना चौथे के उल्लंघन के बराबर है।

और पाँचवाँ संशोधन। एक *5* में: *4* निर्णय, यह माना गया था कि कोई नहीं था चौथे और पांचवें संशोधन का उल्लंघन। मुख्य न्यायाधीश टाफ्ट ने बहुमत का फैसला लिखते हुए कहा कि:

"संशोधन स्वयं दर्शाता है कि खोज सामग्री की होनी चाहिए

व्यक्ति, घर, उसके कागजात, या उसके प्रभाव। द.

संशोधन यहाँ क्या किया गया था उसे मना नहीं करता है। वहाँ कोई नहीं था।
खोज रहे हैं। कोई बरामदगी नहीं हुई। सबूत द्वारा सुरक्षित किया गया था

सुनने की भावना का उपयोग, और केवल वही। कोई प्रवेश नहीं था
प्रतिवादियों के घरों या कार्यालयों का।

हालाँकि, न्यायमूर्ति लुई ब्रांडेस ने एक असहमत राय लिखी और

यह देखा गया किः

}

"..... समय काम करता है, नई परिस्थितियाँ अस्तित्व में लाता है
और उद्देश्य "। आक्रमण करने के अधिक सूक्ष्म और अधिक दूरगामी साधन

निजता सरकार के लिए उपलब्ध हो गई है। खोज

और आविष्कार ने सरकार के लिए इसे संभव बना दिया है

प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए रैक पर खींचने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी

अदालत में जो अलमारी में फुसफुसाया जाता है। इसके अलावा, "में
एक संविधान का अनुप्रयोग, हमारा चिंतन नहीं हो सकता है

248 (268) यूएस *510 (1925)*

277 यूएस *438 (1928)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

केवल वही जो रहा है, जो रहा है, लेकिन जो हो सकता है। की प्रगति

सरकार को जासूसी के साधन उपलब्ध कराने का विज्ञान है
वायरटैपिंग के साथ रुकने की संभावना नहीं है। रास्ते किसी दिन हो सकते हैं

जिसके द्वारा सरकार, कागजात हटाए बिना विकसित की गई
गुप्त दराज से, उन्हें अदालत में पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, और जिसके द्वारा

यह एक जूरी के सामने सबसे अंतरंग घटनाओं को उजागर करने में सक्षम होगा।

घर से। मनोवैज्ञानिक और संबंधित विज्ञानों में प्रगति हो सकती है

अप्रकट विश्वासों, विचारों की खोज करने के साधन लाएं और

(जोर दिया गया*)*

भावनाएँ "।

उन्होंने सवाल किया कि क्या संविधान कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

व्यक्तिगत सुरक्षा के ऐसे आक्रमणों के खिलाफ। न्यायमूर्ति ब्रांडेस इस प्रश्न का उत्तर एक प्रसिद्ध अंश में देते हैंः

"हमारे संविधान निर्माताओं ने परिस्थितियों को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया

सुख की खोज के लिए अनुकूल। उन्होंने रक्षा करने की कोशिश की

अमेरिकी अपने विश्वासों, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी भावनाओं में

संवेदनाएँ। उन्होंने सरकार के खिलाफ, अधिकारों में
सबसे व्यापक होने का अधिकार,

और सभ्य पुरुषों द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अधिकार। इसकी रक्षा के लिए

ठीक है, सरकार द्वारा हर अनुचित घुसपैठ

व्यक्ति की गोपनीयता, चाहे जो भी साधन नियोजित हों, होनी चाहिए

चौथे संशोधन का उल्लंघन माना गया।

(जोर दिया गया*)*

न्यायालय, ग्रिसवोल्ड बनाम कनेक्टिकट *2 5 0 250 (1965)* के मामले में

, कब्जा, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करने वाले राज्य के कानून को अमान्य कर दिया

विवाहित जोड़ों के लिए गर्भ निरोधकों का, क्योंकि कानून का उल्लंघन किया गया था

वैवाहिक निजता का अधिकार। न्यायमूर्ति डगलस, जिन्होंने मुख्य भाषण दिया

राय, ने देखा कि यह अधिकार के "पेनुम्ब्रास" से उत्पन्न हुआ अधिकारों के विधेयक में मौलिक संवैधानिक
गारंटी और अधिकार,

जो मिलकर "गोपनीयता के क्षेत्र" बनाते हैं। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया किः

"वर्तमान मामला, फिर के भीतर झूठ बोलने वाले संबंध से संबंधित है

कई मौलिक संवैधानिक द्वारा बनाई गई गोपनीयता का क्षेत्र
गारंटी। क्या हम पुलिस को पवित्र स्थान की खोज करने देंगे*?*

उपयोग के संकेतों के वैवाहिक शयनकक्षों की सीमाएँ

गर्भनिरोधक*?* यह विचार ही निजता की धारणाओं के प्रति प्रतिकूल है।

शादी के रिश्ते के आसपास "।

250 381 यूएस *479 (1965)*

आई.

न्यायमूर्ति गोल्डबर्ग ने सहमत राय में लिखा किः

"तथ्य यह है कि संविधान का कोई विशेष प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं है

राज्य को परिवार के पारंपरिक संबंधों को बाधित करने से रोकता है।

एक ऐसा संबंध जो हमारी पूरी सभ्यता जितना पुराना और मौलिक है

निश्चित रूप से यह नहीं दर्शाता है कि सरकार का इरादा था

ऐसा करने की शक्ति। बल्कि, जैसा कि नौवां संशोधन स्पष्ट रूप से मान्यता देता है, इस तरह के मौलिक व्यक्तिगत अधिकार हैं

एक, जो सरकार द्वारा संक्षिप्त किए जाने से संरक्षित हैं,

हालांकि संविधान में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।

काट्ज़ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका *2 1 ("काट्ज़")* में *1967* के निर्णय ने ओल्मस्टेड बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका *(ऊपर)* को खारिज कर दिया और व्याख्या में क्रांति ला दी।

निजता का संवैधानिक अधिकार सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ किस हद तक लागू होता है, इसके बारे में चौथे संशोधन का। इस मामले में,

चार्ल्स काट्ज़ एक जुआरी था जो एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ का उपयोग करता था

अवैध दांवों को प्रसारित करें। काट्ज़ से अनजान, एफ़. बी. आई. जो काट्ज़ की गतिविधि की जाँच कर रहा था, उसकी बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था।

फोन बूथ के बाहरी हिस्से से जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपकरण। इसके बाद, इन रिकॉर्डिंग के आधार पर काट्ज़ को दोषी ठहराया गया। उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि रिकॉर्डिंग में प्राप्त किया गया था उनके चौथे संशोधन अधिकारों का उल्लंघन। संवैधानिक प्रश्न

मामला यह था कि क्या 'अनुचित खोज और बरामदगी' से चौथा संशोधन संरक्षण मूर्त संपत्ति की खोज और बरामदगी तक सीमित था, या क्या यह बातचीत जैसे अमूर्त क्षेत्रों तक विस्तारित था।

दूसरों द्वारा सुना गया। यह माना गया कि सरकार की जासूसी गतिविधियों ने गोपनीयता का उल्लंघन किया, जिस पर याचिकाकर्ता ने न्यायसंगत रूप से भरोसा किया,

टेलीफोन बूथ का उपयोग करते हुए, और इस प्रकार चौथे संशोधन के अर्थ के भीतर एक "खोज और जब्ती" का गठन किया, और यह कि संशोधन न केवल मूर्त वस्तुओं की जब्ती को नियंत्रित करता है, बल्कि विस्तारित करता है

मौखिक बयानों की रिकॉर्डिंग के लिए भी।

1967 से पहले जब चौथे संशोधन के उल्लंघन पर चर्चा करने के उद्देश्यों के लिए 'गोपनीयता की उचित अपेक्षा' का निर्धारण किया जाता था, विश्लेषण इस बात पर केंद्रित था कि क्या प्राधिकरण ने किसी निजी स्थान पर अतिक्रमण किया था। यह 'अतिचार सिद्धांत' काट्ज़ तक प्रचलित परीक्षा थी, जो

चौथे संशोधन के संरक्षण को 'स्थानों' से 'लोगों' तक बढ़ा दिया गया, जिससे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से भी अधिक गोपनीयता प्रदान की गई। द 'अतिचार

ओल्मस्टेड बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका *(ऊपर)* में लागू सिद्धांत को अब प्रासंगिक नहीं माना गया था।

251 389 यूएस *347 (1967)*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

न्यायमूर्ति स्टीवर्ट ने बहुमत *(7:1)* राय लिखी और कहा किः

"जो इसे *[*एक टेलीफोन बूथ*]* पर रखता है, वह पीछे का दरवाजा बंद कर देता है उसे, और उस टोल का भुगतान करता है जो उसे कॉल करने की अनुमति देता है

यह मानने का अधिकार है कि वह जिन शब्दों का उच्चारण करता है

मुखपत्र को दुनिया में प्रसारित नहीं किया जाएगा। इसे पढ़ने के लिए

संविधान अधिक संकीर्ण रूप से इस महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज करना है कि

सार्वजनिक टेलीफोन निजी तौर पर चलने लगा है

(जोर दिया गया*)*

संचार "।

न्यायमूर्ति हारलान ने सहमति देने वाला फैसला लिखा जिसमें कहा गया था किः

"क*)* कि एक संलग्न टेलीफोन बूथ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, जैसे

एक घर। एक व्यक्ति के पास संवैधानिक रूप से संरक्षित उचित अधिकार है।

गोपनीयता की अपेक्षा*; (*बी*)* कि इलेक्ट्रॉनिक, साथ ही भौतिक,

एक ऐसे स्थान में घुसपैठ जो इस अर्थ में निजी हो सकता है यह चौथे संशोधन का उल्लंघन है।

(जोर दिया गया*)*

गोपनीयता परीक्षण की उचित अपेक्षा को इस प्रकार तैयार किया गया था

वीएसः

..... चौथा संशोधन लोगों की रक्षा करता है, स्थानों की नहीं।

लेकिन सवाल यह है कि यह उन्हें क्या सुरक्षा प्रदान करता है।

लोग। आम तौर पर, जैसा कि यहाँ है, उस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता है

एक "स्थान" का संदर्भ। उस नियम की मेरी समझ जो पूर्व निर्णयों से उभरा है कि दो गुना आवश्यकता है,

सबसे पहले कि एक व्यक्ति ने एक वास्तविक *(*व्यक्तिपरक*)* प्रदर्शन किया है

गोपनीयता की अपेक्षा और, दूसरा, कि अपेक्षा की जाए

जिसे समाज "उचित" के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार है।

इस प्रकार, एक आदमी का घर, अधिकांश उद्देश्यों के लिए, एक ऐसी जगह है जहाँ

वह गोपनीयता की अपेक्षा करता है, लेकिन वस्तुएँ, गतिविधियाँ या बयान

कि वह बाहरी लोगों के "स्पष्ट दृष्टिकोण" को उजागर नहीं करता है "संरक्षित ", क्योंकि उन्हें अपने तक ही रखने का कोई इरादा नहीं है

प्रदर्शित किया गया है। दूसरी ओर, बातचीत में

खुले को अधिक सुने जाने से बचाया नहीं जाएगा,

परिस्थितियों में गोपनीयता की अपेक्षा के लिए

यह अनुचित होगा। ".

(जोर दिया गया*)*

स्टेनली बनाम जॉर्जिया *252 (1969)* में, न्यायालय ने विश्लेषण किया

ज्ञान पर आपराधिक प्रतिबंध लगाने वाले कानून की वैधानिकता

4 यूएस *557 (1969)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

अश्लील चीज़ों का कब्ज़ा। न्यायालय ने एक सर्वसम्मत निर्णय में कहा कि कि केवल अश्लील पदार्थों के निजी कब्जे को संवैधानिक रूप से अपराध नहीं बनाया जा सकता है:

"क्योंकि बहुत सीमित को छोड़कर, स्वतंत्र होने का अधिकार भी मौलिक है।

अवांछित सरकारी घुसपैठ से परिस्थितियाँ
गोपनीयता।

[टी] वह अधिकार देता है कि अपीलार्थी पहले मामले में दावा कर रहा है

अपना घर. सामग्री की राज्य जांच से मुक्त होने का अधिकार
अपने पुस्तकालय से।

सार्वजनिक नैतिकता के प्रतिकूल विचारों के सार्वजनिक प्रसार को नियंत्रित करने की राज्य की जो भी शक्ति हो, वह संवैधानिक रूप से नहीं हो सकती।

किसी व्यक्ति को नियंत्रित करने की वांछनीयता पर आधार कानून

निजी विचार "।

ग्रिसवोल्ड के सात साल बाद, न्यायालय ने अधिकार का विस्तार किया

अविवाहित व्यक्तियों को शामिल करने के लिए 'वैवाहिक शयनकक्ष' से परे गोपनीयता। आइजेनस्टैड बनाम बेयर्ड *253 (1972)* में, न्यायालय ने निषेध करने वाले कानून को अमान्य कर दिया।

अविवाहित व्यक्तियों को गर्भ निरोधकों का वितरण, यह निर्णय देते हुए कि यह संविधान के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन करता हैः

"यह सच है कि ग्रिसवोल्ड में विचाराधीन निजता का अधिकार निहित है।

वैवाहिक संबंधों में। फिर भी वैवाहिक जोड़ा एक नहीं है

अपने स्वयं के मन और दिल के साथ स्वतंत्र इकाई, लेकिन एक

एक अलग बौद्धिक के साथ दो व्यक्तियों का संगठन
और भावनात्मक मेकअप। यदि निजता के अधिकार का कुछ भी अर्थ है, तो यह व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वह विवाहित हो या एकल, इससे मुक्त होना।

मौलिक रूप से मामलों में अनुचित सरकारी घुसपैठ
किसी व्यक्ति को इस निर्णय के रूप में प्रभावित करना कि उसे जन्म देना है या नहीं

बच्चा "।

पेरिस एडल्ट थिएटर *I* बनाम स्लैटन *2 4 (1973)* में निर्णय ने एक फिल्म में अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन के खिलाफ राज्य की अदालत के निषेधाज्ञा को बरकरार रखा।

थिएटर, सहमति देने वाले वयस्कों तक सीमित। न्यायालय ने मामले को स्टेनली बनाम जॉर्जिया *(उपरोक्त)* से इस आधार पर अलग किया कि स्टेनली में घर की गोपनीयता की वाणिज्यिक प्रदर्शनी के समान नहीं थी।

एक थिएटर में अश्लील फिल्में। मुख्य न्यायाधीश बर्गर ने कहा कि *253 405* यू. एस. *438 (1972)*

254 413 यूएस *49 (1973)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों में केवल शामिल हैं वे व्यक्तिगत अधिकार जो "मौलिक" या "व्यवस्थित स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित" थे जैसे कि "घर, परिवार, विवाह, मातृत्व, प्रजनन और प्रसव की व्यक्तिगत अंतरंगताएँ" और

कि -

"हालाँकि, इस न्यायालय के फैसलों में कुछ भी सूचित नहीं करता है कि

आदेश की अवधारणा में निहित कोई भी "मौलिक" गोपनीयता अधिकार

सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील फिल्में देखने की स्वतंत्रता

आवास। एक "गोपनीयता" अधिकार और एक स्थान का विचार

सार्वजनिक आवास, इस संदर्भ में, परस्पर अनन्य हैं।
गर्भपात के अधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय में, रो बनाम

वेड *255 (1973)*, न्यायालय ने एक के अधिकार के प्रश्न पर विचार किया अविवाहित गर्भवती महिला गर्भपात द्वारा अपनी गर्भावस्था को समाप्त करे। टेक्सास क़ानून की संवैधानिकता गर्भपात को प्रतिबंधित करती है सिवाय इसके कि

इस उद्देश्य के लिए चिकित्सा सलाह द्वारा खरीदे गए या भर्ती किए गए लोगों के प्रति सम्मान

माँ के जीवन को बचाने के अधिकार को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि कानून ने गर्भवती महिला के गर्भपात के अधिकार और पसंद पर अनुचित रूप से आक्रमण किया और चौदहवें संशोधन के तहत गारंटीकृत "स्वतंत्रता" और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन था।

ग्रिसवोल्ड। अदालत ने फैसला सुनाया *7: 2* कि देय के तहत गोपनीयता का अधिकार

चौदहवें संशोधन के प्रक्रिया खंड को गर्भपात कराने के महिला के निर्णय तक बढ़ाया गया, लेकिन इस अधिकार के खिलाफ संतुलित किया जाना चाहिए।

गर्भपात को विनियमित करने में राज्य के हित। न्यायमूर्ति ब्लैकमन ने बहुमत का फैसला सुनाया और कहा कि:

"संविधान में निजता के किसी भी अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। हालाँकि, निर्णयों की एक पंक्ति में, न्यायालय ने

यह माना जाता है कि व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार, या गोपनीयता के कुछ क्षेत्रों या क्षेत्रों की गारंटी, के तहत मौजूद है
संविधान। अलग-अलग संदर्भों में, न्यायालय या व्यक्तिगत न्यायाधीशों ने, वास्तव में, कम से कम उस अधिकार की जड़ें पहले संशोधन में पाई हैं; अधिकारों के विधेयक के पेनम्ब्रास में; नौवें में।

संशोधन; या चौदहवें संशोधन की पहली धारा द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता की अवधारणा में।

निजता का यह अधिकार, चाहे वह इस में स्थापित हो
चौदहवें संशोधन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा और

राज्य की कार्रवाई पर प्रतिबंध, जैसा कि हम महसूस करते हैं, या

2.55 $ 410 यूएस *113 (1973)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

जिला न्यायालय ने नौवें संशोधन में निर्धारित किया

लोगों को अधिकारों का आरक्षण, इतना व्यापक है कि

इसमें एक महिला का निर्णय शामिल है कि उसे बर्खास्त करना है या नहीं।
उसकी गर्भावस्था। " "

(जोर दिया गया*)*

बैंक रिकॉर्ड में गोपनीयता के अधिकार का विश्लेषण अमेरिका द्वारा किया गया था

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम मिलर *2 (1976)* में सर्वोच्च न्यायालय। इस मामले में संघीय एजेंट प्रतिवादी की संलिप्तता की जांच कर रहे थे

सरकारी निरीक्षण। एक *6* में: *3* राय में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ए बैंक जमाकर्ता का उन अभिलेखों में कोई चौथा संशोधन हित नहीं है जो उसके बैंक को बैंक गोपनीयता अधिनियम के अनुपालन में रखने की आवश्यकता है।

1970 , और यह कि मिलर को अपने बैंक रिकॉर्ड में गोपनीयता का कोई अधिकार नहीं था। लिखना।

बहुमत के लिए, न्यायमूर्ति लुईस एफ. पॉवेल ने जोर देकर कहा कि "दस्तावेज़

सम्मन. *[*मिलर के*]* 'निजी कागजात' नहीं हैं, बल्कि इसका हिस्सा हैं

बैंक के व्यावसायिक रिकॉर्ड। यह आयोजित किया गया था:

"इसमें कोई वैध "गोपनीयता की अपेक्षा" नहीं है

मूल चेक और जमा पर्ची की सामग्री, क्योंकि
चेक गोपनीय संचार नहीं हैं, लेकिन परक्राम्य हैं

वाणिज्यिक लेन-देन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, और सभी

प्राप्त दस्तावेजों में केवल स्वेच्छा से जानकारी होती है

उनके द्वारा सरकारी अधिकारियों को प्रेषित किया गया। अधिनियम का
अभिलेख रखने की आवश्यकताएँ इन विचारों को नहीं बदलती हैं इसलिए

बैंक के संरक्षण योग्य चौथे संशोधन ब्याज का सृजन करने के लिए

जमाकर्ता अपने खाते के बैंक के रिकॉर्ड में "।

हालाँकि, न्यायमूर्ति ब्रेनन ने असहमति जताई और कहा किः

"एक बैंक ग्राहक की उचित अपेक्षा यह है कि

कानूनी प्रक्रिया द्वारा मजबूरी, वे मामले जो वह बैंक को बताता है
बैंक द्वारा इसका उपयोग केवल आंतरिक बैंकिंग उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

[ए] जमाकर्ता अपने व्यक्तिगत मामलों, विचारों के कई पहलुओं को प्रकट करता है,

आदतें, संगठन। वास्तव में, बैंक अभिलेखों की समग्रता प्रदान करती है

256 425 यूएस *435 (1976)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

एक आभासी वर्तमान जीवनी. परिष्कृत उपकरणों के विकास ने सरकार की क्षमता को तेज कर दिया है उन क्षेत्रों में घुसपैठ करें
जिन्हें एक व्यक्ति आम तौर पर चुभती आँखों और जिज्ञासु दिमाग से बाहर रखने का विकल्प चुनता है। नतीजतन, व्यक्तिगत गोपनीयता के संवैधानिक संरक्षण की न्यायिक व्याख्याओं को इन नए उपकरणों द्वारा पैदा किए गए खतरों के साथ तालमेल रखना चाहिए।

1960 के दशक में व्यक्तिगत अधिकारों के विस्तार की अपनी प्रवृत्ति को जारी रखते हुए

और *1970* के दशक में, विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में-गर्भ निरोधकों के अधिकार के साथ-साथ गर्भपात का अधिकार, कैरी बनाम में निर्णय

फार्मासिस्ट; सोलह वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को बिक्री या वितरण; और गर्भनिरोधक प्रदर्शन और विज्ञापन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। जस्टिस ब्रेनन न्यायालय की बहुमत राय दी और कहा कि चौदहवाँ संशोधन "केवल वयस्कों" के लिए नहीं है और "नाबालिगों के साथ-साथ वयस्क भी संविधान द्वारा संरक्षित हैं"*:*

"व्यक्तिगत गोपनीयता के इस अधिकार में "कुछ प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्वतंत्रता में रुचि" शामिल है।

हालाँकि निजता के इस पहलू की बाहरी सीमाओं को न्यायालय द्वारा चिह्नित नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अनुचित सरकारी हस्तक्षेप के बिना जो निर्णय ले सकता है, उनमें "विवाह से संबंधित व्यक्तिगत निर्णय; प्रजनन; गर्भनिरोधक; पारिवारिक संबंध; और बच्चे का पालन और पालन-पोषण" शामिल हैं।

शिक्षा "।

यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था किः

"बच्चा पैदा करना है या नहीं, यह निर्णय संवैधानिक रूप से संरक्षित विकल्पों के इस समूह के केंद्र में है।

यह समझ में आता है, क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में, जो परिभाषा के अनुसार, मानव गतिविधियों और संबंधों के सबसे अंतरंग संबंध से संबंधित है, गर्भधारण को पूरा करने या रोकने के निर्णय सबसे निजी और संवेदनशील हैं।

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि निजता का अधिकार एक विनियमन द्वारा सीमित किया जा सकता है, जो एक पर्याप्त 'मजबूर करने वाली राज्य संस्था' द्वारा शासित होता है*?*

स्मिथ बनाम मैरीलैंड *(1979)* में, यह माना गया था कि इंस्टा लौसा *257 431* यूएस *678 (1977)*

258 442 यूएस *735 (1979)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

'पेन रजिस्टर' का उपयोग चौथे संशोधन के अर्थ में 'खोज' नहीं था, और इसलिए किसी वारंट की आवश्यकता नहीं थी। न्याय

ब्लैकमुन ने बहुमत *(5○:4)* राय दी और कहा कि याचिकाकर्ता का यह दावा कि उसे "निजता की वैध अपेक्षा" थी, सही नहीं हो सकता है। टिका हुआः

"सबसे पहले, हमें संदेह है कि आम तौर पर लोग किसी भी वास्तविक मनोरंजन का आनंद लेते हैं। उनके द्वारा डायल किए गए नंबरों में गोपनीयता की अपेक्षा। सभी फोन

उपयोगकर्ताओं को एहसास होता है कि उन्हें फोन नंबरों को "संप्रेषित" करना होगा टेलीफोन कंपनी, क्योंकि यह टेलीफोन कंपनी स्विचिंग के माध्यम से है

उपकरण कि उनके कॉल पूरे हो गए हैं। सभी ग्राहक महसूस करते हैं, इसके अलावा, कि फोन कंपनी के पास बनाने की सुविधा है

उनके द्वारा डायल किए गए नंबरों का स्थायी रिकॉर्ड, क्योंकि वे एक सूची देखते हैं

उनके लंबी दूरी के *(*टोल*)* कॉल उनके मासिक बिलों पर आते हैं। वास्तव में, कलम

रजिस्टर और इसी तरह के उपकरणों का नियमित रूप से टेलीफोन द्वारा उपयोग किया जाता है।

बिलिंग संचालन की जाँच के उद्देश्यों के लिए कंपनियाँ, धोखाधड़ी का पता लगाना और कानून के उल्लंघन को रोकना।

(जोर दिया गया*)*

बहुमत ने "गोपनीयता की उचित अपेक्षा" परीक्षण को अपनाया।

जैसा कि काट्ज़ में न्यायमूर्ति हारलान द्वारा तैयार किया गया था और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

"[जाँच, जैसा कि श्री न्यायमूर्ति हारलान ने अपने काट्ज़ में उचित रूप से उल्लेख किया है।

सहमति, आम तौर पर दो असतत प्रश्नों को शामिल करती है। सबसे पहले
यह है कि क्या व्यक्ति ने अपने आचरण से एक वास्तविक प्रदर्शन किया है।

(व्यक्तिपरक) गोपनीयता की अपेक्षा ". चाहे. व्यक्ति

इसने दिखाया है कि "वह [कुछ] को निजी के रूप में संरक्षित करना चाहता है"।
दूसरा सवाल यह है कि क्या व्यक्ति व्यक्तिपरक है।

वस्तुनिष्ठ रूप से, परिस्थितियों में "उचित" है।
चूंकि पेन रजिस्टर टेलीफोन कंपनी की संपत्ति पर स्थापित किया गया था

यह दावा नहीं कर सकते कि उनकी "संपत्ति" पर हमला किया गया था या कि पुलिस
"संवैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र" में घुसपैठ।

इस प्रकार न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने सभी संभावनाओं में विचार किया

उनके द्वारा डायल किए गए फोन नंबरों में गोपनीयता की कोई वास्तविक उम्मीद नहीं है, और वह, भले ही उन्होंने किया हो। उनकी अपेक्षा "वैध" नहीं थी। हालाँकि, फैसले में काट्ज़ परीक्षण की सीमाओं को भी नोट किया गया:

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी (आर. ई. टी. डी.) v. भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.]

"परिस्थितियों की कल्पना की जा सकती है, निश्चित रूप से, जिसमें काट्ज़ 'दो

दूरगामी जाँच एक अपर्याप्त सूचकांक प्रदान करेगी

चौथा संशोधन संरक्षण। ऐसी परिस्थितियों में, जहां किसी व्यक्ति की व्यक्तिपरक अपेक्षाओं को "सशर्त" किया गया था

अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त चौथे संशोधन की स्वतंत्रताओं को प्रभावित करता है, वे व्यक्तिपरक अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से कोई सार्थक भूमिका नहीं निभा सकती हैं

यह पता लगाने में भूमिका कि चौथे संशोधन का दायरा क्या है

सुरक्षा थी।

न्यायमूर्ति स्टीवर्ट ने असहमति लिखी, उनके साथ न्यायमूर्ति ब्रेनन और

कि इस मामले में गोपनीयता की वैध अपेक्षा थी:

"..... निजी टेलीफोन से डायल किए गए नंबर-जैसे

कॉल के दौरान होने वाली बातचीत-काट्ज़ में मान्यता प्राप्त संवैधानिक संरक्षण के भीतर होती है। यह मुझे स्पष्ट लगता है कि जानकारी

ऐसी जानकारी जिसमें टेलीफोन ग्राहक को निजता की वैध अपेक्षा हो। इस तरह से ली गई जानकारी निगरानी किसी व्यक्ति के निजी आचरण से उत्पन्न होती है।

घर या कार्यालय-ऐसे स्थान जो बिना किसी सवाल के चौथे और चौदहवें संशोधन संरक्षण के हकदार हैं। इसके अलावा, वह जानकारी टेलीफोनिक संचार का एक अभिन्न अंग है जो काट्ज़ के तहत संवैधानिक संरक्षण का हकदार है। जस्टिस मार्शल ने अनुमति देने के खतरों पर असहमति जताई और राय दी

निगरानी, धारणः

संचार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में भूमिका निभाता है, साथ ही पहले और चौथे संशोधन के हितों को शामिल किया गया

निर्बाध आधिकारिक निगरानी द्वारा। कॉल करने में गोपनीयता न केवल आपराधिक गतिविधि में लगे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। संभावना अनियंत्रित सरकारी निगरानी निस्संदेह उन लोगों के लिए भी परेशान करने वाली साबित होगी जिनके पास छिपाने के लिए कुछ भी अवैध नहीं है। अलोकप्रिय राजनीतिक संगठनों या पत्रकारों के सदस्यों सहित कई व्यक्ति

गोपनीय स्रोतों के साथ, वैध रूप से प्रकटीकरण से बचना चाह सकते हैं

उनके व्यक्तिगत संपर्क।

टेलीफोन रिकॉर्ड तक सरकारी पहुंच की अनुमति देना

संभावित कारण से कम इस प्रकार कुछ रूपों को बाधित कर सकता है

राजनीतिक संबद्धता और पत्रकारिता का प्रयास जो *[2017] 10* एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वास्तव में एक स्वतंत्र समाज की पहचान। विशेष रूप से दी गई

पत्रकारों के स्रोतों का पता लगाने और संरक्षित निगरानी के लिए निगरानी राजनीतिक गतिविधि।

मैं स्वतंत्र से पेन रजिस्टरों के उपयोग को अलग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। न्यायिक समीक्षा "।

(जोर दिया गया*)*

प्लान्ड पेरेंटहुड बनाम केसी *259 (1992)* में कई पेनसिल्वेनिया

गर्भपात के संबंध में राज्य के वैधानिक प्रावधानों जैसे कि पति-पत्नी की सहमति को चुनौती दी गई थी। अदालत ने फिर से पुष्टि की-जिसे उसने कहा-"आवश्यक"

रो बनाम वेड *(ऊपर)* के *260* को धारण करते हुए, और देखाः

"..... हमारे उदाहरणों ने परिवार के निजी क्षेत्र का सम्मान किया है। जीवन जिसमें राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। ..... इन मामलों में शामिल हैं -

सबसे अंतरंग और व्यक्तिगत विकल्प जो एक व्यक्ति कर सकता है जीवन भर, व्यक्तिगत गरिमा और स्वायत्तता के लिए केंद्रीय विकल्प हैं

चौदहवें संशोधन द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता के लिए केंद्रीय। में।

स्वतंत्रता का दिल अपनी अवधारणा को परिभाषित करने का अधिकार है

अस्तित्व, अर्थ, ब्रह्मांड का, और मानव के रहस्य का जीवन। इन मामलों के बारे में विश्वास विशेषताओं को परिभाषित नहीं कर सके

व्यवहार्यता से पहले अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने का महिला का अधिकार है रो वी का सबसे केंद्रीय सिद्धांत। वेड। यह कानून का शासन है और

स्वतंत्रता का एक घटक जिसे हम त्याग नहीं सकते। मिनेसोटा बनाम कार्टर *2 (1998)* में सवाल यह था कि क्या

चौथा संशोधन बाहरी पुलिस द्वारा देखने के खिलाफ संरक्षित है

अधिकारी, एक खिड़कियों में खिड़कियों के बीच से, एक अपार्टमेंट में प्रतिवादियों द्वारा कोकीन को थैले में लिए जाने के बारे में। अदालत ने इस सवाल का जवाब नकारात्मक दिया। मुखिया। न्यायमूर्ति रेहंक्विस्ट ने न्यायालय की बहुमत राय देते हुए कहा कि

259 505 यूएस *833 (1992)*

260 रो की आवश्यक पकड़, जैसा कि नियोजित पितृत्व में संक्षेपित किया गया है, जिसमें शामिल हैं -

निम्नलिखित तीन भाग हैंः *(1)* भ्रूण की व्यवहार्यता से पहले गर्भपात कराने का विकल्प चुनने और अनुचित हस्तक्षेप के बिना इसे प्राप्त करने के लिए एक महिला के अधिकार की मान्यता

राज्य, जिनके पूर्व-व्यवहार्यता हित गर्भपात का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं

प्रक्रिया का चुनाव करने के महिला के प्रभावी अधिकार के लिए निषेध या पर्याप्त बाधाओं को लागू करना; *(2)* गर्भपात को प्रतिबंधित करने की राज्य की शक्ति की पुष्टि

व्यवहार्यता, यदि कानून में किसी महिला के जीवन को खतरे में डालने वाली गर्भधारण के लिए अपवाद हैं या

स्वास्थ्य; और *(3)* यह सिद्धांत कि महिला के स्वास्थ्य और भ्रूण के जीवन की रक्षा करने में गर्भावस्था की शुरुआत से ही राज्य का वैध हित है।

बच्चा बन जाता है।

261 525 यूएस *83 (1998)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"*[* संशोधन के पाठ से पता चलता है कि इसकी सुरक्षा केवल "उनके" घरों में रहने वाले लोगों के लिए है। इस मामले को मिनेसोटा बनाम ओल्सन *262 (1990)* से अलग किया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि रातोंरात

एक घर में मेहमान को गोपनीयता की अपेक्षा थी कि चौथा

संशोधन सुरक्षा प्रदान करता है। न्यायालय का विचार था कि घर में रात भर रहने वाला अतिथि चौथे संशोधन के संरक्षण का दावा कर सकता है, एक जो केवल गृहस्थ की सहमति से उपस्थित है, वह उपस्थित नहीं हो सकता है। इस मामले में, उत्तरदाता रात भर के अतिथि नहीं थे, बल्कि एक व्यावसायिक लेनदेन के लिए मौजूद थे और केवल कुछ घंटों के लिए घर में थे। न्यायालय ने कहाः

"वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति का इलाज किया जाता है। चौथे संशोधन के उद्देश्यों के लिए आवासीय से अलग

संपत्ति "। वाणिज्यिक में गोपनीयता की अपेक्षा

परिसर, हालांकि, अलग है, और वास्तव में उससे कम है,

एक व्यक्ति के घर में एक समान अपेक्षा "। .....

और जबकि यह एक "घर" था जिसमें उत्तरदाता मौजूद थे, यह

यह उनका घर नहीं था।

यहाँ किए गए लेन-देन की विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक प्रकृति, परिसर में अपेक्षाकृत कम समय की अवधि और उत्तरदाताओं और गृहस्वामी के बीच किसी भी पिछले संबंध की कमी,

सभी हमें निष्कर्ष पर ले जाते हैं. कोई भी खोज जो हो सकती है उनके चौथे संशोधन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया। *(* जोर दिया गया*)*

न्यायमूर्ति गिन्सबर्ग ने न्यायमूर्ति स्टीवंस और न्यायमूर्ति सॉटर के साथ असहमति की राय लिखी और कहा किः

"हमारे निर्णय इंगित करते हैं कि लोगों को अपने घरों में गोपनीयता की उचित उम्मीद है क्योंकि उनके पास विशेषाधिकार है

दूसरों को बाहर करने के लिए। मेजबान के निमंत्रण के माध्यम से, अतिथि को घर में गोपनीयता की उचित अपेक्षा प्राप्त होती है। मिनेसोटा बनाम। ओल्सन, *495* यू. एस. *91 (1990)*, एक रात के संबंध में आयोजित

मेहमान। उस निर्णय का तर्क अल्पकालिक मेहमानों तक फैला हुआ है

ठीक है "।

काइलो बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका *26 3 (2001)* में, न्यायालय ने निर्णय दिया *(5○:4* बहुमत*)* कि किसी व्यक्ति के घर की थर्मल इमेजिंग को बढ़ने का संदेह है।

मारिजुआना निजता के अधिकार का उल्लंघन था। जस्टिस स्कैलिया ने दिया फैसला

न्यायालय की राय और अभिनिर्धारित किया कि दोनों के बीच कोई भेद नहीं है

262 495 यूएस *91 (1990)* *263 533* यूएस *27 (2001)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"ऑफ-द-वॉल "और" थ्रू-द-वॉल "निगरानी दोनों किसी व्यक्ति की गोपनीयता में घुसपैठ की ओर ले जाते हैं:

"थर्मल इमेजिंग के निषेध को "अंतरंग" तक सीमित करना

विवरण "न केवल सिद्धांत रूप में गलत होगा; यह होगा

आवेदन में अव्यावहारिक, एक व्यवहार्य प्रदान करने में विफल

कानून प्रवर्तन की आवश्यकताओं के बीच समायोजन और

चौथे संशोधन द्वारा संरक्षित हित, "।

घरेलू गतिविधियाँ "अंतरंग" होती हैं और जो नहीं होती हैं। और तब भी जब
(अगर कभी*)* कि न्यायशास्त्र पूरी तरह से विकसित किया गया था, कोई पुलिस अधिकारी नहीं

पहले से पता चल जाएगा कि क्या उसके माध्यम से-दीवार

निगरानी "अंतरंग" विवरण को उठाती है-और इस प्रकार असमर्थ होगी
पहले से जानने के लिए कि क्या यह संवैधानिक है। "

(जोर दिया गया*)*

यह निष्कर्ष निकाला गया कि भले ही कोई "महत्वपूर्ण" समझौता नहीं हुआ हो

घर के मालिक की गोपनीयता थर्मल इमेजिंग के कारण हुई थी, "चौथे संशोधन के मूल अर्थ से लंबा दृष्टिकोण "

इसे आगे ले जाना चाहिए।

लॉरेंस बनाम टेक्सास *264* में, *6* में न्यायालयः *3* निर्णय निरस्त कर दिया गया

टेक्सास में सोडोमी कानून और विस्तार से अवैध सोडोमी कानून

13 अन्य राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में समान-लिंग यौन गतिविधि को वैध बनाते हैं। अदालत ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया

1986 के मामले में इसी मुद्दे पर, बोवर्स बनाम हार्डविक *25 (1986),*

जहाँ इसने जॉर्जिया के एक चुनौतीपूर्ण क़ानून को बरकरार रखा और यौन गोपनीयता का संवैधानिक संरक्षण नहीं पाया। न्यायमूर्ति एंथनी कैनेडी बहुमत की राय लिखी *(6○:3* निर्णय*)* और माना किः

"याचिकाकर्ताओं को अपने निजी जीवन का सम्मान करने का अधिकार है। द.

राज्य अपने अस्तित्व को नीचा नहीं दिखा सकता है या अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता है उनके निजी यौन आचरण को अपराध बनाना। यह एक वादा है कि

संविधान कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक क्षेत्र है जो

सरकार प्रवेश नहीं कर सकती है। टेक्सास क़ानून आगे कहता है कि नहीं

राज्य का वैध हित जो इसमें अपनी घुसपैठ को उचित ठहरा सकता है

व्यक्ति का व्यक्तिगत और निजी जीवन।
नासा बनाम में सूचनात्मक गोपनीयता मुख्य मुद्दा था।

264 539 यूएस *558 (2003)*

265 478 यूएस *186 (1986)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

नेल्सन *266 (2011)*। अदालत ने सर्वसम्मति से कहा कि अनुबंध कर्मचारियों की नासा की पृष्ठभूमि की जांच किसी भी संवैधानिक गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करती है

सही है। कर्मचारियों ने तर्क दिया था कि निजता का उनका संवैधानिक अधिकार है

जैसा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों में परिकल्पित किया गया था, जैसे कि व्हालेन बनाम रो *267 (1977)* और निक्सन बनाम जनरल सर्विसेज के प्रशासक *268 (1977)* , पृष्ठभूमि जाँच द्वारा उल्लंघन किया गया था। न्यायमूर्ति एलिटो द्वारा दिए गए बहुमत के फैसले ने यह मानते हुए मामले का फैसला किया कि निजता का संवैधानिक अधिकार मौजूद है। न्यायालय ने कहा किः

"हालाँकि, हम मानते हैं कि इसके चुनौतीपूर्ण भाग

सरकार की पृष्ठभूमि की जाँच इस अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है

वर्तमान मामला। नियोक्ता के रूप में सरकार के हित और

इसके आंतरिक संचालन के प्रबंधन में स्वामी, के साथ संयुक्त

"का उपयोग करें।
बहुमत ने दुरुपयोग के संबंध में सभी तर्कों को भी खारिज कर दिया।

एकत्र किए गए और रखे गए आंकड़ों का:

..... केवल संभावना है कि सुरक्षा उपाय विफल हो जाएंगे

सरकार पर व्यापक आधार पर हमले के लिए कोई "उचित आधार" नहीं है

एस. एफ.-*85* का हिस्सा जो "समाचार मीडिया या आम जनता" के संभावित प्रकटीकरण की चेतावनी देता है। ऐप. *89.* अपनी शर्तों से, यह अपवाद
सार्वजनिक प्रकटीकरण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब रिहाई "सार्वजनिक हित में" हो और इसके परिणामस्वरूप "व्यक्तिगत पर अनुचित आक्रमण" नहीं होगा।

266 562 यूएस *134 (2011) 267 429* यूएस *589 (1977)*। इस मामले में, पहली बार, न्यायालय ने सूचना के गैर-प्रकटीकरण में किसी व्यक्ति की रुचि को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। अदालत ने संबोधित करने का फैसला किया

268 433 यूएस *425 (1977)*। इस मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन ने राष्ट्रपति रिकॉर्डिंग और सामग्री संरक्षण अधिनियम, *1974* को इस आधार पर चुनौती दी थी कि उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया, क्योंकि उसके दस्तावेजों की जांच के माध्यम से घुसपैठ होगी। निक्सन की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि "किसी भी घुसपैठ *(*गोपनीयता के खिलाफ*)* को सार्वजनिक हित के खिलाफ तौला जाना चाहिए"।

गोपनीयता "। आइबीआइडी। उत्तरदाताओं ने कोई उदाहरण नहीं दिया है
ऐसा प्रकटीकरण, और न ही उन्होंने किसी प्रशंसनीय की पहचान की है

ऐसी स्थिति जिसमें उनकी जानकारी अनुचित हो सकती है

इस अपवाद के तहत प्रकट किया गया। सुरक्षा के आलोक में

गोपनीयता अधिनियम की गैर-प्रकटीकरण आवश्यकता द्वारा प्रदान की गई,

और क्योंकि प्रपत्रों के चुनौतीपूर्ण भागों में शामिल हैं

एक रोजगार पृष्ठभूमि में उचित पूछताछ

जाँच करें, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सरकार की पूछताछ नहीं है

सूचनात्मक गोपनीयता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

(जोर दिया गया*)*

न्यायमूर्ति स्कैलिया, न्यायमूर्ति थॉमस के साथ एक सहमति वाली राय में,

इस बात से सहमत थे कि पृष्ठभूमि की जाँच ने किसी भी संवैधानिक का उल्लंघन नहीं किया

अधिकार, लेकिन तर्क दिया कि अदालत को संवैधानिक निपटान करना चाहिए था

गोपनीयता का प्रश्न नकारात्मक में। विचार यह था कि कोई अस्तित्व नहीं है

सूचनात्मक निजता का संवैधानिक अधिकार। जे. स्कैलिया ने संवैधानिक प्रश्न से बचने के न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा किः

सही जबकि विनम्रता से ध्यान देते हुए कि अधिकार के बजाय "माना जाता है"
"तय किया "। अदालत ने फैसला किया कि सरकार ने किया

निर्णय लिए बिना सूचनात्मक गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है

क्या सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार है, और इसके बिना
यहाँ तक कि यह भी वर्णन करते हुए कि किस काल्पनिक मानक का उपयोग किया जाना चाहिए

यह आकलन करने के लिए कि क्या काल्पनिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

(जोर दिया गया*)*

संयुक्त राज्य बनाम जोन्स *269 (2012)* में, यह सर्वसम्मति से आयोजित किया गया था कि

वाहन पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम *(*जी. पी. एस.*)* ट्रैकिंग उपकरण स्थापित करना

और वाहन की गतिविधियों की निगरानी के लिए उपकरण का उपयोग करना एक चौथे
संशोधन के तहत खोजें। हालाँकि, न्यायाधीश विभाजित थे

5 : 4 निष्कर्ष के पीछे के बुनियादी कारणों के बारे में। जस्टिस स्कैलिया

अतिचार परीक्षण को लागू करते हुए बहुमत निर्णय दिया। यह आयोजित किया गया था

कि सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिवादी की कार में सरकार की भौतिक घुसपैठ ने अतिचार का गठन किया और इसलिए

एक "खोज"। न्यायमूर्ति स्कैलिया ने हालांकि इस सवाल का जवाब नहीं दिया।

जी. पी. एस. डेटा के बिना वारंट के उपयोग के गोपनीयता निहितार्थ

शारीरिक हस्तक्षेप के बिना। *264 565* यूएस *400 (2012)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

न्यायमूर्ति सोनिया सोटोमेयर ने न्यायमूर्ति स्कैलिया से सहमति व्यक्त की, लेकिन

निर्णय के गोपनीयता पहलुओं को तैयार किया। न्यायमूर्ति सोटोमेयर सहमत हुए।

न्यायमूर्ति एलिटो की सहमति है कि "भौतिक घुसपैठ अब हैनिगरानी के कई रूपों के लिए आवश्यक ", और यह माना कि" *[i]* ऐक्ट्रोनिक या निगरानी के अन्य नए तरीकों के मामले जो इस पर निर्भर नहीं करते हैं

संपत्ति पर शारीरिक आक्रमण, बहुमत की राय का अतिचार परीक्षण

आप थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं "। यह आगे देखा गयाः

" जी. पी. एस. निगरानी किसी व्यक्ति की सार्वजनिक गतिविधियों का एक सटीक, व्यापक रिकॉर्ड उत्पन्न करती है जो उसके बारे में विस्तार से बताती है। उनके पारिवारिक, राजनीतिक, पेशेवर, धार्मिक और यौन संबंध थे।

*[*जी. पी. एस.*]* डेटा में प्रकट की गई यात्राएँ निर्विवाद रूप से निजी प्रकृति की होंगी, जिनके बारे में कल्पना करने के लिए बहुत कम समय लगता हैः मनोचिकित्सक, प्लास्टिक सर्जन, गर्भपात क्लिनिक, एड्स की यात्राएँ

कानून प्रवर्तन प्रथाएँः " सीमित पुलिस संसाधन और सामुदायिक शत्रुता "।

शुद्ध परिणाम यह है कि जी. पी. एस. निगरानी-उपलब्ध कराकर एक अपेक्षाकृत कम लागत पर अंतरंग की इतनी बड़ी मात्रा में

किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी जिसे सरकार अपने लेख में

अनियंत्रित विवेकाधिकार, ट्रैक करने के लिए चुनता है-"बदल सकता है

नागरिक और सरकार के बीच संबंध इस तरह से कि

लोकतांत्रिक समाज के लिए शत्रुतापूर्ण है "। *(* जोर दिया गया*)*

न्यायमूर्ति सोटोमेयर ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकालाः

" *[* मुझे*]* संदेह है कि लोग बिना शिकायत के स्वीकार करेंगे

सरकार को उनके द्वारा देखी गई प्रत्येक वेब साइट *[*या डायल किए गए फोन नंबरों*]* की सूची का वारंट रहित प्रकटीकरण। मैं यह नहीं मानूंगा कि सभी जानकारी स्वेच्छा से किसी सदस्य को दी गई है। एक सीमित उद्देश्य के लिए जनता का, केवल उसी कारण से है,

चौथे संशोधन संरक्षण से वंचित "।

फ्लोरिडा बनाम जार्डिन्स *270 (2013)* में, अदालत ने माना कि पुलिस

569 यूएस *1 (2013)*।

एक के सामने के बरामदे पर नशीले पदार्थों के लिए सूँघने के लिए एक प्रशिक्षित पता लगाने वाला कुत्ता

निजी घर अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन के अर्थ में एक "खोज" है, और इसलिए, सहमति के बिना, दोनों की आवश्यकता होती है। संभावित कारण और एक खोज वारंट। न्यायमूर्ति स्कालिया, जिन्होंने न्यायालय की राय दी, ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"हम. आसपास के क्षेत्र का ध्यान रखते हैं और

घर के हिस्से के रूप में घर के साथ जुड़ा हुआ है

चौथा संशोधन उद्देश्य "। ..... घर के आसपास का यह क्षेत्र

मनोवैज्ञानिक रूप से, "और यह वह जगह है जहाँ" गोपनीयता की अपेक्षाएँ हैं
सबसे ऊँचा "।

(जोर दिया गया*)*

न्यायमूर्ति कागन ने एक सहमति वाली राय में लिखा:

"दूरबीन की तरह, एक दवा का पता लगाने वाला कुत्ता एक विशेष उपकरण है।

उन वस्तुओं की खोज के लिए जो सादे दृश्य *(*या सादे गंध*)* में नहीं हैं। और जैसा कि

उपरोक्त काल्पनिक, उस उपकरण को यहाँ एक घर पर लक्षित किया गया था

सबसे निजी और अनुल्लंघनीय *(*या इसलिए हम उम्मीद करते हैं*)*

चौथा संशोधन स्थानों और चीजों की रक्षा करता है।

उपकरण "सामान्य सार्वजनिक उपयोग में" नहीं है, इसे घर पर प्रशिक्षित किया जाता है।

गोपनीयता की हमारी न्यूनतम अपेक्षा का उल्लंघन करता है-एक

अपेक्षा "जो मौजूद है, और जिसे माना जाता है
उचित "।

(जोर दिया गया*)*

तीन साल पहले, रिले बनाम कैलिफोर्निया *7 1 (2014)* में, अदालत ने

सर्वसम्मति से यह अभिनिर्धारित किया गया कि वारंट रहित खोज और डिजिटल की जब्ती गिरफ्तारी के दौरान सेल फोन की सामग्री असंवैधानिक है। मुख्य न्यायाधीश

रॉबर्ट्स ने न्यायालय की राय दी और सेल फोन के युग में गोपनीयता पर प्रभाव पर टिप्पणी की:

भौतिक वास्तविकताएँ और एक सामान्य मामले के रूप में प्रवृत्त
गोपनीयता पर केवल एक संकीर्ण घुसपैठ का गठन करता है।

निजता पर हस्तक्षेप भौतिक रूप से सीमित नहीं है
जब सेल फोन की बात आती है। सेल फोन पर डेटा

यह भी बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ गया है। ऐतिहासिक स्थान

और किसी की विशिष्ट गतिविधियों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं
पल भर के लिए, न केवल शहर के आसपास बल्कि एक के भीतर भी

विशेष इमारत। सेल पर मोबाइल अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर

271 573 यूएस _ _ _ _ *(2014)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

फोन, या "ऐप्स", प्रबंधन के लिए कई उपकरण प्रदान करते हैं।
व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी।

आधुनिक सेल फोन केवल एक और तकनीकी नहीं हैं।

सुविधा। उनमें जो कुछ भी है और जो कुछ वे प्रकट कर सकते हैं,
वे कई अमेरिकियों के लिए "जीवन की गोपनीयता" रखते हैं। द.

तथ्य यह है कि प्रौद्योगिकी अब एक व्यक्ति को ऐसा ले जाने की अनुमति देती है
उसके हाथ में जानकारी किसी भी जानकारी को नहीं बनाती है

तलाशी लेने से पहले पुलिस को क्या करना चाहिए, इस सवाल का हमारा जवाब
गिरफ्तारी के लिए जब्त किए गए सेल फोन की घटना तदनुसार सरल है

(जोर दिया गया*)*

एक आदेश प्राप्त करें। "

ओबर्गेफेल बनाम होजेस *272* में, न्यायालय ने *5* में अभिनिर्धारित कियाः *4* यह निर्णय लें कि

शादी करने के मौलिक अधिकार की गारंटी समलैंगिक जोड़ों को दी जाती है।

नियत प्रक्रिया खंड और समान संरक्षण खंड दोनों चौदहवाँ संशोधन। न्यायमूर्ति कैनेडी ने बहुमत की
राय लिखी

(न्यायमूर्ति गिन्सबर्ग, ब्रेयर, सोटामेयर और कागन शामिल हुए*):*

"वास्तव में, न्यायालय ने नोट किया है कि यह विरोधाभासी होगा

अन्य मामलों के संबंध में निजता के अधिकार को मान्यता दें
पारिवारिक जीवन और प्रवेश करने के निर्णय के संबंध में नहीं

रिश्ता जो हमारे परिवार की नींव है

(जोर दिया गया*)*

समाज "।

निजता के अधिकार पर न्यायशास्त्र का विकास

संयुक्त राज्य अमेरिका से पता चलता है कि भले ही कोई स्पष्ट नहीं है

संविधान में 'निजता' शब्द का उल्लेख करते हुए देश की अदालतों ने न केवल विभिन्न संशोधनों के तहत निजता के अधिकार को मान्यता दी है

संविधान ने लेकिन गोपनीयता के अधिकार के तहत संरक्षण के दायरे को भी उत्तरोत्तर बढ़ाया। अपने शुरुआती वर्षों में, ध्यान संपत्ति और भौतिक स्थानों की सुरक्षा पर था जिन्हें निजी माना जाता था।

एक व्यक्ति के घर की तरह। यह 'अतिचार सिद्धांत' तब अप्रासंगिक हो गया जब यह माना गया कि निजता के अधिकार के तहत जो संरक्षित है वह "लोग हैं, स्थान नहीं"। गोपनीयता के अधिकार को विकसित करते समय 'गोपनीयता की उचित अपेक्षा' परीक्षण पर बाद में विभिन्न अन्य न्यायालयों द्वारा भरोसा किया गया है। 'व्यक्ति' में निजता के अधिकार का पता लगाने के बाद, निजता के अधिकार पर अमेरिकी न्यायशास्त्र विभिन्न प्रकार के संरक्षण के लिए विकसित हुआ है।

राज्य के हस्तक्षेप से किसी व्यक्ति के जीवन के निजी पहलू-जैसे

विवेक, शिक्षा, व्यक्तिगत जानकारी, संचार और

272 576 अमेरिका-*(2015)*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

बातचीत, कामुकता, विवाह, प्रजनन, गर्भनिरोधक, व्यक्तिगत

विश्वास, विचार और भावनाएँ, राजनीतिक और अन्य सामाजिक समूह। विभिन्न प्रकार के

न्यायालय के निर्णयों ने तकनीकी विकास का भी विश्लेषण किया है जिसने निगरानी को अधिक व्यापक बना दिया है और नागरिकों को प्रभावित किया है।

गोपनीयता। इन सभी मामलों में, न्यायालय ने हितों को संतुलित करने का प्रयास किया है - व्यक्ति के हित के साथ गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखने में

कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य। समलैंगिकों के बीच सहमति से यौन गतिविधि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और समान लिंग वाले जोड़ों को शादी करने के अधिकार की गारंटी देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से संकेत मिलता है कि निजता स्वतंत्रता और कानूनों के समान संरक्षण की संवैधानिक गारंटी के लिए आंतरिक है।

((iii) दक्षिण अफ्रीका में निजता का संवैधानिक अधिकार

दक्षिण अफ्रीका में निजता का अधिकार अनुभाग में निहित किया गया है।

14 1996 के संविधान में अधिकार विधेयक। धारा *14* में प्रावधान है किः

" 14. निजता. - हर किसी को निजता का अधिकार है, जिसमें शामिल हैं -

न होने का अधिकार

(क) उनके व्यक्ति या घर की तलाशी ली गई;

((ख) उनकी संपत्ति की तलाशी ली गई।
((ग) उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई हो; या

(घ) उनके संचार की गोपनीयता का उल्लंघन किया गया है।

नेशनल मीडिया लिमिटेड बनाम जूस्ट *27 (1996)* में, जस्टिस हार्म्स ने गोपनीयता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित कियाः

जिसे उनकी इच्छा है कि उन्हें निजी रखा जाए "
निजता के अधिकार के दायरे में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"निजता के अधिकार में यह निर्धारित करने की क्षमता शामिल है कि

निजी तथ्यों की नियति।
संबंधित व्यक्ति को इसकी सीमा निर्धारित करने का अधिकार है -

प्रकटीकरण।

273 1996 (3) एसए *262 (ए)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

प्रकटीकरण का उद्देश्य और विधि. कब और किन शर्तों के तहत निजी तथ्यों को सार्वजनिक किया जा सकता है। एक विपरीत

दृष्टिकोण व्यक्ति के तथाकथित दृष्टिकोण पर अनुचित प्रतिबंध लगाएगा।

"व्यक्तित्व के पूर्ण अधिकार "।

इसका मतलब यह भी होगा कि व्यक्तित्व के अधिकार वास्तविक या व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में निचले क्रम के हैं।

बर्नस्टीन बनाम बेस्टर और अन्य *274 (1996)* में, दक्षिण अफ्रीकी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ लोगों की संवैधानिकता को चुनौती देने का फैसला किया।

कंपनी अधिनियम की धाराएँ, इस आधार पर कि इन धाराओं के तहत परीक्षण व्यक्तिगत गोपनीयता के सामान्य अधिकार का उल्लंघन करता है *(धारा 13)*। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रावधान संविधान के उल्लंघन में नहीं थे। न्यायमूर्ति एकरमैन ने निजता की अवधारणा की व्याख्या इस प्रकार कीः

"निजता का दायरा पहचान की अवधारणा से निकटता से संबंधित रहा है और. *[वह]* अधिकार. *[है]* जो स्वयं की धारणा पर आधारित है, लेकिन इस धारणा पर कि क्या आवश्यक है

अपनी खुद की स्वायत्त पहचान रखें "।

न्यायालय ने कहा कि हर दूसरे अधिकार की तरह, निजता का अधिकार

इसकी भी अपनी सीमाएँ हैंः

"*[67]* निजता के संदर्भ में यह केवल एक व्यक्ति का आंतरिक पवित्र स्थान है, जैसे कि उसका पारिवारिक जीवन, यौन वरीयता और घर।
पर्यावरण, जो समुदाय के परस्पर विरोधी अधिकारों द्वारा क्षरण से सुरक्षित है। इसका तात्पर्य यह है कि सामुदायिक अधिकार और साथी सदस्यों के अधिकार एक नागरिक पर एक संबंधित दायित्व रखते हैं, जिससे व्यक्तिवाद की अमूर्त धारणा को आकार मिलता है।

नागरिक समाज के एक ठोस सदस्य की पहचान करना। गोपनीयता है
वास्तव में व्यक्तिगत क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है, लेकिन जैसे-जैसे एक व्यक्ति सांप्रदायिक संबंधों और व्यावसायिक और सामाजिक संपर्क जैसी गतिविधियों में आगे बढ़ता है, व्यक्तिगत स्थान का दायरा तदनुसार सिकुड़ जाता है।

समलैंगिकता को अपराध बनाने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता को समलैंगिक और समलैंगिक समानता के लिए राष्ट्रीय गठबंधन *v* में चुनौती दी गई थी।

न्याय मंत्री *2 75 (1999)*। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य कानून अपराध
सोडोमी दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, *1996* के संविधान के साथ असंगत था। एकरमैन जे. ने बताया कि कैसे भेदभाव के कारण

गोपनीयता पर आक्रमण और यह अभिनिर्धारित किया किः

274 1996 (2) एसए *751 (*सीसी*)*

275 1999 (1) एसए *6 (*सीसी*)*

1

"निजता यह मानती है कि हम सभी को निजी क्षेत्र का अधिकार है।
अंतरंगता और स्वायत्तता जो हमें स्थापित करने और पोषित करने की अनुमति देती है

कामुकता, हम सहमति से और एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए बिना कार्य करते हैं,
उस परिसर का आक्रमण हमारी निजता का उल्लंघन होगा।

जे. सैक्स ने समानता और गोपनीयता के बीच अंतर्संबंध पर चर्चा की

और माना किः

"..... समानता और गोपनीयता को अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे हैं
दोनों ने समलैंगिकता विरोधी कानूनों का एक साथ उल्लंघन किया। वर्तमान में

इस मामले में, ऐसे कानून अंतर के लिए समान सम्मान से इनकार करते हैं, जो

समानता का दिल, और आक्रमण का आधार बन जाता है

गोपनीयता। एक ही समय में, विभिन्न की स्थिति द्वारा निषेध

अंतरंग व्यक्तिगत व्यवहार के रूप इसकी नींव बन जाते हैं
समानता का खंडन "।

'स्वायत्तता' के अर्थ पर, न्यायालय ने कहा किः

जगह का लिफाफा जिसमें एक सामाजिक रूप से अलग व्यक्ति
राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। क्या है जरूरी

यह गतिविधि की प्रकृति है, न कि इसका स्थल। पहचानते हुए

प्रत्येक व्यक्ति का विशिष्ट मूल्य, संविधान में नहीं है

मान लीजिए कि अधिकारों का धारक एक अलग-थलग, अकेला और

अमूर्त आकृति जिसमें एक विघटित और सामाजिक रूप से विच्छेदित व्यक्ति होता है

स्वयं। यह स्वीकार करता है कि लोग अपने शरीर में रहते हैं, उनके
समुदाय, उनकी संस्कृतियाँ, उनके स्थान और उनका समय।

..... यह राज्य को चुनने या व्यवस्था करने के लिए नहीं है
भागीदार, लेकिन भागीदारों के लिए खुद को चुनने के लिए।

(जोर दिया गया*)*

न्यायमूर्ति सैक्स ने कहा कि मूल भाव जो समानता को जोड़ता है और एकजुट करता है

और गोपनीयता, और जो अधिकारों के विधेयक द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के माध्यम से सही चलती है, गरिमा है।

जाँच निदेशालय में: गंभीर अपराध बनाम हुंडई

मोटर डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड *2% (2001),* न्यायालय से संबंधित था राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण के प्रावधानों की संवैधानिकता

276 2001 (1) एसए *545 (*सीसी*)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अधिनियम जो "प्रारंभिक जाँच" के उद्देश्यों के लिए तलाशी और जब्ती के वारंट जारी करने को अधिकृत करता है।

न्यायमूर्ति लंगा ने न्यायिक व्यक्तियों की निजता के अधिकार पर निर्णय दिया और कहा कि:

'..... निजता एक ऐसा अधिकार है जो मनुष्य के जीवन के अंतरंग व्यक्तिगत क्षेत्र के जितना करीब जाता है उतना ही अधिक तीव्र हो जाता है, और जैसे-जैसे यह उस मूल से दूर जाता है उतना ही कम तीव्र होता जाता है। यह समझ

सही प्रवाह का. मानव गरिमा पर रखे गए मूल्य से
संविधान। न्यायविद व्यक्ति मानवीय गरिमा के वाहक नहीं होते हैं। इसलिए, उनके गोपनीयता अधिकार कभी भी मनुष्यों की तरह तीव्र नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायिक व्यक्ति

निजता के अधिकार द्वारा संरक्षित नहीं हैं। न्यायिक व्यक्तियों के बहिष्करण से हमारे समाज में गोपनीयता के गंभीर उल्लंघन की संभावना पैदा होगी, जिससे मामलों के संचालन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

व्यक्ति और व्यक्ति के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना।

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

" [54] ..... एक के संदर्भ में खोज और जब्ती के प्रावधान

प्रारंभिक जाँच, लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है
अपराध के खिलाफ। कि राज्य का एक महत्वपूर्ण हित है जिसमें शामिल है

समूचे समुदाय की सुरक्षा और स्वतंत्रता इससे परे है।

सवाल करते हैं। यह एक ऐसा उद्देश्य है जिसे उचित ठहराने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है

किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार की सीमा

परिस्थितियाँ। दूसरी ओर, राज्य के अधिकारी इसके हकदार नहीं हैं।

उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के परिसरों पर आक्रमण करने के लिए उचित कारण के बिना

संपत्ति की खोज और जब्त करना; इसलिए एक शेष राशि होनी चाहिए।

व्यक्ति और उसके हितों के बीच समझौता किया जाए
राज्य का, एक ऐसा कार्य जो जांच के केंद्र में है

अधिकारों की सीमा "।

(जोर दिया गया*)*

गृह मंत्री और एक अन्य बनाम फ़ूरी और

एक और *277 (2006),* दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय ने फैसला सुनाया।

सर्वसम्मति से कि समान लिंग वाले जोड़ों को शादी करने का संवैधानिक अधिकार है। न्यायमूर्ति सैक्स द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया हैः

"संविधान की धारा *9 (1)* में कहा गया हैः सब लोग पहले बराबर हैं।

कानून और उसे समान संरक्षण और लाभ का अधिकार है

कानून "। .....

277 2006 (1) एसए *524 (*सीसी*)*।

धारा *9 (1)* और *9 (3)* को केवल उसी की रक्षा करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

समलैंगिक जोड़े बिना किसी हस्तक्षेप के एक साथ रह सकते हैं
राज्य। वास्तव में, इस मामले में आवेदक क्या चाहते हैं

अकेला रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि रहने का अधिकार है

समान के रूप में स्वीकार किया जाता है और गरिमा के साथ अपनाया जाता है

कानून द्वारा।

गोद लेने वाले माता-पिता के लिए यह सुझाव देना अपमानजनक है कि उनके
परिवार एक परिवार से कम है और सम्मान का कम हकदार है।

और पैदा हुए बच्चों वाले परिवार की तुलना में चिंता का विषय है। यह है।

यहाँ तक कि एक जोड़े का अपमान करना जो स्वेच्छा से नहीं करने का फैसला करते हैं

एक दूसरे के साथ बच्चे या यौन संबंध रखें; यह
पूरी तरह से उनके संरक्षित क्षेत्र के भीतर एक निर्णय होने के नाते

स्वतंत्रता और गोपनीयता "।

(जोर दिया गया*)*

एनएम और अन्य बनाम स्मिथ और अन्य *278 (2007)* में, के नाम

एक जीवनी में एच. आई. वी. पॉजिटिव तीन महिलाओं का खुलासा किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पूर्व सहमति के बिना प्रकाशन ने उल्लंघन किया गोपनीयता, गरिमा और मनोवैज्ञानिक अखंडता के उनके अधिकार। न्यायालय द्वारा

निजता और गोपनीयता के मूल्य के आधार पर बहुमत का निर्णय चिकित्सा जानकारी में और यह माना गया किः

"निजी और गोपनीय चिकित्सा जानकारी में अत्यधिक जानकारी होती है।

व्यक्तियों के बारे में संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी। व्यक्तिगत

और किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य जानकारी की अंतरंग प्रकृति, इसके विपरीत

प्रलेखन के अन्य रूप, नाजुक निर्णयों को दर्शाते हैं और

शारीरिक और मनोवैज्ञानिक से संबंधित मुद्दों से संबंधित विकल्प

अखंडता और व्यक्तिगत स्वायत्तता।
व्यक्ति गोपनीय चिकित्सा जानकारी की गोपनीयता को महत्व देते हैं

लोगों की विशाल संख्या के कारण जिनकी पहुंच हो सकती थी

जानकारी और संभावित हानिकारक प्रभाव जो इसके परिणामस्वरूप हो सकते हैं

प्रकटीकरण से। निजी चिकित्सा जानकारी के लिए सम्मान की कमी

और इसके बाद के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप खतरे का भय हो सकता है
व्यक्ति को कुछ बुनियादी विकल्प चुनने का अधिकार है कि वह

278 2007 (5) एसए *250 (*सीसी*)*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

करने का अधिकार है। इसलिए गोपनीयता बनाए रखने में एक मजबूत गोपनीयता हित है "।

न्यायालय का निर्णय था कि एक सामाजिक दबाव होना चाहिए

निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और इस मामले में ऐसा कोई बाध्यकारी सार्वजनिक हित नहीं था।

असहमत राय में, न्यायमूर्ति ओ 'रेगन ने माना कि प्रकाशन

महिलाओं के नाम और एच. आई. वी. की स्थिति न तो जानबूझकर थी और न ही

लापरवाही। उस दृष्टिकोण से, उत्तरदाताओं ने मान लिया था कि सहमति थी क्योंकि आवेदकों के नाम और एच. आई. वी. की स्थिति एक प्रकाशन में प्रकाशित की गई थी, इसके विपरीत उनकी सहमति के बारे में कोई अस्वीकरण नहीं था।

निजता के संवैधानिक अधिकार के बारे में विस्तार से बताते हुए अदालत ने कहा कि वह:

"..... यद्यपि मनुष्य के रूप में हम एक समुदाय में रहते हैं और वास्तविक अर्थों में उस समुदाय द्वारा गठित और उसके द्वारा गठित दोनों हैं, फिर भी हम एक व्यक्तिगत क्षेत्र के हकदार हैं जिससे हम उस समुदाय को बाहर कर सकते हैं और कर सकते हैं। उस व्यक्तिगत क्षेत्र में, हम अंतरंग मानवीय संबंधों को स्थापित और बढ़ावा देते हैं और अपना दैनिक जीवन जीते हैं।

जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र जिसमें हमारे अपने उद्देश्यों और हितों का पीछा करना है

हमारे अपने तरीकों से, हालांकि अक्सर सांसारिक, अत्यंत महत्वपूर्ण है

जो मानव जीवन को सार्थक बनाता है।

निर्णय के अनुसार, निजता के संवैधानिक संरक्षण के लिए दो अंतर-संबंधित कारण हैं-एक "संवैधानिक" से प्रवाहित होता है।

इस बात की अवधारणा कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है और दूसरा

"राज्य की संवैधानिक अवधारणा":

"गोपनीयता के *[पहले]* पहलू का एक अंतर्निहित हिस्सा यह चुनने का अधिकार है कि हमारी कौन सी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक स्थान पर जारी की जाती है। वह जानकारी जितनी अधिक अंतरंग होगी, उतनी ही अधिक

यह गोपनीयता, गरिमा और स्वायत्तता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है।

..... दूसरा, हम गोपनीयता को एक आवश्यक भाग के रूप में महत्व देते हैं। लोकतांत्रिक समाज और राज्य की शक्ति पर एक बाधा के रूप में। सत्तावादी समाजों में, राज्य आम तौर पर इस तरह की सुरक्षा का खर्च वहन नहीं करता है। लोगों और घरों में अक्सर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों की नियमित रूप से खोज की जाती है।

और एक निजी स्थान की संभावना जहाँ से राज्य हो सकता है

बहिष्कृत को अक्सर अस्वीकार कर दिया जाता है। इसका परिणाम स्वतंत्रता से इनकार है।

और मानव गरिमा। लोकतांत्रिक समाजों में इसकी अनुमति नहीं है।

(जोर दिया गया*)*

निजता के अधिकार की सीमाएँ और इसे संतुलित करने की आवश्यकता

अन्य अधिकार निम्नलिखित टिप्पणियों से उभरते हैं:

"व्यक्तिगत अनुल्लंघनीयता पर वैध सीमाओं की मान्यता

हालाँकि, स्थान का मतलब यह नहीं है कि स्थान इसके योग्य नहीं है

संरक्षण। संविधान यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अधिकारों का सुदृढ़ीकरण हो।

मानव को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे को रचनात्मक तरीके से

आम तौर पर अधिकार। कभी-कभी हमारा संविधान यह मानता है कि एक संतुलन

विभिन्न अधिकारों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए खोजना होगा।

निजता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अधिकार के बीच अंतर-संबंध पर

गरिमा, न्यायालय ने कहा कि:

"निजता का अधिकार सुरक्षा के महत्व को पहचानता है

जनता से हमारे व्यक्तिगत दैनिक जीवन का क्षेत्र। ऐसा करते हुए, यह

निजता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बीच अंतर-संबंध पर प्रकाश डालता है।

प्रमुख संवैधानिक अधिकारों के रूप में गरिमा जो हमारा निर्माण करती है

यह समझना कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है। सभी

इसलिए ये अधिकार परस्पर निर्भर और परस्पर हैं।

सुदृढ़ीकरण। हम गोपनीयता को इस कारण से महत्व देते हैं कि कम से कम
मनुष्य होने की संवैधानिक अवधारणा जोर देती है और चाहती है

मनुष्यों के जीने का तरीका चुनने की संभावना को बढ़ावा देने के लिए

एक व्यापक समुदाय के समग्र ढांचे के भीतर रहता है।

(जोर दिया गया*)*

दक्षिण अफ्रीका के अंतरिम और अंतिम संविधान में शामिल हैं -

निजता के अधिकार की गारंटी देने वाले स्पष्ट प्रावधान। दक्षिण के न्यायाधीश अफ्रीकी सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार को एक विस्तृत अर्थ दिया है,

समानता, गोपनीयता और गरिमा के बीच महत्वपूर्ण अंतर-संबंध बनाना। ऐसा करने में, यह स्वीकार किया गया है कि निजता का अधिकार शून्य में मौजूद नहीं है, इसके उल्लंघन का अन्य नागरिक अधिकारों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस तरह की व्याख्या उत्प्रेरक साबित हो सकती है एक रंगभेद राज्य से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में संक्रमण करने वाले देश पर प्रभाव।

(iv) कनाडा में निजता का संवैधानिक अधिकार

हालाँकि *1982* का कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

(" चार्टर *")* स्पष्ट रूप से गोपनीयता के अधिकार के लिए प्रदान नहीं करता है, चार्टर की कुछ धाराओं पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया है

कनाडा ने निजता के अधिकार को मान्यता दी। विशेष रूप से, धारा *8279 (*अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन का कनाडाई संस्करण*)* है

इस संबंध में काम किया गया है। चार्टर की धारा *7280* के संबंध में गोपनीयता के मुद्दों को भी मान्यता दी गई है। *1983* में, गोपनीयता अधिनियम था

संघीय सरकार व्यक्तिगत जानकारी कैसे एकत्र करती है, उपयोग करती है और प्रकट करती है, इसे विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया। *28* व्यक्तिगत सूचना संरक्षण और

इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ अधिनियम *(*पी. आई. पी. ई. डी. ए.*)* निजी क्षेत्र को नियंत्रित करता है

संगठन पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते हैं, उपयोग करते हैं और प्रकट करते हैं।

व्यावसायिक गतिविधियाँ

निजता के अधिकार पर ऐतिहासिक मामलों में से एक हंटर बनाम था

साउथम इंक *82 (1984)*। यह कनाडा का पहला सर्वोच्च न्यायालय भी था।

चार्टर की धारा *8* पर विचार करने का निर्णय। इस मामले में, संयोजन

जांच अधिनियम ने कई सिविल सेवकों को साउथम इंक के कार्यालयों में प्रवेश करने और दस्तावेजों की जांच करने के लिए अधिकृत किया था। कंपनी का दावा है कि अधिनियम ने कनाडाई चार्टर की धारा *8* का उल्लंघन किया। न्यायालय ने सर्वसम्मति से कहा कि संयुक्त जांच अधिनियम ने चार्टर का उल्लंघन किया है क्योंकि यह वारंट के प्रशासन के लिए एक उपयुक्त मानक प्रदान नहीं करता है।

जे. डिक्सन ने न्यायालय की राय लिखी और कहा कि

कनाडाई चार्टर एक "उद्देश्यपूर्ण दस्तावेज" है जिसका उद्देश्य "तर्क की सीमाओं के भीतर, अधिकारों और स्वतंत्रताओं के आनंद की गारंटी और रक्षा करना" और उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के साथ असंगत सरकारी कार्रवाई को बाधित करना है। न्यायालय ने कहा कि चूंकि धारा *8* एक मजबूत संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए यह "उसी तरह विधायी अधिनियमों द्वारा अतिक्रमण के लिए असुरक्षित नहीं है

सामान्य कानून सुरक्षा के रूप में "।

279 चार्टर की धारा *8* इस प्रकार प्रदान करती हैः हर किसी को अनुचित तलाशी या जब्ती से सुरक्षित रहने का अधिकार है।

280 कनाडाई चार्टर की धारा *7* व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा से संबंधित है और कहती है किः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है और मौलिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार छोड़कर उससे वंचित नहीं होने का अधिकार है।

281 लैविग्ने वी। कनाडा *(*आधिकारिक भाषाओं के आयुक्त का कार्यालय*), [2002] 2* एससीआर *773*, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता अधिनियम को "अर्ध-संवैधानिक" स्थिति के रूप में मान्यता दी, क्योंकि यह "संविधान में निर्धारित मूल्यों और अधिकारों से निकटता से जुड़ा हुआ है"। अदालत ने यह भी कहा कि "गोपनीयता अधिनियम इस बात की याद दिलाता है कि एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज के संरक्षण के लिए गोपनीयता की सुरक्षा किस हद तक आवश्यक है"।

282 [1984] 2 एससीआर *145 [2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा *8* का उद्देश्य एक

व्यक्ति की निजता की लेकिन निजता के अधिकार की उचित अपेक्षा होनी चाहिए

कानून को लागू करने के लिए सरकार के कर्तव्य के खिलाफ संतुलित रहें। यह था। आगे कहा गया किः

"अनुचित तलाशी और जब्ती से सुरक्षा की गारंटी

केवल एक उचित अपेक्षा की रक्षा करता है। दाहिनी ओर यह सीमा

एस द्वारा गारंटीकृत। *8*, क्या इसे स्वतंत्रता के रूप में नकारात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है

"अनुचित" खोज और जब्ती से, या सकारात्मक रूप से

निजता की "उचित" अपेक्षा की पात्रता, इंगित करती है
कि एक मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या एक विशेष में

सरकार द्वारा अकेले छोड़े जाने में जनता के हित की स्थिति

घुसपैठ करने में सरकार के हित को रास्ता देना चाहिए

अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गोपनीयता, विशेष रूप से

कानून प्रवर्तन "।

महामहिम में, द क्वीन बनाम ब्रैंडन रॉय डायमेंट *283 (1988),*

एक रोगी राजमार्ग पर दुर्घटना का शिकार हो गया था। एक डॉक्टर ने एक

उसके घाव से खून का नमूना। रक्त का नमूना चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिया गया था लेकिन एक पुलिस अधिकारी को दिया गया था। एक विश्लेषण के परिणामस्वरूप

पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया, रोगी पर विकलांग होने का आरोप लगाया गया था

चार्टर की धारा *8* का उल्लंघन था और चार्टर की भावना को संकीर्ण कानूनी वर्गीकरणों द्वारा बाधित नहीं किया जाना चाहिए। संपत्ति की धारणाओं पर आधारित "। यह आगे आयोजित किया गया थाः

घर का। लेकिन. *[टी]* केवल घर में गोपनीयता की रक्षा करना है।
आश्रय देने के लिए जो बन गया है, आधुनिक समाज में, केवल एक छोटा सा

व्यक्ति की दैनिक पर्यावरणीय आवश्यकता का हिस्सा
गोपनीयता।

गोपनीयता आधुनिक युग में स्वतंत्रता के केंद्र में है।

केवल इसी कारण से यह संवैधानिक संरक्षण के योग्य है।
लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भी इसका गहरा महत्व है।

जीवन में घुसने के लिए सरकार पर लगाए गए प्रतिबंध

नागरिक एक लोकतांत्रिक राज्य के सार तक जाते हैं।

(जोर दिया गया*)*

283 [1988] 2 एस. सी. आर. *417* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"निजता की यह धारणा इस धारणा से उत्पन्न होती है कि किसी व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी मौलिक रूप से उसकी अपनी है, क्योंकि
उसे संवाद करने या अपने लिए बनाए रखने के लिए जैसा वह उचित समझता है।

आधुनिक समाज में, विशेष रूप से, अपने बारे में जानकारी को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। हम किसी न किसी कारण से चाह सकते हैं

या ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत हैं

जहाँ व्यक्ति की उचित अपेक्षाएँ हैं कि जानकारी उन व्यक्तियों के लिए गोपनीय रहेगी जिनके लिए, और

जिन उद्देश्यों के लिए इसका खुलासा किया गया है, उन तक ही सीमित होना चाहिए

संरक्षित "।

न्यायमूर्ति ला फॉरेस्ट ने सहमति के महत्व पर लिखा और कहा कि "किसी व्यक्ति के शरीर का उपयोग उसकी सहमति के बिना जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

उसके बारे में, उसकी मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत गोपनीयता के क्षेत्र पर आक्रमण करता है।

अदालत ने पाया कि रोगी के पास एक "अच्छी तरह से स्थापित" था और

"गोपनीयता की उचित "अपेक्षा कि उसके रक्त का नमूना, द्वारा एकत्र किया गया

डॉक्टर का उपयोग केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और यह कि इस तरह की अपेक्षा "लोगों की रक्षा करने के लिए है न कि चीजों की"। यह माना गया था किः "हालाँकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी को, शायद कुछ उद्देश्यों के लिए, एक नमूने के लिए निहित रूप से सहमति दी गई मानी जा सकती है।

चिकित्सा उद्देश्यों के लिए लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद को बनाए रखा कि नमूने में उनकी गोपनीयता रुचि इसके लेने के समय से आगे भी जारी रहेगी।

इन परिस्थितियों में, नमूना गोपनीयता की एक आभा से घिरा हुआ था जो चार्टर संरक्षण के योग्य था। राज्य के लिए इसे एक रोगी के उल्लंघन में लेने के लिए

निजता का अधिकार एस के उद्देश्यों के लिए एक जब्ती का गठन करता है। *8."* आर. वी. प्लांट *284 (1993)* चार्टर के तहत व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा पर कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रमुख निर्णय है। में।

इस मामले में, एक पुलिस अधिकारी ने इस जानकारी के आधार पर कि एक क्षेत्र में मारिजुआना उगाया जा रहा था, विद्युत उपयोगिता के कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग किया और पाया कि एक विशेष घर बहुत अधिक मात्रा में बिजली की खपत कर रहा था। दो अधिकारियों ने तब संपत्ति की वारंट रहित परिधि की तलाशी ली और देखा कि तहखाने की खिड़कियां

कुछ अपारदर्शी से ढके हुए थे और एक कि एक वेंट को अवरुद्ध कर दिया गया था प्लास्टिक बैग का उपयोग करें। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

घर की तलाशी लेने के लिए एक वारंट जारी किया गया और सौ से अधिक बीज वाले मारिजुआना के पौधे पाए गए। आरोपी पर गांजा की खेती करने का आरोप लगाया गया था

और तस्करी के उद्देश्य से कब्जा। सवाल यह था कि क्या

उनके घर की वारंट रहित परिधि तलाशी और बिजली की खपत के रिकॉर्ड की जब्ती ने अनुचित तलाशी के खिलाफ उनके अधिकार का उल्लंघन किया और

चार्टर की धारा *8* के तहत जब्ती।

न्यायमूर्ति सोपिंका द्वारा दिया गया निर्णय संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम मिलर *285* निर्णय के एक हिस्से पर निर्भर था, जो संवैधानिक रूप से होना चाहिए।

संरक्षित जानकारी "व्यक्तिगत और गोपनीय" प्रकृति की होनी चाहिए।

और माना किः

स्वायत्तता, यह उपयुक्त है कि एस। *8* चार्टर को व्यक्तिगत जानकारी के एक जीवनीगत मूल की रक्षा करने की कोशिश करनी चाहिए जो एक
स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज इसे बनाए रखना और नियंत्रित करना चाहेगा

राज्य में प्रसार से। इसमें ऐसी जानकारी शामिल होगी जो जीवन शैली और व्यक्तिगत जीवन के अंतरंग विवरणों को प्रकट करती है।

व्यक्ति की पसंद "।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिधि तलाशी ने चार्टर का उल्लंघन किया और उपभोग रिकॉर्ड की जब्ती धारा *8* का उल्लंघन नहीं थी। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि बिजली का स्वरूप

कंप्यूटर जांच के परिणामस्वरूप प्रकट हुई खपत को अंतरंग विवरण प्रकट करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि "बिजली की खपत से पता चलता है

कनाडाई चार्टर की धारा *8* के तहत निजता की उचित अपेक्षा के आरोपी के अधिकार का उल्लंघन है। निजता की उचित अपेक्षा पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिस्थितियों की समग्रता पर गोपनीयता की व्यक्तिपरक अपेक्षा के अस्तित्व दोनों पर विशेष जोर देने के साथ विचार करने की आवश्यकता है, और

अपेक्षा की वस्तुनिष्ठ तर्कसंगतता। अदालत ने फैसला सुनाया कि

गोपनीयता हितों के मामले *(*कनाडाई चार्टर की धारा *8* द्वारा संरक्षित*)*

व्यक्तिगत गोपनीयता, क्षेत्रीय गोपनीयता के बीच अंतर करने की आवश्यकता है और सूचनात्मक गोपनीयता "।

285 425 यूएस *435 (1976)*

286 (2004) एस. सी. सी. *67* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

न्यायालय ने न्यायमूर्ति सोपिंका की गुंजाइश की समझ पर भरोसा किया

आर. वी. प्लांट *(*ऊपर*)* में सूचनात्मक गोपनीयता के संरक्षण के बारे में और यह अभिनिर्धारित किया कि एफ. एल. आई. आर. इमेजिंग द्वारा उत्पन्न जानकारी से एक का पता नहीं चलता है।

"व्यक्तिगत जानकारी का जीवनी संबंधी मूल "या" *[*उसके*]* अंतरंग विवरण "

जीवन शैली ", और इसलिए धारा *8* का उल्लंघन नहीं किया गया था।

आर बनाम स्पेंसर *287 (2014)* में निर्णय सूचनात्मक से संबंधित था।

गोपनीयता। इस मामले में, अपीलार्थी ने डाउनलोड करने के लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया

एक कंप्यूटर पर बाल पोर्नोग्राफी और इसे सार्वजनिक रूप से साझा किया। पुलिस ने

से आई. पी. पते से जुड़ी अभिदाता जानकारी का अनुरोध किया गया अपीलार्थी के इंटरनेट सेवा प्रदाता ने और उसके आधार पर, उसके द्वारा उपयोग किए गए कंप्यूटर की खोज की। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि आईपी पते के लिए अनुरोध चार्टर की गारंटी का उल्लंघन करता है।

अनुचित तलाशी और जब्ती के खिलाफ। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी को निजता की उचित अपेक्षा थी। ऐसा करते हुए, इसने मूल्यांकन किया कि क्या "परिस्थितियों की समग्रता" में "गोपनीयता की उचित अपेक्षा" है, जिसमें "गोपनीयता हितों की प्रकृति" शामिल है।

राज्य की कार्रवाई "और" उन हितों के संबंध में, व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों रूप से देखी जाने वाली गोपनीयता की अपेक्षा से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित कारकों "द्वारा निहित। यह आगे आयोजित किया गया थाः

"..... कारक जिन पर उचित मूल्यांकन में विचार किया जा सकता है

निजता की अपेक्षा को चार मुख्य शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

विश्लेषणात्मक सुविधा के लिएः *(1)* अभियुक्त का विषय

गोपनीयता की बात निष्पक्ष रूप से उचित थी, जिसे ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों की समग्रता "।

(जोर दिया गया*)*

मामले में मुद्दा यह था कि क्या इसमें गोपनीयता का हित है

घरों में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों के संबंध में अभिदाता जानकारी

निजी उद्देश्य। न्यायालय ने समझ में एक व्यापक दृष्टिकोण लागू किया

ऑनलाइन गोपनीयता हितों और यह माना गया किः

"निजता निश्चित रूप से एक "व्यापक और कुछ हद तक लुप्तप्राय" है।
अवधारणा ". अदालत ने गोपनीयता के तीन व्यापक प्रकारों का वर्णन किया है।

हित-क्षेत्रीय, व्यक्तिगत और सूचनात्मक-जो, जबकि
अक्सर अतिव्यापी, प्रकृति की पहचान करने में सहायक साबित हुए हैं

विशेष स्थितियों में गोपनीयता हित या हित दांव पर लगे हुए हैं।

287 (2014) एससीसी *43*

.

[2017] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय ने पाया कि निजी तौर पर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर से संबंधित अभिदाता जानकारी में अपीलार्थी की गोपनीयता रुचि की प्रकृति मुख्य रूप से थी

एक सूचनात्मक और आयोजितः

"..... इंटरनेट के उपयोग से जुड़े व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए
इससे परे गोपनीयता हित को जन्म देने के रूप में पहचाना जाए

व्यक्ति के नाम, पते और टेलीफोन नंबर में निहित

अभिदाता की जानकारी में "।

इसके बाद इसने सूचनात्मक गोपनीयता के तीन प्रमुख तत्वों को निर्धारित कियाः गोपनीयता गोपनीयता के रूप में, गोपनीयता नियंत्रण के रूप में और गोपनीयता गुमनामी के रूप में। यह आगे

विशेष रूप से इंटरनेट के युग में सूचनात्मक गोपनीयता में गुमनामी के महत्व पर जोर दिया और कहा किः

..... गुमनामी, परिस्थितियों की समग्रता के आधार पर,

एक गोपनीयता हित की नींव हो जो अनुचित खोज और जब्ती के खिलाफ संवैधानिक संरक्षण को संलग्न करता है।

हालांकि अदालत ने नाम न छापने के पूर्ण अधिकार को मान्यता देना बंद कर दिया, लेकिन यह माना कि "अनाम इंटरनेट गतिविधि एक उच्च स्तर को संलग्न करती है। सूचनात्मक गोपनीयता का स्तर "।
न्यायालय ने आगे कहा किः

"इस जानकारी का खुलासा अक्सर होगा

अंतरंग या संवेदनशील गतिविधियों वाले उपयोगकर्ता की पहचान

ऑनलाइन किया जाता है, आमतौर पर इस समझ पर कि ये गतिविधियाँ गुमनाम होंगी। एक पुलिस अधिकारी का अनुरोध है कि एक आई. एस. पी.

स्वैच्छिक रूप से ऐसी जानकारी का खुलासा करना एक खोज के बराबर है।

कनाडाई सर्वोच्च न्यायालय ने चार्टर के प्रावधानों का उपयोग गोपनीयता के अधिकार के दायरे का विस्तार करने के लिए किया है, जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से व्यक्तियों को उनके संपत्ति अधिकारों के आक्रमण से बचाने के लिए किया जाता है। "निजता की उचित अपेक्षा "। निजता का अधिकार रखा गया है

केवल एक भौतिक अधिकार से अधिक होना क्योंकि इसमें किसी की पहचान के बारे में जानकारी में गोपनीयता शामिल है। सूचनात्मक गोपनीयता अक्सर है चार्टर की धारा *8* के तहत संबोधित किया गया। कनाडाई गोपनीयता

प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के आगमन के साथ न्यायशास्त्र का विकास हुआ है। न्यायिक निर्णयों का इंटरनेट/डिजिटल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

गोपनीयता।

(v) मानवाधिकारों पर यूरोपीय समझौते के तहत गोपनीयता

और यूरोपीय चार्टर

यूरोप में न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* को सुनिश्चित करने के लिए दो अलग लेकिन संबंधित ढांचे हैं।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

निजता के अधिकार की रक्षा करना। पहला मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन *(*ईसीएचआर*)* है, जो मानव संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।

यूरोप में अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ। दूसरा यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों का चार्टर *(*सी. एफ. आर. ई. यू.*)* है, जो यूरोपीय संघ के लिए कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली संधि है।

संघ। ई. सी. एच. आर. *("*कन्वेंशन*")* के तहत, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय *(*ई. सी. टी. एच. आर.*)*, जिसे "स्ट्रासबर्ग कोर्ट" के रूप में भी जाना जाता है, एक न्यायनिर्णायक निकाय है, जो हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर व्यक्तियों की शिकायतों की सुनवाई करता है। इसी तरह, सी. एफ. आर. ई. यू. *("*चार्टर*")* के तहत, यूरोपीय संघ का न्याय न्यायालय *(*सी. जे. ई. यू.*)*, जिसे यूरोपीय संघ भी कहा जाता है

'लक्समबर्ग कोर्ट ', यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायिक प्राधिकरण है।

और यूरोपीय संघ के समान अनुप्रयोग और व्याख्या की देखरेख करता है कानून, सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय न्यायपालिका के साथ सहयोग में।

ई. सी. एच. आर. के अनुच्छेद *8* में कहा गया हैः

"निजी और पारिवारिक जीवन का सम्मान करने का अधिकार

1. हर किसी को अपने निजी और पारिवारिक जीवन का सम्मान करने का अधिकार है।

2. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा
इस अधिकार का प्रयोग उन अधिकारों को छोड़कर जो कानून के अनुसार हैं और एक लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा या देश के आर्थिक कल्याण के हित में, अव्यवस्था या अपराध की रोकथाम के लिए, स्वास्थ्य या नैतिकता की सुरक्षा के लिए, या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

चार्टर के तहत, प्रासंगिक प्रावधान हैंः

अनुच्छेद *7*

निजी और पारिवारिक जीवन का सम्मान करें

हर किसी को अपनी निजी और परिवार का सम्मान करने का अधिकार है।

जीवन, घर और संचार।

अनुच्छेद *8* व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा

1. हर किसी को व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार है

उसके बारे में।

2. इस तरह के डेटा को निर्दिष्ट उद्देश्यों और *[2017] 10* एस. सी. आर. के लिए निष्पक्ष रूप से संसाधित किया जाना चाहिए।

संबंधित व्यक्ति या कुछ की सहमति के आधार पर

कानून द्वारा निर्धारित अन्य वैध आधार। हर किसी को अधिकार है कि
उसके बारे में एकत्र की गई जानकारी तक पहुंच,

और इसे सुधारने का अधिकार।

3. इन नियमों का पालन एक नियंत्रण के अधीन होगा

स्वतंत्र प्राधिकारी।

अनुच्छेद *52* गारंटीकृत अधिकारों का दायरा

1. अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग पर कोई सीमा

इस चार्टर द्वारा मान्यता प्राप्त कानून द्वारा प्रदान की जानी चाहिए और उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के सार का सम्मान किया जाना चाहिए। आनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन, सीमाएँ केवल तभी बनाई जा सकती हैं जब वे
आवश्यक और वास्तविक रूप से सामान्य हितों के उद्देश्यों को पूरा करना

संघ द्वारा अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई और

2. इस चार्टर द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार जो सामुदायिक संधियों या यूरोपीय संघ पर संधि पर आधारित हैं द्वारा परिभाषित
शर्तों के तहत और सीमाओं के भीतर प्रयोग किया गया

उन संधियों।

3. जहाँ तक इस चार्टर में ऐसे अधिकार हैं जो इसके अनुरूप हैं -

मानव संरक्षण संधि द्वारा गारंटीकृत अधिकार

अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ, इसका अर्थ और दायरा
वे अधिकार वही होंगे जो उक्त समझौते द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यह प्रावधान संघ के कानून को प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

अधिक व्यापक संरक्षण।
अनुच्छेद *52 (3)* ईसीएचआर को न्यूनतम मानक के रूप में प्रदान करता है -

यूरोपीय संघ में मानवाधिकार। इस प्रकार अनुच्छेद *52 (3)* ई. यू. को अप्रत्यक्ष रूप से ई. सी. एच. आर. द्वारा बाध्य होने की ओर ले जाता है क्योंकि प्रतिबंध लगाते समय इसका हमेशा पालन किया जाना चाहिए। यूरोपीय संघ में मौलिक अधिकार। इसके अलावा, पूर्व-चार्टर युग में, गोपनीयता की सुरक्षा को स्ट्रासबर्ग में ईसीटीएचआर द्वारा कला की व्याख्या के अनुरूप गोपनीयता के अधिकार का हिस्सा माना गया था। *8* ई. सी. एच. आर. का अब तक का *88*

288 जे मैकबी बनाम एलई, केस सी-*400/10* पीपीयू, *[2010]* ईसीआर-*1* के मामले में सीजेईयू ने फैसला सुनाया कि जहां चार्टर अधिकार ईसीएचआर अधिकारों के समानांतर हैं, वहां कोर्ट ऑफ जस्टिस को इसका पालन करना चाहिए।

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का कोई सुसंगत न्यायशास्त्र, यह स्पष्ट करते हुए किः यह स्पष्ट है कि उक्त अनुच्छेद *7 [*ई. यू. चार्टर के*]* में ईसीएचआर के अनुच्छेद *8 (1)* द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के अनुरूप अधिकार हैं। इसलिए चार्टर के अनुच्छेद *7* को जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इस प्रकार, अधिकार को दिए गए संरक्षण को समझने के लिए

यूरोपीय संघ में गोपनीयता के लिए, कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* और चार्टर के अनुच्छेद *7* के न्यायशास्त्र का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। 'निजी जीवन' शब्द एक है

इन दोनों प्रावधानों का आवश्यक घटक और हितों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए व्याख्या की गई है।

निमित्ज़ बनाम जर्मनी *289 (1992)* के मामले में, ईसीटीएचआर

यह देखा गया किः

"न्यायालय प्रयास करना संभव या आवश्यक नहीं समझता है।

"निजी जीवन" की धारणा की एक विस्तृत परिभाषा। हालांकि,

यह धारणा को "आंतरिक वृत्त" तक सीमित करने के लिए बहुत प्रतिबंधात्मक होगा।

जिसे व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार अपना व्यक्तिगत जीवन जी सकता है।
और उससे पूरी तरह से बाहरी दुनिया को बाहर करने के लिए नहीं

उस वृत्त के भीतर घिरा हुआ। निजी जीवन का भी सम्मान करना चाहिए।

इसमें कुछ हद तक स्थापना और विकास का अधिकार शामिल है।

अन्य मनुष्यों के साथ संबंध।

इसी तरह, कॉस्टेलो-रॉबर्ट्स बनाम यूनाइटेड किंगडम *290 (1993)* में,

ई. सी. टी. एच. आर. ने कहा कि "निजी जीवन" की धारणा एक व्यापक है "और" विस्तृत परिभाषा के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है "।

यह व्यापक दृष्टिकोण यूरोपीय संघ के हाल के मामलों में भी मौजूद है।

न्यायशास्त्र। एस एंड मार्पर बनाम यूनाइटेड किंगडम *2 9 1 (2008)* में,

निजी जीवन के सम्मान के अधिकार के संबंध में ई. सी. टी. एच. आर. ने अभिनिर्धारित किया किः

"..... "निजी जीवन" की अवधारणा में शारीरिक और

एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अखंडता। इसलिए यह गले लगा सकता है
व्यक्ति की शारीरिक और सामाजिक पहचान के कई पहलू।

उदाहरण के लिए, लिंग पहचान, नाम और

यौन अभिविन्यास और यौन जीवन व्यक्तिगत क्षेत्र में आते हैं।

अनुच्छेद *8* द्वारा संरक्षित। किसी व्यक्ति के नाम से परे, उसका निजी

और पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत पहचान के अन्य साधन शामिल हो सकते हैं।
और परिवार से जुड़ना। व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी

निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा न्यायालय ने

सदस्य राज्यों की परंपराओं को यूरोपीय संघ के मौलिक अधिकारों के चार्टर के अनुच्छेद *7* में दोहराया गया है। *289* आवेदन सं। *13710/88* , *16* सितंबर *1992* का निर्णय। *290* "आवेदन संख्या। *13134/87* , *25* मार्च *1993* का निर्णय। *291 [2008]* ईसीएचआर *1581*

; सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

इसमें किसी व्यक्ति के अपनी छवि के अधिकार से संबंधित तत्व शामिल हैं।
उज़ुन बनाम जर्मनी *22 (2010)* में, यूरोपीय मानव न्यायालय

अनुच्छेद *8* के उल्लंघन का दावा करने वाले आवेदन की जांच करते समय अधिकार

यह देखा गया कि:

" अनुच्छेद *8* अन्य बातों के साथ-साथ पहचान और व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करता है।

विकास, और संबंध स्थापित करने और विकसित करने का अधिकार
अन्य मनुष्यों और बाहरी दुनिया के साथ। इसलिए, दूसरों के साथ एक व्यक्ति की बातचीत का एक क्षेत्र है, यहां तक कि सार्वजनिक रूप से भी।

संदर्भ, जो "निजी जीवन" के दायरे में आ सकता है।

इस बात पर विचार करने के लिए कई तत्व प्रासंगिक हैं कि क्या किसी व्यक्ति का निजी जीवन किसी व्यक्ति के घर या निजी परिसर के बाहर किए गए उपायों से संबंधित है। क्योंकि वहाँ हैं

ऐसे अवसर जब लोग जानबूझकर शामिल होते हैं

स्वयं उन गतिविधियों में जो अभिलिखित या सूचित की जा सकती हैं

सार्वजनिक रूप से, गोपनीयता के बारे में किसी व्यक्ति की उचित अपेक्षाएं एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि निर्णायक हों।

इस प्रकार, कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* के तहत एक व्यक्ति द्वारा शिकायत के निर्धारण में अनिवार्य रूप से दो-चरणीय परीक्षण शामिल है, जो कर सकता है

संक्षेप में नीचे दिया गया है:

"चरण *1:* अनुच्छेद *8* पैरा। *1*

1.1 क्या शिकायत किसी एक के दायरे में आती है

अनुच्छेद *8* पैरा *1* द्वारा संरक्षित अधिकार*?*

1.2 यदि ऐसा है, तो क्या राज्य पर सम्मान करने का कोई सकारात्मक दायित्व है*?*

एक व्यक्ति का अधिकार और क्या यह पूरा हुआ है*?*

चरण *2:* अनुच्छेद *8* पैरा। *2*

2.1 क्या अनुच्छेद *8* में हस्तक्षेप किया गया है*?*

2.2 यदि ऐसा है तो

2.2. 1 क्या यह कानून के अनुसार है*?*

242 आवेदन संख्या *35623/05 293* उर्सुला किल्केली, "निजी और पारिवारिक जीवन के लिए सम्मान का अधिकारः मानवाधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* के कार्यान्वयन के लिए एक गाइड, यूरोप की परिषद *(2001),* पृष्ठ *9* पर जस्टिस के एस पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

यूनियन ऑफ इंडिया।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

2.2. 2 क्या यह एक वैध उद्देश्य का पीछा करता है*?*
2.2. 3 क्या यह एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक है*?*

इस परीक्षण के बाद न्यायालय हर बार अनुच्छेद *8* को लागू करता है।

एक दिया हुआ मामला "।

दूसरे शब्दों में, सामान्य ब्याज के बीच एक उचित संतुलन बनाया जाता है।

समुदाय और व्यक्ति के हितों का।

एस एंड मार्पर में ईसीटीएचआर में *18* न्यायाधीशों का ग्रैंड चैंबर

v यूनाइटेड किंगडम *(ऊपर),* ने आवेदकों के दावे की जांच की कि

अनुच्छेद *8* के तहत निजी जीवन के लिए उनके सम्मान के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा था क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की सफल समाप्ति के बाद उनकी उंगलियों के निशान, कोशिका के नमूने और डीएनए प्रोफाइल को एक डेटाबेस में रखा गया था।

उन्हें। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समझौते के अनुच्छेद *8* का उल्लंघन किया गया था। यह पाते हुए कि मुद्दे पर प्रतिधारण ने एक गठन किया था

आवेदकों के सम्मान के अधिकार के साथ असमान हस्तक्षेप

निजी जीवन में, अदालत ने कहा कि "उंगलियों के निशान, कोशिकीय नमूनों और डी. एन. ए. को बनाए रखने की शक्तियों की व्यापक और अंधाधुंध प्रकृति। व्यक्तियों की प्रोफाइल. प्रतिस्पर्धा करने वालों के बीच उचित संतुलन बनाने में विफल

सार्वजनिक और निजी हित और यह कि प्रतिवादी राज्य ने प्रशंसा के किसी भी स्वीकार्य अंतर को पार कर लिया है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया था किः

"किसी व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित आंकड़ों का मात्र भंडारण अनुच्छेद *8* के अर्थ में हस्तक्षेप के बराबर है। हालाँकि, यह निर्धारित करने में कि क्या अधिकारियों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी में उल्लिखित निजी-जीवन के किसी भी पहलू को शामिल किया गया है

ऊपर, न्यायालय को उस विशिष्ट संदर्भ को ध्यान में रखना होगा जिसमें जारी की गई जानकारी दर्ज की गई है और रखी गई है, अभिलेखों की प्रकृति, जिस तरह से इन अभिलेखों का उपयोग और प्रसंस्करण किया जाता है और परिणाम जो प्राप्त किए जा सकते हैं।

उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

"न्यायालय शुरुआत में नोट करता है कि सभी तीन श्रेणियां वर्तमान मामलों में अधिकारियों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि उंगलियों के निशान, डीएनए प्रोफाइल और सेलुलर नमूने, डेटा संरक्षण समझौते के अर्थ के भीतर व्यक्तिगत डेटा का गठन करते हैं।

क्योंकि वे पहचाने गए या पहचान योग्य व्यक्तियों से संबंधित हैं। द.

सरकार ने स्वीकार किया कि तीनों श्रेणियां डेटा संरक्षण अधिनियम *1998* के अर्थ के भीतर "व्यक्तिगत डेटा" हैं। जो व्यक्ति की पहचान करने में सक्षम हैं "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोशिकीय नमूनों और डी. एन. ए. प्रोफाइल के प्रतिधारण के संबंध में, यह माना गया था किः

"सेलुलर नमूनों में निहित व्यक्तिगत जानकारी की प्रकृति और मात्रा को देखते हुए, उनका प्रतिधारण प्रति व्यक्ति होना चाहिए

संबंधित व्यक्तियों के निजी जीवन के सम्मान के अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में माना जाता है। कि इसका केवल एक सीमित हिस्सा

जानकारी वास्तव में अधिकारियों द्वारा निकाली या उपयोग की जाती है

डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग और इसमें कोई तत्काल नुकसान नहीं होता है

जातीय मूल के रूप में निष्कर्ष निकाले जाने के लिए उनके प्रतिधारण को अधिक संवेदनशील और अधिकार को प्रभावित करने के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है
निजी जीवन "।

उंगलियों के निशान को बनाए रखने के संबंध में, यह माना गया था कि:

विभिन्न परिस्थितियों में। इस प्रकार वे उसके निजी जीवन को प्रभावित करने और इस जानकारी को बनाए रखने में सक्षम हैं।
संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं हो सकता है

तटस्थ या महत्वहीन माना जाता है।

उज़ुन बनाम जर्मनी *(ऊपर)* में, ईसीटीएचआर ने एक आवेदन की जांच की

मानवाधिकारों के यूरोपीय समझौते के अनुच्छेद *8* के उल्लंघन का दावा करना

जहां आवेदक का डेटा जांच एजेंसियों द्वारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम *(*जी. पी. एस.*)* के माध्यम से प्राप्त किया गया था और एक आपराधिक मामले में उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था।

आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में, आवेदक की संलिप्तता का संदेह था वामपंथी चरमपंथी आंदोलन द्वारा बम हमले। न्यायालय ने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला कि अनुच्छेद *8* का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था और

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

"श्री उज़ुन की जी. पी. एस. निगरानी का आदेश हत्या के प्रयास के कई मामलों की जांच करने के लिए दिया गया था, जिसके लिए एक आतंकवादी आंदोलन ने जिम्मेदारी ली थी और आगे के बम हमलों को रोकने के लिए। इसलिए इसने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के हितों की सेवा की।

अपराध की रोकथाम और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका आदेश केवल जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* के कम घुसपैठ करने वाले तरीकों के बाद दिया गया था।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अपेक्षाकृत कम समय-तीन महीने-के लिए जांच अपर्याप्त साबित हुई थी और इसने श्री उज़ुन को केवल तभी प्रभावित किया था जब वह अपने साथी की कार के साथ यात्रा कर रहे थे। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी पूरी और व्यापक निगरानी की गई थी। यह देखते हुए कि जांच बहुत गंभीर है

अदालत ने पाया कि श्री उज़ुन की जी. पी. एस. निगरानी आनुपातिक थी।

ए. एस. एन. ई. एफ. बनाम स्पेन के मामले में सी. जे. ई. यू. का निर्णय अनुच्छेद *7* के निजी जीवन के सम्मान के अधिकार और अनुच्छेद *8 (1)* पर निर्भर था।

यह पता लगाने के लिए चार्टर कि स्पेन में डेटा संरक्षण निर्देश का कार्यान्वयन दोषपूर्ण था क्योंकि यह केवल एक में रखी गई जानकारी पर लागू होता है

इसके बाद विषय के निजी जीवन को डेटा नियंत्रक द्वारा और, जैसा भी मामला हो, तीसरे पक्ष या पक्षों द्वारा जाना जाएगा, जिनके पास डेटा है। प्रकट किया। चार्टर के अनुच्छेद *7* और *8* में निहित डेटा विषय के अधिकारों के इस अधिक गंभीर उल्लंघन को उचित रूप से लिया जाना चाहिए।

खाता "। डिजिटल राइट्स आयरलैंड लिमिटेड बनाम मंत्री *2 (2014)* में, सीजेईयू ने डेटा संरक्षण निर्देश की वैधता की जांच की, जिसके लिए आवश्यक था

टेलीफोन और इंटरनेट सेवा प्रदाता *6* से *24* महीनों के लिए इंटरनेट और कॉल डेटा के विवरण के साथ-साथ पहचान करने के लिए आवश्यक संबंधित डेटा को बनाए रखेंगे

अभिदाता या उपयोगकर्ता, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा गंभीर मामलों की रोकथाम, जांच, पता लगाने और अभियोजन के उद्देश्य से उपलब्ध है। अपराध। अदालत ने फैसला सुनाया कि निर्देश चार्टर के अनुच्छेद *52 (1)* के साथ असंगत है, क्योंकि उक्त निर्देश में जो सीमाएं रखी गई थीं, वे "डेटा तक पहुंच और उनके उपयोग को विनियमित करने के लिए आवश्यक गारंटी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक सिद्धांतों के साथ नहीं थीं"। यह.

यह माना गया था किः

"निजता के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या

संबंधित निजी जीवन संवेदनशील है या क्या व्यक्ति

संबंधितों को किसी भी तरह से असुविधा हुई है।

294 सी-*468/10,24* नवंबर, *[2011]* ईसीआर *I*-वर्ष *295* सी-*293/12 [2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह कहते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक के उपयोग से संबंधित डेटा

संचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसलिए इसमें एक मूल्यवान उपकरण है।

अपराधों की रोकथाम और अपराध के खिलाफ लड़ाई, विशेष रूप से संगठित अपराध, न्यायालय ने अपराधों की आनुपातिकता पर गौर किया।

निजता के अधिकार में हस्तक्षेप और अभिनिर्धारित किया किः

"द्वारा आवश्यक डेटा के प्रतिधारण की आवश्यकता के संबंध में

निर्देश *2006/24*, यह माना जाना चाहिए कि गंभीर के खिलाफ लड़ाई

अपराध, विशेष रूप से संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ, वास्तव में है

सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक महत्व का और

प्रभावशीलता काफी हद तक आधुनिक के उपयोग पर निर्भर हो सकती है।

ब्याज चाहे कितना भी मौलिक क्यों न हो, यह अपने आप में उचित नहीं है।
एक प्रतिधारण उपाय जैसे कि निर्देश *2006/*द्वारा स्थापित

24 उस लड़ाई के उद्देश्य के लिए आवश्यक माना जा रहा है।

इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि उक्त निर्देश में पर्याप्त प्रावधान नहीं है

सुरक्षा उपायों, यह माना गया था कि निर्देश को अपनाकर, यूरोपीय संघ ने "आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुपालन द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार कर लिया। चार्टर के अनुच्छेद *7,8* और *52 (1)* का प्रकाश।

आरई बनाम यूनाइटेड किंगडम *29 (2015)* में, आवेदक था

एक पुलिस अधिकारी की हत्या के संबंध में तीन मौकों पर गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया। उन्होंने शासन के तहत अनुच्छेद *8* के उल्लंघन का दावा किया

बंदियों और उनके वकीलों, चिकित्सा सलाहकारों और उपयुक्त वयस्कों के बीच परामर्श की गुप्त निगरानी वर्तमान द्वारा स्वीकृत

कानून। ई. सी. टी. एच. आर. ने कहा किः

"न्यायालय. मानता है कि कानूनी परामर्श की निगरानी
किसी व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक मात्रा में घुसपैठ का गठन करता है

उसके निजी जीवन और पत्राचार का सम्मान करने का अधिकार।

नतीजतन, ऐसे मामलों में यह समान सुरक्षा उपायों की उम्मीद करेगा

व्यक्तियों को मनमाने ढंग से हस्तक्षेप से बचाने के लिए जगह पर रहें

उनके अनुच्छेद *8* अधिकार।

"उपयुक्त वयस्क"-बंदी परामर्शों की निगरानी की गई
कानूनी विशेषाधिकार के अधीन नहीं है और इसलिए एक बंदी नहीं होगा

निजता की समान अपेक्षा रखें। प्रासंगिक घरेलू
प्रावधान, जहाँ तक वे संभावित निगरानी से संबंधित हैं

26 आवेदन संख्या *62498/11*

297 मामले के तथ्यों के अनुसार, एक "उपयुक्त वयस्क" एक रिश्तेदार या अभिभावक हो सकता है, या मानसिक रूप से अव्यवस्थित या मानसिक रूप से कमजोर लोगों से निपटने में अनुभवी व्यक्ति हो सकता है।

लोग।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

बंदियों और "उपयुक्त वयस्कों" के बीच परामर्श थे

"दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों" के साथ, विशेष रूप से प्राधिकरण, समीक्षा और रिकॉर्ड रखने से संबंधित। इसलिए, अनुच्छेद *8* का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

रोमन जाखारोव बनाम रूस *29 (2015)* में, ईसीटीएचआर ने कन्वेंशन के अनुच्छेद *8* के उल्लंघन का दावा करने वाले एक आवेदन की जांच की जिसमें आरोप लगाया गया था कि

मोबाइल ऑपरेटरों ने प्रचलित राष्ट्रीय कानून के तहत पूर्व न्यायिक प्राधिकरण के बिना सुरक्षा सेवाओं द्वारा सभी टेलीफोन संचारों के अप्रतिबंधित अवरोधन की अनुमति दी थी। न्यायालय ने कहा किः

"श्री जाखारोव यूरोपीय समझौते के उल्लंघन के शिकार होने का दावा करने के हकदार थे, भले ही वे आरोप लगाने में असमर्थ थे कि वह निगरानी के एक ठोस उपाय का विषय रहा था। प्रदान किए गए निगरानी उपायों की गुप्त प्रकृति को देखते हुए

कानून द्वारा, उनके व्यापक दायरे *(*मोबाइल टेलीफोन संचार के सभी उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाले*)* और प्रभावी साधनों की कमी

राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें चुनौती दें। रूसी कानून पूरा नहीं हुआ
"कानून की आवश्यकता की गुणवत्ता और इसे बनाए रखने में असमर्थ था

"एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक" के लिए संचार का अवरोधन। तदनुसार एक उल्लंघन हुआ था

कन्वेंशन का अनुच्छेद *8*।

ई. सी. टी. एच. आर. और सी. जे. ई. यू. दोनों, आवेदन से निपटने के दौरान

और ईसीएचआर के अनुच्छेद *8* और चार्टर के अनुच्छेद *7* की व्याख्या ने व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण रखा है। एक से संबंधित व्यक्तिगत दावे की जांच में दो-चरणीय परीक्षण

ई. सी. टी. एच. आर. द्वारा समझौते के अधिकार का सख्ती से पालन किया गया है।

(vi) अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार न्यायालय के निर्णय

मानवाधिकार सौदों पर अमेरिकी समझौते का अनुच्छेद *11*

निजता के अधिकार के साथ। प्रावधान नीचे निकाला गया हैः

"*1.* प्रत्येक व्यक्ति को अपने सम्मान और सम्मान का अधिकार है।

गरिमा को मान्यता दी गई।

2. कोई भी मनमाना या अपमानजनक हस्तक्षेप का उद्देश्य नहीं हो सकता है।

अपने निजी जीवन, अपने परिवार, अपने घर, या अपने पत्राचार के साथ,

या उसके सम्मान या प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी हमलों का।

3. हर किसी को इस तरह के खिलाफ कानून की सुरक्षा का अधिकार है।
हस्तक्षेप या हमले "।

आर्टाविया मुरिलो ई. टी. ए. एल. में निर्णय। *(* "विट्रो में

निषेचन *")* बनाम कोस्टा रिका*2 (2012),* के प्रश्न को संबोधित किया

क्या इन विट्रो निषेचन के अभ्यास पर राज्य का प्रतिबंध है

निजी जीवन के अधिकार में मनमाना हस्तक्षेप। द. न्यायालय ने कहा किः

"निजी जीवन के अधिकार के संरक्षण का दायरा है

अंतरराष्ट्रीय मानव द्वारा व्यापक शब्दों में व्याख्या की गई

अधिकार न्यायालय, जब यह संकेत देते हैं कि यह अधिकार से परे है

गोपनीयता। निजी जीवन की सुरक्षा में एक श्रृंखला शामिल है

व्यक्ति की गरिमा से जुड़े कारकों का, उदाहरण
के लिए, अपने स्वयं के विकास की क्षमता सहित

व्यक्तित्व और आकांक्षाएँ, अपना खुद का निर्धारण करने के लिए
पहचान और अपने व्यक्तिगत संबंधों को परिभाषित करना।

निजी जीवन की अवधारणा में शारीरिक जीवन के पहलू शामिल हैं।

व्यक्तिगत विकास और स्थापना और विकास का अधिकार
अन्य मनुष्यों के साथ और बाहर के साथ संबंध

संसार। निजी जीवन के अधिकार का प्रभावी प्रयोग है

व्यक्तिगत स्वायत्तता का प्रयोग करने की संभावना के लिए निर्णायक

किसी व्यक्ति की गुणवत्ता के लिए प्रासंगिक घटनाओं के भविष्य के पाठ्यक्रम पर

स्वयं और कैसे वह इस दृष्टिकोण को पेश करने का फैसला करता है
अन्य, और मुफ्त के लिए एक आवश्यक शर्त है

व्यक्तित्व का विकास। इसके अलावा, अदालत ने

इंगित किया कि मातृत्व स्वतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है

स्त्री के व्यक्तित्व का विकास। पूर्वगामी के आधार पर,

न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि निर्णय होना है या नहीं

माता-पिता निजी जीवन के अधिकार का हिस्सा हैं और इसमें इस मामले में,

माता या पिता बनने या न बनने का निर्णय

आनुवंशिक या जैविक भावना "।

(जोर दिया गया*)*

एस्चर एट अल बनाम ब्राज़ील *3 00 0 (2009)* में, टेलीफोनिक अवरोधन और

अप्रैल और जून *1999* के बीच राज्य की सैन्य पुलिस द्वारा टेलीफोन लाइनों की निगरानी की गई थी। अदालत ने पाया कि राज्य

मानवाधिकारों पर अमेरिकी समझौते का उल्लंघन किया और कहा किः

" अनुच्छेद *11* टेलीफोन वार्तालापों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी प्रकार के हों।

सामग्री और यहां तक कि डिजाइन किए गए दोनों तकनीकी संचालन भी शामिल हो सकते हैं

29 299 इंटर-एएम। सीटी। एच. आर *(*सर। ग*)* सं. *257 300* इंटर-एएम। सीटी।

एच. आर *(*सर। ग*)* सं. *200* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

इस सामग्री को टैप करके और सुनकर, या संचार प्रक्रिया के किसी अन्य तत्व को रिकॉर्ड करना; उदाहरण के लिए, किए गए कॉल का गंतव्य या मूल, वक्ताओं की पहचान,

कॉल की आवृत्ति, समय और अवधि, ऐसे पहलू जिन्हें टैप करके कॉल की सामग्री को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता के बिना सत्यापित किया जा सकता है
बातचीत।

कन्वेंशन का अनुच्छेद *11* मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास है
उसके सम्मान के लिए सम्मान का अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा के खिलाफ एक अवैध हमले को प्रतिबंधित करता है, और राज्यों पर दायित्व लगाता है

इस तरह के हमलों के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करना। आम तौर पर, सम्मान का अधिकार आत्म-सम्मान और आत्म-मूल्य से संबंधित है, जबकि प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के बारे में दूसरों की राय को संदर्भित करती है।

[ओ*]* किसी भी निगरानी प्रणाली में दुरुपयोग के अंतर्निहित खतरे के लिए,
यह उपाय विशेष रूप से सटीक कानून पर आधारित होना चाहिए

स्पष्ट, विस्तृत नियम। अमेरिकी समझौता किसी भी प्रकार से संचार की गोपनीयता और अनुल्लंघनीयता की रक्षा करता है।
राज्य या व्यक्तियों से मनमाना या अपमानजनक हस्तक्षेप;

इस तरह के संचार का प्रसार निषिद्ध है, सिवाय इसके कि
कानून द्वारा स्थापित मामले जो अमेरिकी समझौते के उद्देश्यों और उद्देश्यों के अनुकूल हैं।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों की तरह, अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार न्यायालय ने गोपनीयता और निजी जीवन की अवधारणा पर व्यापक रूप से विचार किया। वे शब्द जो स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मूल्य को बढ़ाते हैं।

इन क्षेत्राधिकारों में गोपनीयता पर कानून का विकास हुआ है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के महत्व और पवित्रता से प्राप्त पोषण। भारतीय संविधान की तरह जिन संविधानों में निहित अधिकार हैं, वे व्यक्ति की गरिमा को एक उच्च पायदान पर रखते हैं। सांस्कृतिक मतभेदों और अलग-अलग इतिहास के बावजूद, तुलनात्मक कानून का अध्ययन इस बात का आश्वासन देता है कि हमारे पास जो रास्ता है

चार्टेड समझौते उन क्षेत्राधिकारों की संवैधानिक संस्कृति में मानवीय मूल्यों के लिए एक समान सम्मान के साथ मेल खाते हैं जिनका हमने विश्लेषण किया है। ये मूल्य सार्वभौमिक और स्थायी चरित्र के हैं।

एल गोपनीयता सिद्धांत की आलोचनाएँ *135.* भारत संघ की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दलीलों का नेतृत्व करते हुए भारत के महान्यायवादी ने मान्यता की आलोचना की है।

1

: .

निजता के सामान्य अधिकार को दिया जा रहा है। प्रस्तुतिकरण में कई हैं पहलू, उनमें से हैं:

(i) गोपनीयता का कोई सामान्य या मौलिक अधिकार नहीं है

संविधान;

((ii) निजता के किसी भी व्यापक अधिकार को इसके हिस्से के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

मौलिक अधिकार और जहां गोपनीयता के कुछ घटक पहलू पहले से ही भाग *III* में सूचीबद्ध गारंटी द्वारा कवर किए गए हैं, उन पहलुओं को किसी भी मामले में संरक्षित किया जाएगा;

(iii) जहाँ गोपनीयता की विशिष्ट प्रजातियाँ द्वारा शासित होती हैं

संविधान के भाग *III* में स्वतंत्रता का संरक्षण, वे जनहित में उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं जैसा कि इस न्यायालय के कई निर्णयों में मान्यता प्राप्त है;

((iv) गोपनीयता एक ऐसी अवधारणा है जिसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है।

या परिभाषा और अभिव्यक्ति अस्पष्ट है; और

(v) संविधान के प्रारूपकों में विशेष रूप से शामिल नहीं थे

मौलिक अधिकारों पर अध्याय के भाग के रूप में ऐसा अधिकार और

यहाँ तक कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सीमा जो मूल रूप से थी
संविधान के मसौदे में उपयोग किए जाने की मांग को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए काट दिया गया था। इन प्रस्तुतियों का समर्थन किया गया है

श्री आर्यमा सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ वकील।

136. आलोचना और आलोचना लोकतांत्रिक शासन के मूल में हैं।

असहमति की सहिष्णुता समान रूप से एक पोषित मूल्य है। इस तरह के महत्वपूर्ण आयामों के मामले का निर्णय लेने में, न्यायालय को की गई आलोचनाओं को ध्यान में रखना चाहिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह से। ये, जैसा कि हम देखते हैं, इन पर आधारित हैं

अकादमिक, दार्शनिक और व्यावहारिक विचार।

137. द स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी ने

"गोपनीयता के कई संदेहपूर्ण और महत्वपूर्ण खाते"। आलोचना तय की गई है

इस प्रकार बाहर निकलें:

"निजता के बारे में कई संदेहपूर्ण और आलोचनात्मक विवरण हैं। एक सर्वविदित तर्क के अनुसार गोपनीयता का कोई अधिकार नहीं है और गोपनीयता के बारे में कुछ भी विशेष नहीं है, क्योंकि कोई भी हित

निजी के रूप में संरक्षित अन्य हितों या अधिकारों द्वारा समान रूप से अच्छी तरह से समझाया और संरक्षित किया जा सकता है, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार और

शारीरिक सुरक्षा *(*थॉमसन, *1975)*। अन्य आलोचकों का तर्क है कि गोपनीयता के हित विशिष्ट नहीं हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत हितों को जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम मानते हैं।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.]

आर्थिक रूप से अक्षम हैं *(*पॉसनर, *1981)* या कि वे
वे किसी भी पर्याप्त कानूनी सिद्धांत *(*बोर्क, *1990)* में आधारित नहीं हैं।

अंत में, गोपनीयता की नारीवादी आलोचना है, कि गोपनीयता को विशेष दर्जा देना महिलाओं और अन्य लोगों के लिए हानिकारक है क्योंकि यह है

उन्हें हावी करने और नियंत्रित करने, उन्हें चुप कराने के लिए एक ढाल के रूप में उपयोग किया जाता है, और

दुर्व्यवहार को ढक दें *(*मैककिनन, *1989) "*। *301*

138. 2013 में हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रकाशित एक लेख में, ए

जॉर्जटाउन लॉ सेंटर, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर ने गोपनीयता को "छवि समस्या" के रूप में वर्णित किया। गोपनीयता, जैसा कि वह नोट करती है, इसे "सबसे अच्छे तरीके से पुराने और सबसे खराब तरीके से हानिकारक-प्रगतिशील विरोधी, अत्यधिक महंगे और शरीर के कल्याण के लिए शत्रुतापूर्ण" के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

राजनीतिक *"303*। उनके विचार में परिणाम अनुमानित हैं:

"..... जब गोपनीयता और उसके कथित रूप से पुराने मूल्यों को होना चाहिए

राष्ट्रीय सुरक्षा, दक्षता और उद्यमिता की अत्याधुनिक अनिवार्यताओं के खिलाफ संतुलित, गोपनीयता हारने वाले के सामने आती है। द.

गोपनीयता प्रतिभार की सूची लंबी और बढ़ती जा रही है। हाल ही में

सोशल मीडिया, मोबाइल प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का जुड़ाव अब पैमाने को कम करने का खतरा है।
पूरी तरह से, गोपनीयता को प्रगति के स्थायी विरोध में रखना

ज्ञान "। *304* लेख यह समझाने के लिए आगे बढ़ता है कि गोपनीयता की धारणा

पुराना और सामाजिक रूप से प्रतिगामी होना गलत है। फिर भी, यह आलोचना

भारत के लिए प्रासंगिक है। राष्ट्र ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की आकांक्षा रखता है। जानकारी ज्ञान का आधार है। तराजू होना चाहिए,

इस आलोचना के अनुसार, सर्वोच्च राष्ट्रीय आवश्यकता के पक्ष में टिप दें।

ज्ञान, नवाचार और विकास के लिए। ये चिंताएँ नहीं हो सकतीं

त्याग दिया गया और इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वे एक गरीब के बड़े हिस्से को आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण प्रदान करने की आवश्यकता पर आधारित हैं। समाज।

139. एक अन्य आलोचना, जो रॉबर्ट बोर्क द्वारा की गई है, सवाल करती है

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा संविधान के मौलिक मूल्यों का चयन और सिद्धांत *(*में न्यायमूर्ति डगलस द्वारा प्रस्तावित*)*

301 "गोपनीयता ", स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी *(2002),* यहाँ उपलब्ध है।

टीटीपीएसः //प्लेटो। स्टेनफोर्ड। शिक्षा/प्रविष्टियाँ/गोपनीयता /

302 जूली ई कोहेन, "व्हाट प्राइवेसी इज फॉर", हार्वर्ड लॉ रिव्यू *(2013),* वॉल्यूम। *126* , पृष्ठ *1904* पर

303 इबिद

304 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *1904-1905* पर।

.

ग्रिसवोल्ड*)* 'पेनुम्ब्रा' या बनाए गए गोपनीयता क्षेत्रों के अस्तित्व का

न्यायिक व्याख्या की एक छलांग के रूप में अधिकारों के विधेयक द्वारा। *305*

140. स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी पेशकश करना चाहता है

दो अवधारणाओं के संदर्भ में गोपनीयता पर साहित्य की समझः ह्रासवाद और सुसंगतता। *306* कटौतीवादी आम तौर पर आलोचना करते हैं

गोपनीयता जबकि सुसंगततावादी गोपनीयता हितों के मौलिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। निजता की आलोचनाओं को मोटे तौर पर संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है -

जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

थॉमसन का रिडक्शनिज़्म *3 07* जुडिथ जार्विस थॉमसन ने *1975* में प्रकाशित एक लेख में उल्लेख किया

कि हालांकि गोपनीयता की सामग्री पर बहुत कम सहमति है, अंततः

गोपनीयता अधिकारों का एक समूह है जो संपत्ति के अधिकारों के साथ ओवरलैप होता है या

शारीरिक सुरक्षा का अधिकार। उनके विचार में, निजता का अधिकार व्युत्पन्न है

यह भावना कि गोपनीयता उल्लंघन को एक के उल्लंघन के रूप में बेहतर समझा जाता है अधिक बुनियादी अधिकार।

बी पॉसनर की आर्थिक आलोचना *308*

रिचर्ड पॉसनर, न्याय के अर्थशास्त्र में प्रकाशित

1981 , तर्क दिया कि गोपनीयता को उन तरीकों से संरक्षित किया जाता है जो आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं

अक्षम। उनके विचार में, गोपनीयता की रक्षा केवल तभी की जानी चाहिए जब सूचना तक पहुंच से इसका मूल्य कम हो जाए जैसे कि जब किसी छात्र को प्रवेश के लिए सिफारिश पत्र तक पहुंच की अनुमति दी जाती है, जिससे ऐसा पत्र कम विश्वसनीय हो जाता है। पॉसनर के अनुसार, गोपनीयता जब प्रकट होती है

अपने बारे में जानकारी पर नियंत्रण, गुमराह करने या हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता है अन्य।

सी बोर्क की आलोचना

द टेम्पटिंग ऑफ अमेरिका में रॉबर्ट बोर्कः राजनीतिक

कानून *'309* का प्रलोभन, उनकी आलोचना में गंभीर रहा है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीयता का संरक्षण। उनके विचार में, न्याय

305 इस आलोचना के लिए देखें - रॉबर्ट एच बोर्क, "न्यूट्रल प्रिंसिपल्स एंड सम फर्स्ट अमेंडमेंट प्रॉब्लेम्स", इंडियाना लॉ जर्नल *(*फॉल *1971),* वॉल्यूम। *47 (1)* , पृष्ठ *8-9* पर

306 सुप्रा नोट *301*

307 जूडिथ जार्विस थॉमसन, "द राइट टू प्राइवेसी", फिलॉसफी एंड पब्लिक अफेयर्स *(1975),* वॉल्यूम। *4* , पृष्ठों पर *295-314,* जैसा कि सुप्रा नोट *301* में उद्धृत किया गया है *308* रिचर्ड पॉसनर, द इकोनॉमिक्स ऑफ जस्टिस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(1981),* जैसा कि सुप्रा नोट *301* में उद्धृत किया गया है।

309 रॉबर्ट बोर्क, द टेम्पटिंग ऑफ अमेरिकाः द पोलिटिकल सेडक्शन ऑफ द लॉ, साइमन एंड शूस्टर *(1990),* जैसा कि सुप्रा नोट *301* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* में उद्धृत किया गया है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

ग्रिसवोल्ड में डगलस ने किसी पूर्व-विद्यमान अधिकार से गोपनीयता प्राप्त नहीं की, बल्कि एक नए अधिकार का निर्माण करने की मांग की, जिसका बिल ऑफ ग्रिसवोल्ड में कोई आधार नहीं है।

अधिकार, जिससे नया कानून बनाकर न्यायाधीश की सीमाओं को पार किया जाता है

और इसकी व्याख्या करके नहीं।

कई सिद्धांतकारों का आग्रह है कि निजता के संवैधानिक अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में अधिक सही माना जाता है।

इन आलोचनाओं का शक्तिशाली प्रतिवाद यह है कि जबकि

अलगाव, उनमें से कई गोपनीयता के मुद्दों में उभरने वाली चिंताओं के प्रकार से संबंधित नहीं हैं। इस दृष्टिकोण में, स्वतंत्रता एक अवधारणा है जो है गोपनीयता से अधिक व्यापक और गोपनीयता से संबंधित मुद्दे या दावे स्वतंत्रता के दावों का एक उप समूह हैं। *310* इसलिए यह तर्क दिया गया है कि गोपनीयता स्वतंत्रता की रक्षा करती है और "गोपनीयता सुरक्षा हमारे लिए परिभाषित करने की स्वतंत्रता प्राप्त करती है।

स्वयं और दूसरों के साथ हमारे संबंध। यह तर्क समझता है कि स्वतंत्रता और गोपनीयता के बीच संबंध यह निर्धारित करके कि स्वतंत्रता एक व्यापक धारणा है, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गोपनीयता आवश्यक है। निजता के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देना व्यक्तिगत हित की पुष्टि है।

अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में।

डी नारीवादी आलोचना

नारीवाद पर कई लेखक पितृसत्तात्मक प्रभुत्व और महिलाओं के दुरुपयोग के लिए एक लिबास के रूप में गोपनीयता के उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हैं। पितृसत्ताक हमारे अपने सहित कई समाजों में अभी भी धारणाएँ प्रचलित हैं और लिंग के आधार पर महिलाओं के मुख्य संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए ढाल के रूप में उपयोग की जाती हैं।

और स्वायत्तता। नतीजतन, लैंगिक हिंसा को अक्सर एक मामले के रूप में देखा जाता है। "पारिवारिक सम्मान" के परिणामस्वरूप हिंसा का शिकार दो बार पीड़ित हुआ

उसकी गरिमा के शारीरिक और मानसिक आघात का उल्लंघन किया जा रहा है और

यह धारणा कि इससे "सम्मान" का अपमान हुआ है। निजता नहीं होनी चाहिए।

पितृसत्तात्मक मानसिकता को छिपाने और उस पर जोर देने के लिए एक आवरण के रूप में उपयोग किया जाए।

कैथरीन मैककिनन ने *1989* में "टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट" शीर्षक से एक प्रकाशन में निजता के खतरों के लिए *312* विज्ञापन दिए। जब इसका उपयोग महिलाओं को उनकी अधीनता का अपराध करके किए गए शारीरिक नुकसान को छिपाने के लिए किया जाता है। फिर भी, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि महिलाओं के पास एक अलंघनीय है

गोपनीयता में रुचि। गोपनीयता उल्लंघन के खिलाफ अंतिम गारंटी है।

लागू किए गए राज्य जैसे कार्यक्रमों के कारण जो इतिहास के लिए अज्ञात नहीं हैं

310 सुप्रा नोट *301*

311 आई. बी. आई.

312 कैथरीन मैककिनन, राज्य के नारीवादी सिद्धांत की ओर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय

प्रेस *(1989),* जैसा कि सुप्रा नोट *301* में उद्धृत किया गया है

मैं सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ

[2017] 10 एस सी आर।

नसबंदी कार्यक्रम या अनिवार्य राज्य लागू दवा परीक्षण

महिलाएँ। इस क्षेत्र में चुनौती राज्य को घरेलू क्षेत्र में महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन को गंभीरता से लेने में सक्षम बनाना है।

साथ ही महिलाओं की निजता के अधिकारों की रक्षा करना

लिंग और स्वतंत्रता की पहचान में।

141. यह निवेदन कि गोपनीयता को स्वीकार या परिभाषित नहीं किया गया है

जिसके दायरे और विषय-वस्तु में अंतर्दृष्टि के लिए विचार किया जाना चाहिए निजताः

(i) एलन वेस्टिन *3 13* ने गोपनीयता की चार बुनियादी स्थितियों को परिभाषित किया जो

सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति की भागीदारी की प्रकृति और विस्तार को प्रतिबिंबित करें। मूल में एकांत है-सबसे पूर्ण स्थिति "मन और विवेक के साथ आंतरिक संवाद" में व्यक्ति को शामिल करते हुए गोपनीयता। *31 4* दूसरी स्थिति अंतरंगता की स्थिति है जो न केवल पति या पत्नी या साथी के बीच अंतरंग संबंधों को संदर्भित करती है, बल्कि

परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के बीच। तीसरा राज्य गुमनामी का है जहां कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर होने के बावजूद पहचान से स्वतंत्रता चाहता है। चौथा राज्य आरक्षण की स्थिति के रूप में वर्णित है।

जिसे "खुद के कुछ पहलुओं को पीछे रखने की आवश्यकता" के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरों से, या तो बहुत व्यक्तिगत और पवित्र के रूप में या व्यक्त करने के लिए बहुत शर्मनाक और अपवित्र *"3 15*।

(ii) रोजर क्लार्क ने गोपनीयता का एक वर्गीकरण विकसित किया है

1 1 6 मानों का मास्लो का पिरामिड। मास्लो में वर्णित मूल्य पिरामिड इस प्रकार हैंः आत्म-प्राप्ति, आत्म-सम्मान, प्रेम या अपनापन, सुरक्षा और शारीरिक या जैविक आवश्यकता। क्लार्क की श्रेणियों में शामिल हैं *(ए)*

व्यक्ति की गोपनीयता को शारीरिक गोपनीयता के रूप में भी जाना जाता है। शारीरिक गोपनीयता है

शरीर के तरल पदार्थ और शरीर के नमूनों के अनिवार्य निष्कर्षण द्वारा उल्लंघन किया गया

ऊतक और अनिवार्य नसबंदी; *(*बी*)* व्यक्तिगत व्यवहार की गोपनीयता जो घर सहित एक निजी स्थान का हिस्सा है; *(*सी*)* शरीर की गोपनीयता।

313 वेस्टिन का गोपनीयता का वर्गीकरण उन विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है जिन्हें यह उप-सेवा प्रदान करता है। वेस्टिन ने नागरिक गोपनीयता उल्लंघन या अपकृत्य के उद्देश्यों के लिए *1960* में विलियम एल. प्रोसर द्वारा किए गए विशिष्टता से समर्थन प्राप्त किया है, वेस्टिन ने प्रोसर के नुकसान आधारित दृष्टिकोण के विपरीत एक मूल्य आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। प्रॉसर के काम के लिए,

विलियम एल. प्रोसर, "गोपनीयता", कैलिफोर्निया लॉ रिव्यू *(1960)*, खंड देखें। *48 (3)* , पृष्ठ

383-423 .

314 बर्ट-जाप कूप्स और अन्य। , "गोपनीयता का एक प्रकार ", पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय

जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ *(2017)*, वॉल्यूम। *38* , अंक *2*, पृष्ठ *496* पर

313 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ *497* पर *316* इबिद, *498* आर पर।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

अवरोध या किसी की नियमित निगरानी के बिना संचार दूसरों द्वारा संचार*; (*डी*)* व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता जो इससे जुड़ी हुई है

सूचनात्मक गोपनीयता की अवधारणा।

(iii) अनीता एलन ने *2011* के एक प्रकाशन में इस अवधारणा को विकसित किया है।

गोपनीयता-घर में गोपनीयता द्वारा सचित्र*; (*बी*)* सूचनात्मक गोपनीयता व्यक्तियों या उनके संचार के बारे में सूचना डेटा या तथ्यों सहित*; (*सी*)* निर्णयात्मक गोपनीयता जो नागरिकों के राज्य द्वारा घुसपैठ से उनके अधिकारों के बारे में अंतरंग विकल्प बनाने के अधिकार की रक्षा करती है*; (*डी*)* स्वामित्व गोपनीयता जो किसी की प्रतिष्ठा की सुरक्षा से संबंधित है*; (*ई*)*

सहयोगात्मक गोपनीयता जो कुछ समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है यह निर्धारित करने के लिए कि वे किसे शामिल या बहिष्कृत कर सकते हैं, परिभाषित विशेषताएँ। *318*

गोपनीयता के अलग-अलग अर्थ हैं जिनमें *(i)* स्थानिक नियंत्रण*; (ii)*

निर्णयात्मक स्वायत्तता*;* और *(iii)* सूचनात्मक नियंत्रण। *319* स्थानिक नियंत्रण निजी स्थानों के निर्माण को दर्शाता है। निर्णायक स्वायत्तता अंतरंग व्यक्तिगत विकल्पों को समझती है जैसे कि प्रजनन को नियंत्रित करने वाले भी।

सार्वजनिक रूप से व्यक्त किए गए विकल्पों के रूप में जैसे कि विश्वास या पोशाक के तरीके।

सूचना नियंत्रण व्यक्ति को व्यक्ति से संबंधित जानकारी पर व्यक्तिगत नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक ढाल के रूप में गोपनीयता का उपयोग करने का अधिकार देता है। के साथ

सूचनात्मक गोपनीयता के संबंध में, यह कहा गया है किः

"..... शायद सबसे विश्वसनीय अवधारणा हेलेन द्वारा प्रस्तावित है।

निसेनबाम जो तर्क देते हैं कि गोपनीयता ऐसी अपेक्षा है कि

किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा। यह

"प्रासंगिक अखंडता" के सिद्धांत का मानना है कि लोग अपनी जानकारी को नियंत्रित नहीं करना चाहते हैं या उतनी पहुंच से बाहर नहीं होना चाहते हैं जितनी वे चाहते हैं।

वे चाहते हैं कि उनकी जानकारी को उनके अनुसार माना जाए
उम्मीद *(*निसेनबाम *2004,2010,2011) "*। *320*

गोपनीयता की मौलिक धारणाओं को एक साथ एकीकृत किया गया है

317 इबिद, *500* पर

318 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *500-501* *319* भैरव आचार्य, "भारत में गोपनीयता के चार भाग", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक

(2015) , खण्ड. *50* अंक *22*, पृष्ठ *32* पर

320 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *34* पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ में *2017* में प्रकाशित "एटीपोलॉजी ऑफ प्राइवेसी" शीर्षक वाले एक मौलिक लेख में चित्रित किया गया है। लेख में गोपनीयता का एक उत्कृष्ट दृश्य चित्रण है, जो

सार्वजनिक क्षेत्र

अंतरंग

सामी-निजी

व्यक्तिगत

" अस्पष्टता "

क्षेत्र

(जोर देना

00)

स्वामित्व

संवादात्मक

स्वतंत्रता

निजता

स्थानिक गोपनीयता

दांव लगाने के लिए

निजता

शारीरिक गोपनीयता

वेबसाइट

सूचना गोपनीयता

इस पर जोर दें*)*

बौद्धिक

निर्णयात्मक

सहयोगात्मक

व्यवहारात्मक

स्वतंत्रता

निजता

*सेफ।

विकास टीएम

पी.

142. उपरोक्त आरेखात्मक प्रतिनिधित्व दो प्रस्तुत करता है।

प्राथमिक अक्षः एक क्षैतिज अक्ष जिसमें गोपनीयता के चार क्षेत्र और एक

ऊर्ध्वाधर अक्ष जो स्वतंत्रता के दो पहलुओं पर जोर देता हैः अकेले रहने की स्वतंत्रता और आत्म-विकास की स्वतंत्रता। नौ प्राथमिक उपरोक्त चित्रण के अनुसार गोपनीयता के प्रकार हैं: *(i)* शारीरिक गोपनीयता जो भौतिक शरीर की गोपनीयता को दर्शाती है। इसमें निहित है कि

दूसरों को अपना उल्लंघन करने से रोकने में सक्षम होने की नकारात्मक स्वतंत्रता शरीर या शारीरिक आंदोलन की स्वतंत्रता को रोकने से; *(ii)* स्थानिक

गोपनीयता जो एक निजी स्थान की गोपनीयता में प्रतिबिंबित होती है जिसके माध्यम से दूसरों की पहुंच को स्थान तक सीमित किया जा सकता है; अंतरंग संबंध और पारिवारिक जीवन स्थानिक गोपनीयता का एक उपयुक्त उदाहरण है; *(iii)* संचार गोपनीयता जो एक व्यक्ति को अंतरिक्ष तक पहुंच को प्रतिबंधित करने में सक्षम बनाने में परिलक्षित होती है।

संचार या जानकारी के उपयोग को नियंत्रित करना जो तीसरे पक्ष को संप्रेषित किया जाता है; *(iv)* स्वामित्व गोपनीयता जो तथ्यों, चीजों को बचाने के साधन के रूप में संपत्ति का उपयोग करने में किसी व्यक्ति के हित से परिलक्षित होती है या

दूसरों से जानकारी; *(v)* बौद्धिक गोपनीयता जो एक के रूप में परिलक्षित होती है

विचार और मन की गोपनीयता और विकास में व्यक्तिगत रुचि

321 बर्ट-जाप कूप्स और अन्य। , "गोपनीयता का एक प्रकार ", पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय

जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ *(2017)*, वॉल्यूम।

38 अंक *2*, पृष्ठ *566* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

राय और विश्वासों की; *(vi)* निर्णयात्मक गोपनीयता मुख्य रूप से किसी के यौन या प्रजनन संबंधी अंतरंग निर्णय लेने की क्षमता से परिलक्षित होती है।

अंतरंग संबंधों के संबंध में प्रकृति और निर्णय; *(vii)* सहयोगी गोपनीयता जो व्यक्ति की यह चुनने की क्षमता में परिलक्षित होती है कि वह किसके साथ बातचीत करना चाहती है; *(viii)* व्यवहार गोपनीयता जो पहचानती है

सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली गतिविधियों का संचालन करते समय भी किसी व्यक्ति के गोपनीयता हित। व्यवहारगत गोपनीयता अभिनिर्धारित करती है कि पहुँच होने पर भी

दूसरों को दिए जाने पर, व्यक्ति को पहुंच की सीमा को नियंत्रित करने का अधिकार है

और अपने लिए अवांछित घुसपैठ से स्वतंत्रता का एक उपाय बनाए रखें; और *(ix)* सूचनात्मक गोपनीयता जो स्वयं के बारे में जानकारी को प्रसारित होने से रोकने और इसे नियंत्रित करने में रुचि को दर्शाती है

सूचना तक पहुँच की सीमा।

एम संविधान सभा और निजताः मौलिकतावाद की सीमाएँ

व्याख्या

143. संविधान के संस्थापकों से आग्रह किया गया है,

निजता के मौलिक अधिकार होने की धारणा को अस्वीकार कर दिया। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि यह संवैधानिक दायरे से बाहर होगा।

निजता के मौलिक अधिकार को घोषित करने के लिए न्यायालय के लिए निर्णय। इस तर्क पर बारीकी से विचार किया जाना चाहिए।

144. 17 मार्च *1947* को के. एम. मुंशी ने मौलिक अधिकारों पर उप-समिति को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों पर मसौदा लेख प्रस्तुत किए। खंड *5* में प्रस्तावित स्वतंत्रता के अधिकारों में निम्नलिखित *322* थेः

> *"..... (* च*)* उसके घर की अनुल्लंघनीयता का अधिकार,
>
> *(* छ*)* उसके पत्राचार की गोपनीयता का अधिकार,
>
> *(* ज*)* संघ के कानून द्वारा अपने व्यक्ति को सुरक्षित रखने का अधिकार
>
> कानून या जनता के विपरीत किसी भी तरीके से शोषण से
>
> प्राधिकार "।

145. 24 मार्च *1947* को डॉ. अम्बेडकर ने राज्यों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक ज्ञापन और मसौदा लेख प्रस्तुत किए। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर मसौदा लेखों में निम्नलिखित *3 23* थेः

> *"..... 10.* अनुचित तलाशी और बरामदगी के खिलाफ अपने व्यक्तियों, घरों, कागजात और प्रभावों में सुरक्षित रहने का लोगों का अधिकार,

322 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक

प्रशासन *(1967),* खंड। *2* , पृष्ठ *75* पर

323 इबिद, पृष्ठ *87* पर

उल्लङ्घन नहीं किया जाएगा और कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा लेकिन संभावित कारण पर,

शपथ या पुष्टि द्वारा समर्थित, और विशेष रूप से स्थान का वर्णन करने के लिए

तलाशी ली जाए, और व्यक्तियों या वस्तुओं को जब्त किया जाए।

146. 3 अप्रैल *1947* को प्रस्तुत उप-समिति की मसौदा रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों को न्यायसंगत में विभाजित किया गया था।

और गैर-न्यायोचित अधिकार। खंड *9 (*घ*)* और खंड *10* निम्नानुसार प्रदान किए गए हैं:

"9 (घ*)* प्रत्येक नागरिक का अपनी गोपनीयता का अधिकार
पत्राचार। लेखों और संदेशों के अवरोधन या निरोध को विनियमित करने के लिए कानून द्वारा प्रावधान किया जा सकता है

डाक, तार या अन्यथा किसी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में संचरण या

शांति।

10. लोगों का अपने व्यक्तियों, घरों में सुरक्षित रहने का अधिकार,

अनुचित तलाशी और बरामदगी के खिलाफ कागजात और प्रभावों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा लेकिन संभावित होने पर

कारण, शपथ या पुष्टि द्वारा समर्थित, और विशेष रूप से वर्णन

तलाशी ली जाने वाली जगह, और जब्त किए जाने वाले व्यक्ति या चीजें "

147. डॉ. बी. एन. राउ ने मसौदा रिपोर्ट पर अपने टिप्पणियों में खंड *10* के बारे में आपत्ति जताई थी जिसे इस प्रकार व्यक्त किया गया था:

"खंड *10.* अगर इसका मतलब है कि एक के बिना कोई खोज नहीं है

अदालत के आदेश के अनुसार, यह पुलिस की जांच की शक्तियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। मौजूदा कानून के तहत, उदाहरण के लिए। , दंड प्रक्रिया

संहिता, धारा *165 (*नीचे दिए गए प्रासंगिक उद्धरण*)*, पुलिस के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। अक्सर जाँच के दौरान, ए

पुलिस अधिकारी को जानकारी मिलती है कि चोरी की संपत्ति को एक निश्चित स्थान पर छिपा दिया गया है। यदि वह इसे तुरंत खोजता है, जैसा कि वह कर सकता है

वर्तमान में, उसके ठीक होने की संभावना है; लेकिन उसे आवेदन करना होगा

एक अदालत के वारंट के लिए, पूरा विवरण देते हुए, देरी शामिल है, दूरी की भारतीय शर्तों और आंतरिक में परिवहन की कमी के तहत

घातक हो सकता है। "

सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर द्वारा *10* अप्रैल *1947* को खंड *9 (*डी*)* में उल्लिखित 'पत्राचार की गोपनीयता' और खंड *10326* में अनुचित खोजों के खिलाफ संरक्षण पर आपत्ति जताते हुए एक नोट प्रस्तुत किया गया था:

324 इबिद, पृष्ठ *139* पर

325 इबिद, पृष्ठ *152* पर

326 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *158-159* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"खंड *(*घ*)*। पत्राचार की गोपनीयता के संबंध में मैंने एक मुद्दा उठाया

अधिनियम। अमेरिकी संविधान में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के प्रावधान को केवल प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही जगह मिलती है। संविधान। खंडों का धाराओं पर प्रभाव

विशेषाधिकार पर आधारित भारतीय साक्ष्य अधिनियम होना चाहिए

विचार किया। प्रतिबंध-अध्याय *9*, एस *120-127* के माध्यम से। इस खंड का परिणाम यह होगा कि प्रत्येक निजी पत्राचार मान लेगा राज्य पत्र का पद, या, एस की भाषा में। *123* और *124*, ए

राज्य के मामलों से संबंधित अभिलेख।

षड्यंत्र या उकसावे के किसी भी मामले में, वादी पक्षकारों के बीच पारित पत्राचार को अदालत के समक्ष पेश करके इसे साबित करने में असहाय है जो इन सभी मामलों में सबसे अधिक ठोस सबूत प्रस्तुत करेगा। खंड "सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता" के प्रारंभिक शब्दों का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे मामले। पूरे विषय पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार करने पर मुझे लगता है कि मौलिक विषय पर अध्याय में इस तरह के खंड को शामिल किया गया है।

अधिकार अंतहीन जटिलताओं और कठिनाइयों का कारण बनेंगे

न्याय का प्रशासन। यह समिति को विचार करना होगा कि क्या उपरोक्त में खंड पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। परिस्थितियाँ।

खंड *10.* अनुचित खोज, इस विषय के संबंध में *I*

अमेरिकी संविधान का मसौदा तैयार किए जाने के समय अमेरिका में प्राप्त होने वाली शर्तों और प्रावधानों के बाद वर्तमान में भारत में प्राप्त होने वाली शर्तों के बीच के अंतर की ओर इशारा किया।

इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता लगभग एक शताब्दी से लागू है। खंड का प्रभाव, जैसा भी है, दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों को निरस्त करना होगा।

और विशेष मामलों में निर्णय लेने के लिए इसे सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ देना।

चाहे खोज उचित हो या अनुचित। हालांकि मैं इस मामले को फिर से उठाने के खिलाफ हूं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत देर नहीं हो सकती है।

इस विशेष खंड पर विचार करने के लिए समिति।

मसौदा शीर्षक पर टिप्पणियों और सुझावों के दौरान, जय प्रकाश नारायण ने गोपनीयता गतिरोध, तार और टेलीफोन संचार को शामिल करने का सुझाव दिया।

इस तरह का समावेश *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि, निम्नलिखित आधारों पर आपत्ति जताई गई थी *327:*

"..... डाक, तार और टेलीफोन संचार की गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करना भी शायद ही आवश्यक है।

संविधान में ही क्योंकि इससे व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं

डाक और तार विभाग के प्रशासन में। द.

इस विषय पर विधानमंडल द्वारा अधिनियमित प्रासंगिक कानून *(*भारतीय डाकघर अधिनियम, *1898* और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885)*

डाक, तार या टेलीफोन के माध्यम से भेजे गए संचार का अवरोधन केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों में, जैसे कि

आपात स्थिति की घटना और सार्वजनिक सुरक्षा के हित में "।

अंततः मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय से खंड *9 (*घ*)* और खंड *10* को हटा दिया गया।

148. इस चर्चा से संकेत मिलता है कि संविधान के मसौदे के दौरान गारंटी के प्रस्ताव पर बहस हुई थी

प्रत्येक नागरिक को खंड *9 (*घ*)* में पत्राचार की गोपनीयता का अधिकार और उनके व्यक्तियों के घरों, कागजातों और संपत्तियों में अनुचित तलाशी और जब्ती से सुरक्षित रहने का संरक्षण। खंड *9 (*डी*)* पर आपत्ति सर अल्लादी कृष्णास्वामी की असहमति के नोट में दी गई थी।

अय्यर और यह उनका विचार था कि पत्राचार की गोपनीयता की गारंटी प्रत्येक निजी पत्राचार एक राज्य समाचार पत्र बन सकता है। एक भावना यह भी थी कि यह अभियोजन पक्ष को विशेष रूप से प्रभावित करेगा

षड्यंत्र या उकसाने के मामले। इसी तरह, खंड *10* पर उनकी आपत्ति यह था कि यह दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर देगा। बी. एन. राउ ने भी इसी तरह कहा कि यह पुलिस की जांच की शक्तियों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। पत्राचार की गोपनीयता की रक्षा करने वाले खंड को इस आधार पर हटा दिया गया था कि यह होगा

अभियोजन में एक गंभीर बाधा जबकि इसके खिलाफ संरक्षण अनुचित तलाशी और बरामदगी को इस आधार पर हटा दिया गया था कि क्षेत्र को कवर करने वाली दंड प्रक्रिया संहिता, *1898* में प्रावधान थे। संविधान सभा की बहसों से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित समावेश *(*जिसे अंततः हटा दिया गया था*)* दो विशिष्ट क्षेत्रों में था अर्थात् पत्राचार और तलाशी और जब्ती। इससे यह नहीं हो सकता है।

यह निष्कर्ष निकाला जाए कि संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता और स्वतंत्रताओं के एक अभिन्न तत्व के रूप में निजता के अधिकार की धारणा को अस्वीकार करने का स्पष्ट रूप से संकल्प लिया था।

327 बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः ए स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन *(1968),* पृष्ठों पर *219-220* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(RETD.) v.*

भारत का संघ

[{ डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

149. समय के साथ संविधान न्यायिक के रूप में विकसित हुआ है।

व्याख्या, विशिष्ट हितों और अधिकारों की मान्यता की ओर ले गई।

इन्हें संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं में शामिल किया गया है। इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद *21* की व्याख्या इस अर्थ में की गई है कि जीवन का अर्थ केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं है। इसमें वे सभी गुण शामिल हैं जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है। 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के दायरे की व्याख्या इस अर्थ में की गई है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। अनुच्छेद *14,19* और *21* के एकीकरण ने एक ऐसा न्यायशास्त्र अस्तित्व में लाया है जो अंतर-न्याय को मान्यता देता है। अधिकारों के बीच संबंध। इस प्रकार निष्पक्षता और गैर-भेदभाव की आवश्यकताएँ मूल और प्रक्रियात्मक दोनों को जीवंत करती हैं।

अनुच्छेद *21* के पहलू। इन संवैधानिक विकासों ने लिया है

कानून के शासन के तहत मानवाधिकारों को संरक्षित करने के लिए स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता वाली नई आवश्यकताओं से निपटने के लिए संविधान के शब्दों की व्याख्या की गई है। ए के साथ भारत का ब्रश बहुत दूर के अतीत में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निलंबन का शासन इस बात का एक गंभीर अनुस्मारक है कि अगर न्यायपालिका सतर्क नहीं है तो स्वतंत्रता कितनी कमजोर हो सकती है। संविधान की व्याख्या को इसकी मूल समझ से रोका नहीं जा सकता है। संविधान विकसित हुआ है और होना चाहिए।

वर्तमान और भविष्य की आकांक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार विकसित होना। न ही न्यायाधीश हर चुनौती और आकस्मिकता का पूर्वानुमान लगा सकते हैं।

जो भविष्य में हो सकता है। यह विशेष रूप से एक ऐसे युग में प्रासंगिक है जहां प्रौद्योगिकी सूचना, ज्ञान और मानव संबंधों की हमारी मौलिक समझ को फिर से आकार देती है जो हाल के दिनों में भी अज्ञात थी। इसलिए आज संविधान की व्याख्या करने वाले न्यायाधीशों के रूप में, न्यायालय

आने वाली पीढ़ियों के लिए गोपनीयता की चुनौतियों का सामना करने के लिए रास्ता खुला छोड़ना चाहिए जो आज अज्ञात हो सकती हैं।

150. कूपर में निर्णय का प्रभाव संविधान के भाग *III* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के बीच एक कड़ी स्थापित करना है। निर्णय का तत्काल परिणाम यह है कि एक कानून जो अनुच्छेद *19* में निहित व्यक्तिगत

स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करता है, उसे खंड *2* से *6* द्वारा अनुध्यात अनुमेय प्रतिबंधों के परीक्षण को पूरा करना चाहिए।

मौलिक स्वतंत्रता जिसका उल्लंघन किया जाता है। इसके अलावा, चूंकि मौलिक अधिकार आपस में संबंधित हैं, इसलिए अनुच्छेद *21* को उन अधिकारों के अवशेष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो अनुच्छेद *19* में विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं। दोनों सेट

अधिकारों का ओवरलैप और इसलिए एक कानून जो व्यक्तिगत में से एक को प्रभावित करता है अनुच्छेद *19* के तहत स्वतंत्रता, पूरा करने की आवश्यकता के अलावा

खंड *2* से *6* में विचार किए गए अनुमेय प्रतिबंधों को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को पूरा करना होगा

अनुच्छेद *21* के तहत एक वैध 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के मापदंड जहां यह जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव डालता है। कानून का मूल्यांकन उसके उद्देश्य के संदर्भ में नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों पर उसके प्रभाव और प्रभाव के आधार पर किया जाएगा। इस सिद्धांत के टूटने के साथ कि मौलिक अधिकार पानी के तंग डिब्बे हैं, पद

मेनका न्यायशास्त्र ने यह निर्धारित करने में निष्पक्षता और तर्कसंगतता की कसौटी लगाई कि क्या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पास होती है या नहीं। अनुच्छेद *21* के तहत। मौलिक स्तर पर, मौलिक अधिकारों पर अध्याय के प्रत्येक अनुच्छेद में अंतर्निहित संवैधानिक मूल्य दूसरों के अर्थ को जीवंत करते हैं। कानून के इस विकास ने एक प्राकृतिक विकास का अनुसरण किया है। आखिरकार इस विकास का आधार यह है कि

मौलिक अधिकारों की विविध गारंटी मनुष्यों से संबंधित हैं। प्रत्येक तत्व दूसरों के साथ मिलकर मानव व्यक्तित्व की संरचना में योगदान देता है। चीजों की प्रकृति में, किसी भी तत्व को समग्र से अलग तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है। मौलिक अधिकारों में से प्रत्येक के बीच घनिष्ठ संबंध ने मान्यता दी है

एक से अधिक, और कई अवसरों पर, मौलिक अधिकार। फिर भी अन्य उस मूल मूल्य को प्रतिबिंबित कर सकते हैं जिस पर मौलिक अधिकार स्थापित किए गए हैं। संविधान के जन्म के समय भी, संस्थापकों ने मान्यता दी थी

संविधान सभा कि, उदाहरण के लिए, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता को समझेगी। इसलिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी को बढ़ाने के लिए व्याख्या की गई है।

प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता की मान्यता न्यायिक आदेश द्वारा एक नया मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह उस मौलिक अधिकार की स्वीकृति है, जो अंतर्निहित है और जिसके बिना

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी पूरी नहीं होगी।

इसी तरह, अनुच्छेद *21* की व्याख्या एक स्पेक्ट्रम को शामिल करने के लिए की गई है

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिकार, जानने का अधिकार, संचार के साधनों का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, इसके अलावा हथकड़ी लगाने और त्वरित सुनवाई जैसे मामलों में आपराधिक कानून और प्रक्रिया के संदर्भ में अधिकारों का एक समूह। द.

जिन अधिकारों को अनुच्छेद *21* से बाहर निकलने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) विदेश जाने का अधिकार-सतवंत सिंह साहनी बनाम डी।

रामारत्नम ए. पी. ओ. नई दिल्ली *3 28.*

((ii) एकांत कारावास के खिलाफ अधिकार-सुनील बत्रा बनाम दिल्ली

प्रशासन *329*

328 (1967) 3 एससीआर *525*

329 (1978) 4 एस. सी. सी. *494* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

((iii) बार की बेड़ियों के खिलाफ कैदियों का अधिकार-चार्ल्स सोबराज बनाम अधीक्षक। केंद्रीय जेल *330 (iv)* कानूनी सहायता का अधिकार एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य *3 31*।

(v) त्वरित सुनवाई का अधिकार-हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य *332*

(vi) हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार-प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन *3 3 3 3*।

(vii) अभिरक्षा हिंसा के खिलाफ अधिकार-शीला बारसे बनाम। महाराष्ट्र राज्य *3 34. (viii)* सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार-ए जी ऑफ इंडिया बनाम लच्मा देवी *335*

(ix) सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की सहायता का अधिकार -

परमानंद कटारा बनाम भारत संघ *3 36.*

(x) आश्रय का अधिकार-शांतिस्टार बिल्डर बनाम एन. के. टोटम *3 37, (xi)* स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार-विरेन्द्र गौर बनाम राज्य

हरियाणा *3 1 38*

(xii) गैरकानूनी गिरफ्तारी के लिए मुआवजे का अधिकार-रुदल साह बनाम

बिहार राज्य *339*।

(xiii) यातना से मुक्ति का अधिकार सुनील बत्रा बनाम दिल्ली

1 .

प्रशासन *3 40*

(xiv) प्रतिष्ठा का अधिकार-उमेश कुमार बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश *341*

(xv) आजीविका कमाने का अधिकार-ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल

निगम *3 42.*

3 (1980) 3 एस. सी. सी. *526 * (1983) 2* एससीसी *96*

5 (1989) पूरक। *(1)* एससीसी *264*

(1989) 4 एससीसी *286*।

1 (1990) 1 एससीसी *520*

** 8 (1995) 2* एस. सी. सी. *577*

" 9 (1983) 4 एससीसी *141*

ओ *(1978) 4* एस. सी. सी. *494*

(2013) 10 एस. सी. सी. *591*

न ही यह संविधान संशोधन में लाया गया अभ्यास है।

न्यायिक निर्णय द्वारा और न ही इसके परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों के एक नए समूह का निर्माण होता है। अभ्यास मौजूदा व्याख्या करने में से एक रहा है संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार और उन अधिकारों के मूल को समझते हुए, अधिकार क्या समझता है, इसकी सीमा को परिभाषित करना।

151. संविधान के प्रारूपकों में इतिहास की समझ थी

सत्तावादी व्यवहार के खिलाफ गारंटी में स्वतंत्रता। संविधान कानून के शासन पर आधारित सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप अपनाया गया। फ्रेमर्स दो विश्व युद्धों में सत्तावादी शासनों द्वारा मानवाधिकारों के व्यापक दुरुपयोग के बारे में सचेत थे।

दो दशक। निर्माता अन्याय के प्रति समान रूप से जागरूक थे

एक औपनिवेशिक शासन के तहत और हाल ही में भयावहता का सामना करना पड़ा

विभाजन। मानव पीड़ा की पृष्ठभूमि ने संरक्षित करने का एक कारण प्रस्तुत किया कानून के शासन पर आधारित शासन का एक शासन जो मौलिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के खिलाफ लोकतांत्रिक जवाबदेही के अधीन होगा। मौलिक अधिकारों की सामग्री हमारे कार्यकाल के दौरान विकसित हुई

संवैधानिक इतिहास और गोपनीयता के मुद्दों पर कोई भी चर्चा, एक साथ स्वतंत्रता और गरिमा के साथ अपने संबंध के साथ, इतिहास के पाठ्यक्रम के संक्षिप्त संदर्भ के बिना अधूरा होगा क्योंकि यह पूर्ववर्ती रूप से उजागर होता है। के द्वारा

मौलिक में सन्निहित स्वतंत्रताओं और स्वतंत्रताओं की गारंटी देना

संविधान ने प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित किया है और उनके अस्तित्व को कम करने के प्रयासों से उन्हें सुरक्षित किया है।

प्रौद्योगिकी, जैसा कि हम आज अनुभव करते हैं, उससे बहुत अलग है।

यह उस पीढ़ी के जीवन में था जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था। इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ सूचना प्रौद्योगिकी

और उनके सभी परिचर अनुप्रयोगों ने पिछले दशक में जीवन की दिशा को तेजी से बदल दिया है। आज की तकनीक कुछ साल पहले के अप्रचलित अनुप्रयोगों के मॉडल प्रस्तुत करती है। अतः यह दोनों के साथ अन्याय होगा। संविधान के मसौदा तैयार करने वालों के साथ-साथ उस दस्तावेज़ को भी जिसे उन्होंने इसकी व्याख्या को मौलिक व्याख्या तक सीमित करने के लिए पवित्र किया। आज की समस्याओं का निर्णय एक जीवंत अनुप्रयोग द्वारा किया जाना है

संवैधानिक सिद्धांत और एक मौलिक रूप से अलग समाज के लिए उपयुक्त दृष्टि से रोका नहीं जा सकता है। हम संविधान को एक जीवित साधन के रूप में केवल इस कारण से वर्णित करते हैं कि यह एक ऐसा दस्तावेज है जो शाश्वत है।

भारतीय समाज के लिए मूल्य, इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लचीलापन है। इसकी निरंतर प्रासंगिकता सटीक रूप से आने वाली पीढ़ियों को उन सिद्धांतों को लागू करने की अनुमति देने की इसकी क्षमता में निहित है जिन पर न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v* है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उनकी कठिन समस्याओं के अभिनव समाधान खोजने के लिए स्थापित किया गया था समय समय पर। ऐसा करते हुए, हमें समान रूप से यह समझना चाहिए कि हमारे समाधानों को भी समझना चाहिए

लगातार री-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

152. केंद्र सरकार और इसका समर्थन करने वाले कुछ राज्यों ने इस न्यायालय से आग्रह किया है कि इसके द्वारा एक वैधानिक व्यवस्था है - जिसके कारण निजता का अधिकार पर्याप्त रूप से संरक्षित है और इसलिए निजता के संवैधानिक अधिकार को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है

मौलिक अधिकार। इस समर्पण को तर्क द्वारा मजबूत करने की कोशिश की जाती है कि निजता केवल एक सामान्य कानून अधिकार है और वैधानिक संरक्षण उस स्थिति का प्रतिबिंब है।

153. प्रस्तुतिकरण कारण की समझ की कमी को दर्शाता है

एक संवैधानिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार या जीवन का अधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा होने का चरित्र ग्रहण करता है, यह अलंघनीय स्थिति ग्रहण करता हैः संशोधन की शक्ति के बावजूद भी अलंघनीयता। सामान्य कानून के दायरे से परे नहीं है विधायी संशोधन। एक सांविधिक अधिकार को संशोधित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है या

विधानमंडल के एक साधारण अधिनियम द्वारा निरस्त किया गया। दूसरे शब्दों में, वैधानिक अधिकार विधायी बहुमत की मजबूरी के अधीन हैं। मकसद. एक संवैधानिक तत्व के साथ एक अधिकार को लागू करना ठीक इसे प्रदान करने के लिए है।

लोकप्रिय राय से प्रतिरक्षा की भावना और इसके प्रतिबिंब के रूप में, विधायी रद्द से। संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार इस उदार विश्वास को मूर्त रूप देते हैं कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ इतनी पवित्र हैं कि उन्हें एक सुरक्षात्मक कवच में रखना आवश्यक है जो उन्हें सामान्य कानून के दायरे से परे रखता है। एक संवैधानिक अधिकार को अस्वीकार करने के लिए

उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* की धारा *8 (1) (*जे*)* के प्रावधान जिसमें प्रकटीकरण से छूट शामिल है। सूचना ऐसी जानकारी को संदर्भित करती है जो एक

व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण।

लेकिन ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी अधिकार को भाग *III* में एक मजबूत संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाती है, तो यह एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। जिस पर कार्यकारी निर्णय लेने की वैधता का आकलन किया जा सकता है और न्यायिक समीक्षा द्वारा कानून की वैधता निर्धारित की जा सकती है। निहित संवैधानिक अधिकार कानून की वैधता का मूल्यांकन करने का आधार प्रदान करते हैं।

इसलिए, यह आग्रह करना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होगा कि कानून का अस्तित्व संवैधानिक अधिकार के औचित्य को नकारता है या संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। अनावश्यक अधिकार।

ओ एक अभिजात्य रचना नहीं है

154. महान्यायवादी ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि राज्य द्वारा प्रदान किए गए कल्याणकारी अधिकारों के हित में निजता के अधिकार को त्याग दिया जाना चाहिए। हमारे विचार में, यह निवेदन कि गोपनीयता का अधिकार एक है

अभिजात वर्ग का निर्माण जो बाकी समाज का गठन करने वाले बड़े बहुमत की जरूरतों और आकांक्षाओं से अलग है, वह टिकाऊ नहीं है। यह

प्रस्तुत करना संवैधानिक स्थिति की गलतफहमी को दर्शाता है। हमारा

संविधान व्यक्ति को अपने फोकस में सबसे आगे रखता है, भाग *III* में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की गारंटी देता है और इसके लिए एक आकांक्षा को मूर्त रूप देता है

भाग *IV* में सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करना। ऐसा कहना कि गरीब

किसी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है और केवल आर्थिक कल्याण से संबंधित हैं- हालांकि इतिहास का उपयोग मानवाधिकारों के सबसे गंभीर उल्लंघन को रोकने के लिए किया गया है। इन सबसे ऊपर, यह महसूस किया जाना चाहिए कि यह सवाल करने का अधिकार, जांच करने का अधिकार और असहमति का अधिकार है जो एक जानकार नागरिक को सरकार के कार्यों की जांच करने में सक्षम बनाता है।

जो शासित हैं उन्हें शासन करने वालों से सवाल करने का अधिकार है,

प्रावधान सहित अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में

सामाजिक-आर्थिक कल्याण लाभ। जांच करने और तर्क करने की शक्ति एक लोकतांत्रिक राजनीति के नागरिकों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है बुनियादी मुद्दों पर जो उनके अधिकारों को नियंत्रित करते हैं। यह सिद्धांत कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के अधीन हैं, अतीत में आग्रह किया गया है और इस न्यायालय द्वारा संवैधानिक निर्णय के दौरान स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।

155. नागरिक और राजनीतिक अधिकार और सामाजिक-आर्थिक अधिकार नहीं हैं।

विरोध की स्थिति में मौजूद हैं। सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने या उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक शर्तें राजनीतिक विध्वंस को स्वीकार नहीं करती हैं।

स्वतंत्रता। इसका कारण सरल है। सामाजिक-आर्थिक अधिकार

जिन लोगों के लिए वे अभिप्रेत हैं, उन्हें वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। यह हो सकता है

किराया मांगने के व्यवहार को समाप्त करके और उन व्यक्तियों द्वारा सामाजिक कल्याण लाभों पर कब्जा करने से रोककर जो न्याय के. एस. स्वामित्व *(*आर. ई. टी. डी.*)* के हकदार नहीं हैं।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

उन्हें। सामाजिक कल्याण लाभों पर कब्जा तभी किया जा सकता है जब राजनीतिक प्रणालियाँ पारदर्शी हों और सामाजिक कल्याण के लिए एक स्वतंत्र प्रवाह हो।

दुर्लभ आर्थिक संसाधन। दूसरी ओर, ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएँ पनपती हैं, यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी नीतियाँ आलोचना और मूल्यांकन के अधीन। यह जांच ही उप-कार्य करती है।

यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य कि सामाजिक-आर्थिक लाभ वास्तव में वंचितों तक पहुँचें जिनके लिए वे हैं। स्वतंत्रता की स्थितियाँ और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का एक जीवंत दावा निरंतर विकास को बढ़ावा देता है।

अनन्य। *156.* इनमें से कुछ विषयों को नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के लेखन में संबोधित किया गया है।

अकाल जैसी गंभीर स्थितियों में कई गैर-लोकतांत्रिक शासन

समान स्थितियों में लोकतांत्रिक समाजों की प्रतिक्रियाएँ। *1 43* उनका विश्लेषण

यह बताता है कि सरकारी नेताओं द्वारा प्राप्त राजनीतिक प्रतिरक्षा

सत्तावादी राज्य ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रभावी उपायों को रोकते हैं:

"उदाहरण के लिए, बोत्सवाना में खाद्य उत्पादन में *17* प्रतिशत की गिरावट आई और जिम्बाब्वे में *1979-1981* और *1979-1981* के बीच *38* प्रतिशत की गिरावट आई।

1983-1984 , उसी अवधि में जब खाद्य उत्पादन में गिरावट आई हो

सूडान और इथियोपिया में यह राशि अपेक्षाकृत मामूली *11* या *12* प्रतिशत थी। लेकिन जबकि सूडान और इथियोपिया, तुलनात्मक रूप से छोटे

खाद्य उत्पादन में गिरावट, बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा, बोत्सवाना और

इन बाद के देशों द्वारा व्यापक अकाल रोकथाम नीतियाँ।
क्या बोत्सवाना और जिम्बाब्वे की सरकारें विफल रही होतीं

समय पर कार्रवाई करें, वे गंभीर स्थिति में होते

विपक्ष से आलोचना और दबाव और समाचार पत्रों से बहुत आलोचना मिली होगी। इसके विपरीत, इथियोपियाई और सूडानी सरकारों को उन संभावनाओं के साथ हिसाब नहीं करना पड़ा, और लोकतांत्रिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए राजनीतिक प्रोत्साहन थे
उन देशों में पूरी तरह से अनुपस्थित। सूडान में अकाल और

343 अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2000)*, पृष्ठ *178-179* पर

+ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इथियोपिया-और उप-सहारा अफ्रीका के कई अन्य देशों में -

सत्तावादी देशों में सरकारी नेताओं द्वारा प्राप्त राजनीतिक प्रतिरक्षा से पोषित थे। ऐसा लगता है कि यह वर्तमान में लागू होता है।

उत्तर कोरिया में भी स्थिति "। *34*

भारतीय संदर्भ में, सेन बताते हैं कि *1943* के बंगाल के अकाल को न केवल औपनिवेशिक काल में लोकतंत्र की कमी के कारण व्यवहार्य बनाया गया था

भारत, लेकिन भारतीय प्रेस पर रिपोर्टिंग और आलोचना पर लगाए गए गंभीर प्रतिबंधों और अकाल पर 'मौन' के स्वैच्छिक अभ्यास द्वारा भी।

जिसे ब्रिटिश स्वामित्व वाले मीडिया ने *"345"* का अनुसरण करना चुना। राजनीतिक स्वतंत्रताएँ और

उप-सहारा अफ्रीका में खाद्य उत्पादन इसका आधा था। फिर भी महाराष्ट्र में अकाल नहीं पड़ा जहां पचास लाख लोग काम करते थे। उप-सहारा अफ्रीका में पर्याप्त अकाल के दौरान तेजी से सार्वजनिक परियोजनाओं का आयोजन किया गया। यह स्थापित करता है कि वह क्या कहते हैं "सुरक्षात्मक

लोकतंत्र की भूमिका "। सेन ने इस मुद्दे का संक्षिप्त विश्लेषण किया है:

"लोकतंत्र और गैर के बीच कारण संबंध

अकाल की घटना को खोजना मुश्किल नहीं है। अकाल ने लाखों लोगों की जान ली दुनिया के अलग-अलग देशों में लोग, लेकिन वे नहीं मारते

अकाल। दूसरी ओर, लोकतंत्र अकाल के दंड को सत्तारूढ़ समूहों और राजनीतिक नेताओं तक भी फैला देगा। इससे उन्हें किसी भी खतरे को रोकने के लिए राजनीतिक प्रोत्साहन मिलता है। अकाल, और चूंकि अकाल को वास्तव में रोकना आसान है *(*

आर्थिक तर्क इस स्तर पर राजनीतिक तर्क पर क्लिक करता है*)*,

आने वाले अकालों को दृढ़ता से रोका जाता है। *347*

दूसरे शब्दों में, इनके बीच एक आंतरिक संबंध है।

विकास और स्वतंत्रता:

344 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *179* पर

345 अमर्त्य सेन, द आइडिया ऑफ जस्टिस, पेंगुइन बुक्स *(2009)*, पृष्ठ *339 346* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *347* पर।

347 अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस *(2000)*, पृष्ठ *180* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"..... विकास को वास्तव में केवल प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता है

सुविधा की निर्जीव वस्तुओं को बढ़ाना, जैसे कि जीएनपी को बढ़ाना

प्रति व्यक्ति, या औद्योगीकरण या तकनीकी प्रगति या सामाजिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। ये उपलब्धियाँ निश्चित रूप से मूल्यवान हैं-अक्सर महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण-लेकिन उनका मूल्य इस बात पर निर्भर करना चाहिए कि वे इसमें शामिल लोगों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए क्या करते हैं। वयस्क मनुष्यों के लिए, पसंद की जिम्मेदारी के साथ, ध्यान अंततः इस बात पर होना चाहिए कि क्या उन्हें वह करने की स्वतंत्रता है जिसे वे महत्व देते हैं। इस मायने में,

*** 348*

विकास में लोगों की स्वतंत्रता का विस्तार शामिल है।

सार्वजनिक कानून में हाल ही में जुलाई *2017* में प्रकाशित एक लेख में, शीर्षक

"द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द मंडेला कांस्टीट्यूशन "*49*, जस्टिस एडविन

दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश कैमरन ने एक उल्लेखनीय उदाहरण दिया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मबेकी को संदेह हुआ

एड्स में अंतर्निहित चिकित्सा विज्ञान और प्रभावी रूप से एक व्यवहार्य ए. आर. वी. कार्यक्रम को बाधित किया। एड्स से इनकार करने की इस मुद्रा ने दक्षिण अफ्रीका को हिलाकर रख दिया

मना कर दिया। आखिरकार यह तब हुआ जब दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय ने उपचार कार्रवाई अभियान निर्णय *350* में हस्तक्षेप किया कि यह था अभिनिर्धारित किया कि सरकार तर्कसंगतता परीक्षण में विफल रही है। लेख में

नोट करता है कि निर्णय के परिणामस्वरूप, दवा उपलब्ध हो गई और "सैकड़ों और हजारों, शायद लाखों लोगों की जान बचाई गई है"। इसके अलावा, लेख में कहा गया है कि फैसले ने एड्स के बारे में सार्वजनिक चर्चा को बदल दिया और "इनकार करने वालों को भ्रमित करके और ऐसा करने में, इसे एक घातक झटका दिया" *351*

उदाहरणों को कई गुना किया जा सकता है कि कैसे एक राज्य ने पर्दे को मंजूरी दी

गलत सूचना या राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से सूचना को ब्लैक-आउट करने से सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को गंभीर रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। भारत की ताकत

लोकतंत्र स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को संविधान द्वारा प्रदान की गई नींव में निहित है। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता ऐसे मूल्य हैं जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए अंतर्निहित हैं। लेकिन उनके निर्माण में एक सहायक मूल्य भी है।

ऐसी स्थितियाँ जिनमें सामाजिक-आर्थिक अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत के पास लोहे का पर्दा नहीं है। हमारा समाज अपने आवरणों की छाया में समृद्ध होता है जो

34 % अमर्त्य सेन, "द कंट्री ऑफ फर्स्ट बॉयज़", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, *Pg.80-81 349* एडविन कैमरून और मैक्स टेलर, "द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द मंडेला कॉन्स्टिट्यूशन", पब्लिक लॉ *(2017)*, पृष्ठ *394* पर।

350 स्वास्थ्य मंत्री बनाम उपचार कार्रवाई अभियान, *(2002) 5* एसए *721 (*सीसी*) 351* एडविन कैमरन और मैक्स टेलर, "द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ द मंडेला कॉन्स्टिट्यूशन", सार्वजनिक कानून *(2017)*, पृष्ठ *395* पर

धूप में आने दें और भाषा, धर्म के आधार पर कई रंगों को प्रतिबिंबित करें,

संस्कृति और विचारधाराएँ।

157. हमें इस कथन में सार की कमी पर भी जोर देने की आवश्यकता है कि गोपनीयता कुछ लोगों के लिए एक विशेषाधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति में

सामाजिक वर्ग या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समाज अंतरंगता और स्वायत्तता का हकदार है जो गोपनीयता की रक्षा करता है। यह एक आंतरिक रूप से गोपनीयता है और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मुख्य विशेषता जो एक व्यक्ति को जबरन नसबंदी के कार्यक्रम के खिलाफ खड़े होने में सक्षम बनाती है। फिर से, यह है

गैर-सहमति वाले पुरुषों या महिलाओं के अनिवार्य दवा परीक्षण। विवाह की पवित्रता, प्रजनन की स्वतंत्रता, पारिवारिक जीवन का चुनाव और अस्तित्व की गरिमा ऐसे मामले हैं जो सामाजिक स्तर या आर्थिक कल्याण की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित हैं। खुशी की खोज स्वायत्तता और गरिमा पर आधारित है। दोनों ही आवश्यक विशेषताएँ हैं -

गोपनीयता जो व्यक्तियों के जन्म चिन्हों के बीच कोई अंतर नहीं करती है। पी केवल एक सामान्य कानून अधिकार नहीं है

158. संघ की रक्षा में भी कोई योग्यता नहीं है और

हो सकता है कि सामान्य कानून में सुरक्षा प्रदान की गई हो, इसका गठन नहीं करता है अधिकार की संवैधानिक मान्यता पर रोक। संविधान इस अधिकार को केवल इसलिए मान्यता देता है क्योंकि यह एक मौलिक घटना है।

जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की सुरक्षा की घटना संविधान के भाग *III* के प्रावधानों द्वारा गारंटीकृत, प्रस्तुत करना

कि गोपनीयता केवल सामान्य कानून में एक अधिकार है जो पेड़ों के लिए लकड़ी से चूक जाता है। केंद्रीय विषय यह है कि गोपनीयता जीवन का एक आंतरिक हिस्सा है, व्यक्तिगत

स्वतंत्रता और भाग *III* द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताएँ जो इसे हकदार बनाती हैं -

संवैधानिक सिद्धांत के मूल के रूप में संरक्षण। संविधान द्वारा निजता का संरक्षण इसे अनिश्चितताओं से मुक्त करता है।

वैधानिक कानून जो, जैसा कि हमने नोट किया है, एक बहुसंख्यक सरकार के लिए विधायी रद्द करने की सीमा के अधीन है। कोई भी संक्षिप्तता आवश्यक है

अनुच्छेद *21*, अनुच्छेद *19* या प्रासंगिक द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करें।

स्वतंत्रता। संवैधानिक अधिकार को एक ऐसे आधार पर रखा गया है जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों स्वतंत्रता का प्रतीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को अवांछित घुसपैठ से बचाती है। एक सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में, यह बाध्य है राज्य व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा के लिए उपयुक्त उपाय अपनाएगा। इस पहलू का एक उपयुक्त विवरण मैक्स प्लैंक जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* में निहित है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

तुलनात्मक संवैधानिक कानून का विश्वकोश, निजता के अधिकार पर अपने खंड में *3 52:*

"2. निजता का अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है।

परिभाषित किया। निजता के नकारात्मक अधिकार के तहत व्यक्तियों की रक्षा की जाती है।

राज्य और निजी दोनों अभिनेताओं द्वारा उनके निजी जीवन में अवांछित घुसपैठ से, विशेष रूप से ऐसी विशेषताएं जो उनकी व्यक्तिगत पहचान को परिभाषित करती हैं जैसे

कामुकता, धर्म और राजनीतिक संबद्धता, यानी किसी व्यक्ति के निजी जीवन का आंतरिक मूल।

निजता के सकारात्मक अधिकार को हटाने के लिए राज्यों का दायित्व है

व्यक्तिगत पहचान के स्वायत्त आकार के लिए बाधाएं। प्र. पर्याप्त देय प्रक्रिया

159. सुनवाई के दौरान गुजरात राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री राकेश द्विवेदी ने कहा कि कि अनुच्छेद *21* के संदर्भ में एक वैध कानून की आवश्यकता नहीं है

मूल नियत प्रक्रिया की धारणा द्वारा सशर्त। पर्याप्त नियत प्रक्रिया, यह आग्रह किया गया था कि यह एक अवधारणा है जो इसके संबंध में विकसित की गई है

अमेरिकी संविधान लेकिन भारतीय संविधान के संबंध में अनुचित है।

अनुच्छेद *21* के प्रारूपण के आसपास का इतिहास इंगित करता है कि

संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत नहीं करने का सचेत निर्णय

राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से वंचित करेगा। मूल रूप से तैयार किए गए खंड को संविधान सभा में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अधीन किया गया था। सबसे पहले, संविधान के प्रारूप के उपरोक्त खंड से संपत्ति के संदर्भ को हटा दिया गया था। संविधान सभा के सदस्यों ने माना कि नियत प्रक्रिया खंड के हिस्से के रूप में संपत्ति के अधिकार को बनाए रखना विधायी सुधार के लिए एक गंभीर बाधा पैदा करेगा, विशेष रूप से संपत्ति के पुनर्वितरण के साथ। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव एक बैठक से हुआ जो

श्री बी एन राउ ने अमेरिका में न्यायमूर्ति फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के साथ मुलाकात की थी। अमेरिका में विशेष रूप से महामंदी के आसपास के वर्षों में, अमेरिकी अदालतें समाज कल्याण कानून को अमान्य करने के लिए उचित प्रक्रिया खंड का उपयोग किया था। लोच्नर *3 3* युग में, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को अमान्य कर दिया

352 एना जॉनसन कॉर्नेल, "गोपनीयता का अधिकार", तुलनात्मक संवैधानिक कानून का मैक्स प्लैंक विश्वकोश *(2015)*

353 लोच्नर बनाम न्यूयॉर्क, *198* यू. एस. *45 (1905)*

जैसे कि कानून जो नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को दिन में दस घंटे या सप्ताह में साठ घंटे से अधिक काम करने से रोकते हैं।

कि यह अनुबंध की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। *1899* और *1937* के बीच

(नागरिक अधिकारों के मामलों को छोड़कर*), 159* अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने उचित प्रक्रिया और समान संरक्षण के तहत राज्य के कानूनों को असंवैधानिक ठहराया। खंड। इसके अलावा, *25* अन्य कानूनों को अमेरिकी संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ नियत प्रक्रिया खंड के तहत निरस्त कर दिया गया था।

संविधान। *354* उचित प्रक्रिया खंड के तहत, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय

नियोक्ताओं को भेदभाव करने से रोकने वाले श्रम कानून को निरस्त कर दिया गया

संघ की गतिविधि के आधार पर; मजदूरी का विनियमन; वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का विनियमन; और संघ में प्रवेश से इनकार करने वाला कानून। व्यवसाय। *355* इन निर्णयों को अंततः अलग किया गया या खारिज कर दिया गया।

1937 में और उसके बाद। *356*

160. इस पृष्ठभूमि में संविधान सभा ने दूसरा कदम उठाया

अभिव्यक्ति 'स्वतंत्रता' को योग्य बनाकर मूल मसौदे में महत्वपूर्ण परिवर्तन

'व्यक्तिगत' शब्द के साथ। श्री बी. एन. राउ ने सुझाव दिया कि यदि इस योग्यता को लागू नहीं किया जाता है, तो मूल्य नियंत्रण कानून भी

विक्रेता के बीच अनुबंध के अवसर में हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या की गई और खरीदार *(*इस संदर्भ में बी. शिव राव की 'द फ्रेमिंग ऑफ इंडियाज कांस्टीट्यूशनः एक अध्ययन *357)*।

161. तीसरा बड़ा बदलाव जो संविधान सभा ने किया

यह था कि वाक्यांश 'कानून की उचित प्रक्रिया' को पाठ से हटा दिया गया था

संविधान का मसौदा। बी. एन. राउ की न्यायधीश के साथ बैठक के बाद

फ्रैंकफर्टर, मसौदा समिति ने वाक्यांश 'की उचित प्रक्रिया' को हटा दिया

कानून 'और इसे' कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया 'के साथ प्रतिस्थापित किया। ग्रैनविल

ऑस्टिन फ्रैंकफर्टर और बी एन राउ के बीच बातचीत को संदर्भित करता है और

हटाने का कारण *3 58*

354 विलियम बी लॉकहार्ट और अन्य, संवैधानिक कानूनः मामले-टिप्पणियां-सवाल, पश्चिम

प्रकाशन कंपनी *(1986), 6* ए संस्करण, पृष्ठ *394* पर

355 एडायर बनाम संयुक्त राज्य, *208* यू. एस. *161,28* एस. सी. टी. *277* , *52* एल. एड. *436 (1908) (*पाँचवाँ*)*

संशोधन*);*

एडकिन्स बनाम चिल्ड्रन हॉस्प। *261* यूएस *525,43* एस. सी. टी. *22, 70* एल. एड *(1923) (*पाँचवाँ संशोधन*);* टायसन एंड ब्रो। वी. बैंटन, *273* यूएस *418,47* एस. सी. टी. *426, 71* एल. एड. *718 (1927);* और न्यू स्टेट आइस कंपनी *v.* लिबमैन, *285* यू. एस. *262,52* एस. सी. टी. *371* , *76* एल. एड. *747 (1932)*

356 एन. एल. आर. बी. बनाम जोन्स एंड लाफलिन स्टेल कार्पोरेशन। *(1937) ;*

वेस्ट कोस्ट होटल कंपनी बनाम पैरिश, *300* यूएस *379,57* एस. सी. टी. *578* , *81* एल. एड. *703 (1937) 357* बी. शिव राव, भारत के संविधान की रचनाः एक अध्ययन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान *(1968),* पृष्ठ *235* पर। बी. शिव राव, द फ्रेमिंग ऑफ भी देखें।

भारत का संविधान, खंड। *2* , पृष्ठों पर *20-36,147-153*

358 ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड

यूनिवर्सिटी प्रेस *(1966),* पृष्ठ *103* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

"इसके तुरंत बाद, राउ ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड की अपनी यात्रा शुरू की।

और इंग्लैंड ने संविधान के निर्माण के बारे में न्यायाधीशों, संविधानवादियों और राजनेताओं से बात की। संयुक्त राज्य अमेरिका में वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि वे न्यायिक समीक्षा की शक्ति को उचित प्रक्रिया में निहित मानते हैं।
खंड दोनों अलोकतांत्रिक-क्योंकि कुछ न्यायाधीश वीटो कर सकते थे

किसी राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा अधिनियमित कानून-और

न्यायपालिका के लिए बोझिल। फ्रैंकफर्टर दृढ़ता से था

हार्वर्ड लॉ स्कूल के महान संविधान से प्रभावित

वकील, जेम्स ब्रैडली थायर, जिन्हें यह भी डर था कि विधायी निरीक्षण या दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा के रूप में उचित प्रक्रिया पर बहुत अधिक निर्भरता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकती है। थायर का

फ्रैंकफर्टर से मिलने से पहले ही राउ के विचारों ने उन्हें प्रभावित किया था। उनमे
संवैधानिक पूर्वजों, राउ ने बताया था कि थायर और अन्य लोगों ने 'खोजने का प्रयास करने के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया था।

उच्चतम न्यायालय-अनुभव के सबक के बजाय-ए

जन-प्रतिनिधियों की गलतियों से बचाएँ "।

हालांकि संविधान सभा के कई सदस्यों ने बात की

हटाए जाने के बाद, सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इस कदम का इस आधार पर समर्थन किया कि अभिव्यक्ति 'उचित प्रक्रिया' के रूप में काम करेगी

सभी सामाजिक कानूनों के लिए बाधा उत्पन्न करना और न्यायिक अनियमितताओं को लागू करना।

कानून *"359* को ढालने के लिए। उनके शब्दों में *360:*

"..... 'उचित प्रक्रिया' के सिद्धांत के विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुसंगत दृष्टिकोण नहीं अपनाया है और निर्णय परस्पर विरोधी हैं।
न्यूनतम मजदूरी कानून या रोजगार पर प्रतिबंध को कुछ मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आक्रमण के रूप में माना गया है और

स्वतंत्रता, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पहले में

निर्णय, यह सिद्धांत कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह एक महिला हो, चाहे वह चौदह वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा हो या मजदूर, उसे किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार है जो उसे पसंद है और यह प्रांत नहीं है।

अन्य लोगों का उस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना। उस आधार पर, उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - न्यूनतम मजदूरी कानून व्यक्तिगत
स्वतंत्रता पर आक्रमण के रूप में अमान्य हैं।

9 संविधान सभा वाद-विवाद, खंड। *7 (6* दिसंबर *1948)*, पर उपलब्ध है

एचटीटीपीः //भारत की संसद। ठीक है। इन/एलएस/डिबेट/वॉल्यूम *7* पी*20* बी। एचटीएम

इबिद *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह खंड सभी सामाजिक कानूनों के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में काम कर सकता है,

यह सवाल, भारत की भविष्य की प्रगति, राज्यों की भलाई और सुरक्षा, न्यूनतम बनाए रखने की आवश्यकता स्वतंत्रता, किसी निर्णय पर आने से पहले सामाजिक नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समन्वय की आवश्यकता। एक बात भी लेनी होगी।

ध्यान में रखते हुए, अर्थात। , कि राज्य की सुरक्षा बहुत दूर है

इतना सुरक्षित जैसा कि हम वर्तमान में कल्पना कर रहे हैं।

दूसरी ओर, संविधान सभा के कई सदस्यों ने 'उचित प्रक्रिया' वाक्यांश को बनाए रखने को प्राथमिकता दी, जिनमें डॉ. सीतारामय्या, टी. टी. कृष्णमाचारी, के. संथानम, एम. ए. अय्यंगार, डॉ. बी. वी. केसकर, एस. एल. सक्सेना, ठाकुर दास भार्गव, हुकुम सिंह और अन्य शामिल थे। मुस्लिम लीग के चार सदस्य। *361* के. एम. मुंशी ने कहा कि *3 62:*

"..... उचित प्रक्रिया की एक ठोस व्याख्या लागू नहीं हो सकी

अनुबंध की स्वतंत्रता-जिस आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने सदी की शुरुआत में कुछ सामाजिक घोषणा की थी
विधान उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है और इसलिए

असंवैधानिक-लेकिन केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि 'व्यक्तिगत' को योग्यता स्वतंत्रता के लिए जोड़ा गया था। जब कोई कानून पारित किया गया हो

जो सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने का अधिकार देता है

मुन्शी ने कहा, 'अदालत इस बात पर विचार करेगी कि जो कानून पारित किया गया है वह ऐसा है या नहीं जो आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक है।

मामले का और इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, संतुलन टूट जाएगा

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच। अन्य सभा

सदस्यों ने सहमति व्यक्त कीः जबकि पारित होने में बाधा नहीं डालना चाहते हैं
सामाजिक सुधार कानून वे व्यक्ति की रक्षा करने की मांग की

एक मनमाना द्वारा पूर्वाग्रहपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता

कार्यकारी "।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने एक अंतर्दृष्टिपूर्ण अवलोकन में प्रतिद्वंद्वी दृष्टिकोण के गुण और अवगुणों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया। उनके शब्दों में *3 6 3:*

"इस विषय में दो मत हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि विधायिका पर ऐसा कोई कानून नहीं बनाने के लिए भरोसा किया जा सकता है जो

361 ग्रैनविल ऑस्टिन *(*सुप्रा नोट *358),* पृष्ठ *105* पर

362 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *105-106* *363* संविधान सभा वाद-विवाद, खंड। *7 (13* दिसंबर *1948),* एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः *//*

भारत की संसद। ठीक है। */* इस/डिबेट/वॉल्यूम *7* पी*25* ए में।

एच. टी. एम. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

मनुष्य के मौलिक अधिकारों को निरस्त करना, कहने के लिए, मौलिक

अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं, और परिणामस्वरूप,
'उचित प्रक्रिया' वाक्यांश की शुरूआत से कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता है। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि विधायिका पर भरोसा करना संभव नहीं है; विधायिका के गलत होने की संभावना है, जुनून, पार्टी के पूर्वाग्रह, पार्टी के विचारों और विधायिका द्वारा दूर ले जाने की संभावना है।

एक ऐसा कानून बना सकता है जो व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने वाले मौलिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकता है।

एक नागरिक। इसलिए हम दो कठिन स्थितियों में हैं। एक न्यायपालिका को विधायिका की इच्छा पर निर्णय लेने का अधिकार देना और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर इस आधार पर सवाल उठाना कि यह अच्छा कानून नहीं है।

मौलिक सिद्धांतों के साथ। क्या यह एक वांछनीय सिद्धांत है*?* द.

दूसरी स्थिति यह है कि विधायिका पर विश्वास किया जाना चाहिए कि वह खराब कानून न बनाए। किसी भी निश्चित पर पहुंचना बहुत मुश्किल है।
निष्कर्ष। दोनों तरफ खतरे हैं। अपने लिए मैं इस संभावना को पूरी तरह से नहीं छोड़ सकता कि पार्टी के लोगों से भरा एक विधानमंडल ऐसे कानून बनाए जो हमारे विचार को निरस्त या उल्लंघन कर सकता है।

किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले कुछ बुनियादी सिद्धांतों के रूप में। साथ ही, मैं यह नहीं देखता कि संघीय या सर्वोच्च न्यायालय में बैठे पांच या छह सज्जन, जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच कर रहे हैं और अपनी व्यक्तिगत अंतरात्मा या अपने पूर्वाग्रह या अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए कैसे भरोसा किया जा सकता है कि कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा कानून बुरा है। बल्कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ

एक आदमी को चारिब्डिस और स्कायला के बीच जाना पड़ता है और मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस पर फैसला करने के लिए सदन पर छोड़ दूंगा।

जो भी उसे पसंद हो। "

कुछ सदस्यों द्वारा 'उचित प्रक्रिया' को फिर से पेश करने के लिए प्रस्तावित संशोधनों को *13* दिसंबर *1948* को खारिज कर दिया गया था और वाक्यांश "देय" था। कानून की प्रक्रिया को मूल संविधान के मसौदे से हटा दिया गया था।

हालाँकि, कई सुरक्षा उपायों को शामिल करके मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत से बचाने के लिए संविधान में अनुच्छेद *22* को शामिल किया गया था।

162. गोपालन में, निवारक निरोध अधिनियम, *1950* था

इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसने महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से इनकार किया

मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के खिलाफ। बहुमत ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ प्रक्रियात्मक उचित प्रक्रिया है। मुख्य न्यायाधीश कनिया ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद *21* में ड्राफ्ट्समैन द्वारा जानबूझकर तैयार किया गया था ताकि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट शब्द का उपयोग न किया जा सके

'नियत प्रक्रिया 'जिसका उपयोग अमेरिकी संविधान में किया गया था। इसलिए यह

कानून द्वारा स्थापित अभिव्यक्ति प्रक्रिया को पढ़ने की अनुमति नहीं थी 'जिसका अर्थ है' प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया 'या प्राकृतिक के अनुपालन की आवश्यकता के रूप में

न्याय। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने अभिनिर्धारित किया कि 'देय' अभिव्यक्ति को पढ़ना संविधान में 'कानून की प्रक्रिया' की अनुमति नहीं थी क्योंकि यह उन 'सूक्ष्म और मायावी मानदंडों' की ओर ले जाएगी जो वाक्यांश में निहित हैं।

हमारे संविधान निर्माताओं का जानबूझकर बचने का उद्देश्य था। इसी तरह, न्यायमूर्ति दास ने यह भी कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने

जानबूझकर "अनिश्चित और बदलते अमेरिकी" को अपनाने से इनकार कर दिया। कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत "जिसे इसलिए पढ़ा नहीं जा सकता था

अनुच्छेद *21.* इसलिए, बहुमत का विचार था कि एक बार वैध रूप से अधिनियमित कानून द्वारा प्रक्रिया स्थापित हो जाने के बाद, अनुच्छेद *21* का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

163. न्यायमूर्ति फजल अली ने अपनी प्रसिद्ध असहमति में कहा कि

वाक्यांश 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' जापानी संविधान *(*जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिकी प्रभाव के तहत तैयार किया गया था*)* से लिया गया था और इसलिए अभिव्यक्ति का अर्थ है 'प्रक्रियात्मक'।

उचित प्रक्रिया '। न्यायमूर्ति फजल अली के विचार में अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले *(i)* एक नोटिस*; (ii)* सुनवाई का अवसर*; (iii)* एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय*;* और

((iv) प्रक्रिया का एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम। इन चार सिद्धांतों को तैयार करते हुए,

न्यायमूर्ति फजल अली ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"..... अनुच्छेद *21* जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और यह
एक अनिश्चित संरक्षण और एक ऐसा संरक्षण होगा जो होने लायक नहीं है, यदि चर्चा के तहत कानून का प्राथमिक सिद्धांत जो,

मौजूदा कानून द्वारा अनुमति दी गई और प्रक्रिया की स्थापना
युद्ध द्वारा परीक्षण या अग्निपरीक्षा द्वारा परीक्षण जो इंग्लैंड में पुराने समय में प्रचलित था। सवाल में कुछ ऐसी परिकल्पना की गई है जिसकी संभावना नहीं है।

ऐसा होता है, लेकिन यह एक कानूनी समस्या को जन्म देता है जिसे शायद केवल इस तरह से पूरा किया जा सकता है कि यदि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति का अर्थ केवल उनके द्वारा स्थापित या अधिनियमित कोई प्रक्रिया है।

कानून के अनुसार प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देना मुश्किल होगा, लेकिन यदि "कानून" शब्द में वह शामिल है जो मैंने उसे दिखाने का प्रयास किया है, तो ऐसा उत्तर उचित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सिद्धांत में कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है कि शब्द जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.*]*

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में चार सिद्धांत शामिल होने चाहिए।
प्रोफेसर विलिस की पुस्तक में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है,

एक ही सिद्धांत के अलग-अलग पहलू हैं और जिनके बारे में कोई अस्पष्टता या अनिश्चितता नहीं है। इन सिद्धांतों के रूप में

विद्वान लेखक बताते हैं और जैसा कि अधिकारी दिखाते हैं, ये बिल्कुल कठोर सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों के अनुकूल हैं।

प्रत्येक मामले की कुछ सीमाओं के भीतर। मुझे केवल यह जोड़ना है कि इस बात का गंभीरता से विरोध नहीं किया गया है कि इस अनुच्छेद में "कानून" का अर्थ वैध कानून है और "प्रक्रिया" का अर्थ कार्यवाही के कुछ निश्चित नियम हैं न कि कुछ ऐसा जो केवल प्रक्रिया का ढोंग है। " *354*

मेनका में, जहाँ याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त किया गया था

कटु या काल्पनिक। प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड, भगवती और कृष्ण अय्यर के विचार सामने आते हैं।निम्नलिखित संक्षिप्त उद्धरणः

"चंद्रचूड़, जे। *:* ..... लेकिन केवल किसी प्रकार की प्रक्रिया का प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है।

कभी भी अनुच्छेद *21* के अधिदेश को पूरा करें। निर्धारित प्रक्रिया

कानून द्वारा निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होना चाहिए, न कि काल्पनिक, दमनकारी या मनमाना।

"भगवती, जे। *:*

तर्कसंगतता का सिद्धांत, जो कानूनी रूप से और साथ ही

दार्शनिक रूप से, समानता या गैर का एक आवश्यक तत्व है

अनुच्छेद *14* में मनमानी सर्वव्यापी होने की तरह व्याप्त है

और अनुच्छेद *21* द्वारा अनुध्यात प्रक्रिया को अनुच्छेद के अनुरूप होने के लिए तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देना चाहिए।

14. यह "सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" होना चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होना चाहिए; अन्यथा, यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी और

अनुच्छेद *21* की आवश्यकता पूरी नहीं होगी। *366*

"कृष्णा अय्यर, जे। *:*

..... इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि किसी पर भी भरोसा करके अनुच्छेद *21* को विफल करना है।

औपचारिक विशेषण कानून, हालांकि, कमजोर या शानदार इसके प्रावधान, संविधान के खजाने को लूटना है।

1 1 गोपालन *(*सुप्रा नोट *3),* पृष्ठों पर *60-61 (*पैरा *77)*

मेनका *(*सुप्रा नोट *5),* पृष्ठ *323* पर *(*पैरा *48)*

6 इबिद, पृष्ठ *284* पर *(*पैरा *7)*

... संक्षेप में, अनुच्छेद *21* में "प्रक्रिया" का अर्थ है निष्पक्ष, औपचारिक नहीं।

प्रक्रिया "। कानून "उचित कानून है, कोई अधिनियमित टुकड़ा नहीं"। *367*

मेनका में फैसले के तुरंत बाद, सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया

एकान्त कारावास का तरीका चुनौतीपूर्ण नहीं था। जेल अधिनियम की धारा *30 (2)* को यह कहते हुए पढ़ा गया कि "मौत की सजा के तहत" अभिव्यक्ति उपचार की पूरी प्रक्रिया के बाद ही लागू होगी। दोषी द्वारा समाप्त कर दिया गया था और दया याचिका थी

मना कर दिया। न्यायमूर्ति डी. ए. देसाई ने बहुमत की ओर से बोलते हुए कहा किः

"..... द्वारा स्थापित "प्रक्रिया" अभिव्यक्ति में "कानून" शब्द

अनुच्छेद *21* में "कानून" की व्याख्या मेनका में अर्थ में की गई है।

गांधी का मामला कि कानून सही, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या दमनकारी नहीं होना चाहिए। *35* "

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि हमारा संविधान

एक उचित प्रक्रिया खंड शामिल नहीं है और राय है कि निर्णय के बाद

मेनका में, इस तरह के खंड की अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ेगाः

"..... यह सच है कि हमारे संविधान में कोई 'उचित प्रक्रिया' खंड या आठवां संशोधन नहीं है; लेकिन, कानून की इस शाखा में, कूपर और मेनका के बाद।

गाँधी का परिणाम एक ही है। *39 0*

164. बचन में हत्या के आरोप में मौत की सजा की संवैधानिक वैधता को एक ठोस चुनौती दी गई थी

सिंह *3 7 1.* फैसले में कहा गयाः

"*136* , अनुच्छेद *21* इस प्रकार हैः

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

यदि इस अनुच्छेद का विस्तार मेनका गांधी में बताए गए व्याख्यात्मक सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, तो यह निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

307 इबिद, पृष्ठ *338 (*पैरा *82* और *85) 368 (1978) 4* एस. सी. सी. *494* पर

369 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *574-575 (*पैरा *228) 370* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *518 (*पैरा *52) 371 (1980) 2* एस. सी. सी. *684* जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

आई.

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि

द्वारा स्थापित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अनुसार

वैध कानून ",

इसके विपरीत सकारात्मक रूप में, विस्तारित लेख इस प्रकार पढ़ा जाएगा

नीचेः

"स्थापित निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है।
वैध कानून द्वारा, "*372*

बचन सिंह ने स्पष्ट रूप से एक ठोस चुनौती को शामिल किया

किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता। बहुमत ने फैसला सुनाया अनुच्छेद *21* के तहत संवैधानिक चुनौती पर और यह अभिनिर्धारित किया कि यह मूल या प्रक्रियात्मक अयोग्यता से ग्रस्त नहीं है। अपनी असहमति *3 73* में, न्यायमूर्ति भगवती ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि अनुच्छेद *21* के तहत "प्रक्रिया" शब्द उस पूरी प्रक्रिया को शामिल करेगा जिसके द्वारा वंचित किया जाता है और

जिसमें न केवल "विशेषण" शामिल होगा बल्कि इसका मूल भाग भी शामिल होगा। कानून। न्यायालय के दृष्टिकोण सेः

"अनुच्छेद *21* में 'प्रक्रिया' शब्द उस पूरी प्रक्रिया को शामिल करने के लिए काफी व्यापक है जिसके द्वारा अभाव प्रभावित होता है और जिसमें शामिल होंगेः

न केवल विशेषण बल्कि कानून का मूल भाग भी। *374*

मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य *3 75 ("*मिट्ठू*")* मामले में, एक संविधान पीठ

दंड संहिता की धारा *303* की वैधता पर विचार किया गया जो प्रदान करता है

एक अनिवार्य मृत्युदंड के लिए जहां एक व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा काटते हुए हत्या करता है। धारा *303* ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *235 (2)* और *354 (3)* के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को बाहर कर दिया है, जिसके तहत आरोपी को सजा के सवाल पर सुनवाई की आवश्यकता होती है और इसके लिए "विशेष कारणों" को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

मृत्युदंड का प्रावधान। फैसले के दौरान, चंद्रचूड मुख्य न्यायाधीश ने उन स्थितियों के उदाहरण दिए जहां अनुच्छेद *14* और *21* की कसौटी पर एक ठोस अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय की टिप्पणियां, जो नीचे निकाली गई हैं, इंगित करेंगी

कि यद्यपि न्यायालय ने "मूल देय प्रक्रिया" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन यह मान्यता दी कि एक कानून अनुच्छेद *21* के तहत चुनौती देने के लिए उत्तरदायी होगा, न केवल इस आधार पर कि वह जो प्रक्रिया निर्धारित करता है वह नहीं है।

372 इबिद, पृष्ठ *730* (पैरा *136) 373 (1982) 3* एस. सी. सी. *24* पर

374 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *55* पर (पैरा *17)*

375 (1983) 2 एस. सी. सी. *277*

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायसंगत, न्यायसंगत और तर्कसंगत लेकिन एक ऐसा दंड लगाने के आधार पर जो बर्बर है या जैसा कि न्यायालय ने माना है, सभ्य लोगों के लिए एक अभिशाप है

न्यायशास्त्रः

"इन निर्णयों ने अनुच्छेद *21* के दायरे का विस्तार किया है

महत्वपूर्ण तरीके से और अब यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि यह

प्रक्रिया निर्धारित करना विधायिका और अदालतों के लिए है

इसका पालन करने के लिए; कि यह विधायिका को सजा प्रदान करने के लिए है

और अदालतों को इसे लागू करने के लिए। दो उदाहरण, निस्संदेह
चरम, के उद्देश्य के लिए चित्रण के माध्यम से लिया जा सकता है

यह दर्शाता है कि अदालतें कैसे बाध्य नहीं हैं, और वास्तव में नहीं हैं

निः शुल्क, एक अंधे पालन द्वारा एक काल्पनिक प्रक्रिया लागू करने के लिए

कानून का पत्र या एक क्रूर सजा लागू करना। एक कानून

यह प्रावधान करते हुए कि किसी अभियुक्त को नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

आत्मरक्षा में साक्ष्य को अनुच्छेद *14* और *21* द्वारा प्रभावित किया जाएगा।

इसी तरह, यदि कोई कानून यह प्रावधान करता है कि चोरी का अपराध
हाथ काटने के दंड से दंडनीय होगा,

कानून अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करने के रूप में बुरा होगा। एक बर्बर वाक्य

यह अनुच्छेद *21* के सभ्य न्यायशास्त्र के लिए अभिशाप है। ये
बेशक, चरम चित्रण हैं और हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कि हमारी विधायिकाएँ कभी भी ऐसे कानून पारित करेंगी। लेकिन ये उदाहरण

यह स्पष्ट करने के लिए कि न्याय के प्रश्न पर अंतिम शब्द
और निष्पक्षता विधायिका के साथ नहीं है। जैसे-जैसे

अनुच्छेद के खंड *(2)* से *(6)* के तहत प्रतिबंधों की तर्कसंगतता

19 यह अदालतों को तय करना है, तो क्या यह अदालतों को तय करना है

क्या किसी व्यक्ति को वंचित करने के लिए किसी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

उसका जीवन या स्वतंत्रता उचित, न्यायपूर्ण और उचित है। सवाल यह है

फिर जो हमारे सामने आता है वह यह है कि क्या मौत की सजा,
अपराध के लिए दंड संहिता की धारा *303* द्वारा निर्धारित

आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति द्वारा की गई हत्या

कारावास मनमाना और दमनकारी है ताकि इसका उल्लंघन किया जा सके

अनुच्छेद *21.376* द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार

(जोर दिया गया*)*

ए. के. रॉय बनाम भारत संघ *3 77* में,

निवारक निरोध, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिव्यक्ति को हटाने के लिए संविधान सभा में सचेत निर्णय को स्वीकार किया

'विधि की उचित प्रक्रिया 'अनुच्छेद *21* से। न्यायालय ने कहा किः

376 आई. बी. आई. डी., पृष्ठों पर *284-285 (*पैरा *6)*

377 (1982) 1 एस. सी. सी. *271* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* यूनियन ऑफ इंडिया।

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

"तथ्य यह है कि इंग्लैंड और अमेरिका निवारक का सहारा नहीं लेते हैं

सामान्य समय में नजरबंदी के बारे में हमारी संविधान सभा को पता था

और फिर भी इसने इसके लिए प्रावधान करने का फैसला किया, निर्दिष्ट के लिए इसके उपयोग को
मंजूरी दी उद्देश्य। दो अन्य प्रसिद्ध
लोकतंत्रों का रवैया

जीवन और स्वतंत्रता को विनियमित करने के साधन के रूप में निवारक निरोध

लोगों की संख्या निस्संदेह हमारे गठन के लिए प्रासंगिक थी

संविधान। लेकिन निर्माताओं ने इसे अपनाने और वैध बनाने का फैसला किया है

हम अपनी धारणाओं को आयात करके इसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हैं

सही और गलत क्या है। निष्पक्षता का न्याय करने की शक्ति
और एक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की न्याय्यता

अनुच्छेद *21* का उद्देश्य एक बात है: उस शक्ति को लिखा जा सकता है

उस लेख की भाषा से बाहर। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय

समान न्याय की नौकरानियाँ हैं और चूंकि, की शक्ति

की शक्ति की तुलना में सरकार विशाल है

एक व्यक्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल सुरक्षित हो सकती है

यदि उसके पास इस बात की गारंटी है कि उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। द.

स्वयं कानून की न्याय्यता पर निर्णय लेने की शक्ति काफी है

एक और बात: वह शक्ति एक 'उचित प्रक्रिया' से उत्पन्न होती है

प्रावधान जैसे कि *5* वीं और *14* वीं में पाया जाना है
अमेरिकी संविधान के संशोधन जिनके द्वारा नहीं

व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित किया जा सकता है।

कानून की उचित प्रक्रिया "। *378*

(जोर दिया गया*)*

सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार *3 7 9* में, इस न्यायालय ने

वैवाहिक अधिकारों की बहाली के प्रावधान की संवैधानिक वैधता

हिंदू विवाह अधिनियम, *1955* की धारा *9* में निहित है। न्यायालय ने पाया कि प्रावधान ने रोकने के सामाजिक उद्देश्य को पूरा किया

विवाहों का टूटना और इसके मनमाने तरीके से उपयोग किए जाने के खिलाफ सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

मोहम्मद में। आरिफ बनाम सुप्रीम कोर्ट *380,* की एक संविधान पीठ

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *21* के संदर्भ में "उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति में मृत्युदंड से उत्पन्न समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई शामिल होगी। अनुच्छेद *21* के विकास के इतिहास का पता लगाना,

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने संविधान पीठ में बहुमत के लिए बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

"पहिया पूरा चक्कर लगा चुका है। पर्याप्त देय प्रक्रिया अब है

378 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *301* पर *(*पैरा *35)*

379 (1984) 4 एस. सी. सी *90*

380 (2014) 9 एस. सी. सी. *737* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर लागू किया जाए। *1 381*
हाल ही में, न्यायमूर्ति चेलमेश्वर, की एक पीठ के लिए बोलते हुए

राजबाला बनाम हरियाणा राज्य *3 82* में दो न्यायाधीशों ने इस स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सावधानी बरती है कि अभिव्यक्ति 'की उचित प्रक्रिया' संविधान के निर्माण के बाद प्रारूपण प्रक्रिया में 'कानून' को जानबूझकर हटा दिया गया था। अतः, विद्वान न्यायाधीश के विचार में, यह होगा

अपनाई गई मूल नियत प्रक्रिया की धारणाओं को शामिल करना अनुचित है

भारतीय विधान की संवैधानिकता की जांच करते हुए अमेरिका में। द. न्यायालय ने टिप्पणी कीः

इस आधार पर कि कानून "मनमाना" है क्योंकि इस तरह के
अभ्यास एक मूल्य निर्णय का तात्पर्य है और अदालतें नहीं करती हैं

के कुछ विशिष्ट प्रावधान के ज्ञान की जांच करें

संविधान। इस तरह की जांच करने के लिए

वास्तव में "मूल" के सिद्धांत को आयात करने के लिए राशि

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियोजित उचित प्रक्रिया
जाँच करते समय समय के एक पूर्व बिंदु पर

भारतीय विधान की संवैधानिकता। जैसा कि उल्लेख किया गया है

संदिग्ध वैधता। यह न्यायालय बहुत पहले ए. एस. कृष्णा बनाम. राज्य
मद्रास के *[1957* एस. सी. आर. *399]* ने घोषणा की कि न्याय का सिद्धांत

भारतीय संविधान के तहत इस प्रक्रिया का कोई अनुप्रयोग नहीं है। जैसा कि बताया गया है।

*** 383*

फ्रैंकफर्टर द्वारा प्रकाशित, जे. मनमानेपन एक मंत्र बन गया।

(जोर दिया गया*)*

अनुच्छेद *21* के मसौदे के आसपास का संवैधानिक इतिहास

एक जानबूझकर और अध्ययन किए गए निर्णय का एक प्रचुर प्रतिबिंब शामिल है

संविधान सभा 'कानून की उचित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति को हटाएगी संविधान के प्रारूप से जब संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा में डॉ. बी. आर. की अध्यक्षता में मसौदा समिति

अम्बेडकर ने इस वाक्यांश को शामिल किया था, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया की अनिश्चितताओं के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद इसे हटा दिया गया।

हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में मौजूद अमान्यीकरण था उचित प्रक्रिया के आधार पर अमेरिका में सामाजिक कल्याण कानून

381 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *756* पर *(*पैरा *28)*

382 (2016) 2 एस. सी. सी. *445* *383* आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *481* पर *(*पैरा *64)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

खंड इस आधार पर कि यह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की श्रम के लिए एक मुक्त बाजार में काम करने के लिए खुद को पेश करने की अनुबंध की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यह मॉडल स्पष्ट रूप से उन लोगों को पसंद नहीं आया जिन्होंने भारतीय संविधान में इसी तरह के वाक्यांश को शामिल करने का विरोध किया था।

फिर भी संविधान सभा में बहसों से संकेत मिलता है कि

यह उचित प्रक्रिया खंड को हटाने के विरोध का एक बड़ा निकाय था, जिसने अंततः डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को निष्पक्ष रूप से सारांशित करने के लिए प्रेरित किया। प्रतिद्वंद्वी दृष्टिकोण सदन के निर्णय की ओर इशारा करता है। स्पष्ट रूप से 'उचित प्रक्रिया'

'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। 'लिबर्टी' को 'व्यक्तिगत *1*' द्वारा योग्य बनाया गया था।

इस पर ध्यान देने के बाद, निर्णय के बाद से अनुच्छेद *21* का विकास

कूपर में परिवर्तन के दो प्रमुख क्षेत्रों को इंगित किया गया है। सबसे पहले, मौलिक अधिकारों को अब अलग-थलग साइलो या पानी से तंग डिब्बों के रूप में नहीं माना जाता है। नतीजतन, अनुच्छेद *14* को सजीव करने के लिए माना गया है

अनुच्छेद *21* की सामग्री। दूसरा, अनुच्छेद *21* में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति अधिनियमित कानून में केवल प्रक्रिया की उपस्थिति की औपचारिक आवश्यकता को संदर्भित नहीं करती है। उस अभिव्यक्ति को धारण किया गया है प्रक्रिया की सामग्री और इसकी गुणवत्ता को दर्शाता है जो उचित, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। केवल यह तथ्य कि कानून जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रावधान करता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि

वैधता और संवैधानिक रूप से वैध होने की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत होनी चाहिए।

और तर्कसंगत। तर्कसंगतता की गुणवत्ता केवल उस प्रक्रिया की सामग्री से जुड़ी नहीं है जिसे कानून के संदर्भ में निर्धारित किया गया है।

अनुच्छेद *21* लेकिन कानून की सामग्री के लिए। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद *21* की आवश्यकता को केवल कानून के तहत निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के अधिनियमन द्वारा पूरा नहीं किया जाता है और एक कानून जो ऐसा करता है फिर भी इस आधार पर चुनौती देने के लिए अतिसंवेदनशील हो कि इसकी सामग्री एक वैध कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। कानून मूल के लिए खुला है

इस आधार पर चुनौती दें कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

इस आधार पर किसी कानून के लिए एक ठोस चुनौती से निपटने में कि

यह एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, संविधान के तय किए गए सिद्धांत हैं

व्याख्या जो क्षेत्र को धारण करती है। पहला अनुमान है कि

संवैधानिकता *384* जो इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि

384 चरणजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. *1951* एस. सी. *41;* राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर, ए. आई. आर. *1958* एस. सी. *538;* बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड *'v.* भारत संघ ए. आई. आर. *1961* एस. सी. *954;* पथुम्मा बनाम। केरल राज्य *(1970) 2* एस. सी. आर. *537;* आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ, *(1981) 4* एस. सी. सी. *675;* बिहार राज्य बनाम। बिहार डिस्टिलरी लिमिटेड, ए. आई. आर. *1997* एस. सी. *1511;* आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। के. पुरुषोत्तम रेड्डी।

(2003) 9 एस. सी. सी. *564,;* मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ, *(2004) 4* एस. सी. सी. *311;* गुजरात राज्य बनाम। मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब जमात, *2005 (8)* एस. सी. सी. *534;* भानुमति बनाम।

विधायिका जिसे कानून बनाने का कर्तव्य सौंपा गया है, वह समाज की जरूरतों को अच्छी तरह से समझती है और आसानी से यह नहीं माना जाएगा कि

एक संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया। भार उस व्यक्ति पर है जो इसे स्थापित करने के लिए संवैधानिक उल्लंघन का दावा करता है। दूसरा,

अदालतें सामाजिक और आर्थिक नीति के मामलों में युद्धरत तरीके से चलती हैं, जहां उनके पास मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञता की कमी होती है। नीति निर्माण राज्य को सौंपा गया है। *385*

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के लिए न्यायालय को अनुमति देने की आवश्यकता है

उस विधायिका का सम्मान करना जिसका कर्तव्य कानून बनाना और लागू करना है और

कार्यपालिका के लिए जिसका कर्तव्य कानून को लागू करना है। न्यायालय ने ऐसा नहीं किया

न्यायिक समीक्षा का अभ्यास, कानून बनाने वाले या कानून लागू करने वाले निकायों के विवेक के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करता है। अनुच्छेद *19* के संदर्भ में,

मद्रास राज्य बनाम वी. जी. रो में न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, जहाँ विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परीक्षण

तर्कसंगतता के स्वरूप को सभी के लिए लागू किया जा सकता है
मामले। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति,

लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य,
बुराई की सीमा और तात्कालिकता को दूर करने की मांग की गई

इस प्रकार, अधिरोपण का अनुपात, प्रचलित

उस समय की सभी शर्तों को न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए
फैसला. इस तरह के मायावी कारकों का मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के बनाने में

सभी परिस्थितियों में जो उचित है उसकी अवधारणा

मामले को देखते हुए, यह अपरिहार्य है कि सामाजिक दर्शन और पैमाना
निर्णय में भाग लेने वाले न्यायाधीशों के मूल्यों की भूमिका निभानी चाहिए

महत्वपूर्ण भाग, और विधायी के साथ उनके हस्तक्षेप की सीमा

उत्तर प्रदेश राज्य, *(2010) 12* एससीसी *1;* के. टी. प्लांटेशन प्रा. लिमिटेड वी. कर्नाटक राज्य, *(2011) 9* एस. सी. सी. *1;* मध्य प्रदेश राज्य बनाम। राकेश कोहली *(2012) 6* एस. सी. सी. *312;* नमित शर्मा बनाम। भारत संघ, *(2013) 1* एस. सी. सी. *745*

385 आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ, *(1981) 4* एस. सी. सी. *675;* महाराष्ट्र राज्य बोर्ड

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा *v.* परितोष भुपेश कुर्मरशेठ, ए. आई. आर. *1984* एस. सी. *1543;* आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। मैकडॉवेल। *(1996) 3* एस. सी. सी. *709;* भारत संघ बनाम। आजादी बचाओ आंदोलन, *(2004) 10* एस. सी. सी. *1;* यू. पी. राज्य बनाम जीत एस. बिष्ट *(2007) 6* एस. सी. सी. *586;* के. टी. प्लांटेशन प्रा. लिमिटेड वी. कर्नाटक राज्य, *(2011) 9* एससीसी *1;*

बैंगलोर विकास प्राधिकरण बनाम। द एयर क्राफ्ट एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, *2012 (1)* स्केल *646*

386 (1952) एससीआर *597*

:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

ऐसे मामलों में निर्णय केवल उनकी भावना से निर्धारित किया जा सकता है

जिम्मेदारी और आत्म-संयम और गंभीर प्रतिबिंब

कि संविधान केवल उनके लोगों के लिए नहीं है

सोचने का तरीका लेकिन सभी के लिए, और यह कि निर्वाचित बहुमत
जनता के प्रतिनिधियों ने अधिरोपण को अधिकृत किया है

प्रतिबंधों में से, उन्हें उचित माना जाता है। *387*

(जोर दिया गया*)*

165. न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, है -

निर्विवाद रूप से निर्णय लेने की संवैधानिक शक्ति के साथ निहित

किसी कानून की वैधता। जब किसी कानून की वैधता पर सवाल उठाया जाता है

इस आधार पर कि यह अनुच्छेद *21* में निहित गारंटी का उल्लंघन करता है, चुनौती का दायरा केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और उचित है या नहीं। अधिकार का अतिक्रमण करने वाले कानूनों की वैधता के लिए महत्वपूर्ण चुनौती

जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विचार किया गया है और उससे अलग-अलग तरीके से निपटा गया है।

संदर्भ, जैसे कि मृत्युदंड *(*बचन सिंह*)* और अनिवार्य

मृत्युदंड *(*मिट्ठू*)*, अन्य मामलों के साथ। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद *14*, इसके विरुद्ध एक गारंटी के रूप में

मनमानी, अनुच्छेद *21* की संपूर्णता को प्रभावित करती है। मनमानेपन के खिलाफ गारंटी और जीवन की सुरक्षा के बीच अंतर-संबंध

और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुआयामी स्तर पर काम करती है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करता है कि वंचित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद *14* प्रक्रिया और अभिव्यक्ति "कानून" दोनों को प्रभावित करता है। अनुच्छेद *21* के अर्थ के भीतर एक कानून के अनुरूप होना चाहिए

निष्पक्षता के मानदंड जो अनुच्छेद *14* में उत्पन्न होते हैं। सिद्धांत रूप में,

एक बार जब अनुच्छेद *14* का संबंध अनुच्छेद *21*, निष्पक्षता के मानदंडों और

तर्कसंगतता न केवल प्रक्रिया पर बल्कि कानून पर भी लागू होगी।

166. इन सबसे ऊपर, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा एक

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विधायी अतिक्रमण के खिलाफ शक्तिशाली गारंटी। इस अधिकार को सौंपने से संरक्षण का महत्व कम हो जाएगा।

संविधान द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसलिए, जबकि कानून की वैधता को संवैधानिक चुनौतियों में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग संवैधानिकता के अनुमान और विधायी, कार्यपालिका और सरकार के बीच शक्तियों के पृथक्करण के लिए एक सचेत सम्मान के साथ किया जाता है।

न्यायिक संस्थान, संवैधानिक शक्ति जो न्यायालय में निहित है

387 इबिद, पृष्ठ *607* पर

जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के एक जीवंत साधन के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए

व्यक्तियों से।

167. इसे 'मूल नियत प्रक्रिया' के अभ्यास के रूप में समझने का खतरा यह है कि इसके परिणामस्वरूप एक अवधारणा को शामिल किया जाता है

अमेरिकी संविधान जिसे संविधान बनाए जाने के समय जानबूझकर स्वीकार नहीं किया गया था। इसके अलावा, यहां तक कि अपने मूल देश में भी,

मूल उचित प्रक्रिया ने न्यायिक व्याख्या की अनिश्चितताओं को जन्म दिया है।

विशेष रूप से हमारे संविधान में उस वाक्यांश को हटाने के आसपास के संवैधानिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए, यह अनुचित होगा भारत में एक संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बराबरी करने के लिए

के प्रयोग के साथ एक कानून की वैधता के लिए ठोस चुनौती

अमेरिकी संविधान के तहत मूल देय प्रक्रिया। कुछ निर्णयों में मूल देय प्रक्रिया का संदर्भ अनिवार्य रूप से इस आधार पर एक कानून की वैधता के लिए एक मूल चुनौती का संदर्भ है कि इसके मूल *(*प्रक्रियात्मक से अलग*)* प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

संविधान।

आर निजता की अनिवार्य प्रकृति

168. फिर, गोपनीयता क्या मानती है*?* निजता बताती है कि

व्यक्ति के लिए एक निजी स्थान का आरक्षण, जिसे अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है

अकेला रहने दो। यह अवधारणा व्यक्ति की स्वायत्तता पर आधारित है।

किसी व्यक्ति की चुनाव करने की क्षमता मानव व्यक्तित्व के मूल में निहित है। निजता की धारणा व्यक्ति को दावा करने में सक्षम बनाती है और

मानव तत्व को नियंत्रित करें जो व्यक्तित्व से अविभाज्य है व्यक्ति को। मानव व्यक्तित्व की अलंघनीय प्रकृति प्रकट होती है।

मानव जीवन के अंतरंग मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता। द.

व्यक्ति की स्वायत्तता उन मामलों से जुड़ी होती है जिन्हें रखा जा सकता है।

निजी। ये ऐसी चिंताएं हैं जिन पर गोपनीयता की वैध अपेक्षा है। शरीर और मन मानव व्यक्तित्व के अविभाज्य तत्व हैं। शरीर की अखंडता और मन की पवित्रता कर सकती है

यह इस आधार पर मौजूद है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अविभाज्य क्षमता और एक निजी स्थान को संरक्षित करने का अधिकार है जिसमें मानव व्यक्तित्व विकसित हो सकता है। चुनाव करने की क्षमता के बिना, व्यक्तित्व की अनुल्लंघनीयता संदेह में होगी। गोपनीयता के एक क्षेत्र को पहचानना लेकिन एक है

यह स्वीकार करना कि प्रत्येक व्यक्ति को चार्ट बनाने और व्यक्तित्व के विकास के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए गोपनीयता एक अभिधारणा है।

स्वयं मानव गरिमा के लिए। विचार और व्यवहार संबंधी पैटर्न जो किसी व्यक्ति के लिए अंतरंग होते हैं, वे गोपनीयता के क्षेत्र के हकदार होते हैं जहां कोई व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होता है। निजता के उस क्षेत्र में, एक व्यक्ति न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* नहीं है।

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

दूसरों द्वारा न्याय किया जाता है। निजता प्रत्येक व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

जो मानव व्यक्तित्व में अभिव्यक्ति पाते हैं। यह व्यक्तियों को एकरूपता की सामाजिक मांगों के खिलाफ अपनी मान्यताओं, विचारों, अभिव्यक्तियों, विचारों, विचारधाराओं, प्राथमिकताओं और विकल्पों को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। गोपनीयता एक है

विविधता की आंतरिक मान्यता, व्यक्ति के अलग होने के अधिकार और एक क्षेत्र बनाने में अनुरूपता के ज्वार के खिलाफ खड़े होने के लिए

यह सभी स्वतंत्रता की नींव का गठन करता है क्योंकि यह गोपनीयता में है कि व्यक्ति यह तय कर सकता है कि स्वतंत्रता का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाता है। व्यक्तिगत गरिमा और गोपनीयता एक बहुवचन संस्कृति के ताने-बाने में विविधता के धागे से बुने गए पैटर्न में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।

169. व्यक्ति की निजता गरिमा का एक अनिवार्य पहलू है।

गरिमा का एक आंतरिक और वाद्य मूल्य दोनों है। एक आंतरिक मूल्य के रूप में, मानव गरिमा अपने आप में एक अधिकार या संवैधानिक रूप से संरक्षित हित है। इसके सहायक पहलू में, गरिमा और स्वतंत्रता हैं

अविभाज्य रूप से आपस में जुड़े हुए, प्रत्येक दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक सुविधाजनक उपकरण है। गोपनीयता के क्षेत्र की रक्षा करने की व्यक्ति की क्षमता सक्षम बनाती है।

जीवन और स्वतंत्रता के पूर्ण मूल्य का बोध। स्वतंत्रता का एक व्यापक अर्थ है जिसका गोपनीयता एक उपसमुच्चय है। सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग गोपनीयता में नहीं किया जा सकता है। फिर भी अन्य को केवल एक निजी स्थान के भीतर पूरा किया जा सकता है। निजता

व्यक्ति को शरीर और मन की स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता है। निजता को एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में नहीं लिया गया है। लेकिन यह उसे दिए गए संवैधानिक संरक्षण से विचलित नहीं करता है, एक बार गोपनीयता की वास्तविक प्रकृति और इसकी उन मौलिक अधिकारों के साथ संबंध जो स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं

समझा जाता है। गोपनीयता संरक्षित स्वतंत्रताओं के दायरे में आती है। समानता की गारंटी मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है। यह राज्य को व्यक्तियों के बीच भेदभाव करने से रोकता है। द.

एक पवित्र व्यक्तिगत स्थान की स्थिति से विनाश, चाहे वह शरीर का हो या मन का, मनमाने राज्य के खिलाफ गारंटी का उल्लंघन है। कार्रवाई। शरीर की गोपनीयता व्यक्ति को व्यक्तित्व के भौतिक पहलुओं की अखंडता का अधिकार देती है। किसी की मानसिक स्थिति के बीच का प्रतिच्छेदन

सत्यनिष्ठा और गोपनीयता व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता, जो सही है उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। जब ये गारंटी लिंग के साथ प्रतिच्छेदन करती हैं, तो वे एक निजी स्थान बनाते हैं।

पी.

जो उन सभी तत्वों की रक्षा करता है जो लिंग पहचान के लिए महत्वपूर्ण हैं।

परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास सभी अभिन्न हैं। व्यक्ति की गरिमा के लिए। इन सबसे ऊपर, व्यक्ति की निजता यह निर्धारित करने के एक अलंघनीय अधिकार को मान्यता देती है कि स्वतंत्रता का प्रयोग कैसे किया जाएगा। एक व्यक्ति यह समझ सकता है कि अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा रूप चुप रहना है। मौन गोपनीयता के एक क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। एक कलाकार एक रचनात्मक प्रयास में आत्मा का प्रतिबिंब पाता है। एक लेखक एक के परिणाम को व्यक्त करता है

विचार की प्रक्रिया। एक संगीतकार उन स्वरों पर विचार करता है जो संगीत की दृष्टि से मौन की ओर ले जाते हैं। मौन, जो भीतर निहित है, क्षमता पर प्रतिबिंबित करता है विचारों और विचारों को व्यक्त करने या दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका चुनें। ये व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अनुच्छेद *19* के तहत स्वतंत्रताओं को पूरा किया जा सकता है जहां व्यक्ति अपने बारे में निर्णय लेने का हकदार है।

वरीयताएँ। अनुच्छेद *21* के साथ संयोजन में पढ़ें, स्वतंत्रता व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर वरीयताओं का विकल्प देने में सक्षम बनाती है, जिसमें शामिल हैं -

कोई क्या खाएगा और कैसे खाएगा, किस तरह से कपड़े पहनेगा, किस विश्वास का पालन करेगा और असंख्य अन्य मामले जिन पर स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए व्यक्ति की गोपनीयता के भीतर चुनाव करने की आवश्यकता होती है। दिमाग। अनुच्छेद *25* के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार में एक विश्वास चुनने की क्षमता और दुनिया के सामने उन विकल्पों को व्यक्त करने या न करने की स्वतंत्रता निहित है। ये कुछ हैं

जिस तरह से गोपनीयता स्वतंत्रता को सुविधाजनक बनाती है और है, उसके चित्र

स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए आंतरिक। संविधान में एक अलग अनुच्छेद नहीं है जो हमें बताता है कि निजता को एक अधिकार घोषित किया गया है।

मौलिक अधिकार। न ही हमने भाग *III* के प्रावधानों को इसके साथ जोड़ा है।

एक अल्फा प्रत्यय गोपनीयता का अधिकारः यह न्यायिक पुनर्लेखन का कार्य नहीं है। गोपनीयता के बिना गरिमा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। दोनों अविभाज्य के भीतर रहते हैं। जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मूल्य जिन्हें संविधान ने मान्यता दी है। निजता व्यक्ति की पवित्रता की अंतिम अभिव्यक्ति है। यह एक

संवैधानिक मूल्य जो मौलिक अधिकारों के दायरे में फैला हुआ है और व्यक्ति के लिए पसंद के क्षेत्र की रक्षा करता है और

आत्मनिर्णय।

गोपनीयता मानव व्यक्तित्व के मूल का प्रतिनिधित्व करती है और

प्रत्येक व्यक्ति की विकल्प चुनने और लेने की क्षमता को पहचानता है अंतरंग और व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले निर्णय। फिर भी, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि व्यक्ति समुदायों में रहते हैं और समुदायों में काम करते हैं।

उनके व्यक्तित्व प्रभावित करते हैं और बदले में उनके सामाजिक रूप से आकार लेते हैं। पर्यावरण। व्यक्ति साधु नहीं है। व्यक्तियों का जीवन उतना ही सामाजिक घटना है। दूसरों के साथ अपनी बातचीत में, व्यक्ति जस्टिस के एस पुट्स्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

वे व्यवहार के प्रतिमानों और समाज के बाकी हिस्सों को प्रभावित करने वाले संबंधों में लगातार लगे रहते हैं। समान रूप से, व्यक्ति का जीवन हो रहा है

में रहने से आत्मसात सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों द्वारा लगातार आकार दिया गया

समुदाय को। प्रवाह की यह स्थिति जो समाज के बाकी हिस्सों के साथ संबंधों में व्यक्तिगत व्यक्तित्व के निरंतर विकास का प्रतिनिधित्व करती है, व्यक्ति को आराम का क्षेत्र आरक्षित करने के लिए तर्क प्रदान करती है। समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्ति जो जीवन जीते हैं, वे एक उचित जीवन प्रदान करते हैं।

गोपनीयता की अपेक्षा। निजता की उचित अपेक्षा की धारणा में व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकृति के तत्व हैं। व्यक्तिपरक स्तर पर गोपनीयता उन क्षेत्रों का प्रतिबिंब है जहाँ एक व्यक्ति की इच्छा होती है।

अकेला छोड़ दिया जाए। एक वस्तुनिष्ठ स्तर पर, गोपनीयता को उनके द्वारा परिभाषित किया जाता है

व्यक्तिगत विकल्पों का चयन व्यवस्थित जीवन जीने के लिए दूसरों के अधिकारों के अधीन है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसके पास भूमि का एक भूखंड है, वह क्षेत्राधिकार नियमों के अधीन उस पर निर्माण करने का निर्णय ले सकता है। यदि भवन कानून द्वारा उस क्षेत्र को परिभाषित करें जिस पर निर्माण किया जा सकता है या संपत्ति के चारों ओर चारदीवारी की ऊंचाई, व्यक्ति की गोपनीयता का अधिकार

नियोजित स्थानों में समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः जबकि व्यक्ति एक का हकदार है निजता का क्षेत्र, इसकी सीमा न केवल व्यक्ति की व्यक्तिपरक अपेक्षा पर आधारित है, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांत पर आधारित है जो एक उचित दृष्टिकोण को परिभाषित करता है।

उम्मीद है।

एस सूचनात्मक गोपनीयता

170. हमारा युग सूचना का युग है। जानकारी ज्ञान है। पुरानी कहावत कि "ज्ञान ही शक्ति है" का उस व्यक्ति की स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है जहां डेटा सर्वव्यापी है, एक सर्वव्यापी उपस्थिति है। प्रौद्योगिकी ने जीवन को मौलिक रूप से परस्पर जुड़ा हुआ बना दिया है। द.

इंटरनेट व्यापक हो गया है क्योंकि लोग अपने जीवन के प्रत्येक दिन अधिक से अधिक समय ऑनलाइन बिताते हैं। व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़ते हैं और संचार के साधन के रूप में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट का उपयोग व्यापार करने और वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाता है। व्यक्ति ब्राउज़ करते हैं

जानकारी की खोज में वेब, ई-मेल भेजने के लिए, तत्काल संदेश का उपयोग करें

सेवाओं और फिल्में डाउनलोड करने के लिए। ऑनलाइन खरीदारी पड़ोसी स्टोर पर दैनिक यात्रा के लिए एक कुशल विकल्प बन गई है। ऑनलाइन बैंकिंग ने बैंकरों और ग्राहकों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित किया है।

उनके जीवन का हर दिन इंटरनेट। फिर भी एक व्यक्ति का हर लेन-देन उपयोगकर्ता और वह जिस भी साइट पर जाती है, वह आम तौर पर उसकी जानकारी के बिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक छोड़ देती है। इन इलेक्ट्रॉनिक पटरियों में जानकारी के शक्तिशाली साधन होते हैं जो उस व्यक्ति के प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं जो

उपयोगकर्ता है और उसकी रुचियाँ *388* हैं। व्यक्तिगत रूप से, ये सूचना साइलो अप्रासंगिक लग सकते हैं। एकत्रीकरण में, वे प्रकृति का खुलासा करते हैं व्यक्तित्वः खान-पान की आदतें, भाषा, स्वास्थ्य, शौक, यौन प्राथमिकताएं, दोस्ती, पोशाक के तरीके और राजनीतिक संबद्धता। एकत्रीकरण में,

जानकारी अस्तित्व की एक तस्वीर प्रदान करती हैः जिन चीजों का महत्व है और

जिन चीजों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए और जो सबसे अच्छी तरह से छिपी हुई हैं।

171. लोकप्रिय वेबसाइटें उपयोगकर्ता के ब्राउज़र द्वारा कुकी फ़ाइलों को स्थापित करती हैं।

कुकीज ब्राउज़र को विशिष्ट पहचाने गए नंबरों के लिए टैग कर सकते हैं, जो अनुमति देते हैं

वे तेजी से उपयोगकर्ताओं को पहचानने और ऑनलाइन के बारे में जानकारी को सुरक्षित करने के लिए

व्यवहार। जानकारी, विशेष रूप से उपयोगकर्ता के ब्राउज़िंग इतिहास का उपयोग उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल बनाने के लिए किया जाता है। एल्गोरिदम का उपयोग बनाने की अनुमति देता है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बारे में प्रोफाइल। ई-मेलों का स्वचालित सामग्री विश्लेषण

उपयोगकर्ता के ई-मेल पढ़ने की अनुमति देता है। ई-मेल का विश्लेषण करके पता लगाया जा सकता है।

उपयोगकर्ता की रुचियों और विंडो की साइट पर उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त विज्ञापनों को लक्षित करना। जिन पुस्तकों को कोई व्यक्ति ऑनलाइन खरीदता है, वे उसी शैली के लक्षित विज्ञापन के लिए पदचिह्न प्रदान करती हैं। चाहे एयरलाइन का टिकट इकोनॉमी या बिजनेस क्लास में खरीदा गया हो, यह महत्वपूर्ण है।

रोजगार प्रोफाइल या व्यय क्षमता के बारे में जानकारी। टैक्सी सवारी

शॉपिंग मॉल में ऑनलाइन बुक की गई चीज़ें ग्राहक की प्राथमिकताओं का विवरण प्रदान करती हैं। एक महिला जो गर्भावस्था से संबंधित दवाएं ऑनलाइन खरीदती है, वह शिशु उत्पादों के लिए विज्ञापन प्राप्त करने के लिए कतार में होगी। जीवन इलेक्ट्रॉनिक जांच के लिए खुले हैं। इसे हल्के में रखने के लिए, सूचना के युग में गोपनीयता की चिंताएं गंभीर रूप से एक मुद्दा हैं।

172. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी एक प्रेस नोट

388 फ्रेंकोइस नवरोट, कटारज़िना सिस्का और प्रिज़्मिस्लाव स्वितालस्की, "मौलिक अधिकारों का क्षैतिज अनुप्रयोग-इंटरनेट पर गोपनीयता का अधिकार", *9* वीं वार्षिक यूरोपीय संविधानवाद संगोष्ठी *(*मई *2010),* वारसॉ विश्वविद्यालय, देखें, जो यहां उपलब्ध हैः *//* एन। जेडपीसी। डब्ल्यूपीआईए। यू. डब्ल्यू. एडयू। पीएल*/*डब्ल्यूपी-सामग्री*/*अपलोड*/2010/04*

*9*_क्षैतिज _ मौलिक _ अधिकारों का अनुप्रयोग।

पी. डी. एफ. जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

और *468.64* मिलियन ग्रामीण ग्राहक। इंटरनेट की कुल संख्या ग्राहक *391.50* मिलियन थे जो पिछली तिमाही की तुलना में *18.04* प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं। *236.09* लाखों ब्रॉडबैंड ग्राहक थे।

370 मिलियन वायरलेस इंटरनेट ग्राहकों का आंकड़ा है। प्रति *100* आबादी पर कुल इंटरनेट ग्राहक *30.56* थे; शहरी इंटरनेट ग्राहक प्रति *100* जनसंख्या पर *68.86* थे और ग्रामीण इंटरनेट ग्राहक *13.08* थे। आंकड़े केवल बढ़ते जा रहे हैं।

173. सूचना के युग ने जटिल मुद्दों को जन्म दिया है

सूचनात्मक गोपनीयता। ये मुद्दे सूचना की प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। जानकारी के तीन पहलू हैंः यह गैर-प्रतिद्वंद्वी, अदृश्य और पुनः संयोजक है। जानकारी इस अर्थ में गैर-प्रतिद्वंद्वी है कि वहाँ हो सकता है अच्छे के साथ-साथ उपयोगकर्ता होना-एक व्यक्ति द्वारा जानकारी के एक टुकड़े का उपयोग करने से यह दूसरे के लिए कम उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा, डेटा गोपनीयता के आक्रमणों का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि वे अदृश्य हो सकते हैं।

जानकारी को बिना किसी सूचना के प्राप्त किया जा सकता है, संग्रहीत किया जा सकता है और प्रसारित किया जा सकता है। प्रकाश की गति से यात्रा करने की इसकी क्षमता पहुंच की अदृश्यता को बढ़ाती है।

आंकड़ों के अनुसार, "सूचना संग्रह सभी की सबसे तेज चोरी हो सकती है"। तीसरा, जानकारी इस अर्थ में पुनः संयोजक है कि डेटा आउटपुट का उपयोग इस रूप में किया जा सकता है

अधिक डेटा आउटपुट उत्पन्न करने के लिए एक इनपुट।

174. ज्ञान की खोज के साथ डेटा माइनिंग प्रक्रियाएं

व्यक्तियों के बारे में तथ्य बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। मेटाडेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मानव अस्तित्व को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है

व्यक्ति; कुछ ऐसा जो उसके पास भी नहीं था। यह अदालत के लिए गंभीर मुद्दे पैदा करता है। तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के युग में यह एक न्यायाधीश के लिए जानकारी के सभी संभावित उपयोगों या इसके परिणामों की कल्पना करना असंभव हैः

टी.

..... नए ज्ञान का निर्माण डेटा गोपनीयता कानून को जटिल बनाता है।

389 प्रेस विज्ञप्ति *45/2017*, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः *//*ट्राई करें। गव. इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल /

पीआर *No.45of2017*। पीडीएफ

39 0 क्रिस्टीना पी. मोनियोडिस, "निक्सन से नासा की ओर बढ़नाः प्राइवेसीज़ सेकंड स्ट्रैंड ए राइट टू इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी ", येल जर्नल ऑफ़ लॉ एंड टेक्नोलॉजी *(2012)*, वॉल्यूम।

15 (1) , पृष्ठ *153* पर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी शामिल है जो व्यक्ति के पास नहीं थी और हो सकती थी

जानबूझकर या अन्यथा खुलासा न करें। इसके अलावा, जैसे-जैसे हमारा राज्य बढ़ती निर्भरता के माध्यम से एक "सूचना राज्य" बन जाता है
जानकारी-ऐसी जानकारी जिसे "जीवन-रक्त के रूप में वर्णित किया गया है जो राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक निर्णयों को बनाए रखता है। सूचना के सभी संभावित उपयोगों और परिणामी नुकसानों की अवधारणा बनाना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति अदालतों के लिए एक चुनौती है

जिन्हें प्रभावी रूप से अदृश्य, विकसित होने वाले नुकसानों का पूर्वानुमान लगाने और उनका उपचार करने के लिए कहा जाता है, "

समकालीन युग को उचित रूप से "एक युग" के रूप में माना गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी "*393* के उपयोग के माध्यम से संचार या कार्य। यह "बिग डेटा" या डेटा सेट के संग्रह का भी युग है। ये डेटा सेट खोजे जाने में सक्षम हैं; उनके पास अन्य डेटा सेटों के साथ संबंध हैं; और उनके विस्तृत दायरे और स्थायी रूप से चिह्नित हैं।

और सोशल मीडिया नेटवर्क स्वयं को स्वैच्छिक डेटा होने के रूप में नहीं मान सकते हैं, लेकिन उपयोग और जुड़ाव की उनकी गतिविधियों के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत जीवन शैली, विकल्पों के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा का उत्पादन

और वरीयताएँ। यवोन मैकडरमोट वाक्पटु शब्दों में मात्रात्मक स्व के बारे में बात करते हैं:

"..... तथाकथित 'मात्रात्मक स्व', या स्व-अनुरेखण में वृद्धि
जैविक, पर्यावरणीय, भौतिक या व्यवहार संबंधी जानकारी

ट्रैकिंग उपकरणों, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स उपकरणों, सोशल नेटवर्क डेटा और अन्य साधनों *(?* हंस। *2013)*
जानकारी मिल सकती है
केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के बारे में नहीं, बल्कि लोगों के बारे में एकत्र किया जा रहा है

उनके आसपास भी। इस प्रकार, केवल सहमति-आधारित मॉडल किसी के डेटा की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं करता है, विशेष रूप से जब एक उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए डेटा को दूसरे के लिए फिर से तैयार किया जा सकता है। *395*

175. डेनियल जे सोलोव "एकत्रीकरण" की समस्या से संबंधित हैं।

व्यवसाय और सरकारें अक्सर विभिन्न प्रकार की जानकारी के टुकड़ों को एकत्रित करती हैं, जिसमें जानकारी के टुकड़े भी शामिल होते हैं जिन्हें सूचना के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

392 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *154 393* यवोन मैकडरमोट पर, "बिग के युग में डेटा सुरक्षा के अधिकार की अवधारणा।

डेटा ", बिग डेटा एंड सोसाइटी *(2017),* पृष्ठ *1* पर

394 उदाहरण के लिए, पृष्ठ *1* और *4* पर

395 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *4* पर जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* यूनियन ऑफ इंडिया *[*डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

व्यक्तित्वों का एक विस्तृत चित्र बनाने के लिए अलगाव में निजी और

व्यक्तियों का व्यवहार। फिर भी, यह अब एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्य है कि सूचना और डेटा प्रवाह "सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए तेजी से केंद्रीय" हैं। कर रिकॉर्ड, मतदान की पात्रता और सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के संदर्भ में व्यक्तियों की पहचान की जाती है। वहाँ क्या है अब "वीलैंट पैनोप्टिक असेंबलेज" के रूप में वर्णित है, जहाँ डेटा एकत्र किया जाता है

सामान्य नागरिक की निगरानी प्रथाओं के माध्यम से उन निगमों के माध्यम से राज्य निगरानी तंत्र के लिए अपना रास्ता खोजते हैं जो उस डेटा को रखते हैं *"398*

176. डेटा विनियमन और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन

एक ओर राज्य की वैध चिंताओं और व्यक्तिगत हित के बीच नाजुक संतुलन की आवश्यकता वाले जटिल मुद्दों को उठाता है।

दूसरी ओर गोपनीयता की सुरक्षा में।

177. निजता का क्षेत्र एक छोर से उन अंतरंग लोगों तक फैला हुआ है

ऐसे मामले जिनसे निजता की उचित अपेक्षा जुड़ी हो सकती है। यह अकेले रहने के अधिकार को व्यक्त करता है। एक व्यापक अर्थ है जिसका तुलनात्मक रूप से हाल की उत्पत्ति के अकादमिक साहित्य में उभरा संबंधित है

अंतिम क्षेत्र। चिकित्सा जानकारी जैसे डेटा एक श्रेणी होगी। जिनसे निजता की उचित अपेक्षा जुड़ी होती है। अन्य डेटा हो सकते हैं जो उचित अपेक्षा प्रतिमान से बाहर हैं। इसके अलावा

निजता की रक्षा करने से लेकर, डेटा सुरक्षा व्यवस्था व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करने का प्रयास करती है। यह सहमति की केंद्रीयता पर यूरोपीय डेटा संरक्षण व्यवस्था में जोर देने से स्पष्ट है। सहमति के मुद्दे से संबंधित पारदर्शिता की आवश्यकता है जिसके लिए एक

डेटा हस्तांतरण और उपयोग से संबंधित जानकारी का डेटा प्राप्तकर्ता द्वारा प्रकटीकरण।

178. एक अन्य पहलू जिसे डेटा सुरक्षा व्यवस्थाएं देखना चाहती हैं

सुरक्षा गैर-भेदभाव का सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि

आंकड़ों का संग्रह इस तरह से किया जाना चाहिए जो नस्लीय या जातीय मूल, राजनीतिक या धार्मिक आधार पर भेदभाव न करे। विश्वास, आनुवंशिक या स्वास्थ्य स्थिति या यौन अभिविन्यास।

39 396 क्रिस्टीना पी. मोनियोडिस, "निक्सन से नासा की ओर बढ़नाः प्राइवेसीज़ सेकंड स्ट्रैंड ए राइट टू इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी ", येल जर्नल ऑफ़ लॉ एंड टेक्नोलॉजी *(2012)*, वॉल्यूम। *15 (1)* , पृष्ठ *159* पर। लेख गोपनीयता पर डैनियल सोलोव के काम का श्रेय देता है

डेनियल जे. सोलोव, अंडरस्टैंडिंग प्राइवेसी *70 (2008)*।

397 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ *156 398* यवोन मैकडरमोट पर, "बिग के युग में डेटा सुरक्षा के अधिकार की अवधारणा।

डेटा ", बिग डेटा एंड सोसाइटी *(2017)*, पृष्ठ *4* पर।

[2017] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

179. डेटा सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था का निर्माण एक जटिल कार्य है।

राज्य से। डेटा सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण में जिन मुख्य चिंताओं को ध्यान में रखना है, उनमें से एक यह है कि वेब कानूनी गतिविधि का स्रोत है-व्यक्तिगत और वाणिज्यिक दोनों, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं हस्तक्षेप करती हैं क्योंकि वेब की निर्बाध संरचना कर सकती है। सभ्य पर तबाही और विनाश करने के लिए आतंकवादियों द्वारा शोषण किया जाए

समाज। साइबर हमले वित्तीय प्रणालियों को खतरे में डाल सकते हैं। रिचर्ड ए पॉसनर ने एक प्रकाशित लेख में कहा हैः

"निजता आतंकवादी की सबसे अच्छी दोस्त है, और आतंकवादी की निजता को उन्हीं तकनीकी विकासों द्वारा बढ़ाया गया है जिन्होंने डेटा खनन को संभव बनाया है और बड़ी मात्रा में प्राप्त किया है।

निर्दोष लोगों से व्यक्तिगत जानकारीः इंटरनेट, इसके साथ
गुमनामी, और डिजिटाइज्ड डेटा का सुरक्षित एन्क्रिप्शन जो, जब उस गुमनामी के साथ जोड़ा जाता है, तो इंटरनेट को एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है

षड्यंत्र। सरकार को इसका फायदा उठाने की सख्त जरूरत है

राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में डिजिटलीकरण। *"3 9 9*

पॉसनर ने नोट किया कि "लोग अपनी सूचनात्मक गोपनीयता को महत्व देते हैं",

फिर भी वे सरल दैनिक लेन-देन के दौरान व्यक्तिगत डेटा को आसानी से साझा करके "इसे एक टोपी की बूंद पर समर्पण करते हैं"। विरोधाभास, वह देखता है,

यह नोट करके हल किया जा सकता है कि जब तक लोग यह उम्मीद नहीं करते हैं कि उनके स्वास्थ्य, अंतरंगता और वित्त के विवरण का उपयोग किया जाएगा अन्य लोगों के साथ बातचीत में उन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए, जब वे रहस्योद्घाटन से लाभ प्राप्त करते हैं तो वे उन विवरणों को प्रकट करने में संतुष्ट होते हैं। *+ 00* जितने लंबे समय तक

क्योंकि खुफिया कर्मियों पर प्राप्त ज्ञान का उपयोग करने के लिए भरोसा किया जा सकता है

केवल राष्ट्र की रक्षा के लिए, जनता को आतंकवादियों से बढ़ी हुई सुरक्षा में कम गोपनीयता की लागत के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

हमलों *"401*। पॉसनर के सूत्रीकरण से संकेत मिलता है कि जब राज्य साइबर हमलों और आतंकवादियों की गतिविधियों से राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए वेब की निगरानी करता है तो राज्य का एक वैध हित होता है।

180. जबकि यह राज्य के वैध हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है,

राज्य को फिर भी एक मजबूत शासन स्थापित करना चाहिए जो यह सुनिश्चित करता है कि

39 9 रिचर्ड ए. पॉसनर, "गोपनीयता, निगरानी और कानून", शिकागो विश्वविद्यालय

पेज *251* पर लॉ रिव्यू *(2008), Vol.75*

400 इबिद

401 आइबीड जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

तीन गुना आवश्यकता की पूर्ति। ये तीन आवश्यकताएँ गोपनीयता पर सभी प्रतिबंधों पर लागू होती हैं *(*न कि केवल सूचनात्मक गोपनीयता*)*। वे अनुच्छेद *21* के प्रक्रियात्मक और विषय-वस्तु आधारित अधिदेश से निकलते हैं। पहली आवश्यकता यह है कि एक न्यायसंगत ठहराने के लिए एक कानून होना चाहिए

निजता पर अतिक्रमण अनुच्छेद *21* की एक स्पष्ट आवश्यकता है। के लिए,

कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। का अस्तित्व

कानून एक अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरा, आवश्यकता की आवश्यकता, में

एक वैध राज्य उद्देश्य की शर्तें, यह सुनिश्चित करती हैं कि कानून की प्रकृति और सामग्री जो प्रतिबंध लगाती है, उस क्षेत्र के भीतर आती है

अनुच्छेद *14* द्वारा अनिवार्य तर्कसंगतता, जो इसके खिलाफ एक गारंटी है

मनमाना राज्य कार्रवाई। एक वैध राज्य उद्देश्य की खोज यह सुनिश्चित करती है कि कानून स्पष्ट मनमानेपन से पीड़ित न हो। वैधता, एक अभिधारणा के रूप में, एक मूल्य निर्णय शामिल है। न्यायिक समीक्षा नहीं होती है

विधायिका के मूल्य निर्णय की सराहना करें या दूसरा अनुमान लगाएं लेकिन है

यह तय करने के लिए कि जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वह स्पष्ट या स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है या नहीं। तीसरी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा अपनाए गए साधन आनुपातिक हैं -

कानून द्वारा उद्देश्य और जरूरतों को पूरा करने की मांग की गई। आनुपातिकता मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ गारंटी का एक आवश्यक पहलू है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार पर अतिक्रमण की प्रकृति और गुणवत्ता

कानून के उद्देश्य के लिए असमान नहीं। अतः, तीन-गुना

एक वैध कानून की आवश्यकता आपसी निर्भरता से उत्पन्न होती है।

एक ओर मनमानेपन के खिलाफ मौलिक गारंटी और दूसरी ओर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच। निजता का अधिकार, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है,

और भाग *III* में सन्निहित स्वतंत्रताएँ समान प्रतिबंधों के अधीन हैं।

जो उन स्वतंत्रताओं पर लागू होती हैं।

एफ.

181. राष्ट्रीय सुरक्षा के अलावा, राज्य के पास उचित हो सकता है

डेटा के संग्रह और भंडारण के कारण। समाज कल्याण राज्य में,

सरकार उन कार्यक्रमों की शुरुआत करती है जो लाभ प्रदान करते हैं

समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्ग। एक महत्वपूर्ण राज्य है यह सुनिश्चित करने में रुचि है कि दुर्लभ सार्वजनिक संसाधन नष्ट न हों

उन व्यक्तियों को संसाधनों का हस्तांतरण जो प्राप्तकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं।

मानव विकास के लिए संसाधनों का आवंटन एक वैध प्रावधान के साथ किया जाता है। चिंता है कि संसाधनों के उपयोग का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए

बाहरी उद्देश्य। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डेटा माइनिंग

वैध लाभार्थियों के लिए संसाधनों को ठीक से तैनात किया जाना एक वैध *[2017] 10* एस. सी. आर. है।

राज्य के लिए प्रामाणिक डेटा के संग्रह पर जोर देने का आधार। लेकिन, राज्य ने जो डेटा एकत्र किया है, उसका उपयोग वैध उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए

राज्य का और बाहरी उद्देश्यों के लिए अनधिकृत रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य की वैध चिंताएँ

एक ही समय में, गोपनीयता की चिंताओं की रक्षा करते हुए विधिवत संरक्षित।

अपराध की रोकथाम और जांच और राजस्व की सुरक्षा राज्य के वैध उद्देश्यों में से हैं। समाज कल्याण राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म एक महत्वपूर्ण साधन हैं। जानकारी

प्रौद्योगिकी-वैध रूप से तैनात नवाचार और ज्ञान के प्रसार में एक शक्तिशाली प्रवर्तक है।

182. समकालीन साहित्य में एक विशिष्टता पाई गई है।

एक ओर गुमनामी और दूसरी ओर गोपनीयता के बीच। *402* दोनों

गुमनामी और गोपनीयता दूसरों को कुछ टुकड़ों तक पहुँच प्राप्त करने से रोकती है

व्यक्तिगत जानकारी फिर भी वे विपरीत तरीकों से ऐसा करते हैं। गोपनीयता में जानकारी छिपाना शामिल है जबकि गुमनामी में वह छिपाना शामिल है जो इसे व्यक्तिगत बनाता है। किसी व्यक्ति के चिकित्सा अभिलेखों का अनधिकृत विभाजन जो एक अस्पताल को प्रदान किए गए हैं, वे गोपनीयता पर आक्रमण के बराबर होंगे। दूसरी ओर, राज्य इसे समझने और उससे निपटने के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में वैध रुचि ले सकता है।

जनसंख्या पर गंभीर प्रभाव को रोकने के लिए मलेरिया या डेंगू जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारी। यदि राज्य अनामता को संरक्षित रखता है

व्यक्ति में यह वैध रूप से एक वैध राज्य हित का दावा कर सकता है

उचित नीतिगत हस्तक्षेपों को तैयार करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का संरक्षण

उसके पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर।

183. निजता को अधिकार का एक आंतरिक तत्व माना गया है।

अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक संवैधानिक मूल्य के रूप में

जो भाग *III* में अंतर्निहित मौलिक स्वतंत्रताओं में सन्निहित है

संविधान। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की तरह, गोपनीयता निरपेक्ष नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर काम करने वाली सीमाएँ

निजता के अधिकार पर काम करेगा। कोई कटौती या अभाव

यह अधिकार कानून के शासन के तहत होना चाहिए। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। वह कानून जो अधिकार में कटौती का प्रावधान भी संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन होना चाहिए।

184. केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों के एक समूह का गठन किया

पूर्ववर्ती योजना आयोग के तत्वावधान में गोपनीयता। द.

402 इस संबंध में देखें, जेफरी एम. स्कोपेक, "अनामता की उचित अपेक्षाएँ",

वर्जीनिया लॉ रिव्यू *(2015)*, वॉल्यूम।

101 , पृष्ठों पर *691-762* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(RETD.) v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट *403 (*दिनांक *16* अक्टूबर *2012)* में एक प्रस्ताव दिया

गोपनीयता संबंधी चिंताओं की सुरक्षा के लिए ढांचा, जो कि उम्मीद की जा रही थी, गोपनीयता की रक्षा करने वाले कानून के लिए एक वैचारिक आधार के रूप में काम करेगा। विशेषज्ञ समूह द्वारा सुझाई गई रूपरेखा पाँच मुख्य विशेषताओं पर आधारित थीः *(i)* तकनीकी तटस्थता और अंतर्राष्ट्रीय के साथ अंतरसंचालनीयता मानक*; (ii)* बहुआयामी गोपनीयता*; (iii)* राज्य और गैर-राज्य संस्थाओं के लिए क्षैतिज प्रयोज्यता*; (iv)* गोपनीयता सिद्धांतों के अनुरूपता*;* और *(v)* एक सह-नियामक प्रवर्तन व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की समीक्षा करने के बाद, विशेषज्ञ समूह ने नौ गोपनीयता सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। वे.

ये हैं:

((i) ध्यान दें: एक डेटा नियंत्रक सभी व्यक्तियों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से अपनी सूचना प्रथाओं की सरल-से-समझने वाली सूचना देगा।

व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने से पहले भाषा*;*

((ii) विकल्प और सहमतिः एक डेटा नियंत्रक व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के संबंध में विकल्प *(*ऑप्ट-इन/ऑप्ट-आउट*)* देगा।

जानकारी दें, और प्रदान करने के बाद ही व्यक्तिगत सहमति लें

इसकी सूचना प्रथाओं की सूचना*;*

*((*ग*)* संग्रह सीमाः एक डेटा नियंत्रक केवल संग्रह करेगा।

डेटा विषयों से व्यक्तिगत जानकारी जो आवश्यक है
ऐसे संग्रह के लिए पहचाने गए उद्देश्य, जिनके बारे में सूचना दी गई है और व्यक्ति की सहमति ली गई है। इस तरह का संग्रह वैध और निष्पक्ष माध्यमों से होगा।

((iv) उद्देश्य सीमाः व्यक्तिगत डेटा एकत्र और संसाधित किया गया

डेटा नियंत्रकों को उन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त और प्रासंगिक होना चाहिए जिनके लिए इसे संसाधित किया जाता है। एक डेटा नियंत्रक एकत्र करेगा,

व्यक्तियों की सहमति लेने के बाद केवल सूचना में बताए गए उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत जानकारी को संसाधित करना, प्रकट करना, उपलब्ध कराना या अन्यथा उपयोग करना। यदि उद्देश्य में कोई परिवर्तन होता है, तो इसे व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए। चिन्हित उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने के बाद इसे चिन्हित प्रक्रियाओं के अनुसार नष्ट कर दिया जाना चाहिए। डेटा प्रतिधारण

सरकार द्वारा आदेश का अनुपालन किया जाना चाहिए

राष्ट्रीय गोपनीयता सिद्धांत;

(v) पहुँच और सुधारः व्यक्तियों के पास डेटा नियंत्रक द्वारा रखी गई उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच होगी;

403 " गोपनीयता पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट *"(16* अक्टूबर, *2012),* भारत सरकार, एच. टी. पी. पर उपलब्ध हैः //नियोजन आयोग। ठीक है। इन/रिपोर्ट्स/जेनरेप/रेप _ प्राइवेसी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ यह गलत है; यह पुष्टि करने में सक्षम हो कि एक डेटा नियंत्रक उनके बारे में जानकारी रखता है या संसाधित कर रहा है; प्राप्त करने में सक्षम हो डेटा नियंत्रक से व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति। अभिगम्यता

और व्यक्तिगत जानकारी में सुधार डेटा नियंत्रक द्वारा नहीं दिया जा सकता है यदि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, किसी अन्य व्यक्ति के गोपनीयता अधिकारों को प्रभावित किए बिना ऐसा करना संभव नहीं है, जब तक कि

उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण के लिए सहमति दी है;

(vi) सूचना का प्रकटीकरण; एक डेटा नियंत्रक खुलासा नहीं करेगा।

तीसरे पक्ष को व्यक्तिगत जानकारी, नोटिस प्रदान करने और इस तरह के लिए व्यक्ति से सूचित सहमति लेने के अलावा

प्रकटीकरण। तीसरे पक्ष प्रासंगिक और लागू गोपनीयता सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। कानून प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए प्रकटीकरण लागू कानूनों के अनुसार होना चाहिए। डेटा

नियंत्रक व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी सहित व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित या किसी अन्य तरीके से सार्वजनिक नहीं करेंगे।

(vii) सुरक्षाः डेटा नियंत्रक व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित करेगा।

पहुँच, विनाश, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, संशोधन, उपनाम, अनधिकृत प्रकटीकरण *[*या तो आकस्मिक या आकस्मिक*]* या अन्य उचित रूप से पूर्वानुमेय जोखिम;

(viii) खुलापनः एक डेटा नियंत्रक प्रथाओं, प्रक्रियाओं, नीतियों और प्रणालियों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

गोपनीयता सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा एकत्र किए गए डेटा के पैमाने, दायरे और संवेदनशीलता के समानुपाती तरीके से, जिसके बारे में जानकारी एक में दी जाएगी

सभी के लिए उपलब्ध स्पष्ट और सरल भाषा का उपयोग करते हुए बोधगम्य रूप
व्यक्तियों; और

(ix) उत्तरदायित्वः गोपनीयता सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले उपायों का पालन करने के लिए डेटा नियंत्रक जवाबदेह होगा। इस तरह के उपायों में गोपनीयता नीतियों को लागू करने के लिए तंत्र शामिल होना चाहिए; जिसमें उपकरण, प्रशिक्षण और

शिक्षा; बाहरी और आंतरिक लेखा परीक्षा, और आवश्यकता
संगठन या पर्यवेक्षण निकाय सभी आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं

गोपनीयता आयुक्त को और विशिष्ट का पालन करें और

गोपनीयता आयुक्त के सामान्य आदेश।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

185. इन कार्यवाही की सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने एक कार्यालय ज्ञापन रिकॉर्ड पर रखा है

दिनांक *31* जुलाई *2017* को इसने देश में डेटा संरक्षण मानदंडों की समीक्षा करने और अपनी सिफारिशें करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

क*)* भारत में डेटा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करना;

ख*)* केंद्र के विचार के लिए विशिष्ट सुझाव देना।

सरकार भारत में डेटा संरक्षण के लिए सिद्धांतों पर विचार करेगी और डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे का सुझाव देगी। चूंकि सरकार ने डेटा संरक्षण के पूरे क्षेत्र की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इसलिए इस मामले को छोड़ना उचित होगा

विशेषज्ञ निर्धारण के लिए ताकि सुरक्षा के लिए एक मजबूत व्यवस्था हो डेटा स्थापित किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार सभी आवश्यक और उचित कदम उठाकर अपने फैसले का पालन करेगी।

टी हमारे निष्कर्ष

1 एम. पी. शर्मा के मामले में निर्णय में अनिवार्य रूप से कहा गया है कि

चौथे संशोधन के समान प्रावधान का अभाव

अमेरिकी संविधान, निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता है। द.

निर्णय विशेष रूप से इस बात पर निर्णय नहीं देता है कि क्या निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* और अनुच्छेद *19* सहित भाग *III* द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के किसी अन्य प्रावधान से उत्पन्न होगा। यह अवलोकन कि निजता भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार नहीं है, सही स्थिति को नहीं दर्शाता है।

एम. पी. शर्मा को उस हद तक खारिज कर दिया गया है जिस हद तक यह इंगित करता है

इसके विपरीत।

2 खरक सिंह ने सही माना है कि विषय-वस्तु

अनुच्छेद *21* के तहत 'जीवन' अभिव्यक्ति का अर्थ केवल किसी व्यक्ति के 'पशु अस्तित्व' का अधिकार नहीं है और यह कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति की पवित्रता में आक्रमण के खिलाफ गारंटी है।
व्यक्ति का घर या व्यक्तिगत सुरक्षा में घुसपैठ। खरक सिंह ने यह भी सही बताया कि व्यक्ति की गरिमा

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' के अर्थ के लिए सामग्री देना चाहिए। खरक सिंह में निर्णय का पहला भाग जिसने इस आधार पर रात में अधिवास यात्राओं को अमान्य कर दिया कि उन्होंने आदेशित सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट का उल्लंघन किया

[2017] 10 एस सी आर।

स्वतंत्रता निजता के अधिकार की अंतर्निहित मान्यता है। द.

हालाँकि, निर्णय का दूसरा भाग, जिसमें कहा गया है कि निजता का अधिकार हमारे संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार नहीं है, सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसी तरह, गोपालन में बहुमत के फैसले पर खरक सिंह की निर्भरता नहीं है।

निर्णयों को ध्यान में रखते हुए सही स्थिति का प्रतिबिंब

कूपर और मनेका में। खरक सिंह इस हद तक कि

यह मानता है कि भारतीय संविधान के तहत निजता का अधिकार संरक्षित नहीं है।

3 ((क) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपरिहार्य अधिकार हैं। ये हैं।

ऐसे अधिकार जो गरिमापूर्ण मानव अस्तित्व से अविभाज्य हैं।

व्यक्ति की गरिमा, मनुष्यों के बीच समानता और स्वतंत्रता की खोज भारतीय समाज के मूलभूत स्तंभ हैं।

संविधान;

(ख) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान की रचना नहीं है।

इन अधिकारों को संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में मानव के एक आंतरिक और अविभाज्य अंग के रूप में विरासत में प्राप्त होने के रूप में मान्यता दी गई है। तत्व जो भीतर रहता है;

(ग) निजता एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है जो उभरता है।

मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद *21* में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से। गोपनीयता के तत्व भी अलग-अलग रूप में उत्पन्न होते हैं।

भाग में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत स्वतंत्रता और गरिमा के अन्य पहलुओं के संदर्भ *III.*

((घ) संवैधानिक अधिकार के अस्तित्व की न्यायिक मान्यता

गोपनीयता संशोधन की प्रकृति में एक अभ्यास नहीं है

संविधान और न ही न्यायालय एक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

उस प्रकृति का कार्य जो संसद को सौंपा गया है;

(ई) निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है। निजता में मानक और वर्णनात्मक दोनों कार्य होते हैं। मानक स्तर पर गोपनीयता उन शाश्वत मूल्यों की सेवा करती है जिन पर जीवन, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की गारंटी स्थापित की जाती है। वर्णनात्मक स्तर पर, गोपनीयता अधिकारों के एक समूह को प्रस्तुत करती है।

और वे हित जो व्यवस्थित स्वतंत्रता की नींव पर निहित हैं;

(च) निजता के मूल में व्यक्तिगत गोपनीयता का संरक्षण शामिल है।

अंतरंगता, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, आईसीई के. एस. पुट्टास्वामी *(*आरईटीडी.*) v.*

भारत का संघ

[डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.*]*

घर और यौन अभिविन्यास। निजता का अर्थ एक अधिकार भी है। अकेला छोड़ दिया जाए। गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और

निजता की वैध अपेक्षा अंतरंग से भिन्न हो सकती है निजी क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र और निजी से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि गोपनीयता खो नहीं गई है या नहीं।

केवल इसलिए समर्पण किया क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर है। गोपनीयता व्यक्ति से जुड़ी होती है क्योंकि यह एक आवश्यक पहलू है

मनुष्य की गरिमा;

3) इस न्यायालय ने एक विस्तृत गणना या इन में शामिल अधिकारों या हितों की सूची शुरू नहीं की है -

निजता का अधिकार। संविधान को भावनाओं के साथ विकसित होना चाहिए।

सामने आई चुनौतियों का सामना करने के लिए समय की आवश्यकताएँ

कानून के शासन द्वारा शासित लोकतांत्रिक व्यवस्था। संविधान के अर्थ को वर्तमान परिप्रेक्ष्यों पर रोक नहीं लगाया जा सकता है

जब इसे अपनाया गया था। तकनीकी परिवर्तन ने जन्म दिया है

जो चिंताएँ सात दशक पहले मौजूद नहीं थीं और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास कई चिंताओं को अप्रचलित बना सकता है।

संविधान को भविष्य की अनुमति देने के लिए लचीला और लचीला होना चाहिए पीढ़ियों को इसकी मूल या आवश्यक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी सामग्री को अनुकूलित करना;

I) अन्य अधिकारों की तरह जो मौलिक स्वतंत्रताओं का हिस्सा हैं।

जीवन और व्यक्तिगत अधिकार सहित भाग *III* द्वारा संरक्षित अनुच्छेद *21* के तहत स्वतंत्रता, निजता एक पूर्ण अधिकार नहीं है। एक कानून

जो गोपनीयता का अतिक्रमण करता है, उसे इसका सामना करना होगा

मौलिक अधिकारों पर अनुमेय प्रतिबंधों की कसौटी। अनुच्छेद *21* के संदर्भ में गोपनीयता पर आक्रमण को एक कानून के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए जो एक प्रक्रिया निर्धारित करता है।

जो उचित, न्यायसंगत और उचित है। कानून को अनुच्छेद *21* के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण के संदर्भ में भी वैध होना चाहिए। जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण होना चाहिए।

(i) वैधता की तीन गुना आवश्यकता को पूरा करना, जो कानून के अस्तित्व को अभिनिर्धारित करता है; *(ii)* आवश्यकता, जिसे वैध के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।

राज्य का उद्देश्य; और *(iii)* आनुपातिकता जो एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है-सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वस्तुओं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच;

और

(I) निजता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विषय होते हैं। नकारात्मक सामग्री राज्य को घुसपैठ करने से रोकती है।

एक नागरिक का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसकी सकारात्मक सामग्री राज्य पर व्यक्ति की गोपनीयता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का दायित्व लगाती है।

4 खरक सिंह के बाद इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय,

निजता के अधिकार को बनाए रखना उपरोक्त सिद्धांतों के अधीन पढ़ा जाएगा।

5 सूचनात्मक गोपनीयता निजता के अधिकार का एक पहलू है। द.

सूचना के युग में गोपनीयता के लिए खतरे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं
केवल राज्य से लेकिन गैर-राज्य अभिनेताओं से भी। हम.

राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, अपराध को रोकना और जांच करना,
नवान्वेषण और ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित करना और सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय को रोकना। ये

केंद्र सरकार द्वारा विचार किए जाने वाले नीतिगत मामले हैं
सुरक्षा के लिए सावधानीपूर्वक संरचित व्यवस्था तैयार करते समय

आंकड़ों से। चूंकि केंद्र सरकार ने न्यायालय को सूचित किया है कि उसने इस उद्देश्य के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, इसलिए इस मामले को केंद्र सरकार द्वारा उचित तरीके से निपटाया जाएगा।

केंद्र सरकार इस फैसले में जो कुछ भी निर्धारित किया गया है, उस पर उचित ध्यान दे रही है।

6 संदर्भ का उत्तर उपरोक्त शब्दों में दिया गया है।

आर. एफ. नरीमन, जे.

प्रस्तावना

1. वर्तमान मामले का महत्व ऐसा है कि इसे जिस भी तरह से तय किया जाए, इसका लोकतांत्रिक के लिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

गणतंत्र जिसे हम "भारत" कहते हैं अर्थात भारत।

9-न्यायाधीशों की एक पीठ जस्टिस के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम रही है। भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

बुनियादी मानवाधिकारों से संबंधित प्रश्नों पर गौर करने के लिए गठित किया गया। इस न्यायालय की *3* न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तावित एक योजना पर विचार कर रही थी भारत सरकार को आधार कार्ड योजना के रूप में जाना जाता है। उक्त योजना के तहत, भारत सरकार संग्रह और संकलन करती है

इस देश के निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा दोनों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। उक्त योजना पर हमले का एक आधार यह है कि इस तरह के आंकड़ों का संग्रह ही "गोपनीयता के अधिकार" का उल्लंघन है। विद्वान महान्यायवादी को सुनने के बाद, श्री गोपाल

सुब्रमण्यम और श्री श्याम दीवान, *3*-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित राय दीः

" 12. हमारा मानना है कि सामने आए मामले संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण दूरगामी सवाल उठाते हैं। जो दांव पर है वह
मौलिक अधिकारों का विस्तार है जिसमें शामिल हैं

अनुच्छेद *21* के तहत वह बहुमूल्य और अविभाज्य अधिकार। अगर

एम. पी. शर्मा *(ऊपर)* और खड़क सिंह *(ऊपर)* में की गई टिप्पणियों को शाब्दिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इस देश के कानून के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जो संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार हैं।

अनुशासन के लिए बड़ी पीठों द्वारा की गई घोषणा की आवश्यकता होती है
इस न्यायालय को छोटी पीठों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है

पालन न करने के कारणों को उचित रूप से समझाते हुए

इतनी बड़ी पीठों द्वारा की गई घोषणाएँ। उचित सम्मान के साथ

उन सभी विद्वान न्यायाधीशों के लिए जिन्होंने बाद के निर्णय दिए-जहां गोपनीयता के अधिकार पर जोर दिया जाता है या मनुष्यों की स्वतंत्रता के लिए उनके प्रभु की चिंता को संदर्भित किया जाता है, हम विनम्र हैं।

राय है कि इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून में कुछ मात्रा में स्पष्ट अनसुलझा विरोधाभास प्रतीत होता है।

13. इसलिए, हमारी राय में मामलों के इस समूह में जिस तरह का विवाद उठाया गया है, उसे हमेशा के लिए शांत करना बेहतर है।
कि एम. पी. शर्मा *(ऊपर)* और खड़क सिंह *(ऊपर)* के अनुपात निर्णय की जांच की जाती है और न्यायशास्त्र की शुद्धता

इस न्यायालय के बाद के निर्णय जहां गोपनीयता के अधिकार पर या तो जोर दिया जाता है या संदर्भित किया जाता है, उनकी जांच की जानी चाहिए और आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाना चाहिए। उचित शक्ति की एक बेंच द्वारा "।

2. इस मामले की सुनवाई *18* जुलाई, *2017* को *5* विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई थी और इसके बाद इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए *9* विद्वान न्यायाधीशों को भेजा गया था कि एम. पी. शर्मा और अन्य बनाम. सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली और अन्य, *1954* एस. सी. आर. *1077,* एक *[2017] 10* एस. सी. आर. द्वारा था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय के *8* विद्वान न्यायाधीशों की पीठ।

3. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील श्री गोपाल

सुब्रमण्यम, श्री श्याम दीवान, श्री अरविंद दातार। श्री साजन

पूवय्या, श्री आनंद ग्रोवर और सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया है कि एम. पी. शर्मा *(उपरोक्त)* और खड़क सिंह में निहित निर्णय

वी. उत्तर प्रदेश राज्य, *(1964) 1* एस. सी. आर. *332*, जो *6* विद्वानों की पीठ द्वारा दिया गया था।

वी. भारत संघ, *(1970) 1* एस. सी. सी. *248*, और मेनका गांधी बनाम। संघ भारत का, *(1978) 1* एस. सी. सी. *248*, और इसलिए हमारी ओर से पुनर्विचार की आवश्यकता है। उनके अनुसार, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के साथ-साथ समाप्त होता है। उनके अनुसार, यह अधिकार अनुच्छेद *14,19,20,21* और *25* में पाया जाता है।

जब संविधान की प्रस्तावना के साथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा, यह भी था

तर्क दिया कि कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में कहा गया है कि

गोपनीयता मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक है और इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में पढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही, उनके अनुसार, अधिकार निजता को मामले-दर-मामले के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए, और एक मौलिक होना चाहिए

यह संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि केवल इस रूप में मान्यता प्राप्त है। *4.* कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब और पुडुचेरी राज्यों की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने व्यापक रूप से समर्थन किया

याचिकाकर्ताओं। उनके अनुसार, *8*-न्यायाधीशों की पीठ और *6*-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय व्यापक संदर्भ में प्रासंगिक नहीं रहे हैं।

आज की बदलती परिस्थितियाँ। इसके अलावा, उनके अनुसार, राज्य की कार्रवाई

जो निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उसमें कम से कम चार होने चाहिए।

तत्व, अर्थात्:

- "कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए;
- एक लोकतांत्रिक समाज में प्रस्तावित कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए।

एक वैध उद्देश्य के लिए;

- इस तरह के हस्तक्षेप की सीमा आनुपातिक होनी चाहिए

इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

• इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए

हस्तक्षेप "।

5. केरल राज्य की ओर से पेश हुए श्री पी. वी. सुरेंद्र नाथ ने भी याचिकाकर्ताओं का समर्थन किया और कहा कि

निजता का अधिकार संविधान के भाग *III* में बहुत अधिक मौजूद है। *6.* भारत संघ की ओर से पेश होते हुए भारत के विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने तर्क दिया है कि निष्कर्ष

8-न्यायाधीशों की पीठ और *6*-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों पर पहुंचे

परेशान न हों क्योंकि वे इस तथ्य से समर्थित हैं कि संस्थापक पिता ने निजता के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय का हिस्सा बनाए जाने को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए संविधान सभा की बहसों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया। इसके अलावा,

उनके अनुसार, निजता एक सामान्य कानूनी अधिकार और निजता के सभी पहलू हैं

स्वयं को मौलिक अधिकार के रूप में न बढ़ाएँ। यदि बिल्कुल भी हो, तो निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की छत्रछाया में आने वाले कई विभिन्न अधिकारों में से केवल एक हो सकता है। उनके अनुसार, जीवन का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और किसी भी दावे से ऊपर है।

गोपनीयता जो इस बुनियादी मूलभूत अधिकार को नष्ट या नष्ट कर सकती है

कभी भी मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निजता के अधिकार का दावा तब नहीं किया जा सकता जब इस तरह के अधिकार द्वारा संरक्षित किए जाने की मांग करने वाले अधिकांश पहलू पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और विचाराधीन जानकारी को पहले ही अलग कर दिया गया है।

नागरिक।

7. श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, यू. आई. डी. ए. आई. और मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश होते हुए,

विद्वान महान्यायवादी की दलीलों का समर्थन किया और उन्हें अपनाया। उनके अनुसार, गोपनीयता एक स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट और व्यक्तिपरक अवधारणा है और इसलिए, इसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

इसके अलावा, भारत में संहिताबद्ध वैधानिक कानून पहले से ही व्यक्ति के निजता के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। उनके अनुसार, हमारे संविधान के भाग *III* में निहित अधिकारों का और विस्तार बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, अंग्रेजी कानून के तहत स्थिति यह है कि गोपनीयता का कोई सामान्य कानून अधिकार नहीं है। उन्होंने हमारे सामने दुनिया के अन्य देशों के उदाहरणों का हवाला दिया जहां निजता को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है न कि संविधान द्वारा या उसके तहत।

8. महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश श्री आर्यमा सुंदरम ने भी विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई दलीलों का समर्थन किया।

उनके अनुसार, कोई अलग "निजता" अधिकार नहीं है और संविधान के भाग *III* द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित अधिकारों के लिए मौलिक अधिकार के उल्लंघन का सीधे पता लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, गोपनीयता एक अस्पष्ट और असंगत है। अभिव्यक्ति। उन्होंने संविधान सभा की बहसों का भी उल्लेख किया ताकि इस प्रस्ताव को बल दिया जा सके कि निजता का अधिकार स्पष्ट रूप से था।

संविधान निर्माताओं द्वारा छूट दी गई। वह चला गया बता दें कि अनुच्छेद *21* में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" स्वतंत्रता है जो सीमित है।

- अर्थात्, यह केवल व्यक्ति के व्यक्ति से संबंधित है और "नागरिक स्वतंत्रता" की तुलना में वैचारिक रूप से छोटा है। उनके अनुसार, खरक सिंह *(ऊपर)* का अनुपात यह है कि निजता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार जो आदेशित स्वतंत्रता के लिए बुनियादी है, निश्चित रूप से होगा

केवल गोबिंद *(ऊपर)* के लिए इस तरह का अधिकार निर्धारित करना इसके लिए गलत है। कारण।

9. श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ वकील

गुजरात राज्य ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ विद्वान अटॉर्नी जनरल दोनों ने चरम स्थिति ली है। के अनुसार उसे, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गोपनीयता के प्रत्येक आक्रमण के मामले में

सही, चाहे कितना भी तुच्छ क्यों न हो, निजता का मौलिक अधिकार आकर्षित हो जाता है, जबकि विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, कोई नहीं है

निजता का मौलिक अधिकार। उन्होंने हमें एक मध्यवर्ती स्थिति अपनाने के लिए कहा-अर्थात्, यह केवल तभी है जब अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का मानक

कि न्यायालय के समक्ष एक याचिकाकर्ता "उचित" की कसौटी को संतुष्ट करता है गोपनीयता की अपेक्षा "कि गोपनीयता के इस तरह के उल्लंघन को बढ़ाया जा सकता है

मौलिक अधिकार के स्तर तक। श्री द्विवेदी के अनुसार,

किसी व्यक्ति द्वारा की गई व्यक्तिगत पसंद पहले से ही अनुच्छेद *21* के तहत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के तहत संरक्षित हैं। यह केवल तभी हो सकता है जब व्यक्ति किसी लाभ का लाभ उठाने के लिए कुछ व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करते हैं

उन्होंने कहा कि उन्हें गोपनीयता की कोई उचित उम्मीद नहीं है क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से ऐसी जानकारी से अलग हो गए हैं। इसके अलावा, उनके अनुसार, यह केवल विशेष डेटा है, यदि इसके साथ विभाजित किया जाता है, जिसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम और मोबाइल

उस व्यक्ति के बैंक खाते में क्या है, शायद बताया जा सकता है। ऐसी जानकारी होना जिस पर वह गोपनीयता की उचित अपेक्षा की उम्मीद करता है और यदि बैंक द्वारा दूसरों को प्रकट किया जाता है, तो यह एक यू. एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पी. टी. ए. एस. एम. वी. *(आर. ई. टी. डी.) v* का गठन करेगा।

भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

निजता के उसके मौलिक अधिकार की कार्रवाई। उनके अनुसारः

..... जब निजता का दावा भारत के संविधान के अनुच्छेद *21* में शामिल करने की मांग करता है, तो न्यायालय को उचित नियम लागू करने की आवश्यकता होती है। गोपनीयता परीक्षण की अपेक्षा। यह देखना चाहिएः

((i) गोपनीयता कानून किस संदर्भ में स्थापित किया गया है*?*

((ii) क्या दावा निजी या पारिवारिक जीवन से संबंधित है, या गोपनीय है*?*

संबंध।

((iii) क्या दावा गंभीर है या यह तुच्छ है। *((iv)* क्या इस प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप कोई गंभीर या महत्वपूर्ण परिणाम होने की संभावना है*?*

चोट और प्रकटीकरण की प्रकृति और सीमा।

(v) पहचान के उद्देश्य से प्रकटीकरण या व्यक्तिगत से संबंधित है

और किसी चिन्हित व्यक्ति की संवेदनशील जानकारी।

(vi) क्या खुलासा पहले से ही सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई जानकारी से संबंधित है*?*

तीसरे पक्ष या कई पक्षों को स्वेच्छा से और बिना शर्त। क्या यह खुलासा ई-कॉमर्स के माध्यम से है या सोशल मीडिया के माध्यम से*?*

यह मानते हुए कि एक मामले में यह पाया जाता है कि निजता का दावा संविधान के अनुच्छेद *21* द्वारा संरक्षित है, परीक्षण होना चाहिए

निम्नलिखितः

((i) उल्लंघन कानून द्वारा किया जाना चाहिए। *((ii)* विधान जनहित में होना चाहिए।

((ग) विधान उचित होना चाहिए और इसके साथ संबंध होना चाहिए -

जनहित।

((iv) राज्य को उस उपाय को अपनाने का अधिकार होगा जो अत्यधिक किए बिना उद्देश्य को सबसे कुशलता से प्राप्त करेगा।

(v) यदि अनुच्छेद *21* के अलावा, कानून किसी अन्य का उल्लंघन करता है

निर्दिष्ट मौलिक अधिकार तो यह परीक्षा में खड़ा होना चाहिए

उस निर्दिष्ट मौलिक अधिकार के संबंध में।

(vi) वैधता का अनुमान विधानों से जुड़ा होगा।

10. हरियाणा राज्य की ओर से श्री ए. सेनगुप्ता ने कहाः विद्वान महान्यायवादी की दलीलों का समर्थन किया और है

यह कहने के लिए कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय भी अब उन कानूनों का परीक्षण करने के लिए गोपनीयता के लिए एच. टी. का उपयोग नहीं करता है जिनका पहले इस आधार पर परीक्षण किया गया था। गोपनीयता के लिए कोई भी जानकारी वैचारिक रूप से अनुचित है, और केवल व्यापक डेटा *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुरक्षा कानून डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। भारत सरकार वास्तव में आवश्यकता के प्रति सचेत है ऐसा कानून। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एक अवधारणा के रूप में गोपनीयता हमेशा होती है।

स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मार्शल किया गया और इसलिए, तर्क दिया कि सूत्रीकरण

इस न्यायालय द्वारा यह कहा जाना चाहिए कि क्या स्वतंत्रता का हित बिल्कुल भी प्रभावित होता है; क्या ऐसी स्वतंत्रता "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" या अन्य स्वतंत्रता है जो योग्य है।

संवैधानिक संरक्षण और क्या इसके विपरीत वैध राज्य है

ब्याज।

11. श्री जुगल किशोर, राज्य की ओर से उपस्थित होते हुए

छत्तीसगढ़ ने भी विद्वान वकील के रुख का व्यापक रूप से समर्थन किया है जनरल।

12. श्री गोपाल शंकरनारायणन, की ओर से उपस्थित हुए

सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने तर्क दिया कि एम. पी. शर्मा *(ऊपर)* और खड़क सिंह *(ऊपर)* सही तरीके से तय किए गए हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए क्योंकि गोपालन से निजता के संवैधानिक संदर्भ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। *(ऊपर)* आर. सी. कूपर *(ऊपर)* और मेनका गांधी *(ऊपर)* के माध्यम से। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सटीक परिभाषा में असमर्थ होने के कारण, गोपनीयता

इसे इसके सभी पहलुओं में मौलिक अधिकार के स्तर तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उनके अनुसार, अनुच्छेद *21* में "जीवन" और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" शब्दों की व्यापक रूप से व्याख्या पहले ही कई पहलुओं को शामिल करने के लिए की जा चुकी है। याचिकाकर्ता गोपनीयता के रूप में संदर्भित करते हैं। वे पहलू जिनके पास वैधानिकता है

संरक्षण अनुच्छेद *21* द्वारा संरक्षित नहीं हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि निजता के अधिकार के पहलुओं को पहचानते समय

मौलिक अधिकार, ऐसे पहलुओं को माफ नहीं किया जा सकता है और इस मामले को देखते हुए, गोपनीयता हित को मौलिक अधिकार के स्तर तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने हमें विदेशों से आयात करने के तरीकों के खिलाफ भी आगाह किया संदर्भ से बाहर।

निजता पर प्रारंभिक विचार *13.* व्यक्ति की निजता के अधिकार के संबंध में कोई भी चर्चा अनिवार्य रूप से सेमैन के मामले, *77* ईआर *194* से शुरू होनी चाहिए। यह मामला

वर्ष *1603* में तय किया गया था, जब में गार्ड का परिवर्तन हुआ था

इंग्लैंड। ट्यूडर राजवंश एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया, और स्टुअर्ट राजवंश, स्कॉटलैंड के एक राजवंश ने स्कॉटलैंड के जेम्स *VI* के अधीन कब्जा कर लिया, जो इंग्लैंड के जेम्स *I* बन गए। जेम्स *I* था

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि *1066* के बाद से, इंग्लैंड पर कभी भी किसी देशी एंग्लो-सैक्सन का शासन नहीं रहा है। नॉर्मन फ्रांसीसी राजवंश, जिसने प्लैंटाजेनेट राजवंश को रास्ता दिया, ने *1066-1485* से शासन किया; वेल्श ट्यूडर राजवंश ने तब *1485-1603 AD* से शासन किया; स्टुअर्ट राजवंश, एक स्कॉटिश राजवंश, ने तब *1603* से शासन किया; और एक छोटे से न्यायधीश के एस पुट्टास्वामी *(RETD)* को छोड़कर। वी.

भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

एक पूर्ण सम्राट जिसने यह मानते हुए शासन किया कि उसने ऐसा दिव्य अधिकार से किया था। सेमायने के मामले *(*ऊपर*)* का फैसला इसी ऐतिहासिक परिवेश में किया गया था।

14. सेमायने के मामले *(*ऊपर*)* का महत्व यह है कि इसने निर्णय लिया

कि हर आदमी का घर उसके खिलाफ उसकी रक्षा के लिए उसका महल और किला है चोट और हिंसा के साथ-साथ उसके आराम के लिए भी। विलियम पिट, द एल्डर ने इसे इस प्रकार रखाः "सबसे गरीब आदमी अपनी झोपड़ी में सभी बलों की अवज्ञा कर सकता है

क्राउन से। यह कमजोर हो सकता है-इसकी छत हिल सकती है-हवा चल सकती है।

लेकिन

इसके माध्यम से उड़ाएँ-तूफान प्रवेश कर सकता है, बारिश प्रवेश कर सकती है इंग्लैंड का राजा प्रवेश नहीं कर सकता-उसकी सारी ताकत बर्बाद मकान की दहलीज को पार करने की हिम्मत नहीं करती है। डेढ़ सदी बाद, सुंदर

हकल वी में भी यही बात कही गई थी। धन, *95* ई. आर. *768 (1763)*, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मजिस्ट्रेट मनमानी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिसने मैग्ना कार्टा का उल्लंघन किया *(*राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित, *1215* में अपने बैरनों को कुछ अधिकारों को स्वीकार करते हुए*)*, और यदि उन्होंने ऐसा किया, तो इसके लिए अनुकरणीय हर्जाना दिया जाना चाहिए। यह कहा गया था कि, "सबूत प्राप्त करने के लिए एक अनाम वारंट के आधार पर एक आदमी के घर में प्रवेश करना स्पैनिश इन्क्विजिशन से भी बदतर है, एक ऐसा कानून जिसके तहत कोई भी अंग्रेज एक घंटे तक जीवित नहीं रहना चाहेगा। "

15. कानून के इस कथन को एंटिक *v* में प्रतिध्वनित किया गया था। कैरिंगटन,

95 ई. आर. *807 (1765)*, जिसमें लॉर्ड कैमडेन ने अभिनिर्धारित किया कि एक अवैध तलाशी वारंट "समाज के सभी सुख-सुविधाओं के लिए विध्वंसक" था और एक व्यक्ति के सभी कागजातों की जब्ती के लिए इस तरह का वारंट जारी किया गया था, और न केवल

जिन पर प्रकृति में अपराधी होने का आरोप लगाया गया था, वे "इंग्लैंड के कानून की प्रतिभा के विपरीत" थे। कुछ साल बाद, दा कोस्टा बनाम में। जोन्स, *98* ई. आर. *1331 (1778)*, लॉर्ड मैन्सफील्ड ने तीसरे व्यक्ति की गोपनीयता को बरकरार रखा जब ऐसा था।

गोपनीयता एक दांव का विषय था, जो इसके लिए हानिकारक था ऐसे तीसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा। उस मामले में शर्त यह थी कि क्या

एक निश्चित शेवेलियर डी 'इओन एक धोखेबाज़ और धोखेबाज़ था जिसमें वह था

वास्तव में एक महिला। ऐसा दांव जिसने किसी तीसरे की निजता का उल्लंघन किया हो

व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना गया था

जो नुकसान तीसरे व्यक्ति को दिया गया था। ये प्रारंभिक निर्णय एक नागरिक की व्यक्ति की अलंघनीयता को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ किया।

16. जब हम अटलांटिक महासागर पार करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका जाते हैं,

हम हार्वर्ड लॉ रिव्यू में मुद्रित एक बहुत ही दिलचस्प लेख पाते हैं

1890 सैमुअल डी. वारेन और लुई डी. ब्रांडेस *[(4* हार्व। एल. रेव.

ओलिवर क्रॉमवेल के रूप में हिचकी ने *1714* तक शासन किया। *1714* के बाद से, सदस्य

हनोवर के एक जर्मन राजवंश के राजा इंग्लैंड के राजा रहे हैं और अभी भी हैं

इंग्लैंड में सम्राट।

193)] . उक्त लेख का प्रारंभिक अनुच्छेद उद्धृत करने योग्य हैः

"कि व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत रूप से पूरी सुरक्षा मिलेगी

संपत्ति एक सिद्धांत है जो सामान्य कानून जितना ही पुराना है, लेकिन समय-समय पर सटीक प्रकृति को नए सिरे से परिभाषित करना आवश्यक पाया गया है।

और इस तरह के संरक्षण की सीमा। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों में नए अधिकारों की मान्यता शामिल है, और

कानून, अपने शाश्वत युवाओं में, समाज की मांगों को पूरा करने के लिए बढ़ता है। इस प्रकार, बहुत शुरुआती समय में, कानून ने केवल जीवन और संपत्ति के साथ भौतिक हस्तक्षेप के लिए, अपराधों और सेनाओं के लिए एक उपाय दिया।

तब "जीवन का अधिकार" केवल विषय की रक्षा करने के लिए कार्य करता था

बैटरी अपने विभिन्न रूपों में; स्वतंत्रता का अर्थ था वास्तविक संयम से मुक्ति; और संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को उसकी भूमि और उसके मवेशियों को सुरक्षित करता है। बाद में, आदमी की पहचान हुई

आध्यात्मिक प्रकृति, उसकी भावनाएँ और उसकी बुद्धि। धीरे-धीरे दायरा

इन कानूनी अधिकारों का विस्तार हुआ; और अब जीवन के अधिकार का अर्थ जीवन का आनंद लेने का अधिकार हो गया है-अकेले रहने का अधिकार; अधिकार
स्वतंत्रता के लिए व्यापक नागरिक विशेषाधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करता है; और

"संपत्ति" शब्द हर रूप को शामिल करने के लिए बढ़ा है

कब्ज़ा-अमूर्त, साथ ही मूर्त "।

17. यह लेख इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बात करता था

व्यक्ति के "अकेले रहने" के अधिकार का। इसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह अधिकार संपत्ति के अधिकार के रूप में आधारित नहीं है, बल्कि एक "अनुल्लंघनीय व्यक्तित्व" के अधिकार में आधारित है। इस अधिकार की सीमाओं पर भी कुछ विस्तार से चर्चा की गई, और इस पर आक्रमण के लिए उपाय किए गए।
निजता के अधिकार का सुझाव दिया गया था, जो सभी मामलों में नुकसान के लिए यातना की कार्रवाई थी और शायद कुछ में निषेधाज्ञा थी। इस लेख में बताए गए निजता के अधिकार ने उक्त के प्रभावों का पता नहीं लगाया

राज्य की कार्रवाई के खिलाफ सही, लेकिन केवल इस अधिकार के आक्रमणों का पता लगाया

निजी व्यक्ति।

तीन महान मतभेद

18. जब भारत का संविधान बनाया गया था, तो मौलिक अधिकारों के अध्याय में अनिवार्य रूप से नागरिकों और राज्य के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकार शामिल थे। अनुच्छेद *21*, जिसके साथ हम सीधे तौर पर चिंतित हैं, को नकारात्मक रूप में जोड़ा गया था ताकि राज्य की कार्रवाई को रोका जा सके जो इसकी रूपरेखा से परे थी। यह अनुच्छेद, जिसमें दो महान मानवाधिकार हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, भारत के प्रारंभिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संकीर्ण रूप से व्याख्या की गई थी।

लेकिन फिर, ऐसे न्यायाधीश थे जिनके पास न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* था। भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

दृष्टि और अपने सहयोगियों से असहमत। यह फैसला न्यायमूर्ति फजल अली, सुब्बा राव और खन्ना के तीन महान मतभेदों को संदर्भित करेगा। -

19. चार्ल्स इवांस ह्यूजेस, मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले

जब वे न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स के सदस्य थे, तब उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में छह व्याख्यानों का एक सेट दिया। *2* कई निर्णयों में उद्धृत प्रसिद्ध अंश उनके दूसरे व्याख्यान से आता है। आज भी प्रतिध्वनित होने वाले शब्दों में उन्होंने कहाः

"अंतिम उपाय की अदालत में एक असहमति परेशान करने वालों के लिए एक अपील है। कानून की भावना, भविष्य के दिन की बुद्धिमत्ता के लिए, जब एक बाद में

निर्णय संभवतः उस त्रुटि को ठीक कर सकता है जिसमें असहमति

न्यायाधीश का मानना है कि अदालत के साथ विश्वासघात किया गया है।

20. ब्रांडेस, जे. का कुछ अलग दृष्टिकोण था। उन्होंने आगाह किया

कि "अधिकांश मामलों में यह अधिक महत्वपूर्ण है कि कानून के लागू नियम का निपटारा सही तरीके से किया जाए।" *[* बर्नेट वी. देखें। कोरोनेडो तेल

& गैस कंपनी, *285* यू. एस. *393 406* पर *(1932)]*। जॉन पी. फ्रैंक ने *1958* में ब्रांडेस के दृष्टिकोण के बारे में लिखाः

"ब्रांडेस एक महान संस्थागत व्यक्ति थे। वह समझ गया कि

यादृच्छिक असहमति. न्यायालय के संस्थागत प्रभाव को कमजोर करती है और इसे अपने मौलिक कार्य को करने में बाधा डालती है। असहमति जताते हैं। • यदि न्यायालय को उपस्थित नहीं होना है तो प्रमुख मामलों के लिए सहेजने की आवश्यकता है

अनिर्णायक और झगड़ालू। अपने कुछ अलग विचारों को त्यागना ब्रांडेस के बलिदान का एक सर्वोच्च उदाहरण है।

न्यायालय की शक्ति और निरंतरता। और उसे उसका इनाम मिलाः उनके शॉट और भी कठिन थे क्योंकि उन्होंने अपना मैदान चुना था। *3.*

21. इसे जिस भी तरह से देखा जाए, ए. के. गोपालन बनाम में फजल अली, जे. की दूरदर्शिता। मद्रास राज्य, *1950* एस. सी. आर. *88*, बस हमारे सांस छोड़ें। उक्त मामले में चुनौती का विषय *1950* के निवारक निरोध अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता थी।

बीस साल बाद हमारे संवैधानिक कानून में किए गए परिवर्तनों का अनुमान लगाने वाले एक फैसले में, इस महान न्यायाधीश ने कहाः

"मेरे विचार से, मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय की योजना इस बात पर विचार नहीं करती है कि इसके लिए क्या जिम्मेदार ठहराया गया है, अर्थात्, प्रत्येक लेख अपने आप में एक संहिता है और दूसरों से स्वतंत्र है। मेरी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुच्छेद *19,20,21*

2 ई. गैफनी जूनियर, "असहमति का महत्व और न्यायपालिका की अनिवार्यता" देखें।

सभ्यता *"(1994) 28* वैल। यू. एल. रेव. *583*

3 3 जॉन पी. फ्रैंक, बुक रिव्यू, *10* जे. लीगल एजुकेशन *401,404 (1958)*।

और *22* कुछ हद तक एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ए का मामला

जो व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, वह अनुच्छेद *20* के तहत आएगा।

और *21* और अनुच्छेद *22* के तहत भी जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी और नजरबंदी है

मुकदमे से पहले हिरासत में रखने का संबंध है। निवारक निरोध, जो

अनुच्छेद *22* में निपटाया गया है, यह भी व्यक्तिगत अधिकार से वंचित करने के बराबर है। स्वतंत्रता जिसका अनुच्छेद *21* में उल्लेख किया गया है और जो संविधान का उल्लंघन है।

आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* में वर्णित है। कि

लेखों के अतिव्यापी होने के अन्य उदाहरण हैं

संविधान को अनुच्छेद *19 (1) (*च*)* के संदर्भ में चित्रित किया जा सकता है। और अनुच्छेद *31* जो दोनों संपत्ति के अधिकार से संबंधित हैं और

कुछ हद तक एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं।

(पृष्ठ *148* पर*)*

इसके बाद उन्होंने कहा कि यह तथ्य कि "उचित प्रक्रिया"

अनुच्छेद *21* में वास्तव में इसका उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहाः

"यह यहाँ कुछ शब्दों में बताना अनुचित नहीं होगा कि कैसे

जापानी संविधान अस्तित्व में आया। ऐसा प्रतीत होता है कि

11 अक्टूबर, *1945* में, जनरल मैकआर्थर ने जापानियों को निर्देशित किया।

मंत्रिमंडल जापानियों की तैयारी के लिए उपाय शुरू करेगा

संविधान, लेकिन, चूंकि कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए यह तय किया गया था

फरवरी, *1946*, कि संवैधानिक सुधार की समस्या होनी चाहिए सर्वोच्च के सरकारी अनुभाग द्वारा लिया जाए

कमांडर का मुख्यालय। इसके बाद इसके प्रमुख अनुभाग और कर्मचारियों ने संविधान का मसौदा तैयार किया

अमेरिकी संवैधानिक वकील जिन्हें सहायता के लिए बुलाया गया था

कार्य में सरकारी अनुभाग। यह संविधान, एक विद्वान के रूप में

लेखक ने टिप्पणी की है, लगभग हर पृष्ठ पर इसके साक्ष्य हैं

अनिवार्य रूप से पश्चिमी मूल, और यह विशेषता विशेष रूप से थी प्रस्तावना में स्पष्ट "विशेष रूप से अमेरिकी की याद दिलाता है

स्वतंत्रता की घोषणा, एक प्रस्तावना जो, यह किया गया है

. देखा, कोई भी जापानी संभवतः कल्पना या लिखित नहीं कर सकता था

और जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे "*[*ऑग और ज़िंक को देखें*]*

" आधुनिक विदेशी सरकारें "*]*। की एक विशेषता

संविधान जो निस्संदेह प्रत्यक्ष अमेरिकी की बात करता है

"लोगों के अधिकार और कर्तव्य" शीर्षक वाले लेख, जो प्रदान करते हैं पहली बार जापानियों के लिए एक प्रभावी "अधिकार विधेयक"

लोग। इसके खिलाफ सामान्य सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

वारंट के बिना और गिरफ्तारी या निरोध के विरुद्ध आशंका एसटीआईसीई के. एस. पुटसवामी *(*आरईटीडी.*) v.*

यूनियन ऑफ इंडिया

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

आरोप के बारे में सूचित किए बिना या पर्याप्त कारण के बिना

अब दो मामले हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए: - *(1)* कि जापानी संविधान पूरी तरह से अमेरिकी के तहत बनाया गया था प्रभाव; और *(2)* कि जिस समय इसे तैयार किया गया था, उस समय अमेरिका में न्यायिक राय की प्रवृत्ति "कानून की उचित प्रक्रिया" अभिव्यक्ति के अर्थ को सीमित करने के पक्ष में थी, जिसे कुछ अमेरिकी लेखकों द्वारा कुछ विचित्र लेकिन उपयोगी लेखकों द्वारा व्यक्त किया गया है।

अभिव्यक्ति "प्रक्रियात्मक देय प्रक्रिया"। कि ऐसी प्रवृत्ति थी

निम्नलिखित परिच्छेद से स्पष्ट होगा जिसे मैं उद्धृत करता हूँ कार्ल ब्रेंट स्विशर की "संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक शक्ति का विकास" *(पृष्ठ 107):*

"इसकी व्याख्या का अमेरिकी इतिहास तीन भागों में आता है।

अवधियाँ। पहली अवधि के दौरान, संविधान के तहत सरकार की लगभग पहली शताब्दी को कवर करते हुए, उचित प्रक्रिया थी मुख्य रूप से प्रक्रिया पर प्रतिबंध के रूप में व्याख्या की गई-और मुख्य रूप से न्यायिक प्रक्रिया-जिसके द्वारा सरकार।

†

अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। दूसरी अवधि के दौरान, जिसे मोटे तौर पर *1936* तक बढ़ाया गया था, उचित प्रक्रिया का विस्तार किया गया था ताकि न केवल प्रक्रिया पर बल्कि उन गतिविधियों के सार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सके जिनमें सरकार संलग्न हो सकती है। तीसरी अवधि के दौरान, *1936* से लेकर

तिथि, एक मूल प्रतिबंध के रूप में नियत प्रक्रिया का उपयोग है
काफी हद तक निलंबित या परित्यक्त किया गया था, इसे मुख्य रूप से छोड़ दिया गया था

प्रक्रिया पर प्रतिबंध के रूप में इसकी मूल स्थिति।

उल्लिखित परिस्थितियों में, यह अनुमान लगाना अनुमेय प्रतीत होता है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" जैसा कि में उपयोग किया गया है

जापानी संविधान "कानून की उचित प्रक्रिया" के संबंध में अमेरिकी न्यायिक राय की वर्तमान प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि ऐसा है, तो हमारे संविधान में उपयोग की गई अभिव्यक्ति का अर्थ यह है कि

अमेरिकी लेखकों ने "प्रक्रियात्मक देय" शब्दों को पढ़ा है।

प्रक्रिया "। लेकिन मैं किसी भी निष्कर्ष को केवल अनुमान पर आधारित नहीं करना चाहता और इसके गुण-दोष के आधार पर पूरे प्रश्न की जांच करने का प्रयास करूंगा।

"कानून" शब्द का उपयोग अमूर्त या ठोस अर्थों में किया जा सकता है। कभी-कभी इसके पहले "ए" या "द" जैसे लेख या "कोई भी", "सभी" आदि जैसे शब्द होते हैं और कभी-कभी इसका उपयोग बिना किसी उपसर्ग के किया जाता है। लेकिन, आम तौर पर, "कानून" शब्द का एक व्यापक *[2017] 10* एस. सी. आर. है।

अर्थ जब अमूर्त अर्थ में पहले के बिना उपयोग किया जाता है

एक लेख से। तय किया जाने वाला सवाल यह है कि क्या शब्द

" "कानून" का अर्थ वैधानिक कानून से अधिक कुछ नहीं है।

अब "नियत प्रक्रिया" अभिव्यक्ति का जो भी अर्थ हो सकता है

कानून का, "शब्द" कानून "उस अभिव्यक्ति के साथ-साथ सामान्य है

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया "और हालांकि हम बाध्य नहीं हैं

"कानून" या "कानून की उचित प्रक्रिया" पर रखे गए निर्माण को अपनाना

अमेरिका, लेकिन तब से कई प्रतिष्ठित अमेरिकी न्यायाधीशों ने
इस विषय पर बहुत विचार किया, मैं रखने के लिए तैयार नहीं हूँ

कि हम उनकी राय से कोई मदद नहीं ले सकते हैं और हमें चाहिए

उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें।

(पृष्ठों पर *159-161)*

उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद *21* में "कानून" का अर्थ है "वैध"।

कानून *":*

सभी मामलों में, उनके शब्द जंगल में एक चिल्लाहट थे। जहाँ तक

उनकी दृष्टि कि मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से जलरोधक नहीं हैं डिब्बे लेकिन ओवरलैप करते हैं, इस
अदालत को यह महसूस करने में बीस साल लग गए

वह कितना सही था, और आर. सी. कूपर *(ऊपर)* में, एक *11*-न्यायाधीश पीठ

इस न्यायालय ने, फजल अली, जे. से सहमत होकर, अंत में निर्णय दिया:

" 52. इस तर्क से निपटने में कि अनुच्छेद *31 (2)* एक पूर्ण है

अनिवार्य रूप से संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित संहिता

अधिग्रहण, और कानून की वैधता में परीक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं है

इस प्रकार लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता का प्रकाश,

गारंटी के उच्चारण को ध्यान में रखना आवश्यक है

मौलिक अधिकार जो विभिन्न रूप ले चुके हैं। कुछ मामलों में

यह एक गारंटीकृत अधिकार की स्पष्ट घोषणा है: अनुच्छेद *29 (1),*

30 (1) , 26 , 25 & 32 ; दूसरों में व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

28 ; कुछ अन्य में, यह एक सकारात्मक घोषणा का रूप लेता है और
साथ ही उस पर प्रतिबंध का वर्णन करता है: अनुच्छेद *19 (1)*

और *19 (2)* से *(6);* कुछ मामलों में, यह एक निहितार्थ के रूप में उत्पन्न होता है

राज्य के अधिकार का परिसीमन, उदाहरण के लिए, अनुच्छेद *31 (1)*

राज्य के साथ-साथ अन्य के खिलाफः अनुच्छेद *17,23* और *24*। द.
अधिकारों का उच्चारण या तो व्यक्त या निहितार्थ से नहीं होता है

एक समान पैटर्न का पालन करें। लेकिन एक धागा उनके माध्यम से चलता हैः

वे जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आरः एफ. नरीमन, जे.*]*

व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के अधिकारों की रक्षा करना

संविधान की बनावट पर गारंटी का एक पैटर्न बुना गया है
बुनियादी मानवाधिकार। गारंटी सुरक्षा का परिसीमन करती है,

अपने आवंटित क्षेत्रों में वे अधिकारः वे उच्चारण करने की कोशिश नहीं करते हैं

विशिष्ट अधिकार।

53. इसलिए हम इस चुनौती को स्वीकार करने में असमर्थ हैं

अधिग्रहण के लिए प्रावधान की वैधता केवल परीक्षण के लिए उत्तरदायी है

अनुच्छेद *31 (2)* का पालन न करने का आधार। अनुच्छेद *31 (2)*

वह लेख। अनुच्छेद के तहत शर्तों का औपचारिक अनुपालन
31 (2) गारंटी की सुरक्षा को नकारात्मक करने के लिए पर्याप्त नहीं है

संपत्ति का अधिकार। अधिग्रहण के अधिकार के तहत होना चाहिए
एक कानून और अभिव्यक्ति "कानून" का अर्थ है एक ऐसा कानून जो

विधानमंडल की क्षमता, और गारंटी को बाधित नहीं करता है

भाग *III* में अधिकारों का। इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि

अनुच्छेद *19 (1) (*च*)* और *31 (2)* परस्पर अनन्य हैं। *4*

(पृष्ठ *289* पर*)*

22. जहाँ तक फजल अली के दूसरे भाग का संबंध है, न्यायाधीश का निर्णय,

कि "उचित प्रक्रिया" समझने के लिए एक लोचदार पर्याप्त अभिव्यक्ति थी मूल उचित प्रक्रिया,
मोहम्मद में एक हालिया निर्णय। आरिफ वी. पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य। , *(2014) 9* इस
न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा एस. सी. सी. *737* ने अभिनिर्धारित किया हैः

अन्य मौलिक अधिकारों के साथ, और इसलिए न केवल पढ़ा गया है
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए, लेकिन

** 4* श्री गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया है कि आर. सी. कूपर *(ऊपर)* में निहित बयान कि *6* में से *5* विद्वान न्यायाधीशों ने गोपालन *(ऊपर)* में यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद *22* एक पूर्ण संहिता थी और इसे इस रूप में पढ़ा जाना था, गलत है। उन्होंने गोपालन *(उपरोक्त)* के निर्णयों के विभिन्न उद्धरणों का उल्लेख किया ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि यह वास्तव में गलत था क्योंकि अनुच्छेद *21* को अनुच्छेद *22* के साथ पढ़ा गया था। जबकि श्री गोपाल शंकरनारायणन

सही हो सकता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कम से कम जहां तक अनुच्छेद *19* का संबंध था, फजल अली, जे. के अलावा कोई भी निर्णय अनुच्छेद *19* और *21* को एक साथ पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए, संतुलन पर, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर. सी. कूपर *(ऊपर)* ने यह कहने के लिए हवा को साफ कर दिया कि किसी भी मौलिक अधिकार को पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं माना जा सकता है।

कानून को भी उचित होना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद *14* और *19* को अब अनुच्छेद *21* में पढ़ा जाना है। *[* देखिएः एस. सी. आर. पीपी. में। *646-648* प्रति बेग,

सीजे। , एस. सी. आर. पीपी. में। *669* , *671-674* और *687* प्रति भगवती, जे. और

एससीआर पीपी। *720-723* प्रति कृष्ण अय्यर, जे।*]* कृष्ण अय्यर, जे. ने उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ नए सिद्धांत को इस प्रकार निर्धारित किया *(*एससीआर पी। *723* , पैरा

85) :

प्रक्रिया '। 'विधि' एक उचित विधि है, कोई अधिनियमित अंश नहीं। जैसा कि अनुच्छेद *22* विशेष रूप से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को बताता है। निवारक और दंडात्मक निरोध के लिए, इस तरह के निरोध के लिए प्रावधान करने वाला कानून अनुच्छेद *22* के अनुरूप होना चाहिए। यह सही हुआ है

उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा बनने वाले अन्य अधिकारों के लिए अनुच्छेद *21* में निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं।

अन्यथा, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों में निहित के रूप में
अनुच्छेद *22* केवल निवारक और अन्य मामलों में उपलब्ध होगा।

दंडात्मक निरोध, जीवन का अधिकार, किसी भी चीज़ से अधिक मौलिक

विधायिका की मनोदशा को छोड़कर किसी भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा के लिए
चुनें "।

28. मेनका गांधी के मामले के बाद मिट्ठू बनाम. पंजाब राज्य, *(1983) 2* एस. सी. सी. *277,* जिस मामले में न्यायालय ने निम्नानुसार उल्लेख कियाः *(* एससीसी पीपी। *283-84* , पैरा *6)*

" 6 ..... सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन, *(1978) 4* एस. सी. सी. *494,* इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या कोई व्यक्ति

मौत की सजा की प्रतीक्षा को एकांत कारावास में रखा जा सकता है, जे. कृष्ण अय्यर ने कहा कि हालांकि हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान की तरह "उचित प्रक्रिया" खंड नहीं था, लेकिन बैंक में लिए गए निर्णयों के बाद भी यही परिणाम सामने आया।

राष्ट्रीयकरण मामला *(1970) 1* एस. सी. सी. *248* और मेनका गांधी

मामला *(1978) 1* एस. सी. सी. *248*।

बचन सिंह में *(*बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, *(1980) 2* एस. सी. सी. *684)* जिसने मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जे. सरकारिया ने बहुमत की ओर से बोलते हुए कहा कि यदि

अनुच्छेद *21* को मेनका गांधी में दी गई व्याख्या के अनुसार समझा जाता है, यह कहने के लिए पढ़ा जाएगा किः *(* एससीसी

पी। *730* , पैरा *136)*

;

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

" 136. किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा।

निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया के अनुसार स्वतंत्रता।

वैध कानून द्वारा स्थापित "।

पहिया पूरा चक्कर लगा चुका हैः पर्याप्त देय प्रक्रिया अब है

जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर लागू किया जाए।

(पृष्ठों पर *755-756)*

5 श्री राकेश द्विवेदी ने हमारे सामने तर्क दिया है कि मेनका गांधी *(*उपरोक्त*)* में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसले के पैराग्राफ *55* में स्पष्ट रूप से कहा था कि मूल उचित प्रक्रिया भारत के संविधान का कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कृष्ण

अय्यर, जे. का सुनील बत्रा *(*ऊपर*)* में बयान कि अमेरिकी संविधान में निहित एक उचित प्रक्रिया खंड को अब अनुच्छेद *21* में पढ़ा जाना है, कानून का एक स्वतंत्र बयान है और "मूल उचित प्रक्रिया" एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो अपनी अवधारणाओं को सामने लाती है जो भारत के संविधान में फिट नहीं होती हैं। इस तर्क को इस कारण से स्वीकार करना संभव नहीं है कि संविधान पीठ के फैसले में, सी. जे. चंद्रचूड़ ने मेनका गांधी *(*ऊपर*)* में अपने सहमति वाले फैसले का उल्लेख नहीं किया, बल्कि अनुमोदन के साथ, पैराग्राफ *6* में जे. कृष्ण अय्यर के

कानून के बयान का उल्लेख किया। यह वह कथन है जो मोहम्मद के पैराग्राफ *28* में पुनः प्रस्तुत किया गया है। आरिफ *(ऊपर)*। इसके अलावा, हमारे संदर्भ में "मूल उचित प्रक्रिया" का मतलब केवल यह है कि अनुच्छेद *21* के तहत एक कानून को निरस्त किया जा सकता है यदि यह केवल प्रक्रियात्मक आधारों पर नहीं बल्कि मूल आधार पर उचित, न्यायसंगत या उचित नहीं है। किसी भी मामले में, यह चंद्रचूड़ है। सी. जे. का पूर्व दृष्टिकोण जो एक स्वतंत्र दृष्टिकोण है। सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास बनाम। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने जब कुछ अमेरिकी फैसलों को लागू करने के लिए कहा, तो नथेल्ला संपथु चेट्टी, *(1962) 3* एससीआर *786 816* पर, ने निम्नलिखित कहाः

"यह देखा जाएगा कि निर्णय देय राशि के आवेदन पर आगे बढ़ते हैं।
अमेरिकी संविधान का प्रक्रिया खंड। हालांकि परीक्षणों

'अनुच्छेद *19* के खंड *(2)* से खंड *(6)* द्वारा निर्धारित 'तर्कसंगतता' काफी हद तक हो सकती है।

'उचित प्रक्रिया' के निर्णय के लिए, यह नहीं माना जाना चाहिए कि

ये समान हैं, क्योंकि यह ध्यान में रखना होगा कि संविधान निर्माता
इस संदर्भ में जानबूझकर 'उचित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति के उपयोग से बचा गया

इसकी व्यापकता, लचीलापन और परिचर अस्पष्टता, एक पक्ष में

कुछ अधिक निश्चित शब्द "उचित", और सावधानी, इसलिए, होनी चाहिए

अमेरिकी निर्णयों के शाब्दिक अनुप्रयोग से पहले प्रयोग किया गया।

मैथ्यू, जे. केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य, *(1973)* सप. *824, 825* और *826* में एस. सी. आर. *1* ने इस विशेष परिच्छेद पर इस प्रकार टिप्पणी कीः

अनुचित प्रतिबंध, यह अपने निष्कर्ष के लिए मायावी सामग्री खींच रहा है
कई स्रोतों से। वास्तव में, आप किसी प्रतिबंध की तर्कसंगतता को मापते हैं

विशेष कानून के प्रामाणिक अंश में लिप्त होकर कानून द्वारा लागू किया गया *[*देखें

लर्नड हैंड, बिल ऑफ राइट्स, पी। *26]* . "शब्द 'कारण' और 'उचित'

सामान्य कानून वकील के विचारों को दर्शाते हैं जो 'सिविलियन' और 'कैनोनिस्ट' हैं।

प्रकृति के कानून के शीर्ष के तहत रखा गया "।

"..... संविधान के अनुच्छेद *19* की सीमाओं ने न्यायपालिका के लिए दरवाजे खोल दिए हैं
भारत में कानून की समीक्षा पुलिस के सिद्धांत के समान ही की जाती है।

शक्ति और उसके साथी, नियत प्रक्रिया खंड, ने संयुक्त राज्य में किया है

राज्यों। यह सुनिश्चित करने के लिए विधानमंडल द्वारा लगाए जा सकने वाले प्रतिबंध

1 .

23. दोसर पैघ असहमति, जे. सुब्बा रावक अछि।

सिंह *(*ऊपर*)* का हमारे द्वारा तय किए जाने वाले प्रश्न से सीधा संबंध है। *6*

इस फैसले में, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के विनियम *237* को अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* और अनुच्छेद *21* के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई थी। नियम इस प्रकार हैः

"पुलिस अधीक्षकों के अधिकार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

किसी भी कानूनी उपाय को व्यवहार में लाना, जैसे कि शहरों में छाया, द्वारा

जिसे वे पाते हैं कि वे विशेष रूप से संदिग्धों के संपर्क में रह सकते हैं

ई.

व्यावहारिक उद्देश्यों को एक या अधिक से मिलकर परिभाषित किया जाता है
निम्नलिखित उपायः

(क*)* घर की गुप्त घेराबंदी या उसके घर तक पहुँच

संदिग्ध*;*

(बी*)* रात में अधिवास दौरा*;*

(ग*)* के पद से नीचे के अधिकारियों द्वारा आवधिक पूछताछ के माध्यम से
प्रतिष्ठा, आदतों, संघों, आय, व्यय और व्यवसाय में उप-निरीक्षक*;*

(घ*)* सिपाहियों और चौकीदारों द्वारा आंदोलनों की रिपोर्टिंग और

घर से अनुपस्थिति*;*

(ई*)* जांच के माध्यम से गतिविधियों और अनुपस्थिति का सत्यापन
पर्चियाँ*;*

(च*)* आचरण से संबंधित सभी सूचनाओं का इतिहास-पत्रक पर संग्रह और अभिलेख।

24. सभी *6* न्यायाधीशों ने उप-पैरा *(*बी*)* को निरस्त कर दिया, लेकिन जे. सुब्बा राव, जे. शाह, जे. के साथ मिलकर पूरे विनियमन को रद्द कर दिया।

निम्नलिखित शब्दों में व्यक्ति का निजता का अधिकारः

लोक हित उचित होना चाहिए और इसलिए, न्यायालय को तर्कसंगतता का निर्णय लेने में तर्क के मानदंड को लागू करना होगा। यदि आप किसी कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाने से संबंधित मामलों की जांच करते हैं, तो यह पाया जाएगा कि वे सभी एक मानक अपनाते हैं जिसे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उचित प्रक्रिया खंड के तहत किसी कानून की तर्कसंगतता का निर्णय लेने में अपनाया है।

"..... मैंने जो कहा है, उसके आलोक में, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि यह शब्द कैसे है।

'उचित 'उचित प्रक्रिया' शब्दों की तुलना में अधिक निश्चित है।

• *6* मुख्य न्यायाधीश एस. आर. दास ने अपने विदाई भाषण में जे. सुब्बा राव के बारे में कहा था, "फिर हमारे पास भाई सुब्बा राव हैं, जो बेहद नाखुश हैं क्योंकि हमारे सभी मौलिक अधिकार उनके सहयोगियों के कुछ गलत निर्णयों के कारण कुत्तों के पास जा रहे हैं, जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।" जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.*

भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

"इसके अलावा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार न केवल होने का अधिकार लेता है

उसकी गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त, लेकिन इससे भी मुक्त

उनके निजी जीवन पर अतिक्रमण। यह सच है कि हमारा संविधान ऐसा करता है।

निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से घोषित नहीं करते हैं,

लेकिन उक्त अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य घटक है।

प्रत्येक लोकतांत्रिक देश घरेलू जीवन को पवित्र बनाता है; यह अपेक्षित है।

देने के लिए। आराम, शारीरिक सुख, मन की शांति और सुरक्षा।

अंतिम उपाय में, एक व्यक्ति का घर, जहाँ वह अपने परिवार के साथ रहता है,

उनका "महल" हैः यह उसके अतिक्रमण के खिलाफ उसकी प्राचीर है
व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उस प्रसिद्ध न्यायाधीश के गर्भवती शब्द,

फ्रैंकफर्टर जे., वुल्फ बनाम। कोलोराडो *(1949) 338* यू. एस. *25,* इंगित करते हुए

किसी की निजता की सुरक्षा के महत्व को मनमाने तरीके से

पुलिस द्वारा घुसपैठ, एक भारतीय के लिए कम आवेदन नहीं हो सकता है

एक अमेरिकी के रूप में घर। यदि किसी व्यक्ति पर शारीरिक प्रतिबंध लगे

आंदोलन उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक अतिक्रमण को प्रभावित करते हैं।

उनके निजी जीवन पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में, कुछ भी नहीं

मनुष्य की शारीरिक खुशी और स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है
उसकी गोपनीयता के साथ एक सोचा-समझा हस्तक्षेप। इसलिए हम,

अनुच्छेद *21* में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को एक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यक्ति को अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों या अतिक्रमणों से मुक्त होना

व्यक्ति, चाहे वे प्रतिबंध या अतिक्रमण सीधे हों

समझा गया, विनियमन *236* के तहत निगरानी के सभी कार्य
के अनुच्छेद *21* के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन

संविधान "।

(पृष्ठ 359 पर)

एम. पी. शर्मा में *8* न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय और खरक सिंह में *6* न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

25. यह हमें उपरोक्त दृष्टिकोण की शुद्धता की ओर ले जाता है, सबसे पहले

एम. पी. शर्मा *(ऊपर)* में *8*-न्यायाधीश पीठ के निर्णय के आलोक में। उस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि कुछ तलाशी ली गई थी जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानों से भारी मात्रा में रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* पर आधारित एक तर्क के आधार पर तलाशी वारंट को रद्द कर दिया जाए, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा

स्वयं के विरुद्ध। अदालत ने जिस तर्क को खारिज कर दिया था, वह यह था कि चूंकि इस तरह की खोज से कई लोगों की खोज होगी।

; 864

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

एक दोषपूर्ण दस्तावेज, एक अपराध का आरोपी व्यक्ति होगा

अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर होना क्योंकि ऐसे दस्तावेज

उसे दोष दें। इस तर्क को संदर्भ के साथ खारिज कर दिया गया था

यू. एस., यू. के. और इस देश में प्रशंसात्मक मजबूरी का कानून।

तर्क पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने देखा कि कुछ भी नहीं है

के चौथे संशोधन के अनुरूप हमारे संविधान में

बी.

अमेरिकी संविधान, जो अनुचित खोज और बरामदगी को रोकता है।
इस तरह के निर्णय में, इस न्यायालय ने तब टिप्पणी कीः

"अतः यह स्पष्ट है कि भारतीय कानून में इसका कोई आधार नहीं है -

यह धारणा कि किसी वस्तु या दस्तावेज़ की खोज या जब्ती

अपने आप में उसी के मजबूर उत्पादन के रूप में माना जाना। वास्तव में

सी.

थोड़े से विचार से पता चलेगा कि दोनों अनिवार्य रूप से अलग हैं।

वर्तमान चर्चा के लिए प्रासंगिक उद्देश्य के लिए मामले। एक नोटिस

प्रस्तुत करना संबंधित पक्ष और उसके उत्पादन को संबोधित किया जाता है

इसके अनुपालन में उसके भीतर एक प्रशंसापत्र अधिनियम का गठन होता है।

अनुच्छेद *20 (3)* का अर्थ जैसा कि ऊपर समझाया गया है। लेकिन खोजें।

वारंट सरकार के एक अधिकारी को संबोधित किया जाता है, आम तौर पर एक

डी.

पुलिस अधिकारी। न तो तलाशी और न ही जब्ती के कार्य हैं

जो वह प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है और इसलिए, उसकी गवाही नहीं है
किसी भी मायने में कार्य करता है।

"न्यायशास्त्र की किसी भी प्रणाली में खोज और जब्ती की शक्ति होती है।

ई.

सामाजिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए राज्य की एक प्रमुख शक्ति

और वह शक्ति अनिवार्य रूप से कानून द्वारा विनियमित होती है। जब

संविधान निर्माताओं ने इस तरह के विनियमन के अधीन नहीं होना उचित समझा है

मौलिक अधिकार को मान्यता देकर संवैधानिक सीमाओं तक

गोपनीयता के लिए, अमेरिकी चौथे संशोधन के अनुरूप, हम

एफ लिट

इसे पूरी तरह से अलग मौलिक में आयात करने का कोई औचित्य नहीं है।

ठीक है, तनावपूर्ण निर्माण की कुछ प्रक्रिया से।

(पृष्ठों पर *1096-1097)*

26. उपरोक्त परिच्छेद को पढ़ने पर सबसे पहली बात जो किसी को प्रभावित करती है

यह है कि न्यायालय ने अमेरिकी चौथे संशोधन को पढ़ने के निमंत्रण का विरोध किया

जी.

अमेरिकी पाँचवें संशोधन में; संक्षेप में इसने पढ़ने या आयात करने से इनकार कर दिया

पाँचवें के उस भाग के समतुल्य भारतीय में चौथा संशोधन
संशोधन जो संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के समान है

भारत। इसके अलावा, गोपनीयता का मौलिक अधिकार, के अनुरूप बताया गया है

चौथा संशोधन, कुछ ऐसा माना गया था जो नहीं हो सकता था

एच को अनुच्छेद *20 (3)* में पढ़ा जाता है।

1 मैं हूँ

पी. एस. सी. *4* एक्स *2017 (3)*

1500

2017 के लिए वार्षिक सदस्यता
(12 खंडों के लिए, प्रत्येक खंड में *4* भाग और एक सूचकांक होता है*)*

भारतीय रुपये में: *5,940 /*

176

ब्रिटेन में *£*

अमेरिकी डॉलर में

220

प्रत्येक अतिरिक्त खंड: भारतीय रुपये में:

495 /

15

ब्रिटेन में *£*

अमेरिकी डॉलर में

18

(व्यक्तिगत खंड या पुर्जे बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं*)*

सदस्यता लेने के लिए कृपया संपर्क करें:

टेल करें। *: 011-23810150* फैक्स: *91-011-23817846* ईमेल: एकॉप-*dep@nic*। में
रेग. नहीं। डी-*(डी) 155*।

आईएसएसएन *0537-0590*

सभी अधिकार सुरक्षित किए गए

द्वारा मुद्रित किया गया: अभिनव प्रिंट्स के-*88*, उद्योग नगर इंडल। क्षेत्र, रोहतक रोड, दिल्ली-*41* लाटाय

ओ.

द.

सत्यमेव जयते

सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

(साप्ताहिक*)*

आधिकारिक पत्रिका

रिपोर्ट करने योग्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय

[2017] 10 एस. सी. आर *(*भाग-*IV)*

मुद्दे की मुख्य बातें

आधार लिंक करने की समय सीमा-बढ़ाई गई।

न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* बनाम। भारत संघ. *1000*

दिवाला और दिवालियापन संहिता, *2016*-निगम द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत

परिचालन लेनदार।

मोबिलॉक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड *v.* कीरूसा सॉफ्टवेयर

प्राइवेट लिमिटेड।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के तहत प्रकाशित

प्रकाशन नियंत्रक, सरकार द्वारा।

भारत का न्याय, दिल्ली न्याय के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

27. इनके बारे में दूसरी दिलचस्प बात ध्यान देने योग्य है।

अवलोकन यह है कि उक्त निर्णय में कोई व्यापक अनुपात नहीं है कि निजता का मौलिक अधिकार संविधान के भाग *III* में उपलब्ध नहीं है। यह अवलोकन अनुच्छेद *20 (3)* तक ही सीमित है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में वास्तविक निष्कर्ष का संबंध उस कानून से था जो इस न्यायालय के साथ-साथ यू. एस. और यू. के. में अनुच्छेद *20 (3)* पर विकसित

गोपालन *(*सुप्रा*)* युग, जिसमें आर. सी. कूपर *(*सुप्रा*)* या मेनका गांधी *(*सुप्रा*)* का लाभ नहीं था। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि जब तक यह फैसला सुनाया गया, तब तक भारत पहले से ही हस्ताक्षरकर्ता था मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद *12* में कहा गया हैः

" किसी को भी उसके साथ मनमाना हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाएगा

गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार, और न ही उस पर हमले करने के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा। हर किसी को सुरक्षा का अधिकार है

इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून।

28. यह हमेशा इस न्यायालय का कानून रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय

संधियों का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत *51 (*सी*)* है, जो इस प्रकार हैः

"51. राज्य प्रयास करेगा कि
(a) & (b) XXX

XXX

(ग*)* अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।

संगठित लोगों का एक दूसरे के साथ व्यवहार*;*

अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए, अनुच्छेद *253* सभी राज्यों से विधायी क्षमता को हटा देता है।

और केवल संसद को ऐसा विधान सौंपता है। अनुच्छेद *253* इस प्रकार हैः

"253. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने के लिए कानून

समझौते। - इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ किसी संधि, समझौते या संधि या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए भारत के पूरे या किसी भी भाग के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है।

संघ या अन्य निकाय "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

हमें यू. के. के सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय दिखाए गए और

इस संबंध में अमेरिका। एक चरम पर यूनाइटेड किंगडम खड़ा है।

जिसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ इंग्लैंड में प्रशासित कानूनों का हिस्सा नहीं हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, का अनुच्छेद *VI*

अमेरिकी संविधान घोषणा करता हैः

" XXX

XXX

XXX

यह संविधान, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून जो

उसके अनुसरण में की जाए; और की गई सभी संधियाँ, या जो

किया जाएगा, संयुक्त राज्य के अधिकार के तहत, होगा

देश का सर्वोच्च कानून; और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश होंगे

इस प्रकार किसी भी राज्य के संविधान या कानूनों में कुछ भी

इसके विपरीत।

XXX "

XXX

XXX

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुभव से कोई सहायता नहीं ली जा सकती है।

या तो यू. के. या यू. एस. हमें इसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में निर्धारित कानून।

29. कई निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि

नगरपालिका कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी विशिष्ट निषेध का अभाव

यह भारतीय कानून का हिस्सा है और इसके परिणामस्वरूप इसे हमारे मौलिक अधिकारों में या उनके हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। *(* इस प्रस्ताव के लिए, देखें - बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, *(1980) 2* एस. सी. सी. *684* अनुच्छेद *139* पर, फ्रांसिस कोरली

मुलिन वी. प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अन्य। , *(1981) 1* पैराग्राफ *8* पर एस. सी. सी. *608,* विशाखा और अन्य। वी. राजस्थान राज्य और

ओआरएस। , *(1997) 6* पैराग्राफ *7* पर एस. सी. सी. *241* और राष्ट्रीय कानूनी सेवाएँ

प्राधिकरण *v.* भारत संघ, *(2014) 5* एस. सी. सी. *438* अनुच्छेद *51-60* पर)। यह अंतिम निर्णय इस मायने में शिक्षाप्रद है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संदर्भित करता है।

और वाचाएँ, संविधान और पहले के विभिन्न निर्णय। पैराग्राफ *60* में निष्कर्ष इस प्रकार हैः

"टी. जी. और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यहां पहले जिन सिद्धांतों पर चर्चा की गई है

योगकार्ता सिद्धांतों सहित सम्मेलन, जो हमारे पास हैं

जिसका पालन किया गया, जिसमें पर्याप्त कानूनी और ऐतिहासिक औचित्य है
हमारा देश। "

(पृष्ठ 487 पर)

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

30. वास्तव में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993,* इस संदर्भ में पढ़ना दिलचस्प बनाता है।

धारा *2 (1) (*डी*)* और *(*एफ*)* महत्वपूर्ण हैं, और निम्नानुसार पढ़े जाते हैंः

"2. परिभाषाएँ। – *(1)* इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है, -

((a) XXX

XXX

*((*ख*)) XXX XXX*

XXX

(ग) XXX XXX

XXX

((घ) "मानवाधिकार" से जीवन, स्वतंत्रता, समानता से संबंधित अधिकार अभिप्रेत हैं।

और संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति की गरिमा या
अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित और अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय

भारत में;

/ (ई) XXX

XXX

(च) "अंतर्राष्ट्रीय वाचा" का अर्थ है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा और इस पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा।

जनरल द्वारा अपनाए गए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार

16 दिसंबर, *1966* को संयुक्त राष्ट्र की सभा और

जनरल द्वारा अपनाई गई ऐसी अन्य वाचा या संधि

केंद्र सरकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र की सभा,

अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें; "

31. धारा *12 (च)* के संदर्भ में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना है।

मानवाधिकारों पर उपकरण और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करें। लोकुर द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले में, जे. एक्स्ट्रा जुडल में। निष्पादित करें। पीड़ित परिवार संघ और ए. एन. आर. ,वी. भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू. पी. में *(*सीआरएल।*) 2012* का *14* जुलाई, *2017* को निर्णय लिया गया, इस न्यायालय ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993* को इस रूप में रेखांकित किया

निम्नलिखित हैः

" 29. इसे ध्यान में रखते हुए, साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को ध्यान में रखते हुए, संसद ने मानवाधिकारों के संरक्षण को लागू किया।

अधिनियम, *1993*। उद्देश्यों और कारणों का विवरण

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993* काफी महत्वपूर्ण है।

महत्व और मानव से संबंधित मुद्दों के महत्व को स्वीकार करता है

अन्य बातों के साथ-साथ, जवाबदेही लाने के लिए अधिकार और *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मानवाधिकार न्यायशास्त्र में पारदर्शिता। का वक्तव्य

वस्तुएँ और कारण निम्नानुसार हैं:

16 दिसंबर, *1966* को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाए गए सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। उपरोक्त समझौतों में सन्निहित मानवाधिकारों को संविधान द्वारा काफी हद तक संरक्षित किया गया है। *2.* लेकिन देश में चिंता बढ़ रही है

और विदेशों में मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में। ध्यान रखें।

इसके लिए, बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और अपराध और हिंसा की प्रकृति में उभरते रुझानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार न्याय के प्रशासन के मौजूदा कानूनों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की समीक्षा कर रही है, ताकि उनमें अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाई जा सके और कुशल और प्रभावी योजना तैयार की जा सके।

स्थिति से निपटने के तरीके। *3.* मानवाधिकारों पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, संगोष्ठियों जैसे विभिन्न मंचों पर व्यापक चर्चाएं हुईं।

देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित और उनके साथ बैठकें

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता। इन चर्चाओं में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान विधेयक को पेश किया जाता है। संसद "।

30. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993* के प्रावधानों के तहत एन. एच. आर. सी. का गठन एक उच्च शक्ति वाले वैधानिक संगठन के रूप में किया गया है।

निकाय जिसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं और हमेशा रहे हैं। अन्य में, उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं और हमेशा रहे हैं।

एन. एच. आर. सी. के सदस्य रहे। *31.* राम देव चौहान बनाम। बानी कान्ता दास *((2010) 14* एस. सी. सी. *209),* इस न्यायालय ने माना कि 'मानवाधिकार' शब्दों को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993* में परिभाषित किया गया है।

व्यापक रूप से और यह कि ये मानवाधिकार भारत में अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। इस न्यायालय को इस संबंध में यही कहना था

रिपोर्ट के अनुच्छेद *47-49:*

"मानवाधिकार बुनियादी, अंतर्निहित, अपरिवर्तनीय और अविभाज्य न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* हैं।

भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

जिन अधिकारों का एक व्यक्ति केवल मनुष्य के रूप में पैदा होने के कारण हकदार है। वे ऐसे अधिकार हैं जिन्हें अधिकार के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। एक सभ्य देश का संविधान और कानून उन्हें मान्यता देते हैं क्योंकि वे हैं

अनिवार्य रूप से प्रत्येक मनुष्य का हिस्सा। यही कारण है कि हर लोकतांत्रिक देश कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध है उनके
प्रवर्तन और सुरक्षा के लिए तंत्र।

मानवाधिकार सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। द यूनिवर्स

मानवाधिकारों की घोषणा *(*इसके बाद के रूप में संदर्भित*)*

यू. डी. एच. आर.*)* संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अपनाया गया

10-12-1948 पर राष्ट्र मानवाधिकारों के रूप में कुछ सार्वभौमिक अधिकारों के पालन को मान्यता देते हैं और उनकी आवश्यकता होती है,

और इन्हें समान रूप से स्वीकार किया जाता है और

अपरिहार्य और अंतर्निहित गरिमा के लिए आवश्यक और
एक व्यक्ति का विकास। नतीजतन, हालांकि शब्द

"मानवाधिकारों को यू. डी. एच. आर. में परिभाषित नहीं किया गया है, मानवाधिकारों की प्रकृति और सामग्री को अधिकारों से समझा जा सकता है।
उसमें वर्णित किया गया।

संभवतः ऐसे बुनियादी अधिकारों के व्यापक विस्तार पर विचार करते हुए,

1993 के अधिनियम में "मानवाधिकार" की परिभाषा को बहुत व्यापक रूप से रखा गया है ताकि इससे संबंधित सभी अधिकारों को शामिल किया जा सके -

संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में सन्निहित व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा

एक अंतरराष्ट्रीय वाचा या एक कानून के तहत, और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है
इस तरह के अधिकार तक पहुंच, तो यह उनके मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और एनएचआरसी के पास इसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है।

इसके बाद "आवश्यक और आनुपातिक सिद्धांत" के रूप में संदर्भित*)*,निख को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में लॉन्च किया गया था

सितंबर *2013*, एक साल की लंबी परामर्श प्रक्रिया का परिणाम था।

गैर नागरिक समाज, गोपनीयता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ। ई-आवश्यक और आनुपातिक सिद्धांतों की प्रस्तावना में निम्नानुसार कहा गया हैः

"निजता एक मौलिक मानव अधिकार है, और *[2017] 10* एस. सी. आर. के केंद्र में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गरिमा और यह अन्य अधिकारों को मजबूत करता है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना, और संघ की स्वतंत्रता, और मान्यता प्राप्त है

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत "।

33. 1948 की घोषणा के अनुच्छेद *12* को नजरअंदाज करना अपने आप में मौलिक अधिकार पर टिप्पणियों के लिए मौत की घंटी होगी।

सी. एम. पी. शर्मा *(ऊपर)* में निहित है।

34. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि, कम से कम तीन बाद के निर्णयों में, तर्क का उल्लेख केवल पारित करने में किया गया थाः

(1) शारदा बनाम. धर्मपाल, *(2003) 4* एस. सी. सी. *493* पर *513-514:*

"*54.* निजता का अधिकार कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किया गया है। एम. पी. में आठ न्यायाधीशों की पीठ शर्मा बनाम। सतीश चंद्र *(*ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *300),* ए. आई. आर. पीपी. *306 07* , पैरा *18* में तलाशी और जब्ती के संदर्भ में कहा गया है किः

"जब संविधान निर्माताओं ने विषय नहीं बनाना उचित समझा है

की मान्यता द्वारा संवैधानिक सीमाओं के लिए इस तरह के विनियमन
निजता का मौलिक अधिकार, अमेरिकी चौथे के अनुरूप

संशोधन, हमारे पास इसे एक पूरी तरह से अलग मौलिक अधिकार में, किसी तनावपूर्ण प्रक्रिया द्वारा आयात करने का कोई औचित्य नहीं है।

निर्माण "।

55. इसी तरह खरक सिंह बनाम। यू. पी. राज्य *(*ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295),* बहुमत निर्णय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः *(* एयर पी। *1303* , पैरा *20)*

"निजता का अधिकार हमारे तहत गारंटीकृत अधिकार नहीं है।

संविधान और इसलिए इसका पता लगाने का प्रयास

किसी व्यक्ति की गतिविधि जो केवल एक तरीका है जिसमें गोपनीयता पर आक्रमण किया जाता है, किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

भाग *III* द्वारा गारंटीकृत "।

56. "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" वाक्यांश की विस्तृत व्याख्या के साथ, इस अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद *21* में पढ़ा गया है। संविधान। *(* आर. राजगोपाल बनाम देखें। टी. एन. राज्य, *(1994) 6* एस. सी. सी. *632* और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। भारत संघ, *(1997) 1* एस. सी. सी. *301)*। कुछ मामलों में अधिकार रखा गया है

विभिन्न अधिकारों का समामेलन।

(2) जिला पंजीयक और कलेक्टर, हैदराबाद और अन्र। वी.

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

केनरा बैंक आदि, *(2005) I* एस. सी. सी. *496 516* पर, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 35. "गोपनीयता" और "खोज और जब्ती" से निपटने के लिए भारत में सबसे पहला मामला एम. पी. शर्मा बनाम था। सतीश चंद्र *(1954* एससीआर*)*

1077) संविधान के अनुच्छेद *19 (1) (*च*)* और अनुच्छेद *20 (3)* के संदर्भ में

भारत का संविधान। यह तर्क कि खोज और जब्ती

उल्लंघन किए गए अनुच्छेद *19 (1) (*च*)* को खारिज कर दिया गया, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि केवल तलाशी लेने से संपत्ति का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होता है, और हालांकि जब्ती ने इसे प्रभावित किया, लेकिन ऐसा प्रभाव केवल अस्थायी था और

अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध था। सवाल यह है कि क्या आरोपी से दस्तावेजों की जब्ती के लिए तलाशी वारंट है

हमारे संविधान में भेदभाव को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने राय दी कि एक तलाशी वारंट एक अधिकारी को संबोधित किया गया था और नहीं
अभियुक्त को और अनुच्छेद *20 (3)* का उल्लंघन नहीं किया। वर्तमान चर्चा में मामला सीमित मदद का है। वास्तव में, गोपनीयता के बारे में कानून

बाद के मामलों में इसे अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद *21* में "जीवन" के अधिकार से अलग करके विकसित किया गया था।

और *(3)* सेल्वी बनाम। कर्नाटक राज्य, *(2010) 7* एस. सी. सी. *263 363* पर, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"*205.* एम. पी. शर्मा *(*एम. पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र, आकाशवाणी *1954* एससी *300: 1954* एस. सी. सी. *1077),* यह नोट किया गया था कि भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान के चौथे संशोधन के समान तरीके से "निजता का अधिकार" स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। उस मामले में, यह भेद बनाए रखने के कारणों में से एक था

आवश्यक दस्तावेजों के लिए जारी किए गए खोज वारंट की वैधता
गबन और गबन के आरोपों की जांच करें।

(ऊपर*)* क्योंकि यह गोपालन *(*ऊपर*)* युग में दिया गया इस न्यायालय का एक प्रारंभिक निर्णय था जो मौलिक अधिकारों और निजता के मौलिक अधिकार के विकास के बीच अंतर-संबंध से संबंधित बाद के निर्णयों से समाप्त हो गया था। व्यक्ति को।

36. इसलिए, इस तथ्य को देखते हुए कि यह निर्णय केवल

अनुच्छेद *20 (3)* और अन्य मौलिक अधिकारों के साथ नहीं; इस तथ्य को देखते हुए कि *1948* की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में अधिकार शामिल हैं निजता का न्यायालय को संकेत नहीं दिया गया था; इस तथ्य को देखते हुए कि यह एक ऐसे युग में दिया गया था जब मौलिक अधिकारों को अलग-अलग पढ़ा जाना था

जलरोधक डिब्बों में; और इस तथ्य को देखते हुए कि अनुच्छेद *21* के रूप में हम

यह जानते हुए कि आज केवल मेनका गांधी *(*उपरोक्त*)* युग के बाद ही जीवन में आया है, हमारा मानना है कि यह निर्णय पूरी तरह से नुकसान से बाहर है।

जहाँ तक मौलिक अधिकारों के अध्याय में निजता के अधिकार के आधार का संबंध है।

37. अब हम *4* विद्वान न्यायाधीशों के बहुमत निर्णय पर आते हैं।

खरक सिंह *(*ऊपर*)*। विनियमन *236* के उपखंड *(*बी*)* की जांच करते समय, जो रात में अधिवास यात्राओं का समर्थन करता था, यहां तक कि बहुमत के पास भी नहीं था

उपरोक्त प्रावधान को निरस्त करने में हिचकिचाहट। इस अदालत ने कहा कि "अनुच्छेद *21* में उपयोग किए गए जीवन का अर्थ केवल पशु अस्तित्व और "स्वतंत्रता" से कुछ अधिक होना चाहिए जो केवल भौतिक से मुक्ति से कुछ अधिक है।

संयम रखें। यह फील्ड, जे. के निर्णय को मुन बनाम में उद्धृत करने के बाद था।

गोपालन *(*ऊपर*)* ने तब यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद *19 (1)* और अनुच्छेद *21* को अलग से पढ़ा जाना चाहिए, और इसलिए पढ़ा गया कि अनुच्छेद *19 (1)* व्यक्तिगत स्वतंत्रता की विशेष प्रजातियों या विशेषताओं से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद *21* अवशेष लेता है और इसमें शामिल होता है।

38. निर्णय के इस भाग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है

जे. भगवती द्वारा मान्यता प्राप्त आर. सी. कूपर *(*ऊपर*)*, मेनका गांधी में

(ऊपर*):*

" 5. यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *21,* हालांकि नकारात्मक है

यह प्रावधान करते हुए कि किसी को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार। पहला सवाल यह कि

अनुच्छेद *21* की भाषा पर विचार करने के लिए उत्पन्न होता है: क्या है*?*

7 कानून का यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है। यदि भारत के संविधान की प्रस्तावना को अनुच्छेद *21* में "स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति के अर्थ के रूप में एक मार्गदर्शक होना है, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* और अनुच्छेद *21* में और विश्वास, आस्था और पूजा अनुच्छेद *25* और अनुच्छेद *21* में आएगी। जाहिर है, अनुच्छेद *21* में "स्वतंत्रता" नहीं है।

इन अभिव्यक्तियों तक ही सीमित, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें समाहित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब अनुच्छेद *21* "स्वतंत्रता" की बात करता है, तो इसे कम से कम अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* और *25* के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

इस लेख में उपयोग किए गए 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' शब्दों का अर्थ और विषय-वस्तु क्या है*?* यह प्रश्न संयोग से ए. के. गोपालन बनाम के कुछ निर्णयों में चर्चा के लिए आया था। मद्रास राज्य *(AIR)*

1950 एससी *27: 1950* एससीआर *88: 51* सी. आर. आई. एल. जे. *1383)* और पतंजलि शास्त्री, जे., मुखर्जी, जे. और एस. आर. दास, जे., द्वारा की गई टिप्पणियाँ।

ऐसा प्रतीत होता है कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' शब्दों पर एक संकीर्ण व्याख्या की गई है ताकि अनुच्छेद *21* के संरक्षण को स्वतंत्रता तक सीमित किया जा सके। गैरकानूनी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्ति। लेकिन इस मुद्दे पर कोई निश्चित घोषणा नहीं की गई थी क्योंकि इससे पहले प्रश्न था

अदालत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' शब्दों की व्याख्या अनुच्छेद *19* और *21* के बीच अंतर-संबंध के रूप में नहीं थी। यह खरक सिंह बनाम में था। यू. पी. राज्य *(*ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1295: (1964) 1* एससीआर *332: (1963) 2* सी. आर. आई. एल. जे. *329)* कि उचित के रूप में प्रश्न 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति का दायरा और अर्थ इस न्यायालय के समक्ष पहली बार विचार के लिए स्पष्ट रूप से सामने आया।

अधिकांश न्यायाधीशों ने यह विचार रखा कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का उपयोग लेख में एक समग्र शब्द के रूप में किया गया है ताकि अपने भीतर उन सभी प्रकार के अधिकारों को शामिल किया जा सके जो व्यक्तिगत अधिकारों को बनाते हैं।

उस स्वतंत्रता की विशेष प्रजातियाँ या विशेषताएँ, अनुच्छेद *21* में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अवशेष को लेती है और इसमें शामिल होती है। अल्पसंख्यक तथापि, न्यायाधीश बहुमत द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से असहमत थे और निम्नलिखित शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट कीः इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति एक व्यापक और अधिकार है।

स्वतंत्र रूप से घूमना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक विशेषता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बनी है और इसलिए, अनुच्छेद *21* में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति उस विशेषता को बाहर करती है। हमारे विचार में, यह एक सही दृष्टिकोण नहीं है। दोनों हैं।

स्वतंत्र मौलिक अधिकार, हालांकि अतिव्यापी हैं। एक को दूसरे से तराशने का कोई सवाल ही नहीं है। मौलिक

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की कई विशेषताएं हैं और उनमें से कुछ अनुच्छेद *19* में पाई जाती हैं। यदि अनुच्छेद *21* के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य कार्रवाई को बनाए रखने के लिए एक कानून पर भरोसा कर सकता है, लेकिन यह एक पूर्ण उत्तर नहीं हो सकता है जब तक कि उक्त कानून अनुच्छेद *19 (2)* में निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है जहां तक 'अनुच्छेद *19 (1)* में शामिल विशेषताओं' का संबंध है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आर. सी. कूपर बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए। भारत संघ *[(1970) 2* एस. सी. सी. *298: (1971) 1* एस. सी. आर. *512]* अल्पसंख्यक।

दृष्टिकोण को सही माना जाना चाहिए और बहुमत का दृष्टिकोण होना चाहिए माना जाता है कि इसे रद्द कर दिया गया है "।

(पृष्ठों पर *278-279)*

39. इसके बाद खड़क सिंह *(*ऊपर*)* मामले में बहुमत का फैसला आया।

संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख करते हुए, और कहा कि अनुच्छेद *21* में व्यक्ति की गरिमा का पोषित मानवीय मूल्य शामिल है

उसके पूर्ण विकास और विकास को सुनिश्चित करने का साधन। एक मार्ग था

फिर वुल्फ वी से उद्धृत किया गया। कोलोराडो, *338* यू. एस. *25 (1949)* इस प्रभाव के लिए कि पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से घुसपैठ के खिलाफ किसी की गोपनीयता की सुरक्षा

यह एक स्वतंत्र समाज के लिए बुनियादी है। इसके बाद अदालत ने अमेरिकी चौथे संशोधन का हवाला दिया जो लोगों के अधिकारों को उनके व्यक्तियों, घरों, कागजातों और अनुचित तलाशी और बरामदगी के खिलाफ प्रभावों में सुरक्षित करने की गारंटी देता है। हालांकि भारतीय संविधान ने स्पष्ट रूप से नहीं किया था

समान गारंटी देते हुए, बहुमत ने माना कि फिर भी किसी व्यक्ति के घर में अनधिकृत घुसपैठ अंग्रेजी सामान्य कानून का उल्लंघन करेगी।

उक्ति जो दावा करती है कि हर आदमी का घर उसका महल है। इस दृष्टि से

अनुच्छेद *21* के विनियम *236 (*बी*)* को निरस्त कर दिया गया था।

40. तथापि, उपखंड *(*ग*), (*घ*)* और *(*ङ*)* को कायम रखते हुए

विनियम *236,* न्यायालय ने कहा *(*पृष्ठ *351* पर*):*

"जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, निजता के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है

हमारे संविधान के तहत अधिकार और इसलिए पता लगाने का प्रयास

एक व्यक्ति की गतिविधियाँ जो केवल एक तरीका है जिसमें
निजता पर हमला मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है

भाग *III* द्वारा गारंटीकृत "।

यह परिच्छेद उस खंड *(*ख*)* में थोड़ा जिज्ञासु है जिसके बारे में

अधिवास यात्राओं को केवल गोपनीयता के मौलिक अधिकार के आधार पर रद्द कर दिया गया था जिसे व्यक्ति के खिलाफ प्रतिबंध के अर्थ में समझा गया था। एक नागरिक। ऐसा प्रतीत होता है कि फैसले में पहले का अंश जिसमें कहा गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि अमेरिकी चौथा संशोधन भारतीय संविधान में प्रतिबिंबित नहीं था, फिर भी किसी व्यक्ति के घर में कोई अनधिकृत घुसपैठ, जो कुछ भी नहीं बल्कि निजता के अधिकार का एक पहलू है,

द्वारा दिया गया।

41. विशिष्ट रूप से पर्याप्त, निकाले गए मार्ग का उल्लेख किए बिना

जिसमें बहुमत ने माना कि निजता के अधिकार की गारंटी नहीं है

हमारे संविधान के तहत, बहुमत के फैसले को अनुच्छेद *21* में निजता के मौलिक अधिकार को मान्यता देने के रूप में माना गया है। *(* देखिए: पी. यू. सी. एल बनाम

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

भारत संघ, *(1997) 1* एस. सी. सी. *301* पैराग्राफ *14* पर; श्री 'एक्स' वी। अस्पताल

'जेड ', *(1998) 8* एस. सी. सी. *296* पैराग्राफ *21* और *22* पर; जिला पंजीयक और कलेक्टर, हैदराबाद और अन्न। वी. केनरा बैंक, आदि, *(2005)* पैराग्राफ *36* पर *1* एस. सी. सी. *496;* और थलाप्पलम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य। वी. केरल राज्य और अन्य। *, (2013) 16* पैराग्राफ *57* पर एस. सी. सी. *82)*।

42. यदि अधिवास यात्राओं से संबंधित निर्णय का परिच्छेद

यह स्पष्ट हो जाता है कि रात में इसे निरस्त करना बाद के अनुच्छेद के विपरीत है जिसमें ऊपर निकाले गए विनियमन *236* के अन्य खंडों को बरकरार रखा गया है।

कि यह किसी भी स्तर की स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि बहुमत का निर्णय निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अध्याय में या अन्यथा निहित करता है। जैसा कि बहुमत का निर्णय इस पर विरोधाभासी है।

महत्वपूर्ण पहलू, यह कहना सही होगा कि इसे एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में अधिक मूल्य नहीं दिया जा सकता है। किसी भी मामले में, हमारा विचार है कि बहुमत

निर्णय एक अच्छा कानून है जब यह अनुच्छेद *21* के बारे में बात करता है

व्यक्ति की गरिमा को एक सबसे पोषित मानवीय मूल्य के रूप में सुनिश्चित करता है जो मनुष्य के पूर्ण विकास और विकास के साधनों को सुनिश्चित करता है। बहुमत का निर्णय यह इंगित करने में भी सही है कि अनुच्छेद *21* किसी व्यक्ति के घर में अनधिकृत घुसपैठ को रोकता है। जहाँ बहुमत का निर्णय गलत हो जाता है, वहाँ यह माना जाता है कि मौलिक अधिकार हैं।

जलरोधक विभाग और यह अभिनिर्धारित करना कि निजता का अधिकार हमारे संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार नहीं है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि बहुमत का निर्णय कहावत क्यूरेट के अंडे की तरह है- केवल कुछ हिस्सों में अच्छा है। अजीब बात है कि जब अकेले अच्छे हिस्से देखे जाते हैं, तो कोई नहीं होता है असहमतिपूर्ण निर्णय और बहुमत निर्णय में जे. सुब्बा राव के दृष्टिकोण के बीच वास्तविक अंतर। यह तब इस *9*-न्यायाधीश पीठ के संदर्भ के प्रमुख हिस्से का जवाब देता है कि हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि न तो *8*-न्यायाधीश और न ही *6*-न्यायाधीश पीठ को निजता के मौलिक अधिकार को भाग *III* में पढ़ने के रास्ते में आने के लिए पढ़ा जा सकता है।

संविधान।

43. हालाँकि, विद्वान महान्यायवादी ने समर्थन में तर्क दिया है

8-न्यायाधीशों की पीठ और *6*-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने निजता के अधिकार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

संविधान का मौलिक अधिकार अध्याय। यद्यपि वे सही हो सकते हैं, संविधान सभा की बहसें केवल यह दिखाने के लिए दिलचस्प हैं कि जब उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया था तो वास्तव में निर्माताओं के मन में क्या था। जैसा कि इस फैसले में बाद में बताया जाएगा, हमारे निर्णय स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के जीवन को नियंत्रित करता है

125 इस देश के करोड़ों नागरिक और उन्हें जवाब देने के लिए व्याख्या की जानी चाहिए

जिसे निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था, उसे अनुच्छेद *21* में पढ़ा है, ताकि मोहम्मद के समय तक। आरिफ *(ऊपर)*, यह न्यायालय, पैराग्राफ *28* पर,

यह कहने में सक्षम था कि चक्र पूर्ण चक्र में बदल गया है और मूल नियत प्रक्रिया अब अनुच्छेद *21* का हिस्सा है। तकनीकी को देखते हुए *20* वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की क्रांति और पूरी तरह से परिवर्तित

जीवन जो इस देश का लगभग हर नागरिक आगे बढ़ाता है, इसके लिए धन्यवाद

क्रांति, निजता के अधिकार को आज के संदर्भ में आंका जाना चाहिए न कि कल के संदर्भ में। इसलिए, इस तर्क को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है।

45. विद्वान महान्यायवादी ने तब तर्क दिया कि जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बीच, पूर्व की प्रधानता है और गोपनीयता का कोई भी दावा है जो इस बुनियादी आधार को नष्ट या नष्ट कर देगा।

अधिकार को कभी भी मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने आगे विस्तार से बताते हुए कहा कि एक विकासशील देश में जहां लाखों लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हैं और उनके पास आश्रय, भोजन, कपड़े या नौकरी भी नहीं है, मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार का कोई दावा नहीं होगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें कोई नहीं मिलता है

जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संघर्ष। दोनों अधिकार प्रत्येक मनुष्य के स्वाभाविक और अपरिहार्य अधिकार हैं और उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। वास्तव में, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार साथ-साथ चलते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के अधिकार का विस्तार है। एक बड़ा

श्री वेणुगोपाल जिन गरीब लोगों के बारे में बात करते हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आज की पूरी तरह से अलग और बदली हुई दुनिया में सेल फोन हैं, और वे सरकार और अन्य निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ निजता के मौलिक अधिकार पर दबाव बनाने के लिए आगे आएंगे। हम इस संदर्भ में अमीर और गरीब के बीच कोई घृणा नहीं देखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह तर्क आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सुविधाओं की लक्षित डिलीवरी*)* के चश्मे के माध्यम से दिया गया है।

सेवा*)* अधिनियम, *2016*, जिसके द्वारा आधार कार्ड यह देखने का साधन है कि सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाएं व्यक्तियों तक सीमित हों

जिनके लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं। इस *9*-न्यायाधीश पीठ का गठन आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर गौर करने के लिए नहीं किया गया है, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

लेकिन इसका गठन एक बहुत बड़े प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया है, अर्थात्, कि निजता का अधिकार, अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों में अनुच्छेद *21* में पाया जाएगा

"मुख्य रूप से राज्य की कार्रवाई के खिलाफ अमीर और गरीब दोनों द्वारा जीवन "और" व्यक्तिगत स्वतंत्रता "। यह तर्क फिर से हमें प्रभावित नहीं करता है और अस्वीकार कर दिया जाता है।

46. इसके बाद विद्वान महान्यायवादी और श्री सुंदरम दोनों ने तर्क दिया कि निजता का अधिकार इतनी अस्पष्ट और असंबद्ध अवधारणा है

कि इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता है। यह फिर से हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक परिभाषा की अनुपस्थिति जो शामिल होगी गोपनीयता के अधिकार के कई रूप हमें गोपनीयता हितों को पहचानने से रोकने की आवश्यकता नहीं है जब हम उन्हें देखते हैं। जैसा कि यह निर्णय वर्तमान में दिखाएगा, इन हितों को मोटे तौर पर भौतिक क्षेत्र से संबंधित हितों और मन से संबंधित हितों में वर्गीकृत किया गया है। कानून के मामले में,

अमेरिका और भारत दोनों में, यह अवधारणा बड़ी संख्या में गोपनीयता हितों की मान्यता के लिए केवल अधिकार से बहुत दूर चली गई है, जो किसी के घर की गोपनीयता और अनुचित खोजों और बरामदगी से सुरक्षा के अलावा सुरक्षा के लिए विस्तारित की गई है। भ्रूण के गर्भपात के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकल्प बनाने में किसी व्यक्ति के हित; समान लिंग वाले जोड़ों के अधिकार-जिसमें गर्भपात का अधिकार भी शामिल है।

विवाह; प्रजनन, गर्भनिरोधक, सामान्य पारिवारिक संबंध, बाल पालन, शिक्षा, डेटा संरक्षण आदि के अधिकार। इस तर्क को फिर से हमें और रोकने की आवश्यकता नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाता है।
47. जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि यदि जानकारी पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है और उसके साथ विभाजित किया गया है, तो कोई गोपनीयता अधिकार नहीं है, हम केवल

यह इंगित करता है कि मिलर बनाम के निर्णय में जानकारी के साथ "स्वैच्छिक" विभाजन के प्रश्न पर विचार किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, *425* यूएस

435 (1976) . केनरा बैंक *(ऊपर)* में इस न्यायालय ने इस फैसले की आलोचना को इस प्रकार संदर्भित किया:

" (ए) मिलर की आलोचना

(i) मिलर, *425* यू. एस. *435 (1976)* में बहुमत ने निर्धारित किया कि एक ग्राहक जिसने अपने मामलों को दूसरे को बता दिया है, उसके कारण

अपने निजता के अधिकार खो दिए। प्रो. जनजाति अपने ग्रंथ में बताती है *(*पी देखें। *1391)* कि यह सिद्धांत "खतरनाक प्रवृत्तियों" को प्रकट करता है क्योंकि न्यायालय पुराने सिद्धांत पर वापस चला गया है कि गोपनीयता के संबंध में है

जबकि यह निर्धारित किया गया है कि अधिकार संपत्ति के बजाय व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यदि अधिकार नहीं माना जाना है

व्यक्ति के साथ संलग्न, तब "हम अपने खाते की शेष राशि, आय के आंकड़े और व्यक्तिगत टेलीफोन और पता पुस्तिकाओं को नहीं बचाएँगे।

जनता की नज़रों से, लेकिन इसके बजाय जानकारी के साथ जा सकते हैं

हमारे माथे पर या हमारे बंपर स्टिकर पर लिखा हुआ है। उन्होंने देखा कि मिलर में बहुमत, *425* यू. एस. *435 (1976),* भ्रमित है।

"गोपनीयता "गोपनीयता" के साथ और यह कि "गोपनीयता की उनकी धारणा भी"

यह एक अजीब बात है, क्योंकि एक रहस्य तब भी एक रहस्य बना रहता है जब उन लोगों के साथ साझा किया जाता है जिन्हें कोई अपने आत्मविश्वास के लिए चुनता है। हमारा

चेक केवल परक्राम्य साधन नहीं हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी हैं

हम यह जानकर हमारे बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमने अपना पैसा कैसे और किसके साथ खर्च किया है। जब हम उपयोग करते हैं तो वही स्थिति होती है फोन करें या एक पत्र पोस्ट करें। यह कहना कि बैंक खाता खोलकर कोई बड़ा जोखिम लेता है, एक गलत निष्कर्ष प्रतीत होता है। प्रो. जनजाति एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछती है *(पृ. 1392):*

एक ऐसे संदर्भ में निगरानी जहाँ, एक व्यावहारिक मामले के रूप में, एक था
कोई विकल्प नहीं। केवल सबसे प्रतिबद्ध और शायद सभ्य

प्रतिबद्ध संन्यासी बिना टेलीफोन के रह सकता है

एक बंक खाता, बिना डाक के। यह कहने के लिए कि एक को लेना चाहिए

मीठे के साथ कड़वी गोली जब कोई टिकट चाटता है तो वह सटीक होती है

समकालीन जीवन जीने के लिए वास्तव में उच्च संवैधानिक कीमत
समाज "।

वह निष्कर्ष निकालता है *(पृ. 1400):*

"हमारे सूचना-गहन तकनीकी युग में, जब हम अनिवार्य रूप से जी रहे हैं इसमें न केवल
सूचनात्मक पदचिह्न बल्कि स्वयं के कुछ हिस्सों को असंख्य निर्देशिकाओं, फाइलों, अभिलेखों और कंप्यूटरों में रखना शामिल है।

कि चौदहवें संशोधन ने व्यक्तियों के लिए यह कहने की कुछ शक्ति सुरक्षित नहीं रखी कि वह जानकारी कब और कैसे और किसके द्वारा और

उन विश्वासों का उपयोग किया जाना था, जो केंद्रीय भूमिका को बदनाम करने के लिए होगा जो किसी भी सूचना में सूचनात्मक स्वायत्तता को निभाना चाहिए

स्वयं की विकसित अवधारणा "।

((ii) प्रो. येल कामिसार *(*प्रो. जनजाति द्वारा फिर से उद्धृत*) (*पी। *1392)*

कहते हैं:

"यह ऐसा लगने लगा है जैसे कोई हमारे जीवन में रहने का एकमात्र तरीका है।
समाज इस जोखिम को मानने से बच सकता है कि विभिन्न मध्यवर्ती

संस्थान पुलिस को जानकारी का खुलासा करेंगे

कठोर अनुशासन में, जीवन का अनुशासन

अधिनायकवादी शासनों के तहत "।

(पृष्ठों पर *520-521)*

$ जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

यह भी देखा जा सकता है कि मिलर *(*सुप्रा*)* को समाप्त कर दिया गया था

1978 के एक कांग्रेसनल अधिनियम द्वारा। इस न्यायालय ने आगे कहाः

" (ख*)* मिलर को कांग्रेस की प्रतिक्रिया

हम अगली बार मिलर, *425* को कांग्रेस की प्रतिक्रिया का उल्लेख करेंगे।

यूएस *435 (1976)*। *(* जैसा कि पहले कहा गया है, हमें नहीं समझना चाहिए

मिलर, *425* यू. एस. *435 (1976)* के बाद, कांग्रेस ने राइट टू
वित्तीय गोपनीयता अधिनियम, *1978 (*सार्वजनिक कानून सं. *95-630) 12* यूएससी

धारा *3401* से *3422)* के साथ। कानून ग्राहकों को सहमत करता है
बैंक या इसी तरह के वित्तीय संस्थान, कुछ अधिकार जिन्हें अधिसूचित किया जाना है

और न्यायालय में सरकार के कार्यों को चुनौती देने का अधिकार

प्रकटीकरण से पहले एक पूर्ववर्ती चरण। की धारा *3401*
अधिनियम में "परिभाषाएँ" शामिल हैं। धारा *3402* महत्वपूर्ण है, और यह कहता है

धारा *3403 (*सी*)* या *(*डी*), 3413* या *3414* द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर,
किसी भी सरकारी प्राधिकरण के पास इसकी प्रतियों तक पहुंच या प्राप्ति नहीं हो सकती है।

या किसी भी ग्राहक के वित्तीय रिकॉर्ड में निहित जानकारी

एक वित्तीय संस्थान से जब तक कि वित्तीय रिकॉर्ड नहीं हैं

उचित रूप से वर्णित और यह कि *(1)* ऐसे ग्राहक ने अधिकृत किया है

धारा *3405* की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समन; *(*बी*)*
खोज वारंट की आवश्यकताएँ जो आवश्यकताओं को पूरा करती हैं

धारा *3406* की; *(ग)* न्यायिक सम्मन की आवश्यकताएँ जो

धारा *3407* की आवश्यकता को पूरा करता है; या *(*डी*)* आवश्यकताएँ
धारा *3408* के तहत एक औपचारिक लिखित आवश्यकता। अगर

अभिलेखों में, वह उपयुक्त अमेरिकी जिला न्यायालय में एक प्रस्ताव दायर कर सकता है,
ऐसी पहुँच को रोकने के लिए। अधिनियम में कुछ विशिष्ट प्रावधान भी हैं।

(पृष्ठ *522* पर*)*

अपवाद "।

48. श्री सुंदरम ने तर्क दिया है कि अधिकारों का सीधे पता लगाया जाना चाहिए

संविधान के मौलिक अधिकार अध्याय में संरक्षण प्राप्त करने के ऐसे अधिकारों के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, और गोपनीयता एक नहीं है।

उनमें से। यह देखा जाएगा कि व्यक्ति की गरिमा एक कार्डिनल है।

मूल्य, जो संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। इस तरह

मौलिक अधिकारों के अध्याय में गरिमा को स्पष्ट रूप से अधिकार के रूप में नहीं कहा गया है।
लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा गया है। का अधिकार

गरिमा के साथ जीना जॉली के फैसले द्वारा अनुच्छेद *21* में स्पष्ट रूप से पढ़ा जाता है।

जॉर्ज वर्गीज बनाम। कोचीन के बैंक, *(1980) 2* एस. सी. सी. *360* पैराग्राफ में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10. इसी तरह, बार की बेड़ियों और हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार अभिन्न है

चार्ल्स सोबराज बनाम में निर्णय द्वारा किसी व्यक्ति की गरिमा को अनुच्छेद *21* में पढ़ा गया था। दिल्ली प्रशासन, *(1978) 4* एस. सी. सी. *494* अनुच्छेद *192,197*-बी, *234* और *241* और प्रेम शंकर शुक्ला बनाम।

दिल्ली प्रशासन, *(1980) 3* एस. सी. सी. *526* पैराग्राफ *21* और *22* पर। यह. यह पता लगाने में बहुत देर हो चुकी है कि संविधान के भाग *III* में भाषा को व्यक्त करने के लिए एक मौलिक अधिकार का पता लगाया जाना चाहिए। जैसा कि इंगित किया जाएगा

बाद में इस फैसले में संविधान को इस तरह से पढ़ना होगा

कि शब्द उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए और यदि इसे ध्यान में रखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि गोपनीयता की अवधारणा केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की

गरिमा में भी निहित है। *49.* स्टेनली बनाम में निर्णय। जॉर्जिया, *22 L.Ed.2d 542 549,550* और *551 (1969)* पर यह स्पष्ट करने का काम करेगा कि गोपनीयता अवधारणात्मक रूप से कैसे है।

यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने उन फैसलों का उल्लेख किया जिनमें कहा गया था कि अश्लीलता संवैधानिक रूप से संरक्षित भाषण के क्षेत्र में नहीं है

अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन। फिर भी, न्यायालय ने कहाः

"अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि संविधान सूचना और विचार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। यह स्वतंत्रता *(*बोलने और प्रेस की*).* अनिवार्य रूप से प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करती है। "

वी. सिटी ऑफ स्टुथर्स, *319* यू. एस. *141,143,87* एल. ई. डी. *1313,1316,63* एस. सी. टी.

862 (1943) ; ग्रिसवोल्ड वी. देखें। कनेक्टिकट, *381* यूएस *479,482,14* एल

सी. टी. *1493 (1965) (*ब्रेनन, जे., सहमत*);* सी. एफ. पियर्स वी। सोसाइटी ऑफ द सिस्टर्स, *268* यू. एस. *510,69* एल एड *1070,45* एस. सी. टी. *571,39* ए. एल. आर.
468 (1925) . सूचना और विचार प्राप्त करने का यह अधिकार, चाहे कोई भी हो

उनके सामाजिक मूल्य के बारे में, विंटर्स बनाम देखें। न्यूयॉर्क, *333* यू. एस. *507,510,92* एल. एड. *840,847,68* एस. सी. टी. *665 (1948),* हमारे स्वतंत्र समाज के लिए मौलिक है। इसके अलावा, इस मामले के संदर्भ में-किसी व्यक्ति की गोपनीयता में केवल मुद्रित या फिल्माए गए मामले के कब्जे के लिए एक अभियोजन।

व्यक्ति का अपना घर-वह अधिकार एक अतिरिक्त आयाम लेता है। के लिए
बहुत सीमित परिस्थितियों को छोड़कर, किसी के जीवन में अवांछित सरकारी घुसपैठ से मुक्त होने का अधिकार भी मौलिक है।

गोपनीयता।

ये वे अधिकार हैं जिनका अपीलार्थी पहले मामले में दावा कर रहा है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

हमें। वह जो चाहता है उसे पढ़ने या देखने के अधिकार पर जोर दे रहा है।

निजता में अपनी बौद्धिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने का अधिकार

अपने ही घर से। वह राज्य से मुक्त होने के अधिकार पर जोर दे रहा है।

ऐसी सामग्री जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है या उसके पास भी नहीं हो सकती है।
जॉर्जिया इस दावे को यह तर्क देकर सही ठहराता है कि फिल्मों में

वर्तमान मामला अश्लील है। लेकिन हम सोचते हैं कि केवल वर्गीकरण

"अश्लील" के रूप में इन फिल्मों का इस तरह के लिए अपर्याप्त औचित्य है

प्रथम और प्रथम द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर तीव्र आक्रमण

चौदहवाँ संशोधन। इसके लिए जो भी औचित्य हो सकते हैं

अश्लीलता को विनियमित करने वाले अन्य कानून, हमें नहीं लगता कि वे पहुँचते हैं
अपने घर की निजता में। यदि प्रथम संशोधन का अर्थ है

कुछ भी, इसका मतलब है कि एक राज्य को एक आदमी को यह बताने का कोई काम नहीं है कि वह
बैठा है

अपने घर में अकेले, वह कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं या कौन सी फिल्में

देख सकते हैं। हमारी पूरी संवैधानिक विरासत इस विचार पर विद्रोह करती है

सरकार को पुरुषों के दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति देना।

(जोर दिया गया*)*

न्यायालय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकालाः

"हमारा मानना है कि पहला और चौदहवाँ संशोधन करने पर प्रतिबंध लगाता है।

केवल अश्लील सामग्री को निजी रूप से रखना अपराध है। रोथ और

उस निर्णय के बाद के मामले आज के निर्णय से प्रभावित नहीं हैं।

धारण करें। जैसा कि हमने कहा है, राज्यों के पास विनियमन करने की व्यापक शक्ति है

अश्लीलता; वह शक्ति केवल अधिकार तक ही सीमित नहीं है।

व्यक्ति द्वारा अपने घर की निजता में "।

50. यह मामला, किसी भी अन्य मामले से अधिक, साहसिक राहत में सामने आता है,

निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच अंतर। अश्लीलता को प्रथम संशोधन द्वारा संशोधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बाहर माना गया था, लेकिन एक गोपनीयता हित जो अश्लील सामग्री को पढ़ने के अधिकार से संबंधित था, उसी संशोधन के तहत संरक्षित था। जाहिर है, इसलिए, न तो गोपनीयता उतनी अस्पष्ट और अनाकार है जितना कि तर्क दिया गया है, और न ही यह कहना सही है कि जब तक इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है

संविधान के भाग *III* के किसी प्रावधान में इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाना चाहिए।

51. श्री सुंदरम का तर्क कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अलग है

नागरिक स्वतंत्रता से हमें इस कारण से बिल्कुल भी रोकने की आवश्यकता नहीं है कि कम से कम गोपनीयता का मूल अधिकार जो कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ निश्चित रूप से अभिव्यक्ति के भीतर आता है "व्यक्तिगत स्वतंत्रता "।

52. श्री सुंदरम के अनुसार, गोपनीयता का हर पहलू संरक्षित नहीं है। उन कार्यों के उदाहरण जो उनके अनुसार संरक्षित नहीं हैं

ये हैं:

- "सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता वाले कराधान कानून;
- जनगणना के संबंध में;

इस उद्देश्य के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए

पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए;

पोर्नोग्राफी देखने से संबंधित प्रतिबंध "।

53. हमें डर है कि यह वास्तव में गाड़ी को पहले रख रहा है

घोड़ा। जिन कराधान कानूनों में सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, वे निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति की गोपनीयता को प्रभावित करते हैं जिसे प्राप्त करना चाहिए। संरक्षण। वास्तव में, अधिकांश कराधान कानूनों में, जिनके लिए ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, एक संगत प्रावधान के रूप में, ऐसे प्रावधान भी हैं जो

निर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर दूसरों को ऐसी जानकारी के प्रसार को प्रतिबंधित करना जिनका संबंध कुछ वैध या वैध परिस्थितियों से है। महत्वपूर्ण राज्य या सामाजिक हित। जनगणना और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण और दस्तावेजों के संबंध में भी यही स्थिति होगी। पोर्नोग्राफी देखने से संबंधित प्रतिबंध

इस फैसले में पहले भी चर्चा की गई है। स्टेनली *(ऊपर)* में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इस तरह के प्रतिबंध अमान्य होंगे यदि राज्य को किसी के घर की निजता में हस्तक्षेप करना था।

54. विद्वान महान्यायवादी ने कई फैसलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिनमें कहा गया है कि व्यापार का कोई मौलिक अधिकार नहीं है

शराब में और खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम का हवाला दिया। कर्नाटक राज्य,

(1995) 1 एससीसी *574*। स्पष्ट रूप से, किसी को भी अपराध में व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं है। वास्तव में, ऐसी स्थिति में जहां शराब को लाइसेंस के तहत बेचने की स्पष्ट रूप से अनुमति है, यह कहना मुश्किल होगा कि शराब के ऐसे विक्रेता को अनुच्छेद *19 (1) (*जी*)* के तहत व्यापार करने का मौलिक अधिकार नहीं होगा, भले ही हमारे कुछ निर्णयों का उद्देश्य ठीक यही बताता हो-दोनों के बीच के दृष्टिकोण में अंतर देखें।

कृष्ण कुमार नरूला बनाम में पूर्ववर्ती संविधान पीठ का निर्णय। जम्मू और कश्मीर राज्य, *(1967) 3* एस. सी. आर. *50*, और बाद का संविधान हर शंकर बनाम में न्यायपीठ का निर्णय। दि.

उत्पाद शुल्क और कराधान न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कॉम. *, (1975) 1* एससीसी *737*। किसी भी स्थिति में, सादृश्य तैयार किया जाना है

शराब से संबंधित मामलों से हमें इस सरल कारण से आगे नहीं ले जाता है कि निजता के मौलिक अधिकार को एक बार मान्यता मिलने के बाद उसे स्वीकार करना चाहिए।

अपराध का मुकाबला करने में राज्य के वैध हितों के लिए दी गई परिस्थितियों में। लेकिन यह गोपनीयता के अधिकार की मान्यता के बाद ही उत्पन्न होता है मौलिक अधिकार और पहले नहीं। किसी वैध राज्य के हित में या सार्वजनिक हित में एक उचित प्रतिबंध क्या होना चाहिए, यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि किसी व्यक्ति के मामलों में घुसपैठ एक अधिकार है या नहीं।

मौलिक अधिकार। गोपनीयता हितों में प्रत्येक राज्य का हस्तक्षेप जो

भौतिक निकाय या किसी व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित व्यक्तिगत विकल्पों के लिए व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार से संबंधित होगा

मौलिक अधिकार के तहत निर्धारित संतुलन परीक्षण के अधीन यह उल्लंघन करता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि दावा किया गया गोपनीयता हित कहाँ स्थापित है।

55. विद्वान महान्यायवादी और श्री तुषार मेहता, विद्वान अतिरिक्त महान्यायवादी, ने विशेष रूप से तर्क दिया कि हमारे कानून हैं निजता के अधिकार की मान्यता से परिपूर्ण, और श्री तुषार मेहता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, *2005* के प्रावधानों का हवाला दिया,

भारतीय सुगमता अधिनियम, *1882*, भारतीय दंड संहिता, *1860*, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885*, बैंकर पुस्तक साक्ष्य अधिनियम, *1891*, क्रेडिट सूचना कंपनी *(*विनियमन*)* अधिनियम, *2005*, सार्वजनिक वित्तीय

संस्थान *(*निष्ठा और गोपनीयता के रूप में दायित्व*)* अधिनियम, *1983*, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, *2007*, आयकर अधिनियम, *1961*, आधार *(*वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण*)*

सेवा*)* अधिनियम, *2016*, जनगणना अधिनियम, *1948*, सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, *2008*, किशोर न्याय *(*बच्चों की देखभाल और संरक्षण*)* अधिनियम, *2015*, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, *2012* और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, *2000*। उनके अनुसार, जब से

कानून पहले से ही व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करते हैं, संविधान के भाग *III* में गोपनीयता के मौलिक अधिकार को पढ़ना अनावश्यक है।

56. एक साधारण संसदीय बहुमत द्वारा सांविधिक कानून बनाया जा सकता है और बनाया नहीं जा सकता है। संक्षेप में, सत्तारूढ़ दल अपनी इच्छानुसार इसे समाप्त कर सकता है।

ऊपर उल्लिखित कानूनों में निहित किसी भी या सभी संरक्षणों के साथ। दूसरी ओर, मौलिक अधिकार, संविधान में निहित हैं ताकि ऐसे अधिकार हों जो इस देश के नागरिकों को सरकारों के चुनाव के बावजूद प्राप्त हो सकें। यह है।

इससे भी अधिक जब व्यक्ति की निजता जैसा कोई विशेष मौलिक अधिकार एक "अपरिहार्य" अधिकार है जो व्यक्ति में निहित है क्योंकि *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वह एक इंसान है। मौलिक में इस तरह के अधिकार की मान्यता

संविधान का अधिकार अध्याय केवल एक मान्यता है कि ऐसा अधिकार बहुसंख्यक सरकारों की बदलती रेत के बावजूद मौजूद है। कानून मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं; वे उनका उल्लंघन भी कर सकते हैं। यदि कोई मौजूदा क़ानून या भविष्य में बनाया जाने वाला कोई क़ानून

निजता के अपरिहार्य अधिकार का उल्लंघन, यह न्यायालय तब होगा

ऐसे मौलिक अधिकार के खिलाफ ऐसे क़ानून का परीक्षण करने की आवश्यकता है और यदि यह है पाया गया कि बिना किसी प्रतिवाद के इस तरह के अधिकार का उल्लंघन किया गया है

सामाजिक या सार्वजनिक हित में, इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इस तरह के कानून को निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में अमान्य घोषित करे। अतः यह तर्क भी अस्वीकार किए जाने योग्य है।

57. श्री राकेश द्विवेदी ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों द्वारा निर्धारित "निजता की उचित अपेक्षा" परीक्षण का भरपूर उल्लेख किया। इस परीक्षण की उत्पत्ति काटज़ बनाम में हार्लन, जे. के सहमत निर्णय में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, *389* यू. एस. *347 (1967)*। हालांकि इस परीक्षण को बाद के कई निर्णयों द्वारा लागू किया गया है, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, इस परीक्षण के अनुप्रयोग की आलोचना की गई है।

58. मिनेसोटा बनाम। कार्टर, *525* यू. एस. *83,119* सी. टी. *477 (1998)* पर *469*, स्कैलिया, जे. के सहमत निर्णय ने निम्नलिखित शब्दों में उपरोक्त परीक्षण के आवेदन की आलोचना की:

"असहमति का मानना है कि "सुसंगतता पैदा करने का आपका दायित्व"

परिणाम "के लिए आवश्यक है कि हम इस स्पष्ट पाठ और *4*-शताब्दी पुरानी परंपरा को नजरअंदाज करें, और इसके बजाय *31* साल पुराने" बेंचमार *[के]* "निर्णय में अपनाए गए कुख्यात रूप से असहयोगी परीक्षण को लागू करें। पोस्ट, *110* पर, काट्ज़ वी का हवाला देते हुए। संयुक्त राज्य, *389* यू. एस. *347,88* एस. सी. टी. *507, 19 L.Ed.2d 576 (1967)*। मेरे विचार में, पिछले तीन दशकों में काट्ज़ परीक्षण के बारे में केवल एक ही बात स्थापित हुई है *(*जिसका अर्थ न्यायमूर्ति हारलान की अलग सहमति द्वारा प्रतिपादित परीक्षण है*)*।

काट्ज़ में, आईडी. *360,88* एस. सी. टी. देखें। *507)* यह है कि, आश्चर्यजनक रूप से, गोपनीयता की वे "वास्तविक *(*व्यक्तिपरक*)* अपेक्षाएँ" जिन्हें समाज 'उचित' के रूप में पहचानने के लिए तैयार है। , *361*, *88* एस. सी. टी. *507,* गोपनीयता की उन अपेक्षाओं के साथ एक अलौकिक समानता है जिन्हें यह न्यायालय उचित मानता है। यह निर्धारित करने के लिए कि उस आत्म-भोग परीक्षण का उपयोग कब किया जाता है *(*जैसा कि असहमति इसे यहां इस्तेमाल करेगी*)*

चाहे अर्थ के भीतर एक "खोज या जब्ती"

संविधान हुआ है *(*इसके विपरीत कि क्या "खोज" हुई है। या अभिग्रहण "अनुचित" है*)*, इसका कोई प्रशंसनीय आधार नहीं है।

चौथे संशोधन के पाठ में।

उस प्रावधान ने जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

मूल्य की कौन सी विशेष अभिव्यक्तियाँ निर्धारित करने के लिए न्यायालय गोपनीयता "समाज उचित के रूप में मान्यता देने के लिए तैयार है"।

इबिद "। काइलो वी. संयुक्त राज्य अमेरिका, *533* यू. एस. *27,121* एस. सी. टी. *2038 2043* में

(2001) , अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एक सार्वजनिक सड़क से एक निजी घर के उद्देश्य से थर्मल इमेजिंग डिवाइस का उपयोग, रिश्तेदार का पता लगाने के लिए किया जाता है।

निजी घर के भीतर गर्मी की मात्रा व्यक्ति की गोपनीयता पर आक्रमण होगी। इस तरह के निर्णय में, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने कहाः

"काट्ज़ परीक्षण-क्या व्यक्ति को इसकी अपेक्षा है

गोपनीयता जिसे समाज उचित मानने के लिए तैयार है -

अक्सर परिपत्र के रूप में आलोचना की जाती है, और इसलिए व्यक्तिपरक और

अप्रत्याशित। *1* डब्ल्यू. लाफेव, सर्च एंड सीजर *§ 2.1 (*डी*)*, पीपी देखें।

393-394 (3 डी एड। *1996);* पॉसनर, द अनसर्टेन प्रोटेक्शन ऑफ

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोपनीयता, *1979* एस. सी. टी. रेव. *173,*

188 ; कार्टर, ऊपर, *97,119* एस. सी. टी. *469 (* स्कैलिया, जे., सहमत हैं*)*। लेकिन *143-144*, *n* पर ऊपर दिए गए राकस को देखें। *12* , *99* एस. सीटी. *421.* जबकि काटज़ को परिष्कृत करना मुश्किल हो सकता है जब जैसे क्षेत्रों की खोज की जाती है

सामान्य कानून में गहरी जड़ें, न्यूनतम अपेक्षा की
गोपनीयता जो मौजूद है, और जिसे उचित माना जाता है। इस न्यूनतम अपेक्षा के संरक्षण को वापस लेना होगा

पुलिस प्रौद्योगिकी को चौथे संशोधन द्वारा गारंटीकृत गोपनीयता को नष्ट करने की अनुमति दें। सिल्वरमैन, *365* यू. एस., *512,81* एस. सी. टी. पर, हम सोचते हैं कि घर के आंतरिक भाग के बारे में कोई भी जानकारी ज्ञान-वर्धक प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त करना जो अन्यथा "संवैधानिक रूप से संरक्षित क्षेत्र में भौतिक घुसपैठ" के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती थी। *679* एक खोज का गठन करता है-कम से कम जहाँ *(*यहाँ के रूप में*)*

विचाराधीन तकनीक आम जनता के उपयोग में नहीं है। यह आश्वासन देता है

सरकार के खिलाफ गोपनीयता की उस डिग्री का संरक्षण जो
यह तब अस्तित्व में था जब चौथा संशोधन अपनाया गया था।

59. इसलिए, यह स्पष्ट है कि इसकी उत्पत्ति के देश में, यह परीक्षण

हालांकि बाद के कुछ निर्णयों में इसका पालन किया गया, लेकिन यह आलोचना का विषय रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के परीक्षण की कोई संभावना नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद *14,19,20* या *21* के पाठ में आधार।

गोपनीयता की उचित अपेक्षा थी। क्या ऐसा व्यक्ति करेगा या ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए जो इस बात पर निर्भर करती है कि स्थिति क्या है

कानून में है। इसके अलावा, यह परीक्षण आंतरिक रूप से स्वेच्छा से किए गए परीक्षण से जुड़ा हुआ है।

जानकारी के साथ भाग लेना, जैसे कि जानकारी स्वेच्छा से विभाजित की गई हो

इसके साथ, संबंधित व्यक्ति को उचित रूप से किसी भी गोपनीयता हित की कोई अपेक्षा नहीं कहा जा सकता है। यह पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं है।

"मिलर *(*ऊपर*)* में परीक्षण के साथ गोपनीयता की उचित अपेक्षा, जो यह है कि यदि जानकारी को स्वेच्छा से विभाजित किया जाता है, तो गोपनीयता का कोई अधिकार मौजूद नहीं है।

जैसा कि हमारे द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, केनरा बैंक *(*ऊपर*)* में, इस न्यायालय ने मिलर *(*ऊपर*)* और उस आलोचना का उल्लेख किया है जो उसे अपने मूल देश में मिली है, और इसे भारतीय संदर्भ में लागू करने से इनकार कर दिया। जैसा कि हुआ भी है।

ऊपर चर्चा की गई, मिलर *(*ऊपर*)* के तुरंत बाद, कांग्रेस ने इस निर्णय के आधार को समाप्त करते हुए वित्तीय गोपनीयता का अधिकार अधिनियम, *1978* लागू किया। इसलिए श्री द्विवेदी के तर्क को खारिज किया जाना चाहिए।

60. श्री गोपाल शंकरनारायणन, के कथन पर भरोसा करते हुए

बेहराम खुर्शीद पेसिकाका बनाम में कानून। बम्बई राज्य, *(1955) 1*

माफ कर दिया। चूँकि इस देश में यह कानून है, अगर इस न्यायालय को यह निर्णय लेना था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो ऐसे अधिकार के किसी भी हिस्से को माफ करना संभव नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप

निम्नलिखित जटिलताएँ:

- गोपनीयता के पहलुओं से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधान

  असुरक्षित होगा।

- राज्य को वस्तुतः संविदात्मक रूप से प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा

  किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी, जिसमें पहचान भी शामिल है,

  उंगलियों के निशान, आवासीय पता, तस्वीरें, रोजगार विवरण, आदि, जब तक कि वे सभी का हिस्सा नहीं पाए गए

  निजता का अधिकार।

- इसका परिणाम यह होगा कि न्यायपालिका यह परख रही होगी कि निजता के किन पहलुओं को अनुच्छेद *21* से बाहर रखा जा सकता है।

  इसके बजाय जिसे अनुच्छेद *21* में शामिल किया जा सकता है।

इस तर्क को फिर से हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है।

सांविधिक प्रावधान जो जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

निजता के पहलुओं से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर परीक्षण जारी रहेगा

कि वे गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगे, और यदि यह एक संतुलन परीक्षण पर पाया जाता है कि सामाजिक या सार्वजनिक हित और प्रतिबंधों की तर्कसंगतता गोपनीयता के विशेष पहलू के दावे से अधिक होगी, तो उन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा है, तो कानून जो

यह राज्य को उन व्यक्तियों के बारे में संविदात्मक रूप से जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा जो दी गई परिस्थितियों में एकत्र होंगे, बशर्ते वे व्यक्तिगत गोपनीयता के अधिकार की भी रक्षा करें। एक सरल उदाहरण पर्याप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में महत्वपूर्ण जानकारी फेसबुक पर चिपकाता है,

ऐसी जानकारी, सार्वजनिक डोमेन में होने के कारण, संभवतः इस तरह के प्रकटीकरण के तुरंत बाद गोपनीयता के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। लेकिन, एक वैधानिक आवश्यकता के अनुसरण में, यदि कुछ विवरणों की आवश्यकता है

संबंधित वैधानिक उद्देश्य के लिए दिए गए, तो ऐसे विवरण

निश्चित रूप से निजता के अधिकार को प्रभावित करता है, लेकिन एक संतुलन पर, पास मस्टर

क्योंकि संबंधित राज्य की कार्रवाई में इस अधिकार की रक्षा के लिए पर्याप्त अंतर्निहित सुरक्षा उपाय हैं। तथ्य यह है कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक हित के अनिवार्य आधारों को छोड़कर किसी और को नहीं दी जा सकती है।

निजता का मौलिक अधिकार

61. यह निष्कर्ष हमें उस स्थान पर लाता है जहाँ निजता का अधिकार है।

और इसकी रूपरेखा क्या है। लेकिन इस पेचीदा सवाल में पड़ने से पहले कुछ संवैधानिक बुनियादी बातों को फिर से बताना महत्वपूर्ण है।

62. हमें महान जॉन मार्शल, सी. जे. को कभी नहीं भूलना चाहिए।

यह चेतावनी कि यह एक संविधान है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। *[(* देखः

मैककुलोच बनाम। मैरीलैंड, *17* यू. एस. *316 407* पर *(1819)]*। वास्तव में संविधान लोगों के जीवन और लोगों के जीवन को नियंत्रित करने के लिए होता है।

समय के साथ विकसित और बदलती रहती है, इसलिए इस तरह के परिवर्तनों के साथ तालमेल रखने के लिए संविधान की व्याख्या भी बदलती रहती है। यह इस न्यायालय के कम से कम दो निर्णयों में अच्छी तरह से व्यक्त किया गया था। अशोक तंवर और अन्र में। वी.

एच. पी. और अन्य का राज्य। , *(2005) 2* एस. सी. सी. *104,* एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार कहाः

"इसके अलावा, संविधान के एक प्रावधान की व्याख्या

इस न्यायालय द्वारा संविधान के उद्देश्य और अधिदेश को पूरा करने वाले विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना एक अलग आधार पर खड़ा है। ए.

अन्य कानूनों के विपरीत संविधान का उद्देश्य लंबे समय तक सेवा करने के लिए एक टिकाऊ साधन होना है, यानी बिना बार-बार संशोधन के। इसका उद्देश्य उस दिन की जरूरतों को पूरा करना है जब इसे लागू किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की बदलती स्थितियों की जरूरतों को भी पूरा करना है।

भविष्य। आर. सी. पौड्याल बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ, *1994* सप्लीमेंट *(1)* एस. सी. सी. *324* ने पैराग्राफ *124* में इस प्रकार कहा हैः

" *124.* एक के अभ्यास के अधिकारों की न्यायिक समीक्षा में

संवैधानिक शक्ति जैसे कि अनुच्छेद *2* के तहत, संसद द्वारा उचित समझे जाने वाले निर्णय के राजनीतिक घटकों के महत्व और महत्व को बाहर नहीं रखा जा सकता है। जब तक शर्तें संवैधानिक मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती हैं, तब तक विचार करें। एक की व्याख्या में

संवैधानिक दस्तावेज, 'शब्द हैं लेकिन अवधारणाओं और अवधारणाओं का ढांचा शब्दों से अधिक बदल सकता है

स्वयं '। अवधारणाओं के परिवर्तन का महत्व स्वयं महत्वपूर्ण है और संवैधानिक मुद्दों को हल नहीं किया जाता है

उनके विकास की रेखा को स्वीकार किए बिना शब्दों के अर्थ के लिए केवल एक अपील द्वारा। यह उचित रूप से कहा जाता है कि

संविधान का उद्देश्य सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करना है न कि

विवरण उत्कीर्ण करें '।

"न्यायिक विधियों" पर पहले बी. एन. राउ स्मारक व्याख्यान में एम. हिदायतुल्ला, जे. ने कहाः

" सामान्य कानूनों की व्याख्या की तुलना में संविधान की व्याख्या में अधिक स्वतंत्रता मौजूद है। यह इस तथ्य के कारण है कि सामान्य कानून अक्सर अदालतों के समक्ष होता है, कि

न्यायाधीशों के निर्देश हमेशा आसानी से उपलब्ध होते हैं जबकि संवैधानिक कानून के क्षेत्र में बार-बार स्थिति और दृष्टिकोण की नवीनता होती है।

वी. मैरीलैंड *[4* व्हीटन *(17* यूएस*) 316: 4* एल एड *579 (1819)]* पी पर व्हीटन। *407* , एल. एड. पी. *602)* गर्भवती टिप्पणी की "हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह वह संविधान है जो हम हैं व्याख्या "- जिसका अर्थ है कि यह नई परिस्थितियों में नए अर्थ का प्रश्न है। कार्डोजो ने अपने व्याख्यानों में यह भी कहाः संविधान की महान सामान्यताओं की एक सामग्री और महत्व है जो उम्र के अनुसार भिन्न होता है। मुख्य न्यायाधीश मार्शल

मैककुलोच बनाम। मैरीलैंड *[4* व्हीटन *(17* यूएस*) 316: 4* एल. एड. *579 (1819)] (*एल. एड. पीपी *603-604* पर*)* ने घोषणा की कि संविधान था "इसका उद्देश्य आने वाले युगों तक सहन करना है, और इसके परिणामस्वरूप, मानव मामलों के विभिन्न संकटों के अनुकूल होना है। इस संबंध में यह

पैराग्राफ *324* में की गई टिप्पणियों को देखना सार्थक है

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

326 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन, *(1993) 4* एससीसी *441: (* एससीसी पीपी। *645-46)*

" 324. हमारे समक्ष मामले पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि

पूरा अनुभव और न केवल संविधान निर्माताओं द्वारा कही गई बातों में। पूछे गए प्रश्नों का निर्णय करते समय हमारे सामने हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज न्यायपालिका क्या है न कि पचास साल पहले क्या थी। संविधान को न केवल समकालीन परिस्थितियों और मूल्यों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी की परिस्थितियों और मूल्यों को बताया जाए

एक खोज "। *325.* यहाँ से एक अनुच्छेद उद्धृत करना उपयोगी होगा

हंटर बनाम में कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। साउथम इंक. *(1984) 2* एससीआर *145: [* एस. सी. आर. पी. *156 (* कर सकते हैं*)]*

वैधानिक निर्माण के नियमों का संदर्भ। संविधान की व्याख्या करने का कार्य कानून बनाने से काफी अलग होता है। एक क़ानून वर्तमान अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है। इसे आसानी से लागू किया जाता है और उतनी ही आसानी से निरस्त किया जाता है। इसके विपरीत, संविधान का मसौदा भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इसका कार्य इसके लिए एक निरंतर ढांचा प्रदान करना है

इसे आसानी से निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इसे समय के साथ विकास और विकास करने में सक्षम होना चाहिए ताकि नई सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं का सामना किया जा सके जिनकी अक्सर इसके निर्माताओं द्वारा कल्पना नहीं की जाती है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और इसके प्रावधानों की व्याख्या करते समय इन विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोफेसर पॉल फ्रायंड ने इस विचार को उचित रूप से व्यक्त किया जब उन्होंने अमेरिकी अदालतों को चेतावनी दी कि "संविधान के प्रावधानों को अंतिम वसीयत और वसीयतनामा की तरह न पढ़ें ताकि यह एक हो जाए"।

326. संवैधानिक प्रावधानों को तकनीकी निर्माण द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे उदार और सार्थक *[2017] 10* एस. सी. आर. दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्याख्या। सामान्य नियम और अनुमान, लाए गए

विधियों की व्याख्या करने में सहायता के लिए, लागू नहीं किया जा सकता है

गृह मामलों का बनाम। फिशर *[(1979) 3* सभी ईआर *21: 1980* एसी *319]* बरमूडियन संविधान से निपटते हुए, लॉर्ड विल्बरफोर्स ने दोहराया

कि एक संविधान एक दस्तावेज 'सुई जेनरिस' है, जो सिद्धांतों का आह्वान करता है

अपनी स्वयं की व्याख्या, अपने चरित्र के लिए उपयुक्त '।
अरुणा राय बनाम में यह न्यायालय। भारत संघ, *(2002) 7* एस. सी. सी. *368,*

मुख्य न्यायाधीश होम्स के प्रसिद्ध शब्दों को याद किया कि "आत्मा"

कानून का होना तर्क नहीं है बल्कि यह अनुभव रहा है "और कहा कि

ये शब्द संवैधानिक कानून पर अधिक बल के साथ लागू होते हैं। में

वही निर्णय इस न्यायालय ने व्यक्त किया कि संविधान एक है

लोगों द्वारा आने वाले सभी समय के लिए उन्हें नियंत्रित करने के लिए और यह कि
संविधान में उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, उस अर्थ में,

कोई निश्चित अर्थ नहीं है और इसके आधार पर व्याख्या प्राप्त करनी चाहिए

कार्य के दौरान लोगों का अनुभव

संविधान। यही बात व्याख्या के संबंध में नहीं कही जा सकती है।

एक क़ानून में शब्द और अभिव्यक्तियाँ "।

(पृष्ठों पर *114-116)*

63. आई. आर. में *9*-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय भी इसी तरह का है।

एल. आर. वी. द्वारा कोएल्हो *(*मृत*)*। तमिलनाडु राज्य और अन्य। *, (2007) 2* एससीसी *1,* जो कहता है:

" 42. संविधान एक जीवित दस्तावेज है। संवैधानिक

मार्च को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों का अर्थ लगाया जाना चाहिए

समय और कानून का विकास। इसलिए यह आवश्यक है कि

मूल संरचना के सिद्धांत का अर्थ लगाते हुए उचित ध्यान दिया जाना चाहिए

विभिन्न निर्णयों के लिए जिनके कारण विस्तार और विकास हुआ

कानून "।

(पृष्ठ *79* पर*)*

64. इसी पृष्ठभूमि में मौलिक अधिकारों का अध्याय है

व्याख्या की गई है। हम एम में अनुच्छेद *19* का भी उल्लेख कर सकते हैं।

नागराज और ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। *, (2006) 8* एससीसी *212,*

इस प्रस्ताव के लिए कि मौलिक अधिकारों की कोई भी सच्ची व्याख्या उस ब्रह्मांड की तरह व्यापक होनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। मानव गतिविधि के साथ तालमेल रखने के लिए मौलिक अधिकारों की सामग्री का विस्तार होता रहता है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

- [आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

65. यह संवैधानिक व्याख्या के परिणामस्वरूप है कि

मेनका गांधी *(*ऊपर*)*, अनुच्छेद *21* मानवाधिकारों की एक विशाल भीड़ का भंडार रहा है।

66. इसलिए, भारत में मौलिकता का सिद्धांत, जो था

श्री सुंदरम द्वारा संदर्भित और उन पर भरोसा करने का कोई स्थान नहीं है। के अनुसार

इस सिद्धांत के लिए, पहली जांच की जानी चाहिए कि क्या संस्थापक पिताओं ने संविधान में किसी विशेष अधिकार को स्वीकार या अस्वीकार किया था। विद्वान महान्यायवादी और श्री सुंदरम के अनुसार, गोपनीयता के अधिकार पर विचार किया गया है और हमारे संस्थापकों द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। दूसरे स्तर पर, इस सिद्धांत के अनुसार, यह खुला नहीं है

8 (1) विदेश जाने का अधिकार। मेनका गांधी बनाम। भारत संघ *(1978) 1* एस. सी. सी. *248* पैरा *5,48,90,171* और *216* पर*; (2)* बार की बेड़ियों के खिलाफ कैदियों का अधिकार। चार्ल्स सोबराज बनाम। दिल्ली प्रशासन *(1978) 4* एस. सी. सी. *494* पैरा *192,197*-बी, *234* और *241* पर*; (3)* कानूनी सहायता का अधिकार। एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य *(1978) 3* एस. सी. सी. *544* पैरा *12* पर*; (4)* जमानत का अधिकार। बाबू सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(1978) 1* एस. सी. सी. *579* पैरा *8* पर*; (5)* गरिमा के साथ जीने का अधिकार। जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम। बैंक ऑफ कोचीन *(1980) 2* एस. सी. सी. *360* पैरा *10* पर*; (6)* हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम। दिल्ली प्रशासन *(1980) 3* एस. सी. सी. *526* पैरा *21* और *22* पर*; (7)* अभिरक्षा हिंसा के खिलाफ अधिकार। शीला बारसे बनाम। महाराष्ट्र राज्य *(1983) 2* एस. सी. सी. *96* पैरा *1* पर*; (8)* गैरकानूनी गिरफ्तारी के लिए मुआवजे का अधिकार। रुदुल साह बनाम। बीबर राज्य *(1983) 4* एस. सी. सी. *141* पैरा *10* पर*; (9)* आजीविका कमाने का अधिकार। ओल्गा टेलिस बनाम। बॉम्बे नगर निगम *(1985) 3* एस. सी. सी. *545* पैरा *37: (10)* जानने का अधिकार। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के मालिक *(1988) 4* एससीसी

592 पैरा *34* में*; (11)* सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। ए. जी. ऑफ इंडिया बनाम लच्मा देवी

(1989) सप्लीमेंट *(1)* पैरा *1* पर एस. सी. सी. *264; (12)* सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की सहायता का अधिकार। परमानंद कटारा बनाम। भारत संघ *(1989) 4* एस. सी. सी. *286* पैरा *8* पर*; (13)* चिकित्सा देखभाल का अधिकार। परमानंद कटारा बनाम। भारत संघ *(1989) 4* एस. सी. सी. *286* पैरा *8* पर*; (14)* आश्रय का अधिकार। शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम। एन. के. टोटम *(1990) 1* एस. सी. सी. *520* पैरा *9* और *13* पर*; (15)* प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम। बिहार राज्य *(1991) 1* एस. सी. सी. *598* पैरा *7: (16)* त्वरित सुनवाई का अधिकार। ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक *(1992) 1* एस. सी. सी. *225* पैरा *86* पर*; (17)* अवैध निरोध के विरुद्ध अधिकार। जोगिंदर कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य *(1994) 4* एस. सी. सी. *260* पैरा *20* और *21* पर*; (18)* स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। विरेन्द्र गौर बनाम। हरियाणा राज्य *(1995) 2* एस. सी. सी. *577* पैरा *7* पर*; (19)* श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनाम भारत संघ *(1995) 3* एस. सी. सी. *42* पैरा *24* और *25* पर*; (20)* स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम। भारत संघ *(1996) 5* एस. सी. सी. *647*

पैरा *13,16* और *17: (21)* यौन उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। विशाखा और अन्य वी। राजस्थान राज्य और अन्य *(1997) 6* एस. सी. सी. *241* पैरा *3* और *7* पर; *(22)* ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अधिकार। ध्वनि प्रदूषण *(2005) 5* एस. सी. सी. *733* पैरा *117* में; *(23)* निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ज़हिरा हबीबुल्लाह शेख और अन्र। वी. गुजरात राज्य और अन्य। *(2006) 3* एस. सी. सी. *374* पैरा *36* और *38* पर; *(24)* सोने का अधिकार। री में, रामलीला मैदान घटना *(2012) 5* एस. सी. सी. *1* पैरा *311* और *318* पर; *(25)* प्रतिष्ठा का अधिकार। उमेश कुमार बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य *(2013) 10* एस. सी. सी. *591* पैरा *18* पर; *(26)* एकान्त कारावास के विरुद्ध अधिकार। शत्रुघ्न चौहान और अन्र। वी. भारत संघ *(2014) 3* एस. सी. सी. *1* पैरा *241* पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या इस तरह से करेगा जो उस अधिकार को प्रभावी बनाएगा जिसे संस्थापक पिताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

यह केवल संविधान में संशोधन करके ही किया जा सकता है। इसलिए यह आग्रह किया गया कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना हमारे लिए खुला नहीं है

अध्याय इस तरह से गोपनीयता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, जब संस्थापक पिता ने इसे अस्वीकार कर दिया था। यह केवल अपनी घटक क्षमता में संसद ही है जो इस तरह के अधिकार को लागू कर सकती है। यह विवाद

ऊपर उल्लिखित अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, हमारे संविधान में, संविधान की व्याख्या करना राज्य के तीनों अंगों पर नहीं छोड़ा गया है। जब की व्याख्या के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न

संविधान उत्पन्न होता है, यह न्यायालय और केवल यह न्यायालय है जो अनुच्छेद *145 (3)* के तहत यह तय करता है कि संविधान की व्याख्या क्या होगी।

और इस उद्देश्य के लिए संविधान इस न्यायालय के कम से कम *5* न्यायाधीशों को यह कार्य सौंपता है।

67. क्या निजता का मौलिक अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद *21* में कुछ अन्य मौलिक अधिकारों के साथ पढ़ा जाता है*?*

68. इस समय यू. एस. सुप्रीम को विज्ञापन देना महत्वपूर्ण है

निजता के अधिकार का न्यायालय का विकास।

पहले के मामलों में निजता के अधिकार को एक संपत्ति के रूप में देखा जाता था

सही क्योंकि वे 'लोच्नर युग' का हिस्सा थे, जिसके दौरान मूल उचित प्रक्रिया के सिद्धांत ने संपत्ति के अधिकारों को बढ़ा दिया था।

सामाजिक हितों पर "। इस प्रकार एक प्रारंभिक मामले में, ओल्मस्टेड 'वी। संयुक्त राज्यों, *277* यू. एस. *438 474,478* और *479 (1928)* पर, का बहुमत

अदालत ने माना कि सार्वजनिक सड़कों पर टेलीफोन के तारों से जुड़े तारों के टेप चौथे संशोधन के तहत "तलाशी" का गठन नहीं करते हैं क्योंकि प्रतिवादियों के किसी भी घर या कार्यालय में कोई भौतिक प्रवेश नहीं था। ए में

क्लासिक असंतुष्ट निर्णय, लुइस ब्रांडेस, जे. ने माना कि यह चौथे संशोधन का निर्माण बहुत संकीर्ण था और भविष्यवादी शब्दों में कहा कि:

"इसके अलावा, "एक संविधान के अनुप्रयोग में, हमारा चिंतन केवल क्या रहा है, लेकिन क्या हो सकता है, इसके बारे में नहीं हो सकता है।" सरकार को साधन प्रदान करने में विज्ञान की प्रगति

जासूसी के वायरटैपिंग के साथ रुकने की संभावना नहीं है। तरीके हो सकते हैं

किसी दिन ऐसा विकास किया जाए जिसके द्वारा सरकार को हटाए बिना

"यह युग *20* वीं शताब्दी की शुरुआत से *1937* तक चला, जब न्यायमूर्ति रॉबर्ट्स द्वारा नौ को बचाने वाले समय में कहावत परिवर्तन किया गया था। *1937* के बाद से ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नए सौदे के कानूनों को *5* के बहुमत से बरकरार रखा गया था: *4* , *5* के बहुमत से मारा गया: *4* इससे पहले।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

गुप्त दराज के कागजात, उन्हें अदालत में पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं, और जिसके द्वारा यह एक जूरी के सामने घर की सबसे अंतरंग घटनाओं को उजागर करने में सक्षम होगा। मानसिक और संबंधित विज्ञानों में प्रगति अप्रकट विश्वासों, विचारों और भावनाओं की खोज के साधन ला सकती है। वह हर आदमी की स्वतंत्रता को रखता है

जेम्स ओटिस ने कहा था कि हर छोटे अधिकारी के हाथ इनकी तुलना में बहुत कम घुसपैठ करते हैं। लॉर्ड कैमडेन के लिए, एक दूर स्लाइटर

घुसपैठ "समाज के सभी सुख-सुविधाओं के लिए विध्वंसक" प्रतीत होती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि संविधान ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है*?*

व्यक्तिगत सुरक्षा पर आक्रमण*?* *69.* साथ ही निजता के अधिकार की एक मुखर घोषणा में, वह महान

न्यायाधीश ने अपने स्वयं के सह-लिखित लेख से उधार लिया, जो लगभग *40* साल पहले लिखा गया था, ताकि यह कहा जा सके कि निजता का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है:

"संशोधनों द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा का दायरा बहुत व्यापक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सुख की खोज के लिए अनुकूल परिस्थितियों को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने पहचान लिया।

मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति, उसकी भावनाओं और उसकी बुद्धि का महत्व। वे जानते थे कि जीवन के दर्द, आनंद और संतुष्टि का केवल एक हिस्सा भौतिक चीजों में पाया जाता है। वे मांग रहे थे।

अमेरिकियों को उनकी मान्यताओं, उनके विचारों, उनकी भावनाओं और उनकी संवेदनाओं में बचाने के लिए। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदान किया,

अकेले रहने का अधिकार-अधिकारों में सबसे व्यापक, और सभ्य पुरुषों द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अधिकार। उस अधिकार की रक्षा के लिए, हर

चौथे संशोधन का उल्लंघन। और आपराधिक कार्यवाही में सबूत के रूप में, इस तरह की घुसपैठ द्वारा सुनिश्चित किए गए तथ्यों का उपयोग किया जाना चाहिए।
पाँचवें का उल्लंघन माना जाएगा।

ब्रांडेस, जे. के दृष्टिकोण को काट्ज़ *(ऊपर)* में कानून के सही दृष्टिकोण के रूप में माना गया था।

70. काट्ज़ *(ऊपर)* के बाद से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के बड़ी संख्या में निर्णयों ने निजता के अधिकार को एक या दूसरे में आने के रूप में मान्यता दी है।

अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के अन्य खंड। इस प्रकार, ग्रिसवोल्ड वी। कनेक्टिकट, *381* यू. एस. *479 (1965)*, डगलस, जे.

राय में पाया गया कि गोपनीयता का अधिकार यू. एस. के पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें संशोधनों के उपखंड क्षेत्रों में निहित था।

संविधान। जे. गोल्डबर्ग ने इस अधिकार को नौवें संशोधन में अंतर्निहित पाया जिसमें कहा गया है कि कुछ अधिकार जो गणना नहीं किए गए हैं, फिर भी लोगों के लिए आरक्षित होने के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। व्हाइट, जे. ने चौदहवें संशोधन के उचित प्रक्रिया खंड में यह अधिकार पाया,

जो उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित होने पर रोक लगाता है। कानून के इस दृष्टिकोण को रो बनाम में मान्यता दी गई और लागू किया गया। वेड, *410* यू. एस. *113 (1973)*, जिसमें एक महिला का अपने लिए यह चुनने का अधिकार स्थापित किया गया था कि भ्रूण का गर्भपात करना है या नहीं, जब तक कि भ्रूण को "व्यवहार्य" नहीं पाया गया। अन्य निर्णयों ने भी विवाह, प्रेम से संबंधित व्यक्तिगत निर्णयों में पसंद की स्वतंत्रता के इस अधिकार को मान्यता दी।

शिक्षा, पियर्स बनाम। सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स, *268* यू. एस. *510,535,45* एस. सी. टी. *571, 573, 69* एल. एड. *1070 (1925)*। *71.* संयुक्त राज्य अमेरिका में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के हाल के एक फैसले में बनाम। जोन्स, *565* यू. एस. *400 (2012)*, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट का बहुमत

निर्णय स्कैलिया के भाग *II* में मामला कानून की भूलभुलैया के माध्यम से गोपनीयता के अधिकार का पता लगाता है। जे. की राय, और इसे संवैधानिक रूप से संरक्षित मानता है।

सही है। *72.* अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की प्रचलित सोच के आधार पर, मैथ्यू, जे. इन द्वारा एक मौलिक निर्णय दिया गया था।

गोबिंद *(ऊपर)*। यह निर्णय एम. पी. पुलिस विनियमों से संबंधित था, जो खड़क सिंह *(ऊपर)* में निहित पुलिस विनियमों के समान था। उक्त निर्णय में बहुमत और अल्पमत की राय निर्धारित करने के बाद, मैथ्यू, जे. ने

ग्रिसवोल्ड *(सुप्रा)* और रो *(सुप्रा)* में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर चर्चा की। एक बहुत ही शिक्षाप्रद परिच्छेद में विद्वान न्यायाधीश ने कहाः

"22. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि गोपनीयता-गरिमा के दावों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और केवल तभी अस्वीकार किया जाना चाहिए जब कोई महत्वपूर्ण बात हो। प्रतिवर्ती ब्याज बेहतर दिखाया गया है। यदि न्यायालय यह पाता है कि दावा किया गया अधिकार मौलिक रूप से संरक्षण का हकदार है।

निजता का अधिकार, एक कानून जो इसका उल्लंघन करता है, उसे मजबूर करने वाले राज्य हित परीक्षण को पूरा करना चाहिए। तब सवाल यह होगा कि क्या राज्य का हित इतना सर्वोपरि है कि वह एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पी. टी. ए. एस. डब्ल्यू. ए. एम. आई. *(आर. ई. टी. डी.) v.* के. एस. पी. टी. ए. एम. आई. *(आर. ई. टी. डी.)* के उल्लंघन को उचित ठहराए।

भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.]

दाहिनी ओर से। जाहिर है, अगर नैतिकता का प्रवर्तन आयोजित किया गया था

एक बाध्यकारी और साथ ही एक अनुमेय राज्य हित होने के लिए, एक मौलिक गोपनीयता अधिकार के रूप में दावा किए गए अधिकार का लक्षण वर्णन

इसका महत्व बहुत कम होगा। सवाल यह है कि क्या नैतिकता का प्रवर्तन राज्य का हित है जो इसे उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है। निजता के मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

इस मामले के उद्देश्य के लिए और इसलिए हम इस विवादास्पद गुट में प्रवेश करने से इनकार करते हैं कि क्या नैतिकता का प्रवर्तन एक कार्य है राज्य का।

23. व्यक्तिगत स्वायत्तता, शायद किसी भी प्रणाली की केंद्रीय चिंता

सीमित सरकार, हमारे संविधान के तहत स्पष्ट संवैधानिक गारंटी द्वारा आंशिक रूप से संरक्षित है। आवेदन में

संविधान के बारे में हमारा चिंतन केवल इस बारे में नहीं हो सकता कि क्या हुआ है लेकिन क्या हो सकता है। समय काम करता है और नई परिस्थितियाँ अस्तित्व में लाता है। निजता पर आक्रमण करने के सूक्ष्म और दूरगामी साधन

सड़क पर जो फुसफुसाया जा रहा है उसे सुनना संभव हो जाएगा

अलमारी। फिर भी, गोपनीयता की बहुत व्यापक परिभाषा गंभीर स्थिति पैदा करती है

ऐसे अधिकार पर न्यायिक निर्भरता के औचित्य के बारे में प्रश्न जो संविधान में स्पष्ट नहीं है। बेशक, गोपनीयता मुख्य रूप से व्यक्तियों की चिंता करता है। इसलिए यह स्वतंत्रता की अवधारणा से संबंधित है और इसके साथ ओवरलैप होता है। निजता के सबसे गंभीर समर्थक को यह स्वीकार करना चाहिए

कि अधिकार के सार और दायरे को परिभाषित करने में गंभीर समस्याएं हैं। स्वायत्तता में गोपनीयता का हित भी होना चाहिए

24. निजता के किसी भी अधिकार को घर, पारिवारिक विवाह, मातृत्व की व्यक्तिगत अंतरंगताओं को शामिल और संरक्षित करना चाहिए। प्रजनन और बाल पालन। के लिए यह सूची दृष्टिकोण

स्पष्ट रूप से प्रश्न उतना शिक्षाप्रद नहीं है क्योंकि यह गोपनीयता के अधिकार की विशिष्ट विशेषताओं की विश्लेषणात्मक तस्वीर नहीं देता है। शायद,

व्यवस्थित स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। *27.* घर की गोपनीयता की रक्षा के लिए दो संभावित सिद्धांत हैं। पहला यह है कि घर में गतिविधियाँ दूसरों को केवल इस हद तक नुकसान पहुंचाती हैं कि वे केवल इस विचार के परिणामस्वरूप अपराध का कारण बनती हैं कि व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और इस तरह का 'नुकसान' राज्य द्वारा संवैधानिक रूप से संरक्षित नहीं है।

यह है कि व्यक्तियों को अभयारण्य की जगह की आवश्यकता होती है जहाँ वे हो सकते हैं

सामाजिक नियंत्रण से मुक्त। इस तरह के अभयारण्य का महत्व है -

कि व्यक्ति मास्क गिरा सकते हैं, कुछ समय के लिए प्रक्षेपित करने से बच सकते हैं
दुनिया में वह छवि जो वे खुद के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं,

एक छवि जो अपने साथियों के मूल्यों को प्रतिबिंबित कर सकती है

उनके स्वभाव की वास्तविकताएँ।
28. किसी भी स्थिति में निजता का अधिकार अनिवार्य रूप से जाना होगा

मामला-दर-मामला विकास की एक प्रक्रिया के माध्यम से। इसलिए यहां तक कि

निजता का एक स्वतंत्र अधिकार जो उनसे उत्पन्न होता है
एक मौलिक अधिकार के रूप में चिह्नित किया जा सकता है, हम नहीं सोचते कि

अधिकार निरपेक्ष है। "

(पृष्ठों पर *155-157)*

हालाँकि, पुलिस विनियमों को निरस्त नहीं किया गया था, लेकिन थे

असंवैधानिक होने के खतरनाक रूप से करीब होने के रूप में जाना जाता है।

73. श्री सुंदरम ने इस तथ्य को हमारे ध्यान में लाया है कि मैथ्यू,

जे. ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया। इस निर्णय से, उन्होंने इस धारणा पर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह एक मौलिक अधिकार था। ओ एहि निवेदनमे सही छथि। हालाँकि, यह मामले को बहुत आगे नहीं ले जाएगा क्योंकि भले ही बाद के निर्णयों में गोबिंद *(*उपरोक्त*)* को निजता के मौलिक अधिकार के प्रारंभिक बिंदु के रूप में संदर्भित किया गया है, हमारे विचार में, इस निर्णय में हमारे द्वारा दिए गए कारणों के लिए, इन मामलों का समर्थन इस आधार पर किया जा सकता है कि निजता का मौलिक अधिकार मौजूद है।

74. आर. राजगोपाल बनाम। तमिलनाडु राज्य *(1994) 6* एस. सी. सी. *632,*

इस न्यायालय को प्रेस की स्वतंत्रता की तुलना में निजता के अधिकारों पर निर्णय लेना था, और ऐसा करते हुए, बड़ी संख्या में निर्णयों का उल्लेख किया और

निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचेः

"26. अब हम इन व्यापक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त चर्चाः

उसका अपना, उसका परिवार, विवाह, प्रजनन, मातृत्व, संतान
अन्य मामलों के साथ-साथ शिक्षा।

कोई भी एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* प्रकाशित नहीं कर सकता है। भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

उसकी सहमति के बिना उपरोक्त मामलों से संबंधित कुछ भी

चाहे वह सच्चा हो या अन्यथा और चाहे प्रशंसनीय हो या आलोचनात्मक। यदि वह ऐसा करता है, तो वह व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा।

संबंधित है और नुकसान के लिए एक कार्रवाई में उत्तरदायी होगा। हालाँकि, स्थिति अलग हो सकती है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खुद को धक्का देता है।

विवाद में या स्वेच्छा से किसी विवाद को आमंत्रित करता है या उठाता है।

(2) उपरोक्त नियम इस अपवाद के अधीन है कि कोई भी यदि ऐसा प्रकाशन सार्वजनिक अभिलेखों पर आधारित है तो उपरोक्त पहलुओं से संबंधित प्रकाशन आपत्तिजनक नहीं हो जाता है

अदालती अभिलेखों सहित। यही कारण है कि एक बार जब कोई मामला सार्वजनिक रिकॉर्ड का विषय बन जाता है, तो गोपनीयता का अधिकार अब नहीं रहता है और यह प्रेस द्वारा टिप्पणी के लिए एक वैध विषय बन जाता है। और अन्य लोगों के बीच मीडिया। हालाँकि, हमारी राय है कि शालीनता के हित में *[*अनुच्छेद *19 (2)]* इस नियम के लिए एक अपवाद बनाया जाना चाहिए, अर्थात। , एक महिला जो यौन उत्पीड़न की शिकार है,

अपहरण, अपहरण या इसी तरह के अपराध को आगे उसके नाम के अपमान और घटना के प्रचार के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। प्रेस/मीडिया।

सार्वजनिक अधिकारी, यह स्पष्ट है, निजता का अधिकार, या उस मामले के लिए, नुकसान के लिए कार्रवाई का उपाय उनके कृत्यों और उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक आचरण के संबंध में उपलब्ध नहीं है। यह तब भी है जब प्रकाशन तथ्यों पर आधारित है। और ऐसे बयान जो सच नहीं हैं, जब तक कि अधिकारी यह स्थापित न करे कि प्रकाशन *(*प्रतिवादी द्वारा*)* लापरवाही से किया गया था।

सत्य की उपेक्षा करना। ऐसे मामले में, प्रतिवादी *(*प्रेस या मीडिया के सदस्य*)* के लिए यह साबित करना पर्याप्त होगा कि उसने तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद काम किया है।

उसे यह साबित करने के लिए कि उसने जो लिखा है वह सच है। बेशक, जहां प्रकाशन गलत साबित होता है और द्वेष या व्यक्तिगत दुश्मनी से प्रेरित होता है, तो प्रतिवादी का कोई बचाव नहीं होगा और

नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। यह समान रूप से स्पष्ट है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रासंगिक मामलों में, लोक अधिकारी को किसी भी अन्य नागरिक के समान सुरक्षा प्राप्त है, जैसा कि ऊपर *(1)* और *(2)* में समझाया गया है। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायपालिका, जो अदालत और संसद और विधानसभाओं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति से संरक्षित है, अनुच्छेद *105* और *[2017] 10* एस. सी. आर. द्वारा संरक्षित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

104 भारत के संविधान के क्रमशः, अपवादों का प्रतिनिधित्व करते हैं

इस नियम के लिए।

(4) जहाँ तक सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य अंगों की बात है

और सरकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाले संस्थान संबंधित हैं,

वे उन्हें बदनाम करने के लिए हर्जाने के लिए मुकदमा नहीं कर सकते।

(5) हालांकि, नियम *3* और *4* का मतलब यह नहीं है कि आधिकारिक रहस्य

अधिनियम, *1923*, या कोई समान अधिनियम या प्रावधान जिसके पास बल हो

कानून प्रेस या मीडिया को बाध्य नहीं करता है।

(6) राज्य या उसके अधिकारियों को निषेध करने का अधिकार देने वाला कोई कानून नहीं है,

या प्रेस/मीडिया पर पूर्व प्रतिबंध लगाना। ” *10*

(पृष्ठों पर *649-651)*

75. इसी तरह, पी. यू. सी. एल. *v.* भारत संघ *(1997) 1* एस. सी. सी. *301,* यह

टेलीफोन टैपिंग से इस प्रकार निपटा गयाः

" *17.* इसलिए, हमें निजता के उस अधिकार को बनाए रखने में कोई संकोच नहीं है।

"जीवन" और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के अधिकार का एक हिस्सा है संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत। एक बार तथ्यों को दिए जाने पर

मामला निजता का अधिकार बनाता है, अनुच्छेद *21* आकर्षित करता है। ने कहा कि

स्थापित प्रक्रिया के अलावा अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती है।

कानून द्वारा "।

18. निजता का अधिकार-अपने आप में-के तहत पहचाना नहीं गया है

संविधान। एक अवधारणा के रूप में यह बहुत व्यापक और नैतिक हो सकता है।

इसे न्यायिक रूप से परिभाषित करना। क्या निजता के अधिकार का दावा किया जा सकता है या

उक्त मामला। लेकिन में एक टेलीफोन बातचीत करने का अधिकार बिना किसी हस्तक्षेप के अपने घर या कार्यालय की गोपनीयता निश्चित रूप से हो सकती है।

"निजता के अधिकार" के रूप में दावा किया जाए। फोन पर हो रही बातचीत

वे अक्सर एक अंतरंग और गोपनीय चरित्र के होते हैं। टेलीफोन

वार्तालाप आधुनिक मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। ऐसा माना जाता है यह महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक लोग मोबाइल टेलीफोन ले रहे हों

टेलीफोन पर बातचीत को अपने घर की गोपनीयता में शामिल करें या कार्यालय। इस प्रकार, टेलीफोन-टैपिंग संविधान के अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करेगी।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह निर्णय अनुच्छेद *21* में निजता के अधिकार का आधार है। वास्तव में, न्यायालय उपरोक्त अधिकार पर विचार कर रहा था, न कि राज्य के संदर्भ में। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

भारत का संविधान जब तक कि प्रक्रिया के तहत इसकी अनुमति न हो

कानून द्वारा स्थापित "।

(पृष्ठ *311* पर*)*

इसके बाद न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद *17* को लागू किया।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर वाचा, *1966* जो निजता के अधिकार को मान्यता देता है और सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद *12* को भी संदर्भित करता है मानवाधिकार, *1948* जो समान शर्तों में है। इसके बाद इसने इन अंतर्राष्ट्रीय कानून अवधारणाओं को अनुच्छेद *21* के अनुसार व्याख्या करने के लिए आयात किया

इन अवधारणाओं।

76. शारदा वी. धर्मपाल *(ऊपर)*, इस न्यायालय का संबंध था

तलाक की कार्यवाही। इसके कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद न्यायालय और यू. के. न्यायालय, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 81. संक्षेप में, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैंः

1. एक वैवाहिक अदालत के पास किसी व्यक्ति को सजा देने का आदेश देने की शक्ति होती है।

2. अदालत द्वारा इस तरह का आदेश पारित करना उल्लंघन नहीं होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान।

3. हालाँकि, अदालत को ऐसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए यदि आवेदक

एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला है और पहले पर्याप्त सामग्री है

अदालत। यदि अदालत के आदेश के बावजूद, प्रतिवादी मना कर देता है

स्वयं को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए, अदालत का अधिकार होगा

उसके खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए।

(पृष्ठ 524 पर)

केनरा बैंक *(ऊपर)* में, इस न्यायालय ने केनरा बैंक की धारा *73* को निरस्त कर दिया।

आंध्र प्रदेश स्टाम्प अधिनियम, जैसा कि यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उक्त प्रावधान के तहत दस्तावेजों की अनैच्छिक ज़ब्ती का उल्लंघन होगा

अनुच्छेद *21* में निहित निजता का मौलिक अधिकार। न्यायालय ने इस मुद्दे को पूरी तरह से देखा और कई यू. के. और यू. एस. निर्णयों का हवाला दिया। ऐसा करने के बाद, इसने इस न्यायालय के कुछ फैसलों का विश्लेषण किया और कहाः

" 53. एक बार जब हम गोबिंद *[(1975) 2* एस. सी. सी. *148* में स्वीकार कर लेते हैंः

1975 एस. सी. सी. *(*सी. आर. आई.*) 468]* और बाद के मामलों में गोपनीयता का अधिकार

"व्यक्तियों से संबंधित है न कि स्थानों से", दस्तावेज़ या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की प्रतियाँ

व्यक्ति के बारे में गोपनीय रहें, भले ही वे अब नहीं हैं ग्राहक के घर पर और स्वेच्छा से एक बैंक में भेजा गया है।

यदि यह कानून का सही दृष्टिकोण है, तो हम इस रेखा को स्वीकार नहीं कर सकते।

मिलर, *425* यू. एस. *435 (1976),* जिसमें न्यायालय आगे बढ़ा

इस आधार पर कि निजता का अधिकार के अधिकार के लिए संदर्भित है

संभावित या उचित कारण या उचित आधार या सामग्री कलेक्टर को इस राय तक पहुँचने के लिए कि दस्तावेजों में

बैंक का कब्जा किसी भी कर्तव्य को सुरक्षित करने या साबित करने या करने की प्रवृत्ति रखता है किसी भी संबंध में किसी भी धोखाधड़ी या चूक की खोज की ओर ले जाता है

कर्तव्य, खोज या नोट्स या उद्धरण लेना इसलिए, नहीं हो सकता है

वैध है। उपरोक्त सुरक्षा उपायों को अनिवार्य रूप से पढ़ा जाना चाहिए

इसे किसी भी असंवैधानिकता से बचाएँ। *56.* श्रीमती में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, *(1978) 1* एससीसी

248 , एक सात-न्यायाधीश पीठ का निर्णय, पी. एन. भगवती, जे. *(*उनके रूप में*)*

लॉर्डशिप को तब*)* माना गया था कि अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत स्वतंत्रता"

अनुच्छेद *21* में सबसे व्यापक आयाम है और इसमें विभिन्न प्रकार शामिल हैं -

अधिकार जो मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं और कुछ उनमें से कुछ को विशिष्ट मौलिक का दर्जा दिया गया है।

अधिकार और अनुच्छेद *19* के तहत अतिरिक्त संरक्षण दिया गया *(*जोर

प्रदान किया गया*)*। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाला कोई भी कानून

एक ट्रिपल परीक्षण को संतुष्ट करना होगाः *((i)* इसे एक प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए*; (ii)* प्रक्रिया को एक या अधिक के परीक्षण का सामना करना चाहिए

अनुच्छेद *14* के संदर्भ में परीक्षण किया गया। जैसे-जैसे परीक्षण प्रस्तावित किया गया अनुच्छेद *14* द्वारा अनुच्छेद *21* के साथ-साथ कानून और प्रक्रिया भी व्याप्त है।

यह भी सही और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए और मनमाना, काल्पनिक या निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। दमनकारी। यदि निर्धारित प्रक्रिया संतुष्ट नहीं करती है

अनुच्छेद *14* की आवश्यकता के अनुसार यह कोई प्रक्रिया नहीं होगी।

अनुच्छेद *21* का अर्थ "।

(पृष्ठ *523* और *524* पर*)*

सेल्वी वी. कर्नाटक राज्य *(*ऊपर*)*, यह न्यायालय एक मामले में गया

1 कथित अपराधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले झूठ डिटेक्टर परीक्षणों के संदर्भ में अधिकार का विश्लेषण। इस न्यायालय के कई निर्णय थे

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

आई. एन. ई. डी. और यह न्यायालय, गोपनीयता के बीच के अंतर को पहचानते हुए

शारीरिक भावना और किसी की मानसिक प्रक्रियाओं की गोपनीयता, का मानना था कि

संवैधानिक संरक्षण प्राप्त किया। यह निम्नलिखित में कहा गया थाः

6 :

पुलिस शक्तियों का प्रयोग शारीरिक प्रतिबंधों पर विचार करता है प्रकृति जैसे कि शारीरिक पदार्थों का निष्कर्षण और उपयोग

किसी व्यक्ति की चिकित्सीय जाँच के लिए उचित बल,

प्रशंसात्मक प्रतिक्रियाओं का निष्कर्षण। "अधिकार" की अवधारणा में गोपनीयता के लिए "हमें गोपनीयता के बीच के अंतर को उजागर करना चाहिए

शारीरिक भावना और किसी की मानसिक प्रक्रियाओं की गोपनीयता।

225. अब तक, हमारे देश में गोपनीयता की न्यायिक समझ

ज्यादातर शरीर और शारीरिक सुरक्षा पर जोर दिया है

आपराधिक प्रक्रिया के साथ-साथ साक्ष्य कानून हस्तक्षेप को अनिवार्य करता है। वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भौतिक गोपनीयता के साथ जो सक्षम बनाता है

गिरफ्तारी, हिरासत, तलाशी और जब्ती, अन्य के बीच, वही नहीं हो सकता है

व्यक्तिगत ज्ञान प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करने का आधार बनें

एक प्रासंगिक तथ्य के बारे में "। अधिकारों के परस्पर संबंध का सिद्धांत

यह आदेश देता है कि आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अधिकार भी होना चाहिए

अनुच्छेद के तहत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के एक घटक के रूप में पढ़ें

21. इसलिए, "निजता के अधिकार" की हमारी समझ होनी चाहिए। अनुच्छेद *20 (3)* के साथ इसके प्रतिच्छेदन के लिए लेखा। इसके अलावा,

" अनैच्छिक स्वीकारोक्ति के खिलाफ नियम "जैसा कि धाराओं में सन्निहित है

24 , 25 , 26 और साक्ष्य अधिनियम, *1872* का *27* दोनों की सेवा करना चाहता है।

विश्वसनीयता के साथ-साथ गवाही की स्वैच्छिकता के उद्देश्य

एक अभिरक्षा सेटिंग में दिया गया। अनुच्छेद *20 (3)* का एक संयोजी पठन और साक्ष्य के सिद्धांतों के साथ संविधान का *21*

कानून हमें एक स्पष्ट उत्तर की ओर ले जाता है। हमें इसके महत्व को समझना चाहिए।

के बीच चयन जैसे पहलुओं में व्यक्तिगत स्वायत्तता चुप रहना और बोलना। एक व्यक्ति का निर्णय एक

कथन एक निजी पसंद का उत्पाद है और होना चाहिए

विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां व्यक्ति को संपर्क का सामना करना पड़ता है आपराधिक आरोप या सजा "।

(पृष्ठों पर *369-370)*

[2017] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

77. यह सब इस बात पर चर्चा की ओर ले जाता है कि निजता का मौलिक अधिकार वास्तव में क्या है-यह संविधान के अध्याय *III* में कहाँ फिट बैठता है, और

इसके संवैधानिक संरक्षण के मापदंड क्या हैं*?*

78. कैलिफोर्निया के खंड *64* में रिपोर्ट किए गए एक निर्देशात्मक लेख में

1976 में लिखित लॉ रिव्यू, गैरी एल. बोस्टविक ने सुझाव दिया कि निजता के अधिकार में वास्तव में तीन अलग-अलग और विशिष्ट अधिकार शामिल हैं।

विद्वान लेखक के अनुसार, ये तीन घटक विश्राम, अभयारण्य और अंतरंग निर्णय के घटक हैं। विद्वान।

लेखक इसे इस प्रकार रखता है *(*पृष्ठों *1482-1483* पर*):*

"संवैधानिक संरक्षण की सीमा गोपनीयता के प्रकारों के बीच एकमात्र अंतर नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र एक अद्वितीय प्रकार के मानव लेनदेन की रक्षा करता है। विश्राम अभिनेता की शांति बनाए रखता है;

अभयारण्य एक व्यक्ति को कुछ चीजों को निजी रखने की अनुमति देता है, और अंतरंग निर्णय स्वायत्त क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

फैशन। जब भी लेन-देन के प्रकारों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर किए बिना गोपनीयता के लिए एक सामान्यीकृत दावा सामने रखा जाता है, तो पक्ष और अदालतें समान रूप से अस्पष्ट दावों में निराशाजनक रूप से उलझ सकती हैं। प्रत्येक क्षेत्र के भीतर दिखाई देने वाले स्पष्ट मानक हैं -

अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कुछ पहलू को बनाए रखने के लिए उत्सुक दावेदारों द्वारा और अंधाधुंध भेदभाव के साथ अधीर अदालतों द्वारा अक्सर अनदेखी की जाती है।

गोपनीयता का आह्वान।

लगातार सही विकसित हो रहा है। इस टिप्पणी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि तथ्य के कौन से निष्कर्ष इस कानूनी निष्कर्ष की ओर ले जाएंगे कि एक व्यक्ति
उसे निजता का अधिकार है। फिर भी तथ्य के समान निष्कर्षों से हो सकता है

समय बीतने के साथ कानून के विभिन्न निष्कर्ष और समाज के विचार इस बारे में बदलते हैं कि गोपनीयता कितनी उचित है और किस प्रकार की गोपनीयता उचित है।
निर्णय व्यक्तिगत पसंद पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। भविष्य के वादियों को सामुदायिक चिंताओं और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के बदलावों पर ध्यान देना चाहिए

संबंधित परिवर्तनों के अग्रदूतों के रूप में विचारों की स्वीकृति

गोपनीयता के क्षेत्रों की रूपरेखा "।

79. इसके तुरंत बाद, *1977* में, व्हालेन बनाम में एक निर्देशात्मक निर्णय पाया जाना है। रो, *429* यू. एस. *589* पर *598* और यू. एस. द्वारा *599*।

सुप्रीम कोर्ट। यह मामला स्टेट ऑफ न्यू द्वारा बनाए गए एक कानून से संबंधित है।

यॉर्क, जिसमें राज्य ने एक केंद्रीकृत कंप्यूटर फाइल में उन सभी व्यक्तियों के नाम और पते दर्ज किए हैं, जिन्होंने डॉक्टर के पर्चे के अनुसार कुछ दवाएं प्राप्त की हैं, जिनके लिए एक वैध और *(*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

अवैध बाजार। यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने क़ानून को बरकरार रखते हुए निष्कर्ष निकाला। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि खतरनाक दवाओं के वितरण को नियंत्रित करने में राज्य की महत्वपूर्ण रुचि इस कानून का समर्थन करेगी। फैसले के एक निर्देशात्मक फुटनोट-*23* में, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गोपनीयता का अधिकार चौदहवें संशोधन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा में रो *(*उपरोक्त*)* के बाद आधारित था। हायिंग इस प्रकार

अधिकार को आधार बनाया, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग में कहा गयाः

खतरनाक दवाओं के वितरण को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी
नियंत्रण के लिए नई तकनीकों के साथ प्रयोग करने का निर्णय। ... .

टी

..... अपीलकर्ताओं का तर्क है कि क़ानून संवैधानिक रूप से संरक्षित "गोपनीयता क्षेत्र" पर आक्रमण करता है। कभी-कभी "गोपनीयता" की रक्षा के रूप में चिह्नित मामलों में वास्तव में कम से कम दो अलग-अलग मामले शामिल होते हैं।

रुचियों के प्रकार। एक व्यक्तिगत मामलों के प्रकटीकरण से बचने में व्यक्तिगत रुचि है, और दूसरा कुछ प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्वतंत्रता में रुचि है।

80. वास्तव में, *1996* के दक्षिण अफ्रीका के संविधान में, जिसे रंगभेद के बाद बनाया गया था, उसे दक्षिण ने खारिज कर दिया था

अफ्रीकी लोगों, निजता के अधिकार को स्पष्ट रूप से मौलिक स्वतंत्रता के रूप में घोषित किया गया है:

" 10. मानवीय गरिमा

हर किसी को अपनी अंतर्निहित गरिमा और अपनी गरिमा रखने का अधिकार है।
सम्मानित और संरक्षित।

12. व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा

(1) प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है,

जिसमें अधिकार शामिल है

(क) मनमाने ढंग से या बिना उचित कारण के स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए;

(ख) बिना मुकदमे के हिरासत में नहीं लिया जाएगा;

((ग) सार्वजनिक या सार्वजनिक हिंसा से सभी प्रकार की हिंसा से मुक्त होना।

निजी स्रोत;

(घ) किसी भी तरह से प्रताड़ित न किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ई) क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

रास्ता।

(2) हर किसी को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता का अधिकार है,

जिसमें अधिकार शामिल है

(क*)* प्रजनन संबंधी निर्णय लेना*;* *(* ख*)* उनके शरीर में सुरक्षा और नियंत्रण के लिए*;* और

(ग*)* बिना चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोगों के अधीन नहीं किया जाना चाहिए

उनकी सूचित सहमति।

14. निजता

हर किसी को निजता का अधिकार है, जिसमें न करने का अधिकार भी शामिल है।

है।

(क*)* उनके व्यक्ति या घर की तलाशी ली गई*;*

*((*ख*)* उनकी संपत्ति की तलाशी ली गई।

*((*ग*)* उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई हो*;* या

(घ*)* उनके संचार की गोपनीयता का उल्लंघन किया गया है।

एनएम एंड ओआरएस में दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक न्यायालय। वी. स्मिथ आरएस। *, 2007 (5)* एसए *250 (*सीसी*),* मौलिक के बारे में यह कहना था

दक्षिण अफ्रीकी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त गोपनीयता के लिए:

" 131. निजता का अधिकार हमारे व्यक्तिगत दैनिक जीवन के क्षेत्र को जनता से बचाने के महत्व को पहचानता है। ऐसा करते हुए,

यह गोपनीयता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बीच अंतर-संबंध को उजागर करता है।

प्रमुख संवैधानिक अधिकारों के रूप में गरिमा जो हमारा निर्माण करती है

यह समझना कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है। इसलिए ये सभी अधिकार एक दूसरे पर निर्भर हैं और परस्पर सुदृढ़ हैं। हम.

कम से कम इस कारण से गोपनीयता को महत्व दें-कि संवैधानिक मनुष्य होने की अवधारणा जोर देती है और बढ़ावा देने का प्रयास करती है

मनुष्यों द्वारा एक व्यापक समुदाय के समग्र ढांचे के भीतर अपना जीवन जीने का तरीका चुनने की संभावना। इस स्वायत्तता की सुरक्षा, जो व्यक्ति की हमारी मान्यता से प्रवाहित होती है

मानव मूल्य, व्यक्तिगत स्थान का अनुमान लगाता है जिसके भीतर रहना है

इस जीवन को। *132.* इसलिए निजता के मूल्य पर जोर देने का यह पहला कारण हमारी संवैधानिक समझ में निहित है कि न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v* होने का क्या अर्थ है।

भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

मनुष्य होना। निजता के इस पहलू का एक अंतर्निहित हिस्सा अधिकार है।

सार्वजनिक स्थान। वह जानकारी जितनी अधिक अंतरंग होगी, उतनी ही अधिक गोपनीयता, गरिमा और स्वायत्तता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

व्यक्ति प्राथमिक निर्णय लेता है कि जारी करना है या नहीं

जानकारी दी। यह निर्णय दूसरों द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। यह

निजता के अधिकार के पहलू का हम सभी द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए, नहीं केवल राज्य "।

(जोर दिया गया*)*

81. भारतीय संदर्भ में, निजता का मौलिक अधिकार होगा

कम से कम निम्नलिखित तीन पहलुओं को शामिल करें:

- गोपनीयता जिसमें व्यक्ति शामिल होता है अर्थात जब कोई आक्रमण होता है

किसी व्यक्ति के भौतिक शरीर से संबंधित अधिकारों की स्थिति द्वारा, जैसे कि स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार;

- सूचनात्मक गोपनीयता जो किसी व्यक्ति के शरीर से संबंधित नहीं है

लेकिन एक व्यक्ति के मन से संबंधित है, और इसलिए यह स्वीकार करता है कि

ऐसी सामग्री जो उसके लिए व्यक्तिगत हो। इस तरह का अनधिकृत उपयोग अतः जानकारी इस अधिकार का उल्लंघन कर सकती है।

और

- पसंद की गोपनीयता, जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता की रक्षा करती है

बुनियादी व्यक्तिगत विकल्पों पर।

उदाहरण के लिए, हम संबंधित भौतिक गोपनीयता या गोपनीयता को आधार बना सकते हैं।

अनुच्छेद *21* के साथ पठित अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* और *(*ई*)* में निकाय को; अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्तिगत जानकारी गोपनीयता को आधार बनाना; और पसंद की गोपनीयता।

अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* से *(*सी*), 20 (3), 21* और *25* में। 'निजता' पर आधारित तर्क एक अस्पष्ट और अस्पष्ट अवधारणा है, इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता नहीं है।

अमेरिका।

82. हमें संविधान की प्रस्तावना के लिए संदर्भित किया गया है।

जिसे मूल संवैधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाला कहा जा सकता है। मूल मूल्य

उदाहरण के लिए, राष्ट्र का लोकतांत्रिक होना खोखला होगा जब तक कि लोकतंत्र में व्यक्ति पूरी तरह से विकास करने में सक्षम न हों। स्वयं के लिए सूचित विकल्प जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं और उनकी पसंद है कि उन्हें कैसे शासित किया जाना है।

83. जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने प्रसिद्ध शोध प्रबंध "ऑन लिबर्टी" में, जहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है, कहा है।

जैसा कि *1859* में कहा गया थाः

एकमात्र लक्ष्य जिसके लिए मानव जाति को व्यक्तिगत रूप से आवश्यक माना जाता है

या सामूहिक रूप से, उनकी संख्या में से किसी की भी कार्रवाई की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना, आत्म-सुरक्षा है। कि एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए किसी भी सभ्य सदस्य पर अधिकारपूर्वक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है

किसी और के लिए बुराई पैदा करने के लिए गणना की जानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के आचरण का एकमात्र हिस्सा, जिसके लिए वह समाज के लिए उत्तरदायी है, वह है जो दूसरों की चिंता करता है। उस भाग में जो केवल संबंधित है स्वयं, उसकी स्वतंत्रता, सही, निरपेक्ष है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर, व्यक्ति संप्रभु है।

(.....)

विवेक सबसे व्यापक अर्थों में: विचार की स्वतंत्रता और महसूस करना: व्यावहारिक या सट्टा, वैज्ञानिक, नैतिक या धर्मशास्त्रीय सभी विषयों पर राय और भावना की पूर्ण स्वतंत्रता।

राय व्यक्त करने और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता एक अलग सिद्धांत के तहत आती प्रतीत हो सकती है, क्योंकि यह उस हिस्से से संबंधित है

एक व्यक्ति का आचरण जो अन्य लोगों से संबंधित है; लेकिन, लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं विचार की स्वतंत्रता, और बहुत हद तक उन्हीं कारणों पर आराम करना, व्यावहारिक रूप से अविभाज्य है।

उससे। दूसरा, इस सिद्धांत के लिए स्वाद और अनुधाबन की स्वतंत्रता की आवश्यकता है; हमारे अपने चरित्र के अनुरूप हमारे जीवन की योजना तैयार करने की: हम जैसा चाहें वैसा करने के लिए, ऐसे परिणामों के अधीन जो निम्नलिखित हो सकते हैं: हमारे साथी प्राणियों से बाधा के बिना, जब तक कि हम जो करते हैं वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है, भले ही उन्हें हमारे आचरण को मूर्खतापूर्ण, विकृत या गलत सोचना चाहिए। तीसरा, इस स्वतंत्रता से प्रत्येक व्यक्ति, समान सीमाओं के भीतर, व्यक्तियों के बीच संयोजन की स्वतंत्रता का पालन करता है:

किसी भी उद्देश्य के लिए एकजुट होने की स्वतंत्रता एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

दूसरों को नुकसान न पहुँचानाः व्यक्तियों का संयोजन माना जा रहा है

पूर्ण आयु का होना, और मजबूर या धोखा नहीं देना।

ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें इन स्वतंत्रताओं का समग्र रूप से सम्मान नहीं किया जाता हो।

स्वतंत्र है, चाहे उसका रूप या सरकार कुछ भी हो; और कोई भी नहीं है वे पूरी तरह से स्वतंत्र हैं जिसमें वे निरपेक्ष और अयोग्य नहीं हैं।

एकमात्र स्वतंत्रता जो नाम की हकदार है, वह है पीछा करना।

जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम अपने तरीके से अपनी भलाई करते हैं

दूसरों को उनसे वंचित करें, या इसे प्राप्त करने के उनके प्रयासों में बाधा डालें।

व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मिल ने लिखाः

"यह एकरूपता में पहनने से नहीं है जो व्यक्तिगत है

स्वयं, लेकिन इसे खेती करके, और इसे आगे बुलाकर, भीतर दूसरों के अधिकारों और हितों द्वारा लगाई गई सीमाएँ, जो मानव

जैसा कि काम उन लोगों के चरित्र में भाग लेते हैं जो उन्हें करते हैं, द्वारा इसी प्रक्रिया से मानव जीवन भी समृद्ध, विविध और समृद्ध हो जाता है।

सक्रिय करना, उच्च विचारों के लिए अधिक प्रचुर मात्रा में पोषण प्रदान करना और

भावनाओं को बढ़ाना, और बंधन को मजबूत करना जो हर किसी को बांधता है

प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए अधिक मूल्यवान हो जाता है, और इसलिए है दूसरों के लिए अधिक मूल्यवान होने में सक्षम। वहाँ एक बड़ा है

अपने अस्तित्व के बारे में जीवन की पूर्णता, और जब अधिक हो। इकाइयों में जीवन द्रव्यमान में अधिक है जो बना है

उन्हें। विकास के साधन जो व्यक्ति खो देता है

चोट के प्रति अपने झुकाव को संतुष्ट करने से रोका जा रहा है

अन्य, मुख्य रूप से विकास की कीमत पर प्राप्त किए जाते हैं अन्य लोग। न्याय के कठोर नियमों का पालन करने के लिए

दूसरों, भावनाओं और क्षमताओं को विकसित करते हैं जो अच्छे हैं

दूसरों के अपने उद्देश्य के लिए। लेकिन उन चीजों में संयम रखें जो प्रभावित नहीं करती हैं

उनकी भलाई, उनकी केवल नाराजगी से, कुछ भी मूल्यवान नहीं होता है,

चरित्र की ऐसी शक्ति को छोड़कर जो प्रतिरोध करने में खुद को प्रकट कर सकती है

संयम। यदि स्वीकार किया जाता है, तो यह पूरी प्रकृति को मंद और धुंधला कर देता है।

प्रत्येक की प्रकृति को कोई भी निष्पक्ष खेल देने के लिए, यह आवश्यक है कि अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग जीवन जीने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(जोर दिया गया*)*

84. "संविधान की प्रस्तावना में "स्वतंत्रता" को कहा गया है

भूत, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा। यह कार्डिनल मान कर सकता है

मौलिक अधिकारों के पूरे अध्याय में फैला हुआ पाया जा सकता है। यह पाया जा सकता है

अनुच्छेद *19 (1) (ए), 20,21,25* और *26* में। जैसा कि सर्वविदित है, यह प्रमुख संवैधानिक मूल्य अधिकारों की घोषणा से लिया गया है

1789 के मानव और नागरिक, जिसने अनुच्छेद *4* में "स्वतंत्रता" को परिभाषित किया निम्नलिखित हैः

> उन लोगों के अलावा कोई सीमा नहीं जो अन्य सदस्यों को सुनिश्चित करते हैं समाज इन समान अधिकारों का आनंद ले। ये सीमाएँ हो सकती हैं
>
> केवल कानून द्वारा निर्धारित किया जाए।
>
> इस सीमित अर्थ में भी गोपनीयता वहीं से शुरू होती है जहां स्वतंत्रता समाप्त होती है।

जब दूसरों को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो एक मायने में, प्रतिष्ठा से संबंधित मुद्दे, शारीरिक गति पर प्रतिबंध आदि स्थापित होते हैं। इसलिए श्री गोपाल सुब्रमण्यम के इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि "स्वतंत्रता" और "गोपनीयता "विनिमेय अवधारणाएँ हैं। समान रूप से, उत्तरदाताओं की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि "गोपनीयता" की कोई अवधारणा नहीं है, लेकिन

केवल "आदेशित स्वतंत्रता" की संवैधानिक अवधारणा। इसलिए इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलों को खारिज किया जाना चाहिए।

85. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बंधुत्व का मूल मूल्य है।

जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति की गरिमा में व्यक्ति का अपनी पूर्ण सीमा तक विकास करने का अधिकार शामिल है।

संभावित। और यह विकास तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति के पास स्वायत्तता हो। मौलिक व्यक्तिगत विकल्पों पर नियंत्रण और व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार पर नियंत्रण जिसका उल्लंघन किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

"1834 में, जैक्स-चार्ल्स डुपॉन्ट डी ल 'यूरे ने रेव्यू रिपब्लिकेन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के तीन शब्दों को एक साथ जोड़ा, जिसे उन्होंने इस प्रकार संपादित किया: "कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता, समानता की आकांक्षा रखता है, लेकिन वह इसे अन्य पुरुषों की सहायता के बिना, बंधुत्व के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है।

हमारे कई निर्णय मानव गरिमा को मौलिक अधिकारों के अध्याय का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। उदाहरण के लिए, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम देखें। दिल्ली प्रशासन, *(1980) 3* पैराग्राफ *21* पर एस. सी. सी. *526,* फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अन्य। , *(1981) 1* पैराग्राफ *6,7* और *8* पर एस. सी. सी. *608,* बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम। भारत संघ, *(1984) 3* पैरा *10* पर एस. सी. सी. *161,* महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाम। सच्चिकित्स प्रसारक मंडल, *(2010) 3* पैराग्राफ *37* पर एस. सी. सी. *786,* शबनम बनाम। भारत संघ, *(2015) 6* एस. सी. सी. *702* अनुच्छेद *12.4* और *14* पर और जीजा घोष बनाम। भारत संघ। *(2016) 7* पैराग्राफ *37* पर एस. सी. सी. *761*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

मूल्यों और उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ जिनका हमने उल्लेख किया है। अंतिम विश्लेषण में, गोपनीयता के मौलिक अधिकार, जिसके कई विकासशील पहलू हैं, को केवल मामले-दर-मामले के आधार पर विकसित किया जा सकता है। उस विशेष पहलू के आधार पर जिस पर भरोसा किया जाता है, या तो अनुच्छेद *21*

स्वयं या अन्य मौलिक अधिकारों के संयोजन से प्राप्त होगा

आकर्षित किया।

86. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा अधिकार निरपेक्ष है। यह अधिकार वैध सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा बनाए गए उचित नियमों के अधीन है।

राज्य हित या लोक हित। हालाँकि, जब इस अधिकार पर प्रतिबंधों की बात आती है, तो विभिन्न अनुच्छेदों की कवायद जिसका अधिकार संबंधित है, का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि गोपनीयता पर प्रतिबंध समाप्त हो गया है

मौलिक व्यक्तिगत विकल्प जो एक व्यक्ति को करने हैं, राज्य कार्रवाई

अनुच्छेद *14* के साथ पठित अनुच्छेद *21* के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है यदि यह मनमाना और अनुचित है; और अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* के साथ पठित अनुच्छेद *21* के तहत केवल तभी जब यह अनुच्छेद *19*

(2) में उल्लिखित विषयों और इस न्यायालय द्वारा इस तरह के विधान या अधीनस्थ विधान को पारित करने के लिए निर्धारित परीक्षणों से संबंधित है।

उक्त अनुच्छेद के तहत एकत्रित करें। इस न्यायालय द्वारा विकसित किए गए प्रत्येक परीक्षण, अनुच्छेद *14* के साथ पठित अनुच्छेद *21* के तहत कानून या कार्यकारी कार्रवाई; या उपरोक्त उदाहरणों में अनुच्छेद *19 (1) (ए)* के साथ पठित अनुच्छेद *21* को पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य कार्रवाई को पारित कर सके। अंतिम विश्लेषण में, व्यक्तिगत, सामाजिक और राज्य के हितों के बीच संतुलन बनाने का कार्य न्यायपालिका के प्रशिक्षण और विशेषज्ञता पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

दिमाग।

87. एक अन्य दिलचस्प तर्क का प्रचार करना महत्वपूर्ण है।

याचिकाकर्ता की ओर से किया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, ब्रिटिश भारत में भी निजता के अधिकार को हमेशा विधायी रूप से मान्यता दी गई थी। हमें *1885* के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, विंटेज और विशेष रूप से इसकी धारा *5* के लिए संदर्भित किया गया था जो निम्नानुसार है:

"5. (1) किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, या

लोक सुरक्षा के हित में, परिषद में गवर्नर जनरल या स्थानीय सरकार, या इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी
परिषद में गवर्नर जनरल द्वारा, मई

(क) इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित, बनाए गए या काम किए गए किसी भी तार का अस्थायी कब्जा ले लें;

(ख) आदेश दें कि किसी भी संदेश या संदेशों का वर्ग किसी को या उससे

व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, या किसी विशेष विषय से संबंधित,

किसी तार द्वारा संचारण के लिए लाया गया या प्रेषित किया गया या प्राप्त किया गया, इसे प्रसारित नहीं किया जाएगा, या रोका जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा, या सरकार या एक अधिकारी को बताया जाएगा।

आदेश में इसका उल्लेख किया गया है।

(2) यदि सार्वजनिक आपातकाल के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है,

या क्या उप-धारा *(1)* के तहत किया गया कोई कार्य हित में था

सार्वजनिक सुरक्षा का, एक सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र

भारत सरकार या स्थानीय सरकार को होगा

इस मुद्दे पर निर्णायक सबूत "।

हमें इसी उद्देश्य के लिए भारतीय डाकघर *1898* की धारा *26* में भी भेजा गया था।

" 26. सार्वजनिक भलाई के लिए डाक वस्तुओं को रोकने की शक्ति। —

(1) किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, या सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में, केंद्र सरकार, या

राज्य सरकार या इसमें विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी

केंद्र या राज्य सरकार की ओर से, लिखित आदेश द्वारा, निर्देश दिया जा सकता है कि डाक द्वारा प्रसारण के दौरान किसी भी डाक-वस्तु या वर्ग या डाक वस्तुओं के विवरण को रोक दिया जाएगा।

या हिरासत में लिया जाएगा, या प्राधिकरण के रूप में इस तरह से निपटाया जाएगा

(2) यदि सार्वजनिक आपातकाल के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, या इस बारे में कि क्या उप-धारा *(1)* के तहत किया गया कोई कार्य सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में था, केंद्र का प्रमाण पत्र

सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार की

इस मुद्दे पर निर्णायक प्रमाण होगा।

88. हाल के दिनों में, सूचना का अधिकार अधिनियम,

धारा *8 (1) (*जे*)* में निम्नानुसार कहा गया हैः

" 8. सूचना के प्रकटीकरण से छूट।

किसी भी नागरिक को देने की कोई बाध्यता नहीं, *(a)* से *(i) XXX*

XXX

(जे*)* ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जस्टिस के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

जो गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनेगा
व्यक्ति जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या

मामला हो सकता है, संतुष्ट है कि व्यापक सार्वजनिक हित को उचित ठहराता है
ऐसी जानकारी का प्रकटीकरणः

बशर्ते कि वह जानकारी, जिससे संसद या राज्य विधानमंडल को इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी।

यह ध्यान दिया जाएगा कि इस वैधानिक प्रावधान में, "व्यक्ति की गोपनीयता" अभिव्यक्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। एक उज्ज्वल निर्णय में, थलाप्पलम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक के रूप में रिपोर्ट किया गया

लिमिटेड और ओआरएस। , वी. केरल राज्य और अन्य। , *(2013) 16* एस. सी. सी. *82,* इस न्यायालय ने सूचना के अधिकार को प्रत्येक व्यक्ति को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में देखा। कुछ निर्देशात्मक अंशों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" *57.* निजता के अधिकार की भी भारत के संविधान के तहत स्पष्ट रूप से गारंटी नहीं है। हालाँकि, गोपनीयता विधेयक, *2011* प्रदान करता है

भारत के नागरिकों के निजता के अधिकार और विनियमन के लिए
उनके व्यक्तिगत का संग्रह, रखरखाव और प्रसार

जानकारी और ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड और उससे जुड़े मामले लंबित हैं। खरक सिंह बनाम सहित कई निर्णयों में। यू. पी. राज्य *(*ए. आई. आर *1963* एस. सी. *1295:*

(1963) 2 क्रि एल. जे. *329),* आर. राजगोपाल बनाम। टी. एन. राज्य *(1994) 6* एस. सी. सी. *632,* पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। भारत संघ *(1997) 1* एस. सी. सी. *301* और महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत शांति लाल शाह *(2008) 13* एस. सी. सी. *5,* इस न्यायालय ने अधिकार को मान्यता दी है

अनुच्छेद *21* से उत्पन्न एक मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता

भारत का संविधान।
58. निजता के अधिकार को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में भी मान्यता दी गई है

मानवाधिकार अधिनियम, *1948* की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद *12* के तहत, जो निम्नानुसार कहता हैः

" *12.* किसी को भी उसकी निजता, परिवार, घर या पत्राचार में मनमाना हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाएगा, ताकि उसके सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला न हो। हर किसी को अधिकार है

इस तरह के हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून का संरक्षण।

59. नागरिक और राजनीतिक अधिकार अधिनियम, *1966* पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का अनुच्छेद *17,* जिसमें भारत एक पक्ष है, उस अधिकार की भी रक्षा करता है।

और निम्नलिखित रूप में कहते हैंः

" 17. (1) किसी की भी निजता, परिवार, घर और पत्राचार में मनमाना या गैरकानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और न ही उनके सम्मान और प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी हमले।

60. आर. राजगोपाल, *(1994) 6* एस. सी. सी. *632* में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः *(* एससीसी पीपी। *649-50* , पैरा *26)*

" (1) ..... निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* द्वारा इस देश के नागरिकों को दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यह. यह 'अकेले रहने का अधिकार' है। एक नागरिक को सुरक्षा का अधिकार है

उसकी अपनी गोपनीयता, उसका परिवार, विवाह, प्रजनन,

अन्य मामलों के साथ-साथ मातृत्व, प्रसव और शिक्षा।

62. सार्वजनिक प्राधिकरण भी कानूनी रूप से देने या प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है।

जानकारी भले ही वह धारित हो या उसके नियंत्रण में हो, यदि वह जानकारी धारा *8* की उप-धारा *(1)* के खंड *(*जे*)* के तहत आती है। जहाँ तक इस मामले का संबंध है, धारा *8 (1) (*जे*)* का काफी महत्व है, इसलिए तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

" 8. सूचना के प्रकटीकरण से छूट-*(1)*

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी नागरिक को देने की कोई बाध्यता नहीं होगी।

(a) से *(i) XXX XXX*

(जे*)* व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी

जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है या

ब्याज, या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण का कारण बनता है जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय

प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि बड़ी जनता

ब्याज ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता हैः

बशर्ते कि ऐसी जानकारी जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है

संसद या राज्य विधानमंडल को किसी से भी वंचित नहीं किया जाएगा।
व्यक्ति "।

63. धारा *8* एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है, जो उस धारा को संघर्ष के मामले में अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर एक प्रबल प्रभाव देती है। भले ही इसके विपरीत कोई संकेत हो,

फिर भी खंड *(क)* से खंड *(ञ)* में जो उल्लेख किया गया है, उसकी जानकारी किसी भी नागरिक को देने का सार्वजनिक प्राधिकरण पर कोई दायित्व नहीं है।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

/

सार्वजनिक प्राधिकरण, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, सभी तक नहीं पहुंच सकता है

एक निजी व्यक्ति से जानकारी, लेकिन केवल वही जानकारी

कानून के अनुसार पहुँच प्राप्त करें। उन सूचनाओं को भी, यदि
प्रकृति में व्यक्तिगत, केवल के अधीन उपलब्ध कराया जा सकता है

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा *8 (*जे*)* में दी गई सीमाएँ। बाएँ होने का अधिकार

अकेले, जैसा कि ओल्मस्टेड वी में प्रस्तावित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका *[72* एल एड *944*

: 277 यू. एस. *438 (1928)]*, अधिकारों में सबसे व्यापक है और

सभ्य व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान।

64. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि निजता का अधिकार एक पवित्र अधिकार है

संविधान के अनुच्छेद *21* का पहलू, इस कानून ने बहुत कुछ रखा है

धारा *8 (*जे*)* के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों की, जैसा कि पहले से ही है
इंगित किया। यदि माँगी गई जानकारी व्यक्तिगत है और इसमें कोई जानकारी नहीं है

व्यापक लोक हित, लोक प्राधिकारी या संबंधित अधिकारी
उन सूचनाओं को प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। संदर्भ हो सकता है

गिरीश रामचंद्र मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर विचार किया जाए।

देशपांडे बनाम. केंद्रीय सूचना आयुक्त *(2013) 1* एससीसी

212 , जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि कोई प्रामाणिक सार्वजनिक नहीं है

सूचना प्राप्त करने में रुचि, उक्त जानकारी का प्रकटीकरण

व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण होगा
अधिनियम की धारा *8 (1) (*जे*)* के तहत। इसके अलावा, यदि प्राधिकरण यह पाता है कि

माँगी गई जानकारी को व्यापक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सकता है।

ब्याज, तो अधिकारी को पहले अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए

जानकारी प्रदान करना, क्योंकि वह व्यक्ति जिससे

जानकारी मांगी जाती है, गोपनीयता के अधिकार की भी गारंटी होती है

संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत।

(पृष्ठ 112-114 पर)

89. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं के वकील हैं

उनका यह कहने का अधिकार है कि विधायिका ने भी निजता के मौलिक अधिकार को मान्यता दी है और इसलिए, इस पर वापस जाने में बहुत देर हो चुकी है। एम. पी. शर्मा *(ऊपर)* और खरक सिंह *(ऊपर)* के फैसलों के बाद से वास्तव में पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है।

निजता के अधिकार की अपरिहार्य प्रकृति

90. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दूसरे का भी उल्लेख किया

निजता के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू। विद्वान वकील के अनुसार

याचिकाकर्ता के लिए यह अधिकार एक प्राकृतिक कानूनी अधिकार है जो अपरिहार्य है।

वास्तव में, अनुच्छेद *12* में संदर्भ आदेश स्वयं इस पहलू को संदर्भित करता है।

निहित मौलिक अधिकार। इसलिए, हमारे सामने यह तर्क दिया गया था

कि ऊपर उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति में उसके होने के कारण निहित है

मनुष्य होने के नाते, ऐसा अधिकार संविधान द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि इसे केवल मौलिक होने का दर्जा दिया गया है। कोई शक नहीं है।

कि याचिकाकर्ता इस निवेदन में सही हैं। हालांकि, रास्ते में एक महत्वपूर्ण सड़क अवरोध को खत्म करने की आवश्यकता है।

91. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम। एस. एस. शुक्ला

(1976) 2 एस. सी. सी. *521,* इस न्यायालय की एक संविधान पीठ इस पर पहुंची

निष्कर्ष *(*बहुमत से*)* कि अनुच्छेद *21* जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सभी अधिकारों का एकमात्र भंडार है, और जब निलंबित किया जाता है, तो उन अधिकारों को छीन लिया जाता है।

कुल मिलाकर।

एक उल्लेखनीय असहमति खन्ना, जे की थी। *1 2 12*

विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया:

"525. किसी भी अदालत में जाने के अधिकार के निलंबन का प्रभाव

अनुच्छेद *21* द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तन के लिए, मेरे

12 खन्ना, जे. भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में थे, लेकिन इस असहमत फैसले के कारण उन्हें हटा दिया गया। इस महान न्यायाधीश पर लिखे एक लेख में नानी पालखीवाला

अधिनिर्णय एक मार्मिक वाक्य के साथ समाप्त हुआ, "ऐसे व्यक्ति के कद के लिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश कुछ भी नहीं जोड़ सकता है।" सीरवई ने अपने विशाल ग्रंथ "भारत के संवैधानिक कानून" में यह कहना था:

"53. यदि इस परिशिष्ट में न्यायमूर्ति खन्ना के असहमत निर्णय पर विस्तार से विचार नहीं किया गया है, तो यह निर्णय के लिए प्रशंसा की कमी, या साहस की कमी के कारण नहीं है जो उन्होंने इसे देने में दिखाया, चाहे कितना भी खर्च हो और कितना भी हो।

स्वयं के लिए परिणाम। यह उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से महँगा पड़ा, लेकिन इसने उनके लिए न केवल उनके साहस के लिए बल्कि उनकी लचीली न्यायिक स्वतंत्रता के लिए भी सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया। यदि उसके निर्णय पर विस्तार से विचार नहीं किया जाता है, तो इसका कारण यह है कि हमने जो पूर्ववर्ती सिद्धांत अपनाया है, उसके तहत एक असहमत निर्णय, चाहे वह कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, कानून को निर्धारित नहीं करता है और इस परिशिष्ट में बहुमत के निर्णयों की आलोचनात्मक जांच का उद्देश्य यह दिखाना था कि वे निर्णय कानून में असमर्थनीय हैं, जो गंभीर सार्वजनिक शरारत के लिए उत्पादक हैं और उन्हें जल्द से जल्द अवसर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति खन्ना अनुच्छेद *21* के निलंबन के प्रभाव पर जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, वह सही है। उनका यह स्मरण दिलाना कि कानून के शासन का मतलब केवल एक अधिनियमित कानून को प्रभावी बनाना नहीं था, समय पर था, और एक अधिनियमित कानून के तहत नाजी यातना शिविरों में लाखों यहूदियों की सामूहिक हत्याओं के उनके संदर्भ से मजबूत हुआ। हालाँकि, इस अध्याय में कानूनी विश्लेषण उनके निष्कर्ष की पुष्टि करता है, हालांकि उनके द्वारा दिए गए आधारों से अलग आधारों पर। *(* परिशिष्ट पृष्ठ पर। *2229)*।

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

राय यह है कि जब किसी अदालत में याचिका दायर की जाती है, तो अदालत को इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि आपातकाल की अवधि के दौरान अदालत से राहत प्राप्त करने के लिए उस लेख पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तब सवाल उठता है कि क्या नियम

कि आपातकाल की अवधि के दौरान कानून के अधिकार के बिना किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा

राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद किसी को भी स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया अनुच्छेद *21* में निहित अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय। इस सवाल का जवाब सवाल के जवाब से जुड़ा हुआ है।

क्या अनुच्छेद *21* जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एकमात्र भंडार है। इस मामले को गंभीरता से लेने के बाद इस पर विचार करते हुए, मेरी राय है कि अनुच्छेद *21* को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एकमात्र भंडार नहीं माना जा सकता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे मूल्यवान है।

कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाजों में मनुष्यों का अधिकार। कई आधुनिक संविधानों में कुछ मौलिक अधिकार शामिल हैं, जिनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भी शामिल हैं। के अनुसार

ब्लैकस्टोन के लिए, अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकार थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा *(1776)* में कहा गया है कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है, और उनके अपरिहार्य अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दूसरा संशोधन

संविधान अन्य बातों के साथ-साथ व्यक्ति की सुरक्षा को संदर्भित करता है, जबकि पाँचवाँ संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ जीवन और स्वतंत्रता से वंचित होने पर रोक लगाता है।

उचित प्रक्रिया के बिना, कानून के। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की विभिन्न घोषणाओं ने सभी पर जोर दिया है

जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता। उन्होंने इस सिद्धांत को अलग-अलग शब्दों में भी व्यक्त किया है कि कानून के अधिकार के बिना किसी को भी उसके जीवन या स्वतंत्रता से प्राप्त नहीं किया जाएगा। यूनेस्को से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय न्यायविदों का आयोग, सामग्री सामग्री देने के लिए काफी सफलता के साथ प्रयास कर रहा है।

"कानून का शासन ", मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उपयोग की जाने वाली एक अभिव्यक्ति। इसकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक दिल्ली की घोषणा, *1959* थी। यह नई दिल्ली में आयोजित एक कांग्रेस के परिणामस्वरूप हुआ जिसमें *50* से अधिक देशों के न्यायविदों ने भाग लिया और यह *75,000* वकीलों को वितरित एक प्रश्नावली पर आधारित था। मानव व्यक्तित्व के सर्वोच्च मूल्य के प्रति सम्मान को सभी कानूनों का आधार कहा गया था *(*ओ. हुड फिलिप्स द्वारा संवैधानिक और प्रशासनिक कानून का पृष्ठ *21* देखें, तीसरा संस्करण।*) .*

531. मैं इस विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि कब लागू करने का अधिकार है

अनुच्छेद *21* के तहत अधिकार निलंबित कर दिया जाता है, परिणाम यह होगा कि

किसी व्यक्ति के जीवन से वंचित होने के खिलाफ कोई उपाय नहीं होगा या राज्य द्वारा स्वतंत्रता भले ही इस तरह के अभाव के बिना है

कानून का अधिकार या यहां तक कि के प्रावधानों के घोर उल्लंघन में

कानून। बिना किसी के जीवन या स्वतंत्रता से वंचित न होने का अधिकार

कानून का अधिकार संविधान का निर्माण नहीं था। इस तरह संविधान लागू होने से पहले अधिकार मौजूद थे। तथ्य यह है

कि संविधान निर्माताओं ने ऐसे अधिकार का एक पहलू बनाया मौलिक अधिकारों के एक हिस्से का प्रभाव नहीं पड़ा

इस तरह के अधिकार की स्वतंत्र पहचान को समाप्त करना और बनाना

अनुच्छेद *21* उस अधिकार का एकमात्र भंडार होगा। इसका वास्तविक प्रभाव

उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए अभाव या, मुखर्जी द्वारा निर्धारित उक्ति के अनुसार,

पूर्व के एक पहलू के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता संवैधानिक अधिकार चीजों को कम करने का प्रभाव नहीं डाल सकता है।

जहाँ तक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पवित्रता है संबंधित स्थिति की तुलना में यदि इस तरह के अधिकार का कोई पहलू था

मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई क्योंकि

अनुच्छेद *359* से उपार्जित मौलिक अधिकारों की दुर्बलता। आई.

मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रपति के आदेश को देखते हुए

जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता का मामला, चीजें बदतर हो जाएंगी

कानून की स्थिति की तुलना में जो आने से पहले मौजूद थी संविधान की शक्ति "।

(पृष्ठ *747* और *751* पर*)*

92. हमारे अनुसार यह कानून का एक सही उच्चारण है

विंग के कारणः

(i) यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और घोषणाओं को

जिसे भारत एक पक्ष था, अर्थात्, *1948* की घोषणा और
1966 वाचा दोनों ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की बात की

"अपरिहार्य" होना। इस तथ्य को देखते हुए कि इसे इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए

निर्दिष्ट निर्णयों के आधार पर अनुच्छेद *21* का हिस्सा होना

ऊपर, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद *21*, इसलिए, नहीं होगा

इन मानवाधिकारों का एकमात्र भंडार लेकिन केवल इस तथ्य को दर्शाता है कि एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

कि वे "अविभाज्य" थे; कि वे प्रत्येक मनुष्य में निहित हैं।

व्यक्ति के मनुष्य होने के कारण;

((ii) दूसरा, इस फैसले के बाद के घटनाक्रमों ने भी ऐसा किया है।

यह स्पष्ट करें कि बहुमत के निर्णय अब अच्छे कानून नहीं हैं और खन्ना, जे. की असहमति कानून का सही संस्करण है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, *1993* की धारा *2 (1) (*डी*)* जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकार को मान्यता देती है।

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए संदर्भित और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने योग्य "मानवाधिकार" हैं। और अंतर्राष्ट्रीय करार। स्पष्ट रूप से कहें कि ये अधिकार अविभाज्य हैं क्योंकि वे व्यक्तियों में हैं क्योंकि वे मनुष्य हैं। आई. आर. कोएल्हो में

(ऊपर*)*, इस न्यायालय ने पैराग्राफ *29* में ध्यान दिया कि, "निर्णय

ए. डी. एम. जबलपुर, *(1976) 2* एस. सी. सी. *521* में, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के प्रतिबंधात्मक अध्ययन के बारे में निहित रूप से खारिज कर दिया गया था। बाद के विभिन्न निर्णयों द्वारा। , और स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि ये अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं जो इस प्रकार मनुष्यों में निहित हैं:

" 61. मौलिक अधिकारों की व्याख्या में दृष्टिकोण का प्रमाण हाल के एक मामले एम. नागराज बनाम में मिला है। भारत संघ, *(2006) 8* एस. सी. सी. *212*, जिसमें न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 20. व्याख्या का यह सिद्धांत विशेष रूप से उपयुक्त है।

मौलिक अधिकारों की व्याख्या के लिए। यह एक गलती है कि मौलिक अधिकारों को राज्य की ओर से अपने नागरिकों को उपहार के रूप में माना जाता है। व्यक्तियों के पास किसी से भी स्वतंत्र रूप से बुनियादी मानवाधिकार हैं।

संविधान इस मूल तथ्य के कारण कि वे मानव जाति के सदस्य हैं। ये मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं।

क्योंकि उनका आंतरिक मूल्य होता है। संविधान का भाग *III* मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह उनके अस्तित्व की पुष्टि करता है और उन्हें सुरक्षा देता है। इसका उद्देश्य कुछ को वापस लेना है।

राजनीतिक विवाद के क्षेत्र से विषय उन्हें रखने के लिए

बहुसंख्यकों और अधिकारियों की पहुंच से परे और स्थापित करने के लिए

उन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने वाले कानूनी सिद्धांतों के रूप में। प्रत्येक

अधिकार की एक सामग्री होती है। प्रत्येक मूलभूत मूल्य को भाग में रखा जाता है।

III एक मौलिक अधिकार के रूप में क्योंकि इसका आंतरिक मूल्य है। इसके विपरीत लागू नहीं होता है। एक अधिकार एक मौलिक अधिकार बन जाता है क्योंकि इसका मूलभूत मूल्य होता है। सिद्धांतों के अलावा, किसी को उस लेख की संरचना को भी देखना होगा जिसमें मौलिक

मूल्य शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार *[2017] 10* एस. सी. आर. पर एक सीमा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य की शक्ति। एक संविधान, और विशेष रूप से इसका

जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और जो उन्हें सुदृढ़ करता है और

राज्य में सभी व्यक्तियों को जिन स्वतंत्रताओं का अधिकार है, वे हैं -

842] , इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रकृति पर विचार करते हुए और मौलिक अधिकारों की सामग्री, न्यायालय को बहुत चतुर नहीं होना चाहिए

भाषा की शाब्दिक अर्थों में व्याख्या करें ताकि उन्हें कम किया जा सके।

न्यायालय को संविधान की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए कि

नागरिकों को उनके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का पूरा आनंद लेने में सक्षम बनाना।

माप। एक की शाब्दिक और संकीर्ण व्याख्या का एक उदाहरण

भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रारंभिक निर्णय है

ए. के. गोपालन बनाम में उच्चतम न्यायालय का। मद्रास राज्य *[आकाशवाणी]*

1950 एससी *27: 1950* एससीआर *88: 1950* क्री एलजे *1383]*। अनुच्छेद *21*

संविधान में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर

कानून। उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से कहा कि 'प्रक्रिया'

'विधि द्वारा स्थापित' से विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है।

संसद या राज्य की विधानसभाओं द्वारा। सर्वोच्च

न्यायालय ने प्राकृतिक के सिद्धांतों के साथ प्रक्रिया को लागू करने से इनकार कर दिया

न्याय। यह पूरी तरह से अधिनियमित कानून के अस्तित्व पर केंद्रित था।

तीन दशकों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को रद्द कर दिया

ए. के. गोपालन *[*ए. के. गोपालन बनाम। मद्रास राज्य

(ए. आई. आर. *1950* एस. सी. *27:1950* एस. सी. आर. *88:1950* सी. आर. आई. एल. जे. *1383)* और

मेनका गांधी बनाम में अपने ऐतिहासिक निर्णय में आयोजित। संघ का भारत, *(1978) 1* एस. सी. सी. *248,* कि प्रक्रिया द्वारा विचार किया गया

अनुच्छेद *21* को तर्कसंगतता की कसौटी का जवाब देना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि प्रक्रिया भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। यह उदाहरण एक की विस्तृत व्याख्या के उदाहरण को प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद *21* में 'जीवन' शब्द का अर्थ केवल भौतिक या पशु अस्तित्व नहीं है। जीने का अधिकार

विशेष रूप से भाग *III* में इस सिद्धांत पर उल्लेख किया गया है कि असंकलित अधिकार गणना की गई गारंटी में निहित हैं।

(पृष्ठों पर *85-86)*

एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[आर. एफ. नरीमन, जे.*]*

(iii) सीरवई ने बहुमत के फैसले की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि

कमियाँः

" 30. अब तक की हमारी चर्चा का परिणाम इस प्रकार बताया जा सकता हैः लेख *21* जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान नहीं करता हैः अनुच्छेद *21*

इस तथ्य को मानता है या मान्यता देता है कि वे अधिकार मौजूद हैं और प्रदान करते हैं

उन अधिकारों से वंचित होने के खिलाफ संरक्षण वहाँ प्रदान किया गया। अभिव्यक्ति "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया"

इसका अर्थ केवल एक प्रक्रियात्मक कानून नहीं है, बल्कि इसमें शामिल होना चाहिए

मूल कानून। "कानून" शब्द का अर्थ एक वैध कानून होना चाहिए, अर्थात,

विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर एक कानून अधिनियमित करना

वह, कौन सा कानून विधायी पर लगाई गई सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है

मौलिक अधिकारों द्वारा शक्ति "। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता

बाहरी संयम या जबरदस्ती से व्यक्ति का। इस प्रकार अनुच्छेद *21* विधायी प्रतिबंध लगाकर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

शक्ति, जो अनुच्छेद *245* और *246* के तहत प्रावधानों के अधीन है

"इस संविधान" का, और इसलिए मौलिक अधिकारों के अधीन।

इस सुरक्षा की सटीक प्रकृति को बताना मुश्किल है, क्योंकि पहले

21 मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले अन्य अनुच्छेदों के साथ, जैसे अनुच्छेद *14,20* और *22 (1)* और *(2)* के रूप में; और, दूसरा, क्योंकि

मौलिक अधिकार अपनी प्रकृति से ही सामान्य कानूनों को संदर्भित करते हैं। जो उन अधिकारों की विषय वस्तु से संबंधित हैं।

31. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो शरीर में निहित है

एक जीवित व्यक्ति को केवल अनुच्छेद द्वारा मान्यता और संरक्षित नहीं किया जाता है

21 लेकिन भारत के नागरिक और आपराधिक कानूनों द्वारा, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है

कि बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में मामले का यह पहलू नहीं था

वह ध्यान प्राप्त करें जिसका वह हकदार था। न ही संविधान

न ही कोई कानून जीवन का अधिकार प्रदान करता है। वह अधिकार उत्पन्न होता है

एक जीवित मानव शरीर का अस्तित्व। सबसे प्रसिद्ध उपाय

व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट की आवश्यकता होती है

अभियुक्त व्यक्ति के शरीर की अदालत के समक्ष पेश करना अवैध रूप से हिरासत में लिया जाए। संविधान इसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित; इसी तरह नागरिक और

भारत में लागू आपराधिक कानून "। *(* देखें, सीरवई, भारत का संवैधानिक कानून *(*चौथा संस्करण*)* परिशिष्ट

pg. 2219) .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारा विचार है कि विद्वान लेखक द्वारा दिया गया उपरोक्त कथन संवैधानिक कानून में सही स्थिति को दर्शाता है। हम, इसलिए, ए. डी. एम. जबलपुर *(ऊपर)* में बहुमत के फैसलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दें।

93. इस विषय से अलग होने से पहले, हम केवल यह संकेत दे सकते हैं कि संविधान के *44* वें अनुच्छेद द्वारा बहुमत की राय को समाप्त कर दिया गया था। फैसला सुनाए जाने के दो साल बाद संशोधन किया गया। उस संशोधन द्वारा, अनुच्छेद *359* में यह कहने के लिए संशोधन किया गया था कि जहां आपातकाल की घोषणा लागू है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि

संविधान के भाग *III* द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार इस अवधि के लिए निलंबित रह सकता है। जो ऐसी घोषणा अनुच्छेद *20* और *21* को छोड़कर लागू है। इस आधार पर भी, यह स्पष्ट है कि निजता का अधिकार एक अपरिहार्य मानव अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति में इस तथ्य के आधार पर निहित है कि वह एक इंसान है।

निष्कर्ष

भारत के संविधान के भाग *III* में निहित स्वतंत्रताएँ, एम. पी. शर्मा *(ऊपर)* और खरक सिंह *(ऊपर)* में बहुमत, इस हद तक कि वे इसके विपरीत संकेत देते हैं, खारिज हो जाते हैं। निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाले इस न्यायालय के बाद के फैसलों की आवश्यकता नहीं है पुनरीक्षित किया। इसलिए, इन मामलों को गुण-दोष के आधार पर हमारे द्वारा दिए गए फैसले के आलोक में इस न्यायालय के *3* माननीय न्यायाधीशों की मूल पीठ को निर्णय के लिए वापस भेजा जाता है।

चेलामेश्वर, जे।

1. मुझे अपने विद्वान भाइयों न्यायमूर्ति नरीमन और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की राय पढ़ने का लाभ मिला है। दोनों में

जिन विभिन्न प्रश्नों की जांच करने की आवश्यकता है, उनसे गहराई से निपटा गया

यह पीठ, संदर्भ का जवाब देने के लिए। जिस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में ये प्रश्न उठते हैं और तत्काल मुकदमेबाजी का इतिहास मेरे विद्वान भाइयों के निर्णयों में दिया गया है। इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। होने के नाते

इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं उन विभिन्न प्रश्नों के बारे में अपने कुछ विचारों को दर्ज करने से बच नहीं पा रहा हूं जिन पर चर्चा की गई थी।

यह बात।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.* भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

2. निम्नलिखित तीन प्रश्न, मेरी राय में, गठन करते हैं

जाँच का सार;

(i) क्या संविधान के तहत निजता का कोई मौलिक अधिकार है*?*

भारत का*?*

((ग) ऐसे अधिकारों की रूपरेखा क्या है*?*

3. ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि भारत संघ और कुछ

उत्तरदाताओं ने एक रुख अपनाया कि, दो बड़ी पीठ के फैसलों को देखते हुए

इस न्यायालय के तहत निजता के किसी भी मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं है संविधान।

4. इसलिए, शुरुआत में, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या यह

एम. पी. शर्मा और खड़क सिंह का अनुपात निर्णय है कि

हमारे संविधान में निजता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यदि

वास्तव में दोनों निर्णयों में से किसी एक का अनुपात कि क्या वे सही थे तय किया*?* वह मुद्दा
जो एम. पी. में इस न्यायालय के विचार के लिए आया था।

शर्मा था-क्या किसी की हिरासत से दस्तावेजों की जब्ती

अपराध का अभियुक्त व्यक्ति "गवाही की मजबूरी" के बराबर होगा।

हमारे संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* के तहत निषिद्ध*?*

5. "प्रशंसात्मक मजबूरी" के खिलाफ नियम में निहित है

हमारे संविधान का अनुच्छेद *20 (3) 2*। अभिव्यक्ति "प्रशंसापत्र"

उस प्रावधान में "मजबूरी" नहीं पाई जाती है। में निहित जनादेश

अनुच्छेद *20 (3)* को गवाही के खिलाफ नियम के रूप में वर्णित किया गया

मजबूरी। आत्म-दोषारोपण के खिलाफ नियम अपनी उत्पत्ति का कारण है

स्टार चैंबर द्वारा अपनाए गए पूछताछ के तरीकों के खिलाफ विद्रोह

इंग्लैंड *3* और उसी के पांचवें संशोधन में शामिल किया गया था

1 एम. पी. शर्मा और अन्य बनाम सतीश चंद्र और अन्य, ए. आई. आर. *1954* एस. सी. *300* और खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295, (*क्रमशः आठ और छह न्यायाधीशों की संविधान पीठ के दोनों निर्णय*)*।

2 " भारत के संविधान का अनुच्छेद *20 (3):* किसी भी अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति

अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाए।

3 "अंग्रेजी कानून में, आत्म-दोषारोपण के खिलाफ सुरक्षा के इस सिद्धांत की उत्पत्ति ऐतिहासिक थी। यह लिट्स के आपराधिक अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में स्टार चैंबर के न्यायालय द्वारा अपनाए गए जांच के तरीकों और लगाए गए बर्बर दंडों के खिलाफ घृणा की भावना के परिणामस्वरूप हुआ। यह जॉन लिलबर्न, *3* स्टेट ट्रायल *1315* के मामले में एक प्रमुखता पर आया, जिसने स्टार चैंबर को समाप्त कर दिया और इस सिद्धांत की दृढ़ मान्यता दी कि अभियुक्त को शपथ पर नहीं रखा जाना चाहिए और उससे कोई सबूत नहीं लिया जाना चाहिए। यह सिद्धांत, समय के साथ, अपने तार्किक विस्तार में विकसित हुआ, आत्म-दोषारोपण के खिलाफ गवाहों के विशेषाधिकार के माध्यम से, जब मौखिक गवाही देने या दस्तावेजों को पेश करने के लिए कहा जाता है। *1898* के आपराधिक साक्ष्य अधिनियम द्वारा एक बदलाव पेश किया गया था, जिसमें एक आरोपी को उसकी ओर से एक सक्षम गवाह बनाया गया था, यदि वह अदालत की रिपोर्ट का समर्थन करता है।

अमेरिकी संविधान। *

6. क्या "गवाही की मजबूरी" के खिलाफ नियम, जो हमारे संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित है, निजता के अधिकार का निर्माण करता है*?* - है।

एक प्रश्न जिसका एम. पी. शर्मा में परीक्षण नहीं किया गया है। एम. पी. शर्मा में यह तर्क दिया गया था कि "किसी अपराध की जांच के लिए दस्तावेज प्राप्त करने के लिए तलाशी स्वयं अभियुक्त से आपत्तिजनक साक्ष्य की अनिवार्य खरीद है और इसलिए, अनुच्छेद *20 (3)* द्वारा प्रभावित है।"

"उदार निर्माण के कुछ नियमों" से। मूल रूप से नियम था

केवल मौखिक साक्ष्य के खिलाफ लागू किया जाता है। लेकिन बॉयड बनाम में निर्णय। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य खोज के दौरान प्राप्त दस्तावेजों पर भी नियम का विस्तार किया।

इस न्यायालय ने बॉयड में प्रतिपादित सिद्धांत को पढ़ने से इनकार कर दिया।

आधार पर अनुच्छेद *20 (3):* हमारे संविधान में चौथे संशोधन के अनुरूप कुछ भी नहीं है।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि तलाशी और जब्ती की शक्ति "एक

सामाजिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए राज्य की सर्वोच्च शक्ति "। यह.

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी शक्ति *(1)* "अनिवार्य रूप से कानून द्वारा विनियमित है"; और *(2)* चूंकि संविधान निर्माताओं ने कोई प्रावधान नहीं किया है "अनुरूप" अमेरिकी चौथे संशोधन के लिए, ऐसी आवश्यकता नहीं हो सकती है

अनुच्छेद *20 (3)* में पढ़ें।

यह उक्त संदर्भ में था कि इस न्यायालय ने अधिकार का उल्लेख किया था

निजताः

"न्यायशास्त्र की किसी भी प्रणाली में खोज और जब्ती की शक्ति होती है।
सामाजिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए राज्य की एक प्रमुख शक्ति

इसके लिए आवेदन किया। लेकिन जहाँ तक गवाहों की मौखिक गवाही और पेश करने की बात है
दस्तावेजों का संबंध है, आत्म-दोषारोपण के खिलाफ सुरक्षा पहले की तरह जारी रही। *(* साक्ष्य पर फिलिपसन, *9* वां संस्करण, पृष्ठ *215* और *474* देखें*)*।

ये सिद्धांत, जैसा कि वे *1898* में वैधानिक परिवर्तन से पहले थे, अमेरिकी कानूनी प्रणाली में लाए गए और इसके सामान्य कानून का हिस्सा बन गए। *(* साक्ष्य पर विगमोर, खंड देखें। *VIII*, पृष्ठ *301* से *303)*। यह बाद में उनके में शामिल किया गया था

पाँचवें संशोधन के आधार पर संविधान।

+ "अमेरिकी संविधान का पाँचवाँ संशोधनः किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और न ही उसे जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित किया जाएगा।

5 116 यूएस *616*

"चौथे संशोधन के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए तलाशी-"अनुचित तलाशी और बरामदगी के खिलाफ लोगों के अपने व्यक्तियों, घरों, कागजातों और प्रभावों में सुरक्षित रहने के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, और कोई वारंट जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन संभावित कारण पर, शपथ या पुष्टि द्वारा समर्थित, और विशेष रूप से वर्णन

जिस स्थान की तलाशी ली जानी है, और जिन व्यक्तियों या वस्तुओं को जब्त किया जाना है। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

और वह शक्ति अनिवार्य रूप से कानून द्वारा विनियमित होती है। जब

संविधान निर्माताओं ने इस तरह के विनियमन के अधीन नहीं होना उचित समझा है

मौलिक अधिकार की मान्यता द्वारा संवैधानिक सीमाओं के लिए

गोपनीयता के लिए, अमेरिकी चौथे संशोधन के अनुरूप,

हमारे पास इसे पूरी तरह से अलग रूप में आयात करने का कोई औचित्य नहीं है।

मौलिक अधिकार, तनावपूर्ण निर्माण की कुछ प्रक्रिया द्वारा "।

7. मुझे इस निष्कर्ष *(*जो निरपेक्ष है*)* के लिए कोई वारंट नहीं दिखता है कि उनके प्रभुत्व ने माना कि हमारे संविधान के तहत निजता का कोई अधिकार नहीं है। सभी

कि, मेरी राय में, उनके प्रभुता का मतलब यह था कि

अमेरिकी चौथा संशोधन हमारे संविधान में आयात नहीं किया जा सकता है, जबकि

अनुच्छेद *20 (3)* की व्याख्या करना। यही एम. पी. सिंह के अनुपात की सीमा है।

इस तरह के निष्कर्ष, मेरी राय में, एक और परीक्षा की आवश्यकता है

उचित मामला क्योंकि यह अब बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि का पाठ संविधान को समझने के लिए केवल प्राथमिक स्रोत है

संविधान और संविधान की खामोशी भी होनी चाहिए।

संविधान को समझने के लिए सुनिश्चित। इसके अनुसार भी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय, चौथा संशोधन एकमात्र नहीं है

निजता के अधिकार का भंडार '। इसलिए, उनके अलावा अन्य मूल्य

चौथे संशोधन को सूचित करना गोपनीयता के अधिकार को आधार बना सकता है यदि ऐसा है

मूल्य भारतीय संवैधानिक ढांचे का एक हिस्सा हैं, और एम. पी.

एम. पी. शर्मा के शासन के दौरान गोपालन युग के विभाजन ने शासन किया और कोई मेनका गांधी नहीं थी। एक सामंजस्यपूर्ण और संयोजित कोड के रूप में भाग *III* की व्याख्या जैसा कि वर्तमान में है।

क्या निजता का अधिकार किसी अन्य मौलिक अधिकार में निहित है

एम. पी. शर्मा में अनुच्छेद *21,14,19* या *25* आदि के तहत गारंटीकृत अधिकार की जांच नहीं की गई थी। सवाल यह है कि क्या निजता का मौलिक अधिकार है अतः इन अनुच्छेदों से निहित अंतर समाकलन है और एम. पी. शर्मा उस पहलू पर कोई प्राधिकारी नहीं हैं। इसलिए, मेरी राय है कि एम. पी. शर्मा इस पूर्ण प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं हैं कि हमारे संविधान के तहत निजता का कोई अधिकार नहीं है। और इस तरह का अनुपात नहीं है

निर्णय।

'ग्रिसवोल्ड वी. कनेक्टिकट, *381* यू. एस. *479,* डगलस, जे. जिन्होंने न्यायालय की राय दी, ने कहा कि *I, II, IV, V* और *IX* संशोधन गोपनीयता के क्षेत्र बनाते हैं। जे. गोल्डबर्ग ने कहा कि चौदहवाँ संशोधन भी गोपनीयता का क्षेत्र बनाता है। इसमें कोई शक नहीं है।

चतुर्थ संशोधन से परे निजता के अधिकार का आधार है। ग्रिसवोल्ड के बाद भी, अन्य मामले जैसे रो बनाम। वेड, *410* यू. एस. *113 (1973)* ने चतुर्थ संशोधन के अलावा अन्य स्रोतों से निजता के संवैधानिक अधिकार प्राप्त करके इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है।

8. खड़क सिंह में मुद्दा पुलिस की संवैधानिकता का था।

उत्तर प्रदेश के विनियम जो अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न तरीकों से लोगों की कुछ श्रेणियों की 'निगरानी' के लिए प्रदान किए गए थे, जैसे कि यहाँ अधिवास यात्राएँ

रात ',' गतिविधियों और अनुपस्थिति का सत्यापन 'आदि। दो निर्णय *(4:2)* दिए गए। अधिकांश लोगों का मानना था कि विवादित विनियमन जहाँ तक यह 'रात में अधिवास यात्राओं' के लिए प्रदान किया गया है, वह असंवैधानिक है, जबकि अल्पसंख्यकों का मानना है कि विवादित विनियमन पूरी तरह से असंवैधानिक है।

न्यायालय को इस बात की जांच करने के लिए आमंत्रित किया गया था कि क्या विवादित

विनियमों ने अनुच्छेद *21* और *19 (1) (*डी*)* के तहत गारंटीकृत खरक सिंह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अनुच्छेद *21* के तहत गारंटीकृत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति के दायरे की जांच की। बहुमत ने घोषणा की कि अनुच्छेद *21* के तहत आने वाली अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत स्वतंत्रता"*:* लेख में उन सभी प्रकार के अधिकारों को अपने भीतर शामिल करने के लिए समग्र शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है जो

"कई खंडों में वर्णित स्वतंत्रताओं के अलावा मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ

अनुच्छेद *19 (1)* "। दूसरे शब्दों में, जबकि अनुच्छेद *19 (1)* उस स्वतंत्रता की विशेष प्रजातियों या विशेषताओं से संबंधित है, अनुच्छेद *21* में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शामिल किया गया है।

और इसमें अवशेष शामिल हैं।

9. खरक सिंह बहुमत ने राय दी कि विवादित विनियमन

जहाँ तक यह 'अधिवास यात्राओं' के लिए प्रदान किया गया है, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद का उल्लंघन है।

21 "*.* बहुमत ने वुल्फ बनाम में अमेरिकी निर्णय पर ध्यान दिया। कोलोराडो, *338* यू. एस*. 25* जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य के पास नागरिकों की "निजता में घुसपैठ" को मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। ऐसी शक्ति इसके विपरीत काम करेगी

चौदहवें संशोधन की गारंटी और "आदेशित स्वतंत्रता की योजना के सार के खिलाफ"। में बहुमत का निर्णय

अमेरिकी संविधान, और एक संबंधित प्रावधान हमारे में अनुपस्थित है संविधान। फिर भी, उनके अधिपतियों ने निष्कर्ष निकाला कि विवादित विनियमन जहां तक यह अधिवास यात्राओं को मंजूरी देता है, स्पष्ट रूप से इसका उल्लंघन करता है

अनुच्छेद *21.* इस निष्कर्ष के लिए, उनके अधिपत्य अंग्रेजों पर निर्भर थे सामान्य कानून में कहा गया है कि "हर आदमी का घर उसका महल है"। में।

आवासीय यात्राएं अनुच्छेद *21* के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं।

दोहरे निष्कर्षों को दर्ज किया गया, अर्थात। , कि अनुच्छेद *21* केवल शारीरिक संयम से मुक्ति के अलावा विभिन्न अधिकारों को अपने दायरे में लेता है;

8 फ्रैंकफर्टर, जे।

9 मर्फी, जे। *10* देखें *(1604) 5* कोक *91*-सेमायने का मामला जस्टिस के. एस. पुटास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

और पुलिस द्वारा अधिवास यात्राएं खरक सिंह के अधिकार का उल्लंघन करती हैं

अनुच्छेद *21* के तहत गारंटी, गोपालन में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून से एक बड़ी छलांग है-आर. सी. कूपर *1 2* और मेनका से बहुत पहले।

गाँधी के मामले। फैसले में तार्किक विसंगति यह है कि एक तरफ उनके प्रभुओं ने कहा कि कहावत "हर आदमी की" है।

घर उसका महल है "अनुच्छेद *21* के तहत स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। दूसरा, यू. एस. चौथे संशोधन के समान प्रावधान की अनुपस्थिति गोपनीयता के अधिकार के दावे को नकार देगी। दोनों कथन हैं -

तार्किक रूप से असंगत। निर्णय के पहले भाग में उनके लॉर्डशिप्स ने *1 4* पर ध्यान दिया कि यह अंग्रेजी सामान्य कानून है जिसने आधार बनाया यू. एस. चौथा संशोधन और इसे अनुच्छेद *21* में पढ़ने की आवश्यकता है; लेकिन फिर भी अनुच्छेद *21* में गोपनीयता के अधिकार को पढ़ने से इनकार कर दिया। यही विसंगति है।

10. दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा, जब खरक सिंह में विवादित अन्य प्रावधानों की संवैधानिकता की बात आती है, तो उनके नेतृत्व ने माना कि ऐसे प्रावधान अनुच्छेद *21* का उल्लंघन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे संविधान के तहत निजता का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूरी तरह से

इस संबंध में मेरे विद्वान भाई नरीमन के दृष्टिकोण का समर्थन करें।

11. अब मैं अल्पसंख्यकों की मुख्य विशेषताओं की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं।

देखें।

(i) इस निष्कर्ष पर बहुमत के साथ असहमति कि अनुच्छेद *21* में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वे पहलू शामिल हैं, जिन्हें छोड़कर

अनुच्छेद *19 (1)* के तहत गणना;

((ii) यह देखने के बाद कि गोपालन ने माना कि अनुच्छेद *21* के तहत आने वाली अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" केवल इसके विपरीत है।

शारीरिक संयम या जबरदस्ती, यह राय है कि आधुनिक दुनिया में जबरदस्ती न केवल शारीरिक जबरदस्ती होनी चाहिए, बल्कि यह भी हो सकती है

मनोवैज्ञानिक जबरदस्ती का रूप;

(iii) "व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार न केवल उसकी गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों से मुक्त होने का अधिकार लेता है, बल्कि

अपने निजी जीवन पर अतिक्रमण से मुक्त "। ;

" ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ए. आई. आर. *1950* एस. सी. *27 1 2 12* आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ *(1970) 1* एस. सी. सी. *248 13* मेनका गांधी बनाम भारत संघ *(1978) 1* एस. सी. सी. *248 14* देखें एफ/एन *3 (ऊपर)*

13 न ही हम मानते हैं कि अनुच्छेद *21* की इस संदर्भ में कोई प्रासंगिकता है जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा सुझाया गया था। जैसा कि पहले ही बताया गया है, गोपनीयता का अधिकार हमारे संविधान के तहत एक गारंटीकृत अधिकार नहीं है और इसलिए किसी व्यक्ति की गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास जो केवल एक तरीका है जिसमें गोपनीयता पर आक्रमण किया जाता है, भाग *III* द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

[2017] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(iv) हालांकि "हमारा संविधान निजता के अधिकार को स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं करता है", "उक्त अधिकार एक आवश्यक अधिकार है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घटक "।

सार में खरक सिंह ने घोषणा की कि अभिव्यक्ति "व्यक्तिगत"

अनुच्छेद *21* में "स्वतंत्रता" अपने दायरे में अधिकारों का एक बंडल लेती है। दोनों ने

बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक इस निष्कर्ष पर एकमत हैं। विचलन का एकमात्र बिंदु यह है कि अल्पसंख्यकों की राय है कि बंडल में एक अधिकार है

राय दी कि "गोपनीयता का अधिकार हमारे तहत एक गारंटीकृत अधिकार नहीं है। संविधान ", और इसलिए इसे अनुच्छेद *21.16* में नहीं पढ़ा जा सकता है।

12. मेरी राय है कि बहुमत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अतार्किक है और व्याख्या के तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ है

सामान्य कानून; और संवैधानिक के संदर्भ में पूरी तरह से अनुचित व्याख्या। यदि किसी अधिकार को व्यक्त भाषा द्वारा मान्यता दी जाती है

कानून, ऐसे कानून के कुछ प्रावधानों से इस तरह के अधिकार को लागू करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। निहितार्थ क़ानून की स्पष्ट भाषा में शर्तों के तार्किक विस्तार हैं और केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब कोई क़ानून इस पर चुप रहता है।

कुछ पहलू। प्रभाव व्याख्यात्मक प्रक्रिया के उत्पाद हैं, एक क़ानून के मौन। यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि लिखित संविधानों में भी निहितार्थ हैं। का दायरा और आयाम

योजना और उद्देश्य के आलोक में निहितार्थ का पता लगाया जाना चाहिए।

एक कानून द्वारा प्राप्त करने की मांग की गई। कानून के उद्देश्य का पता कानून की समग्र योजना से लगाया जाना है। संविधान एक मौलिक कानून है जो विभिन्न अंगों की शक्तियों और कर्तव्यों को जोड़ता है।

1 6 खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य, *(1962)* पृष्ठ *351* पर *1* एस. सी. आर. *332* "। न ही हम मानते हैं कि अनुच्छेद *21* की इस संदर्भ में कोई प्रासंगिकता है जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा सुझाया गया था। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, निजता का अधिकार हमारे संविधान के तहत एक गारंटीकृत अधिकार नहीं है और इसलिए किसी व्यक्ति की गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास जो केवल एक तरीका है जिसमें निजता पर आक्रमण किया जाता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

भाग *III* द्वारा गारंटीकृत "।

17 (1947) 74 सी. एल. आर. *31*-द मेलबर्न कॉर्पोरेशन बनाम। राष्ट्रमंडल "। इस प्रकार, संविधान का उद्देश्य और जिस योजना के द्वारा इसे प्रभावी बनाने का इरादा है, वह अनिवार्य रूप से इस बात के निहितार्थ को जन्म देता है कि राष्ट्रमंडल और राज्य क्रमशः एक दूसरे की तुलना में अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं।

यह भी देखेः परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और एक अन्य, *(1973) 4* एस. सी. सी. *225* न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

राज्य और उपखंड *1* के अधिकार और उन पर सीमाएँ,

राज्य। मेरी राय में, राज्य को कथित रूप से शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान वास्तव में विषयों की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की राज्य की शक्ति पर सीमाएं हैं। संविधान की व्याख्या के संदर्भ में उद्देश्य का पता लगाने के लिए विश्लेषण की तीव्रता अधिक गहन होने की आवश्यकता है।

संविधान की योजना से उत्पन्न होने वाले प्रभाव

ये "संविधान का काला पदार्थ" हैं और उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने इसके पाठ में व्यक्त किए गए प्रावधान। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत

केशवानंद *20*, कि संविधान की मूल संरचना को निरस्त नहीं किया जा सकता है, 'अंधेरा' की सबसे उत्कृष्ट और शानदार व्याख्या है।

और यह हमारे संविधान का एक हिस्सा है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है *1 8* नागरिक और गैर-नागरिक जो राज्य के संवैधानिक अधिकार के प्रति उत्तरदायी हैं

19 संवैधानिक व्याख्या की दो श्रेणियां-पाठ्यवादी और जीवित संविधानवादी दृष्टिकोण सर्वविदित हैं। पूर्व, जैसा कि गोपालन मामले में दर्शाया गया है, हाथ में दिए गए पाठ यानी प्रासंगिक प्रावधान की भाषा पर केंद्रित है। मूल रचनाकारों का पाठ और इरादा पाठ्यवादी दृष्टिकोण के तहत निर्धारक हैं। जीवित व्यक्ति।

संविधानवादी दृष्टिकोण, पाठ के महत्व को स्वीकार करते हुए, पाठ की व्याख्या करने में सहायक के रूप में विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है। उपयोग किए गए कारक की प्रकृति के आधार पर, शिक्षाविदों ने व्याख्या के इस दृष्टिकोण में और अधिक सूक्ष्मता जोड़ी है *(*उदाहरण के लिए, 'संवैधानिक व्याख्या' नामक अपनी पुस्तक में *(*जो 'संवैधानिक भाग्य' नामक अपने पहले के काम पर आधारित है*)*, फिलिप बॉबिट ने संविधान की व्याख्या के लिए छह दृष्टिकोणों को ऐतिहासिक, पाठ्य, विवेकपूर्ण, सैद्धांतिक, संरचनात्मक और नैतिक के रूप में वर्गीकृत किया है। बाद के चार दृष्टिकोण पाठ को पूर्व के दो दृष्टिकोणों की तुलना में कम निर्धारक मानते हैं*)*। इस अदालत ने उत्तरोत्तर एक जीवित संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाया है। अलग-अलग, इसने संवैधानिक मूल्यों *(*उदार लोकतांत्रिक आदर्श जो हमारे पाठ का आधार बनते हैं*)* के संदर्भ में संवैधानिक पाठ की व्याख्या की है; सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक लोकाचार का मिश्रण जो हमारे संवैधानिक पाठ को घेरता है; एक संरचनावादी तकनीक जो संविधान के भीतर शक्ति के संरचनात्मक विभाजन को देखकर और इसे एक एकीकृत समग्र के रूप में व्याख्या करके वर्गीकृत की गई है। इस अदालत को, सार में, एक जीवित संवैधानिक व्याख्या के विशिष्ट कबूतरों के भीतर एक विशेष व्याख्यात्मक तकनीक को फिट करने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा विशेष स्रोत सबसे अधिक उपयोगी है और हाथ में क्या मामला वारंट करता है, इस पर निर्भर करते हुए अदालत एक जीवित संवैधानिक व्याख्या के रूपों का सहारा ले सकती है। कठोरता की यह कमी एक स्थायी संविधान की अनुमति देती है।

जीवित संवैधानिक दृष्टिकोण के खिलाफ महत्वपूर्ण आलोचनाएँ अनिश्चितता की हैं और यह न्यायिक शक्ति के मनमाने प्रयोग की ओर ले जा सकती हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद मेरे विचार में जीवित संवैधानिक दृष्टिकोण दो लोगों के लिए बेहतर है। कारणों से। पहला, अनुकूलनशीलता को न्यायिक तर्क में अनुशासन की कमी के बराबर नहीं माना जा सकता है। दूसरा, यह अभी भी संविधान का पाठ है जो आवश्यक व्याख्यात्मक रंग प्राप्त करता है और इसलिए, ऐसा नहीं है कि अगर कोई जीवित संवैधानिक दृष्टिकोण का सहारा लेता है तो पाठ पर हिंसा की जा रही है।

20. परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु और अन्य। वी. केरल राज्य और दूसरा *(1973) 4* एस. सी. सी. *225 [2017] 10* एस. सी. आर.

पाठ उस सिद्धांत का सुझाव देता है। संविधान के अदृश्य भाग की गंभीरता से और सम्मानपूर्वक जांच करने की आवश्यकता को कड़ी मेहनत से अर्जित राजनीतिक स्वतंत्रता और 'हम भारत के लोगों' की स्वतंत्रता की घोषित आकांक्षाओं का अनादर किए बिना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। गणना किए गए मौलिक अधिकारों का पाठ "व्यक्त जानकारी का केवल प्राथमिक स्रोत है" कि प्रस्तावना द्वारा घोषित स्वतंत्रता का क्या अर्थ है।

संविधान से। *13.* एक नियम को अपनाना कि संविधान का पाठ ही एकमात्र सामग्री है जिसे संविधान के उद्देश्य और योजना को समझने के लिए देखा जाना चाहिए।

संविधान न केवल विषयों की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक होगा, बल्कि राज्य के प्रशासन को भी अनावश्यक रूप से बोझिल बना सकता है। सौभाग्य से, इस न्यायालय ने गोपालन *(उपरोक्त)* और ए. डी. एम. जबलपुर जैसे अपवादों को छोड़कर व्याख्या के ऐसे नियम को नहीं अपनाया। अन्यथा, यह न्यायालय अनुच्छेद *19 (1) (ए)* और अन्य अधिकारों के तहत प्रेस की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी, जिन्हें गारंटी से प्रवाहित माना गया था।

अनुच्छेद *21* के तहत। रोमेश थापर और सकल पेपर्स *(ऊपर)* इस न्यायालय द्वारा अस्तित्व की सबसे पुरानी स्वीकृति हैं

संविधान का काला मामला। उन मामलों की श्रृंखला जिसमें यह न्यायालय बाद में अनुच्छेद में 'जीवन' अभिव्यक्ति में विभिन्न अधिकारों को माना गया

21 इस तरह की स्वीकृति की एक शानदार पुष्टि है।

21 ए. डी. एम. जबलपुर बनाम एस. एस. शुक्ला ए. आई. आर *1976* एस. सी. *1207* *22* सकल पेपर्स *(*पी*)* लिमिटेड और अन्य आदि। भारत संघ, ए. आई. आर. *1962* एस. सी. *305* पृष्ठ *311* "पैरा *28* पर। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संविधान की व्याख्या व्यापक तरीके से की जानी चाहिए न कि संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थों में। हमारे संविधान में कुछ अधिकारों को मौलिक के रूप में स्थापित किया गया है और इसलिए, उन अधिकारों की प्रकृति और विषय-वस्तु पर विचार करते हुए न्यायालय को संविधान की भाषा की इतनी शाब्दिक व्याख्या करने में इतना चतुर नहीं होना चाहिए कि उन्हें कम कर दिया जाए। दूसरी ओर न्यायालय को संविधान की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जो नागरिक को अनुमेय प्रतिबंधों के अधीन, पूर्ण पैमाने पर उसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाए। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट होगा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अपने साथ अपने विचारों, विचारों और विचारों को पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रकाशित करने और प्रसारित करने का अधिकार रखता है और प्रकाशन के किसी भी उपलब्ध साधन का सहारा लेता है, जो ऐसे प्रतिबंधों के अधीन है जो अनुच्छेद *19* के खंड *(2)* के तहत वैध रूप से लगाए जा सकते हैं। इस न्यायालय का पहला निर्णय जिसमें इसे मान्यता दी गई थी, रोमेश थापर बनाम है। मद्रास राज्य, ए. आई. आर. *1950* एस. सी. *124.* वहाँ, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता शामिल है और यह स्वतंत्रता परिसंचरण की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित की जाती है। उस मामले में इस न्यायालय ने यह भी बताया है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के उचित संचालन के लिए आवश्यक है। .....

23 रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य एयर *1950* एस. सी. *124* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)*
v.

भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

14. यू. एस. छठा संशोधन "त्वरित और त्वरित विकास का अधिकार" प्रदान करता है।

अभियुक्त पर सार्वजनिक मुकदमा, प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार और

आरोप का कारण, वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार

संविधान। फिर भी, इस न्यायालय ने इन अधिकारों को निहित घोषित किया अनुच्छेद *14* या *21* का पाठ। अमेरिका का आठवाँ संशोधन *24*

संविधान में अत्यधिक जमानत, जुर्माना, क्रूरता को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान हैं।

और असामान्य दंड आदि। क्रूर दंड अज्ञात नहीं थे

इस देश को। वे मध्य युग में प्रचलन में थे। एक आदमी को मारना

जीवित रहना कुछ शासकों के पसंदीदा दंडों में से एक था

उन दिनों। मैं केवल यह आशा करता हूं कि इस न्यायालय को सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिलेगा

एक तर्क कि संसद या राज्य विधानसभाएँ

विच्छेदन जैसे क्रूर दंड निर्धारित करने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम

या दोषियों को अंधा करना या उन्हें जिंदा फेंकना केवल एक पर्चे का विवरण है

आठवाँ संशोधन हमारे संविधान में अनुपस्थित होने के समान है। *2 5*

15. यह न्यायालय एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा अर्जित करने के अधिकार को पढ़ता है

आजीविका ", शिक्षा का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार *28*, अधिकार अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना *2* "और पर्यावरण मुक्त होने का अधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद *21* के तहत 'जीवन' अभिव्यक्ति में प्रदूषण का *3 0*

संविधान।

इसी तरह, विदेश जाने का अधिकार *3 1* और आपराधिक मामलों के त्वरित मुकदमे के अधिकार *32* को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में पढ़ा गया।

अनुच्छेद *21.* इस अदालत ने फांसी की सजा के निष्पादन में देरी पाई

अनुच्छेद *2133* के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकारों और 'स्वतंत्रता' दोनों का उल्लंघन किया गया।

24 " अमेरिकी संविधान में आठवां संशोधनः

" अत्यधिक जमानत की आवश्यकता नहीं होगी, न ही अत्यधिक जुर्माना लगाया जाएगा, न ही क्रूर और

असामान्य दंड दिए गए। "

25 मिट्ठू आदि। बनाम। पंजाब राज्य आदि। आदि, ए. आई. आर. *1983* एस. सी. *473-*"यदि कोई कानून यह प्रावधान करता है कि चोरी का अपराध हाथ काटने के दंड के साथ दंडनीय होगा, तो कानून अनुच्छेद *21* का उल्लंघन करने के रूप में बुरा होगा। एक बर्बर सजा सभ्य लोगों के लिए अभिशाप है।

अनुच्छेद *21* का न्यायशास्त्र "। *26* ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम *(1985) 3* एस. सी. सी. *545*

27 मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य *(1992) 3* एस. सी. सी. *666,* उन्नीकृष्णन जे. पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य *(1993) 1* एससीसी *645*

28 मनसुखियाल विठ्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य *(1997) 7* एस. सी. सी. *622*

29 बिहार राज्य बनाम लाल कृष्ण आडवाणी *(2003) 8* एस. सी. सी. *361*

30 शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम नारायण खिमलाल टोटामे *(1990) 1* एस. सी. सी. *520,* एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ *(2000) 6* एससीसी *2013*

31 सतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक। पासपोर्ट अधिकारी *1967 (3)* एससीआर *525,*

32 रे में। हुसैनारा खातून और अन्य। बनाम गृह सचिव, गृह सचिव, बिहार *(1980) 1* एस. सी. सी. *81*

33 वथीस्वरन, टी. वी. बनाम। टी. एन. राज्य *(1983) 2* एस. सी. सी. *68 [2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और प्रजनन अधिकारों और व्यक्ति की स्वायत्तता को भी माना

आर्ट के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों में निहित होने के लिए नसबंदी के संबंध में। *213 4.*

16. उपर्युक्त अधिकारों में से कोई भी कहीं नहीं मिलता है।

संविधान के पाठ में।

17. एक तर्क को पवित्र करने के लिए कि जो कुछ भी पाठ में नहीं पाया जाता है

संविधान का संविधान का हिस्सा नहीं बनना संविधान की बहुत आदिम समझ होगी और संवैधानिक व्याख्या की स्थापित तोपों के विपरीत होगी। इस तरह का दृष्टिकोण

नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता हमारे लोगों के सामूहिक ज्ञान और संविधान के सदस्यों के ज्ञान का अपमान होगा। सभा। तथ्य यह है कि कुछ सदस्यों ने उस विधानसभा में बहस के दौरान कहा था कि निजता के अधिकार का संविधान में स्पष्ट उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, यह आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाएगा कि वे निजता के अधिकार के महत्व से अनजान थे।

गोपनीयता। संविधान सभा निजता के अधिकार और इसके विस्तार पर एक संगोष्ठी नहीं थी। बहसों की बारीकी से जांच से पता चलता है कि विधानसभा ने केवल इस बात पर विचार किया कि क्या एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए

'खोजों' के सीमित संदर्भ में गोपनीयता के अधिकार की गारंटी देना और

'पत्राचार की गोपनीयता '। निजता के अधिकार के आयाम हैं -

बहुत बड़ा था और पूरी तरह से जांच नहीं की गई थी। इस सवाल पर भी बहस नहीं हुई कि क्या अनुच्छेद *21* में 'स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति निजता के अधिकार के विभिन्न पहलुओं को अपने दायरे में लेती है। प्रस्तुतियाँ इससे पहले कि हम इन प्रश्नों के इर्द-गिर्द घूमें। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद *19* और *21* के तहत गारंटीकृत अधिकारों का एक हिस्सा है

और अन्य लेख।

18. किसी भी देश का संविधान आकांक्षाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है।

उस देश के लोगों के लक्ष्यों को तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपे गए कुछ चुने हुए व्यक्तियों की भाषा के माध्यम से आवाज उठाई गई संविधान। ऐसी आकांक्षाएं और लक्ष्य उस समाज के इतिहास पर निर्भर करते हैं। इतिहास हमेशा उत्पन्न होने वाली विभिन्न शक्तियों का एक उत्पाद है।

धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं से *3 5.* परिष्करण की डिग्री

संविधान उन लोगों के विवेक पर निर्भर करता है जिन्हें यह सौंपा गया है

देविका विश्वास बनाम भारत संघ *(2016) 10* एस. सी. सी. *726*

35 हालाँकि, इतिहास के निर्माण में आने वाली विभिन्न शक्तियाँ गतिशील हैं। जिन लोगों को संविधान के काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें अनिवार्य रूप से ऐसी ताकतों की गतिशीलता पर नज़र रखनी चाहिए। विज्ञान का विकास और प्रौद्योगिकी का विकास आधुनिक दुनिया में एक और प्रमुख कारक है जिसे संविधान को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए समान रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

संविधान बनाने की जिम्मेदारी के साथ। संविधान नहीं है

केवल संविधान सभा के *284* सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज।

यह एक राजनीतिक रूप से पवित्र साधन है जिसे पुरुषों और महिलाओं द्वारा बनाया गया है।

जीवन को जोखिम में डाला और विदेशी शासकों से लड़ने के लिए अपनी स्वतंत्रता का त्याग किया और सुरक्षित किया

हमारे लोगों के लिए स्वतंत्रता, न केवल उनकी पीढ़ी के लिए बल्कि पीढ़ियों के लिए

फॉलो करें। संविधान को स्याही से लिखे गए दस्तावेज़ के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

एक कानूनी व्यवस्था को दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित करें। यह सुरक्षा के लिए बनाया गया एक वसीयतनामा है

प्रस्तावना में बताए गए लक्ष्य। संविधान का भाग-*III* है -

में निहित उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए निगमित

प्रस्तावना। *3 7* इस देश के 'हम लोग' का उद्देश्य है संविधान के *38* लाभार्थी। इसे एक लिखित दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए।

जलियांवाला बाग और इसी तरह के अनगिनत शहीदों के खून में।

मनुष्य राज्य का प्राणी नहीं है। जीवन और स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है

संविधान। संविधान केवल शक्ति की सीमाओं को निर्धारित करता है।

राज्य का हमारे जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना। कानून जरूरी है कि

स्वतंत्रता के फल का आनंद लें; यह स्वतंत्रता का स्रोत नहीं है और दृढ़ता से

अनन्य स्रोत नहीं।

19. यह समझना कि क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है

भाग-*III* के किसी भी अनुच्छेद के दायरे में आने पर, यह है

यह समझने के लिए आवश्यक है कि "मौलिक अधिकार" और "मौलिक अधिकार" क्या हैं।

निजता "का अर्थ वैचारिक रूप से है। अधिकार प्रथा, अनुबंध या व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं।

लिखित संविधान सहित विधान। के बीच का अंतर सामान्य विधान और एक अधिनियमित संविधान यह है कि बाद वाला माना जाता है

36 केशवानंद भारती *(ऊपर)*

"पैरा *91.* हमारी प्रस्तावना पूरे संविधान के उद्देश्यों को रेखांकित करती है। यह "हमने इतने लंबे समय तक क्या सोचा था या सपना देखा था" को व्यक्त करता है। "

1 37 पुनः, केरल शिक्षा विधेयक, *1957*, ए. आई. आर. *1958* एस. सी. *956* ". प्रस्तावना में उल्लिखित इन सर्वोच्च उद्देश्यों को लागू करने और मजबूत करने के लिए, हमारे संविधान के भाग *III* ने हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं।

38 बिडी सप्लाई कं. वी. भारत संघ और अन्य, एआईआर *1956* एससी *479* पृष्ठ *487* पर

"पैरा *23.* आखिरकार, संविधान किसके लाभ के लिए बनाया गया था*?* इन सब को मौलिक अधिकारों के बारे में बनाने का क्या मतलब था*?* मैं स्पष्ट हूँ कि

संविधान केवल सरकारों और राज्यों के लाभ के लिए नहीं है; यह केवल वकीलों और राजनेताओं और अधिकारियों और उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए नहीं है। यह आम आदमी के लिए, गरीबों और विनम्र लोगों के लिए, जिनके व्यवसाय दांव पर हैं, "कसाई, बेकर और मोमबत्ती बनाने वाले" के लिए भी मौजूद है। यह इस भूमि के लिए "कानून का शासन" निर्धारित करता है जैसा कि दुनिया के स्वतंत्र लोकतंत्रों में समझा जाता है। यह भारत को एक संप्रभु गणराज्य के रूप में गठित करता है और सभी की भलाई के लिए कार्य करने के लिए राज्य की प्रबल शक्ति के साथ-साथ हर पृष्ठ पर अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

और एक अपेक्षाकृत स्थायी कानून होने की उम्मीद है जो

इसके द्वारा बनाए गए विधायी निकायों के सीमित कार्यकाल के लिए चुने गए प्रतिनिधियों के साधारण बहुमत द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। का संविधान कोई भी देश एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें शासन के नियमों को उसके विभिन्न पहलुओं में निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान होते हैं। यह विधायिका की शक्तियों और कानून बनाने की प्रक्रियाओं, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करके राज्य को प्रशासित करने के लिए कार्यपालिका की शक्तियों और न्यायपालिका की शक्तियों को परिभाषित करता है। अंतर्निहित मान्यता यह है कि किसी भी देश के संविधान में कुछ मूल राजनीतिक मूल्य और मान्यताएं शामिल हैं।

उस देश के लोग जिन्हें आम तौर पर क्षणिक जनमत द्वारा हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

20. भारत का संविधान ऐसा ही एक कानून है।

केवल कुछ का उल्लेख करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान तुलनात्मक हैं। इसके अलावा ऐसे सभी संविधान

राज्य के प्रशासन के लिए प्रावधानों वाले प्रावधानों में नागरिकों के कुछ अधिकारों और यहां तक कि गैर-नागरिकों के कुछ अधिकारों को निर्दिष्ट करने या उनकी पहचान करने वाले प्रावधान शामिल हैं *(*दोनों वर्गों के व्यक्तियों को सामूहिक रूप से सुविधा के लिए विषय के रूप में संदर्भित किया जा सकता है*)*। इस तरह के अधिकार

इसे "बुनियादी", "आदिम", "अविभाज्य" या के रूप में वर्णित किया गया। "मौलिक अधिकार। इस तरह के अधिकार विषयों की स्वतंत्रता को नष्ट करने की राज्य की शक्ति के खिलाफ एक सुरक्षात्मक दीवार हैं।

विभिन्न देशों में अपनाए गए नामकरण के बावजूद,

समाज का व्यापक हित। कई संविधानों में प्रावधान हैं विभिन्न परिचर शर्तों को निर्धारित करना जो कोई भी कानून करने का इरादा रखता है

ऐसे *(*मौलिक*)* अधिकारों का पालन करने की आवश्यकता है।

21. किसी भी लिखित संविधान के प्रावधान अधिकारों का सृजन करते हैं और

दायित्व, जो या तो व्यक्तियों या राजनीतिक निकाय से संबंधित हैं।

उदाहरण के लिए, वे अधिकार जिन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है

39 बिडी सप्लाई कं. वी. भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर *1956* एस. सी. *479*

पैरा *24.* मैं पुराने लोकतंत्रों की ओर मुड़ने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए कोई माफी नहीं मांगता, क्योंकि हालांकि हमारा कानून कई स्रोतों से लिया गया एक मिश्रण है, लेकिन इसकी सबसे मजबूत नींव अन्य देशों की स्वतंत्रता में निहित है जहां लोग लोकतांत्रिक अर्थों में स्वतंत्र हैं। इंग्लैंड के पास इस तरह के कोई मौलिक

अधिकार नहीं हैं और इसकी संसद सर्वोच्च है, लेकिन विषय की स्वतंत्रता की रक्षा संसद की सर्वोच्चता के रूप में की जाती है। जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(आर. ई. टी. डी.) v.*

भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

हमारे संविधान का अध्याय-*III* व्यक्तियों के अधिकार हैं जबकि विधायी निकायों के चुनावों से निपटने के प्रावधान राजनीतिक निकाय में सामूहिक रूप से अधिकार पैदा करते हैं जो आवधिक चुनावों को अनिवार्य करते हैं। वे अधिकार भी बनाते हैं एक निर्वाचक के रूप में या लोगों/मतदाताओं का एक निर्वाचित प्रतिनिधि बनने के लिए ऐसी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए व्यक्तियों का पक्ष।

22. यद्यपि संविधान द्वारा सृजित प्रत्येक अधिकार चुनी हुई सरकार के लोकतांत्रिक रूप को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में घोषित कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए,

हमारे संविधान निर्माताओं का मानना था कि संविधान में निहित कुछ अधिकार लोगों की खुशी के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं

भारत और इसलिए, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह विश्वास मानव इतिहास और अन्य देशों के संविधान के अध्ययन पर आधारित है।

जो बदले में ऐतिहासिक घटनाओं के उत्पाद हैं।

हमारे संविधान की योजना यह है कि राज्य की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ और शासन की तीन महान शाखाओं के बीच क्षैतिज अक्ष के साथ विभाजित है।

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता के इस तरह के विभाजन को लोगों की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए अनुकूल माना जाता है।

भारत। एक लिखित संविधान बनाने का उद्देश्य भारत के लोगों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि स्वतंत्रता के फल का आनंद लेने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं आवश्यक हैं और राज्य को रौंदने की अनुमति नहीं दी जाएगी कुछ महत्वपूर्ण और निर्दिष्ट प्राप्त करने के अलावा वे स्वतंत्रताएँ

समाज के व्यापक हितों में लक्ष्य। इसलिए, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून बनाने के लिए राज्य का अधिकार निहित है। संवैधानिक रूप से घोषित सीमाओं के भीतर।

23. के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के समान प्रावधान

हमारा संविधान अमेरिकी संविधान में भी मौजूद है। वे हमारे संविधान के अग्रदूत हैं।

24. संविधान के भाग *III* के तहत और विशेष रूप से अनुच्छेदों के बीच गारंटीकृत विभिन्न मौलिक अधिकारों का अंतर-संबंध।

14 , *19* और संविधान की धारा *21* ए. के. गोपालन से शुरू होकर बहुत अधिक न्यायिक चर्चा का विषय रही है। इस संबंध में कानून की प्रगति को न्यायमूर्ति नरीमन और चंद्रचूड़ ने विस्तार से दर्ज किया है।

25. आर. सी. कूपर और मेनका गांधी ने इस विषय पर एक अलग अभिविन्यास दिया। मेनका गांधी की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति भगवती

40 संविधान के पहले *8* संशोधन उनमें से कुछ हैं।

बहुमत ने राय दी *"1* आर. सी. में इस न्यायालय के बाद के निर्णय को देखते हुए।

इसके अलावा, अल्पसंख्यक दृष्टिकोण *(*खरक सिंह में*)* को सही माना जाना चाहिए और बहुमत के दृष्टिकोण को खारिज किया जाना चाहिए।

नतीजतन, यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी कानून जो किसी भी व्यक्ति को वंचित करता है

अनुच्छेद *21* के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता केवल न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नहीं होनी चाहिए।

उचित है, लेकिन यह भी संतुष्ट करना चाहिए कि यह एक ही समय में अनुच्छेद *19* के तहत गिने गए एक या कुछ अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, यह प्रदर्शित करके कि कानून अनुच्छेद *19.42* के संबंधित खंड *2* से *6* में से एक का सख्ती से अनुपालन करता है। *4* टी *5. .....* यह खरक सिंह बनाम में था। यू. पी. और अन्य का राज्य। कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति के उचित दायरे और अर्थ के बारे में प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष पहली बार विचार के लिए स्पष्ट रूप से सामने आया। अधिकांश न्यायाधीशों ने यह विचार व्यक्त किया कि अनुच्छेद *19 (1)* के कई खंडों में वर्णित अधिकारों के अलावा अन्य सभी प्रकार के अधिकारों को अपने भीतर शामिल करने के लिए अनुच्छेद में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का उपयोग एक समग्र शब्द के रूप में किया गया है। दूसरे शब्दों में, जबकि अनुच्छेद *19 (1)* उस स्वतंत्रता की विशेष प्रजातियों या विशेषताओं से संबंधित है, अनुच्छेद *21* में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अवशेष को लेती है और इसमें शामिल करती है। हालांकि, अल्पसंख्यक न्यायाधीशों ने बहुमत द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से असहमति जताई और निम्नलिखित शब्दों में अपनी स्थिति स्पष्ट कीः इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' एक व्यापक अभिव्यक्ति है और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक विशेषता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बनी है और इसलिए, अनुच्छेद *21* में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति उस विशेषता को बाहर करती है। हमारे विचार में, यह एक सही दृष्टिकोण नहीं है। दोनों स्वतंत्र मौलिक अधिकार हैं, हालांकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक को दूसरे से तराशने का कोई सवाल ही नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के कई गुण हैं और उनमें से कुछ अनुच्छेद *19* में पाए जाते हैं। यदि अनुच्छेद *21* के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य कार्रवाई को बनाए रखने के लिए एक कानून पर भरोसा कर सकता है, लेकिन यह एक पूर्ण उत्तर नहीं हो सकता है जब तक कि उक्त कानून परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता है।

जहाँ तक अनुच्छेद *19 (1)* में शामिल विशेषताओं का संबंध है, अनुच्छेद *19 (2)* में उल्लिखित है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि आर. सी. कूपर बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए।

42 6 . ..... इसलिए, कानून को अब अच्छी तरह से तय किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद *21* अनुच्छेद *19* को बाहर नहीं करता है और यह कि भले ही किसी व्यक्ति को 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' से वंचित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाला कोई कानून हो और इसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद *19* का कोई उल्लंघन नहीं होता है।

अनुच्छेद *21* द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ऐसी कानून, जहां तक यह अनुच्छेद *19* के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करता है या छीनता है, को उस अनुच्छेद की चुनौती का सामना करना होगा। आर. सी. कूपर के मामले, शंभू नाथ सरकार के मामले और हरधन साहा के मामले में निर्णय के बाद इस प्रस्ताव पर अब कोई विवाद नहीं हो सकता है। अब, यदि किसी व्यक्ति को 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' से वंचित करने और अनुच्छेद *21* के अर्थ के भीतर उस उद्देश्य के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करने वाले कानून को अनुच्छेद *19* के तहत प्रदान किए गए एक या अधिक मौलिक अधिकारों की कसौटी पर खरा उतरना है, जो किसी दी गई स्थिति में लागू हो सकता है, तो पूर्व परिकल्पना के अनुसार यह अनुच्छेद *14* के संदर्भ में परीक्षण के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। वास्तव में यह विद्वान महान्यायवादी द्वारा विवादित नहीं था और वास्तव में वह ए. के. गोपालन के मामले में मुखर्जी, जे. द्वारा दिए गए स्पष्ट और स्पष्ट बयान को देखते हुए ऐसा नहीं कर सके।

कि अनुच्छेद *21* "यह अनुमान लगाता है कि न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* के प्रावधानों के तहत कानून एक वैध और बाध्यकारी कानून है।

भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

26. खरक सिंह में, न्यायमूर्ति अयंगर ने बहुमत के लिए बोलते हुए कहा कि अनुच्छेद *21* में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अपने भीतर सभी प्रकार के अधिकारों को शामिल करने के लिए एक "समग्र शब्द" है जो "कई कानूनों में निर्दिष्ट अधिकारों के अलावा एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता" का गठन करता है।

अनुच्छेद *19 (1)* के खंड। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद *19 (1)* अनुच्छेद में उल्लिखित विशेष "व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रजातियों या विशेषताओं" से संबंधित है।

21. " अनुच्छेद *21* अवशेषों को शामिल करता है। इस तरह के निर्माण को अल्पसंख्यकों ने स्वीकार नहीं किया था। अल्पमत की राय है कि दोनों अनुच्छेद

19 और *21* स्वतंत्र मौलिक अधिकार हैं लेकिन वे अतिव्यापी हैं। *43*

27. खड़क सिंह के एक विश्लेषण से पता चलता है कि अल्पसंख्यकों ने राय दी

कि स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक विशेषता है। अल्पसंख्यकों ने केवल इस प्रस्ताव की शुद्धता पर विवाद किया कि संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद *19 (1)* में कुछ स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद *21* में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बाहर रखा है। अल्पसंख्यक

राय है कि अनुच्छेद *19 (1)* और *21* में उल्लिखित दोनों स्वतंत्रताएँ स्वतंत्र मौलिक अधिकार हैं, हालांकि "अतिव्यापी" हैं।

अभिव्यक्ति 'स्वतंत्रता' न केवल अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत गारंटीकृत स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार को, बल्कि अनुच्छेद *19 (1)* के तहत उल्लिखित अन्य स्वतंत्रताओं में से प्रत्येक को भी अपने दायरे में लेने में सक्षम है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता न केवल शारीरिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं होने के अधिकार को अपने दायरे में लेती है, बल्कि विचार, विश्वास, भावना और व्यवहार की स्वतंत्रता को भी अपने दायरे में लेती है।

लिंकन का कथन *44* कि हमारे राष्ट्र की "स्वतंत्रता में कल्पना की गई थी" समान रूप से है हमारी प्रस्तावना में निहित घोषणा के संदर्भ में प्रासंगिक; और जैसा कि जस्टिस ब्रांडीज़ के शब्दों में व्यक्त किया गया है;

> "जिन लोगों ने हमारी स्वतंत्रता हासिल की, उनका मानना था कि अंतिम अंत
>
> राज्य को पुरुषों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्वतंत्र बनाना था; और
>
> कि उसकी सरकार में विचारशील ताकतों को प्रबल होना चाहिए

संविधान की विधायिका की क्षमता और उस विषय को ध्यान में रखते हुए जो इससे संबंधित है और अनुच्छेद *14* सहित संविधान द्वारा प्रदान किए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

** 3* इसमें कोई संदेह नहीं है कि "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति एक व्यापक है और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक विशेषता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बनी है और इसलिए, कला में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की अभिव्यक्ति है। *21* उस विशेषता को बाहर करता है। हमारे विचार में, यह एक सही दृष्टिकोण नहीं है। दोनों स्वतंत्र मौलिक अधिकार हैं, हालांकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

> मनमाना। वे स्वतंत्रता को एक लक्ष्य और एक साधन दोनों के रूप में महत्व देते थे।
>
> वे स्वतंत्रता को खुशी और साहस का रहस्य मानते थे।
>
> स्वतंत्रता का रहस्य बनें।
>
> - व्हिटनी वी। कैलिफोर्निया, *274* यू. एस. *357,375*

28. अब सवाल यह उठता है कि निर्माताओं का उद्देश्य क्या है*?*

संविधान की कुछ विशेष रूप से गणना करके प्राप्त करने की मांग की गई

स्वतंत्रताएँ जो अन्यथा अभिव्यक्ति का हिस्सा बनेंगी

'स्वतंत्रता '। मेरे विचार से इसका उत्तर यह है कि संविधान सभा ने सोचा कि स्वतंत्रता के कुछ पहलुओं के लिए अधिक जोरदार घोषणा की आवश्यकता है ताकि उन्हें कम करने या कम करने के लिए राज्य के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सके। द.

इस तरह की जोरदार घोषणा की आवश्यकता इसके इतिहास से उत्पन्न हुई राष्ट्र। मेरी राय में, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, वह दो गुना है।

सबसे पहले, 'स्वतंत्रता' अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अर्थ का पता लगाने की तर्कपूर्ण प्रक्रिया से परे रखना, और

अनुच्छेद *19* के खंड *(2)* से खंड *(6)*। *46* यह याद रखना चाहिए कि प्राधिकरण *45* ठीक यही ए. के. गोपालन के मामले में राज्य का निवेदन था जिसे दुर्भाग्य से इस न्यायालय का समर्थन मिला।

46 (2) खंड *(1)* के उपखंड *(क)* की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी, जहां तक कि ऐसी कानून भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाती है।

(4) उक्त खंड के उपखंड *(ग)* की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाली कोई कानून लागू करती है, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकती है। *(5)* उक्त खंड के उपखंड *(घ)* और *(ङ)* में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक वह लागू करता है, या राज्य को आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने से रोकता है।

(6) उक्त खंड के उपखंड *(छ)* की कोई भी बात किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह लागू करती है, या राज्य को आम जनता के हित में, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने से रोकती है, और विशेष रूप से, उक्त उपखंड की कोई भी चीज किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी, जहां तक वह राज्य न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* से संबंधित है।

भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करना राज्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एकमात्र आवश्यकता के रूप में पाठ्य रूप से असीमित है।

इसका परिणाम एक 'कानून' बनाना है। जब अनुच्छेद *19 (1)* के तहत स्वतंत्रता से वंचित करने की बात आती है, तो आवश्यकता हैः *((a)* ऐसा नहीं होना चाहिए

केवल एक कानून होना चाहिए लेकिन इस तरह के कानून को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए संबंधित उप-अनुच्छेद *47* में इंगित किया गया है; और *(*बी*)* यह घोषणा करने के लिए कि

अनुच्छेद *19 (1)* में उल्लिखित स्वतंत्रता के विभिन्न पहलू केवल देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सभी के लिए उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अब इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद *14* के तहत गारंटीकृत अधिकार

और *21* केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि गैर-नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं।

विदेशी या निगमित निकाय भले ही वे भारत आदि में निगमित हों।

29. अनुच्छेद *19* और *21* का अंतर-संबंध, यदि इस प्रकार समझा जाए

पैरा *28* में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने का राज्य का अधिकार कुछ कारकों द्वारा सीमित है।

(2) 'संदर्भ में 'कानून' का अर्थ है एक वैध विधान।
(3) यदि वह व्यक्ति जिसकी स्वतंत्रता से वंचित होने की कोशिश की जाती है, वह नागरिक है।

और यह कि स्वतंत्रता में उल्लिखित स्वतंत्रताओं में से एक है

निहित स्वतंत्रता की प्रकृति के अनुसार, इस तरह का कानून चाहता है कि
एब्रिज।

आम जनता के हित में किसी भी कानून को लागू करने से, उचित उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर प्रतिबंध, और विशेष रूप से, उक्त उपखंड में कुछ भी किसी भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा जहां तक वह संबंधित है, या राज्य को इससे संबंधित कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा।

(i) किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता, या
((ख) नागरिकों के किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम द्वारा चलाया जाना, चाहे वह नागरिकों के पूर्ण या आंशिक बहिष्कार के लिए हो या अन्यथा।

47 ठीक यही ए. के. गोपालन के मामले में राज्य का निवेदन था जिसे दुर्भाग्य से इस न्यायालय का समर्थन मिला।

49 न्यूरेनबर्ग बनाम के हंस मुलर को देखें। अधीक्षक, प्रेसीडेंसी जेल, कलकत्ता और अन्य ए. आई. आर. *1955* एस. सी. *367, (*पारस *34* और *38)*

भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड बनाम। वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1811,* पैरा *20*

इंडो-चाइना स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम जसजीत सिंह, सीमा शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर, कलकत्ता और अन्य, ए. आई. आर *1964* एस. सी. *1140, (*पैरा *35)*

चार्ल्स सोबराज बनाम सुप्रिट। केंद्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली, ए. आई. आर. *1978* एस. सी. *104, (*पैरा *16)*
लुई डी रायड बनाम भारत संघ और अन्य, *(1991) 3* एस. सी. सी. *554, (*पैरा *13)*

(4) यदि वह व्यक्ति जिसकी स्वतंत्रता से वंचित होने की कोशिश की जाती है, वह गैर-नागरिक है या भले ही कोई नागरिक किसी भी स्वतंत्रता के संबंध में हो।

अनुच्छेद *19 (1)* में निर्दिष्ट लोगों के अलावा, कानून न्यायपूर्ण होना चाहिए, निष्पक्ष और तर्कसंगत।

30. मेरा प्रयास है कि उपरोक्त विश्लेषण केवल यह स्थापित करने के लिए है कि अनुच्छेद *21* में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न केवल अनुच्छेद *19 (1)* में उल्लिखित विभिन्न स्वतंत्रताओं को बल्कि कई अन्य स्वतंत्रताओं को भी लेने के लिए पर्याप्त है।

जिनकी गणना नहीं की गई है। मेरी राय है कि मौलिक अधिकारों पर अध्याय की पूरी योजना का एक बेहतर दृष्टिकोण यह है कि प्रत्येक गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को अलग-अलग अधिकारों की एक श्रृंखला के रूप में नहीं देखा जाए।

लेकिन स्वतंत्रता की कानूनी अवधारणा की एक तर्कसंगत निरंतरता के रूप में अर्थात सभी महत्वपूर्ण, मनमाने अतिक्रमणों और उद्देश्यहीन से स्वतंत्रता

राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। स्वतंत्रता से वंचित होने से एक या अधिक स्वतंत्रताओं में कटौती हो सकती है जो एक इंसान के पास है, लेकिन राज्य द्वारा हस्तक्षेप के लिए।

31. क्या एक सुसंगत, एकीकृत और

निजता के अधिकार की व्याख्या करने वाला संरचित कथन एक ऐसा प्रश्न है जिसमें

दशकों से विभिन्न क्षेत्राधिकारों में विद्वानों और न्यायाधीशों को परेशान कर रहा है। *49* काफी मात्रा में शैक्षणिक और न्यायिक साहित्य अस्तित्व में आया। इस संबंध में विभिन्न वर्गीकरण प्रस्तावित किए गए हैं।

यह सुझाव देते हुए कि ऐसे कई हित और मूल्य हैं जिनमें गोपनीयता के अधिकार को विच्छेदित किया जा सकता है।

32. निजता हितों की सुरक्षा के दावे उनके खिलाफ उठ सकते हैं।

राज्य और उसके साधनों और गैर-राज्य संस्थाओं जैसे कि अपनी निजी क्षमता में कार्य करने वाले व्यक्तियों और निगमित निकायों के खिलाफ या

राज्य की भागीदारी के किसी भी तत्व के बिना अनिगमित संघ आदि। अकादमिक साहित्य के अलावा, विभिन्न दावों के आधार पर

विभिन्न घोषित गोपनीयता हितों को भी न्यायिक समर्थन मिला है। गोपनीयता हितों के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्राधिकारों में मामले *(i)* सामान्य कानून; *(ii)* वैधानिक मान्यता; और *(iii)* संवैधानिक रूप से उत्पन्न हुए।

निजता के अधिकार के संरक्षित दावे।

33. मेरी राय है कि वर्तमान संदर्भ का उत्तर देने के लिए, यह न्यायालय केवल इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या कौन प्रश्न करता है

49 गोबिंद वी. मध्य प्रदेश राज्य और दूसरा, *(1975) 2* एस. सी. सी. *148*

" पैरा *23.* ..... निजता के सबसे गंभीर समर्थक को यह स्वीकार करना चाहिए कि अधिकार के सार और दायरे को परिभाषित करने में गंभीर समस्याएं हैं। ..... "

50 भारत में निजता के संवैधानिक अधिकार के वर्गीकरण के विस्तृत विवरण के लिए देखें, मरियम कामिल, "भारत में निजता के अधिकार की संरचना" *(*एमफिल थीसिस, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, *2015)*।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

जो इस देश के कानूनों के प्रति उत्तरदायी हैं, उन्हें राज्यों के खिलाफ निजता का मौलिक अधिकार है। संविधान का पाठ इसमें मौन है।

संविधान। *34.* उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, निजता के अधिकार की प्रकृति को वैचारिक रूप से पहचानना आवश्यक है।

35. मेरे विद्वान भाइयों ने पहले के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा की है।

निजता का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते हैं अधिकार के अस्तित्व और मान्यता को स्थापित करने के लिए संदर्भित किया गया था

दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गोपनीयता, और यह राय दी है कि उन्हें हमारे संविधान में पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि हमारे संविधान के तहत गोपनीयता का मौलिक अधिकार मौजूद है। जबकि न्यायमूर्ति नरीमन ने राय दी

" *94.* इस संदर्भ का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि अविच्छेद्य

निजता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद *21* और अन्य में निहित है।

संविधान के भाग *III* में निहित मौलिक स्वतंत्रताएँ

भारत। एम. पी. शर्मा *(*ऊपर*)* और खरक सिंह में बहुमत

(ऊपर*)*, इस हद तक कि वे इसके विपरीत संकेत देते हैं, खारिज कर दिया जाता है। निजता को मान्यता देने वाले इस न्यायालय के बाद के निर्णय

मौलिक अधिकार के रूप में इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इन मामलों को निर्णय के आलोक में इस न्यायालय के *3* माननीय न्यायाधीशों की मूल पीठ को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए वापस भेजा जाता है।

बस हमारे द्वारा वितरित किया गया। "

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहाः

" *(* ग*)* निजता एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है जो उभरता है।

मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद *21* में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से। गोपनीयता के तत्व भी मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता और गरिमा के अन्य पहलुओं से अलग-अलग संदर्भों में उत्पन्न होते हैं।

और भाग *III* में निहित मौलिक अधिकारों द्वारा गारंटीकृत;

36. सबसे शुरुआती मामलों में से एक जहां राज्य की कार्रवाई की संवैधानिकता कथित रूप से निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, विचार के लिए गिर गई यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के ग्रिसवोल्ड एट अल वी हैं। कनेक्टिकट, *381* यूएस *479*। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक दावे को कायम रखा

51 यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि *14* और *29* जैसे कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी गैर-नागरिकों को भी दी जाती है।

गोपनीयता-"आराम", "अभयारण्य" और "अंतरंग निर्णय"। विश्राम 'अनुचित उत्तेजनाओं से मुक्ति को संदर्भित करता है,' अभयारण्य 'से सुरक्षा घुसपैठ अवलोकन के खिलाफ, और सबसे व्यक्तिगत जीवन विकल्पों के संबंध में स्वायत्तता के लिए "अंतरंग निर्णय"। चाहे कोई अन्य पहलू

निजता के अधिकार को अब विभाजित नहीं किया जा सकता है। मेरी राय में, सभी परिभाषित चिंताओं को एक अमूर्त स्तर पर हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है

निजता के अधिकार की प्रकृति को समझें। स्वतंत्रता में राज्य द्वारा तकनीकी और मनोवैज्ञानिक घुसपैठ की लगातार बढ़ती संभावनाएँ

गोपनीयता। इस मामले के उद्देश्य के लिए, यह समझने के लिए पर्याप्त है कि निजता के अधिकार में तीन पहलू हैं अर्थात विश्राम, अभयारण्य और अंतरंग निर्णय। इनमें से प्रत्येक पहलू मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए इतना आवश्यक है कि मुझे संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता है कि निजता का अधिकार हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता का हिस्सा है।

37. इतिहास सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के उदाहरणों से भरा हुआ है

विषयों के दिमाग को आकार देना। दूसरे शब्दों में, क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, यह निर्धारित करके विचार प्रक्रिया को अनुकूलित करना; केवल कला के किन रूपों की सराहना करने की आवश्यकता है जिससे कला के अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

मान्यताएँ; किस प्रकार के लोगों की पसंद के संबंध में हस्तक्षेप करना साहित्य, संगीत या कला जिसका कोई व्यक्ति आनंद लेना पसंद करेगा। इस तरह की स्थिति को स्रोत की जांच करके प्राप्त करने की कोशिश की जाती है

हमारी प्रजाति के दुख का एक बड़ा हिस्सा अपने अस्तित्व के कारण है और धर्म के प्रचार के अधिकार के प्रतिस्पर्धी दावों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। भारत का संविधान सभी विषयों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है जो गारंटी देता है *56 52* ग्रिसवोल्ड बनाम कनेक्टिकट *381* यूएस *479 (1965) 487*। *53* गैरी बोस्टविक,

'गोपनीयता का वर्गीकरणः विश्राम, अभयारण्य और अंतरंग निर्णय *(1976) 64* कैलिफोर्निया कानून समीक्षा *1447*।

54 स्टेनली बनाम जॉर्जिया, *394* यू. एस. *557 (1969)* कि केवल अश्लील पदार्थों के निजी कब्जे को संवैधानिक रूप से अपराध नहीं बनाया जा सकता है।

..... राज्य को अपने घर में अकेले बैठे व्यक्ति को यह बताने का कोई काम नहीं है कि वह कौन सी किताबें पढ़ सकता है या कौन सी फिल्में देख सकता है। हमारी पूरी संवैधानिक विरासत सरकार को पुरुषों के दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति देने के विचार से विद्रोह करती है। *55 (1986) 3* एस. सी. सी. *615,* बिजोए इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य ** 25.* विवेक और स्वतंत्र पेशे की स्वतंत्रता, धर्म का पालन और प्रचार। *(1)* सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार। जबकि स्वतंत्र रूप से "धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने" का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू हो सकता है जिसकी गारंटी इसके तहत दी गई है।

विवेक का विषय विशुद्ध रूप से निजी विचार प्रक्रिया के क्षेत्र में आता है और यह स्वतंत्रता का एक पहलू है। धार्मिक क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्र भी हैं। ऐसे विश्वास जो व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं जैसे कि राजनीतिक विश्वास आदि, जो अनुच्छेद *21* के तहत स्वतंत्रता का हिस्सा हैं।

38. निजता की चिंता तब उत्पन्न होती है जब राज्य घुसपैठ करना चाहता है

SUBJECTS.57 के मुख्य भाग में शारीरिक दंड भारत के लिए अज्ञात नहीं थे, उनका उन्मूलन हाल ही में पुराना है। राज्य द्वारा कुछ व्यक्तियों को जबरन खिलाया जाना गोपनीयता की चिंता पैदा करता है। एक व्यक्ति के अधिकार

आयु बढ़ाने वाले चिकित्सा उपचार से इनकार करना या अपने जीवन को समाप्त करना एक और स्वतंत्रता है जो गोपनीयता के अधिकार के क्षेत्र में आती है। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि यह मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। लेकिन विभिन्न रूपों में

अन्य क्षेत्राधिकारों में, उन मुद्दों पर एक बड़ी बहस है, हालांकि यह अभी भी है

एक ग्रे क्षेत्र। *58* एक महिला की पसंद की स्वतंत्रता कि बच्चे को जन्म देना है या उसकी गर्भावस्था का गर्भपात करना है, ऐसे क्षेत्र हैं जो गोपनीयता के दायरे में आते हैं।

इसी तरह, काम करने या न करने का चुनाव करने की स्वतंत्रता और

कार्य की प्रकृति चुनने की स्वतंत्रता निजी निर्णय के क्षेत्र हैं।

सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने और प्रचार करने का समान रूप से अधिकार है। *(2)* इस अनुच्छेद की कोई भी बात किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी।

(क) किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती है; *((ख)* समाज कल्याण और सुधार के लिए या हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को खोलने का प्रावधान करना।

स्पष्टीकरण *I*-कृपाण पहनने और ले जाने को सिख धर्म के पेशे में शामिल माना जाएगा।

स्पष्टीकरण *2*-खंड *(2)* के उपखंड *(*बी*)* में हिंदुओं के संदर्भ का अर्थ सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और हिंदू धार्मिक संस्थानों के संदर्भ का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। *57* स्किनर बनाम ओकलाहोमा, *316* यू. एस. *535 (1942)*-इस हद तक सीमाएँ हैं कि एक विधायी रूप से प्रतिनिधित्व करने वाला बहुमत एक अल्पसंख्यक की गरिमा और व्यक्तित्व और प्राकृतिक शक्तियों की कीमत पर जैविक प्रयोग कर सकता है-यहां तक कि वे भी जो बहुमत द्वारा परिभाषित अपराधों के लिए दोषी रहे हैं-जैक्सन, जे।

अमेरिका में इस क्षेत्र में कानूनी बहस के लिए, लॉरेंस एच. ट्राइब द्वारा अमेरिकी संवैधानिक कानून-दूसरा संस्करण का अध्याय *15.11* देखें।

अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* के तहत पूरे देश में यात्रा करने की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। यह न्यायालय पहले ही मान चुका है कि इस तरह का अधिकार विदेश यात्रा के अधिकार को अपने दायरे में लेता है। व्यक्ति को चुनने की स्वतंत्रता

उनके निवास का स्थान एक बार फिर अनुच्छेद *19 (1) (*ई*)* के तहत भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त उनके निजता के अधिकार का एक हिस्सा है, हालांकि उपरोक्त दो स्वतंत्रताओं की गणना करने का पूर्व-प्रमुख उद्देश्य है।

अनुच्छेद *19 (1)* में संघीय और राज्य दोनों सरकारों को अक्षम करना है।

बाधाओं को पैदा करने से जो संघीय प्रकृति के साथ असंगत हैं हमारा देश और उसका संविधान। रूप और परिधान का चुनाव भी निजता के अधिकार के पहलू हैं। विषयों के कुछ समूहों की अपनी उपस्थिति और परिधान निर्धारित करने की स्वतंत्रता *(*जैसे -

लंबे बाल रखना और पगड़ी पहनना*)* एक हिस्से के रूप में संरक्षित नहीं हैं

निजता का अधिकार लेकिन उनके धार्मिक विश्वास के एक हिस्से के रूप में। जरूरी नहीं कि ऐसी स्वतंत्रता अनुच्छेद *25* के तहत आने वाली धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हो। सूचनात्मक निशान भी एक ऐसा क्षेत्र है जो विषय वस्तु है

निजता के अधिकार के दायरे में आने वाले विभिन्न क्षेत्राधिकारों में भारी बहस, जैसे कि डेटा उतना ही व्यक्तिगत है जितना कि उपस्थिति और परिधान के चयन का। राज्य द्वारा टेलीफोन टैपिंग और इंटरनेट हैकिंग, व्यक्तिगत

डेटा एक अन्य क्षेत्र है जो गोपनीयता के दायरे में आता है। वह क्षण

भारत संघ द्वारा इस देश के सभी निवासियों के संबंध में जैव-मीट्रिक डेटा एकत्र करने के इस तरह के प्रयास से संदर्भ उत्पन्न होता है।

उपर्युक्त कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बेटे की रुचि है।

गोपनीयता मौजूद है। ऊपर दिए गए उदाहरण कुछ हद तक निजता के अधिकार की प्रकृति और दायरे को इंगित करते हैं।

40. मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी यह चाहेगा कि राज्य के अधिकारी उनके घरों या निजी संपत्ति में घुसपैठ करें।

वसीयत या सैनिकों को उनकी सहमति के बिना उनके घरों में रखा जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राज्य द्वारा बताया जाना चाहेगा कि वे क्या चाहते हैं।

उन्हें खाना चाहिए या कैसे कपड़े पहनने चाहिए या अपने व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक जीवन में किसके साथ जुड़ना चाहिए। अनुच्छेद *19 (1) (*सी*)* के तहत नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक संगठन की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। व्यक्तिगत संबंध अभी भी एक संदिग्ध क्षेत्र है। *61* निर्णय लेने की प्रक्रिया

59 मेनका गांधी बनाम भारत संघ, *(1978) 1* एस. सी. सी. *248*

60 विलियम्स बनाम। भय, *17 9* यू. एस. *270 (1900)*-- निस्संदेह गति का अधिकार, झुकाव के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक विशेषता है। *61* आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद *19 (1) (*सी*)* टी. सरिता बनाम टी. वेंकट सुब्बैया, ए. आई. आर. *1983* ए. पी. *356* में वैवाहिक संबंध को अपने दायरे में लेगा। हालाँकि, इस मामले को बाद में इस अदालत ने सरोज रानी बनाम मामले में खारिज कर दिया था। सुदर्शन कुमार चड्ढा, ए. आई. आर. *1984* एस. सी. *1562* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत का संघ

[चेलामेश्वर, जे।*]*

संगठन की स्वतंत्रता, यात्रा और निवास की स्वतंत्रता के संबंध में ये विशुद्ध रूप से निजी हैं और गोपनीयता के अधिकार के दायरे में आते हैं। यह सबसे अंतरंग निर्णयों में से एक है।

सभी उदार लोकतंत्रों का मानना है कि राज्य को मानव जीवन के कुछ पहलुओं में घुसपैठ करने का अयोग्य अधिकार नहीं होना चाहिए और अधिकार को संवैधानिक रूप से निर्धारित मापदंडों द्वारा सीमित किया जाना चाहिए।

रक्षा की जानी है। यह उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर स्वतंत्रता का हिस्सा है। अनुच्छेद *21* में।

41. द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।

इस संबंध में मेरे विद्वान भाइयों।

42. यह बिना कहे चला जाता है कि कोई भी कानूनी अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता है। हर अधिकार की सीमाएँ होती हैं। मामले के इस पहलू को स्वीकार किया जाता है

बार। इसलिए निजता के मौलिक अधिकार की भी सीमाएँ हैं। सीमाओं की पहचान मामले-दर-मामले के आधार पर की जानी चाहिए दावा किए गए गोपनीयता हित की प्रकृति। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परीक्षण करने के लिए समीक्षा के विभिन्न मानक हैं। जबकि तर्कसंगतता की अवधारणा भाग *III* पर हावी है, यह लेखों में अलग-अलग तरीके से काम करती है।

निजता के मौलिक अधिकार को समाहित करने के लिए संविधान की स्वतंत्रता की गारंटी की व्याख्या करते हुए, मेरे लिए यह रूपरेखा तैयार करना आवश्यक है कि निजता के इस तरह के अधिकार को कैसे सीमित किया जा सकता है। मैं ऐसा केवल बहस की दिशा को इंगित करने के लिए करता हूं क्योंकि यहाँ सीमा की प्रकृति का कोई मुद्दा नहीं है। *43.* शुरुआत में, निजता के अधिकार को सीमित करने के लिए जिन विकल्पों का प्रचार किया गया है, उनमें अनुच्छेद *14* प्रकार की तर्कसंगतता जांच शामिल है; सीमा

अनुच्छेद *19* के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार; एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित

अनुच्छेद *21* के अनुसार सीमा के लिए आधार *(*अर्थात मूल नियत प्रक्रिया*);* और अंत में, अनुच्छेद *21* के अनुसार एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित मानक और 'बाध्यकारी राज्य हित' का अनाकार मानक। इनमें से अंतिम *62* अनुच्छेद *14* के तहत एक चुनौती दी जा सकती है यदि कोई अनुचित वर्गीकरण है और/या यदि विवादित उपाय मनमाना है। वर्गीकरण अनुचित है यदि वर्गीकरण को उचित ठहराने वाला कोई बोधगम्य अंतर नहीं है और यदि वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है। मनमानी, जिसे पहली बार ई. पी. रोयप्पा बनाम के पैरा *85* में समझाया गया था। तमिलनाडु राज्य, ए. आई. आर. *1974* एस. सी. *555,* बहुत सरलता से किसी भी तर्क की कमी है।

चार विकल्प जांच का उच्चतम मानक है जिसे एक अदालत अपना सकती है। यह इस मेनू से है कि अधिकार को सीमित करने के लिए समीक्षा का एक मानक है गोपनीयता का चुनाव करने की आवश्यकता है।

44. शुरुआत में, यदि कोई गोपनीयता का दावा विशेष रूप से अनुच्छेद *19* के तहत स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध प्रावधानों में से केवल एक से आता है, तो समीक्षा का मानक अनुच्छेद *19* के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया जाएगा।

हालाँकि, गोपनीयता दावे की संभावना पूरी तरह से पता लगाने योग्य है कला के अलावा अन्य अधिकार। *21* धुंधला होता है। उस संभावना को कम किए बिना, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि कला। *21* गोपनीयता गारंटी का आधार है। अगर

स्वतंत्रता की भावना गोपनीयता के हर दावे में व्याप्त है, यह कल्पना करना असंभव नहीं तो मुश्किल है कि अनुच्छेद *21* के तहत एक के अलावा सीमा का कोई भी मानक लागू होता है। यही कारण है कि मैं उपलब्ध विकल्पों को उपरोक्त वर्णित चार में से बाद के दो तक सीमित रखूंगा।

45. अनुच्छेद *21* के तहत समीक्षा के न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक को विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग अब तक गोपनीयता के दावे से संबंधित मामलों में भी किया जाता रहा है। गोबिंद ने अनुच्छेद *21* की तर्कसंगतता जांच के अलावा बाध्यकारी राज्य हित मानक का सहारा लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका से जहाँ 'सम्मोहक राज्य' की शब्दावली

ब्याज 'उत्पन्न हुआ, जांच के एक सख्त मानक में दो चीजें शामिल हैं-ए

'बाध्यकारी राज्य हित और 'संकीर्ण सिलाई' की आवश्यकता *(*संकीर्ण सिलाई का अर्थ है कि कानून को प्राप्त करने के लिए संकीर्ण रूप से तैयार किया जाना चाहिए

उद्देश्य*)*। एक शब्द के रूप में, बाध्यकारी राज्य हित का कोई निश्चित महत्व नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में समोच्च। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि इस मानक को कुछ स्पष्टता के साथ अपनाया जाए कि यह कब और किस प्रकार की गोपनीयता का दावा करता है।

अनुच्छेद *21* के तहत न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित मानक लागू होंगे। राज्य के बाध्यकारी ब्याज मानक को कब लागू किया जाना है, यह इस पर निर्भर करना चाहिए - ठोस मामलों का संदर्भ। हालांकि, यह चर्चा आधार निर्धारित करती है

नियम जिनके भीतर गोपनीयता के अधिकार के लिए एक सीमा पाई जानी है।

एस. ए. बोबडे, जे.

संदर्भ की उत्पत्ति

1. यह संदर्भ हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहता है जो

63 एक स्तरीय स्तर की जांच का संकेत दिया गया था जिसे संवैधानिक कानून में सबसे प्रसिद्ध फुटनोट के रूप में जाना जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम में फुटनोट फोर है। कैरोलीन

उत्पाद, *304* यू. एस. *144 (1938)*। दांव पर लगे अधिकार की गंभीरता के आधार पर, अदालत जांच के एक अनुरूप कठोर मानक को अपनाती है। जिला पंजीयक और कलेक्टर, हैदराबाद बनाम केनरा बैंक एआईआर *2005* एससी *186;* महाराष्ट्र राज्य बनाम भारत शांति लाल शाह *(2008) 13* एससीसी *5.*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[एस. ए. बोबडे, जे.*]*

संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का हृदय

भारत से। यह आधार परियोजना के लिए एक संवैधानिक चुनौती के संदर्भ में उत्पन्न होता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत पहचान का एक डेटाबेस बनाना है और प्रत्येक भारतीय की बायोमेट्रिक जानकारी-दुनिया की सबसे बड़ी

अपनी तरह का प्रयास करें। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क पर कि आधार गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, भारत संघ ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से यह आपत्ति जताई कि भारतीय इसके *8* न्यायाधीशों के सर्वसम्मत निर्णय के मद्देनजर गोपनीयता के किसी भी संवैधानिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

एम. पी. शर्मा बनाम में न्यायालय सतीश चंद्र 'और बहुमत से एक निर्णय

खड़क सिंह बनाम में *4* न्यायाधीशों का। उत्तर प्रदेश राज्य *2.*

2. हम तीन लोगों की पीठ द्वारा तैयार किया गया और पांच लोगों की पीठ से हमारे पास आने वाला प्रश्न निम्नलिखित थाः

" 12. हमारा मानना है कि सामने आए मामले संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण दूरगामी सवाल उठाते हैं। जो दांव पर है वह मौलिक अधिकारों का विस्तार है जिसमें शामिल हैं।
अनुच्छेद *21* के तहत वह बहुमूल्य और अविभाज्य अधिकार। अगर

शाब्दिक रूप से पढ़ें और इस देश के कानून के रूप में स्वीकार किया,
भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और विशेष रूप से अनुच्छेद *21* के तहत स्वतंत्रता के अधिकार को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

शक्ति और जीवंतता। साथ ही, हमारी यह भी राय है कि संस्थागत अखंडता और न्यायिक अनुशासन के लिए यह आवश्यक है कि इस
न्यायालय की बड़ी पीठों द्वारा की गई घोषणाएँ नहीं हो सकतीं

इतनी बड़ी पीठों द्वारा की गई घोषणाओं का पालन नहीं करने के कारणों को उचित रूप से बताए बिना छोटी पीठों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया

बेंच। प्रस्तुत करने वाले सभी विद्वान न्यायाधीशों के प्रति उचित सम्मान के साथ

पश्चात्वर्ती निर्णय जहाँ निजता के अधिकार का दावा किया जाता है या
मनुष्यों की स्वतंत्रता के लिए उनके प्रभुओं की चिंता का उल्लेख करते हुए, हमारी विनम्र राय है कि निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है

घोषित कानून में स्पष्ट अनसुलझे विरोधाभास की मात्रा

इस न्यायालय द्वारा।

13. इसलिए, हमारी राय में मामलों के इस समूह में उठाए गए विवाद को एक बार और हमेशा के लिए शांत करने के लिए, यह है

बेहतर होगा कि एम. पी. शर्मा और खड़क सिंह के अनुपात निर्णय की जांच की जाए और इस न्यायालय के बाद के निर्णयों की न्यायशास्त्रीय शुद्धता जहां या तो निजता के अधिकार पर जोर दिया गया है।

1 सांसद शर्मा बनाम सतीश चंद्र, *1954* एससीआर *1077* *2 2* खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

या निर्दिष्ट किया जाता है जिसकी जांच की जाती है और पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है

उचित शक्ति *3* '।

3. हमें श्री सोली सोराबजी से प्रस्तुतियों का लाभ मिला है,

श्री गोपाल सुब्रमण्यम, श्री श्याम दीवान, श्री अरविंद दातार, श्री

याचिकाकर्ताओं के लिए आनंद ग्रोवर, श्री साजन पूवय्या, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, श्री कपिल सिब्बल, श्री पी. वी. सुरेंद्रनाथ और सुश्री ऐश्वर्या भाटी,

और श्री के. के. वेणुगोपाल, भारत संघ के विद्वान अटॉर्नी जनरल, श्री तुषार मेहता ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के लिए सीखा

संघ, महाराष्ट्र राज्य के लिए श्री आर्यमा सुंदरम, गुजरात राज्य के लिए श्री राकेश द्विवेदी, हरियाणा राज्य के लिए श्री अर्घ्य सेनगुप्ता, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए श्री जुगल किशोर और उत्तरदाताओं का समर्थन करने वाले मध्यस्थ के लिए श्री गोपाल शंकरनारायणन। हम.

किसी मामले में उनकी सक्षम सहायता के लिए हम उनकी सराहना करना चाहेंगे।

हमारे सामने इस तरह के महान महत्व का मामला।

एम. पी. शर्मा और खरक सिंह का प्रभाव

4. सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद *21* में एक मौलिक प्रावधान शामिल है।

एम. पी. शर्मा न्यायालय में *8* न्यायाधीशों के समक्ष निजता का अधिकार विचार के लिए नहीं आता था। बल्कि सवाल यह था कि क्या किसी कंपनी और उसके खिलाफ अनुचित तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया था।

निदेशक गवाही के खिलाफ संवैधानिक प्रतिबंध का उल्लंघन करेंगे

संविधान के अनुच्छेद *20 (3)* में निहित मजबूरी। इस अदालत ने माना कि इस तरह की तलाशी अनुच्छेद *20 (3)* का उल्लंघन नहीं करती है। इसका तर्क इस आधार पर आगे बढ़ा कि निजता के मौलिक अधिकार का अभाव संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे संशोधन के अनुरूप है।

हमारे अपने संविधान में संविधान ने सुझाव दिया कि विधानसभा ने तलाशी और जब्ती के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों को विषय नहीं बनाने का फैसला किया

संवैधानिक सीमाएँ। नतीजतन, इस न्यायालय के पास कोई बचाव नहीं था जिस आधार पर अनुच्छेद *20 (3)* में ऐसा अधिकार निहित किया जाए, जो किसी भी स्थिति में पूरी तरह से अलग अधिकार था।

5. एम. पी. शर्मा न केवल इसलिए असंबद्ध हैं क्योंकि वे अपनी स्थिति पर पहुँच गए हैं।

इस बात की जांच के बिना कि क्या हमारे संविधान में एक स्वतंत्र आधार पर गोपनीयता का अधिकार मौजूद हो सकता है या नहीं, लेकिन क्योंकि इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के चौथे संशोधन को गलत तरीके से लिया- जो अपने आप में गैरकानूनी निगरानी के खिलाफ एक सीमित संरक्षण से अधिक नहीं है।

उस अधिकार क्षेत्र में गोपनीयता की व्यापक संवैधानिक गारंटी।

3 3 न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी *(*सेवानिवृत्त*)* बनाम। भारत संघ, डब्ल्यू. पी. *2012* का *(*सिविल*)* सं. *494,* दिनांक *11* अगस्त *2015* का आदेश जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[एस. ए. बोबडे, जे.*]*

6. न ही *4* करता है: *2* खरक सिंह बनाम में बहुमत। की स्थिति

उत्तर प्रदेश *(*ऊपर*)* इस प्रस्ताव के लिए एक आधार प्रदान करता है कि निजता का कोई संवैधानिक अधिकार मौजूद नहीं है। बहुमत के लिए न्यायमूर्ति अय्यंगार की राय में पाया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों का विनियमन *236 (*बी*),* जो अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस को रात में अधिवास दौरा करने में सक्षम बनाता है, "स्पष्ट रूप से अनुच्छेद *21* का उल्लंघन" था। इस निष्कर्ष की ओर तर्क करते हुए, न्यायालय ने निहित रूप से निजता के संवैधानिक अधिकार को स्वीकार किया। विशेष रूप से, इसकी शुरुआत इस निष्कर्ष से हुई कि हालांकि भारत के पास चौथे संशोधन की कोई समान गारंटी नहीं है, "भारत में एक अनधिकृत घुसपैठ"।

एक व्यक्ति का घर और उसके कारण होने वाली अशांति, एक आदमी के एक सामान्य कानून के अधिकार का उल्लंघन है-व्यवस्थित स्वतंत्रता का एक परम आवश्यक, यदि सभ्यता की अवधारणा का नहीं है। यह पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा कि सेमायने के मामले में बयान कि "हर किसी का घर उसके लिए उसके महल और किले के रूप में है और साथ ही चोट और हिंसा के खिलाफ उसकी रक्षा के लिए और उसके आराम के लिए" एक "आज्ञाकारी सिद्धांत" को स्पष्ट करता है जो केवल संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा से परे है और "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की अवधारणा की व्याख्या करता है। अब तक,

खरक सिंह का बहुमत महान्यायवादी का मामला बनाता है। लेकिन, अपने अंतिम निष्कर्ष में, विनियमन *236 (*बी*)* को निरस्त करना उल्लंघनकारी है अनुच्छेद *21* को इस बात की अनुमति दिए बिना नहीं बनाया जा सकता था कि निजता का अधिकार उस गारंटी के दायरे में आता है।

7. एम. पी. शर्मा न्यायालय के पास दो व्याख्यात्मक उपकरणों का लाभ नहीं था जो बाद में संवैधानिक मामलों के निर्णय के लिए इस न्यायालय के दृष्टिकोण में अपरिहार्य उपकरण बन गए हैं। इनमें से पहला उपकरण आर. सी. कूपर बनाम से लिया गया है। भारत संघ और उसके

संतान-मेनका गांधी बनाम। भारत संघ-जिसकी आवश्यकता है हम भाग *III* की अधिकारों की गारंटी को एक साथ पढ़ें। ए. के. गोपालन बनाम के विपरीत। मद्रास राज्य, जो एम. पी. शर्मा के समय में इस क्षेत्र में था, अधिकारों की मांग है कि इसे सिलोस के बजाय अतिव्यापी के रूप में पढ़ा जाए, ताकि भाग *III* को अब सामंजस्यपूर्ण और पारस्परिक रूप से मजबूत करने वाले नक्षत्र के रूप में माना जा सके।

गारंटी। भाग *III* विशेष रूप से अधिकारों को चित्रित करने का प्रयास नहीं करता है। निजता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा,

इस चरित्र को बनाए रखें। इस तरह का दृष्टिकोण पूरी तरह से असमर्थनीय होता।

4. आईडी. , पी पर। *350*

3 आईडी। , पी पर। *349*

** (1604) 5* कोक *91*

' (1970) 1 एस. सी. सी. *248*

3 (1978) 1 एससीसी *248*

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. के. गोपालन युग।

8. एम. पी. शर्मा ने तत्काल गारंटी में निहित अधिकारों की न्यायिक गणना के अभ्यास की भी भविष्यवाणी की है

संवैधानिक पाठ। याचिकाकर्ताओं के वकील के रूप में सही ढंग से प्रस्तुत किया गया, ऐसे कई अधिकार हैं जो इस अदालत ने अनुच्छेद *21* से इस बात के प्रमाण के लिए प्राप्त किए हैं कि गणना एक अच्छी तरह से अंतर्निहित व्याख्यात्मक प्रथा है। संवैधानिक कानून में। 'जीवन' के अधिकार के लिए अनुच्छेद *21* की गारंटी विदेश जाने के अधिकार जैसे विभिन्न अधिकारों का घर है *(*मेनका गांधी बनाम। भारत संघ*)*, आजीविका का अधिकार *(*ओल्गा टेलिस बनाम। बॉम्बे नगर निगम*)* और चिकित्सा देखभाल का अधिकार *(*परमानंद कटारा बनाम। भारत संघ *")*।

9. इसलिए, एम. पी. शर्मा और खरक सिंह में कुछ भी इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है कि हमारे देश में निजता का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

संविधान। ये दोनों निर्णय और इस पर उनकी अनिर्णायकता जे. चेलमेश्वर, जे. नरीमन और जे. चंद्रचूड़ की राय में आज न्यायालय के समक्ष प्रश्न पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, मैं इस संबंध में उनके

निष्कर्ष से सहमत हूं। इस हद तक कि उनके संदर्भ से बाहर की गई छिटपुट टिप्पणियाँ अन्यथा सुझाव दे सकती हैं, हमारे संदर्भ में बदलाव

आर. सी. कूपर और मेनका गांधी द्वारा लाए गए भाग *III* में विभिन्न मौलिक अधिकारों की प्रकृति और स्थान की समझ एम. पी. शर्मा और खरक सिंह की नींव को हटा दिया।

10. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि कम से कम *30* निर्णय -

मैथ्यूज से शुरू करते हुए, जे. ने गोबिंद बनाम में गोपनीयता की कानूनी अवधारणा के अस्तित्व और मूल्य की पूर्ण स्वीकृति दी। *M.P.*[1]*2* की स्थिति-मामलों की एक अखंड रेखा बनाती है जो एक के अस्तित्व की पुष्टि करती है निजता का संवैधानिक अधिकार। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टिकोण को सही माना जाना चाहिए।

गोपनीयता अधिकार का रूप

11. संघ की ओर से विद्वान महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि निजता का अधिकार एक सामान्य कानूनी अधिकार हो सकता है, लेकिन संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। इस निवेदन को स्वीकार करना मुश्किल है। उचित रूप से सराहना करने के लिए

तर्क, प्रकृति से संबंधित पहले सिद्धांतों की व्याख्या और

10 (1985) 3 एस. सी. सी. *545 1 (1989) 4* एस. सी. सी. *286 1 2 (1975) 2* एस. सी. सी. *148* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

यूनियन ऑफ इंडिया *[*एस. ए. बोबडे, जे.*]*।

12. सैल्मंड के अनुसार, अधिकार 'अधिकार के नियमों', यानी नैतिक या कानूनी नियमों द्वारा संरक्षित हित हैं। जब ब्याज के लायक होते हैं

नैतिक आधार पर संरक्षण करते हुए, कानूनी प्रणाली के अस्तित्व या कानून के संचालन के बावजूद, उन्हें एक प्राकृतिक नाम दिया जाता है

सही है। तदनुसार, रोस्को पाउंड प्राकृतिक कानून को मनुष्यों में निहित नैतिक गुणों के सिद्धांत के रूप में संदर्भित करता है, और प्राकृतिक अधिकारों को मानव स्वभाव से कारण द्वारा प्रदर्शित कटौती के रूप में संदर्भित करता है। वह प्राकृतिक अधिकारों को परिभाषित करता है,

और उन्हें कानूनी अधिकारों *(*चाहे सामान्य कानून में हो या संविधान के तहत*)* से निम्नलिखित तरीके से अलग करता है:

"प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ केवल वे हित हैं जो हम समझते हैं कि सुरक्षित मांगें होनी चाहिए जो मनुष्य कर सकते हैं।

हम सोचते हैं कि संतुष्ट होना चाहिए। यह पूरी तरह से सच है कि न तो

न तो कानून और न ही राज्य उन्हें बनाते हैं। लेकिन उन्हें कानूनी अवधारणाओं के रूप में मानना सभी अच्छी सोच के लिए घातक है। कानूनी अधिकारों के लिए, जिन उपकरणों का उपयोग कानून इन हितों को सुरक्षित करने के लिए करता है, जिन्हें पहचानना समीचीन है, वे कानून का काम हैं और इसमें

राज्य के काम को समझें "। *15*

गोपनीयता, जिसके बारे में हम यहाँ चिंतित हैं, प्रमुख रूप से योग्य है।

एक अपरिहार्य प्राकृतिक अधिकार के रूप में, जो दो मूल्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जिसका संरक्षण सार्वभौमिक नैतिक समझौते का विषय है: मनुष्य की जन्मजात गरिमा और स्वायत्तता।

13. कानूनी प्रणालियाँ, जो भारत में और इंग्लैंड में, राजतंत्र के रूप में शुरू हुईं, ने सरकार की शक्ति को व्यक्ति में केंद्रित किया।

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निजता के प्राकृतिक अधिकार के तत्वों को *1604* में ही सामान्य कानून में शामिल किया जाना शुरू हो गया था। जहाँ एक प्राकृतिक कानून अधिकार को कानून में लागू नहीं किया जा सकता था, वहाँ सामान्य कानून अधिकार स्पष्ट रूप से एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मूल्यवान हितों पर आक्रमण किया जाता है। अपने साथी के प्रश्न को संबोधित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता, *1860* के अध्याय *17* में सेमायने के समान ही तर्क पर,

13 पी. जे. फिट्जगेराल्ड, न्यायशास्त्र *217* पर सैल्मंड *(*बारहवाँ संस्करण, *1966) 1 +* रॉस्को पाउंड, द स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ *88 (1921) 15* आईडी। , पी पर। *92* *16 (1604)* एस कोक *91* सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

संपत्ति के खिलाफ अतिचार को आपराधिक अपराध के रूप में माना जाता है।

14. लोकतंत्र के आगमन और सीमित संवैधानिकता के साथ

सरकार राज्य में आई, प्राकृतिक और सामान्य कानून अधिकारों में समान रूप से हस्तक्षेप करने की अभूतपूर्व क्षमता के साथ एक नया अभिनेता। राज्य अलग है।

दंडात्मक कानून*)* निहित थे। सबसे पहले, राज्य एक अमूर्त और फैला हुआ अस्तित्व है, जबकि सम्राट एक मूर्त, एकल अस्तित्व था। दूसरा, राज्य का आगमन राजा के अधीन प्रजा होने से लेकर नागरिक बनने तक शासित लोगों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ आया, और स्वयं राज्य की राजनीतिक शक्ति के अभिकर्ता बन जाते हैं। हमारे अपने जैसे संविधान ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा व्यक्ति-प्रमुख लोग

भारत का '-राज्य का निर्माण', उनके हितों की सेवा के लिए एक नई इकाई उनके प्रति जवाबदेह होना, और उनकी संप्रभुता का एक हिस्सा उन्हें हस्तांतरित करना। द.

इन दोनों परिस्थितियों का संचयी प्रभाव यह है कि व्यक्ति शासित होते हैं। संविधान द्वारा एक शासी इकाई का नया लाभ है जो आकर्षित करता है

इसकी शक्ति उनसे है और उनके प्रति जवाबदेह है, लेकिन वे नए खतरे का सामना करते हैं

एक फैला हुआ और रूपहीन अस्तित्व जिसके खिलाफ मौजूदा उपचार आम हैं

कानून अब प्रभावी नहीं हैं।

15. संविधान नए राजनीतिक प्रभुत्व के उदय को संबोधित करते हैं

कि वे एक साधन के लिए प्रदान करके बनाते हैं जिसके द्वारा इसके खिलाफ रक्षा करने के लिए
सभी सभ्य लोगों के लिए उपलब्ध और गारंटीकृत स्वतंत्रताओं पर आक्रमण करने की क्षमता

लोग। हमारी संवैधानिक योजना के तहत, इन साधनों को घोषित किया गया है -

मौलिक अधिकार-भाग *III* में रहते हैं, और इसके द्वारा प्रभावी बनाए जाते हैं

अनुच्छेद *32* और *226* के तहत इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति

क्रमशः। प्रकारों के प्रगतिशील विस्तार की यह कथा

आक्रमण से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अधिकार

प्राकृतिक अधिकारों से लेकर सामान्य कानून अधिकारों और अंत में मौलिक अधिकारों तक।

17 1 7 कई अन्य पूर्व-संवैधानिक अधिनियम जो सामान्य कानून को संहिताबद्ध करते हैं, वे भी निजता के
अधिकार को स्वीकार करते हैं, जैसा कि व्यक्तियों और सरकार दोनों के बीच होता है।

साथ ही व्यक्तियों के बीच भी। इनमें शामिल हैं:

1. एस. *126-9,* भारतीय साक्ष्य अधिनियम, *1872 (*कुछ वर्गों की रक्षा करना*)*

विशेषाधिकार प्राप्त के रूप में संचार*)*

2. धारा *4,* भारतीय सहजता अधिनियम, *1882 (*'सहजता' को अधिकार के रूप में परिभाषित करना*)*

भूमि के दिए गए टुकड़े का उपयोग करने और आनंद लेने का तरीका चुनें*)*
3. धारा *5 (2),* भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, *1885 (*अनुमेय आधारों को निर्दिष्ट करना*)*

सरकार को संदेशों के अवरोधन का आदेश देने के लिए*)*

4. धारा *5* और *6,* बैंकर पुस्तक *(*साक्ष्य*)* अधिनियम, *1891 (*अदालत के आदेश को अनिवार्य करना*)*

बैंक अभिलेखों के उत्पादन और निरीक्षण के लिए*)*

5. धारा *25* और *26,* भारतीय डाकघर अधिनियम, *1898 (*अनुमेय को निर्दिष्ट करते हुए*)*

डाक लेखों के अवरोधन के लिए आधार*)*

सी.

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत संघ *[*एस. ए. बोबडे, जे.*]*

अधिकार-अधिकारों के विकास के खाते के अनुरूप है जो संवैधानिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण सूत्र प्रस्तुत करते हैं। *16.* यह न्यायालय पहले से ही संविधानों की क्षमता को राज्य में लागू होने वाले मान्यता प्राप्त प्राकृतिक अधिकारों के रूप में घोषित करने के साधन के रूप में मान्यता दे चुका है, और इन घोषणाओं को लागू करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की क्षमता को मान्यता दे चुका है।

केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य ", मैथ्यू, जे. ने इस विचार को निम्नलिखित शब्दों में समझाने के लिए रोस्को पाउंड से उधार लिया हैः

"प्राकृतिक अधिकारों से निपटने के दौरान, रोस्को पाउंड पी पर कहता है। *500* खंड का। *I* उनके न्यायशास्त्र के बारे मेंः

"शायद किसी भी चीज़ ने शत्रुता पैदा करने और उसे बढ़ावा देने में इतना योगदान नहीं दिया

राज्य के खिलाफ और समाज के खिलाफ व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में अदालतें; इन व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों की घोषणा करने वाले सिद्धांत के अंतिम और पूर्ण निकाय के रूप में कानून की यह धारणा; सामान्य कानून सिद्धांतों की घोषणात्मक के रूप में संविधान का यह सिद्धांत, जो स्वाभाविक भी हैं-कानून के सिद्धांत, राज्य के खिलाफ और समाज के खिलाफ व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में। राज्य के प्राधिकरण द्वारा अधिनियमनों के लिए राज्य और उच्च वैधता का; संविधान का यह सिद्धांत उनके उद्देश्य के लिए राज्य के प्राकृतिक अधिकारों की गारंटी और रखरखाव के लिए है।

सरकार और उसकी सभी एजेंसियों के खिलाफ व्यक्ति। वास्तव में, इसने कानूनी पेशे के प्राप्त पारंपरिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आदर्शों को एक सुपर-संविधान के रूप में स्थापित किया।

किसी भी एजेंसी की पहुंच से परे लेकिन न्यायिक निर्णय। *(* जोर दिया गया*)*

III. तदनुसार, पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज *v.* संघ का हाल ही में यह पुष्टि की गई है कि भाग *III* का उद्देश्य नागरिकों को केंद्र में रखना और राज्य को उनके प्रति जवाबदेह बनाना है। राजस्थान के गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के लिए सोसायटी बनाम। संघ का

भारत *2 1,* यह अभिनिर्धारित किया गया था कि *"[*मौलिक अधिकारों के दो पहलू हैं, पहला, वे पूर्ण विधायी शक्तियों पर बंधन के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरा, वे हमारे लोगों के पूर्ण विकास के लिए स्थितियां प्रदान करते हैं।

जिसमें उनकी व्यक्तिगत गरिमा भी शामिल है।

18 मार्टिन लॉफलिन, द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक लॉ *344-46 (2010)*

19 (1973) 4 एस. सी. सी. *225,1461* पी. *783* *20 (2005) 2* एस. सी. सी. *436*

21 (2012) 6 27 [2017] 10 एस. सी. आर. पर एस. सी. सी. *1*।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17. एक बार जब हम प्रकृति की इस समझ पर पहुँच गए हैं

मौलिक अधिकार, हम संघ के तर्क की एक मूल धारणा को समाप्त कर सकते हैं: कि एक अधिकार या तो एक सामान्य कानून अधिकार या एक मौलिक अधिकार होना चाहिए

सही है। अधिकार के दो वर्गों के बीच एकमात्र भौतिक अंतर - जिसकी प्रकृति और विषय वस्तु समान हो सकती है-अधिकार का सम्मान करने के कर्तव्य की घटना और उस मंच में निहित है जिसमें ऐसा करने में विफलता का निवारण किया जा सकता है। सामान्य कानून के अधिकार उनके संचालन में क्षैतिज होते हैं जब उनका उल्लंघन किसी के साथी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उनका नाम लिया जा सकता है और कानून की एक सामान्य अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। संवैधानिक और

दूसरी ओर, मौलिक अधिकार, एक अमूर्त इकाई के रूप में 'राज्य' द्वारा एक मूल्यवान हित के उल्लंघन के खिलाफ उपचार प्रदान करते हैं, चाहे वह कानून के माध्यम से हो या अन्यथा, साथ ही पहचान योग्य सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा, जो राज्य की शक्तियों से लैस व्यक्ति हैं। यह पूरी तरह से संभव है एक साथ एक सामान्य कानून अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए

और एक मौलिक अधिकार। जहाँ एक मान्यता प्राप्त के साथ हस्तक्षेप ब्याज राज्य या अनुच्छेद *12* द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समान इकाई द्वारा है।

मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा झूठ होगा। जहाँ एक समान हस्तक्षेप का लेखक एक गैर-राज्य अभिनेता है, एक सामान्य कार्रवाई कानून एक साधारण अदालत में होगा।

18. निजता की प्रकृति दोनों एक सामान्य कानून अधिकार होने की है

एक मौलिक अधिकार के रूप में। इसकी सामग्री, दोनों रूपों में, समान है। जो कुछ भी अलग है वह बोझ की घटना और प्रवर्तन के लिए मंच है

19. निजता की प्रकृति और विषय-वस्तु को निर्धारित करना व्यापक रूप से आवश्यक हो सकता है ताकि इसकी संवैधानिक सीमा पर विचार किया जा सके। संरक्षण। जैसा कि अनुच्छेद *21* के तहत 'जीवन' के मामले में, एक सटीक परिभाषा

'गोपनीयता' शब्द संभव नहीं हो सकता है। इस कठिनाई को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। परिभाषित और सीमा निर्धारित करने की चुनौती अनुच्छेद *21* में गारंटीकृत अधिकारों के लिए अद्वितीय नहीं है। यह विशेषता कई कोर के लिए अभिन्न है।

अधिकार, जैसे समानता का अधिकार। जाहिर है, हमारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्रों के केंद्र में किसी भी अधिकार का व्यापक चरित्र किसी भी अधिकार को मान्यता देने और इसे मौलिक के रूप में मानने के रास्ते में कहीं भी नहीं आया है, जहां ऐसा करने के लिए मजबूत संवैधानिक आधार हैं।

20. निजता के क्षेत्रों का अस्तित्व सभी द्वारा स्वाभाविक रूप से महसूस किया जाता है

सभ्य लोग, बिना किसी अपवाद के। इस प्रस्ताव का सबसे अच्छा प्रमाण उन गतिविधियों के समूह में निहित है जिनके माध्यम से हम सभी न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* पर दावा व्यक्त करते हैं।

भारत का संघ

[एस. ए. बोबडे, जे.]

हमारे दैनिक जीवन में गोपनीयता। हम अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, अपने शरीर को पहनते हैं और अपने कंप्यूटर और फोन पर पासवर्ड सेट करते हैं ताकि यह संकेत दिया जा सके कि हम अपने लिए इरादा रखते हैं। स्थान, व्यक्ति और आभासी जीवन निजी होने चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्जिया के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रारंभिक मामला प्राकृतिक का वर्णन करता है

और निम्नलिखित शब्दों में गोपनीयता की आवश्यकता की सहज मान्यताः

"निजता के अधिकार की नींव प्रकृति की सहज प्रवृत्ति में है।

यह सहज ज्ञान से पहचाना जाता है, चेतना गवाह है कि

एक सामान्य स्थिति में है तुरंत पहचानता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के लिए निजी मामले हैं और मामले हैं जहाँ तक व्यक्ति का संबंध है, सार्वजनिक। प्रत्येक व्यक्ति के रूप में

स्वाभाविक रूप से जनता द्वारा अपने अधिकारों पर किसी भी अतिक्रमण का विरोध करता है जो एक निजी प्रकृति के हैं क्योंकि वह उन्हें वापस लेता है।

उनके अधिकारों के बारे में जो सार्वजनिक प्रकृति के हैं।

वर्तमान समय में वही सहज आक्रोश स्पष्ट है जो

ठीक है। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत जानकारी का गैर-सहमति से खुलासा. जैसे कि किसी के स्वास्थ्य, वित्त, निवास स्थान, स्थान की स्थिति, दैनिक दिनचर्या आदि किसी की व्यक्तिगत और वित्तीय सुरक्षा की भावना को समाप्त कर देते हैं। जिला पंजीयक और कलेक्टर बनाम। केनरा बैंक *2 3*, इस न्यायालय ने पाया कि गोपनीयता की कमी की भयावह वास्तविकता क्या हो सकती हैः

..... यदि अधिकार को व्यक्ति के साथ संलग्न नहीं माना जाना है, तो "हम अपने खाते की शेष राशि, आय के आंकड़ों और

जनता की नज़रों से व्यक्तिगत टेलीफोन और पता किताबें, लेकिन

इसके बजाय हमारे पर लिखी गई जानकारी के साथ जा सकते हैं

'माथे या हमारे बंपर स्टिकर '। .....

21. 'निजता 'वह शर्त या स्थिति है जो किसी के कार्यों में घुसपैठ या हस्तक्षेप के लिए जनता के ध्यान से मुक्त हो या

निर्णय *"24.* इस स्थिति में रहने के अधिकार को 'अकेले रहने का अधिकार' के रूप में वर्णित किया गया है। निजता के लिए जो आवश्यक प्रतीत होता है वह है खुद को अलग करने और दूसरों को किसी भी तरह से इसमें घुसपैठ करने से रोकने की शक्ति।

ये घुसपैठ शारीरिक या दृश्य हो सकती हैं, और कई रूपों में से कोई भी ले सकती हैं, जिसमें किसी के कंधे पर झाँकना और सीधे सुनना शामिल है। *22* पेवेसिच वी। न्यू इंग्लैंड जीवन बीमा कंपनी। आदि। *, 50* एस. ई. *68. (* जॉर्जिया का सर्वोच्च न्यायालय*)*

23 (2005) 1 - एससीसी *496 48* पर *24* ब्लैक लॉ डिक्शनरी *(*ब्रायन गार्नर, संस्करण*) 3783 (2004)*

25 सैमुअल डी. वारेन और लुई डी. ब्रांडेस, गोपनीयता का अधिकार, *4* हैरी। एल. रेव. *193 (1890)*

या उपकरणों, उपकरणों या तकनीकी सहायता के माध्यम से।

22. प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों को एकांत में करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, वह आराम की स्थिति में रहने और बिना परेशान किए, या अन्यथा देखे गए या जासूसी किए बिना काम करने की हकदार है। का अधिकार

ऐसी स्थिति केवल शयनकक्ष या शौचालय जैसे अंतरंग स्थानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के साथ कहीं भी जाता है, यहां तक कि सार्वजनिक स्थान पर भी। गोपनीयता का एकांत के साथ गहरा संबंध है *(*हमारे

भौतिक व्यक्ति और चीजें*)* के साथ-साथ आराम, एकांत, गोपनीयता और गोपनीयता *(*हमारे संचार में*)*, और अंतरंगता जैसे विचार। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एकांत हमेशा गोपनीयता के लिए आवश्यक है। यह किसी व्यक्ति की निजी तौर पर काम करने की स्वतंत्रता के इस अर्थ में है कि

व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे दूसरों से अलग रहने और निजी रहने का अधिकार है। वास्तव में, एक स्थान में व्यक्तियों का एक समूह जिसके लिए

प्रवेश के अधिकार आरक्षित हैं-जैसे कि किसी होटल या सिनेमा हॉल में-उन्हें निजी माना जाना चाहिए। न ही जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से घूमता है तो निजता का अधिकार खो जाता है। कानून में किसी व्यक्ति की खोज के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, भले ही संदेह हो। निजता का अर्थ आंतरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र की प्रभावी गारंटी भी होना चाहिए जिसमें सोचना है। द.

पढ़ने या लिखने के दौरान अपने कंधे पर दूसरे सहकर्मी होने का परेशान करने वाला प्रभाव बताता है कि व्यक्ति अपने साथी को बनाए रखने का विकल्प क्यों चुनेंगे।

सार्वजनिक रूप से भी गोपनीयता। अपने काम को प्रकाशित किए बिना ऐसी स्थिति में रखने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है जिसे निजी बताया जा सकता है। संविधान द्वारा गारंटीकृत विभिन्न अभिव्यंजक स्वतंत्रताओं की शक्ति और जीवंतता एक संबंधित गारंटी के अस्तित्व पर निर्भर करती है

संज्ञानात्मक स्वतंत्रता।

23. भारत के प्राचीन और धार्मिक ग्रंथों में भी, एक अच्छी तरह से विकसित

निजता की भावना स्पष्ट है। रामायण में एक महिला को एक पुरुष अजनबी द्वारा नहीं देखा जाना एक अच्छी तरह से स्थापित नियम प्रतीत होता है। गृह्य सूत्र उस तरीके को निर्धारित करते हैं जिसमें किसी को अपने घर का निर्माण करना चाहिए ताकि उसके कैदियों की गोपनीयता की रक्षा की जा सके और धार्मिक संस्कारों के दौरान, या वेदों का अध्ययन करते समय या भोजन करते समय इसकी पवित्रता को बनाए रखा जा सके। अर्थशास्त्र मालिक की सहमति के बिना दूसरे के घर में प्रवेश करने पर रोक लगाता है। दक्षिण भारत में अभी भी एक संप्रदाय है जिसे रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसके सदस्य अभी भी हैं।

किसी और की उपस्थिति में खाने-पीने की प्रथा का पालन करना। इसी तरह इस्लाम में दूसरों के घरों में झाँकना सख्ती से किया जाता है।

निषिद्ध *2 8*। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का चौथा संशोधन गारंटी देता है

26 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, *1985*। *42*

27 कौटिल्य का अर्थशास्त्र *189-90 (*आर. शमशास्त्री, ट्रांस। *, 1915)* *28* ए. ए. मौदूदी, इस्लाम में मानव अधिकार *27 (1982)*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[एस. ए. बोबडे, जे.*]*

किसी के कागजात और व्यक्तिगत प्रभावों में गोपनीयता, हदीस बनाता है दूसरों के बीच पत्राचार पढ़ना निंदनीय है। ईसाई धर्म में, हम बाइबल *29* के पाठ में दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप किए बिना जीने की आकांक्षा पाते हैं। अपने पापों को स्वीकार करना एक निजी कार्य है। धार्मिक

और गोपनीयता की पुष्टि करने वाले सामाजिक रीति-रिवाज भी हमारे समाज में स्वीकार करते हैं।

कानून, उदाहरण के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की अदालत में एक क्षमाशील महिला की उपस्थिति की छूट *3 1*।

24. निजता, अर्थात, अन्य व्यक्तियों को अलग करने के बाद जो शर्त आती है, वह स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए एक बुनियादी पूर्व-आवश्यकता है।

उस कार्य को करने की स्वतंत्रता। चयनात्मक एकांत की स्थिति पैदा करने में असमर्थता वस्तुतः किसी व्यक्ति को उस गतिविधि को करने के लिए आवश्यक उस विशेष स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का प्रयोग करने की स्वतंत्रता से वंचित करती है।

25. किसी गतिविधि को करने की स्वतंत्रता से अलग किसी गतिविधि को करने की बुनियादी स्वतंत्रता को काटना या अलग करना संभव नहीं है। द.

निजता जैसी बुनियादी शर्त का दावा करने का अधिकार जिसमें गारंटी हो

मौलिक अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है, इसे स्वयं एक मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। इस प्रकार, निजता, संविधान द्वारा गारंटीकृत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए आवश्यक बुनियादी, अपरिवर्तनीय शर्त का गठन करती है। यह संविधान के भाग *III* में असंबद्ध प्रमुख आधार है।

गरिमा और स्वतंत्रता के साथ गोपनीयता का संबंध

26. निस्संदेह, गोपनीयता मौजूद है, जैसा कि पूर्वगामी दर्शाता है, सभी सभ्य समाजों में एक सत्यापन योग्य तथ्य के रूप में। लेकिन गोपनीयता केवल एक वर्णनात्मक दावा होने पर नहीं रुकती है। यह एक मानक का भी प्रतीक है। द. गोपनीयता के लिए मानक मामला सहज रूप से सरल है। प्रकृति ने मनुष्य को अन्य चीजों के अलावा गरिमा और स्वतंत्रता के साथ पहना है ताकि वह दूसरे की स्वतंत्रता के अनुरूप जो चाहे करने और विकास करने के लिए स्वतंत्र हो सके।

सुख में रहने के लिए आवश्यक पूर्ण मात्रा में उनकी क्षमताएँ और

शांति। संविधान ने अपने भाग *III* के माध्यम से इनमें से कई स्वतंत्रताओं और उनके संबंधित अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में सूचीबद्ध किया है। इनमें से अधिकांश स्वतंत्रताओं के प्रयोग के लिए गोपनीयता एक आवश्यक शर्त है। प्रत्यक्षतः, प्रत्येक अधिकार जो गरिमा के संवैधानिक अधिकारों का अभिन्न अंग है,

जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, जैसा कि वास्तव में गोपनीयता का अधिकार है, अपने आप में एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए।

27. हालाँकि उन्होंने 'गोपनीयता' के नाम का उपयोग नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट है कि

29 थिस्सलुनीकियों *4: 11* बाइबल

30 जेम्स *5: 16* बाइबल

31 सिविल प्रक्रिया संहिता, *1989,* धारा *132 [2017] 10* एस. सी. आर.

स्वतंत्रता का वोयर जो लोकतंत्रों से उनके लिए आरक्षित रखने की उम्मीद की जाती हैएन. एस. ऑन लिबर्टी *(1859)* के परिचय में उन्होंने कहा,

स्वतंत्रता को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गयाः

"तो, यह मानव स्वतंत्रता का उपयुक्त क्षेत्र है। यह. इसमें, सबसे पहले, चेतना का आंतरिक क्षेत्र शामिल है;

विवेक की स्वतंत्रता की मांग, सबसे अधिक

व्यापक भावना; विचार और भावना की स्वतंत्रता;

सभी विषयों पर राय और भावना की पूर्ण स्वतंत्रता,

व्यावहारिक या अटकलबाजी, वैज्ञानिक, नैतिक या धर्मशास्त्रीय। राय व्यक्त करने और प्रकाशित करने की स्वतंत्रता एक अलग सिद्धांत के तहत आती प्रतीत हो सकती है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के आचरण के उस हिस्से से संबंधित है जो अन्य लोगों से संबंधित है; लेकिन,

विचार की स्वतंत्रता का लगभग उतना ही महत्व है जितना कि स्वयं विचार की स्वतंत्रता, और बहुत हद तक उन्हीं कारणों पर आराम करना, व्यावहारिक रूप से इससे अविभाज्य है। दूसरा, इस सिद्धांत के लिए स्वाद की स्वतंत्रता की आवश्यकता है और

चरित्र; जैसा हम चाहते हैं वैसा करने का, इस तरह के परिणामों के अधीन निम्नलिखित हो सकता हैः हमारे साथी प्राणियों से बाधा के बिना, तो

जब तक कि हम जो करते हैं वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता है, भले ही उन्हें हमारे आचरण को मूर्खतापूर्ण, विकृत या गलत सोचना चाहिए। तीसरा, इससे

प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, समान सीमाओं के भीतर, व्यक्तियों के बीच संयोजन की स्वतंत्रता का अनुसरण करती है; किसी भी उद्देश्य के लिए एकजुट होने की स्वतंत्रता।

दूसरों को नुकसान न पहुँचानाः व्यक्तियों का संयोजन माना जा रहा है

पूर्ण आयु का होना, और मजबूर या धोखा नहीं देना।

ऐसा कोई भी समाज नहीं जिसमें ये स्वतंत्रताएँ समग्र रूप से न हों।

सम्मानित, स्वतंत्र है, चाहे उसका सरकार का रूप कुछ भी हो; और कोई भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है जिसमें वे मौजूद नहीं हैं

पूर्ण और अयोग्य। एकमात्र स्वतंत्रता जो योग्य है

नाम, हमारे अपने तरीके से हमारे अपने अच्छे का पीछा करने का है,

जब तक हम दूसरों को उनसे वंचित करने का प्रयास नहीं करते हैं, या इसे प्राप्त करने के उनके प्रयासों में बाधा नहीं डालते हैं। प्रत्येक उचित संरक्षक है। अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वह शारीरिक हो, या मानसिक और आध्यात्मिक। एक-दूसरे के रूप में जीने के लिए पीड़ित होने से मानव जाति अधिक लाभकर्ता होती है।

प्रत्येक को जीने के लिए मजबूर करने की तुलना में खुद को अच्छा लगता है

बाकी के लिए अच्छा लगता है।

यद्यपि यह सिद्धांत कुछ भी नया नहीं है, और कुछ व्यक्तियों के लिए,

सत्यवाद की हवा हो सकती है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.*

भारत का संघ

[एस. ए. बोबडे, जे.*]*

मौजूदा राय की सामान्य प्रवृत्ति के अधिक सीधे विरोध में और अभ्यास करें। समाज ने पूरी तरह से उतना ही प्रयास किया है

लोगों को इसके अनुरूप होने के लिए मजबूर करने का प्रयास *(*इसकी रोशनी के अनुसार*)*

सामाजिक उत्कृष्टता के रूप में व्यक्तिगत धारणाएँ। *32 (* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

28. निजता के अधिकार के लिए पहला और प्राकृतिक स्थान अनुच्छेद में है।

21 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' और स्वयं जीवन के केंद्र में। स्वतंत्रता और गोपनीयता इस तरह से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं कि गोपनीयता अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक बुनियादी शर्त होती है। वहाँ हैं।

असंख्य गतिविधियाँ जो वस्तुतः बिल्कुल भी और कई मामलों में गरिमा के साथ किए जाने में असमर्थ हैं जब तक कि कोई व्यक्ति अकेला न रह जाए या

अन्यथा उसे अपनी गोपनीयता सुनिश्चित करने का अधिकार है। जन्म और मृत्यु

क्या ऐसी घटनाएँ हैं जब सभी के बीच गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता की आवश्यकता होती है

सभ्य लोग। इस प्रकार गोपनीयता उन अधिकारों में से एक है जो संविधान में निर्दिष्ट और गिने गए *33* अधिकारों का आनंद लेने के लिए आवश्यक है। पाठ।

29. इस न्यायालय ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि 'जीवन' का अर्थ होना चाहिए

"केवल पशु अस्तित्व से कुछ अधिक *"34* कई पर अवसर, सुनील बत्रा *(1) v* में संविधान पीठ से शुरू होता है। दिल्ली प्रशासन "। सुनील बत्रा ने अनुच्छेद *21* के इस दृष्टिकोण को जोड़ा।

गरिमा के संवैधानिक मूल्य के लिए। फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम सहित कई मामलों में। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इस न्यायालय ने स्वतंत्रता को गरिमा से निकटता से जुड़ा हुआ माना है। उनके साथ संबंध "जीवन" की सुरक्षा में "सोचने और महसूस करने की क्षमताओं" की सुरक्षा और उन क्षमताओं के लिए अस्थायी और स्थायी हानि का प्रभाव। फ्रांसिस कोरली मुलिन में, जे. भगवती ने कहा कि

निम्नलिखित *37:*

"अब स्पष्ट रूप से, अनुच्छेद *21* में निहित जीवन के अधिकार को केवल पशु अस्तित्व तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। इसका मतलब बहुत कुछ है।
केवल शारीरिक अस्तित्व से अधिक। खरक सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

32 जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑन लिबर्टी एंड अदर एसेज़ *15-16 (*स्टीफन कॉलिनी संस्करण, *1989) (1859)*

33 लॉरेंस एच. ट्राइब और माइकल सी. डॉर्फ, अधिकारों की परिभाषा में सामान्यता के स्तर, *57* यू. ची। *1068* में एल. रेव. *1057 (1990)*

मुन्न वी. इलिनोइस, *(1877) 94* यू. एस. *113 (*प्रति फील्ड, जे.*)* जैसा कि पी. खरक सिंह में उद्धृत किया गया है। *347-8*

35 (1978) 4 एससीसी *494*

36 (1981) 1 एस. सी. सी. *608*

37 फ्रांसिस कोरली मुलिन, *7* पर

एफ. ए. टी. शीर्ष अदालत की रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

प्रदेश, जे. सुब्बा राव ने निम्नलिखित अंश को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया

मुन्न बनाम में फील्ड जे. के निर्णय से। इलिनोइस ने जोर दिया

अनुच्छेद *21* द्वारा कवर किए गए जीवन की गुणवत्ताः

"जैसा कि यहाँ "जीवन" शब्द का उपयोग किया गया है, कुछ अधिक का अर्थ है

केवल पशु अस्तित्व। इसके अभाव के खिलाफ अवरोध

यह उन सभी अंगों और क्षमताओं तक फैला हुआ है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है।

प्रावधान समान रूप से शरीर के अंगछेदन को प्रतिबंधित करता है या

हाथ या पैर का विच्छेदन या आँख से बाहर निकालना या
शरीर के किसी अन्य अंग का विनाश जिसके माध्यम से

आत्मा बाहरी दुनिया के साथ संवाद करती है। "

और इस परिच्छेद को फिर से सही रखने के रूप में स्वीकार किया गया

पहले सुनील बत्रा में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा कानून

मामला *(ऊपर)*। प्रत्येक अंग या क्षमता जिसके माध्यम से जीवन है
इस प्रकार अनुच्छेद *21* और एक फोर्टियोरी द्वारा संरक्षित है, यह

अनुच्छेद *21* द्वारा बाधित वंचितता पूर्ण या आंशिक हो सकती है,
न तो किसी अंग या अंग को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है और न ही किया जा सकता है।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। इसके अलावा यह हर तरह का अभाव है
अनुच्छेद *21* द्वारा प्रभावित, क्या ऐसा अभाव स्थायी हो या

अस्थायी और इसके अलावा, अभाव एक ऐसा कार्य नहीं है जो

एक बार और सभी के लिए पूराः यह एक निरंतर कार्य है और जब तक यह

यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।
इसलिए यह स्पष्ट है कि कोई भी कार्य जो नुकसान पहुंचाता है या घायल करता है या

किसी व्यक्ति के किसी भी अंग या संकाय के उपयोग में हस्तक्षेप करता है,

या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, इसके भीतर होगा

अनुच्छेद *21* का निषेध।

(जोर दिया गया*)*

इसलिए गोपनीयता अपने मानसिक और शारीरिक दोनों में आवश्यक है।

गारंटीकृत स्वतंत्रताओं के प्रवर्तक के रूप में पहलू।

30. यह देखना मुश्किल है कि कितनी गरिमा-किसकी संवैधानिक

महत्व को प्रस्तावना और इस न्यायालय दोनों द्वारा स्वीकार किया जाता है अनुच्छेद *21* की व्याख्या, अन्य अधिकारों के साथ-साथ व्यक्ति को गोपनीयता के बिना आश्वस्त किया जा सकता है। गरिमा और गोपनीयता दोनों अंतरंग हैं।

एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु के लिए और इन घटनाओं के बीच जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्थितियां हैं। अनिवार्य रूप से, तब, निजता का अधिकार अनुच्छेद *21* के तहत 'जीवन' और 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' दोनों का एक अभिन्न अंग है, और इसका उद्देश्य अधिकार धारक को न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* के लिए सक्षम बनाना है।

भारत का संघ

[एस. ए. बोबडे, जे.*]*

अपनी क्षमता को पूरी तरह से विकसित करें जो केवल प्रस्तावना के साथ-साथ पूरे देश में व्यक्त किए गए संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो।

आर

भाग *III*।

यात्रा के अधिकार के रूप में गोपनीयता

31. मैंने पहले ही दिखा दिया है कि निजता का अधिकार उतना ही अपरिहार्य है जितना कि किसी भी संवैधानिक रूप से अनुमेय कार्य को करने का अधिकार। सभी में गोपनीयता

उनसे बात की जाए या संवाद किया जाए। एक शांतिपूर्ण सभा के लिए उन तत्वों के बहिष्कार की आवश्यकता होती है जो शांतिपूर्ण नहीं हो सकते हैं या जिनके पास हो सकता है अलग-अलग कार्यक्रम। जुड़ने की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से अपनी पसंद और समान उद्देश्यों वाले लोगों के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। निवास से संबंधित मामलों में गोपनीयता की आवश्यकता

और निपटान विस्तार की आवश्यकता के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। अंत में, किसी व्यक्ति के पेशे का अभ्यास करने में सक्षम होने की कल्पना करना संभव नहीं है।

या गोपनीयता के अधिकार के बिना व्यापार, व्यवसाय या व्यवसाय करना

व्यावहारिक शर्तों और दूसरों को अपने काम से दूर रखने के अधिकार और शक्ति के बिना। *32.* प्रत्यक्षतः, निजता विवेक की स्वतंत्रता के प्रयोग और धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने के अधिकार के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद *25*। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों को बनाए रखने, अपने मामलों का प्रबंधन करने और ऐसे उद्देश्यों के लिए अर्जित संपत्ति का स्वामित्व और प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद *26* में गैर-हस्तक्षेप के अर्थ में गोपनीयता की भी आवश्यकता है।

राज्य। अनुच्छेद *28 (3)* स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले छात्र के अकेले रहने के अधिकार को मान्यता देता है। ऐसे छात्र को ऐसे किसी भी संस्थान में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने के लिए तब तक मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके अभिभावक ने उसकी सहमति नहीं दी हो।

33. निजता का अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का भी अभिन्न अंग है जिसके तहत एक समूह की एक अलग भाषा, लिपि या

संस्कृति को इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। यह हमेशा संपत्ति रखने के अधिकार का एक अभिन्न अंग रहा है और इसे नागरिक कानून के साथ-साथ आपराधिक कानून में कानून द्वारा ज्ञात सभी अपराधों और अपराधों के रूप में माना गया है।

34. इसलिए, गोपनीयता *[2017] 10* एस. सी. आर. के लिए आवश्यक शर्त है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाग *III* में दी गई किसी भी गारंटी का लाभ उठाना। नतीजतन, जब यह संवैधानिक अदालतों के समक्ष अधिकार धारकों द्वारा दावा किया गया, निजता का अधिकार

यह न केवल अनुच्छेद *21* में स्थित हो सकता है, बल्कि साथ ही भाग *III* में किसी अन्य गारंटी में भी स्थित हो सकता है। वर्तमान स्थिति में, लेख

19 (1) , 20 (3) , 25 , 28 और *29* सभी अधिकारों को गोपनीयता के प्रयोग से सहायता और सार्थक बनाया गया है। यह एक विस्तृत सूची नहीं है। भविष्य प्रौद्योगिकी और सामाजिक व्यवस्था में विकास अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है कि

अभी और भी अधिक संवैधानिक साइटें हैं जिनमें गोपनीयता का अधिकार निहित है

जो वर्तमान में हमारे लिए स्पष्ट नहीं हैं।

निजता के मौलिक अधिकार की न्यायिक गणना

35. न्यायिक गणना में कुछ भी असामान्य नहीं है।

"प्रारंभिक अधिकार" *38* के रूप में स्वतंत्रता का सैल्मंड का सूत्रीकरण सही है। के द्वारा गणना की प्रक्रिया, संवैधानिक न्यायालय केवल एक नाम देते हैं और शेष में पहले से मौजूद गारंटी के मूल को निर्दिष्ट करते हैं

इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "कई असंकलित अधिकार अनुच्छेद *21* के अंतर्गत आते हैं क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार व्यापक है" शिक्षा के अधिकार के अस्तित्व की पुष्टि करना। इसने ऐसे अधिकारों की निम्नलिखित सूचक सूची प्रदान की, जिसमें गोपनीयता का अधिकार शामिल थाः

"*30.* निम्नलिखित अधिकारों को अनुच्छेद *21* के तहत शामिल किया गया हैः

1. विदेश जाने का अधिकार। सतवंत सिंह बनाम। डी. रामारत्नम

ए. पी. ओ. नई दिल्ली *(1967) 3* एस. सी. आर. *525*।

2. निजता का अधिकार। गोबिंद वी. एम. पी. राज्य, *(1975) 2* एस. सी. सी. *148*। इस मामले में अमेरिकी निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी

ग्रिसवोल्ड वी. कनेक्टिकट, *381* यू. एस. *479 510* पर।

3. एकान्त कारावास के खिलाफ अधिकार। सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली

4. बार की बेड़ियों के खिलाफ अधिकार। चार्ल्स शोभराज बनाम। सुपदी।
(केंद्रीय जेल *0, (1978) 4* एससीआर *104*

39 39 (1993) एससीसी *1 645* *40* एल. डी.

29 जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[एस. ए. बोबडे, जे.*]*

5. कानूनी सहायता का अधिकार। एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य,

(1978) 3 एससीसी *544*।

6. त्वरित सुनवाई का अधिकार। हुसैनारा खातून बनाम। गृह सचिव,

बिहार राज्य *(1980) 1* एस. सी. सी. *81*

7. दाहिने हाथ के खिलाफ कफ। प्रेम शंकर बनाम। दिल्ली

प्रशासन *(1980) 3* एससीसी *526*

8. विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार। टीवी वथीस्वरन बनाम। राज्य तमिलनाडु का, *(1983) 2* एस. सी. सी. *68*। -

9. हिरासत में हिंसा के खिलाफ अधिकार। शीला बारसे बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र, *(1983) 2* एससीसी *96*।

10. सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार। ए. जी. ऑफ इंडिया बनाम लच्मादेवी,

(1989) सप. *1* एससीसी*264*

11. डॉक्टर की सहायता। परमानंद कटरा बनाम। संघ का

भारत, *(1989) 4* एससीसी *286*।

12. आश्रय। सैंटिस्टार बिल्डर बनाम। एन. के. आई. टोटम, *(1990) 1* एस. सी. सी.

520 " निजता के मामले में, न्यायिक गणना का मामला है

विशेष रूप से मजबूत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अनुच्छेद *21* का एक उचित निहितार्थ है, लेकिन और भी। गोपनीयता एक अधिकार या शर्त है, "तार्किक रूप से पूर्वनिर्धारित" *4 1*

संवैधानिक पाठ में स्पष्ट रूप से दर्ज अधिकारों द्वारा, यदि वे समझ में आते हैं। नतीजतन, निजता केवल एक व्युत्पन्न संवैधानिक अधिकार से अधिक है। यह संविधान के पाठ में गारंटीकृत अधिकारों का आवश्यक और अपरिहार्य तार्किक निहितार्थ है।

36. निजता के चरित्र को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देने से गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत ही उप-स्तर को नष्ट होने की संभावना है।

संविधान द्वारा। तय किए गए मामले स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए बिना विशेष मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता था। कोई मान्यता रद्द या

निजता के अधिकार के महत्व में कमी उन मौलिक अधिकारों को कमजोर करेगी जिन्हें स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।

37. इस सवाल पर आगे बढ़ने से पहले कि संवैधानिक अदालतें कैसे समीक्षा करें कि क्या निजता का उल्लंघन असंवैधानिक है, तीन

41 लॉरेंस एच. ट्राइब और माइकल सी. डॉर्फ, अधिकारों की परिभाषा में सामान्यता के स्तर, *57* यू. सी. एच. आई. एल. रेव. *1057 (1990)* पी.

स्पष्ट रूप से। *38.* विद्वान महान्यायवादी ने उन मामलों पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि शराब का व्यापार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और यह सादृश्य प्रस्तुत करने के लिए कि

निजता का कोई पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता है। आशंका है कि निजता की मान्यता राज्य के लिए जटिलताएं पैदा करेगी

शक्तियों का प्रयोग अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। अधिकार की घोषणा नहीं की जा सकती है

जहाँ ऐसा करने के लिए अच्छा संवैधानिक आधार हो वहाँ इससे बचा जाए। यह स्वीकार करने के बाद ही कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, हम विचार कर सकते हैं कि यह राज्य की पूर्ण शक्तियों को कैसे प्रभावित करता है। किसी भी स्थिति में, राज्य हमेशा सुरक्षा के लिए एक उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

और एक सम्मोहक राज्य हित को प्रभावी बनाता है, जैसे कि यह सीमित करते हुए हो सकता है

कोई अन्य मौलिक अधिकार। इस धारणा या इस निष्कर्ष के लिए कोई वारंट नहीं है कि निजता का मौलिक अधिकार एक पूर्ण अधिकार है जिसे पर्याप्त रूप से बाध्यकारी अधिकार को देखते हुए यथोचित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। राज्य हित।

आवश्यक और आग्रह किया कि निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देना न तो आवश्यक है और न ही उचित है। यह तर्क नहीं हो सकता है किसी भी अन्य मौलिक अधिकार के संदर्भ में गोपनीयता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में अधिक स्वीकार किया गया। कई कानून मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व संबंधित मौलिक अधिकार के अस्तित्व को निरर्थक नहीं बनाता है। यह है।

जाहिरा तौर पर ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून मौलिक अधिकारों के विपरीत परिवर्तनशील और यहां तक कि निरस्त करने योग्य भी हैं, जो तय रूप से कायम हैं।

40. श्री राकेश द्विवेदी, गुजरात राज्य की ओर से पेश होते हुए, जबकि

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया गया कि केवल उन गोपनीयता दावों को मौलिक अधिकार द्वारा संरक्षित के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए जिनमें 'गोपनीयता की उचित अपेक्षा' शामिल है। इस मामले के उद्देश्य के लिए गोपनीयता के दावों के विशेष उदाहरणों से निपटना आवश्यक नहीं है, जिन्हें एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जानी है। वास्तव में, ऐसा करना जल्दबाजी होगी। निजता के संवैधानिक संरक्षण का दायरा और दायरा केवल मामले-दर-मामले के आधार पर ही हमें बताया जा सकता है।

गोपनीयता के लिए परीक्षण

41. यह निर्धारित करने का एक तरीका कि मूल संवैधानिक विचार क्या है, जस्टिस के. एस. पुटसवामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.*

भारत का संघ

[एस. ए. बोबडे, जे.*]*

इसके विपरीत पर विचार करके हो सकता है, जो दर्शाता है कि यह क्या नहीं है। तदनुसार, हम न्याय को अन्याय की अनुपस्थिति के रूप में समझते हैं, और

संयम की अनुपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता। इसलिए गोपनीयता को भी प्रचार के विरोधी शब्द के रूप में समझा जा सकता है। कानून में, क्या है के बीच अंतर

सार्वजनिक न्यास के विपरीत एक निजी न्यास माना जाता है जो गोपनीयता के मूल और अपरिवर्तनीय विशेषताओं को प्रकाश में लाता है। देउकी नंदन बनाम। मुरलीधर ^ *2;* इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने इस भेद को स्पष्ट किया

निम्नलिखित शर्तें हैं:

"निजी न्यास और सार्वजनिक न्यास के बीच अंतर यह है कि जहां पहले वाले में लाभार्थी विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, वहीं बाद वाले में वे आम जनता या उसका एक वर्ग होते हैं। जबकि
पूर्व लाभार्थी वे व्यक्ति हैं जिनका पता लगाया जाता है या जिनका पता लगाया जा सकता है, बाद वाले में वे एक निकाय का गठन करते हैं।

जो पता लगाने में असमर्थ है "।

यही विशेषता, अर्थात् सार्वजनिक सदस्य का ऐसी संपत्ति में प्रवेश करने या उपयोग करने का अधिकार, निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति और निजी तरीकों को सार्वजनिक सड़कों से अलग करता है।

42. गोपनीयता हमेशा जुड़ी रहती है, चाहे वह सीधे तौर पर हो या उसके माध्यम से।

उन कार्यों पर प्रभाव जो हस्तक्षेप से सुरक्षित करने की मांग की जाती है, दूसरों के साथ जुड़ने के कार्य के लिए। इस अर्थ में, गोपनीयता को आमतौर पर एक संबंधपरक अधिकार के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है, भले ही इसकी सामग्री अक्सर किसी के समाज से दूसरों के बहिष्कार से संबंधित हो।

43. ट्रस्ट का चित्रण हमें यह निर्धारित करने के लिए एक व्यावहारिक परीक्षण भी प्रदान करता है कि संवैधानिक रूप से संज्ञेय गोपनीयता दावा कब किया गया है।

किया गया, और यह स्वीकार करने का आधार कि इस तरह के दावे का अस्तित्व संदर्भ पर निर्भर है। निजता के अपने अधिकार का प्रयोग करना दो स्तरों पर चुनना और निर्दिष्ट करना है। यह चुनना है कि विभिन्न गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि उसके लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के सामान्य अवशेष द्वारा की जाती है।

प्रदर्शन करना चाहते हैं, और यह निर्दिष्ट करना चाहते हैं कि अपने घेरे में किसे शामिल करना है

जब वे प्रदर्शन करते हैं। यह नकारात्मक में भी स्वायत्तता है, और यह चुनाव और विनिर्देशन में लेता है कि किन गतिविधियों को नहीं करना है और किन व्यक्तियों को अपने दायरे से बाहर करना है। निजता का प्रयोग करना इन निर्दिष्ट दूसरों के लिए किसी के इरादे का संकेत है-चाहे वे किसी के सह प्रतिभागी हों या बस किसी के दर्शक-साथ ही बड़े पैमाने पर समाज के लिए, अधिकार का दावा करने और प्रयोग करने के लिए। एक कार्रवाई योग्य के अस्तित्व की जांच करने के लिए

गोपनीयता का दावा, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि यदि ऐसा कोई इरादा है चुनें और निर्दिष्ट करें, चाहे वह सीधे अधिकार वाहक के कार्यों में इसकी अभिव्यक्ति में हो, या अन्यथा।

44. इस तरह के सूत्रीकरण में तीन बार-बार आने वाली लाल हेरिंग शामिल नहीं होंगी।

हमारे सामने उत्तरदाताओं के तर्कों में। सबसे पहले, यह इस तर्क को स्वीकार नहीं करेगा कि गोपनीयता संपत्ति या स्थानों तक सीमित है। इसलिए, उदाहरण के लिए, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को एक फुसफुसाहट में भी बातचीत करने के लिए अलग रखना। सार्वजनिक स्थान स्पष्ट रूप से गोपनीयता के दावे का संकेत देगा, जैसे कि लाउडस्पीकर द्वारा किसी के शब्दों का प्रसारण विपरीत इरादे का संकेत देगा। दूसरा, यह सूत्रीकरण गोपनीयता को एकांत में नहीं घटाएगा। अधिकारों को सुरक्षित रखना

सिनेमा हॉल या क्लब जैसे बड़े सभा स्थल पर प्रवेश करना गोपनीयता के दावे का संकेत देगा। अंत में, न तो इस तरह के सूत्रीकरण के लिए हमें यह मानने की आवश्यकता होगी कि निजी जानकारी ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो

अन्य सभी के लिए अनुपलब्ध। गोपनीयता उल्लंघनों की समीक्षा के मानक

45. इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोपनीयता कई का अभिन्न अंग है।

संविधान के भाग *III* द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को स्वयं एक मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। के बीच संबंध

निजता का अधिकार और इसमें शामिल विशेष मौलिक अधिकार *(*या अधिकार*)*

यह किसी विशेष कानून द्वारा बाधित कार्रवाई पर निर्भर करेगा। कम से कम, चूँकि निजता हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ एकीकृत होती है, इसलिए कानून की संवैधानिकता, जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है कि यह किसी अधिकार धारक की निजता में हस्तक्षेप करती है।

उनका परीक्षण उन्हीं मानकों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके द्वारा एक कानून आक्रमण करता है

अनुच्छेद *21* के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का परीक्षण किया जा सकता है। अनुच्छेद *21* के तहत, वर्तमान में मानक परीक्षण मेनका गांधी के मामले में व्यक्त तर्कसंगतता समीक्षा है। इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी प्रक्रिया जिसके द्वारा राज्य अनुच्छेद *21* के अधिकार में हस्तक्षेप करता है, वह "निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित, काल्पनिक, दमनकारी या मनमाना नहीं" हो।

46. एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि गोपनीयता प्रत्येक संवैधानिक स्वतंत्रता को इसकी प्रभावकारिता के साथ समाहित करती है और यह कि यह उनमें से प्रत्येक में स्थित हो सकती है, तो इसे इस बात का पालन करना चाहिए कि राज्य द्वारा इसके साथ हस्तक्षेप का परीक्षण किसी भी एक या अधिक भाग *III* की गारंटी के खिलाफ किया जाना चाहिए, जिसका आनंद कम किया गया है। नतीजतन, गोपनीयता उल्लंघन को आमतौर पर अनुच्छेद *21* पर लागू होने वाले परीक्षण के अलावा परीक्षणों का जवाब देना होगा। इस तरह का दृष्टिकोण पूरी तरह से आर. सी. कूपर बनाम के अनुरूप होगा। भारत संघ।

43 मेनका गांधी बनाम। भारत संघ *(1978) I* एस. सी. सी. *248* पैरा *48* पर;

[एस. ए. बोबडे, जे.*]*

:

निष्कर्ष

47. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, मैं हमारे सामने दिए गए संदर्भ का उत्तर देता हूँ

निम्नलिखित शर्तें हैं:

ए। अपरिहार्य निष्कर्ष यह होना चाहिए कि एक अपरिहार्य

निजता का संवैधानिक अधिकार संविधान के भाग *III* में निहित है।

एम. पी. शर्मा और खरक सिंह में बहुमत की राय होनी चाहिए।

इस हद तक खारिज कर दिया जाता है कि वे इसके विपरीत संकेत देते हैं।

बी। निजता का अधिकार सभी अभ्यासों के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है

मानव स्वतंत्रता-दोनों के रूप में यह विशेष रूप से गणना की जाती है
भाग *III*, और जैसा कि अनुच्छेद *21* के तहत अवशेष में इसकी गारंटी दी गई है। यह.

भाग *III* और उत्परिवर्तन में विभिन्न लेखों में वितरित किया जाता है

उत्परिवर्तन, उनके आनंद का जो भी रूप लेता है

कर्टेइल का उल्लंघन।

सी। अनुच्छेद द्वारा कवर की गई किसी संस्था द्वारा गोपनीयता में कोई हस्तक्षेप

*12''*राज्य' के विवरण को लागू परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिए

भाग *III* में से जो भी एक या अधिक हस्तक्षेप को स्वतंत्र करता है।

प्रभावित करता है।

अभय मनोहर सप्रे, जे।

1. मुझे अपने विद्वानों के विचारों को पढ़ने का लाभ मिला है।

सम्मानित विद्वान भाई, न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़। होने के नाते

उन्हें ध्यान से पढ़ें, मेरे पास अपने-अपने में मेरे सम्मानित भाइयों द्वारा किए गए तर्क और निष्कर्ष को जोड़ने के लिए और अधिक उपयोगी कुछ नहीं है

राय।

2. हालांकि, प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए

इस पीठ को संदर्भित करते हुए, मैं केवल कुछ शब्दों की सहमति जोड़ना चाहता हूं

मेरा अपना। *3.* वास्तव में, इस नौ न्यायाधीशों की पीठ को दो प्रश्न भेजे गए थे, पहला, क्या *M.P.Sharma* और अन्य बनाम सतीश चंद्र, जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली और अन्य के मामले में निर्धारित कानून। , एयर

1954 एससी *300* और खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। ए. आई. आर. *1963* एस. सी. *1295* जहाँ तक यह किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार से संबंधित है।

व्यक्ति "सही है और दूसरा, क्या" निजता का अधिकार "एक है भारत के संविधान के भाग *III* के तहत मौलिक अधिकार*?*

4. इन दो प्रश्नों की जांच करने से पहले, संविधान की प्रस्तावना पर ध्यान देना उचित है, जो मेरे विचार से संबंधित है।

उल्लिखित प्रश्नों पर।

5. संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

"हम, भारत के लोग, गंभीरता से संकल्प लेते हैं

स्थिति और अवसर की समानता*;* और उन सभी के बीच प्रचार करना

व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देने वाली बंधुत्व और राष्ट्र की एकता और अखंडता*;*

6. प्रस्तावना में शब्दों के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें उपयोग किए गए प्रत्येक शब्द को संस्थापकों द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया था और फिर इन शब्दों को व्यवस्थित किया गया था और तदनुसार एक उचित शब्द में रखा गया था।

आदेश दें। प्रस्तावना में शामिल प्रत्येक शब्द का महत्व है और

उचित अर्थ।

7. गौरव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान लोगों को दिया गया था

प्रस्तावना की शुरुआत में "हम, भारत के लोग" अभिव्यक्ति का उपयोग करके "भारत"। तदनुसार संविधान को अपनाया गया था,

अधिनियमित किया और फिर खुद को दिया।

8. प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य दो बातों पर जोर देना था

सकारात्मक पहलू-एक, "राष्ट्र की एकता" और दूसरा "गरिमा"।

व्यक्ति से। "गरिमा" अभिव्यक्ति अपने साथ नैतिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। इसने संघ की ओर से प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व का सम्मान करने और ऐसी स्थितियों का निर्माण करने का दायित्व भी निहित किया जिसमें

प्रत्येक नागरिक को स्वयं को खोजने और स्वयं को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा।

पूर्ति। *9.* प्रस्तावना में "व्यक्ति की गरिमा" अभिव्यक्ति को शामिल करने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से इसका स्पष्ट खंडन करना था।

इस देश के लोगों को अतीत से क्या विरासत में मिला था। इसलिए, व्यक्ति की गरिमा को हमेशा भाईचारे का प्रमुख घटक माना जाता था, जो प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा का आश्वासन देता है। दोनों अभिव्यक्तियाँ एक-दूसरे पर निर्भर और आपस में जुड़ी हुई हैं।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*अभय मनोहर सप्रे, जे.*]*

10. मेरे विचार में, राष्ट्र की एकता और अखंडता तब तक जीवित नहीं रह सकती जब तक कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा की गारंटी नहीं दी जाती। यह है।

आश्वासन के बिना एकता और एकीकरण के बारे में सोचना असंभव है

एक व्यक्ति अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरे की गरिमा के प्रति सम्मान और सम्मान राष्ट्र की एकता और अखंडता लाता है।

11. अभिव्यक्ति "स्वतंत्रता", "समानता" और "बंधुत्व"

प्रस्तावना में शामिल अलग-अलग इकाइयाँ नहीं हैं। नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात करते समय उन्हें एक साथ पढ़ना होगा। वे, वास्तव में, एक संघ बनाते हैं। यदि इन अभिव्यक्तियों को एक-दूसरे से अलग कर दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र के उद्देश्य को ही विफल कर देगा।

12. दूसरे शब्दों में, स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता है, इसलिए समानता को भी स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को अलग किया जा सकता है।

समानता को बंधुत्व से अलग कर दिया जाए। इन अभिव्यक्तियों को दिए गए अर्थ को लेखों की व्याख्या करते समय उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

संविधान का भाग *III*।

13. इसलिए यह न्यायालयों और विशेष रूप से इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वे बदलते नियमों के बीच संतुलन बनाए रखें।

समाज की आवश्यकताएँ और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण

और जब नागरिक के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दा विचार के लिए आता है। इस तरह का संतुलन केवल सामाजिक और सामाजिक संबंधों के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुरक्षित और संरक्षित करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

कानून के शासन के तहत सभी नागरिकों को राजनीतिक न्याय *(*देखें-एस. एस. बोला और

ओआरएस। बनाम। बी. डी. सरदाना और अन्य। *1997 (8)* एससीसी *522)*।

14. हमारे संविधान ने किसी व्यक्ति के कुछ मौजूदा पोषित अधिकारों को मान्यता दी है। इन अधिकारों को संविधान के भाग *III* के विभिन्न अनुच्छेदों में शीर्षक-मौलिक अधिकारों के तहत शामिल किया गया है।

ऐसा करने में, कुछ अधिकारों को शामिल किया गया और जिन्हें शामिल नहीं किया गया था, उन्हें भाग *III* में न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा पढ़ा गया, जो नागरिकों द्वारा मामले के आधार पर दिए गए अधिकार की प्रकृति पर निर्भर करता है।

15. संविधान निर्माताओं के लिए यह संभव नहीं था कि वे प्रत्येक अधिकार को शामिल करें, चाहे वह प्राकृतिक या सामान्य कानून का अधिकार हो।

संविधान के भाग *III* में किसी व्यक्ति का। वास्तव में, जैसा कि हम देख सकते हैं

जब भी पिछले *50* वर्षों में यह तय करने का अवसर आया कि क्या *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक द्वारा आरोपित कोई विशेष अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं,

इस न्यायालय ने न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया के साथ भाग *III* में आने वाले मौलिक अधिकारों के रूप में किसी व्यक्ति के कई मौजूदा प्राकृतिक और सामान्य कानून अधिकारों को उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ मान्यता दी, हालांकि इसमें परिभाषित नहीं किया गया है।

संविधान। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था कि संविधान एक पवित्र जीवित दस्तावेज है और इसलिए, उपयुक्त के लिए अतिसंवेदनशील है

"हम, की बदलती जरूरतों के आधार पर इसके प्रावधानों की व्याख्या

लोग और अन्य अच्छी तरह से परिभाषित मापदंड।

16. संविधान में शब्दों *(18)* के संदर्भ में अनुच्छेद *21* शायद सबसे छोटा अनुच्छेद है। यह संविधान का केंद्र है जैसा कि कहा गया था

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर। यह नीचे लिखा है:

"कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

17. यह अनुच्छेद संविधान के भाग *III* में है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह विषय रहा है कि

भाग *III* के अन्य अनुच्छेदों के साथ इस न्यायालय द्वारा न्यायिक व्याख्या

A.K.Gopalan बनाम से शुरू होने वाले कई ऐतिहासिक मामलों में।

मद्रास, ए. आई. आर. *1950* एस. सी. *27* मोहम्मद आरिफ @अशफाक बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय *(2014) 9* एस. सी. सी. *737* तक। इस अवधि के बीच, इस न्यायालय द्वारा कई ऐतिहासिक निर्णय दिए गए।

18. संविधान का भाग *III* और इसका सही अर्थ

अपने विशाल ज्ञान, परिपक्व विचारों, सीखने और लेखन की अपनी अनूठी शैली के साथ महान लोगों की सक्षम सहायता के साथ अदालत वकीलों ने धीरे-धीरे उल्लेखनीय स्पष्टता और सटीकता के साथ सुनहरे शब्दों *(*व्यक्तिगत स्वतंत्रता*)* के अर्थ का विस्तार किया।

19. विद्वान न्यायाधीशों ने मौलिक अधिकारों के विस्तार का प्रयास किया और नागरिकों की स्वतंत्रता को संरक्षित किया। न्यायिक विकास की प्रक्रिया में, कुछ पहले के मामलों में निर्धारित कानून को या तो खारिज कर दिया गया था या उनकी शुद्धता पर संदेह किया गया था।

20. यह व्याख्या का एक तय नियम है जैसा कि मामले में आयोजित किया गया है

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ, *(1970) 1* एस. सी. सी. *248* ने कहा कि न्यायालय को हमेशा न्यायिक निर्माण की प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकारों के अर्थ और सामग्री को कम करने के बजाय उनकी पहुंच और दायरे का विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए।

इसी तरह, यह एक न्याय के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भी है। भारत का संघ

[अभय मनोहर सप्रे, जे।*]*

उनके पवित्रता केशवानंद में निर्धारित कानून का स्थापित सिद्धांत

भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य और अन्र। , *(1973) 4* एस. सी. सी. *225* में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसलिए, संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय या किसी भी प्रावधान की जांच करते समय।

संवैधानिक मुद्दा या किसी प्रावधान की चौड़ाई या पहुंच का निर्धारण करते समय या जब किसी प्रावधान में कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता देखी जाती है, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, या जब भाषा एक से अधिक अर्थ स्वीकार करती है, तो संविधान की प्रस्तावना पर भरोसा किया जा सकता है।

शरारत के लिए उपाय या/और प्रासंगिक के सही अर्थ का पता लगाने के लिए

जैसा भी मामला हो, प्रावधान।

21. मेरी सुविचारित राय में, यहां निर्दिष्ट दो प्रश्नों के साथ-साथ उनसे उत्पन्न होने वाले कुछ आनुषंगिक प्रश्नों की इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानून के आलोक में सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

मामले। वास्तव में, प्रश्नों का उत्तर निर्धारित कानून में पाया जा सकता है।

केवल इस न्यायालय के निर्णय किए गए मामलों में और किसी को अमेरिकी न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून की मदद लेने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

22. यह सच है कि हमारे कानूनों की व्याख्या करते समय, अंग्रेजी निर्णय हमें विचार के लिए उत्पन्न होने वाले एक विशेष निष्कर्ष तक पहुंचने में मार्गदर्शन करते हैं।

विधि विवरण इस बात की भी गवाही देते हैं कि इस न्यायालय ने विशेष रूप से अपने प्रारंभिक वर्षों में हमारे संविधान और अन्य कानूनों के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए अंग्रेजी मामलों की मदद ली है।

23. लेकिन पिछले सात दशकों में इस न्यायालय ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान की व्याख्या की है। भारतीय समाज की स्थितियों ने अन्य देशों में प्रचलित स्थितियों की तुलना में, हम, इस देश और देश के लोगों की आवश्यकता महसूस की।

24. वास्तव में, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह न्यायालय भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, जो मॉडल किया गया है। अंग्रेजी कंपनी अधिनियम ने आगाह किया है कि भारतीय न्यायालय करेंगे

इनसे प्राप्त सिद्धांतों को समायोजित और अनुकूलित, सीमित या विस्तारित करना होगा।

अंग्रेजी निर्णय, जिनके लिए वे बहुत सम्मान के हकदार हैं, उपयुक्त हैं समग्र रूप से भारतीय समाज के लिए स्थितियाँ। *(* देखें-हिंद ओवरसीज *(*पी*)* लिमिटेड बनाम। रघुनाथ प्रसाद झुनझुनवाला और अन्र। *(1976) 3* एससीसी

259) . इन सिद्धांतों के आलोक में संदर्भित प्रश्नों की जांच की आवश्यकता है।

25. मेरी सुविचारित राय में, "किसी भी व्यक्ति की निजता का अधिकार" अनिवार्य रूप से एक प्राकृतिक अधिकार है, जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों द्वारा प्रत्येक मनुष्य में निहित है।

जन्म। ऐसा अधिकार मनुष्य के पास तब तक रहता है जब तक वह अंतिम सांस नहीं लेता।

यह वास्तव में मनुष्य से अविभाज्य और अविभाज्य है। दूसरे शब्दों में,

यह मनुष्य के साथ पैदा होता है और मनुष्य के साथ समाप्त हो जाता है।

26. सार्थक जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है।

ऐसे अधिकार के बिना गरिमा के साथ। वास्तव में, यह उन पोषित अधिकारों में से एक है,

जिसे कानून के शासन द्वारा शासित प्रत्येक सभ्य समाज हमेशा प्रत्येक मनुष्य में मान्यता देता है और ऐसे अधिकारों को मान्यता देने के लिए बाध्य है।

किसी भी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने और संरक्षित करने का आदेश

28. "निजता के अधिकार" का सबसे लोकप्रिय अर्थ "अकेले रहने का अधिकार" है। गोबिंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एन. आर. , *(1975) 2* एस. सी. सी. *148, K.K.Mathew,* जे. ने इसके कई पहलुओं पर ध्यान दिया।

सही *(*पैरा *21-25)* और फिर जाँच करते समय सावधानी का नियम दिया

मामले-दर-मामले के आधार पर ऐसे अधिकार की रूपरेखा।

29. मेरे सुविचारित विचार में, प्रश्नों का उत्तर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून में पाया जा सकता है।

रुस्तम कावासजी कूपर *(*ऊपर*)* के बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्न हैं। *(1978) 1* एस. सी. सी. *248,* पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल

लिबर्टीज *(*पी. यू. सी. एल.*)* बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. , *(1997) 1* एस. सी. सी. *301,* गोबिंद का मामला *(*ऊपर*),* श्री "एक्स" बनाम अस्पताल "जेड" *(1998) 8* एस. सी. सी. *296,* जिला पंजीयक और कलेक्टर, हैदराबाद और ए. एन. आर. बनाम केनरा बैंक

& ओआरएस। , *(2005) 1* एस. सी. सी. *496* और अंत में थलाप्पलम सर्विस कूप में। बैंक लिमिटेड और अन्य। बनाम केरल राज्य और अन्य। , *(2013) 16* एससीसी *82*।

30. इन मामलों में और विशेष रूप से दोनों में-अर्थात्,

गोबिंद *(*ऊपर*)* और जिला पंजीयक *(*ऊपर*),* उनके अधिपति बहुत

भारतीय और अमेरिकी मामले कानून और विभिन्न कानूनों के आलोक में "निजता के अधिकार" के संबंध में मुद्दे की बहुत विस्तार से जांच की गई।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

31. गोबिंद के मामले में, न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए विद्वान न्यायाधीश ने अनुच्छेद *28* में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

:

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत संघ *[*अभय मनोहर सप्रे, जे.*]*

"28. किसी भी स्थिति में निजता के अधिकार को अनिवार्य रूप से मामले-दर-मामले विकास की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इसलिए, यह मानते हुए भी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र अधिकार का निर्माण करती है

गोपनीयता उनसे उत्पन्न होती है जो कोई कर सकता है

मौलिक अधिकार के रूप में चिह्नित करते हुए, हम यह नहीं सोचते हैं कि

अधिकार निरपेक्ष है। "

32. इसी तरह जिला पंजीयक *(*ऊपर*)* के मामले में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश *R.C.Lahoti (*जैसा कि उनके स्वामी थे*)* के लिए बोल रहे थे

लेखन की अपनी विशिष्ट शैली के साथ बेंच ने पैरा *39* में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

"39. हमने दिए गए कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है

मैथ्यू, जे. ने गोबिंद में यह दिखाने के लिए कि निजता का अधिकार अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* और *(*डी*)* और अनुच्छेद *21* में निहित किया गया है; कि, अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह कि कोई भी राज्य घुसपैठ नहीं है। एक उचित प्रतिबंध
केवल तभी हो सकता है जब इसका उचित आधार हो।

या इसका समर्थन करने के लिए उचित सामग्री।
33. उपरोक्त सभी मामलों में, "अधिकार" का प्रश्न

निजता की जांच नागरिकों द्वारा की गई विशिष्ट शिकायतों के संदर्भ में की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके प्रभुओं ने फैसला सुनाया था कि सबसे पहले, "अधिकार"।

निजता के कई पहलू हैं और हालांकि इस तरह के अधिकार को अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* और *(*डी*)* और अनुच्छेद *21* से उत्पन्न मौलिक अधिकार के एक हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, फिर भी यह निरपेक्ष और दूसरा नहीं है, यह हमेशा सामाजिक, नैतिक आधार पर कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

और जनहित और अंत में, ऐसा कोई भी अधिकार जब नागरिक द्वारा न्यायालय में दावा किया जाता है तो उसे मामले-दर-मामले की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। विकास।

34. इसलिए, मुझे अधिकार का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

गोपनीयता "प्रस्तावना की दो अभिव्यक्तियों से उत्पन्न होती है, अर्थात्" विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता "और" बंधुत्व "।

व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना "और अनुच्छेद *19 (1) (*ए*)* से भी निकलता है जो प्रत्येक नागरिक को" बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता "देता है और आगे अनुच्छेद *19 (1) (*डी*)* से निकलता है जो प्रत्येक नागरिक को" भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार "देता है।

और अंत में, अनुच्छेद *21* के तहत "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति से निकलती है। वास्तव में, निजता का अधिकार इन अभिव्यक्तियों में अंतर्निहित है और उनमें से प्रत्येक से और संयोजन में प्रवाहित होता है।

35. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न संख्या *2* का मेरा उत्तर

यह है कि "निजता का अधिकार" एक नागरिक के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है संविधान के भाग *III* के तहत गारंटी। हालाँकि, यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जिन्हें राज्य कानून के अनुसार सामाजिक, नैतिक और बाध्यकारी सार्वजनिक हित के आधार पर लागू करने का हकदार है।

केस डेवलपमेंट जब भी कोई नागरिक अपनी शिकायत उठाता है कानून के अनुसार अपने कथित अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करना।

37. मेरे सम्मानित विद्वान भाई, न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई.

सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील की विभिन्न दलीलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। *38.* मैं उनके तर्क और प्रश्न संख्या *1* के निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूं और इसलिए उन्होंने अपने-अपने विद्वानों की राय में जो कहा है, उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता।

39. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश कुछ विद्वान वरिष्ठ वकील,

हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय द्वारा कुछ पहले तय किए गए मामलों में निर्धारित कानून को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए, हालांकि इसे विचार के लिए संदर्भित नहीं किया गया था।

इस पीठ को भेजे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए जबकि कुछ वरिष्ठ वकीलों ने भी वैधता और शुद्धता पर हमला करने का प्रयास किया

आधार योजना की अपनी प्रस्तुतियों में। *40.* मेरे विचार से इन प्रस्तुतियों पर इस मामले में विचार नहीं किया जा सकता है। यह इस कारण से है कि सबसे पहले, इस पीठ का गठन केवल विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया गया है; दूसरा, सेवा में लगाए गए प्रस्तुतियाँ हैं -

इस पीठ को संदर्भित नहीं किया गया है और अंत में, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संदर्भ न्यायालय दिए गए संदर्भ से परे नहीं जा सकता है और केवल उन प्रश्नों का उत्तर देने तक सीमित है जो निर्दिष्ट किए गए हैं। *(* देखें-नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्र। *(1966) 3* पृष्ठ *753* पर एस. सी. आर. *744)*।

41. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जब भी इनमें से कोई भी प्रश्न किसी भी मामले में उत्पन्न होता है, तो उपयुक्त पीठ ऐसे प्रश्नों की जांच करेगी। कानून के अनुसार गुण।

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*अभय मनोहर सेप्रे। जे.*]*

42. अलग होने से पहले, मैं यह दर्ज करना चाहता हूं कि सभी विद्वान वकीलों द्वारा संबोधित विद्वतापूर्ण तर्कों को सुनकर खुशी हुई। प्रत्येक वकील ने संक्षिप्तता, स्पष्टता और उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ बहस की। द. प्रत्येक वकील द्वारा की गई कड़ी मेहनत अभूतपूर्व थी और प्रशंसा के योग्य थी। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौखिक तर्क के साथ-साथ लिखित संक्षिप्त विवरण *(*जिसमें पूरी जानकारी शामिल है*)* दोनों के संदर्भ में उनकी सक्षम सहायता के लिए।

प्रस्तुतियाँ, विभिन्न प्रकार के मामले और इस विषय पर साहित्य), विचारों को व्यक्त करना लगभग असंभव था।

संजय किशन कौल, जे।

1. मुझे संपूर्ण और विद्वतापूर्ण पढ़ने का लाभ मिला है।

निष्कर्ष एक ही है, इस संदर्भ का उत्तर देते हुए कि गोपनीयता केवल एक सामान्य कानून अधिकार नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के भाग *III* में आने वाला एक मौलिक अधिकार है। मैं इस निष्कर्ष से सहमत हूं क्योंकि गोपनीयता एक प्राथमिक है, प्राकृतिक अधिकार जो किसी व्यक्ति के लिए अंतर्निहित है। हालाँकि, मैं निजता के मुद्दे पर एक अधिकार के रूप में अपना दृष्टिकोण निर्धारित करने के लिए लालायित हूँ, जो मेरे लिए है।

मन, किसी भी व्यक्तिगत अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण मूल है।

2. मनुष्य, एक व्यक्तिगत अस्तित्व से, एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित हुआ। समाज ने इस प्रकार एक सामूहिक जीवन की परिकल्पना की

एक इकाई के रूप में व्यक्ति जिसे परिवार के रूप में जाना जाने लगा। इसने बदले में समाज के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को लागू किया। "जैसा आप चाहें वैसा करने" का अधिकार आम तौर पर बड़े सामाजिक समूह के लिए स्वीकार्य मानदंडों द्वारा सीमित हो गया। समय के साथ, स्वीकार्य मानदंड औपचारिक कानूनी सिद्धांतों में विकसित हुए।

3. " "होने का अधिकार", हालांकि किसी व्यक्ति के लिए समाप्त नहीं हुआ, जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ, मानदंडों की जटिलता से बचा हुआ था।

प्रौद्योगिकी के प्रभाव की चिंता बढ़ रही है जो इस "होने के अधिकार" या गोपनीयता का उल्लंघन करता है-चाहे हम किसी भी नाम से पुकारें

यह।

4. गोपनीयता का महत्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है।

अकेला हो या न हो। यह कि कुछ लोग अपनी गोपनीयता को महत्व नहीं देते हैं, गोपनीयता के अधिकार को मान्यता देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। बुनियादी मानव अधिकार।

5. यह अकेले भारत नहीं है, बल्कि दुनिया है जो निजता के अधिकार को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता देती है। मानव सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों की सार्वभौमिक घोषणा

जिन अधिकारों पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, वे निजता को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के रूप में मान्यता देते हैं।

6. निजता के इस अधिकार के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है और इसका महत्व यह है कि कानूनी पहेली पर बहस की गई थी और वर्तमान संदर्भ में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा इसका निपटारा किया जाना है।

7. यह संदर्भ चुनौती से उत्पन्न हुआ है जिसे 'आधार कार्ड योजना' कहा जाता है। पूर्ववर्ती न्यायपालिका के कारण घोषणाओं में, विचारों का एक विभाजन था और विचारों के इस विचलन को मिलाने के लिए, संदर्भ बनाना आवश्यक हो गया

नौ-न्यायाधीशों की पीठ। *8.* यह किसी का मामला नहीं है कि निजता एक मूल्यवान अधिकार नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या यह केवल एक सामान्य कानून अधिकार है या इसे प्राप्त करता है

भारतीय मानक के तहत मौलिक अधिकार की स्थिति

संविधान। हमें इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों में विभिन्न वरिष्ठ वकीलों द्वारा कुशलता से सहायता प्रदान की गई है कि क्या गोपनीयता एक अधिकार है।

संवैधानिक अधिकार है या नहीं।

गोपनीयता

9. लॉर्ड एक्शन के शब्दों में:

"मानव जाति के पवित्र अधिकारों के बारे में बहस नहीं की जानी चाहिए

गन्दे अभिलेखों के पुराने चर्मपत्र। वे लिखे जाते हैं, जैसे कि

सूर्य किरण, मानव स्वभाव की पूरी मात्रा में, स्वयं देवत्व के हाथ से, और कभी भी नश्वर शक्ति द्वारा अस्पष्ट नहीं किया जा सकता है। "

10. निजता एक अंतर्निहित अधिकार है। यह इस प्रकार नहीं दिया गया है, लेकिन पहले से ही

मौजूद है। यह किसी व्यक्ति का सम्मान करने के बारे में है और इसे नजरअंदाज करना अवांछनीय है।

बिना किसी ठोस कारण के किसी व्यक्ति की इच्छाएँ।

11. निजता के अधिकार के अलग-अलग पहलू हो सकते हैं।

'सैमुअल वारेन और लुई डी. ब्रांडेस *2* के प्रसिद्ध लेख में 'अकेले रहने का अधिकार'। ऐसा ही एक पहलू किसी व्यक्ति का अपनी व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का अधिकार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है

पहुँच को सीमित करने वाले व्यक्ति और अवांछित पहुँच से बचाने की उनकी क्षमता। निजता के अधिकार के इस पहलू का इस सूचना युग में और तकनीकी सुधारों को देखते हुए विशेष महत्व है। एक व्यक्ति

हुड किसी के व्यक्तित्व, व्यक्तित्व और गरिमा की सुरक्षा होगी। *3.*

'स्वतंत्रता और अन्य निबंधों का इतिहास *(1907),* पृष्ठ *587 *गोपनीयता का अधिकार *4* एचएलआर *193 3 3* डेनियल सोलोव, *'10* कारण क्यों गोपनीयता मायने रखती है' *20* जनवरी, *2014* को प्रकाशित

*HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. गोपनीयता सिखाएँ। कॉम*/10*-कारण-गोपनीयता-मामले*/4*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[संजय किशन कौल, जे।*]*

हालाँकि, कोई भी अधिकार बेलगाम नहीं है और ऐसा ही गोपनीयता के साथ भी है। हम एक में रहते हैं

समाज/समुदाय। इसलिए, हितों से प्रतिबंध उत्पन्न होते हैं

समुदाय, राज्य और अन्य लोगों से। इस प्रकार, यह कुछ प्रतिबंधों के अधीन होगा जिन पर मैं बाद में वापस जाऊंगा।

गोपनीयता और प्रौद्योगिकी

12. हम सूचना के युग में हैं। वृद्धि और विकास के साथ

प्रौद्योगिकी के मामले में, अधिक जानकारी अब आसानी से उपलब्ध है। इसकी जानकारी

विस्फोट के कई फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। जानकारी तक पहुँच, जिसे कोई व्यक्ति नहीं देना चाहेगा, उसे गोपनीयता की सुरक्षा की आवश्यकता है।

निजता के अधिकार का दावा राज्य और गैर-राज्य कर्ताओं द्वारा किया जाता है। गैर-राज्य कर्ताओं के दावों की मान्यता और प्रवर्तन की आवश्यकता हो सकती है राज्य द्वारा विधायी हस्तक्षेप।

A. निजता की चिंता राज्य के खिलाफ है

13. प्रौद्योगिकी के विकास और विकास ने नए सृजन किए हैं।

राज्य द्वारा गोपनीयता के संभावित आक्रमण के लिए उपकरण, जिसमें निगरानी, प्रोफाइलिंग और डेटा संग्रह और प्रसंस्करण शामिल हैं।

राज्यों द्वारा अपनाई जा रही तकनीक 'प्रोफाइलिंग' है। यूरोपीय संघ डेटा गोपनीयता पर *2016 1* का विनियमन 'प्रोफाइलिंग' को व्यक्तिगत डेटा के स्वचालित प्रसंस्करण के किसी भी रूप के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एक प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित कुछ व्यक्तिगत पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग होता है, विशेष रूप से उस प्राकृतिक व्यक्ति के प्रदर्शन से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण या भविष्यवाणी करने के लिए काम, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, रुचियां, विश्वसनीयता, व्यवहार, स्थान या आंदोलन। इस तरह की रूपरेखा

इसके परिणामस्वरूप धर्म, जातीयता और जाति के आधार पर भेदभाव हो सकता है। हालांकि,

*** यूरोपीय संसद और *27* अप्रैल *2016* की परिषद का विनियमन *(*ईयू*)* व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और इस तरह के डेटा की मुक्त आवाजाही के संबंध में प्राकृतिक व्यक्तियों की सुरक्षा पर, और निर्देश *95/46/*ईसी *(*सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन*)* को निरस्त करना।

$ यूरोपीय संसद और *27* अप्रैल *2016* की परिषद का विनियमन *(*ईयू*)* व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और इस तरह के डेटा की मुक्त आवाजाही के संबंध में प्राकृतिक व्यक्तियों की सुरक्षा पर, और निर्देश *95/46/*ईसी *(*सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन*)* को निरस्त करना।

' 'प्रोफाइलिंग' का उपयोग जनहित को आगे बढ़ाने और लाभ के लिए भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा।

14. सुरक्षा वातावरण, न केवल हमारे देश में, बल्कि पूरे देश में

दुनिया व्यक्तियों और राज्य की सुरक्षा को निजता के इस अधिकार के खिलाफ संतुलित करने का मामला बनाती है।

B. गैर-राज्य कर्ताओं के खिलाफ गोपनीयता की चिंताएँ

15. गैर-राज्य अभिनेताओं की घर पर आक्रमण करने की क्षमता और

निजता को भी बढ़ाया गया है। तकनीकी विकास हुआ है सुगम पत्रकारिता जो पहले से कहीं अधिक घुसपैठिया है।

16. इसके अलावा, इस डिजिटल युग में, व्यक्ति लगातार विकास कर रहे हैं

मूल्यवान डेटा जिसका उपयोग गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा उनकी चालों, विकल्पों और प्राथमिकताओं पर नज़र रखने के लिए किया जा सकता है। डेटा केवल सक्रिय साझाकरण से उत्पन्न नहीं होता है

जानकारी, लेकिन निष्क्रिय रूप से भी, वर्ल्ड वाइड वेब पर हर क्लिक के साथ।

17. हाल ही में, यह बताया गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी "उबर" के पास कोई वाहन नहीं है। फेसबुक ', दुनिया का सबसे लोकप्रिय मीडिया मालिक, कोई सामग्री नहीं बनाता है। 'सबसे मूल्यवान खुदरा विक्रेता 'अलीबाबा' के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। और दुनिया के सबसे बड़े आवास प्रदाता 'एयरबीएनबी' के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। कुछ दिलचस्प हो रहा है। "

'उबर 'हमारे ठिकाने और उन स्थानों को जानता है जहाँ हम अक्सर जाते हैं।' फेसबुक '

कम से कम, हम जानते हैं कि हम किसके दोस्त हैं। ' अलीबाबा 'हमारी खरीदारी की आदतों को जानता है। ' एयरबीएनबी 'जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्रदाता, खोज इंजन, ई-मेल सेवा प्रदाता, संदेश

आवेदन गैर-राज्य अभिनेताओं के सभी और उदाहरण हैं जिन्हें हमारी गतिविधियों, वित्तीय लेनदेन का व्यापक ज्ञान है। बातचीत-व्यक्तिगत और व्यावसायिक, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, रुचि, यात्रा स्थान, किराया

और खरीदारी की आदतें दोनों। जैसे-जैसे हम एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इंटरनेट आधारित सेवाओं पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं, हम निष्क्रिय और सक्रिय रूप से गहरे और गहरे डिजिटल पदचिह्न बना रहे हैं।

18. इन डिजिटल पदचिह्नों और व्यापक आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सकता है।

* माइकल एल. रुस्ताद, सन्ना कुलेव्स्का, भूल जाने के अधिकार की पुनः अवधारणा

ट्रान्साटलांटिक डेटा प्रवाह को सक्षम करें, *28* हार्व। जे. एल. एंड टेक। *349*

*HTTPS: //*टेकक्रंच। *com/2015/03/03* इन-द-एज-ऑफ-डिसइंटरमीडिएशन-द-बैटल-इज-ऑल फॉर-द-कस्टमर-इंटरफेस/टॉम गुडविन *'*द बैटल इज फॉर कस्टमर इंटरफेस*' 2*

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[संजय किशन कौल, जे।*]*

विशेष रूप से मानव व्यवहार और बातचीत से संबंधित पैटर्न, रुझानों और संघों को प्रकट करने के लिए कम्प्यूटेशनल रूप से और इसलिए, मूल्यवान है।

जानकारी दी। यह 'बिग डेटा' का युग है। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने न केवल डेटा के नए रूप बनाए हैं, बल्कि डेटा के विश्लेषण के नए तरीके भी बनाए हैं और डेटा के लिए नए उपयोगों की खोज की है। एल्गोरिदम अधिक प्रभावी हैं और कम्प्यूटेशनल शक्ति बढ़ी है।

इतिहास निजी है, लेकिन यह शायद ही कभी निजी रहता है, और लक्षित विज्ञापन जैसे उद्देश्यों के लिए एकत्र किया जाता है, बेचा जाता है और विश्लेषण किया जाता है। बेशक, 'बिग डेटा' इसका उपयोग जनहित को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ

गोपनीयता के लिए आक्रामक होने के बावजूद, बड़े डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण वैध और आनुपातिक है।

19. एक व्यक्ति के बारे में ज्ञान उस व्यक्ति पर एक शक्ति देता है।

एकत्र किया गया व्यक्तिगत डेटा प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने में सक्षम है,

निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करना और व्यवहार को आकार देना। यह हो सकता है।

'बड़े भाई' राज्य की तरह हम पर नियंत्रण रखने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। यह असहमति और मतभेद की अभिव्यक्ति पर एक अपमानजनक प्रभाव डाल सकता है, जिसे कोई भी लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

20. इस प्रकार, इसके संबंध में विनियमन की अभूतपूर्व आवश्यकता है।

ऐसी जानकारी को किस हद तक गैर-राज्य कर्ताओं द्वारा संग्रहीत, संसाधित और उपयोग किया जा सकता है। इस तरह की सुरक्षा की भी आवश्यकता है

राज्य से जानकारी। हमारी सरकार सफल रही ब्लैकबेरी को भेजे गए डेटा को रोकने की क्षमता देने के लिए मजबूर करना

ब्लैकबेरी उपकरण। जबकि इस तरह का अवरोधन वांछनीय हो सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुमेय, इसे अनियमित नहीं किया जा सकता है। *3.*

21. 'निजता पर आक्रमण' की अवधारणा शुरुआती नहीं है

'दूसरे व्यक्ति के मामलों में अपनी नाक फोड़ने' की पारंपरिक विचार प्रक्रिया। यह इतना सरल नहीं है। आज की दुनिया में निजता सरकार की शक्ति के साथ-साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं की शक्ति की भी एक सीमा है।

22. जॉर्ज ऑरवेल ने 'नाइनटीन' में एक काल्पनिक राज्य का निर्माण किया।

अस्सी-चार। 'आज यह एक वास्तविकता हो सकती है। आज का तकनीकी विकास न केवल राज्य, बल्कि बड़े निगमों और निजी संस्थाओं को भी 'बड़ा भाई' बनने में सक्षम बना सकता है।

8 कादिम शुबर, ब्लैकबेरी भारत सरकार को *11* जुलाई, *2013* को वायर्ड द्वारा प्रकाशित संदेशों को रोकने की क्षमता देता है। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. तार। को. यूके/लेख/ब्लैकबेरी इंडिया

* डैनियल सोलोव, *1 10* कारण क्यों गोपनीयता मायने रखती है *'20* जनवरी, *2014* को प्रकाशित

*HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. गोपनीयता सिखाएँ। कॉम*/10*-कारण-गोपनीयता-मामले/सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

भारत का संविधान-एक जीवित दस्तावेज

23. सभी लोकतंत्रों का संवैधानिक न्यायशास्त्र

दुनिया, किसी न किसी तरह से, कानून की परेशान करने वाली भावना ', सामूहिक विवेक', 'भविष्य के दिन की बुद्धि', 'स्वर्ग' को संदर्भित करती है।

स्वतंत्रता ', आदि। आत्मा सभी के लिए न्याय है, जो पोषित मूल्य है।

24. यह भावना कई गुणों को प्रदर्शित करती है, और खुद को व्यक्त करने के असंख्य तरीके हैं-कभी वह स्वतंत्र थी, कभी गरिमा भी। वह थी। समानता, वह बंधुत्व, तर्कसंगतता और निष्पक्षता थी। वह डेमोस्क्रेटोस के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एथेंस में थीं और उन्होंने प्रकट किया

स्वयं इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा के रूप में। उनकी उपस्थिति फ्रांस में क्रांति के दौरान, अमेरिका में महसूस की गई जब इसकी स्थापना की जा रही थी और मंडेलाक समयमे दक्षिण अफ्रीका।

25. हमारे देश में, उन्होंने हमारे संस्थापकों को प्रेरित किया -

भारत के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी

उसकी आत्मा पर।

26. संविधान सभा के समय में, महान

उस समय के बुद्धिजीवियों ने इस परेशान करने वाली भावना को एक रूप देने की कोशिश की, और उन्होंने उन्हें इस तरह से बुलाने की कोशिश की कि उन्हें लगे कि उन्हें समझा जा सकता है, लागू किया जा सकता है और व्याख्या की जा सकती है-उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया।

27. इसमें उन्होंने उसका सार डाला, और उसे भारतीय संविधान के भाग *III* में एक भव्य सिंहासन दिया।

28. उन्होंने जो दस्तावेज़ बनाया था, उस पर उनका चिरस्थायी आशीर्वाद था।

इसका क्या मतलब है: 'शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और व्यवस्थित सामाजिक जीवन '। संविधान महान भावना के संहिताबद्ध प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा है स्वयं न्याय करें। यह इसलिए है क्योंकि यह उस सर्वोच्च अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है कि इसे ग्रुंडनोरिन का दर्जा दिया गया है, कि यह सर्वोच्च है।

देश में कानूनी दस्तावेज़।

29. संविधान का मसौदा एक विशिष्ट समय अवधि के लिए तैयार नहीं किया गया था या

युद्ध के समय और शांति के समय में और अंबेडकर के प्रसिद्ध शब्दों में, "अगर नए संविधान के तहत चीजें गलत हो जाती हैं तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हम एक खराब संविधान था। हमें यह कहना होगा कि मनुष्य नीच था। *10*

टीयू धनंजय कीर, *Dr.Ambedkar:* लाइफ एंड मिशन, बॉम्बे: लोकप्रिय प्रकाशन,

1971 [1954] , p.410.)

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*संजय किशन कौल, जे.*]*

30. यह पहले से ही अपने निर्माताओं से आगे निकल चुका है, और हमारी पीढ़ी को पीछे छोड़ता रहेगा, क्योंकि इसमें इसके मूल में, अव्याख्येय का एक समूह है।

मूल्य और आदर्श जो प्रकृति में शाश्वत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मानव जाति द्वारा पोषित इन मूल्यों को रखा गया है कि यह एक दिव्य के रूप में अनंत काल तक जीवित रहता है।

चिरंजीवी।

31. महत्वपूर्ण रूप से, संविधान का मसौदा भी इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था

व्यवस्थित सामाजिक जीवन '। इस प्रकार संविधान लोगों के लिए रहता है। इसकी गहरी इच्छा है कि नागरिक समाज फले-फूले और एक शांतिपूर्ण सामाजिक स्थिति बने। आदेश दें। लोगों की भावनाओं में किसी भी बदलाव को इसके द्वारा पहचाना जाता है।

यह अतीत में मौजूद सभी संभावित नागरिक अधिकारों और भविष्य के क्षितिज पर दिखाई देने वाले अधिकारों को अपने दायरे में शामिल करना चाहता है। यह प्यारा लगता है। संविधान का उद्देश्य कभी भी एक के रूप में कार्य करना नहीं था

इसका अर्थ है अपने नागरिकों के मूल्यवान अधिकारों की सुरक्षा को रोकना। इसका उद्देश्य और उद्देश्य पूरी तरह से विपरीत था।

32. संविधान के संस्थापक इस तथ्य से अवगत थे कि रूढ़ियों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता होगी।

उम्र की प्रवृत्तियाँ। ठीक यही कारण था कि एक अप्रतिबंधित संशोधन शक्ति को संविधान के पाठ में शामिल करने की मांग की गई थी।

अनुच्छेद *368* के तहत भाग *20* में संविधान। इस तरह के निगमन एक अलग भाग में पूर्ण शक्ति पूरी तरह से प्रथम दृष्टया सबूत है कि

संविधान के निर्माण के समय भी इसका उद्देश्य एक कालातीत, शाश्वत, जैविक और जीवित दस्तावेज बनना था।

33. इसलिए, मूल इरादे का सिद्धांत स्वयं इसका समर्थन करता है

यह कहना कि संविधान निर्माताओं का मूल इरादा यह सुनिश्चित करना था कि यह मौलिकतावादी द्वारा कम न किया जाए

व्याख्याएँ स्थिर/जीवाश्म बनी रहती हैं, लेकिन समय की महसूस की गई आवश्यकता के अनुरूप बदलती और विकसित होती हैं। मूल आशय सिद्धांत स्वयं एक ऐसे संविधान पर विचार करता है जो प्रकृति में जैविक है।

34. भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, पतंजलि शास्त्री,

पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली सरकार ने इस प्रकार कहाः

" 90. मुझे संविधान के इन भागों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना पढ़ना असंभव लगता है। मैं उनके इतिहास को मिटा नहीं सकता और उस समय की परेशान करने वाली भावना को ध्यान में नहीं रख सकता। वे केवल नीरस, निर्जीव शब्द नहीं हैं। किसी ममीकृत पांडुलिपि की तरह छिपाकर बंधी हुई, लेकिन, जीवित लपटें

एक महान राष्ट्र को जीवन देने और उसके अस्तित्व, भाषाओं को व्यवस्थित करने का इरादा

गतिशील आग, भविष्य को ढालने के साथ-साथ वर्तमान का मार्गदर्शन करने के लिए शक्तिशाली। मेरे विचार से संविधान को लोचदार छोड़ दिया जाना चाहिए।

समय-समय पर परिवर्तनकारी शर्तों को पूरा करने के लिए पर्याप्त

दुनिया को इसके बदलते जोर और अलग-अलग जरूरतों के साथ बदलना। *35.* संविधान को कैसे पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए, यह सबसे अच्छा है।

खन्ना के शब्दों में, जे। , केशवानंद भारती बनाम। *1 2* की स्थिति इस प्रकार हैः

" 1437. ..... एक संविधान अनिवार्य रूप से वादी पक्षों के न्यायालय में दायर अभिवचनों से अलग है। दलीलों में दावा होता है और

मुकदमेबाजी में लगे निजी पक्षों का प्रति-दावा, जबकि

संविधान राज्य के विभिन्न अंगों की रूपरेखा प्रदान करता है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संविधान लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाता है।

विभिन्न अंगों के कार्यकरण के लिए मानदंड निर्धारित करने के अलावा एक संविधान अपने भीतर व्यापक रूप से शामिल करता है

यह संकेत देता है कि आने वाले समय में राष्ट्र कैसे आगे बढ़ेगा। संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसे वसीयत या समझौते के रूप में पढ़ा जा सकता है और न ही संविधान को एक कानूनी दस्तावेज के रूप में माना जा सकता है।

दो वादियों के बीच मुकदमे में दायर शिकायत या लिखित बयान। ए.

संविधान अनिवार्य रूप से राष्ट्र के जीवन का वाहन होना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना होगा कि संविधान एक द्वार नहीं है, बल्कि

एक सड़क। संविधान के प्रारूपण के तहत यह जागरूकता है कि चीजें स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि आगे बढ़ती हैं, एक प्रगतिशील जीवन

राष्ट्र, एक व्यक्ति के रूप में, स्थिर और स्थिर नहीं है, बल्कि गतिशील और तेज है। इसलिए संविधान में पर्याप्त प्रावधान होना चाहिए।

प्रशासन के कार्य में प्रयोग और परीक्षण के लिए।

इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि एक संविधान भ्रामक द्वंद्ववाद के लिए एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने का साधन है। इसकी जड़ें अतीत में थीं, इसकी निरंतरता वर्तमान में परिलक्षित होती है और यह अज्ञात भविष्य के लिए है। द.

" ..... संविधान के प्रावधान गणितीय नहीं हैं अपने रूप में सार रखने वाले सूत्र; वे अंग्रेजी मिट्टी से प्रत्यारोपित जैविक जीवित संस्थान हैं। इनका महत्व है -

73) 4 एस. सी. सी. *225* एस. टी. आई. सी. ई. के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत का संघ

[संजय किशन कौल, जे।*]*

महत्वपूर्ण औपचारिक नहीं है; इसे केवल शब्दों और एक शब्दकोश को लेकर नहीं, बल्कि उनकी उत्पत्ति और उनके विकास की रेखा पर विचार करके एकत्र किया जाना चाहिए। *[* गोम्पर्स वी. देखें। संयुक्त राज्य, *233* यू. एस. *604,610*

(1914)] . मार्शल के महान परिसर को ध्यान में रखना आवश्यक है कि "यह

यह एक ऐसा संविधान है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। होम्स को अपनी श्रद्धांजलि में फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के शब्दों को उद्धृत करने के लिए:

"क्या संविधान को मुख्य रूप से एक पाठ के रूप में माना जाता है

व्याख्या या सरकार के एक साधन के रूप में शब्द में सभी अंतर ला सकता है। मुकदमों और इस प्रकार कानून का भाग्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दस्तावेज़ का अर्थ स्वयं से लिया गया है या देश के बारे में किसी की अवधारणा से,

विकास, इसकी आवश्यकताएँ, एक सभ्य समाज में इसका स्थान। *(* फेलिक्स फ्रैंकफर्टर द्वारा संपादित मिस्टर जस्टिस होम्स, पी. देखें। *58)*। *(* जोर दें।

आपूर्ति की गई*)*

36. उसी फैसले में, के. के. मैथ्यू, जे. ने कहा:

1563 ..... कि संविधान महान सरकारी शक्तियों का एक ढांचा है जिसका उपयोग महान सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है

भविष्य, एक फीकी बौद्धिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक गतिशील विचार है जो संशोधन शक्ति के विस्तार के किसी भी विचार में हावी होना चाहिए। कोई भी मौजूदा संविधान अपने अंतिम रूप में नहीं पहुंचा है और

आकार लेते हैं और बन जाते हैं, क्योंकि यह एक निश्चित चीज थी जो आगे बढ़ने में असमर्थ थी। मानव समाज बदलते रहते हैं; ज़रूरतें उभरती हैं, पहले अस्पष्ट रूप से महसूस की जाती हैं और व्यक्त नहीं की जाती हैं, अदृश्य रूप से ताकत इकट्ठा होती है, लगातार अधिक से अधिक आवश्यक होती जा रही है, एक ऐसी शक्ति पैदा करती है, जिसे अगर अनसुना छोड़ दिया जाए और प्रतिक्रिया से इनकार कर दिया जाए ताकि समाज को संतुष्ट किया जा सके।

संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार, पृष्ठ *25]* किसी राष्ट्र का संविधान राष्ट्र के जीवन की बाहरी और दृश्य अभिव्यक्ति है। लोग और इसे अपने भीतर परिवर्तन के लिए गहरी स्पंदन का जवाब देना चाहिए। संविधान एक प्रयोग है क्योंकि सारा जीवन एक प्रयोग है। *[* जस्टिस होम्स को अब्राम्स बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, *250* यू. एस. *616* में देखें।

37. लचीलेपन के सिद्धांत की आवश्यकता के संदर्भ में *[2017] 10* एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संविधान के बारे में विचार करते समय, यह भारत संघ बनाम नवीन जिंदल *1 3 13* में देखा गया थाः

"39. संविधान एक जीवित अंग होने के कारण, इसकी निरंतर व्याख्या की अनुमति है। संविधान की सर्वोच्चता लाने के लिए आवश्यक है

राष्ट्रीय राजनीति में सामाजिक परिवर्तन पारित होने के साथ विकसित हुए

समय।

40. संविधान की व्याख्या करना एक कठिन कार्य है। करते समय

इसलिए, संवैधानिक अदालतों को केवल इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है

समय के साथ अपने स्वयं के अनुभव, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संधियों पर विचार करें, लेकिन लचीलेपन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखें। बिना किसी संख्या के इस अदालत ने दायरा बढ़ाया है

और मौलिक अधिकारों के प्रावधानों की सीमा को ध्यान में रखते हुए

के इरादे और उद्देश्य सहित कई कारकों के लिए

संविधान निर्माता-जैसा कि संविधान के भाग *IV* और *IV-A* में परिलक्षित होता है भारत का संविधान "।

38. दस्तावेज़, हालांकि कालातीत मूल्य के एक सूखे कागज में स्याहीदार है, कभी भी पुराना नहीं होता है। इसके आदर्श और मूल्य हमेशा युवा रहते हैं। ऊर्जावान, समय के साथ हमेशा के लिए बदलते रहते हैं। यह नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है और

राष्ट्र की आत्मा और फीनिक्स की तरह, बढ़ती और विकसित होती है, लेकिन उसी समय

समय युवा और लचीला रहता है।

39. अच्छाई, निष्पक्षता, समानता और गरिमा की धारणाएँ कर सकती हैं।

कभी भी संतोषजनक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। वे महसूस किए जाते हैं। उन्हें इस कारण से अमूर्त होने दिया गया था कि ये अधिकार, उनके द्वारा प्रकृति, स्थिर नहीं हैं। उन्हें कभी भी निश्चित रूप से परिभाषित या लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे न केवल समय के साथ बदलते हैं, बल्कि स्थितियों के साथ भी बदलते हैं। एक ही अवधारणा

अलग तरह से समझा जा सकता है, लागू किया जा सकता है और व्याख्या की जा सकती है और इसमें झूठ है

उनकी सुंदरता और उनका महत्व। व्याख्या की यह बहुलता और अनुप्रयोग वह मूल है जो उन्हें बदलती सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों में अलग तरह से समझने और लागू करने की अनुमति देता है।

40. इसलिए, ये मूल मूल्य, ये मूल सिद्धांत, उस भावना के विभिन्न पहलू हैं जो हमारे संविधान में व्याप्त हैं और वे लागू होते हैं

और विभिन्न परिदृश्यों में अलग-अलग तरीके से पढ़ें। वे अलग-अलग उम्र, स्थितियों और स्थितियों में खुद को अलग-अलग प्रकट करते हैं। यद्यपि वे प्राचीन संवैधानिक सिद्धांतों में निहित हैं, वे विभिन्न अधिकारों और सामाजिक विशेषाधिकारों के रूप में उल्लेख और प्रयोज्यता पाते हैं। वे प्रकट होते हैं।

13 (2004) 2 एस. सी. सी. *510* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत संघ *[*संजय किशन कौल, जे.*]*

अलग तरह से, तथ्यात्मक परिस्थिति के आधार पर। उदाहरण के लिए, गोपनीयता और कुछ नहीं बल्कि गरिमा का एक रूप है, जो स्वयं स्वतंत्रता का एक उपसमुच्चय है।

महान सामाजिक व्यवस्था में समान रूप से महत्वपूर्ण और समान आवश्यकता है। वे एक साथ उस 'महान चिंतन भावना' का हिस्सा हैं। एक को अस्वीकार करना इन अधिकारों के लिए, बोलने के तरीके से, उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार किया जाता है।

एक-दूसरे को निषेचित करें और उनका पालन-पोषण करें।

आगे बढ़ते हुए, हमेशा नई शाखाएँ दिखाई देती हैं, नई पत्तियाँ और कलियाँ उगती हैं। ये नए अधिकार भविष्य की पीढ़ियों के अधिकार हैं जो समय के साथ सभ्यता के अनुरूप और सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित होते हैं। भावी पीढ़ी। वे समान रूप से अधिकारों के इस पेड़ का हिस्सा हैं और समान रूप से निशान हैं। उनकी उत्पत्ति उन प्राकृतिक अधिकारों से हुई है जिनके साथ हम सभी पैदा हुए हैं। ये

पत्तियाँ समय के साथ अंकुरित होती हैं और बढ़ती हैं, जैसे प्राकृतिक विकास के कारण कुछ अधिकार समाप्त हो सकते हैं।

43. समय के इस मोड़ पर, हम असमर्थ हैं और यह अनुमान लगाना और अनुमान लगाना लगभग असंभव है कि ये नई कलियाँ क्या हो सकती हैं। यह भविष्यवाणी करने में कोई निश्चितता नहीं हो सकती है। हालाँकि, जो बात निश्चित है वह यह है कि वास्तव में इस बड़े पेड़ की निरंतर वृद्धि होगी।

जिसे हम संविधान कहते हैं। दस्तावेज़ का यह सुंदर पहलू है जो इसे जैविक, गतिशील, युवा और चिरस्थायी बनाता है। और यह है कि

यह महत्वपूर्ण है कि पेड़ आगे बढ़े, क्योंकि गणराज्य को अपनी शाखाओं के नीचे एक छाया मिलती है।
44. निजता की रक्षा करने की चुनौती कई गुना बढ़ गई है। विधि में परिवर्तन की आवश्यकता के संदर्भ में न्यायमूर्ति भगवती द्वारा की गई टिप्पणियाँ, जैसा कि वे उस समय थे, राष्ट्रीय वस्त्र श्रमिक संघ बनाम में। पी. आर. रामकृष्णन *1 4* समान रूप से आवश्यकताओं पर लागू होगा

वर्तमान संदर्भ में संविधान की व्याख्याः

"हम अतीत के मृत हाथ को जीवित वर्तमान के विकास को रोकने की अनुमति नहीं दे सकते। कानून स्थिर नहीं रह सकता; इसे परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए।
सामाजिक अवधारणाओं और मूल्यों को बदलना। यदि पेड़ की रक्षा करने वाली छाल पेड़ के साथ बढ़ने और विस्तार करने में विफल रहती है, तो यह या तो बढ़ेगी।

पेड़ को दबा दें या अगर वह एक जीवित पेड़ है, तो वह उस छाल को गिरा देगा और

14 1 4 (1983) 1 एस. सी. सी. *228* सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2017] 10 एस सी आर।

अपने लिए एक नई जीवित छाल उगाएँ। इसी तरह, अगर कानून बदलते समाज की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है, तो या तो यह समाज के विकास को रोकेगा और उसकी प्रगति को रोकेगा या फिर समाज सशक्त होगा।

पर्याप्त है, यह उस कानून को दूर कर देगा जो इसके रास्ते में खड़ा है

वृद्धि होती है। इसलिए कानून को लगातार तेजी से बदलते समाज के अनुकूल होने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और पीछे नहीं रहना चाहिए।

45. यह मानना गलत है कि न्याय की अधिशासी भावना की अवधारणा एक नए समाज की बुराइयों को ठीक करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होती है।

भारतीय इतिहास के लिए आयु अज्ञात है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय *4* पाठ *8* में इस प्रकार घोषणा की हैः

लेकिन न्यायदानों को न्यायदानों को न्यायदानों को मान्यताओं को मान्यताओं को मान्यताओं

आत्मा न तो सुप्त रह सकती है और न ही स्थिर रह सकती है और उसे कभी भी जीवाश्म बनने नहीं दिया जा सकता है।

47. निजता जैसे मुद्दे की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी

जब संविधान पर विचार किया जा रहा था तब इस स्तर का महत्व प्राप्त करें। फिर भी, आज हम जिस समय में जी रहे हैं, वह आवश्यक है कि

न केवल एक मूल्यवान अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, बल्कि संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

48. भविष्य में निश्चित रूप से हमारे अनुभव जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. के समान समय आने वाले हैं।

भारत का संघ

[संजय किशन कौल, जे।*]*

आज, शायद आज से *10* साल के करीब या *100* के करीब

वर्षों, जब हम बहस करेंगे और विचार करेंगे कि क्या एक निश्चित अधिकार है

मौलिक या नहीं। उस समय यह समझना चाहिए था कि संविधान हमेशा एक अनुकूल और सभी को शामिल करने वाला था।

दस्तावेज़, उन सभी अधिकारों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है जो सबसे गहराई से पोषित हैं और एक 'शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और व्यवस्थित सामाजिक' के लिए आवश्यक हैं।

जी रहे हैं।

49. संविधान और इसकी सर्वव्यापी भावना हमेशा बढ़ती रहती है,

लेकिन कभी उम्र नहीं बढ़ती।

निजता स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आवश्यक है।

50. रोहिंटन एफ. नरीमन, जे. और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ जे. ने निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा। मैं उनसे सहमत हूँ और उनका उल्लेख करना चाहता हूँ

इस संबंध में कुछ कानूनी टिप्पणियां:

मीडिया लॉ *1 5* पर रॉबर्टसन और निकोल में यह देखा गया था:

"व्यक्तियों को घुसपैठ को बनाए रखने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है

उनके व्यक्तित्व और परिवार के लिए मुक्त क्षेत्र और उस क्षेत्र का उल्लंघन होने पर पीड़ा और तनाव का सामना करना पड़ता है। लोकतांत्रिक समाजों को करना चाहिए

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उनकी सुविधा के हिस्से के रूप में गोपनीयता की रक्षा करें,

और व्यक्तिगत पसंद के लिए कुछ कानूनी समर्थन प्रदान करते हैं कि नागरिक अंतरंग व्यक्तिगत जीवन के किन पहलुओं को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में यह स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समान स्रोत से उत्पन्न होती हैः एक स्वतंत्रता जो व्यक्ति को बढ़ाती है

एक लोकतांत्रिक समुदाय में जीवन "।

51. लॉर्ड निकोल्स और लॉर्ड हॉफमैन नाओमी में अपनी राय में

कैम्पबेल के मामले ने "गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व को पहचाना।

लॉर्ड हॉफमैन ने इस प्रकार राय दीः

मानव स्वायत्तता और गरिमा। और यह मान्यता बढ़ी है
अपरिहार्य रूप से यह सवाल कि इसे संरक्षित करने लायक क्यों होना चाहिए

राज्य के खिलाफ लेकिन किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। निजी प्रकाशन के लिए निश्चित रूप से औचित्य हो सकते हैं

15 13 जेफ्री रॉबर्टसन, क्यू. सी. और एंड्रयू निकोल, क्यू. सी., मीडिया लॉ का पाँचवाँ संस्करण पी. *265 16* कैम्पबेल वी. एमजीएन *Ltd.2004* यूकेएचएल *22*

राज्य के लिए-मैं विशेष रूप से स्थिति को ध्यान में रखता हूं
मीडिया, जिस पर मैं एक पल में लौटूंगा-लेकिन मुझे यह कहने का कोई तार्किक आधार नहीं दिखता कि एक व्यक्ति के पास कम होना चाहिए

एक निजी व्यक्ति के खिलाफ सुरक्षा जो उसके पास होगी

व्यक्तिगत जानकारी के प्रकाशन के लिए राज्य के खिलाफ जिसके लिए कोई औचित्य नहीं है। न ही, ऐसा प्रतीत होता है, कोई

अन्य न्यायाधीश जिन्होंने इस मामले पर विचार किया है।
51. इन विकासों का परिणाम विश्वास के उल्लंघन के लिए कार्रवाई के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में एक बदलाव रहा है जब

इसका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी के अनुचित प्रकाशन के लिए एक उपाय के रूप में किया जाता है। कार्रवाई का कारण गोपनीयता पर लागू सद्भावना के कर्तव्य पर आधारित होने के बजाय

व्यक्तिगत जानकारी और व्यापार रहस्य समान रूप से, यह मानव स्वायत्तता और गरिमा की सुरक्षा पर केंद्रित है-किसी के निजी बारे में जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का अधिकार।

जीवन और अन्य लोगों के सम्मान और सम्मान का अधिकार।

लॉर्ड निकोल्स की राय इस प्रकार हैः

"12. वर्तमान मामला गोपनीयता के आक्रमण के एक पहलू से संबंधित हैः निजी जानकारी का गलत प्रकटीकरण। यह मामला

स्वतंत्रता के बीच परिचित प्रतिस्पर्धा शामिल है
किसी व्यक्ति की गोपनीयता के लिए अभिव्यक्ति और सम्मान। दोनों ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं। दोनों में से किसी को भी दूसरे पर वरीयता नहीं है।

निजता का स्तर कल्याण के लिए आवश्यक है और
एक व्यक्ति का विकास। और लगाए गए प्रतिबंध

नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए सरकार एक लोकतांत्रिक राज्य के सार तक जाती हैः आर वी डायमोंट में ला फॉरेस्ट जे देखें *[1988]*

2 एससीआर *417, 426."* *52.* निजता भी
विचार की स्वतंत्रता की कुंजी है। व्यक्ति के पास एक

सोचने का अधिकार। विचारों को कभी-कभी भाषण में अनुवादित किया जाता है लेकिन यह उस व्यक्ति तक सीमित होता है जिसे यह बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, कोई चाह सकता है

किसी की आलोचना करना लेकिन आलोचना को दुनिया के साथ साझा नहीं करना।

गोपनीयता-सूचना को नियंत्रित करने का अधिकार
53. मैंने पहले गोपनीयता के एक पहलू की ओर इशारा किया था-न्याय का अधिकार के. एस. पुत्रस्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* बनाम।

भारत संघ *[*संजय किशन कौल, जे.*]*

व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करना। समाज में लोग दूसरों से जो सीमाएँ स्थापित करते हैं, वे न केवल भौतिक होती हैं, बल्कि सूचनात्मक भी होती हैं। विभिन्न संबंधों के संबंध में विभिन्न प्रकार की सीमाएँ होती हैं। गोपनीयता अजीब सामाजिक स्थितियों को रोकने और कम करने में सहायता करती है।

सामाजिक संघर्ष। व्यक्तियों के बारे में अधिकांश जानकारी "आपका कोई व्यवसाय नहीं" वाक्यांश के तहत आ सकती है। स्वैच्छिक रूप से साझा की जाने वाली जानकारी को विश्वास में कहा जा सकता है और गोपनीयता का कोई भी उल्लंघन ट्रस्ट का उल्लंघन है। यह डॉक्टरों और वकीलों जैसे पेशेवर संबंधों में अधिक होता है, जिसके लिए जानकारी के प्रकटीकरण में स्पष्टता की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को विभिन्न सुविधाओं

और सेवाओं के लिए व्यक्तिगत डेटा जमा करते समय अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार है। यह आवश्यक है कि व्यक्ति को पता हो कि डेटा का उपयोग किस लिए किया जा रहा है और उसे सही करने और संशोधित करने की क्षमता के साथ। की पहचान

जीवन जो असंभव हो जाता है, अगर महत्वपूर्ण निर्णय हमारी जागरूकता या भागीदारी के बिना गुप्त रूप से लिए जाते हैं। *1 7 17* *54.* डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे. कहते हैं कि गोपनीयता के क्षेत्र को मान्यता देना केवल एक स्वीकृति है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए।

उनके व्यक्तित्व के विकास के क्रम को तैयार करना और आगे बढ़ाना।

रोहिंटन एफ. नरीमन, जे. , सूचनात्मक गोपनीयता को मान्यता देता है जो यह मान्यता देता है कि किसी व्यक्ति का उस सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण हो सकता है जो उसके लिए व्यक्तिगत है। इस प्रकार मान्यता प्राप्त, गोपनीयता के अधिकार से

इस आधुनिक युग में कुछ अन्य अधिकार जैसे कि व्यक्तियों को विशेष रूप से अपनी पहचान और व्यक्तिगत जानकारी का व्यावसायिक रूप से दोहन करने के लिए, 'वर्ल्ड वाइड वेब' पर उनके बारे में उपलब्ध जानकारी को नियंत्रित करने के लिए और कुछ व्यक्तिगत जानकारी का प्रसार करने के लिए

केवल सीमित उद्देश्यों के लिए।

55. सैमुअल वारेन और लुई ब्रांडेस ने *1890* में यह विश्वास व्यक्त किया कि एक व्यक्ति को निजी की डिग्री और प्रकार को नियंत्रित करना चाहिए -

व्यक्तिगत जानकारी जो सार्वजनिक की जाती है:

"सामान्य कानून प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करता है

यह निर्धारित करना, आम तौर पर, कि उसके विचार, भावनाएँ और भावनाएँ दूसरों को किस हद तक संप्रेषित की जाएंगी। चाहे वह शब्द से हो या संकेतों से, चित्रकारी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

मूर्तिकला से, या संगीत में। ऐसे प्रत्येक मामले में व्यक्ति

"डैनियल सोलोव, *$10* कारण क्यों गोपनीयता मायने रखती है *'20* जनवरी, *2014* को प्रकाशित //डब्ल्यू. डब्ल्यू. गोपनीयता सिखाएँ। कॉम/*10*-कारण-गोपनीयता-मामले /

उसे यह तय करने का अधिकार है कि उसे क्या दिया जाएगा।

जनता के लिए।

निजता के अधिकार के इस सूत्रीकरण की आज के सूचना और डिजिटल युग में विशेष प्रासंगिकता है।

56. एक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने का अधिकार है

अनुचित रूप से नुकसान पहुँचाया गया और प्रतिष्ठा की ऐसी सुरक्षा न केवल झूठ के खिलाफ बल्कि कुछ सत्यों के खिलाफ भी मौजूद होनी चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों के बारे में अधिक सटीक निर्णय निजी जानकारी से लिया जा सकता है। अपने जीवन के बारे में विवरण-लोग हमें बुरी तरह से आंकते हैं, वे हमें जल्दबाजी में आंकते हैं,

वे संदर्भ से बाहर न्याय करते हैं, वे पूरी कहानी सुने बिना न्याय करते हैं और वे पाखंड के साथ न्याय करते हैं। निजता लोगों को इन परेशान करने वाले निर्णयों से खुद को बचाने में मदद करती है।

57. सभी सच्ची जानकारी देने का कोई औचित्य नहीं है।

जनता के लिए उपलब्ध। जनता को उन सभी सूचनाओं को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो सच हैं। किस सेलिब्रिटी के यौन संबंध रहे हैं

जिनके साथ जनता का हित हो सकता है लेकिन सार्वजनिक हित का कोई तत्व नहीं है और इसलिए गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। इस प्रकार, गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली सच्ची जानकारी को भी सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

58. प्रत्येक व्यक्ति को व्यायाम करने में सक्षम होने का अधिकार होना चाहिए

दुनिया के सामने चित्रित अपने जीवन और छवि पर नियंत्रण और अपनी पहचान के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करना। इसका अर्थ यह भी है कि

व्यक्ति को दूसरों को अपनी छवि, नाम का उपयोग करने से रोकने की अनुमति दी जा सकती है।

और उसकी सहमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उसके व्यक्तिगत जीवन और पहचान के अन्य पहलू। *20*

59. इस तरह के अधिकार के आर्थिक औचित्य के अलावा, यह है

व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के रूप में भी उचित है। यह अधिकार किसी व्यक्ति की 'स्वयं' की स्वतंत्र, व्यक्तिगत अवधारणा की रक्षा करता है। प्रचार का अधिकार स्वायत्तता में व्यक्ति की रुचि को निहित करता है।

परिभाषा, जो दूसरों को उन अर्थों और मूल्यों में हस्तक्षेप करने से रोकती है जो जनता उसके साथ जोड़ती है। *2 1*

1 8 डैनियल सोलोव, *1 10* कारण क्यों गोपनीयता मायने रखती है *20* जनवरी, *2014* को प्रकाशित

*HTTPS: //*डब्ल्यू. डब्ल्यू. गोपनीयता सिखाएँ। कॉम*/10*-कारण-गोपनीयता-मामले*!*

19 यू. के. की अदालतों ने समाचार पत्रों द्वारा कुछ मशहूर हस्तियों की गोपनीयता की रक्षा के लिए आदेश जारी किए, जिसका अर्थ था कि न केवल निजी जानकारी प्रकाशित की जा सकती थी, बल्कि उस मामले और निषेधाज्ञा के अस्तित्व के तथ्य को भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। *20* हेलन लैबोरेटरीज बनाम में द्वितीय सर्किट का निर्णय। टॉप्स च्युइंग गम। *202* एफ. *2* डी *866 (2* डी सिर। *1953)* न्यायाधीश जेरोम फ्रैंक द्वारा लिखित ने प्रचार के अधिकार को "अपनी तस्वीर प्रकाशित करने का विशेष विशेषाधिकार देने के

अधिकार" के रूप में परिभाषित किया। *21* मार्क पी. मैककेना, द राइट ऑफ पब्लिसिटी एंड ऑटोनॉमस सेल्फ-डेफिनिशन, *67* यू.

पीआईटीटी। एल. आरईवी। *225 , 282 (2005) .*

एफ.

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[संजय किशन कौल, जे।*]*

60. प्रॉसर ने गोपनीयता के आक्रमण को चार अलग-अलग भागों में वर्गीकृत किया ऑट्र्स। *22 2 2:*

1) दूसरे के एकांत पर अनुचित घुसपैठ*;*

2) दूसरे के नाम या समानता का विनियोग*;*

3) दूसरे के निजी जीवन को अनुचित प्रचार दिया जाता है*;* और

4) प्रचार जो अनुचित रूप से दूसरे को झूठे बंधन में डाल देता है

जनता के सामने।

दूसरे अपराध में, अमेरिका ने प्रचार के अधिकार को अपनाया है। *23*

61. बो में उल्लिखित फेलिसिया लैम्पोर्ट के काव्यात्मक शब्दों में निजता पर हमला*2 1 ":*

" निजता

हालाँकि हम अनजान, उपेक्षित महसूस करते हैं

अभिलिखित रिक्त स्थान के रूप में,

दिल ले लो*!* हमारे प्राण भंडारित हैं।
विशाल डेटा बैंकों में,

*

हमारे बचपन और परिपक्वता, कुशलता से संकलित,

हमारे स्टॉक और असुरक्षा, सभी स्थायी रूप से दाखिल किए गए,
हमारे स्वाद और हमारी प्रवृत्ति,

सकल और विशेष रूप से, हमारी आय, हमारी गतिविधियाँ

अतिरिक्त और पाठ्यक्रम दोनों।

और हमारी खुशहाल स्थिति ऐसी ही होगी।

जिस दिन हम मरते हैं

जब हम महान द्वारा छीन लिए जाएँगे

आकाश में कंप्यूटर "

सूचनात्मक गोपनीयता

62. एक व्यक्ति का अपने व्यक्ति पर नियंत्रण रखने का अधिकार

विलियम एल. प्रोसर, गोपनीयता, *48* सी. ए. एल.। एल. आरईवी। *383 (1960)* यू. एस. आर्थर आर. मिलर, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन प्रेस *[2017] 10* एस. सी. आर. में प्रचार के अधिकार का दायरा अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डेटा और अपने स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए भी उसके

इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने का अधिकार। कहने की जरूरत नहीं है कि यह

यह एक पूर्ण अधिकार नहीं होगा। इस तरह के अधिकार के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि एक अपराधी अपने अतीत को मिटा सकता है, लेकिन इसके कई प्रकार हैं।

गलतियों की डिग्री, छोटी और बड़ी, और यह नहीं कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति

सभी को जानने के लिए नौवीं सीमा तक प्रोफाइल किया जाना चाहिए।

63. एक हाई स्कूल शिक्षक को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट करने के बाद निकाल दिया गया था कि वह "एक और *[स्कूल]* वर्ष की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी" उसके बाद से स्कूल जिले के निवासी "घमंडी और घटिया" थे। कंपनी की वर्दी में अपनी सूचक तस्वीरें पोस्ट करने के लिए एक उड़ान को निकाल दिया गया था। *25* पूर्व-डिजिटल युग में ऐसी घटनाएं होतीं

कभी नहीं हुआ। लोग तब गलतियाँ कर सकते हैं और शर्मिंदा हो सकते हैं

स्वयं, इस आराम के साथ कि जानकारी आमतौर पर समय के साथ भुला दी जाएगी।

64. डिजिटल युग के प्रभाव के परिणामस्वरूप इंटरनेट पर जानकारी स्थायी हो जाती है। मनुष्य भूल जाते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं भूलता

और मनुष्यों को भूलने नहीं देता। इंटरनेट से जानकारी को हटाने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप इसे पूरी तरह से मिटा नहीं दिया जाता है। पैरों के निशान बने हुए हैं। इस प्रकार यह कहा जाता है कि डिजिटल दुनिया में संरक्षण आदर्श है और एक संघर्ष *26* को भूल जाना।

65. तकनीक के परिणामस्वरूप लगभग एक प्रकार का स्थायी भंडारण होता है।

किसी न किसी तरह से पिछली गलतियों को छोड़ कर फिर से जीवन शुरू करना मुश्किल हो जाता है। लोग स्थिर नहीं होते हैं, वे बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं।

उनके जीवन। वे विकसित होते हैं। वे गलतियाँ करते हैं। लेकिन उन्हें खुद को फिर से आविष्कार करने और सुधार करने और अपनी गलतियों को सुधारने का अधिकार है। यह गोपनीयता है जो इस क्षमता को पोषित करती है और उन अनुचित चीजों की बेड़ियों को हटा देती है जो अतीत में की गई हो सकती हैं।

66. दुनिया भर के बच्चे निरंतर डिजिटल पदचिह्न बनाते हैं

सोशल नेटवर्क वेबसाइटों पर *24/7* के आधार पर जब वे अपने 'एबीसी' सीखते हैं: एप्पल, ब्ल्यूटूथ और चैट के बाद डाउनलोड, ई-मेल, फेसबुक, गूगल, हॉटमेल और इंस्टाग्राम आते हैं। उन्हें अपने पूरे जीवन में अपनी बचकानी गलतियों और नादानी के परिणामों के अधीन नहीं होना चाहिए।

25 पेट्रीसिया सांचेज़ एब्रिल, धुंधली सीमाएँ: सोशल मीडिया गोपनीयता और बीस

पहली सदी का कर्मचारी, सुबह *49* बजे। बस। एल. जे. *63,69 (2012)*

26 रवि अंतानी, स्मृति का प्रतिरोध: यूरोपीय हो सकता है

संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुपस्थित रहने के लिए संघ का अधिकार*?*

27 माइकल एल. रुस्ताद, सन्ना कुलेव्स्का, भूल जाने के अधिकार की पुनः अवधारणा

ट्रान्साटलांटिक डेटा प्रवाह को सक्षम करें, *28* हार्व। जे. एल. एंड टेक।

[संजय किशन कौल, जे।*]*

बच्चों की निजता को न केवल संदर्भ में विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होगी

आभासी दुनिया, लेकिन वास्तविक दुनिया भी।

67. लोग बदलते हैं और एक व्यक्ति को अपने जीवन का मार्ग निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए और केवल उस मार्ग पर नहीं फंसना चाहिए जिसके लिए वह आगे बढ़ रहा है।

शुरू में चला गया। एक व्यक्ति में अपनी मान्यताओं को बदलने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने की क्षमता होनी चाहिए। व्यक्तियों को इस डर में नहीं रहना चाहिए कि

उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचार हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे और इस प्रकार वे खुद को व्यक्त करने से बचेंगे।

68. जबकि भौतिक और आभासी स्थान में व्यक्तिगत जानकारी के प्रसार को नियंत्रित करने का यह अधिकार इतिहास को पूरी तरह से मिटाने के अधिकार के बराबर नहीं होना चाहिए, यह अधिकार, गोपनीयता के व्यापक अधिकार के एक भाग के रूप में,

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता जैसे अन्य मौलिक अधिकारों के खिलाफ संतुलित होना चाहिए, जो एक लोकतांत्रिक समाज के लिए मौलिक हैं।

69. इस प्रकार, *2016-28* के यूरोपीय संघ विनियमन ने उसे मान्यता दी है जिसे 'भूल जाने का अधिकार' कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि

कि पूर्व अस्तित्व के सभी पहलुओं को मिटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ का सामाजिक प्रभाव हो सकता है। अगर हम एक समान अधिकार को मान्यता देते हैं, तो यह इसका मतलब केवल यह होगा कि एक व्यक्ति जो अब अपने व्यक्तिगत डेटा को संसाधित या संग्रहीत करने का इच्छुक नहीं है, उसे उस प्रणाली से हटाने में सक्षम होना चाहिए जहां व्यक्तिगत डेटा/जानकारी अब आवश्यक, प्रासंगिक नहीं है, या गलत है और कोई वैध हित नहीं है। इस तरह के अधिकार का उपयोग वहां नहीं किया जा सकता है जहां जानकारी/डेटा आवश्यक है।

अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने के लिए, कानूनी दायित्वों के अनुपालन के लिए, सार्वजनिक हित में किए गए कार्य के निष्पादन के लिए, के क्षेत्र में सार्वजनिक हित के आधार पर

सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान उद्देश्यों या सांख्यिकीय उद्देश्यों में संग्रह उद्देश्यों के लिए, या कानूनी दावों की स्थापना, अभ्यास या बचाव। इस तरह के औचित्य गोपनीयता के उल्लंघन के सभी मामलों में मान्य होंगे, जिसमें डेटा गोपनीयता का उल्लंघन भी शामिल है।

" आई.

डेटा विनियमन

70. मैं डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. ; कि डेटा संरक्षण का निर्माण एक जटिल अभ्यास है जिसे गोपनीयता की चिंताओं और वैध के सावधानीपूर्वक संतुलन के बाद राज्य द्वारा किया जाना चाहिए।

एकत्रित और संसाधित आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अनुसंधान से उत्पन्न होने वाले सार्वजनिक लाभ सहित राज्य के हित। यूरोपीय संघ

28 सुप्रा

27 व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के संबंध में प्राकृतिक व्यक्तियों की सुरक्षा और इस तरह के डेटा की मुक्त आवाजाही पर अप्रैल *2016* इस संबंध में उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी का उपयोग उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना नहीं किया जाता है और इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है और जिस हद तक इसका खुलासा किया गया था। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यदि सोशल मीडिया वेबसाइटों पर पोस्टिंग केवल एक निश्चित दर्शकों के लिए है,

जो उपलब्ध उपकरणों के अनुसार संभव है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सभी और सार्वजनिक रूप से विभिन्न लोगों को किसी भी तरह से उस जानकारी तक पहुँचने और उसका उपयोग करने का अधिकार है।

परीक्षणः आनुपातिकता और वैधता का सिद्धांत

71. राज्य द्वारा निजता के अधिकार का उल्लंघन करने की संभावना से उत्पन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से व्यक्त की गई चिंताओं को राज्य के विवेक को सीमित करने के लिए सुझाए गए परीक्षण द्वारा पूरा किया जा सकता हैः

" ((i) कार्रवाई को कानून द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

((ii) लोकतांत्रिक समाज में प्रस्तावित कार्रवाई आवश्यक होनी चाहिए।

एक वैध उद्देश्य के लिए*;*

(iii) इस तरह के हस्तक्षेप की सीमा इसके अनुपात में होनी चाहिए -

इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता*;*

(iv) इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक गारंटी होनी चाहिए।

हस्तक्षेप "।

प्रतिबंध

72. निजता का अधिकार जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, निरपेक्ष नहीं है। द.

संविधान के भाग *III* में आने वाले निजता का अधिकार, इसके परिवर्तनीय तथ्यों के आधार पर, किसी न किसी भाग में निहित हो सकता है, और इस प्रकार - उस विशेष मौलिक अधिकार के प्रयोग के प्रतिबंधों के अधीन।

राष्ट्रीय सुरक्षा इस प्रकार एक स्पष्ट प्रतिबंध होगा, इसलिए विभिन्न मौलिक अधिकारों के लिए प्रावधान, इस बात पर निर्भर करता है कि गोपनीयता का अधिकार कहाँ उत्पन्न होगा। जनहित तत्व एक अन्य पहलू होगा।

73. 2016-30 के यूरोपीय संघ विनियमन की ओर मुड़ना उपयोगी होगा। निजता के अधिकार के प्रतिबंध न्यायसंगत हो सकते हैं आनुपातिकता के सिद्धांत के अधीन निम्नलिखित परिस्थितियाँः

(क) अन्य मौलिक अधिकारः निजता का अधिकार होना चाहिए

29 सुप्रा

30 सुप्रा यूस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*) v.* भारत संघ-*[*संजय किशन कौल, जे.*]*

समाज में इसके कार्य के संबंध में विचार किया जाता है और अन्य मौलिक अधिकारों के खिलाफ संतुलित किया जाता है।

(ख*)* वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हित

(ग*)* वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान उद्देश्यों सहित जनहित

या सांख्यिकीय उद्देश्य

(घ*)* आपराधिक अपराधः आपराधिक अपराधों की रोकथाम जांच, अभियोजन के लिए सक्षम अधिकारियों की आवश्यकता

सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे के खिलाफ सुरक्षा उपायों सहित;

(ई*)* अज्ञात डेटाः जानकारी पहचान या पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, लेकिन गुमनाम रहती है।

2016 का यूरोपीय संघ विनियमन *31* संदर्भित करता है
'छद्मनामकरण 'जिसका अर्थ है व्यक्तिगत डेटा को इस तरह से संसाधित करना कि व्यक्तिगत डेटा अब नहीं हो सकता है

अलग से और तकनीकी और संगठनात्मक के अधीन है
यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कि व्यक्तिगत डेटा को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है

एक पहचाना या पहचान योग्य प्राकृतिक व्यक्ति;

`*(* च*)* कर आदिः कर के नियामक ढांचे और वित्तीय संस्थानों, बाजारों के कामकाज के लिए निजी जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन फिर यह सभी को जानकारी के प्रकटीकरण का अधिकार नहीं देगा और प्रसंस्करण के उद्देश्यों के अनुसार डेटा सुरक्षा नियम होने चाहिए। हालाँकि, ऐसा प्रसंस्करण हो सकता है जो इसके लिए उपयुक्त हो।

जिन उद्देश्यों के लिए इसे शुरू में एकत्र किया जाता है।

निजता पर विशेषज्ञों के समूह की रिपोर्ट

74. ऐसा नहीं है कि गोपनीयता का पहलू चिंता का विषय नहीं है। भारतीय योजना आयोग ने विशेषज्ञों के समूह का गठन किया

न्यायमूर्ति ए. पी. शाह की अध्यक्षता में रिक्त, जिसने *16* अक्टूबर, *2012* को बंदरगाह प्रस्तुत किया। पाँच मुख्य विशेषताएँ, अपने आप में

डीएस, इस प्रकार हैंः

" 1. तकनीकी तटस्थता और अंतरसंचालनीयता

अंतर्राष्ट्रीय मानकः समूह ने सहमति व्यक्त की कि कोई भी प्रस्तावित

गोपनीयता कानून के लिए ढांचा तकनीकी रूप से तटस्थ और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ अंतर-संचालित होना चाहिए। विशेष रूप से

सुप्रा

:

[2017] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गोपनीयता अधिनियम में विशिष्ट तकनीकों का कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए।

और इतना सामान्य होना चाहिए कि सिद्धांत और प्रवर्तन तंत्र समाज में परिवर्तनों के अनुकूल रहते हैं,

बाजार, प्रौद्योगिकी और सरकार। ऐसा करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय शासनों के साथ निजता के अधिकार को निकटता से सुसंगत बनाना, विश्वास पैदा करना और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना और समानता प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

और भारत के भीतर और साथ ही इसके बाहर संसाधित डेटा के लिए पर्याप्त स्तर की सुरक्षा। ऐसा करने में, ढांचे को यह स्वीकार करना चाहिए कि डेटा का आर्थिक मूल्य है, और यह कि वैश्विक डेटा प्रवाह उत्पन्न करता है डेटा निर्माता के रूप में व्यक्ति के लिए और ऐसे डेटा को एकत्र करने और संसाधित करने वाले व्यवसायों के लिए मूल्य। इस प्रकार, ढांचे का एक ध्यान वैश्विक ग्राहकों और उनके अंतिम उपयोगकर्ताओं के विश्वास को प्रेरित करने पर होना चाहिए, उनकी गोपनीयता सुरक्षा को बढ़ाने में घरेलू ग्राहकों के हितों से समझौता किए बिना।

अपने कई आयामों में गोपनीयता के लिए। भारत में निजता के अधिकार पर एक रूपरेखा में गोपनीयता से संबंधित चिंताओं को शामिल किया जाना चाहिए। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षा और उससे उभरने वाली चुनौतियों, अनधिकृत अवरोधन से उचित सुरक्षा, ऑडियो और वीडियो निगरानी, व्यक्तिगत पहचानकर्ताओं का उपयोग, शारीरिक गोपनीयता

डीएनए के साथ-साथ शारीरिक गोपनीयता, जो गोपनीयता संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय लोकाचार स्थापित करने में महत्वपूर्ण हैं, इस तरह के संरक्षण के विशिष्ट रूप नई और उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए लचीले होने चाहिए।

3. क्षैतिज प्रयोज्यताः समूह ने सहमति व्यक्त की कि कोई भी प्रस्तावित

निजता कानून सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र दोनों पर लागू होना चाहिए। यह देखते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को नियंत्रित करने वाले एकीकृत मानदंडों के एक समूह की ओर है,

और दोनों क्षेत्र भारत में बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करते हैं, दोनों को प्रस्तावित के दायरे में लाना अनिवार्य है

कानून।

4. गोपनीयता सिद्धांतों के अनुरूपताः यह रिपोर्ट भारत में प्रस्तावित गोपनीयता अधिनियम की आधारशिला बनाने के लिए नौ मौलिक गोपनीयता सिद्धांतों की सिफारिश की जाती है। ये सिद्धांत,

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं से तैयार किए गए, और भारतीय संदर्भ में उपयुक्त रूप से अनुकूलित, सभी व्यक्तिगत डेटा विषयों को गोपनीयता सुरक्षा का आधारभूत स्तर प्रदान करने का इरादा है।

मौलिक न्याय के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत का संघ

[संजय किशन कौल, जे।*]*

सिद्धांतों को रेखांकित करने वाला दर्शन संग्रह, प्रसंस्करण और उपयोग के लिए डेटा नियंत्रक को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता है।

जिसे डेटा रखा जाता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा की गोपनीयता

0

विषय की गारंटी है।

5. सह-नियामक प्रवर्तन व्यवस्थाः यह रिपोर्ट
केंद्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर गोपनीयता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना की सिफारिश करता है। गोपनीयता आयुक्त प्रवर्तन के लिए प्राथमिक प्राधिकरण होंगे

अधिनियम के प्रावधान। हालांकि, एक शुद्ध निर्धारित करने के बजाय

प्रवर्तन के लिए ऊपर-नीचे दृष्टिकोण, यह रिपोर्ट एक की सिफारिश करती है

स्व-विनियमन पर समान जोर देने के साथ सह-विनियमन की प्रणाली

संगठनों *(*एस. आर. ओ.*)* को जिम्मेदारी दी जा रही है

गोपनीयता आयुक्तों द्वारा नियमित निरीक्षण के अधीन, अधिनियम का स्वायत्त रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना। एस. आर. ओ. उद्योग-विशिष्ट ज्ञान रखने के अलावा बेहतर स्थिति में भी होंगे।

निजता के अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करना और उद्योग के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में जनता दोनों के लिए निजता संरक्षण की संवेदनशीलता को समझाना। एक कंपनी की यह सिफारिश

विनियामक व्यवस्था अदालतों की शक्तियों का अवमूल्यन नहीं करेगी जो निरंतरता के मामले में अंतिम उपाय के रूप में उपलब्ध होगी।

और गोपनीयता अधिनियम का अनसुलझा उल्लंघन "।

75. इस विषय पर कानून के अधिनियमन का अभी भी इंतजार है। इससे पहले वर्ष *2005* का गोपनीयता विधेयक आया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है

बहुत कम प्रगति हुई है। सुनवाई के दौरान ही हमें मंत्रालय का एक कार्यालय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी दिनांक *31.7.2017,* जिसके माध्यम से एक डेटा पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया था

भारत में प्रमुख डेटा संरक्षण मुद्दों की पहचान करने और उनके तरीकों की सिफारिश करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में भारत के लिए सुरक्षा ढांचा

उन्हें संबोधित करते हुए। तो आशा है*!*

76. उपरोक्त पहलू को उन उद्देश्यों के लिए संदर्भित किया गया है जो

निजता के बारे में चिंताओं पर काफी समय से ध्यान नहीं दिया गया है और इस प्रकार निजता के अधिकार के उल्लंघन को विधायिका द्वारा तैयार करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। यह एक मौलिक प्राकृतिक अधिकार है जिसे केवल एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जा रही है जो संविधान के भाग *III* में आता है।

भारत का संविधान।

निष्कर्ष

77. निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के आंतरिक क्षेत्र को दोनों के हस्तक्षेप से बचाता है।

राज्य और गैर-राज्य कर्ता और व्यक्तियों को अनुमति देते हैं स्वायत्त जीवन विकल्प।

78. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह सही व्यक्त किया गया था कि

प्रौद्योगिकी ने किसी नागरिक के घर में उसके दरवाजे पर दस्तक दिए बिना प्रवेश करना संभव बना दिया है और यह राज्य और गैर-राज्य दोनों द्वारा समान रूप से संभव है।

राज्य अभिनेता। यह एक व्यक्ति की पसंद है कि उसके घर में कौन प्रवेश करता है, वह कैसे रहता है और किस रिश्ते में रहता है। घर की निजता को परिवार, विवाह, प्रजनन और यौन अभिविन्यास की रक्षा करनी चाहिए।

गरिमा के महत्वपूर्ण पहलू।

79. यदि व्यक्ति किसी को घर में प्रवेश करने की अनुमति देता है तो वह ऐसा करता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोग घर में प्रवेश कर सकते हैं। एकमात्र नियंत्रण और संतुलन यह है कि यह दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह भौतिक रूप और प्रौद्योगिकी दोनों पर लागू होता है। एक युग में

जहाँ व्यापक, विविध, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड हैं और हमारे जैसे देश में जो अपनी विविधता पर गर्व करता है, गोपनीयता राज्य और गैर-राज्य दोनों अभिनेताओं के खिलाफ संरक्षित किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है और इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके बाद कैसे*?*

अन्य मौलिक अधिकारों के साथ अपने अंतर-खेल में काम करता है और जब ऐसा होता है

प्रतिबंध आवश्यक हो जाएंगे जो प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करेंगे। यह कि यह अधिक मुकदमेबाजी को जन्म दे सकता है, इस महत्वपूर्ण, प्राकृतिक, आदिम अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता न देने का कारण शायद ही हो सकता है।

80. डॉ. डी. वाई. की राय के दो पहलू हैं।

चंद्रचूड़, जे। , जिनमें से एक राय रोहिंटन एफ. नरीमन, जे. , विशिष्ट उल्लेख की आवश्यकता है। निजता के अधिकार पर संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास पर विचार करते हुए उन्होंने सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन के फैसले का उल्लेख किया है। *32* दिल्ली के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा *377* को दी गई चुनौती में

उच्च न्यायालय, चुनौती के आधारों में से एक यह था कि उक्त प्रावधान गरिमा और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार और निजता का अधिकार दोनों को अनुच्छेद *21* के आयामों के रूप में मान्यता दी गई है।

भारत का संविधान। हालाँकि, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण था

32 (2014) I एस. सी. सी. *1* जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी *(*आर. ई. टी. डी.*)* *v.* भारत संघ *[*संजय किशन कौल, जे.*]*

उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर और इस प्रकार, अनुच्छेद *14,15* और *21* के प्रावधानों की धारा को अति विषाणु घोषित करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। संविधान। मामला इस पर नहीं टिका क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की गई गोपनीयता और गरिमा के मुद्दे पर भी विचार किया गया था। इस प्रकार घर की चार दीवारों के भीतर भी यौन अभिविन्यास बहस का एक पहलू बन गया। मैं डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के विचार से सहमत हूँ।

जे., जो अपने निर्णय के पैराग्राफ *123* और *124* में कहते हैं कि निजता के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है, भले ही इसका एक छोटा सा अंश हो। आबादी जो प्रभावित है। बहुसंख्यकवादी अवधारणा संवैधानिक अधिकारों पर लागू नहीं होती है और न्यायालयों को अक्सर भारत के संविधान के तहत परिकल्पित शक्ति के नियंत्रण और संतुलन में गैर-बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिन लोगों का यौन संबंध है

अभिविन्यास निस्संदेह गोपनीयता की एक विशेषता है। मोस्ले बनाम न्यूज ग्रुप पेपर्स लिमिटेड *33* में एक व्यापक अवधारणा में की गई टिप्पणियों को उपयोगी रूप से संदर्भित किया जा सकता है:

"130 ..... यह केवल व्यक्तिगत गोपनीयता बनाम का मामला नहीं है

जनहित। आधुनिक धारणा यह है कि व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करने में सार्वजनिक हित है। इस प्रकार यह परस्पर विरोधी जनहित संबंधी विचारों को ध्यान में रखने का प्रश्न है और

131. जब अदालतें किसी व्यक्ति के अनुच्छेद *8* के अधिकारों के उल्लंघन की पहचान करती हैं, और विशेष रूप से अपने यौन जीवन और व्यक्तिगत संबंधों को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करने की उसकी स्वतंत्रता के संदर्भ में, उपचार का खर्च उठाना और उस अधिकार को सही ठहराना सही है। एकमात्र अनुमत अपवाद वह है जहां एक प्रतिकूल सार्वजनिक हित है जो विशेष परिस्थितियों में इसे पार करने के लिए पर्याप्त मजबूत है; कहने का मतलब है, क्योंकि कम से कम एक स्थापित
"सीमित करने वाले सिद्धांत चलन में आते हैं। क्या घुसपैठ होना आवश्यक और आनुपातिक था, उदाहरण के लिए, अवैध गतिविधि को उजागर करने के लिए या जनता को घुसपैठ करने से रोकने के लिए।

व्यक्ति द्वारा अब तक किए गए सार्वजनिक दावों द्वारा काफी गुमराह किया गया

संबंधित *(*जैसा कि नाओमी कैंपबेल के नशीली दवाओं के सेवन से सार्वजनिक इनकार के साथ*)?* या यह आवश्यक था क्योंकि जानकारी में
वॉन हनोवर में स्ट्रासबर्ग अदालत के शब्द *(60)* और *(76), "*सामान्य हित की बहस*"* में योगदान देंगे*?* कि

33 3 3 (2008) ईडब्ल्यूएचएस *1777 (*क्यूबी*)*

3

:

[2017] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेशक, एक बहुत उच्च परीक्षण है, यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना दूर है

सार्वजनिक स्थानों पर फोटोग्राफी के संबंध में इस क्षेत्राधिकार की अदालतों में यह सिद्धांत लिया जाएगा। यदि शाब्दिक रूप से लिया जाए, तो इसका मतलब होगा कि जो अनुमति दी गई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। यह एक होगा
टैब्लॉइड और सेलिब्रिटी संस्कृति पर गहरा प्रभाव जिसके लिए हम

हाल के वर्षों में वे इसके आदी हो गए हैं।

81. इसके अलावा इस मुद्दे पर और गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

गोपनीयता के संदर्भ के रूप में यह एक मुद्दा होगा जिस पर पहले बहस की जानी चाहिए

उचित पीठ, मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया है।

82. दूसरा पहलू बहुमत के संबंध में चर्चा है।

ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के मामले में फैसला

राय। आई. आर. कोएल्हो बनाम। तमिलनाडु राज्य *3* में यह देखा गया कि ए. डी. एम. जबलपुर मामले को अप्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया गया है और यह कि पर्यवेक्षण घटना संविधान का *44* वां संशोधन था, जिसने संविधान के अनुच्छेद *359* में संशोधन किया था। मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ।

ए. डी. एम. जबलपुर मामले को खारिज करना जो हमारे देश के संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक विचलन था और बहुमत की राय को दस फीट गहराई से दफन करने की वांछनीयता थी, जिसमें पुनरुत्थान की कोई संभावना नहीं थी।

83. निजता का अधिकार, एक अंतर्निहित अधिकार, स्पष्ट रूप से एक हो

भारत के संविधान के भाग-*III* में अंतर्निहित मौलिक अधिकार, लेकिन निर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन, उस भाग से संबंधित। यही आज का आह्वान है। पुराना क्रम स्थान बदलकर नया हो जाता है।

न्यायालय का आदेश

1. माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जगदीश सिंह खेहर, श्री न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल, श्री न्यायमूर्ति एस. अब्दुल की ओर से यह फैसला सुनाया गया।

नजीर और डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ को डॉ. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने जन्म दिया। न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने अलग-अलग निर्णय दिए।

2. संदर्भ का निपटारा निम्नलिखित शब्दों में किया जाता हैः

(i) एम. पी. शर्मा में निर्णय जिसमें कहा गया है कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है, शासित है।

((ii) खड़क सिंह में इस हद तक निर्णय लिया गया है कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है।

34 (1976) 2 एस. सी. सी. *521* *35 (2007) 2* एससीसी *1 1*

ए. एम. वाई *(*आर. ई. टी. डी.*)* वी. भारत का संघ

अनुच्छेद *21* के तहत अधिकार स्वतंत्रता के एक आंतरिक भाग के रूप में और अनुच्छेद *21* के एक भाग के रूप में संरक्षित है।

संविधान के भाग *III* द्वारा संपादित। एन. टी. खड़क सिंह को जिन्होंने ऊपर उच्चारण किया है, लाव में सही स्थिति निर्धारित करते हैं।

संदर्भित मुद्दे का जवाब